बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण से संबंधित

परिपत्रों का संकलन



बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण से संबंधित

परिपत्रों का संकलन

प्रकाशक :

भवन निर्माण विभाग

बिहार सरकार

विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–15

मार्गदर्शन :

- **श्री चंचल कुमार**
  सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

संकलनकर्त्ता :

- **श्री गंगा कुमार**
  विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
- **श्री राम बाबू प्रसाद**
  योजना अभियंता (उत्तर उपभाग), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

प्रथम संस्करण - 2014

मूल्य : ₹ **500** (पाँच सौ रुपये मात्र)

मुद्रक : किशोरी इन्टरप्राईजेज, पटना, मो०- 9431003479

❖ **यह पुस्तिका मार्गदर्शन मात्र के लिए है। किसी प्रकार की कार्रवाई करने के पूर्व मूल से मिलान कर लेना होगा। मुद्रण अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा निर्गत मूल पत्र की प्रति ही मान्य होंगे।**

मुख्य मंत्री
बिहार

बिहार सरकार

दिनांक- 11.08.2014, पटना



शुभकामना संदेश

बिहार राज्य में आधारभूत संरचनाओं की सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्य विभागों/उपक्रमों द्वारा कार्य को सुगमता एवं कालबद्ध सीमा के अन्तर्गत सम्पादन करने हेतु समय–समय पर नियमावली एवं परिपत्र निर्गत किये जाते हैं। परंतु कार्य विभागों/उपक्रमों से संबद्ध पदाधिकारियों/कर्मचारियों को इन नियमावलियों की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार कार्य संपादन के दौरान विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

हर्ष की बात है कि उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित संकलन पहली बार भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है जो कार्य विभागों/उपक्रमों एवं सरकार के स्तर से निर्गत विभिन्न अद्यतन नियमावलियों का संग्रह होगा। इस प्रकार के संकलन से समेकित जानकारियाँ मिल सकेगी एवं सामान्य जनों के लिए ज्ञानवर्द्धक साबित होगा। आशा है भवन निर्माण निगम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया गया यह संकलन आधारभूत सरंचना के निर्माण से जुड़े सभी संस्थानों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं अभियंताओं के लिए काफी ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी होगा। इस रचनात्मक एवं सराहनीय प्रयास के लिए मेरी हार्दिक बधाई ।

11.8.14

(जीतन राम मांझी)

दामोदर रावत
मंत्री
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

एम० – 24
स्ट्रैण्ड रोड, पटना
फोन : 0612–2545629
फैक्स : 0612–2545640



शुभकामना संदेश

आज बिहार राज्य के सभी जनपदों में आधारभूत संरचनाओं का बहुयामी विकास हो रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा अनेकों प्रकार की बड़ी–बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों द्वारा परिपत्रों एवं नियमावलियों का प्रकाशन किया गया है। परन्तु इन नियमावलियों एवं परिपत्रों का अद्यतन संग्रह नहीं होने के कारण कार्य विभागों/उपक्रमों से संबद्ध कर्मियों को नियमानुसार कार्य संपादित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संकलित भवन निर्माण विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारियाँ पहली बार प्रकाशित की जा रही है। आशा है यह संकलन राज्य के कार्य विभागों/उपक्रमों से जुड़े पदाधिकारियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा । इस सराहनीय एवं उपयोगी प्रयास के लिए मैं प्रकाशन में संलग्न विभागीय सचिव एवं सभी पदाधिकारीयों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ !

30/07/14

(दामोदर रावत)

चंचल कुमार
भा0प्र0से0
सचिव

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–15
दूरभाष – 0612–2545656
फैक्स– 0612–2545746



शुभकामना संदेश

भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा महती भूमिका रखते हुए सरकारी कार्यों के निष्पादन में नियमानुकूल कार्य अपनाने के दृष्टिकोण से आमजनों तक नियम, परिपत्र आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमावलियों/परिपत्रों / संकल्पों आदि का अद्यतन संग्रह तैयार कर एक पुस्तक का रूप दिया गया है जो काफी उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा । कार्य को समय से पूर्ण कराने तथा विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करने में इस पुस्तक से काफी सहयोग प्राप्त होगा । साथ ही विभाग एवं निगम अपने पारदर्शिता को बनाए रखने में भी मार्गदर्शिका के रूप में इस पुस्तक का प्रयोग कर पाएँगे । मैं इस पुस्तक को तैयार करने में विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रकाशन कराने के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ।

13/8/14

(चंचल कुमार)

प्रस्तावना

भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा अन्य कार्य विभागों तथा निगमों में अनेकों बार नियमावलियों/परिपत्रों/संकल्पों आदि के अद्यतन एवं पर्याप्त जानकारी के अभाव में नियमानुसार कार्य संपादित करने में अभियंताओं एवं अन्य पदाधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। साथ ही अद्यतन प्रकाशित परिपत्रों, नियमों एवं पत्रों से क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं अभियंता अनभिज्ञ होते हैं, जिसके कारण उनसे तकनीकी भूल हो जाती है तथा उन्हें दंडित होना पड़ता है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में यह परिपत्र संग्रह विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को नियमपूर्वक समसय कार्य संपादित करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों के अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों का क्रमवार संग्रह किया गया है, ताकि इसका उपयोग सुगमता पूर्वक किया जा सके।

इस परिपत्र संग्रह में कुल 11 भाग है। प्रथम भाग में लोक निर्माण संहिता के संशोधित एवं वित्तीय आदेशों का समावेश किया गया है। इस भाग में लोक निर्माण संहिता भाग–I, 1958 की जिन–जिन कंडिकाओं को संशोधित या विलोपित की गई है, को अद्यतन रूप से सम्मिलित किया गया है। साथ ही, प्रशासनिक स्वीकृति एवं निविदा से संबंधित संशोधित परिपत्रों को सम्मिलित किया गया है। भाग–II में अद्यतन निबंधन नियमावली का संग्रह किया गया है। भाग–III में SBD के विभिन्न कंडिकाओं में भवन निर्माण विभाग के परिप्रेक्ष्य में की गई संशोधनों को सम्मिलित किया गया है। भाग–IV में भवन निर्माण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण एवं निविदा निष्पादन तथा e-Procurement से संबंधित अद्यतन नियमावली का समावेश किया गया है। भाग–V में SOR संबंधित कंडिकाओं को सम्मिलित किया गया है। भाग–VI में सरकारी आवास के आवंटन एवं ई–निवास से संबंधित प्रकाशित नियमावलियों का संग्रहण किया गया है। भाग–VII में कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु संवेदकों के विरूद्ध की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कार्रवाईयों से संबंधित नियमावली में समावेश किया गया है। भाग–VIII में विभाग द्वारा प्रकाशित अन्य परिपत्रों का संग्रह है। भाग–IX में अभियंताओं/कर्मचारियों/पदधिकारियों की सेवा शर्त्तों से संबंधित प्रकाशित सामग्रियों का संग्रहण है। भाग–X में वास्तुविदों से सम्बन्धित परिपत्र तथा भाग–XI में कुछ अन्यान्य परिपत्रों का संग्रह है।

इसमें विभागों द्वारा प्रकाशित नियमावली एवं परिपत्रों का संग्रहण एक साथ किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह परिपत्र संग्रह कार्य विभागों के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। संभावना है कि पुस्तक की इस संग्रहण में कहीं–कहीं त्रुटि रह गयी हो उसके लिए हमें खेद है तथा आशा है कि उक्त त्रुटि की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे ताकि उसे सुधार कर पुनः प्रकाशित किया जा सके।

विभागीय परिपत्रों के इस संग्रह के प्रकाशन में श्री गंगा कुमार, विशेष सचिव, श्री राम बाबू प्रसाद, योजना अभियंता एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० तथा भवन निर्माण विभाग से संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन सभी कर्मचारियों एवं पदाधि कारियों जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संकलन के प्रकाशन में सहयोग दिया गया है, को आभार व्यक्त करता हूँ। भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव-सह-अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, मुख्य अभियंता श्री रमेश कुमार, श्री नवीन कुमार एवं श्री परमानन्द त्यागी को भी इस पुस्तक के प्रकाशन में दिये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

श्री गिरीश नन्दन सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक) एवं श्री कमला कान्त झा, मुख्य अभियंता (द०) के सचिव (प्रावैधिक) को हम उनके विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

13/8/14

(चंचल कुमार)
सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

विषय सूची

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
	A–लोक निर्माण संहिता के संशोधित एवं वित्तीय आदेश के संबंध में।		
1.	बिहार लोक निर्माण संहिता, भाग–1 (1958) की कंडिका 7, 15, 39, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 99, 103, 104, 121, 122, 123, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 181, 183, 191, 192, 204, 207, 212, 230, 240, 244, 250, 257, 258, 260, 261, 274, 279, 282, 283, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 को संशोधित/विलोपित करने तथा 15ए, 103ए, 158ए, 169ए, 182ए के रूप में सम्मिलित कर अद्यतन करने के संबंध में।	2676 (S)/15.05.05 अनुलग्नक C.D. में	01
2.	बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292 एवं 293 के अनुसार विभागीय संकल्प–एफ/ई–106/65-पी॰ डब्लु॰ 15629/पटना दिनांक 11.06.1965 में आंशिक संशोधन के संबंध में।	5452 (S)/26.05.06	04
3.	योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 159, 161, 103, 103ए, 163, 292 (XI), 293(xiv), 294(viii), 295(i) में संशोधन, नियम 291 ए के प्रावधान का सन्निहितीकरण। बिहार लोक संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों के द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना।	5762 (S)/05.06.06	06
4.	कार्य विभागों में निविदा के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग–1 के नियम 291A में संशोधन के संबंध में। (Tender Committee का गठन)	12180 (S)/30.10.06	14
5.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रत्येक योजनाओं के लागत का 1% (एक प्रतिशत) 'सेस' के रूप में जमा करने के संबंध में।	38 (अनु॰)/13.05.10	16
6.	बिहार वित्त अधिनियम, 2012 ।	129 /31.03.12	17
7.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 एवं नियमावली के नियम 29 के तहत संविदा कार्य पर कर कटौती के संबंध में।	932 Sale Tax/ 14.03.11	30
8.	बिजली का पोल, पथ पटरी के नीचे जलापूर्त्ति पाईप लाईन आदि के हटाने से संबंधित पथ निर्माण विभाग का आदेश।	1740 (S)/06.03.09	32
9.	बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–292 के अनुरूप संबंधित मुख्य अभियंताओं सहित बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (राज्य सरकार के अधीन सेवारत मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी) द्वारा परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधकी स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान करने, पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं गृह विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में क्रमशः प्रबंध निदेशक तथा मुख्य महाप्रबंधक को तकनीकी अनुमोदन/प्रवैधिकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए दी गयी शक्ति की संपुष्टि तथा केन्द्रीय निरुपण संगठन के दायित्वों का पुनर्निधारण के संबंध में।	9133 (S)/11.08.11	33

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
10.	राज्य के अंतर्गत लोक उपक्रम में CE, SE, EF के पद पर एक Grade ऊपर पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में।	7986 (S)/8.10.13	36
11.	e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, विड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त करने के प्रावधान को बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 161 (क) एवं 161 (ख) के रूप में समाहित करने तथा तदनुसार बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं Procurement of Civil Works हेतु उपलब्ध Standard Bidding Document के सुसंगत नियमों में भी उपर्युक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के संबंध में।	9535 (S)/23.08.11	37
	B–निबंधन नियमावली के संबंध में।		
12.	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संबंध में।	5737 (S)/07.05.07	39
13.	पथ निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत संशोधित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 को राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों में लागू किये जाने के संबंध में।	13211 (S)/16.10.08	41
14.	राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।	1399 (S)/31.01.08	42
15.	स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी में ठीकेदारों के निबंधन के संबंध में।	13589 (S)/13.12.11	45
16.	पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1399 (एस) दिनांक–31.01.2008 तथा अधिसूचना ज्ञापांक–13590 (एस) दिनांक–13.12.2011 द्वारा अधिसूचित सरकार के निर्णय के अनुपालन के संबंध में।	4144 (E)/10.07.12	49
17.	राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।	6614 (S)/16.08.13	51
	C-SBD/MBD के संबंध में।		
18.	कार्य विभागों के लिए स्टैण्डर्ड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित करते हुए वर्तमान में प्रयुक्त एफ–2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रुपये 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में लागू करने के संबंध में।	9545 (S)/12.08.06	52
19.	Standard Bidding Document के Clause–10 सी०एवं Clause–35 में निहित प्रावधानों को रु० 5 (पाँच) करोड़ से नीचे वाली सभी निविदाओं में लागू किए जाने के संबंध में।	4780 (S)/05.04.07	54
20.	कार्य विभागों में रु० 2.00 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में Standard Bidding Document को लागू करने के संबंध में।	3451 (S)/12.03.08	56
21.	Standard Bidding Document में निहित Clause of contract के clause 1A के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में।	11721 (S)/08.10.09	58
22.	स्टैण्डर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर निविदाओं के तकनीकी–मूल्यांकन के संबंध में।	3284 (भ)/05.05.09	60

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
23.	एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए॰ डी॰ बी॰) द्वारा ऋण पोषित राज्य उच्च पथों के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रलेख (International competitive Bidding Document) लागू किये जाने के संबंध में।	2202(S)/18.02.08	62
24.	State SBD में Joint Venture का उल्लेख।	8131 (S) नि॰/ 24.07.12	64
25.	रुपये 50.00 करोड़ से अधिक के बीड डॉक्यूमेन्ट एवं ई-कोटेशन के संबंध में दिशा-निर्देश।	3462 (भ)/ 25.03.14	69
26.	निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में।	363त॰प॰को॰/ 11.04.13	71
27.	निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।	1006/18.11.13	72
28.	₹ 200 लाख (दो सौ लाख) से कम की निविदाओं में न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संबंघ में।	1260(S)/ 13.02.14	73
29.	S.B.D. के कतिपय प्रावधानों के Clarification के संबंध में।	5465 (भ)/ 07.06.11	74
30.	न्युट्रलाईजेशन लागू करने के संबंध में।	10725 (भ)/12.12.08	76
31.	F2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में Cement/Steel price Neutralization को लागू किये जाने के संबंध में।	5633 (भ)/ 17.07.08	77
	D-निविदा आमंत्रण/निष्पादन के संबंध में।		
32.	कार्य विभागों में निविदा के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग-1 के नियम 291-A में संशोधन के संबंध में (10% से अधिक निविदित राशि के संबंध में)।	12180(S)/30.10.06	79
33.	निविदाओं के मूल्यांकन तथा निर्णय के संबंध में।	12820 (S)/17.11.06	81
34.	राज्य सरकार में ई-क्रय (E-procurement) प्रणाली लागू करने के संबंध में।	5188 (वि॰वि॰)/ 15.06.09	83
35.	Roles and responsibilities (including limitations of departmental officers for use of PKI (digital signature) regarding E-Tender.	10360 (S)/19.09.09	85
36.	समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन के संबंध में Guideline ।	3525 (निगरानी)/ 11.06.12	87
37.	पथ कार्य के निविदा शर्त में संशोधन के संबंध में। (चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं)	11960 (S)/ 12.11.12	89
38.	निविदित दर की न्यूनतम सीमा (15 प्रतिशत से कम को समाप्त करने के संबंध में।	363 (त.प.को.नि.)/ 11.04.13	91

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
39.	योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु P.W.D. Code के नियम 159 के बाद (क) एवं 159 (ख) का प्रावधान के संबंध में। (7.5 लाख से कम के लिए निविदा का प्रकाशन आवश्यक नहीं, 10 लाख के ऊपर के लिए e-Procurement)	6831 (S)/ 26.08.13	92
40.	SBD आधारित कार्यो में निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में।	9049 (S)/26.11.13	94
41.	निविदा से संबंधित शर्त्तो के संबंध में।	13047 (भ)/ 28.12.07	96
42.	निविदत दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।	2046 (S)/ 06.03.14	98
43.	Bid Processing fee हेतु Internet Banking अथवा NEFT/RTGS, Challan के माध्यम से करने हेतु।	4538 (भ०)अनु०/ 29.04.14	99
	E–योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।		
44.	Justification of over head charge/Contingency & Lead in SOR 2014 ।	SOR 2014 की प्रस्तावना	100
45.	भवन निर्माण विभाग में लागू अनुसूचित दर के संबंध में।	SOR 6th edition प्रस्तावना	110
46.	लोक निर्माण विभाग के वित्तीय नियमावली में तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग का पत्र ।	462 (त०प०को०)/ 30.03.82	112
47.	अभियंत्रण कार्यो के कार्यान्वयन की पद्धति ।	2347 (त०प०को०)/ 31.12.83	119
48.	अभियंत्रण कार्यो के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के संबंध में।	254 (निगरानी)/ 24.02.86	128
49.	निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन से कार्यारम्भ तक त्वरित कार्रवाई के संबंध में निर्देश।	15293 (भ)/अनु०/ 20.11.13	132
50.	विभिन्न स्कीमों के मूल प्राक्कलनों के पुनरीक्षण को नियंत्रित करने के संबंध में।	948 (त०प०को०)/ 16.07.86	134
51.	उड़नदस्ता टीम में सम्मिलित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के आलोक में।	2776 (भ)/ 07.03.14	144
	F–सरकारी आवासों से संबंधित।		
52.	सरकारी आवास के किराए से संबंधित निर्देश।	5251 (भ)/ 23.08.96	145
53.	आवास आवंटन नियमावली 1996 ।		146

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
54.	सरकारी आवास के अस्थायी रूप से शादी आदि के लिए आवंटित करने के संबंध में।	आदेश सं॰ 87/ 31.05.01	162
55.	(a) तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पुल) के संबंध में प्रक्रिया।	1292 (भ)/ 01.03.97	163
	(b) तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पुल) के संबंध में संशोधन।	6539 (भ)/ 22.12.97	169
56.	भवन अनुरक्षण/परिवर्त्तन/परिवर्द्धन/मौलिक कार्यो के संबंध में दिशा निर्देश।	4275 / 17.10.98	171
57.	ई-निवास के माध्यम से आवास आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने के संबंध में।	10232 (भ)/ 25.07.13	176
58.	ई-निवासन के माध्यम से आवास आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने के संबंध में।	11193 (भ)/ 12.08.13	177
59.	विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो/पदाधिकारियो के लिए कार्यालय क्षेत्रफल का निर्धारण के संबंध में।	187 (भ)/ 18.06.13	178
60.	Additions/Alterations to be carried out in General Pool Accommodation at the request of the allottee (Ministry of Estates, Government of India.)	O.M.No. 11015/22/ 90-W-3/ 08.01.96	180
61.	बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति, 2013 ।	1335 (S)/21.02.13	183
62.	राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधानी पटना के सरकारी आवासीय भवनो के मानक किराये का निर्धारण।	2402 (भ)/ 26.02.13	186
63.	राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधानी पटना के सरकारी आवासीय भवनो के मानक किराये का निर्धारण के संशोधन (शुद्धि-पत्र)।	10466 (भ)/ 31.07.13	188
64.	लिविंग एरिया आधारित मानक किराया का निर्धारण।	5699 (भ)/02.06.14	190
65.	राज्य के सभी मुख्यालयों के सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराये का समीकरण।	5189 (भ)/ 24.11.90	191
	G– संवेदकों पर कार्रवाई के संबंध में।		
66.	Prevention of Corruption Act के तहत केश करने के संबंध में।	11014 (S)/20.08.08	193
67.	संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन में विलम्ब किये जाने अथवा समय के अनुपात में कार्य नहीं करने अथवा कार्य लंबित रखने की स्थिति में उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से वंचित होने के संबंध में।	3987 (S)/28.04.09	195
68.	संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में (80 प्रतिशत से कम काम करना)।	1504 (E)/30.04.09	196
69.	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा Defaulter घोषित किए गए संवेदकों के निविदा पर विचार करने हेतु एवं अपराधिक मामले के संबंध में विचार करने के संबंध में।	533 (S)/23.01.13	197

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
70.	संवेदकों को Debar से मुक्त करने के आदेश अधीक्षण अभियंता (अनु॰) के माध्यम से विभागीय Website पर Upload करने के संबंध में।	1688(E)/ 13.03.13	199
71.	संवेदकों को कार्य से वंचित करने के संबंध में।	4624 (भ)/ 15.06.10	201
	H–विभागीय परिपत्र।		
72.	विभिन्न सरकारी भवनों में नि:शक्त व्यक्तियों के आवागमन के लिए रैम्प निर्माण।	8663 (भ)/15.11.10	202
73.	भवन निर्माण विभाग के विभिन्न विवाचन वाद/मुकदमों में तथ्य विवरणी इत्यादि कार्य हेतु अधिवक्ताओं के अनुशंसित पैनल।	5583 (भ)/ 23.05.13	203
74.	योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।	96 वि॰ (2)/ 03.01.08	205
75.	योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन। (प्रशासनिक स्वीकृति से 20 प्रतिशत अधिक का कार्य।	2190 (वित्त)/ 17.03.08	209
76.	मांग सं॰ 3 के अंतर्गत उपबंधित राशि से परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्ययादेश निर्गत करने के संबंध में।	1767 (भ)/ 13.02.14	210
77.	मांग सं॰ 3 के अंतर्गत उपबंधित राशि को भवन निर्माण विभाग द्वारा व्यय करने के संबंध में।	15769 (भ)/ 02.12.13	211
78.	मांग सं॰ 3 के अंतर्गत सभी उपबंधित राशि का वित्तीय संव्यवहार भवन निर्माण विभाग द्वारा किए जाने के संबंध में।	14257 (भ)/ 24.10.13	212
79.	ऐसी कार्यान्वियत योजनाओं जिनमें कार्य के विरूद्ध भुगतान लम्बित है उतनी राशि छोड़कर शेष को वापस करने के संबंध में।	10585 (भ)/ 01.08.13	213
80.	विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वत करने के लिए बैंक ड्राफ्ट/चेक/चालान के माध्यम से राशि उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।	9529 (भ)/ 10.07.13	214
81.	सरकारी भवनों के अनुरक्षण/मरम्मति/परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु प्राथमिकता सूची निर्धारण के संबंध में।	2023 (भ)/ 18.02.13	215
82.	सरकारी भवनों के अनुरक्षण/मरम्मति/परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु प्राथमिकता सूची निर्धारण के संबंध में।	2252 (भ)/ 22.02.2013	216
83.	भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत गैर-योजना मद में अनुरक्षण एवं मरम्मति मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से संबंधित दायित्वों के निपटारा हेतु दायित्व समिति का गठन।	आदेश संख्या 13/ 20.01.2011	217
84.	परियोजनाओं को पूर्ण करने में समय-सीमा विस्तार करने के संबंध में।	8277 (भ)/12.10.12	219
85.	निविदा निष्पादन के संबंध में।	6475 (भ)/31.07.09	220
86.	भवन निर्माण योजनाओं के तकनीकी-अनुमोदन हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में।	115 (भ)/08.01.10	221

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
87.	प्राक्कलन/निरूपण/पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति के संबंध में आवश्यक निदेश।	544 (नि०)/ 08.07.2013	222
88.	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम से संबंधित सूचनाओं को संकलित करने के संबंध में।	12398 (भ)/ 05.09.2013	223
89.	जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के अनुसार अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने के संबंध में।	6301 (भ)/ 07.06.2013	224
90.	जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के अनुसार अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने के संबंध में।	3371 (भ)/ 21.03.2014	225
91.	कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राथमिकता आधारित कार्यो के निमित्त उपलब्ध कराई गई राशि से न्यायिक/गैर न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में राशि व्यय के संबंध में।	13782 (भ)/ 08.10.13	226
92.	सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा उसके रख-रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किये जाने हेतु।	आदेश सं०-60 दि०-22.05.13	227
93.	पटना स्थित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्यो के सम्पादन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कतिपय हस्तान्तरित कार्य अवर प्रमंडलों एवं अधीनस्थ पदों/पदधारकों का भवन निर्माण में समयोजन।	12756 (भ)/ 12.09.13	228
94.	प्रमंडलों के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (कारा सहित) एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी कार्यो/ अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग के स्तर से कराये जाने के संबंध में।	13676 (भ)/ 07.10.13	235
95.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता-धिष्ठापन तथा उसके रख-रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग में हस्तांतरण के संबंध में।	826/30.10.13	236
96.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता-धिष्ठापन तथा उसके रख-रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।	14698 (भ)/ 31.10.13	237
97.	सरकारी भवनों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्य के रख-रखाव के संबंध में।	3168 (भ)/ 14.03.14	238
98.	बिजली से संबंधित कार्यों के अनुरक्षण एवं मरम्मति से संबंधित प्राथमिकता सूची के निर्धारण के संबंध में।	12702/ 12.09.13	239
99.	सिंचाई भवन परिसर अवस्थित अधिवेशन भवन एवं हार्डिंग रोड अवस्थित मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम के परिचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका संबंधी कार्यालय आदेश।	80/24.03.14 सहपठित ज्ञापांक 3453 (भ)/24.03.14	241
100.	अंचलों/प्रमंडलों में भाड़े पर वाहन की व्यवस्था करने के संबंध में।	2856 (भ)/ 10.03.14	244

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
101.	वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा आगामी वर्षों के लिए निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुच्छेद।	2561वि०/(2) 17.04.98	245
102.	ऊर्जा विभाग के कार्य प्रमंडलों तथा अधीनस्थ पदों/पदधारकों का भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप कार्यालयों/प्रमंडलों का पुनर्गठन एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण।	6710 (भ०)अनु०/ 27.06.14	252
	I–सेवा शर्त्त से संबंधित परिपत्र		
103.	प्रारंभिक जाँच के दौरान आरोपित राजकीय सेवकों से निगरानी द्वारा सूचनाएं मांगने के संबंध में।	2610 (SC)/ 09.07.76	263
104.	तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा पाई गई त्रुटियों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई करने के संबंध में।	298 (त० प० को०)/ 09.04.77	265
105.	निगरानी विभाग के पदाधिकारियों को सूचनार्थ/अभिलेख आदि उपलब्ध कराने में सहयोग।	1258 (CS)/ 02.02.78	266
106.	भ्रष्टाचार एवं कदाचार के दृष्टांतों एवं प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए मौलिक जिम्मेवारी मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से उनके संबंध।	165 (निगरानी)/ 13.02.80	267
107.	निगरानी संबंधी तथा निगरानी विभाग को निर्देशित किए जाने वाले मामलों के संबंध में विभागों का उत्तरदायित्व।	1708 (निगरानी)/ 02.12.82	268
108.	तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संगठन अभिलेखों एवं कागजातों को जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जांच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।	2567 (निगरानी)/ 13.07.2000	270
109.	राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।	7979/06.01.03	271
110.	वेतन वृद्धि रोकने की सजा के प्रभाव के संबंध में।	3644 (कार्मिक)/ 15.03.05	273
111.	सरकारी सेवक के विरुद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।	945 (कार्मिक)/ 24.06.05	274
112.	भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के संबंध में।	7020 (वि०वि०)/ 28.12.05	276
113.	अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिहीन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।	3448 (क्रमिक)/ 02.12.06	278
114.	सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।	2697 (निगरानी)/ 31.05.07	280
115.	राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गो/पदों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि एवं व्यवस्था का अंगीकरण-कालावधि की गणना के संबंध में।	2129 (कार्मिक)/ 19.06.07	281

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
116.	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निन्दन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत-विभागीय प्रोन्नति समिति का निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने पर एतद् संबंधी रिक्ति को भरने के संबंध में।	3259 (कार्मिक)/ 26.09.07	282
117.	तकनीकी परीक्षक-कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संगत अभिलेख एवं कागजातों को जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जांच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।	3577 (निगरानी)/ 14.07.08	283
118.	दिनांक 01.09.2005 से लागू नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।	1039 (वि० वि०)/ 06.08.08	285
119.	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।	7457 (कार्मिक)/ 11.09.02	287
120.	सेवानिवृति के पश्चात् सेवान्त लाभों के त्वरित भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने के संबंध में।	1638 (वि० वि०/)/ 30.12.08	291
121.	तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संगत अभिलेखों एवं कागजातों की जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जांच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।	185 (निगरानी)/ 25.03.09	292
122.	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 (सजा का प्रावधान)।	666 (कार्मिक)/ 10.02.10	294
123.	सरकारी सेवकों के ऊपर आरोपों का प्रभाव निंदन, चेतावनी, वेतन वृद्धि पर रोक एवं अन्य सजा। (संशोधन)।	667 (कार्मिक)/ 10.02.10	297
124.	सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें लेने के संबंध में।	2804/29.03.10	300
125.	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन-अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तों के लिए प्रमाण-पत्र के संबंध में।	2108 (सा०प्रा०)/ 31.05.10	303
126.	सरकारी सेवकों की प्रान्निति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क के अनुसार विचारण)।	922 (सामान्य प्रशासन)/ 30.03.11	304
127.	राज्य सरकार की विभिन्न-सेवाएं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के कोटि वेतन (Grade pay) आधारित कालावधि का निर्धारण।	1800 (स०पा०)/ 09.06.11	306
128.	ए०सी०पी० के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम०ए०सी०पी०एस० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के कालावधि के संबंध में।	5152 (वित्त)/ 21.05.13	309
129.	संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।	8015/21.05.13	311

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
130.	पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग के बीच विभक्त कर विभाग वार संवर्ग का गठन।	9737 (S)/ 03.09.12	313
131.	पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग के बीच विभाजन।	6115 (S)/ 29.07.13	315
132.	पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के सभी ग्रेड के सदस्यों की वरीयता सूची।	3954 (S)/ 04.04.11	317
133.	वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति अभिलिखित कर समर्पित करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किए जाने के संबंध में।	3258 (भ)/ 15.03.13	319
134.	सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्नवय विभाग के संकल्प।	434/01.03.07	321
135.	बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली–2014 ।	6214 (भ)/ 11.06.14	323
	J–वास्तुविदीय कार्यों से संबंधित		
136.	परामर्शी के शुल्क भुगतान के संबंध में	56 (वास्तु)/ 31.01.14	326
137.	न्यायिक भवनों के आधारभूत संरचना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय वाद सं० (सिविल) 1022 / 89 आई० ए० सं० 279 में पारित आदेश के आलोक में वास्तुविदों का क्षेत्रविभाजन।	568/17.12.13	327
138.	भवन निर्माण विभाग अंतर्गत परामर्शियों की नियुक्ति से संबंधित मॉडल एकरारनामा का प्रारूप।		328
139.	वास्तुविद सेवा संवर्ग के रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के संबंध में।	3593 (भ)/27.03.14	335
140.	बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014 ।	7275 (भ)/11.07.14	336
	K–अन्यान्य		
141.	राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सड़कों एवं संबंधित भूखण्ड पर, इसके उपर या भूमिगत रूप से दूरसंचार एवं संबंधित कार्य के लिये केबुल/ऑप्टिकल फाइवर केबुल इत्यादि बिछाने हेतु संबंधित विभाग/कम्पनी/फर्म से भूमि उपयोग शुल्क प्राप्त करने के संबंध में।	4501 (S)/28.03.08	339
142.	राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई उपक्रम पक्षकार (पार्टी) हो, के अंतर्गत उत्पन्न विवाद या विवादों पर अधिनिर्णय करने तथा उससे जुड़े मामलों पर व्यवस्था देने हेतु न्यायाधिकरण के गठन के अधिनियम।	470 (विधि)/ 02.05.08 614/10.12.09	341

क्र० सं०	संग्रहित विषय	पत्रांक/दिनांक	पृष्ठ संख्या
143.	कार्य संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम-2009 ।	Rules 2009 09.12.09	351
144.	कार्य संवेदकों एवं आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से स्रोत पर बिक्री कर कटौती के संबंध में।	2368 Sale Tax/ 22.06.12	355
145.	सरकारी कार्य में भाड़े पर गाड़ी रखने के संबंध में।	6460/18.06.12	356
146.	राज्य गीत (बिहार गीत) के गायन के संबंध में।	388/13.05.13	357
147.	वाणिज्यिक निगम एवं बोर्ड का वित्तीय संव्यवहार पी॰ एल॰ खाता के माध्यम से करने एवं कोषागार में चेक पारित करने की व्यवस्था।	11131/ 30.10.13	359
148.	वाणिज्यिक निगम एवं बोर्ड का वित्तीय संव्यवहार पी॰ एल॰ खाता के माध्यम से करने एवं कोषागार में चेक पारित करने की व्यवस्था ।	11132/ 30.10.13	360
149.	माननीय उच्च न्यायालय के भवन एवं उससे संबंधित न्यायाधीश/अधिकारियों के आवास कार्यालय में अनुरक्षण मरम्मति, रख-रखाव ।	2131 (भ)/ 19.02.13	362
150.	संवेदक एवं पदाधिकारियों के बीच विवादों का निपटारा एवं उस पर किए गए व्यय के भुगतान के संबंध में।	2040/ 07.11.13	363
151.	विभिन्न योजनाओं के मद में प्राप्त आवंटन/मांग पत्रों का भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश।	1729/07.11.13	364
152.	विधान मंडल एवं सचिवालय विस्तारीकरण के निर्माण कार्य के संबंध में।	3469 (भ)/ 25.03.14	365
153.	Environment and Forests Notification 2006, Govt. of India का आदेश तथा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) एवं राज्य विशेष परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति संबंधी बिहार गजट का असाधारण अंक।	1533/14.09.06	366
154.	पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' के संबंध में अधिसूचना।	27.01.12	400
155.	सरकारी आवासों में उद्यान के विकास एवं अनुरक्षण हेतु प्रतिवर्ष राशि के संबंध में।	256 (भ)/ 09.01.14	401
156.	Environmental & Forest Notification के संबंध में।	03.11.09	402

●●●

A– लोक निर्माण संहिता के संशोधित एवं वित्तीय आदेश के संबंध में ।



बिहार विधान सभा, पटना

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, भाग-1 (1958) की कंडिका 6, 7, 15, 39, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 99, 103, 104, 121, 122, 123, 126, 158, 159 160, 161, 162 163, 164, 169, 172, 181, 183, 191, 192, 204, 207, 212, 230, 240, 244, 250, 257, 258, 260, 261, 274, 279, 282, 283, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 को संशोधित/विलोपित करने तथा 15ए, 103ए, 158ए, 169ए, 182ए, के रूप में सम्मिलित कर अद्यतन करने (यथा संलग्न परिशिष्ट-1), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे अनुसूचित मद को भी राज्य सरकार के कार्यों में व्यवहार में लाने, वर्त्तमान में लागू एफ-2 एकरारनामा को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए विहित एकरारनामा के सामान्य शर्तों (यदि बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार कोषागार संहिता एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आवश्यक प्रपत्र नहीं है तो पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक निविदा अभिलेख के प्रपत्र, शामिल कर लिया जाए) से विस्थापित कर संशोधित करने, उपर्युक्त सभी संशोधनों के कारण विभिन्न विभागों द्वारा जारी कार्यपालक आदेशों को संशोधित, पुनर्ख्यापित करने एवं बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता को तदनुसार तीन महीने के भीतर संशोधित कर अद्यतन करने के संबंध में।

1. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता का उद्देश्य लोक निर्माण विभागों के कार्यो एवं पदाधिकारियों के प्रशासनिक, कार्यपालक एवं वित्तीय कर्त्तव्यों का दायरा निर्धारण करना है। लोक निर्माण विभाग का तात्पर्य सभी कार्य विभागों से है। जब तक प्रसंग से प्रतिकूल अर्थ लक्षित न हो लोक निर्माण विभाग या असैनिक विभागों में होने वाले व्यवहार वर्गो से संबंध बिहार वित्त नियमावली और बिहार कोषागार संहिता के नियम लोक निर्माण विभाग के लिए वहाँ तक बाध्यकारी है जहाँ तक ये नियम इस संहिता में या बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में स्पष्ट उपबंध द्वारा अनुपूरित न किये गये हों। इस संहिता द्वारा प्राधिकृत व्यवहारों के लेखांकन में अपनाई जाने वाली सविस्तार प्रक्रिया बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में दी हुई है।

2. लोक निर्माण विभाग संहिता में अंकित प्रावधान बहुत अधिक पुराने हो चुके हैं, जिससे इसकी तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। तकनीकी विकास, आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमीकरण के कारण इस संहिता के प्रावधानों को अधिक लचीला और व्यापक बनाना अनिवार्य हो गया है। निर्माण कार्यो के निविदा-निर्धारण/निष्पादन आदि में प्रचलित मापदण्ड एवं निविदा की शर्ते भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह गई है जिससे कार्यों के त्वरित निष्पादन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित (कंडिका 3, 4, 5, 6, एवं 7) में निर्णय लिए गए हैंः-

3. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, भाग-1 (1958) की कंडिका 6, 7, 15, 39, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 99, 103, 104, 121, 122, 123, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 181, 183, 191, 192, 204, 207, 212, 230, 240, 244, 250, 257, 258, 260, 261, 274, 279, 282, 283, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 को संशोधित/विलोपित करते हुए एवं बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में कंडिका 15ए, 103ए, 158ए, 169ए, (यथा संलग्न परिशिष्ट-1) को सम्मिलित कर अद्यतन किया जाता है।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाई जा रही अनुसूचित मद को भी राज्य सरकार के कार्यो में व्यवहार में लाया जाय एवं तद्नुसार वर्तमान में प्रचलित अनुसूचित मदों में इसे सम्मिलित करने के तकनीकी परीक्षण कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एकरारनामा के सामान्य शर्तो से वर्तमान बिहार लोक निर्माण विभाग में एफ-2 एकरारनामा के सामान्य शर्तो को विस्थापित किया जाता है। इस सामान्य शर्तो के अधीन आवश्यक प्रपत्र बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार कोषागार संहिता, राज्य प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रपत्र एवं केन्द्रीय लोक मंत्रालय, भारत सरकार के मानक निविदा अभिलेख में उपलब्ध प्रपत्र को शामिल किया जाय। उपर्युक्त के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा संशोधित एकरारनामा प्रारुप तैयार कर, विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए, इसे निर्गत किया जाएगा।

6. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिताओं के अतिरिक्त तकनीकी परीक्षण कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) एवं सभी कार्य विभागों द्वारा समय-समय पर जारी कार्यपालक आदेशों की समीक्षा कर सम्बन्धित विभागों आवश्यकतानुसार पुनर्प्रख्यापित (reiterate) संशोधित किया जाए अन्यथा तीन महीने के बाद इन कार्यपालक आदेशों का प्रभाव समाप्त समझा जाएगा।

7. उपर्युक्त कंडिका 3, 4, 5, 6 में उल्लिखित संशोधनों के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार नियमावली के प्रभावित होने वाले सुसंगत कंडिकाओं को तीन महीने के भीतर संशोधित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा एक समिति गठित कर सक्षम प्राधिकार से सहमति प्राप्त कर संशोधित निर्गत किया जाए।

8. उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 39 एवं 181 के संशोधन पर महालेखाकार के पत्रांक डब्लयू॰ एम॰-11-236 दिनांक 13.05.05 द्वारा सहमति प्राप्त है।

9. उपर्युक्त कंडिका 3, 4, 5, 6 एवं 7 पर वित्त विभाग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. कंडिका 3, 4, 5, 6 एवं 7 पर मुख्य सचिव सह विशेष परामर्शी एवं महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह॰/-
(मो॰ शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-1/बी-12/2003-2676 (S)/ पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त

ह॰/-
(मो॰ शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-1/बी-12/2003-2676 (S)/ पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुलग्नक-यथोक्त

ह॰/-
(मो॰ शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-1/बी-12/2003-2676 (S)/ पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक)/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुलग्नक-यथोक्त

ह॰/-
(मो॰ शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/बी–12/2003-2676 (S)/ पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/बी–12/2003-2676 (S)/पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव सह विशेष परामर्शी, बिहार सरकार, को सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/बी–12/2003-2676 (S)/ पटना, दिनांक 15.05.05

प्रतिलिपि–सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/गृह (कारा)/गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष)/गृह (होमगार्ड)/गृह (अग्निरक्षा सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग, 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग, 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल एवं सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 21. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, 22. मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. ऊर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) 30. वित्त (वाणिज्य कर विभाग) 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 33. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 37. खान एवं भूतत्व विभाग, 38. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 37. खान एवं भूतत्व विभाग, 38. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुलग्नक–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292 एवं 293 के अनुसार विभागीय संकल्प-एफ/ई-106/65–पी॰ डब्लू॰ 15629/पटना दिनांक 11.06.1965 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

1. बिहार लोक निर्माण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों के द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। लोक निर्माण विभाग के संकल्प 15629/पटना, दिनांक 11.06.1965 द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय निरूपण संगठन का गठन किया गया जिसका मुख्यालय पटना में रखा गया है। केन्द्रीय निरूपण संगठन के प्रधान मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी को पटना में रखा गया है। केन्द्रीय निरूपन संगठन के प्रधान मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी बनाये गये तथा एक लाख रुपये से अधिक के कार्यो का तकनीकी-अनुमोदन तथा 2.5 लाख से अधिक के कार्यो की तकनीकी-स्वीकृति का अधिकार इस संगठन में केन्द्रित किया गया।

2. इस केन्द्रीकृत व्यवस्था के कारण पथों के चयन के उपरांत सभी प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन हेतु पटना मुख्यालय केन्द्रीय निरूपण संगठन को भेजा जाता है। तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है एवं तदुपरान्त पुनः विस्तृत प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय निरुपण संगठन को भेजा जाता है। इस केन्द्रीकृत व्यवस्था में विलम्ब होता है। जब योजना का आकार छोटा था तब यह केन्द्रीकृत व्यवस्था चल सकती थी, परन्तु अब चूँकि योजना का आकार बढ़ गया है, इसलिए इस केन्द्रीकृत व्यवस्था में विलम्ब अत्यधिक बढ़ता जा रहा है।

3. लोक निर्माण की संहिता के अनुसार अधीक्षण अभियंता को 70 लाख रुपये तक की परियोजना तथा मुख्य अभियंता को बिना किसी सीमा के सभी परियोजनाओं का तकनीकी-अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति देने के अधिकार प्रदत्त है। तद्नुसार वर्त्तमान व्यवस्था लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

4. यह भी आवश्यक है कि बड़े Project अथवा ऐसे Project जिनमें कोई विशिष्ट निरूपण विहित हो उन मामलों में केन्द्रीय निरूपण संगठन से जांच कराई जाय।

अतः निर्णय लिया गया है कि जिन परियोजनाओं में विशिष्ट निरूपण की आवश्यकता हो अथवा बड़ी परियोजनाओं के प्राक्कलनों की जांच केन्द्रीय निरूपण संगठन द्वारा पूर्ववत् की जायेगी, परन्तु छोटी परियोजनाएँ जिनमें कोई विशिष्ट निरूपण निहित नहीं हो उसका तकनीकी-अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति लोक निर्माण संहिता के अनुसार दिया जाय। एतदर्थ राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में परियोजना का तकनीकी-अनुमोदन तथा प्रावैधिक-स्वीकृति का अधिकार निम्न रूपेण विकेन्द्रित किया जाता हैः-

(क) लोक निर्माण विभाग संहिता प्रावधान के अनुरूप अधीक्षण अभियंता को 70 लाख तक की परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

(ख) मुख्य अभियंताओं को 10 करोड़ रुपये तक परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

(ग) 10 करोड़ रुपये के लागत से अधिक की परियोजना एवं ऐसी परियोजना जिनमें 10 करोड़ रुपये से कम लागत है परंतु तकनीकी रूप से विशिष्ट है, के तकनीकी-अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार केन्द्रीय निरूपण संगठन में निहित रहेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ भेजा जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह॰/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1 बी॰–12/2003 (पार्ट) 5452 (S) पटना दिनांक–26.05.2006

प्रतिलिपिः महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1 बी॰–12/2003 (पार्ट) 5452 (S) पटना दिनांक–26.05.2006

प्रतिलिपिः– आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1 बी॰–12/2003 (पार्ट) 5452 (S) पटना दिनांक–26.05.2006

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार के आसाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह॰/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 159, 161, 103, 103ए, 163, 292 (XI) 293 (XIV), 294 (VIII), 295 (i) में संशोधन, नियम 291ए के प्रावधान का सन्निहितीकरण। बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों के द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान बहुत अधिक पुराने हो गये थे और वर्तमान में तकनीकी विकास, आर्थिक उदारीकरण एवं तीव्र गति से विकास कार्यो के सम्पादन में बाधक प्रतीत हो रहे थे। अतएव बिहार लोक निर्माण संहिता भाग–1 के विभिन्न कंडिकाओं में संशोधन/विलोपन/सन्निहितीकरण के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त करते हुए संकल्प संख्या–1बी-12-03-2676 (एस) अनु॰ दिनांक 15.05.2005 द्वारा कुछ संशोधन किये गये।

(2) उपरोक्त संशोधन के बाद भी विभिन्न कार्य विभागों द्वारा यह महसूस किया गया कि कतिपय प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता शेष रह गई है। विभिन्न विभागों द्वारा उल्लेखित कठिनाइयों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने लोक निर्माण संहिता के वर्तमान प्रावधानों के नियमानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित/नये प्रावधानों को सन्निहितीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

(1) कंडिका 159 में यह प्रावधान है कि 50,000/- से अधिक राशि वाले कार्य के लिए निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र/इंटरनेट पर अनिवार्य है। यह प्रावधान वर्ष 2005 में कोड संशोधन के पूर्व से प्रभावी है। कालांतर में मूल्य वृद्धि के आलोक में इसे संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि 1,00,000/- रु॰ से अधिक राशि वाले कार्य के लिए निविदा का प्रकाशन निविदाओं के मामले में निविदा सूचना के प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र/इंटरनेट पर आवश्यक होगा।

इसी कंडिका में यह भी प्रावधान है कि बड़ी निविदाओं के मामले में निविदा सूचना के प्रकाशन के कम से कम 15 दिनों बाद निविदा प्राप्त की जायेगी। निविदा निष्पादन की अवधि को कम करने के उद्देश्य से उपरोक्त अवधि को न्यूनतम 10 दिन किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में संबंधित अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन प्राप्त कर अवधि आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है।

(ii) कंडिका 161 में निविदा के साथ अग्रधन के रूप में विभिन्न विकल्प यथा ट्रेजरी चालान, बैंक का फिक्सड डिपोजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र, आदि का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त विकल्प में किसान विकास पत्र भी सम्मिलित किया जाता है।

इसी कंडिका में पूर्व के प्रावधान के अनुसार अग्रधन के एक विकल्प में राष्ट्रीय बचत पत्र का वर्तमान निर्गम (वर्ष) अंकित है जिसे संशोधित कर राज्य के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र उसी वर्ष का निर्गम हो जिस वर्ष में निविदा किया गया है।

(iii) कंडिका 103 में यह प्रावधान है कि तकनीकी परीक्षण कोषांग (मंत्रिमंडल निगरानी विभाग) द्वारा अनुसूचित दर के निर्धारण के लिए दर विश्लेषण एवं सामग्रियों का दर निर्धारित किया जायेगा। निर्माण सामग्रियों की दरों में बार–बार बढ़ोत्तरी के अनुरूप अनुसूचित दर के विश्लेषण तथा सामग्रियों के दर का निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी के क्रम में यह प्रावधान किया जाता है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा, जबकि अन्य विभागों में इनसे संबंधित भारत सरकार के कार्य विभागों में प्रचलित विशिष्टियाँ या दर विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा।

(iv) कंडिका 103ए में यह प्रावधान है कि नानसिड्युल मदों के लिए भी दर का निर्धारण तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा किया जायेगा। इसे संशोधित करते हुए पथ निर्माण विभाग के संयोजन से गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा ही इसे किया जाने का प्रावधान किया जाता है।

(v) कंडिका 163 में एकल निविदा के मामले के निस्तार की सक्षमता एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित की जानेवाली निविदा के मामले में यह प्रावधान किया जाता है कि इन मामलों में विभागीय निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) कंडिका 292, 293, 294 एवं 295 के क्रमशः मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक विभिन्न स्तरों पर निविदा निस्तार के लिए जो शक्ति प्रत्यायोजन का प्रावधान है, उसमें केवल राशि ही उल्लिखित है, परन्तु परिमाण विपत्र की राशि से कितने प्रतिशत अधिक तक निविदा निस्तार के लिये उपरोक्त पदाधिकारी सक्षम होगें यह प्रावधानित नहीं है। सभी स्तर के पदाधिकारियों के लिए अपनी अपनी सक्षमता के परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत अधिक तक निविदा निष्पादित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। उपरोक्त से संबंधित वर्त्तमान प्रावधान तथा प्रतिस्थापित प्रावधान परिशिष्ट एक पर संलग्न किया जाता है।

(vii) वर्त्तमान में प्रावधान के अनुसार मुख्य-अभियंता स्तर के पदाधिकारी को 350 लाख तक की राशि की निविदा-निस्तार की शक्ति कंडिका 292 (xvi) में दिया गया है। परन्तु 350 लाख रु० से अधिक राशि के निविदा-निस्तार का प्रावधान नहीं है।

350 लाख रु० से अधिक की निविदा के निस्तार के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में संबंधित अभियंता प्रमुख एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के साथ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की समिति गठित है। उपरोक्त समिति कार्यपालक आदेश के तहत गठित है।

इसका उल्लेख निर्माण संहिता में किया जाना उपयुक्त होगा। वर्तमान प्रावधान के अनुसार निविदा समिति 350 लाख रु० राशि से अधिक राशि की निविदा का निस्तार परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत अधिकतम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। इससे अधिक दर पर निविदा निस्तार वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही यह समिति करेगी। इस समिति में उन निविदाओं के निस्तार की भी सक्षमता सन्निहित होगी, जिसका कोई प्राधिकर संहिता में परिभाषित नहीं है।

उपरोक्त से संबंधित सन्निहित प्रावधान परिशिष्टयों में उल्लिखित है।

3. लोक निर्माण संहिता के सन्दर्भित पूर्व प्रावधान इस सीमातक संशोधित होगें।

4. कंडिका-2 के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल निगरानी विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. कंडिका-2 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनु०-यथोक्त

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः-1 बी०-12/2003-5762 (s) We पटना दिनांक-05.06.06

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०-यथोक्त

ह०/-
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:1 बी०–12/2003-5762 (s) We पटना दिनांक–05.06.06

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव सह विशेष परामर्शी, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–1बी०–12/2003-5762 (s)We पटना दिनांक 05.06.06

प्रतिलिपि:–सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/गृह (कारा)/गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष)/गृह (होमगार्ड)/गृह (अग्नि सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 21. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, 22. मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. ऊर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 33. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. खान एवं भूतत्व विभाग, 37. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्रवैधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पर्षद बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–1बी०–12/2003-5762 (s) We पटना दिनांक–05.06.06

प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–1बी० 12/2003-5762 (s) We पटना दिनांक–05.06.06

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक)/ सभी कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1बी०–12/2003-5762 (s) We पटना दिनांक 05.06.06

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
(मो० शरीफ आलम)
अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

बिहार लोक निर्माण संहिता के निम्न वर्तमान प्रावधान के प्रतिस्थानी–प्रावधान की विवरणीः–

क्र० सं०	नियम सं०	वर्त्तमान प्रावधान	प्रतिस्थानी प्रावधान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	159	Tender, which should, always be sealed, should invariably be invited in the most open and public manner possible by advertisement on the internet office web-site in the newspapers having wide circulation in the area and by notice in English or in Hindi posted in public places. For any work of more than Rs. 50,000, publication of tender notice in newspapers and/or internet is mandatory. To save costs in advertisement, there could be a short notice having important information in newspapers which should have information about as to where detailed information can be obtained, which could be in the office and/or available on the official web-sites on the internet. The intending participants should in all cases have prior knowledge about : (i) detailed criteria for shortlisting the participants. (ii) The form in which the tender should be presented.	Tender, which should-always be sealed, shall invariably be invited in the most open and public manner possible by advertisement on the internet through official web-sites in the newspapers having wide circulation in the area and by notice in English or in Hindi posted in public places. For any work of more than Rs. 1,00,000/ - publication of tender notice in newspapers and/or internet is mandatory. To save costs in advertisement, there could be a short notice having important information in newspapers which should have information about as to where detailed information can be obtained, which could be in the office and/or available on the official web-sites on the internet. The intending participants should in all cases have prior knowledge about :- (i) detailed criteria for short listing the participants. (ii) The form in which the tender should be presented.	

1	2	3	4	5
		(iii) When and where the sanctioned estimate, specifications, drawings or plans, conditions and clauses of contract and other contract and other contract documents can be seen, and the blank form of tender obtained. Whether any material will be supplied departmentally and if so the rate at which and the place where it should be supplied.	(iii) When and where the sanctioned estimate, specifications, drawings or plans, conditions and clauses of contract and other contract documents can be seen, and the blank form of tender obtained. Whether any material will be supplied departmentally and if so the rate at which and the place where it should be supplied.	
		(iv) The place where, the date on which and the time when tenders are to be submitted and are to be opened (in the case of large contracts this should be at least 15 days after the date of advertisement or notice.)	(iv) The place where, the date on which and the time when tenders are to be submitted and are to be opened. Normally it should not be less than 10 days. In case of emergency, the time period can be reduced as per requirement with the prior approval of the concerned Superintending Engineer.	
		(v) The amount of earnest money to accompany the tender and the amount and nature of the security deposit required in the case of accepted tender. The tender notice should also stipulate that contractors submitting tenders should furnish Income-tax, and Sales-tax clearance certificates along with it.	(v) The amount of earnest money to accompany the tender and the amount and nature of the security deposit required in the case of accepted tender. The tender notice should also stipulate that contractors submitting tenders should furnish Income-tax, and Sales-tax clearance certificates along with it.	
		(vi) The designation of the authroity that will accept the tender. Authority should always be rserved to reject any or all of the tenders so received without the assignment of a reason and this should be expressly stated in the notice.	(vi) The designation of the authority that will accept the tender. Authority should always be reserve the right to reject any or all of the tenders so received without the assignment of a reason and this should be expressly stated in the notice.	
		(vii) The time of completion of the work acording to the nature and urgency of the	(vii) The time of completion of the work according to the nature and urgency of the	

1	2	3	4	5
		work. In exceptional cases only, time extension can be allowed by the public works Department itself only. All this information can be given in the short notice and/or detailed information to be supplied from the office and/or detailed information to be supplied from the office and/or through official websites on the interest.	work. In exceptional cases only, time extension can be allowed by the Public Works Department itself only. All this information can be given in the short notice and/or detailed information to be supplied from the office and/or through official websites on the internet.	
2	161	No tender-for the execution of works of any description of work branches of the Public Works Department should be received unless accompanied by earnest money to the extent notified as necessary by the Executive Engineer or other officer. The earnest money could be in the following forms duly endorsed/ pledged to the authorised departmental representative. - receipt treasury challan, - Fixed Deposits Receipts of a Scheduled Bank. Fixed Deposit receipt should be valid for six months after the last date of receipted of tenders and shall be pledge in favour of the department. - Kishan Vikas Patra. - Demand draft of a Scheduled Bank issued in the favour of the department. - Post office saving bank pass book. - One, two or three year post office time deposit. - current issues of NSC. - 5 year National Development Bond. - State Development Loan certificate. - For the work costing more than one crore, a Bank guarantee of any scheduled bank.	No tender-for the execution of works of any description of work branches of the Public Works Department should be received unless accompanied by earnest money to the extent notified as necessary by the Executive Engineer or other officer. The earnest money could be in the following forms duly endorsed/ pledged to the authorised departmental representative. - Fixed Deposit Receipt of a Scheduled Bank, Fixed Deposit receipt should be valid for six months after the last date of receipt of tenders and shall be pledged in favour of the department. - Demand draft of a Scheduled Bank issued in the favour of the department. - Post office savings bank pass book. - One, two or three year post office time deposit. - NSC issued within state. - 5 year National Development Bond. - State Development Loan certificate. - For the work costing more than one crore, a Bank guarantee of any scheduled bank.	

1	2	3	4	5
3.	103	To facilitate the preparation of estimates a schedule of rates of each kind of work commonly executed should be prepared. Technical Examination Cell (Cabinet Vigilence Depatt.) will finalise the analysis of rates and rates of materials. The regional Schedule of Rate committees will finalise schedule of rates based on the analysis of rates and material rates finalised by Technical Examination Cell and labour rates notified by labour department. Till the next revision of rates of material by Technical Examination Cell, Regional Schedule of rate committees can revise the rates of material on the basis of concerned wholesale material price index notified by RBI Bulletin and on the basis Wholesale Price Index for other material where there is no such individual price index. The rate entered in the estimate should agree with the current schedule of rates.	To facilitate the preparation of estimates a schedule of rates of each kind of work commonly executed should be prepared. A State Level Committee for schedule of rates under the Convenorship of Road Construction department with members from other works department of rank of Engineer in Chief/Chief Engineer will finalize the schedule of rates along with the analysis of rate and material rates. In case of Road/Bridge works standard data book of MOSRT & H. Govt. of India shall be adopted Like wise in case of building Rural Roads, Water Resources, Public Health Engineering or Electrical works the specification/Analysis of Rate as followed by related works deptt of Govt. of India shall be applicable. This will be done atleast once a year. The Committee will finalise S.O.R. for different region/ zones of the States. The S. O. R. must be decided by January of each calender year so that it could be effective from next financial year. In case of any difficulty in getting rates the committee may use the relevant indexes issued by R. B. I. or the economic advisor, Ministry of Commerce, Government of India.	
4.	103A	The rates of any nonscheduled item required in a work can be finalized by regional Schedule of rate committees on the basis of DGS and D rates and current labour rates for the first time. Afterwards the analysis of rate for that particular item shall be finalized by Technical Examination Cell.	The rates of any non scheduled item required in a work can be adopted from DGSD rates. In case DGSD rates are not available in that case the relevant CPWD SOR applicable to the concerned Zone may be adopted. However the schedule of rates of different Zone will be finalised by the State Level SOR Committee mentioned in amended rule no. 103.	
5.	163	The lowest tender will be accepted. If rate quoted by more	The lowest tender will be accpeted. If rate quoted by more than one	

1	2	3	4	5
		than one tender is lowest than the tenderer should be selected on the basis of draw of lots in the presence of such tenderers. In case of single tender, the approval of the next higher authroity will be taken to ensure that due procedure and publicity was ensured.	tenderer is same then the tenderer should be selected on the basis of draw of lots in the presence of such tenderers. In case of single tender, the approval of the next higher authority will be taken to ensure that due procedure and publicity was ensured. However where a tender is brought before the tender committee, its decision will be final.	
6.	292 XVI (i) Power to accept tender	Rs. 350 Lakh	Rs. 350 Lakh (up to 10% above the BOQ cost).	Chief Engineer
7	293 XIV Power to accept tender	Rs. 70 Lakh	Rs. 70 Lakh (up to 10% above the BOQ cost).	Superintending Engineer
8	294 VIII Power to accept tender	Rs. 3.5 Lakh	Rs. 3.5 Lakh (up to 10% above the BOQ cost).	Executive Engineer
9	295 I Power to accept tender	Rs. 1 Lakh	Rs. 1 Lakh (up to 10% above the BOQ cost).	Assistant Engineer

परिशिष्ट-2

New Rule 291 A in PWD Code

The departmental tender committee under the Chairmanship of the Secretary of the Departments with the Engineer in Chief and Chief Engineer of the concerned zone and internal financial advisor of the department as the members shall be vested with the powers to decide all tenders for which power has not been given to any other authority in this code.

The departmental tender commitee can decide tender upto 10% above the BOQ, Tenders of more than 10% above the cost will be accepted only with the concurrence of Finance Department.

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः कार्य विभागों में निविदा त्वरित निष्पादन हेतु बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग-1 के नियम 291A में संशोधन के संबंध में।

1. बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग-1, की विभिन्न-कंडिकाओं में संशोधन/विलोपन/सन्निहितीकरण के संबंध में संकल्प सं०-01/बी०-12-03-2676 (एस)अनु०, दिनांक-15.05.2005 एवं पुनः ज्ञापांक-01/बी०-12/2003 5762 (एस०) दिनांक-05.06.06 द्वारा संशोधन किये गये उपरोक्त संशोधन के बाद निविदाओं के निष्पादन के संबंध में नियम 291A निम्न प्रकार हैः-

Rule 291A:-" The departmental tender committee under the chairmanhsip of the Secretary of the departments with the Engineer in Chief and Chief Engineer of the concerned zone and internal financial advisor of the department as the members shall be vested with the powers to decide all tenders for which power has not been given to any other authority in this code.

The departmental tender committee can decide tender upto 10% above the BOQ Cost. Tenders of more than 10% above the BOQ Cost will be accepted only with the concurrence of finance department."

2. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि किसी निविदा में न्यूनतम निविदित राशि बी० ओ० क्यू की राशि से 10 प्रतिशत अधिक हो तो संचिका के माध्यम से वित्त विभाग से परामर्श लेनी पड़ती है, जिसके फलस्वरुप निविदा निष्पादन में कुछ विलंब होता है। साथ ही वित्त विभाग के द्वारा परामर्श देने के पूर्व कई जानकारियों की अपेक्षा की जाती है-जिसके फलस्वरुप संचिका के आदान-प्रदान में विलंब होता है। राज्य के द्वारा महत्वाकांक्षी पथ उन्नयन/निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें त्वरित निर्णय प्रणाली आवश्यक है।

3. दिनांक-10.10.2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विकास आयुक्त एवं आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, वित्त आयुक्त एवं अपर वित्त आयुक्त उपस्थित थे। समिति की उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निविदाओं के त्वरित निष्पादन हेतु न्यूनतम निविदित राशि यदि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे निविदाओं के त्वरित निष्पादन हेतु एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जाय। यह प्राधिकृत समिति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी एवं वित्त आयुक्त, आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित कार्य विभाग के आयुक्त/सचिव इसके सदस्य होंगे।

4. अतः उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 1/बी०-12/2003 5762 (एस०) दिनांक 05.06.06 में संशोधन करते हुए निविदा निष्पादन से संबंधित नियम 291A को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया-

Revised Rule 291A:- "The departmental tender committee under the chairmanship of the Secretary of the departments with the Engineer in Chief and Chief Engineer of the concerned zone and internal financial advisor of the department as the members shall be vested with the powers to decide all tenders for which power has not been given to any other auhtority in this code.

The departmental tender committee can decide tender upto 10% above the BOQ Cost. Tenders of more than 10% above the BOQ Cost will be accepted only with the concurrence of an Empowered Committee constitued under the chairmanhsip of Development Commissioner with the Finance

Commissioner, Commissioner cum Secretary Planning & Development Department and Commissioner/ Secretary of the concerned works department as the members."

5. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/–
(बी० के० वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/वि०–12/2003/पार्ट–12180 (S) पटना, दिनांक–30.10.06

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/–
(बी० के० वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु०नि० (पथ)–38(अनु०) पटना, दिनांक–13.05.2010

प्रेषक,

रामध्यान राम,
संयोजक,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रत्येक योजनाओं के लागत का 1% (एक प्रतिशत) ''सेस'' के रूप में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः पथ निर्माण विभाग, बिहार का पत्रांक 746(E)We **पटना, दिनांक** 25.02.2010 **।**

महाशय,

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न निर्माण कार्यों के विपत्रों से 1% (एक प्रतिशत) की राशि की कटौती श्रमिक कल्याण कोष हेतु सेस के रूप में की जानी है।

उक्त आलोक में कराये जानेवाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1% (एक प्रतिशत) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिए करते हुए दर विश्लेषण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(रामध्यान राम)
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अनु०– 1. प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति।
2. श्रम संसाधन विभाग का पत्रांक 4984 पटना दिनांक 01.10.08 ।

●●●

निबंधन सं० पी० टी०-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1934 (श०)

(सं० पटना 129) पटना, शनिवार, 31 मार्च 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

31 मार्च 2012

सं० एल०जी०-1-4/2012/लेज : 293--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 मार्च 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 6, 2012]

बिहार वित्त अधिनियम, 2012

प्रस्तावना - बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 (अधिनियम 36, 1948), बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-10, 2011), बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग-1

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा-15क का अंत:स्थापन।-

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-15 के बाद निम्नलिखित नई धारा-15क अंत:स्थापित की जायेगी, यथा-

''**15क कर दायित्व का समाहितिकरण** - (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी एवं इस बावत बनाए गये नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किय जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के निर्बंधित व्यवहारियों को उनके द्वारा संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो उनके सकल आवर्त्त के पाँच प्रतिशत के अनधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने की अनुमति दे सकेगी।

(2) ऐसे व्यवहारी जिनपर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हों, -

(क) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर कोई कर प्रभारित नहीं करेंगे;

(ख) उप-धारा (I) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से अधिक पर कर प्रभारित नहीं करेंगे; और

(ग) उनके द्वारा किए गए विक्रय के संबंध में कर-बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।

(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यवहारी जिनपर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हैं-

(क) विहित प्राधिकारी को ऐसे विशिष्टियाँ अंर्तविष्ट करते हुए, ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से, ऐसी अवधि हेतु एवं ऐसी तिथि तक जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें एक सच्ची एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

(ख) अपने व्यवसाय के संबंध में ऐसा लेखा-पुस्त संधारित करेगा एवं ऐसी रीति से ऐसा लेखा तैयार करेगा जैसा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद ''लेखापुस्त'' में उनके व्यवसाय के संबंध में संधारित पंजी, विवरण, बीजक, बिल, लेजर, संविदा एवं अन्य उनके द्वारा प्राप्त अथवा निर्गत दस्तावेज शामिल होंगे।''

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 में संशोधन-

(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (1) का खंड (ङ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

''(ङ) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी बिहार राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यवहारी से, चार प्रतिशत से उच्चतर दर पर धारा-14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात् किसी निवेश का क्रय करता है, और ऐसे माल से विनिर्मित वस्तु या वस्तुओं का बिहार राजय से बाहर दूसरे व्यवहारी को अंतरण करता है, तो उसे ऐसी प्रतिशत अथवा ऐसी राशि से अधिक एवं ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे कर का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाएगा:''

(2) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनिमय 27) की धारा-16 की उप-धारा (1) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

''परन्तु जब किसी मास के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या संड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी मास के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती मासों के, जो उस वित्तीय वर्ष के अंतिम मास के बाद कर कोई मास नहीं है, उत्पादन कर के विरूद्ध समायोजन के लिए अग्रनीत किया जाएगा और धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन दाखिल विवरणी के अनुसार शेष असमायोजित निवेश कर की रकम का इस अधिनियम की धारा-68, धारा-69, धारा-69क और धारा-71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यवहारी को, धारा-24 की उप-धारा (3) के अधीन वांछित विवरणी तथा धारा-54 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी प्रतिवेदन के दाखिल किए जाने वाले माह के पश्चात् तीन मान के भीतर प्रतिदाय किया जाएगा।''

(3) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (1क) विलोपित की जाएगी।

(4) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंत में पूर्णविराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं ऐसे प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् शब्द ''अथवा'' अंत:स्थापित किया जाएगा।

(5) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (3) के खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित दो नये खंड (छ) एवं (ज) जोड़े जाऐंगे, यथा -

''(छ) अधिनियम की धारा-15क के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गए निवेश की खरीद के संबंध में; या

(ज) समरूपी खरीद-मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री किए गए निवेशों की बावत:

परन्तु निवेश कर में छूट के ऐसे दावों के मामलें में, जिनपर खंड (ज) के उपबंध लागू होते हों, निवेश कर के छूट का दावा ऐसे माल के विक्रय पर उत्पादन कर की राशि तक सीमित होगी जिनकी बिक्री उनके समरूपी क्रय-मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो।''

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 **(2005 का अधिनियम 27) की धारा**-19 **का संशोधन** - बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-19 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अन्त में पूर्णविराम को; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस तरह सं प्रतिस्थापित; (सेमीकॉलन) के बाद, निम्नलिखित एक नया परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा -

''परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिसपर पहला परन्तुक लागू होता हो, से निबंधन के लिए तब तक कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ, विहित प्रपत्र में एवं विहित रीति से दस हजार रुपए के समतुल्य राशि की प्रतिभूति जमा नहीं कर देता।''

5. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,** 2005 **(2005 का अधिनियम 27) की धारा**-24 **का संशोधन** - बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा -

''(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई व्यवहारी हो और जो इस अधिनियम के अधीन निर्बंधित नहीं हो, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सूचना तामिल कर उस प्रपत्र एवं रीति से और उस समय तक जो विहित किया जाय विहित प्राधिकारी के पास एक सत्य एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

(1क) प्रत्येक निर्बंधित व्यवहारी (जो धारा-15 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1क) या उप-धारा (4) या धारा-15क के अधीन कर भुगतान हेतु अनुज्ञात व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी हो) प्रत्येक तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित विक्रय, क्रय प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से संबंधित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही और संपूर्ण विवरणी आयुक्त द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व विहित प्राधिकारी को, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए देगा:

परन्तु निबंधित व्यवहारियों की भिन्न श्रेणियों हेतु भिन्न तिथियाँ विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।''

6. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,** 2005 **(2005 का अधिनियम 27) की धारा**-35 **का संशोधन** - बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-35 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित नई उप-धारा (1क) जोड़ी जायेगी, यथा -

''(1क) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी एवं इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए अधिनियम की धारा-15क के अधीन कर-भुगतान करने वाले के व्यवहारियों के वर्ग अथवा, विवरण जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए, राज्य सरकार उनके सकल आवर्त्त से ऐसी निश्चित दर से संगणित कटौती की राशि विर्निदिष्ट कर सकेगी जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।''

7. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,** 2005 **(2005 का अधिनियम 27) की धारा**-41 **का संशोधन** - बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-41 की उप-धारा (1) में शब्द ''चार प्रतिशत'' शब्द ''पाँच प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,** 2005 **(2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा**-69**क का अंत:स्थापन**- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-69 के बाद एक नई धारा 69क अंत:स्थापित की जाएगी, यथा-

''69क कतिपय मामलों में कर-वापसी। - धारा 68 अथवा धारा-69 अथवा इनके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के रहते हुए भी, अधिनियम की धारा-16 की उप-धारा (1) के परन्तुक के कारण आवश्यक किसी असमायोजित निविष्ट कर का प्रतिदाय बिना ऐसे प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसी रीति से सत्यापन एवं प्रतिजाँच के, जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, नहीं किया जायगा।''

9. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,** 2005 **(2005 का अधिनियम** 27 **) में धारा**-98**क का अंत:स्थापन**-बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-98 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-98क अंत:स्थापित की जायेगी, यथा-''98क कतिपय मामलों में समय सीमा के विस्तार तथा प्रपत्रों का विहित किया जाना। - (1) अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब आयुक्त, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से एवं अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्त्तों एवं निबंधनों के अध्ययीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए,-

(क) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रीति से किसी कर-भुगतान करने, अथवा

(ख) इलेकट्रॉनिक रीति से अपेक्षित किसी विवरणी याथ विवरण या प्रतिवेदन भेजने के संबंध में

की तिथि या, यथास्थिति, विस्तारिक तिथि का विस्तार कर सकेगा तथा ऐसा विस्तार उस तिथि से अथवा, यथास्थिति, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक विवरणी या इलेक्ट्रॉनिक विवरण या इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवेदन के संबंध में विनिर्दिष्ट विस्तारित तिथि तीन माह से अधिक कालअवधि के लिए होगा।

(2) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम द्वारा अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किए जानेवाले किसी आवेदन या विवरणी या विवरण या प्रतिवेदन दाखिल करने का प्रपत्र एवं रीति विहित कर सकेगा।''

भाग-II

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 **(बिहार अधिनियम** 36, 1948 **)**
का संशोधन एवं विधिा मान्यकरण

10. **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम,** 1948 **(बिहार अधिनियम** 36, 1948 **) की धारा**-2 **का संशोधन।**- (1) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा-2 के खंड (च) के पश्चात एक नया खंड (चच) दिनांक 17 अक्टूबर, 2002, के प्रभाव से अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

''(चच) 'ऊर्जा का मूल्य' से अभिप्रेत है-

(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी उपभोक्ता को ऊर्जा के विक्रय के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा का ऐसा प्रभार जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति को भुगतेय है परन्तु उसमें निम्नलिखित प्रभार शामिल नहीं होगा, यथा-

(1) मीटर शुल्क,

(2) विलंब से किए गए भुगतान हेतु सूद की राशि;

(3) फ्यूज ऑफ काल प्रभार अथवा रिकनेक्शन प्रभार :

परन्तु यदि उपभोक्ता के द्वारा कोई ऊर्जा खपत नहीं की गई हो तो उसपर देय न्यूनतम प्रभार को ऊर्जा का मूल्य नहीं माना जाएगा :

परन्तु और कि जहाँ उपभोक्ता द्वारा वास्तव में खपत की गई ऊर्जा की इकाईयाँ ऊर्जा की वैसी इकाईयों से कम हो जिस हेतु विहित न्यूनतम प्रभार भुगतेय है। वहाँ वैसे उपभोक्ता के मामले में ऊर्जा के मूल्य से अभिप्रेत होगा वास्तव में खपत की कई ऊर्जा की इकाईयों का प्रभार न कि विहित न्यूनतम प्रभार।

(ii) ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले व्यक्ति के द्वारा ऐसी ऊर्जा खपत के मामले में इलेक्ट्रीसीटी (सप्लाई) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 54) की धारा-5 के अधीन गठित बिहार राज्य विद्युत पर्षद को, उपभोक्ता के क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा शक्ति की वैसी मात्रा की आपूर्ति हेतु, देय प्रभार।

(2) उक्त अधिनियम की धारा-2 में संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2002 के अक्टूबर की सतरहवी तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय में विधिमान्यत: एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत एवं सदैव प्रवृत समझा जाएगा।

(3) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई निर्धारण, संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गयी कोई बात या की जाने के लिए आशान्वित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यत: या प्रभावकारी रूप से निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटाई गयी, संगणित अथवा की गयी समझी एवं सदैव समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम सभी ताव्तिक समय में प्रवृत था तथा, तदनुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बाते के होते हुए भी-

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर के रूप में प्राप्त की गयी अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारंभ की जाएगी, न चलाई जाएगी और न हीं जारी रखी जाएगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकारण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूल किये गए ऐसे कर की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा;

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा-2 में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा-2 की उप-धारा (चच) के साथ पठित धारा-3 के अनुरूप वसूली जा सकेगी।

(4) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत नहीं होने की दशा में दंडनीय नहीं होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

भाग-III

बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन

11. **बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा-3 का संशोधन** - (1) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अंत में पूर्ण विराम को; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित; (सेमीकॉलन) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

''परंतु अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतेय ब्याज सहित, देय कर यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है तथा जिसने अधिनियम की धारा 7 द्वारा अपेक्षित विवरणी दाखिल कर दिया है, के द्वारा देय कर स्वत: निर्धारित समझा जायेगा।''

(2) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा-7 की उप-धारा (1) के अंत में पूर्ण विराम को; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित; (सेमीकॉलन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

''परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, अधिनियम में निर्दिष्ट देय अधिकतम राशि के समतुल्य कर का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।''

भाग-IV

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 **(बिहार अधिनियम** 8, 1994 **) में संशोधन**

12. **बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,** 1994 **की अनुसूची**-1 **का भाग-क का प्रतिस्थापन** - उक्त अधिनियम की अनुसची-1 का भाग-क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :-

अनुसूची-1

भाग-क

वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका

[धारा-7 की उप-धारा (1) देखें]

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटल साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैठाने की क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 6%	एकमुश्त कर (i) वैट रहित मूल्य का 6% रु० लाख तक मूल्य के वाहन के लिए। (ii) वैट रहित मूल्य का 7% रु० लाख से अधिक मूल्य के वाहन के लिए।
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र-	खंड अ कॉलम (4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाला एकमुश्त कर का प्रतिशत।	खंड अ कॉलम (5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80%	80%
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75%	75%
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%

	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम	30%	30%
	15	पंद्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

13. **बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,** 1994 **(बिहार अधिनियम** 8, 1994 **) की अनुसूची**-III **का प्रतिस्थापन** - उक्त अधिनियम के अनुसूची-III का निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है।

परिशिष्ट-III

(धारा-6 **देखें)**

व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर तालिका

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
	रुपया
1. मोटर साईकिल	150.00
2. भारी वाहनों के चेसिस	250.00
3. अन्य वाहन	200.00

31 मार्च 2012

सं० एल०जी०-1-4/2012/लेज: 294 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2012 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2012]

BIHAR FINANCE ACT 2012
AN
ACT

PREAMBLE- TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005, THE BIHAR ELECTRICITY DUTY ACT, 1948 AND BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADERS, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011, BIHAR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty three year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

PART-I

Amendment in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)

2. Insertion of a new section 15A in the Bihar Value Added Tax, 2005 (Act 27 of 2005) herein after referred to as Act 27, 2005 - After section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 15A shall be inserted namely —

"15A. Comounding to tax liability - (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in a Act and subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, permit any class or description or registered dealers to pay, in lieu of the tax payable by him, and amount calculated at such rate, not exceeding five percent, of his gross turnover as may be specified in the notification.

(2) Every dealer to whom the provisions of sub-section (1) apply shall —

(a) not charge any tax on the sale of goods specified in Schedule 1;

(b) not charge any tax in excess of the rate specified in the notification issued under sub-section (1); and

(c) not be entitled to issue any tax invoice in respect of any sale made by him.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act, every dealer to whom the provisions of sub-section (1) applies, shall —

(a) furnish to the prescribed authority a true and complete return, containing such particulars in such form and manner and in respedt to such period and within such time as the Commissioner may, by notification specity;

(b) maintain such books of accounts and draw up such accounts in such manner in respect of his business as the Commissioner may, be notification, specify.

Explanation — For the purposes of this section, the expression "books of accounts" shall include registers, statements, invoices, bills, ledgers, contracts and other documents, in relation to his business, issued to or received by him."

3. Amendment in section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005). — (1) Clause (e) of sub-section (1) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely —

"(e) when a registered dealer purchases any imput within the State of Bihar from another such dealer after paying him the tax as specified under section 14 at a rate higher than four per cent and transfers

goods manufactured from such goods to another dealer outside the State of Bihar, he shall be allowed credit of such tax and in excess of such percent or in excess of such amount in the manner as may be prescribed:"

(2) The proviso to sub-section (1) of section 16 of the Bihar Balue Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely —

"Provided that if the claim for imput tax credit under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) for any month exceeds the output tax for the same month, such excess shall be carried forward for adjustment against the output tax of subsequent months, not being a month later than the last month of the financial year, and any amount of imput tax that remain unadjusted in terms of the return under sub-section (3) of section 24 sahll be refunded, subject to the provisions of section 68, 69, 69A and 71 of the Act, within three months following the month in which the return required under sub-section (3) of section 24 and the report under sub-section (2) of section 54, if required, is furnished."

(3) Sub-section (1A) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be deleted.

(4) The full stop at the end of clause (f) of sub-0section (3) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by a semi-colon and after the semi-colon so substituted the word "or" shall be inserted.

(5) After clause (f) of sub-section (3) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following two new clauses (g) and (h) shall be added, namely —

"(g) in respect of imputs purchased from within the State by a registered dealer paying tax under section 15A of the Act;

(h) in respect of imputs which have been sold at a price lower than the corresponding purchase price thereof:

Provided that in the matter of such claims of imput tax credit to which the provisions of clause (h) apply, the claims of imput tax credit shall be restricted to the amount of output tax in respect of the sale of such goods as have been sold at a price lower than the corresponding purchase price thereof."

4. Amendment in section 19 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005). — The full stop at the end of the first proviso to sub-section (1) of section 19 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by a colon and after the colon so substituted the following new proviso shall be inserted namely —

"Provided further that no application for registration from a person to whom the first proviso hereto applies shall be accepted unless the applicant furnishes, along with the application for registration, security, in such form and manner as may be prescribed, equivalent to ten thousand rupees."

5. Amendment in section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) Sub-section (1) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely —

"(1) Every person, being a dealer, who is not registered under this Act, by a notice served in the manner prescribed by the prescribed authority, shall furnish a true and complete return to the prescribed authority in such form and manner and by such time as may be prescirbed."

"(1A) Every person, being a registered dealer (other than a dealer permitted to apy tax under sub-section (1) or sub-section (1A) or sub-section (4) of section 15 or section 15A) shall furnish, to the prescribed authority, a true and complete return, in the form and manner prescribed, in respect of all this transactions relating to sales, purchases, receipts and dispatches of goods and any other transactions prescribed specifically for each quarter, on or before such date as the Commissioner may, by notification, specify:

Provided that different dates may be specified in respect of different categories of registered dealers."

6. Amendment in section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After sub-section (1) of section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new sub-section (1A) shall be added, namely-

"(1A) notwithstanding anything contained in sub-section (1) and subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, in respect of such class or description of dealers paying tax under section 15A of the Act, as may be specified in a notification issued in this behalf, specify deductions from the gross Turnover calculated at such fixed rates as may be specified in the notification issued in this behalf."

7. Amendment in section 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— The words "four per cent" in sub-section (1) of section 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words "five per cent".

8. Amendment in section 69A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After section 69 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 69A shall be inserted, namely —

"69A. Refunds in certain cases – Notwithstanding anything contained in section 68 or section 69 or the rules made threr under, no refund of unadjusted input tax,necessitated by virtue of the proviso to sub-section (1) of section 16 of the Act, shall be made without verification and cross-checking in such manner and by such authorities as the Commissioner may, by notification, specify."

9. Amendment in section 98A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After section 98 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 98A shall be inserted, namely –

"98A. Extension of time limit and prescription of forms in certain cases — (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or the Rules made there under, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing and by notification and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, extend the date or, as the case may be, the extended date, specified in the Act in respect of —

(a) making any electronic payment of tax under the Act, or

(b) furnishing any return or statement or report required to be filed electonically

and such extension shall be for a period not exceeding three months from the date, or, as the case may be, the extended date, specified in respect of such electronic payment or electronic return or electronic statement or electronic report, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or the Rules made there under, the Commissioner may, by notification, specify the form and manner in which any application, return or statement or report required by or under the Act may be furnished electronically."

PART - 2

Amendment and Validation of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948)

10. Amendment in section 2 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Act 36 of 1948).— (1) After clause (e) of section 2 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948), the following new clause (ee) shall be inserted with effect from the seventeenth day of October, 2002, namely —

"(ee) 'value of energy' —

(i) in case of energy sold to a consumer by a licensee or by any person who generates energy, menas the charges payable by the sonsumer, to the licensee or to any person who generates such

energy, for the energy supplied by such licensee or person, as the case may be, put it shall not include the following charges, namely —

(1) Meter charges

(2) interest on delayed payment

(3) fuse-off call charges and reconnection charges:

Provided that where no energy has been sonsumed by a consumer, minimum charges payable by him shall not deemed to be the value of energy:

Provided further that where the units of energy actually consumed by a consumer are less than the units of energy for which prescribed minimum charges are payable, the value of energy shall, in the case of such consumer, mean the charges for the units of energy actually consumed by him and not the prescribed minimum charges:

(ii) in case of energy consumed by the person generating such energy, means the charges payable by any other consumer for such quantum of power to the Bihar State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Act 54 of 1948) in respect of energy supplied by the Bihar State Electricity Board within the area where the consumer is located;"

(2) The amendments made in section 2 of the Act shall be deemed to be, and to always have been, for all purposes, as validly and effectively in force at all material times with effect from the seventeenth day of October, 2002.

(3) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and notifications issued and rules made there under shall be deemed to be and to have always been, for all purposes, as validity and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Act as amended by this Act had been in force at all material times and accordingly, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any Court, or Tribunal or other Authority:-

(a) no suit or other proceedings shall be maintained of continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or realized by way of such duty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund or any amount received or realized by way of such duty;

(c) recoveries shall be made, in accordance with the provisions of sub-section(ee) of Section 2 read with the provisions of Section 3 of the Bihar Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948), of all amounts which could have been collected as duty under the said Act by reason of amendment made in Section 2 by this Act but which has not been collected.

(4) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this section had not come into force.

PART - 3

Amendment in Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Acts, 2011.

11. Amendment in section 3 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Act 10 of 2011).— (1) The full stop at the end of section 3 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011) shall be substituted by a colon and after the colon so substituted the following proviso shall be inserted, namely —

"Provided that the tax due from a person, liable to tax under this Act, who has remitted the amount of tax due from him, along with the interest, if any, payable under sub-section (3) of section 8 of the Act and has furnished the return required by section 7 of the Act, shall be deemed to have been assessed."

(2) The full stop at the end of sub-section (1) of section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011) shall be substituted by a colon and after the colon so substituted the following proviso shall be inserted, namely -

"Provided that every person, other than an employer, liable to tax under this Act, who has remitted, by way of tax, an amount equivalent to the maximum amount specified under the Act, along with the interest, if any, payable under sub-section (3) of section 8 of the Act shall not be required to furnish the return specified in this section."

PART - 4

Amendment in Bihar Motor Vehicles Taxation Acts, 1994.

12. Substitution of the Part A of the Schedule-I of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (Act 8, 1994)— Part A of Schedule-I of the Act shall be substituted by the following :

Schedule-I
Part A
Rate chart of one-time tax for Personal Vehicles
[See Sub-secton (1) of Secton-7]

Clause	Sl. No.	Stage of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycles	Motorcars and Omin buses up to seating capacity of 12 used for personal use
1	2	3	4	5
A		Up to one year of age at the time of registration or first registration	One time tax at the rate of 6% of cost of vehicles excluding VAT	One time tax at the rate of (i) 6% of the cost excluding VAT for the vehicles, costing up to Rs. 4 lac. (ii) 7% of the cost excluding VAT for the vehicles, costing more than Rs. 4 lac.
B		If the Motor vehicle is already registered and its age from the first registration is	Percentage of one time tax levied under Clause A- Column (4)	Percentage of one time tax levied under Clause A - Column (5)
	1	More than one year but not more than two years	95%	95%
	2	More than two year but not more than three years	90%	90%
	3	More than three year but not more than four years	85%	85%
	4	More than four year but not more than five years	80%	80%
	5	More than five year but not more than six years	75%	75%

	6	More than six year but not more than seven years	70%	70%
	7	More than seven year but not more than eight years	65%	65%
	8	More than eight year but not more than nine years	60%	60%
	9	More than nine year but not more than ten years	55%	55%
	10	More than ten year but not more than eleven years	50%	50%
	11	More than eleven year but not more than twelve years	45%	45%
	12	More than twelve year but not more than thirteen years	40%	40%
	13	More than thirteen year but not more than fourteen years	35%	35%
	14	More than fourteen year but not more than fifteen years	30%	30%
	15	More than fifteen year	25%	25%

13. Substitution of the Schedule-III of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (Act 8, 1994) - Schedule-III of the Act shall be substituted by the following :

Schedule-III
(See Section 6)
Rates of tax to be paid by dealer or manufacturer

Description of Vehicles in possession under a manufacturer or dealer	Annual tax for per vehicle under a manufacturer or dealer
	Amount Rs.
1. Motor Cycles	150.00
2. Chassis of heavy motor vehicles	250.00
3. Other vehicles	200.00

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-वा०कर/जे०आर०यू०/2010-11/15-932 पटना, दिनांक-14.03.2011

प्रेषक,

आयुक्त-सह-सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

पथ निर्माण विभाग,

भवन निर्माण,

ग्रामीण कार्य विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

जल संसाधन विभाग/लघु सिंचाई विभाग।

विषयः बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-41 एवं नियमावली के नियम 29 के तहत संविदा कार्य पर कर कटौती के संबंध में।

महाशय,

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 के अधीन कार्य संवेदकों को कार्य के मद में भुगतान करने के पूर्व भुगतेय राशि से 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी है। कार्य संविदा के जिन तत्वों पर कर की कटौती नहीं की जानी है उन्हें बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 में विहित किया गया है। नियम 29 के प्रासंगिक अंश को सुलभ प्रसंग हेतु निम्नवत् उद्धृत किया गया है :-

"29. Deduction of tax at source the bills of works contractors :- (1) The deduction referred to in sub-section (1) of section 41 shall be made at the rate notified in this behalf from time to time by the Government.

(2) Such deduction shall be made from payments purporting to be the full or part payment of the sale price, being made in respect of all contracts executed, whether in part or in full, after commencement of this Act.

Provided that no deduction shall be made on account of the payment pertaining to the following:-

(a) Labour Charges for execution of the works contract.

(b) Amount paid to sub-contractor on account of labour and services.

(c) Charges for planning, designing and architects fees.

(d) Charges for obtaining on hire machinaries and tools used in the execution of the works contract.

(e) Cost of consumbles such as water, electricity, fuels, etc. used in execution of the works contract the property in which is not transferred in the course of execution of a works contract.

(f) Cost of establishment of the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services.

(g) Other similar expenses relatable to supply of labour and service,

(h) Profit earned by the contractor to the extent it is relatable to the supply of labour and services, and

(i) Goods or transactions exempted under section 6 or section 7 of the Act."

स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था को माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी एवं माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC 1385/2006 तथा 17061/2008 एवं अन्यान्य मामलों में इस आशय का नियमन दिया है कि अधिनियम की धारा 41 तथा नियमावली का नियम 29 के प्रावधान पूर्णतया विधिक है।

उक्त के आलोक में सूचित करना है कि संवेदकों के विपत्रों से स्रोत पर कर की कटौती के क्रम में उक्त उल्लेखित नियम 29(2) में स्पष्ट रूप से विहित किये गये मदों में ही कटौती नहीं की जानी हैं। यदि किसी विपत्र के संदर्भ में उक्त मदों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान किया जाता है तो अनिवार्य रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जानी है एवं कटौती की इस व्यवस्था को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने विधिक बताया है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ क्षेत्रिय कार्यालयों को इस आशय का आदेश निर्गत करने के कृपा की जाये कि कार्य संवेदकों के विपत्रों से श्रोत पर कर की कटौती केवल नियम 29 (2) में स्पष्ट रूप से विहित तत्वों के मद में ही नहीं होनी हैं, शेष सभी तत्वों के मद में 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/–

राजति पुनहानी

आयुक्त–सह–सचिव

वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–932 पटना, दिनांक–14.03.2011

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

राजति पुनहानी

आयुक्त–सह–सचिव

वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

आदेश

पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना शहर में पथों के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण कार्य में आ रही समस्याओं यथा पथों पर बिजली पोल एवं पथ-पटरी के नीचे जलापूर्ति पाईप लाइन अवस्थित रहने के कारण कार्य बाधित होता है। कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने की स्थिति में कार्य समाप्ति में देरी तथा कार्य के मूल्य में वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार पटना की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि वैसे पथांश जहाँ जलापूर्ति पाईप लाइन अवस्थित है और उसके Relocation के बिना चौड़ीकरण/मजबूतीकरण कार्य बाधित है अथवा पाइपों से रिसाव के कारण पथ बार-बार क्षतिग्रस्त होते हैं वहाँ इन पाइपों के Shifting का कार्य सम्बन्धित पथ प्रमण्डलों द्वारा कराया जायगा। पथ प्रमण्डल इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पटना जल बोर्ड/पटना नगर निगम (जिसके स्वामित्व का जलापूर्ति पाईप हो) के सम्बन्धित सक्षम प्राधिकार से प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य करवायेगा। उक्त कार्य का तकनीकी-पर्यवेक्षण सम्बन्धित एजेन्सी से कराया जायगा तथा सम्बन्धित एजेन्सी को पर्यवेक्षण शुल्क जमा किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन पथों में चौड़ीकरण हेतु बिजली पोल का शिफ्टिंग करवाया जाना है, उससे सम्बन्धित पथ प्रमण्डल द्वारा विद्युत बोर्ड से प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त करा लिया जायगा। कार्य बिजली बोर्ड के Empannelled संवेदकों से कराया जायगा और कार्य का तकनीकी अनुश्रवण/पर्यवेक्षण विद्युत् बोर्ड के अभियंताओं द्वारा कराया जायगा। इसके लिए विद्युत बोर्ड को पर्यवेक्षण शुल्क जमा किया जायगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संदीप पौण्डरीक)

सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०/08/विविध-03-237/08 1740 (S) पटना, दिनांक-04.03.09

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष, पटना जल पर्षद, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, राजापुर पुल के नजदीक, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संदीप पौण्डरीक)

सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०/08/विविध-03-237/08 1740 (S) पटना, दिनांक-04.03.09

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संदीप पौण्डरीक)

सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292 के अनुरूप सम्बन्धित मुख्य अभियंताओं सहित बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (राज्य सरकार के अधीन सेवारत मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी) द्वारा परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान करने, पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं गृह विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में क्रमशः प्रबंध निदेशक तथा मुख्य महाप्रबंधक की तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए दी गयी शक्ति की संपुष्टि तथा केन्द्रीय निरूपण संगठन के दायित्वों का पुनर्निधारण के संबंध में।

1. परियोजनाओं के सूत्रण, अनुसंधान, निरूपण एवं कार्यान्वयन में अधिकतम क्षमता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय ज्ञापांक–15629, दिनांक–11.06.1965 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता के नेतृत्व में केन्द्रीय निरूपण संगठन का गठन किया गया था। निरूपण, रूपांकण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यो के अतिरिक्त रुपये 2,50,000/- से अधिक लागत की परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति का अधिकार भी केन्द्रीय निरूपण संगठन को प्रदत्त की गई थी।

2. आर्थिक उदारीकरण, आधारभूत संरचना विकास के आकार में वृद्धि तथा बढ़े कार्य बोझ के कारण विकेन्द्रीकरण के तहत विभागीय ज्ञापांक–2676 (एस॰) अनि॰, दिनांक–15.05.05 द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के विभिन्न कंडिकाओं के प्रावधानों को अद्यतन एवं संशोधित किया गया। संशोधित कंडिका 292 के अनुसार परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने का असीमित अधिकार मुख्य अभियंता को है।

3. उक्त के अनुरूप अन्य विभागों में परियोजनाओं की स्वीकृति एवं अनुमोदन संबंधी कार्रवाई हो रही थी। परन्तु विभागीय ज्ञापांक–5452 (एस॰), दिनांक–26.05.06 द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प के माध्यम से पथ निर्माण विभाग से संबंधित परियोनाओं के लिए निम्न व्यवस्था की गईः–

(क) लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुरूप अधीक्षण अभियंता को 70 लाख रुपये तक की परियोजना का तकनीकी–अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

(ख) मुख्य अभियंताओं को 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं का तकनीकी–अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

(ग) 10 करोड़ रुपये के लागत से अधिक की परियोजना एवं ऐसी परियोजना जिनमें 10 करोड़ रुपये से कम लागत है, परन्तु तकनीकी रूप से विशिष्ट है, के तकनीकी–अनुमोदन तथा प्रावैधिकी स्वीकृति का अधिकार केन्द्रीय निरूपण संगठन में निहित रहेगा।

4. वर्तमान में पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधीन योजनाओं का आकार काफी वृहद् हो गया हैं। सम्प्रति समृद्ध तकनीकी आधारित परियोजनाओं की परिकल्पना, अद्यतन मानक, नई तकनीक का उपयोग और परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

5. अतः एतदर्थ राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित व्यवस्था लागू किया जाता हैः–

(i) बिहार लोक निर्माण संहिता की कण्डिका–292 के अनुरूप अन्य कार्य विभागों की तरह पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं को भी रूपये 70.00 लाख से अधिक असीमित राशि की परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार तथा बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक उपक्रमों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति सम्बन्धित लोक उपक्रम के प्रबंध निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक के पदों पर राज्य सरकार के अधीन सेवारत मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी के पदस्थापित रहने की स्थिति में प्राप्त रहेगी।

(ii) बिहार सरकार के जिन लोक उपक्रमों में मुख्य अभियंता स्तर के तकनीकी पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, उन लोक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति कार्य से संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी में निहित रहेगा।

(iii) बिहार सरकार के अधीन कार्यरत जिन लोक उपक्रमों में तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपर्युक्त कंडिका-5(i) एवं 5(ii) में वर्णित शर्त लागू नहीं होती है, वैसी परिस्थिति में तकनीकी स्वीकृति/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना में निहित रहेगा।

(iv) राज्य सरकार के Schedule of Rates के आधार पर ही तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(v) तकनीकी रूप से विशिष्ट परियोजनाओं पर आवश्यकतानुसार केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) पथ निर्माण विभाग के नियंत्राधीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम तथा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-5400(एस०), पटना, दिनांक-25.02.2006, पत्रांक-8501(एस०), पटना, दिनांक-22.07.2006, पत्रांक-14503(एस०) डब्लू०ई०, पटना, दिनांक-10.12.2009 के द्वारा क्रमशः प्रबंध निदेशक तथा मुख्य महाप्रबंधक को तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए दी गयी शक्ति की सम्पुष्टि की जाती है।

(vii) गृह विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा पूर्व से प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति की संपुष्टि की जाती है।

(viii) केन्द्रीय निरूपण संगठन द्वारा उपर्युक्त कंडिका-5(iii) के अतिरिक्त निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित किया जायगा:-

(क) परियोजनों का प्राक्कलन तैयार करने हेतु मानकों का निर्धारण तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ख) मानक निरूपण का सूत्रण।

(ग) आवश्यकतानुसार रूपांकण तैयार कर इसके प्रभावकारी व्यवहार का सुनिश्चितीकरण।

(घ) परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित कार्य।

(ङ) विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा अपनाई जा रही तकनीकी क्रियाकलापों का अनुश्रवण।

(च) परीक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध से संबंधित कार्य।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त व महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०8/विविध-03-75/10-9133(S) पटना, दिनांक-11.08.11

प्रतिलिपिः- महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापात्रंक–प्र०–8/विविध–03-75/10-9133(S) पटना, दिनांक–11.08.11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०8/विविध–03-75/10-9133(S) पटना, दिनांक–11.-08.11

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०8/विविध–03-75/10-9133(S) पटना, दिनांक–11.08.11

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंधक निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०8/विविध–03-75/10-9133(S) पटना, दिनांक–11.08.11

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त–सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

आदेश

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लोक उपक्रमों से संबंधित परियोजनाओं पर तकनीकी/प्रावैधिक स्वीकृति देने की शक्ति के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-16.08.2013 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं-

1. सरकार में कार्यरत ऐसे अधीक्षण अभियंता जिन्होंने मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक कालावधि पूरी कर ली है और वह अन्य दृष्टिकोणों से भी प्रोन्नति हेतु योग्य है को विभिन्न निगमों में मुख्य अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा एवं वे परियोजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9133 (S) दिनांक-11.08.2011 के अधीन योग्य माने जायेंगे।

2. इसके अलावा विभिन्न निगमों में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, एवं सहायक अभियंता के समकक्ष पदों पर सरकार में कार्यरत क्रमशः ऐसे कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी जिन्होंने उपरोक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक कालावधि पूरी कर ली है और वह अन्य दृष्टिकोणों से भी प्रोन्नति हेतु योग्य हैं। विभिन्न निगमों में प्रतिनियुक्त ऐसे अभियंता पथ निर्माण विभाग के नियमों के अधीन परियोजनाओं पर प्रतिनियुक्ति के पदों के अनुरूप तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।

उपर्युक्त आदेश सभी लोक उपक्रमों में समान रूप से लागू रहेगा।

ह०/-
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-54/2003-7986 (S) पटना, दिनांक-08.10.2013

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
प्रत्यय अमृत
सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य विड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त करने के प्रावधान को बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 161(क) एवं 161(ख) के रूप में समाहित करने तथा तदनुसार बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं Procurement of Civil Works हेतु उपलब्ध Standard Bidding Document को सुसंगत नियमों में भी उपर्युक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञाप सं०–4-11/03-5188 वि (2) दि०–15.06.2009 द्वारा राज्य में रू० 25.00 लाख से अधिक की निविदायें e-Tendering/e-Procurement के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था लागू है। परन्तु e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में e-Payment की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पूर्व की पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप निविदाओं के परिमाण विपत्र का मूल्य (बैंक ड्राफ्ट के रूप में) तथा अग्रधन की राशि (यथा निदेशित बैंक गारंटी, पासबुक आदि के रूप में) जमा करने हेतु संबंधित संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि को कार्य से संबंधित कार्यालय जाने की बाध्यता रहती है। फलतः e-Tendering/e-Procurement प्रणाली से निष्पादित की जाने वाली निविदाओं हेतु निरूपित उद्देश्य की शत्–प्रतिशत–प्राप्ति नहीं हो पाती है।

2. e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में e-Payment की व्यवस्था लागू किये जाने पर परिमाण विपत्र का मूल्य, अग्रधन की राशि इत्यादि जमा करने हेतु निविदाओं से संबंधित परिमाण विपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि आदि जमा करने हेतु संवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित संवेदक e-Tendering/ e-क्रय प्रणाली के माध्यम से वांछित पमिाण विपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि इत्यादि सुगमता पूर्वक जमा कर पायेगें।

3. अतः e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली निविदाओं से संबंधित परिमाण विपत्र का मूल्य तथा अग्रधन की राशि इत्यादि जमा करने हेतु e-Payment की व्यवस्था लागू करने तथा बिहार लोक निर्माण संहिता में नियम 161 के बाद नियम 161(क) एवं 161 (ख) के रूप में निम्न प्रावधानों का उपबंध करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:–

(क) 161 (क) "Cost of BOQ, Bid Processing Fees including Service tax payable to Beltron and cost of Earnest money shall be received through e-Payment; only in case of tenders being invited through e-Tendering/e-Procurement system".

(ख) 161 (ख) "The modus operandi and detailed guidelines in respect of above provision shall be formulated by department of information technology and Beltron".

2. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं procurement for Civil works हेतु लागू Standard Bidding Document को सुसंगत नियमों के प्रावधानों में भी उक्त 1 (क) एवं (ख) के प्रावधान उपबंधित माने जायेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/निविदा–(उ०बि०)–01/2006-9535(S)/ पटना, दिनांक–23.08.11

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/निविदा–(उ०बि०)–01/2006-9535(S)/ पटना, दिनांक–23.08.11

प्रतिलिपि–प्रभारी ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/निविदा–(उ०बि०)–01/2006-9535(S)/ पटना, दिनांक–23.08.11

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, बेलट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/निविदा–(उ०बि०)–01/2006-9535(S)/ पटना, दिनांक–23.08.11

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव, सभी विभाग/सभी कार्य विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/निविदा–(उ०बि०)–01/2006-9535(S)/ पटना, दिनांक–23.08.11

प्रतिलिपि अभि० प्रमुख/सभी मुख्य अभि०/सभी अधी० अभि०/ अभि० प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी का०अभि०/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

●●●

B– निबंधन नियमावली के संबंध में



राजभवन, पटना

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

पत्र सं०–प्र०6/नियम–03-01/2002- 5737 (S) पटना, दिनांक–07.05.07

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–ए2/नियम 3-01/97-4009 (एस) दिनांक– 28 जून 1997 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 को जन साधारण हेतु एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

नियम

1. (i) यह बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. ठीकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा:–

श्रेणी 1: 3.50 करोड़ रुपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 2: 70 लाख रुपये से 3.5 करोड़ रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 3 : 70 लाख रुपये से कम तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा:–

श्रेणी 1: 2.00 लाख रुपये।

श्रेणी 2: 1.00 लाख रुपये।

श्रेणी 3: 25 हजार रुपये।

4. (क) निबंधन 5 वर्षो के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वत: रद्द समझा जाएगा।

(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगें।

(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कही भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगें।

5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करनी होगी:–

(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ''अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना'' के पक्ष में देय तथा पटना में भुगतेय हो।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक समिति कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण–पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति।

6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों की स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति को किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।

7. **नवीकरण:**–पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुन: कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

8. **नवीकरण:**– हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्ति हो जाने की तिथि से एक माह तक होगी।

9. पथ निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी में वर्त्तमान निर्बंधित का नवीकरण करना होगा जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शर्तों को पूरा करें।

जिन संवेदको के पुराने निबंधन नियमावली के अर्न्तगत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित है, उनके द्वारा संशोधित नियमावली की जिस श्रेणी में निबंधन/नवीकरण करना चाहते हों उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा।

10. आवेदन पत्र: इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट – 'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

11. **काली सूची तथा निबंधन:**

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निर्बंधित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी–कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण पथ निर्माण विभाग की किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलबिंत किया जा सकेगा अथवा श्रेणी से नीचे की श्रेणी में पदावनत Demote किया जा सकेगा।

(i) सम्बद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।

(ii) एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।

(iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियाँ, निविदा कागजातों के प्रस्तुतीकरण या उससे संबंद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौपने पर (सवलेटिंग)।

(v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।

(ix) किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।

(x) सोची–समझी साजिश के तहत् संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

(ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलम्बित करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

(ग) काली सूची में डालने/पदावनत (Demote) करने का आदेश/निलम्बन का आदेश संबंधित कोटि का निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हो, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(घ) दिये गये दण्ड के विरूद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

12. एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन करना अनिवार्य होगा।

13. निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटॉर्नी' में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।

14. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(मोईजुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०-प्र०-6/नियम-03-04/02 13211 (S) पटना, दिनांक-16.10.08

प्रेषक,

आर० के० सिंह

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

विषयः पथ निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत संशोधित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 को राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों में लागू किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार में अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 लागू संशोधित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (प्रति संलग्न) को राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग के उक्त नियमावली के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेंगें। राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/दण्डित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगें/संबंधित दण्ड के अधीन कार्य प्राप्त करने की अर्हता रखेंगें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आर०के०सिंह)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंता को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप सं०-254, दिनांक-24.12.1986 द्वारा अनियोजित अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने के संबंध में निदेश था। वर्ष 1986 में निर्गत निदेश एवं बीस वर्षो से अधिक अन्तराल में विकास कार्यो के क्रियान्वयन में हुए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी विभागों में अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि:-

(1) अनियोजित अभियंताओं को कार्य विभाग के अन्तर्गत ठीकेदारी निबंधन श्रेणी-3 (तृतीय) के तहत निबंधन करना होगा।

(2) अनियोजित अभियंता किसी भी कार्य विभाग के अन्तर्गत एक कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगें और वही अंचल उनका कार्यक्षेत्र होगा।

(3) अधीक्षण अभियंता 20 (बीस) लाख रुपये तक की राशि के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगें। इस हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अपने अंचलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कार्य कर्णाकिंत किए जायेंगें।

(4) अधीक्षण अभियंता, अनियोजित अभियंताओं के बीच कार्य का बंटवारा उनके बीच सीमित निविदा के माध्यम से करेंगें। अनियोजित अभियंताओं की निविदा में मात्र वित्तीय निविदा प्राप्त की जायेगी। कार्य चालू अनुसूचित दर से अधिक दर पर आवंटित नहीं किये जायेंगें।

(5) जिस कार्य अंचल के लिए अनियोजित अभियंता पंजीकृत नहीं होंगें उनमें कार्यो का आरक्षण (Reservation) नहीं होगा।

(6) यदि निविदा देने वाले एक से अधिक सफल अनियोजित अभियंताओं के उदृत/अंकित दर समान होगें तो निविदा का आवंटन उनके बीच लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

(7) यदि दो बार आमंत्रण में अनियोजित अभियंताओं से निविदा प्राप्त नहीं होती है अथवा उनसे अनुमान्य दर पर निविदा प्राप्त नहीं होती है तब तीसरी बार खुली निविदा की जायेगी।

(8) अनियोजित अभियंताओं से आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र एक प्रतिशत ली जायेगी जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगी। जमानत की शेष 9 (नौ) प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(9) अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा करने का अनुभव प्राप्त कर लेते है तो उन्हें सामान्य संवेदक समझा जायेगा। तथा उन्हे उपरोक्त सुविधाएँ नहीं दी जायेगी और उन्हे अन्य ठीकेदारों की तरह माना जायेगा।

(10) अनियोजित अभियंता को निविदा देते समय यह शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होनें कहाँ से और किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया, तथा वे अबतक अनियोजित हैं। शपथ पत्र (Affidavit) गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(11) आवेदन के इच्छुक अनियोजित अभियंता परिशिष्ट- 'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देगें। विभाग द्वारा परिशिष्ट-ख में उल्लिखित निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

नोटः- तदनुसार कार्य विभाग अनियोजित अभियंताओं को अपने विभाग के अन्तर्गत निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट- क एवं ख अलग से निर्गत करेंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किये जायँ तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- प्र०-6/नियम-03-03/2001-1399 (S) पटना दिनांक 31.01.2008

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- प्र०-6/नियम-03-03/2001-1399 (S) पटना दिनांक 31.01.2008

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनाएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट- 'क'

अनियोजित अभियंता के निबंधन/नवीकरण के लिए ओवदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम उनकी राष्ट्रीयता,
   जन्म तिथि एवं पूरा पताः-
2. शैक्षणिक योग्यताः-
   (डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति
   संलग्न की जाय)
3. अंचल जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैंः-
4. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणीः-
   बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक .....
   बैंक का नाम
   आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

मूल्य .....

टिप्पणीः-

1. अनियोजित अभियंता वैसे अंचल में निबंधन कराने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिए पर्याप्त होगा।
2. नजदीकी संबंधी पद से तात्पर्य है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई अथवा बहन।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में विभाग /अन्य कार्य विभाग में अभी किसी वर्ग में संवेदक/फर्म/प्रा० लि० कम्पनी में साझीदार के रूप में निर्बंधित नहीं है।

तिथिः- आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपूर्ण सूचनायें:-

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें:-

1. PAN कार्ड की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
3. Address Proof जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
5. नियोजित नहीं है एवं संवेदक की किसी श्रेणी में निबंधित नहीं है, के संबंध में शपथ-पत्र
6. 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से हो तथा जो स्थानीय बैंक में भुगतेय हो, मूल रूप संलग्न करें।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकर नहीं किये जायेगें।

कार्यालय उपयोग के लिए

श्री .....

को श्रेणी: अ॰ प्र॰/श्रेणी अनियोजित अभियंता संख्या-03 (तृतीय) ..... का कार्यक्षेत्र/अंचल..... ..... के लिए निबंधन दिनांक.....से .....तक के लिए डिमांड ड्राफ्ट सं॰ .....दिनांक ..... रुपये. .....बैंक का नाम.....के विरूद्ध किया गया।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर)

परिशिष्ट-ख

पत्रांक: ..... दिनांक:- .....

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

अनियोजित अभियंता का निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री .....

पता .....

.....

.....

को श्रेणी: अ॰ प्र॰/श्रेणी अनियोजित अभियंता संख्या-03 (तृतीय) .....का कार्यक्षेत्र/कार्य अंचल..... .....के लिए अवधि दिनांक .....से .....तक के लिए पथ निर्माण विभाग के अधीन सूचीकृत/निबंधित किया जाता है।

दिनांक (आवेदक का हस्ताक्षर)

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-प्र०-6/नियम-03-04/2002 13589 (S) / पटना, दिनांक-13.12.11

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत श्रेणी 1, 2 एवं 3 में निर्बंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम है। सरकार की मंशा है कि रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यो को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निर्बंधित संवेदकों से कराया जाय एवं रुपये 25.00 लाख से कम लागत के कार्यो से निर्बंधित श्रेणी 1, 2 एवं 3 के संवेदकों को अलग रखा जाय। तदनुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 तथा जो पत्र संख्या-13211 अनु० दिनांक-16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किये जाते है:-

(2) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में श्रेणी-03 के बाद ''श्रेणी-4'' जोड़ा जाता है। यह श्रेणी ''स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी'' कहा जायेगा। श्रेणी-4 के अन्तर्गत निर्बंधित संवेदक 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम होगे।

(3) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-03 में श्रेणी-03 तथा के लिए विहित निबंधन शुल्क के बाद श्रेणी-04 और श्रेणी -04 के लिये निबंधन शुल्क-5000.00 (पाँच हजार) रुपये जोड़ा जाता है।

(4) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-04 की उप कंडिका-ख तथा उप कंडिका-ग के बाद क्रमश: उप कंडिका-घ, उप कंडिका-ङ तथा उप कंडिका-च के रुप में निम्न जोड़ा जाता है:-

(घ) श्रेणी-04 के निबंधन हेतु कार्यपालक अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हो, निबंधन पदाधिकारी होगें।

(ङ) श्रेणी-04 में संवेदक का निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी एक जिला के लिए निर्बंधित होगें, और उनका कार्य क्षेत्र वही जिला का क्षेत्र होगा, और वे उस जिले के अन्तर्गत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम की राशि के लिए अन्य सरकारी विभागों/निगमों में कार्य करने के लिए योग्य माने जायेगे।

(च) 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी-04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे अर्थात् अन्य श्रेणी-1, 2, 3 में निर्बंधित संवेदक 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम के कार्यो की निविदा में भाग नहीं ले सकेगें।

(5) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-05 की उप कंडिका- ''ध'' तथा उप कंडिका-''च'' के बाद क्रमश: उप कंडिका-''छ'' तथा उप कंडिका-''ज'' के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है:-

(छ) इच्छुक व्यक्ति/संवेदक जिस जिला के लिये निबंधन कराना चाहेंगें वे उसी जिला के अन्तर्गत स्थित पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल में निबंधन हेतु विहित आवेदन (निबंधन शुल्क सहित) जमा करेंगे।

(ज) निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट ''कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग..... (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतेय हो।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक प्रा॰–6 नियम–03-04/2002 135 90(S)

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्रा॰–6 नियम–03-04/2002 135 90(S)

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व–साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह॰/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्रा॰–6 नियम–03-04/2002 135 90(S) पटना, दिनांक– 13.12.11

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्रा॰–6 नियम–03-04/2002 135 90(S) पटना, दिनांक– 13.12.11

प्रतिलपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (रा॰उप॰प॰ उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–''क''

स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी में ठीकेदारों के निबंधन/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम उसकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पताः–

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

2. मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता। मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।
3. साझीदारों के नाम, उसकी राष्ट्रीयता
4. श्रेणी जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं।

आवेदक के पावर ऑफ अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति की अभिप्रमाणित फोटो

5. क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज है, अथवा निर्लंबित है या

पूर्व में निलंबित हुआ है अथवा काली सूची में
दर्ज हुआ है।

6. निबंधक शुल्क जमा करने के संबंध में विवरण

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक मूल्य

बैंक का नाम–

(1) ठीकेदार वैसे प्रमंडल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त्त का उल्लंघन निबंधन सूची में नाम हटाने के लिए पर्याप्त होगा।

(2) नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/माता/भाई अथवा बहन।

(3) मै/हमलोग प्रमाणित करता हूँ कि मेरा/हमलोगों का/के नाम ठीकेदार/ठीकेदारों के रुप में विभाग में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है।

तिथि आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपूर्ण सूचनाएँः-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें।

1. पैन कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें।
3. Address Proof
4. बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करें।
5. यदि मुख्तारनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कार्यालय उपयोग के लिए

श्री .....

को स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी/का॰अभि॰–श्रेणी–04 (चार) 7...../ वर्ष/पथ का निबंधन दिनांक.....से .....तक के लिये रुपये .....(डिमांड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....) में किया गया।

उपर्युक्त संवेदक के मुख्तारनामा के संबंध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त संवेदक श्री मेसर्स .....को पावर ऑफ अटार्नी प्रदान किया गया है।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

परिशिष्ट -''ख''

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल .....का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग

स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री .....

पता .....

.....

.....

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

आवेदक के पावर ऑफ अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति का अभिप्रमाणित फोटो

स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी/का॰ अभि॰-श्रेणी-04 (चार) ...../- वर्ष/ पथ में तक के लिए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग..... के अन्तर्गत संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

●●●

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, बिहार, पटना

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-6/नियम-03-04/02 (फोल्डर)-4144(E) पटना, दिनांक-10.07.12

प्रेषक,

बबन राम,

अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग

सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग

सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग

(रा०उ०प० उपभाग सहित)।

विषयः पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1399 (एस) दिनांक-31.01.2008 तथा अधिसूचना ज्ञापांक-13590 (एस) दिनांक-13.12.2011 द्वारा अधिसूचित सरकार के निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1399 (एस) दिनांक-31.01.2008 द्वारा राज्य के अनियोजित/बेरोजगार अभियंता को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने हेतु सरकार के निर्णय को संसूचित किया गया है। जबकि पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-13590 (एस) दिनांक-13.12.2011 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 में संशोधन के साथ स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का उपबंध किया गया है। उक्त दोनों नियमावलियाँ भिन्न-भिन्न है और दोनों एक दूसरे से न तो अच्छादित है और ना ही एक दूसरे से प्रभावित या कुप्रभावित होती है। इसके बावजूद विभिन्न स्तरों से स्पष्टीकरण हेतु परिवाद/आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संकल्प ज्ञापांक-13999(एस) दिनांक-31.01.2008 द्वारा संसूचित अनुदेश केवल अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के निबंधन एवं उनको निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विहित है। नियमावली में यह स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अंचलाधीन गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 प्रतिशत कार्य अनियोजित/बेराजगार अभियंताओं के लिए कर्णाकित किया जाना है और उनके अंचल के लिए निबंधित/सूचीबद्ध अनियोजित अभियंताओं को सीमित निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना है। उसी प्रकार अन्य कार्य विभागों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि के आलोक में उक्त प्रक्रिया अपनाई जानी है। नियमावली में यह भी विहित है कि 20 लाख रुपये तक की सीमा का कार्य इन अनियोजित अभियंताओं को आवंटित किया जाना है और जब अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा कर लेंगे तब उन्हें सामान्य संवेदक की अर्हता प्राप्त हो जायेगी और वे 3.50 करोड़ तक के नियमित कार्य कर सकेगे।

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्य हेतु निबंधित संवेदकों को 25 लाख रुपये तक कार्य आवंटित किया जाना है। इस अनुदेश के आलोक में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के निबंधित संवेदकों को जब 25 लाख रुपये तक कार्य आवंटित किया जाना है तब अनियोजित अभिंताओं को 20 लाख रुपये का कार्य आवंटन किस प्रकार होगा? अतः इसे पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दोनों नियमावलियाँ भिन्न हैं। अनियोजित अभियंताओं को अंचल स्तर पर 15 प्रतिशत कार्य सुरक्षित कर उसके बीच से कार्य का आवंटन सीमित निविदा के आधार पर इन्हे किया जाना है जबकि स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के संवेदकों को सामान्य निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन होना है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त नियमावलियाँ राज्य सरकार के निर्णय से अच्छादित हैं और राज्य के सभी कार्य विभागों के लिए तदनुसार प्रभावी हैं। फलस्वरूप इनका अनुपालन पथ निर्माण विभाग एवं राज्य के अन्य सभी कार्य विभाग/निकायों द्वारा समान रूप से किया जाना है।

अनु:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(बबन राम)
अभियंता प्रमुख

पत्रांक–प्र०–6/नियम–03-04/02 (फोल्डर)–4144(E) पटना, दिनांक–10.07.2012

प्रतिलिपि:– सभी अभियंता प्रमुख, सभी कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(बबन राम)
अभियंता प्रमुख

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–1399 (एस) दिनांक–31.01.2008 द्वारा रु० 20.00 लाख तक का कार्य आरक्षित किये जाने के संदर्भ में अधीक्षण अभियंताओं को चिन्हित कर अनियोजित अभियंताओं के लिए आरक्षित किया जाना है, जिसके अंतर्गत पथ निर्माण विभाग में गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15% एवं अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में 15% कार्य कर्णाकित कर आरक्षित किया जाना है जिसके कारण कतिपय कार्यालयों द्वारा ''स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी–04" के स्वरूप में आने के बाद अनियोजित अभियंताओं के लिए कार्य को आरक्षित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसकी राशि 25.00 लाख से कम है जबकि ''स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी'' एवं ''अनियोजित अभियंता श्रेणी'' दोनों अलग–अलग हैं। पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4144 (ई०) दिनांक–10.07.2012 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। फिर भी उत्पन्न विरोधाभाष को दूर करने के लिए विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक संख्या–1399 (एस) दिनांक–31.01.2008 में निम्नांकित संशोधित किया जाता है।

(i) अनियोजित अभियंताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र– ''क'' एवं प्रपत्र ''ख'' में निबंधन संख्या– अ०प्र०/श्रेणी–3 (तृतीय)../वर्ष पथ'' की जगह पर ''निबंधन संख्या–अ०प्र०/ अनियोजित अभियंता.../वर्ष पथ होगा।''

(ii) कंडिका–3 में ''अधीक्षण अभियंता रु० 20 (बीस) लाख रुपये तक की राशि के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगें'' की जगह ''अधीक्षण अभियंता रु० 25 (पच्चीस) लाख रुपये से ऊपर एवं रु० 50 (पचास) लाख तक के कार्यो को अनियोजित अभियंता के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगें।

(iii) यह निबंधन नियमावली 'अनियोजित अभियंता श्रेणी निबंधन नियमावली' कहलायेगी।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांकः–प्र०–06/नियम–03-04/02(फोल्डर) 6614 (S) पटना दिनांक 16.08.2013

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशानार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांकः–प्र०–06/नियम–03-04/02(फोल्डर) 6614 (S) पटना दिनांक 16.08.2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांकः–प्र०–06/नियम–03-04/02(फोल्डर) 6614 (S) पटना दिनांक 16.08.2013

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०) पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग में स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

●●●

C– SBD/MBD के संबंध में



पटना उच्च न्यायालय

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः कार्य विभागों के लिए स्टैण्डर्ड डॉक्यूमेंट (यथा संलग्न अनुलग्नक-1) को अनुमोदित करते हुए वर्तमान में प्रयुक्त एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रुपये 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए इसे लागू करने के संबंध में।

1. बिहार सरकार के अधीन कार्य विभागों द्वारा किसी भी लागत की परियोजनाओं के लिए कोई Conditions of Contract का Document नहीं है। मात्र एक एकरारनामा प्रपत्र (F2) व्यवहार में लाने का प्रावधान है। उसी एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र में निविदादाताओं/संवेदकों के लिए संक्षिप्त तौर पर General rules and direction for the guidance of the contractors तथा conditions of contract की विवरणी है। समय-समय पर तकनीकी परीक्षण कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के निर्देश पर कई प्रावधान संशोधित/सम्मिलित किए गए हैं। आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों द्वारा इसे supplement करने हेतु special conditions of contract निरूपित करते हुए इसे एफ-2 एकरारनामा के साथ व्यवहार में लाये जा रहे हैं।

2. तकनीकी आधुनीकीकरण, अत्याधुनिक एवं अत्यधिक क्षमता वाले यंत्र-संयत्रों की उपलब्धता, आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमिकता के कारण बड़ी लागत वाली परियोजनाओं के लिए एक मानक Bidding Document की आवश्यकता है जिसमें Condition of contract विस्तार पूर्वक दिया गया हो ताकि अत्याधुनिक तकनीक आधारित यंत्र-संयत्रों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि एक Standard Bidding Document निरूपित करते हुए इसे बड़ी लागत राशि वाली परियोजनाओं हेतु व्यवहार में लाया जाए। इस संबंध में विभागीय संकल्प सं॰-2676 (एस) अनु॰ दिनांक- 15.05.2005, जिसके माध्यम से बिहार लोक निर्माण संहिता के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन/विलोपितीकरण/सन्निहितीकरण किया गया है, में निर्देश था कि संशोधित एकरारनामा प्रारूप तैयार किया जाय तथा वित्त विभाग, विधि विभाग की सहमति प्राप्त कर इसे लागू किया जाय।

3. उपर्युक्त के आलोक में Standard Bidding Document तैयार किया गया है तथा इस पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गई है। उपरोक्त Standard Bidding Document परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में प्रयुक्त एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रुपये 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है।

4. 5 करोड़ की लागत से कम की परियोजनाओं के लिए संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार टू बीड सिस्टम के आधार पर (यथा पहले टेक्निकल बीड तत्पश्चात् Qualify होने पर फाइनेन्सियल बीड के मूल्यांकन के आधार पर) एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र पर ही नियमानुसार अनुमोदित यथाआवश्यक अन्य शर्ते/प्रावधानों के अधीन विभाग द्वारा पूर्ववत् एकरारनामा कराते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनु-यथोक्त

बिहार राज्य पाल के आदेश से

ह॰/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1/बी–12/2003 9545 (S) दिनांकः 12.08.06

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अनु–यथोक्त

ह०/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1/बी–12/2003 9545 (S) दिनांक 12.08.06

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त, बिहार सरकार, को सूचनार्थ समर्पित।

अनु०–यथोक्त

ह०/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–1/बी–12/2003 9545 (S) दिनांकः 12.08.06

प्रतिलिपिः– सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/ गृह (कारा)/ गृह (नागरिक सुरक्षा)/ गृह (विशेष)/गृह (होमगार्ड)/ गृह (अग्नि सेवा)/ गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मतस्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 21. मंत्रीमंडल निगरानी विभाग, 22. मंत्रीमंडल निर्वाचन विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. उर्जा विभाग, 27. उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 33. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. निधि विभाग, 36. खान एवं भुतत्व विभाग, 37. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशानिक सुधार विभाग,

ह०/–
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः Standard Bidding Document के क्लॉज–10 सी॰ एवं क्लॉज–35 में निहित प्रावधानों को 5 (पाँच) करोड़ से नीचे वाले सभी निविदाओं में लागू किए जाने के संबंध में।

1. बिहार सरकार के अधीन कार्य विभागों में संवेदक के द्वारा दिये गये निविदा में सभी कर इत्यादि निहित होता हे एवं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि निविदा देने की तिथि को लागू सभी करों इत्यादि का आकलन करते हुए अपना दर उदृत करें। निविदा देने के उपरांत यदि कर अथवा अधिभार में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी होती है तो उसके सामंजन (adjustment) करने का प्रावधान Standard Bidding Document में निहित है।

2. Standard Bidding Document लागू करने के पूर्व निविदा F-2 Form में होता था। F-2 Form में यह प्रावधान नहीं था कि निविदा देने के उपरांत यदि किन्हीं करों अथवा अधिभार में वृद्धि हो अथवा घटे तो तदनुसार संवेदक के द्वारा सामग्रियों/श्रमिक व्यय पर भुगतेय अतिरिक्त राशि का भुगतान अथवा कटौती किया जा सके। इसी प्रकार यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत कोई नया कर/अधिभार लगाया जाता था तो उसके भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण कर/अधिभार बढ़ जाने अथवा कर/अधिभार घट जाने की स्थिति में संवेदकों को अनायास हानि अथवा मुनाफा होता था।

3. पाँच करोड़ से नीचे की निविदाएं अभी भी F-2 Form के आधार पर की जाती है। यह समुचित है कि यदि कोई नया कर या लेवी निविदा प्राप्ति की तिथि के उपरांत लागू किया जाता है अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत बढ़ाई जाती है अथवा घटायी जाती है तो तदनुसार उसका प्रावधान हो। अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत Standard Bidding document के क्लॉज–10 सी॰ "Payment on Account of increase in Price/wages due to statutory orders (s)" एवं क्लॉज–35 "conditions for Reimbursement of levy/Taxes if levied after receipt of tenders" के प्रावधानों को सभी निविदाओं में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त प्रावधान परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनुः–यथोक्त

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/वी॰–12/2003 4780 (S) पटना, दिनांक 05.04.07

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

CLAUSE 10 C:

If after submission of the tender the price of any material incorporated in the works (not being a material supplied from the Engineer-in Charge's stores in accordance with clause 10 thereof) and/or wages of labour increase as a direct result of the coming into force of any fresh law, or statutory rule or order (but not due to any changes in sales tax) and such increase in the price and/or wages prevailing at the time of the last stipulated date for receipt of the tenders including extensions if any for the work, and the contractor thereupon necessarily and properly pays in respect of that material (incorporated in the works) such increased price and/or in respect of labour engaged on the execution of the work such

increased wages. then the amount of the contract shall accordingly be varied and provided further that any such increase shall not be payable if such increase has become operative after the stipulated date of completion of the work in question.

If after submission of the tender, the price of any material incroporated in the works(not being a material supplied from the Engineer-in Charge's stores in accordance with clause 10 thereof) and/or wages of labour is decreased as a direct result of the comming into force of any law or statutory rules or order (but not due to any changes in sales fax) and such decrease in the prices and/or wages prevailing at the time of receipt of the tender for the work. The government shall in respect of materials incorporated in the works (not being materials supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with clause-10 thereof) and/or labour engaged on the execution of the work after the date of comming into force of such law statutory rule or order be entitled to deduct form the dues of the contractor such amount as shall be equivalent to the different between the prices of the materials and or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for receipt of the tenders including extensions if any for the work and the price of materials and/or wages or labour on the comming into force of such law, statutory rule or order.

The contractor shall, for purpose of this condition, keep such books of account and other documents as are necessary to show the amount of any increase claimed or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of the Government, and further shall, at the request of the Engieer-in-Charge may require any documents, so kept and such other information as the Engineer-in-charge may require.

The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such material and/or wages of labour, give notice there of to the Engineer-in-Charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating there to which he may be in position to supply.

CLAUSE 35

(i) All tendered rates shall be inclusive of all taxes and levies payable under respective statutes. However, pursuant to the Constitution (46th Amendment) Act. 1982, if any further tax or levy is imposed by Statute, after the last stipulated date for the receipt of tender including extensions if any and the contractor thereupon necessarily and properly pay such taxes/levies the contractor shall be reimbursed the amount so paid, provided such payments, if any, is not, in the opinion of the chief Engineer (whose decision shall be final and binding on the contractor) attributable to delay in execution of work within the control of the contractor.

(ii) The contractor shall: keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of the Government and/or the Engineer-in Charge and further shall furnish such other information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to time.

(iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy, pursuant to the Constitution (forty Sixth Amendment) Act. 1982, give a written notice there of to the Engineer-in-Charge that the same is given pursuant to this condition, together with all necessary information relating there to.

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः कार्य विभागों में 2.00 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में Standard Bidding Document को लागू करने के संबंध में।

1. राज्य के सभी कार्य विभागों में पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-9545 (एस) दिनांक 12.08.2006 द्वारा सरकार के नियमानुसार 5.00 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए Standard Bidding Document (S.B.D.) लागू किया गया है। 5.00 करोड़ रुपये से कम की लागत के परियोजनाओं के लिए एफ 2 एकरारनामा प्रपत्र लागू है।

2. Standard Bidding Document राष्ट्रीय मानक का Bidding document है जिसमें conditions of Contract का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है ताकि अत्याधुनिक तकनीक आधारित यंत्र-संयंत्रों से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इन contract conditions के आधार dispute की संभावना कम रहती है तथा संवेदकों को भी कार्य करने में सहुलियत मिलती है। इन contract conditions को 5.00 करोड़ के नीचे के कार्यों पर भी लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत Standard Bidding Document व्यवस्था 2.00 करोड़ से ऊपर के Contract पर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त प्रस्वाव में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, पटना के अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग/विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-6 नियम-02/08 3451(S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-6 नियम-02/08 3451(S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-6 नियम-02/08 3451(S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6 नियम–02/08 3451(S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6 नियम–02/08 3451(S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः Standard Bidding Document में निहित Clause of contract के Clause 1A के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में।

1. राज्य सरकार के निर्णयानुसार पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-9545(S) दिनांक-12.08.06 द्वारा पथ निर्माण के परियोजना हेतु Standard Bldding Document की व्यवस्था लागू है। S.B.D. में निहित Clause of Contract के Clause 1A के अनुसार Security Deposit 8% Running Bills से काटे जाने का प्रावधान है।

2. संवेदकों द्वारा समय-समय पर मांग की जाती रही है कि running Bill से काटे गये Security Deposit को उन्हें Bank guarantee से replace करने की छूट दी जाए। इस मामले में तर्क दिया जाता रहा है कि running bill से काटे जाने वाली Security Deposit की राशि को Defect liability से 28 दिन अधिक तक Valid Bank guarantee within State से replace करने से उनके कार्यशील पूंजी में बढ़ोत्तरी होगी एवं 10% राशि Security Deposit के रूप में जमा भी रहेगा।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा विचार किया गया एवं तदनुसार अनुशंसा सरकार के निर्णयार्थ समर्पित की गई।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त SBD में निहित Clause of Contract के Clause 1A को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

"CLUSE 1A"

The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at 8% (eight percent) from the gross amount of each running bill till full amount of security deposit 10% (ten percent) of agreement value of work (whichever is higher) is reached. If value of work exceeds the agreement value, security deposit (10%) will be recovered for the exceeded work.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contrctor shall Within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money at the time of tenders will be treated a part of the Security Deposit."

If the contractor desires to replace the Security Deposit deducted at the rate of 8% from running bills wholly or partly by a Bank Guarantee, he will make written request for the same and he will be permitted to do so with a valid bank guarantee of any scheduled Bank within the State, valid upto 28 days or more after the defect liability period of the work in question. The Bank Guarantee will be verified by the concerned departmental officer before it is accepted.

5. यह सुविधा सभी कार्य विभागों को प्राप्त होगी।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग की अनुमोदन प्राप्त है।

7. उक्त प्रस्ताव में वित्त/विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगलेअसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक-प्र० 6/निविदा-150/08 11721(S) पटना, दिनांक-08.10.09

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक-प्र० 6/निविदा-150/08 11721(S) पटना, दिनांक-08.10.09

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी आसाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 1000 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक-प्र० 6/निविदा-150/08 11721(S) पटना, दिनांक-08.10.09

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव, सभी विभाग/सभी कार्य विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक-प्र० 6/निविदा-150/08 11721(S) पटना, दिनांक-08.10.09

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०) सभी कार्यपालक अभियंता/सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक-प्र० 6/निविदा-150/08 11721(S) पटना, दिनांक-08.10.09

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

●●●

सं॰सं॰ भवन/अभि॰प्र॰(यो॰)-2 विविध-81/07 3284 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः-05.05.09

विषयः स्टैण्र्डड बिल्डिंग डॉक्यूमेन्ट के आधार पर निविदाओं के तकनीकी-मूल्यांकन के संबंध में।

महाशय,

पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 9545 (एस) पटना दिनांक 12.08.2006 एवं संकल्प संख्या 3451 (एस) दिनांक 12.03.08 द्वारा सभी कार्य विभागों में 2.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का क्रियान्वयन स्टैण्र्डड बीडिंग डॉक्यूमेन्ट के आधार पर किया जाना है।

बिहार लोक निर्माण कार्य संहिता की कंडिका "158 ए'' के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित कर तकनीकि बीड के आधार पर चयनित बैध निविदादाताओं का वित्तीय-बीड खोलकर ही निविदा निष्पादित किया जाना है।

स्टैण्र्डड बीडिंग डॉक्यूमेन्ट की कंडिका 24 (ii) के आलोक में तकनीकि बीड के मूल्यांकन के क्रम में निविदादाताओं से उनके द्वारा समर्पित तकनीकि बीड के बिन्दुओं को clarify or modify करने के लिए तकनीकि बीड के खुलने के 10 दिनों के अंदर अनुरोध किया जा सकता है और निविदादाताओं को clarification letter निर्गत होने के 7 दिनों के अंदर अपना उत्तर देना है।

उर्पुक्त क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न कार्यो की निविदाओं के निष्पादन के क्रम में तकनीकि बीड मुल्यांकन समिति द्वारा अलग अलग मापदण्ड निर्धारित कर मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे आये दिन उच्चस्तर पर विभाग को काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे में सम्यक् विचारोपरान्त स्टैण्र्डड बीडिंग डॉक्यूमेन्ट के आधार पर तकनीकि बीड के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कर ही Responsive/Non responsive Bidder का चयन कर उनका वित्तीय बीड खोला जाना चाहियेः-

(1) सभी निविदादाता को स्टैण्र्डड बीडिंग डक्यूमेन्ट सेक्शन-2 के अनुसार विहित प्रपत्र में सभी जानकारी विधिवत देना चाहिये जिससे कि Instruction Bidder के क्लाउज-4 के आधार पर उनके द्वारा दी गई जानकारी के आलोक में उनके कार्यकलापों का तकनीकी-मुल्यांकन कर उन्हें Responsive/Non responsive निविदादाता घोषित किया जा सके।

(2) सेक्शन-2 में वार्षिक वित्तीय टर्नओभर (सिर्फ सभी प्रकार के असैनिक कार्यो के लिये) चार्टर एकाउण्टेन्ट से सत्यापित होना चाहिए एवं इसके लिए किसी Clarification/modification की मांग अलग से नहीं किया जाना चाहिये।

(3) समान प्रकृति के किये गये कार्य के संबंध में Engineer in-charge जो कि कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर का पदाधिकारी नहीं होगें, का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। गैर सरकारी कार्य के संबंध में कार्य का मूल्यांकन सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/राष्ट्रीयकृत बीमा निगम/आयकर विभाग द्वारा निबन्धित valuer के द्वारा मूल्यांकित किया गया होना चाहिए। गैर सरकारी भवनों की पूर्णता के संबंध में यह आवश्यक होगा कि भवन का 50% से ज्यादा क्षेत्र एक माह से अधिक की अवधि से आवासित या उपयोग में है एवं यह प्रमाण पत्र भी ऊपर वर्णित पदाधिकारी का होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यकता अनुरूप Clarification की माँग की जा सकती है।

(4) Existing Commitments and on going work के संबंध में निविदादाताओं को सेक्शन–2 के क्लाउज (1.4) में दिये गये प्रपत्र में जानकारी आवश्य दिया जाना चाहिये एवं आवश्यकता होने पर इसका Clarification भी माँगा जा सकता है।

(5) Intruction Bidder (ITB) के क्लाउज–4.2 के अनुरूप क्रेडिट सुविधा से संबंधित बैंक प्रमाण पत्र तथा कार्य में लगाये जाने वाली राशि से संबंधित अन्डरटेकिंग से संबंधित प्रमाण पत्र सभी निविदादाताओं को बीड कागजात के सेक्शन–2 में दिया जाना चाहिये एवं यह कार्य विशेष, जिससे निविदा संबंधित है, के लिये होना चाहिये। इस संबंध में कोई clarification/modification की माँग अलग से नहीं की जानी चाहिये।

(6) I.T.B. के क्लाउज–4.5 (बी) के अनुरूप सभी निविदादाताओं को सेक्शन–2 की कंडिका 1.5 एवं 1.6 के प्रपत्र में Contract Equipment & Key personnel के संबंध में आवश्यक जानकारी देना चाहिये एवं इस संबंध में किसी प्रकार के Clarification की माँग नहीं की जानी चाहिये।

(7) सभी निविदादाता को बीड डक्यूमेन्ट सेक्शन–2 में अपना Affidavit देना आवश्यक है एवं यह निविदा तिथि के बाद की तिथि में होना चाहिये। इस संबंध में किसी Clarification की माँग नहीं की जानी चाहिये।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय एवं इस कारण से अगर स्टैण्डर्ड बिल्डिंग डक्यूमेन्ट के प्रावधानों में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होती है तो इसे मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ए०डी०बी०) द्वारा ऋण पोषित राज्य उच्च पथों के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली, प्रलेख (International Competitive Bidding Document) लागू किये जाने के संबंध में।

राज्य के कार्य विभागों के अधीन वर्तमान में एफ 2 एकरारनामा प्रपत्र तथा 5 करोड़ से अधिक की परियोजना हेतु (Standard Bidding Document (S.B.D) लागू है। यह S.B.D. स्थानीय स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर के संवदेकों के प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने हेतु लागू है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु कोई Bidding Document राज्य के कार्य विभागों के अधीन नहीं है। Bihar State Highways Development Programme-II and III (BSHDP-II & III) के अन्तर्गत लगभग 1400 कि०मी० नवघोषित राज्य उच्च पथ का विकास कार्य Asian Development Bank (A.D.B.) द्वारा ऋण सम्पोषित योजना के तहत् क्रियान्वित किया जाना है। BSHDP-II & III के विकास हेतु A.D.B. के मिशन द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

2. Asian Development Bank (A.D.B.) द्वारा ऋण निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली International Competitive Bidding (I.C.B.) आमंत्रित की जानी है जो (I.C.B.) Document पर आधारित है (I.C.B.) Document Federation International Des-Ingenieurs Conseils (FIDIC) यानी International Federation of Consulting Engineer द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर निर्मित मानक प्रलेख (Standard Document) है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रलेख को होना अनिवार्य है क्योंकि I.C.B. में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संवदेक के भाग लेने की संभावना होगी।

4. संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार कार्यो के लिए टू-विड सिस्टम से निविदा प्राप्त किया जाना है। (I.C.B.) के अन्तर्गत भी टू-विड सिस्टम के अनुसार कार्यो के लिए निविदा प्राप्त की जायेगी (यथा पहले टेक्नीकल विड, तत्पश्चात् Qualify होने पर फाईनेन्सियल विड के मूल्यांकन के आधार पर)। एकरारनामा I.C.B. में निर्धारित प्रपत्र पर कराते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में International Competitive Bidding Document (I.C.B.) तैयार किया गया है तथा इस पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है। उक्त संबंधित International Competitive Bidding Document परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में प्रयुक्त एफ 2 एकरारनामा प्रपत्र तथा Standard Bidding Document के बदले इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है।

6. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-6/द०बि०-नियम-03-01/07(खण्ड-1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर, बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-01/07(खण्ड–1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-01/07(खण्ड–1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-01/07(खण्ड–1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि– सरकार के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग/माध्यमिक प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/कृषि/कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग/पथ निर्माण विभाग/गृह (आरक्षी)/गृह (कारा)/ गृह (अग्निरक्षा सेवा)/ गृह (सैनिक कारा..... निदेशालय) विभाग/श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/उद्योग विभाग/ईख विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जल संसाधन विभाग/चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/आवास विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग/मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग/राजभाषा विभाग/निबंधन विभाग/नागरिक विमानन विभाग/ऊजा विभाग/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग/वित्त/राष्ट्रीय (बचत)विभाग/वित्त (वाणिज्य–कर) विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/विधि विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/संसदीय कार्य विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/योजना एवं विकास विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/परिवहन विभाग/नगर विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पर्यटन विभाग/लघु सिंचाई विभाग/कल्याण विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-01/07(खण्ड–1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-01/07(खण्ड–1) 2202(S) पटना, दिनांक 18.02.08

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०) सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सथी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र०–6/नियम–02/2010-8131 (S) (नि०) पटना, दिनांक 24.07.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत

सचिव,

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना।

जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना।

निगरानी विभाग, बिहार पटना।

लधु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

ऊर्जा विभाग, बिहार पटना।

विषयः Standard Bidding Document आधारित निविदाओं में Joint Venture के रूप में भाग लेने हेतु Joint Venture की शर्तो के उपबंध के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Document के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका–4.4 में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवेदको द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है। किन्तु Joint Venture के लिए Criteria एवं Guideline का उपबंध नही होने के कारण इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है।

तदनुसार सम्यक् विचारोपरान्त एवं सरकार के अनुमोदनोपरांत Standard Bidding Document में Joint Venture के लिए सामान्य Criteria एवं Guideline तथा Format for joint venture agreement का प्रावधान निम्नवत् किया जाता है:–

Criteria for Joint venture participating in the bids for procurement of civil works.

1. Bids from joint venture are only allowed for the works having estimated cost more than 10.00 cr. Bids submitted by a joint venture (JV) of not more than a total of three firms as partners shall comply with the following requirements:-

1.1 There shall be a Joint Venture Agreement (Refer Annexure-1) specific for the contact package between the consituent firms, indicating clearly, amongst other things, the proposed distribution of responsibilities both financial as well as technical for execution of the work amongst them. For the purpose of this clause, the most experienced lead partner will be the one defined. A copy of the Joint Venture agreement in accordance with requirements mentioned in Annexure-1 shall be necessarily submitted with the bid.

1.1.1 Alternatively, a letter of intent to execute a JV in the event of successful bid shall be signed by all partners of JV and submitted with the bid together with a copy of

the proposed agreement, Pursuant to the foregoing, the JV shall include among other things, the joint venture's objectives, the proposed management structure, the contribution of each partner to joint venture operation, the commitment of the partners to joint and several liability for due performance, recourse/sanctions within the joint venture in the even of default or withdrawal of any partner and arrangements for providing the required indermnities.

1.1.2 The JV so formed shall also have to be registered with the concerned department after issue of LOA but before the agreement.

1.2 The bid, and in the case of the successful bidder, the form of agreement, etc, shall be signed and/or executed in such a manner as may be required for making it legally binding on all partners (including operative parts of the ensuring contract in respect of Agreement of Arbitration, etc). On award of work, the Form Agreement and Contract Documents shall be signed by all partners of the Joint Venture of conclude Contract Agreement.

1.3 Lead partner shall be nominated as being partner-in-charge, and this authorization shall be evidenced by submitted a power of attorney signed by the legally authorized signatories of all the partners.

1.4 The partner-in-charge shall be authorized to incur liabilities and to receive instruction for and on behalf of the partners of the Joint Venture, Whether jointly or severally and entire execution of the Contract (including payment) shall be carried out exclusively through the partner-in-charge, A copy of the said authorization shall be funished with the bid.

1.5 All partners of the Joint Venture shall be liable and severally for the execution of contract in accordance with contract terms, and a relevant statement to the effect shall be included in the authorization mentioned under sub clause (1.3) above as well as in the Form of tender and the Form of Agreement (in case of a successful bidder).

1.6 In the event of default, all the partners of the Joint Venture will retain the full and undivided responsibility for the performance of their obligations under the contract and/or for satisfactory completion of the works.

1.7 The bid submitted shall include all the relevant information as required under the provisions of sub-cluase 4.5 of ITB and furnished separately for each partner. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure-II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

1.8 The bank guarantee/other suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer.

2. Each partner of the JV must produce:

2.1 The Permanent account number (PAN) of Income Tax

2.2 An affidavit though 1st class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect, and

2.3 Such other certificates as defined in the Appendix to ITB. Failure to produce the certificates shall make the bid non-responsive.

3. Each bidder must demonstrate:-

3.1 Availability for construction work, either owned, or on lease or on hire, of the key equipment stated in the Appendix to ITB including equipments required for establishing

field laboratory to perform mandatory test, and those states in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure-II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less then the requirement.

3.2 Availability for construction work of technical personnel as stated in the Appendix to ITB. the requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure / of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.3 The Joint Venture must satisfy collectively the criteria laid down in para 3.1 & 3.2 above.

3.4 Liquid assets and/or credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may be made under the Contract, of not less than the amount specified in the Appendix to ITB.

3.5 The bidder must not have in his employment.

3.5.1 The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of persons. The bidder must produce an affidavit stating that the near relations of the following departmental officers are not in his employment: JE/AE/EE/SE/CE/E-in-C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

3.5.2 Without Government permission, any person who retired as gazetted officer within the last two years of the rank and from the departments. The bidder must produce an affidavit stating the names of retired gazetted officer (if any) in his employment who retired within the last two years with the following ranks from the departments listed below:

JE/AE/EE/SE/CE/E-in C & Devisional Accountant of any works department of Bihar State in cases there is no such person in his employment, his affidavit should clearly state this fact.

4. To quality for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contract.

5. if bidder is Joint Venture, the partners would be limited to three (including lead partner). Joint venture firm shall jointly and severally responsible for completion of the project. Joint Venture must fulfil the following minimum qualification requirement.

5.1 The lead partner shall meet not less than 50% (fifty percent) of qualification criteria given in sub-clause 4.2, 4.5A, 4.5B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.2 Each of the remaining partners shall meet not less than 25% (Twenty five percent) of all the qualifying criteria given in sub-clause 4.2, 4.5A, 4.5B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.3 However in case one of the joint ventures partner is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10% of the value of contract.

5.4 The joint venture must also collectively satisfy the subject of the criteria of clause 4.2, 4.5A, 4.5B, 4.7 & 4.8 of ITB for this purpose the relevant figures for each of the partners shall be 100% or more.

5.5 In the event that the Employer has caused to disqualify under clause 4.8 of ITB and the constitutions stated below all of the Joint Venture partners will be disqualified.

5.6 Joint Venture applicants shall provide a certified copy of the Joint Venture Agreement in demonstration of the partners undertaking joint and several liabilities for the performance of any contract entered into with the bid.

5.7 The available bid capacity of the JV as required under clause 4.7 of ITB below will be applied for each partner to the extent of his proposed participation in the execution of the work. The total bid capacity available shall be more than estimated contract value.

The available bid capacity will be calculated as under

Assessed Available Bid capacity=(A*N*M-B)

Where

A= Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N= Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited.

M= 3

B= Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note:— The statements showing the value of existing commitments and ongoing works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersinged by the Engineer in Charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.

6. Sub-Contractor's (duly authorized) experience and resources shall be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. The sub contractor's role may be verified by the employer.

7. Qualification of a Joint' Venture does not necessarily qualify any of its partners individually or as a partner to any other jont venture. In case of dissolution of a joint venture, each one of the constituent firms may qualify if they meet all the qualification requirements subject to the written approval of the Employer.

8. The rescining of contract of joint venture on account of reasons other than non-performance, such as most experienced partner of joint venture pulling out, court direction leading to breaking up of a joint venture before the start of work, which are not attributable to the poor performance of the contractor will, however, not affect the qualification of the individual partners.

विश्वासभाजन,

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–6/नियम–02/2010-8131 (S) (नि०) / पटना दिनांक 24.7.12

प्रतिलिपि:- सभी अभियंता प्रमुख, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता सभी कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव।

Annexure-1

Format for Joint Venture Agreement

If the application is made by a joint venture of two or more firms (limited to three firms), the evidence of clear mandate (i.e., in the form of respective Board Resolution duly authenticated by competent authoritiy) by such two or more firms willing to form Joint Venture among themselves for the specified projects should accompany duly recognizing their respective authorised signatories signing for and on behalf of the respective Firms for the purpose of forming the Joint Venture. A certified copy of power of attorney to the authorized representatives. signed by legally authorized signatories of the all the firms of the joint venture shall accompany the application. The JV agreement shall be signed by the authorized representative of the Joint Venture. The JV Agreement shall need to be submitted consisting but not limited to the following provision:—

a. Name, style and project (s) specific JV with head Office address,
b. Extent (or equity) of participation of each party in the JV,
c. Commitment of each party to furnish the Bond money (i.e., Bid Security performance security and security for Mobilisation Advance in proportion to his participation in the JV.
d. Responsibility of each partner of JV (in terms of Physical and Financial involvement)
e. Working capital arrangement of JV
f. Operation of separate bank account in the name of JV to be operated by at least one foreign partner and one local partner. In case of JV among local partners, all the partners are required to operate,
g. Provision for cure in case of non-performance of responsibility by any party of the JV,
h. Provision the NEITHER party of the JV shall be allowed to sign, pledge, sell or otherwise dispose all or part of its respective interests in JV to any party including existing partner (s) of the JV The Employer derives right for any consequent action (including blacklisting) against any or all JV partners in case of any breach in this regard.
i. Management structure of JV with details.
j. Lead partner to be identified who shall be empowered by the JV to incur liabilities on behalf of JV,
k. Parties/firms committing themselves to the Employer for jointly and severally responsible for the intended works.
l. The power of Attorney shall be duly notarized,
m. Any relevant detail.

●●●

पत्रांक–भवन/बजट–45–विविध–150/2012-13-3462 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता

सभी अधीक्षण अभियंता

मुख्य वास्तुविद

सभी कार्यपालक अभियंता

भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक–25.03.2014

विषयः रुपये 50.00 करोड़ से अधिक के बीड डॉक्युमेंट एवं ई–कोटेशन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय उच्चस्तरीय समिति द्वारा रुपये 50.00 (पचास) करोड़ से अधिक की लागत की योजनाओं की निविदा हेतु तैयार किये गये बीड डाक्युमेंट एवं ई–कोटेशन के माध्यम से कोटेशन आर्मंत्रित करने की प्रक्रिया के क्रम में योग्य संवेदकों के चयन में हो रही कठिनाईयों तथा अनुभवयुक्त संवेदकों के चयन नहीं होने के कारणों की समीक्षा के पश्चात् बीड डाक्युमेंट एवं ई–कोटेशन के लिये निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किया जाता है:–

1. एस॰बी॰डी॰ की कंडिका–4.5 बी के प्रावधानों के अनुसार समान प्रकृति के कार्य अनुभव के लिये निविदा आमंत्रण एवं तकनीकी मूल्यांकन हेतु रूपये 50.00 (पचास) करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं के लिए सी॰भी॰सी॰ के दिशा–निर्देश के आलोक में समान प्रकृति के एक पूर्ण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि निविदा की राशि का 80 प्रतिशत, दो पूर्ण कार्य जिसकी अलग–अलग प्राक्कलित राशि निविदा की राशि का 60 प्रतिशत एवं तीन पूर्ण कार्य जिसकी अलग–अलग प्राक्कलित राशि निविदा की राशि का 40 प्रतिशत हो मान्य होगा। यह कार्य विगत् पाँच वर्षो के अन्तर्गत भारतीय प्रक्षेत्र में किया गया होना चाहिये।

2. गैर अनुसूचित सामग्रियों/कार्य मदों के लिए रुपये 10.00 लाख की राशि से अधिक की राशि का कोटेशन ई–कोटेशन के माध्यम से आर्मंत्रित किया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर

आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–3462 (भ) पटना, दिनांक–25 मार्च, 2014

प्रतिलिपिः– सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3462 (भ) पटना, दिनांक–25 मार्च, 2014

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक–1/स्था॰–10/2013-363 त॰प॰को॰

बिहार सरकार

निगरानी विभाग,

तकनीकी परीक्षण कोषांग,

बैरक सं॰–3, मुख्य सचिवालय, पटना।

प्रेषक,

अजय नायक,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/

प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक:–11.04.2013

विषयः निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग ने निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति से संबंधित विषयक मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक: 30.03.1982 की कंडिका–14 जो कि ''बिल ऑफ क्वांटिटी मे वर्णित राशि से 15 प्रतिशत से कम की निविदा दर आमान्य होगी। इस शर्त्त को निविदा/कोटेशन की नोटिस में स्पष्ट करना आवश्यक होगा'' एवं पत्रांक–2347 दिनांक: 31.12.1983 की कंडिका–6(ग) के संशोधन पर विचार किया जाय।

उक्त के आलोक में निगरानी विभाग के पत्रांक 246 दिनांक: 11.03.2013 से सभी कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों की एक बैठक दिनांक: 21.03.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। आयोजित बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि:–

(क) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक: 30.3.1982 की कंडिका–14 तथा पत्रांक 2347 दिनांक: 31.12.1983 की कंडिका'– 6(ग) को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में विलोपित किया जाय।

(ख) वर्त्तमान में अनुसूचित दर प्रकाशन एवं कार्य विभागों को नोडल विभाग पथ निर्माण विभाग है। अत: निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा कितनी हो इस संबंध में पथ निर्माण विभाग अपने स्तर से सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करे। निगरानी विभाग के स्तर पर संबंधित विषयक, जो प्रस्ताव एवं मंतव्य प्राप्त हुए हैं उन्हें निगरानी विभाग के स्तर से पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(ग) यह भी निर्णय लिया गया कि ओभर हेड चार्ज की विषमताओं एवं अनुसूचित दर की विषमताओं के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के स्तर से कार्रवाई की जाय।

अत: वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कंडिका– ''क'' के निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक: 30.03.1982 की कंडिका–14 तथा पत्रांक 2347 दिनांक: 31.12.1983 की कंडिका–6(ग)

को विलोपित किया जाता है। उपरोक्त कंडिका– ''ख'' एवं ''ग'' के संबंध में पथ निर्माण विभाग के स्तर से अग्रतर कार्रवाई किया जाना है।

अनुरोध है कि इसकी सूचना अपने अधिनस्थ सभी निगम/बोर्ड/निदेशालय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अजय नायक)

प्रधान सचिव।

●●●

निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संदर्भ में दिनांकः 06.11.2013 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः-

बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थितिः- परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न।

2. बैठक की कार्यवाहीः-

निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारण के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में विकास आयुक्त, बिहार एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग की उपस्थिति में कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों की बैठक सम्पन्न हुयी।

बैठक में सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि इस विषय पर एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापन में है।

बैठक में गहन विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि तत्काल पथ निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य कार्य विभागों में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा 10% (दस प्रतिशत) रखी जाए, चुँकि पथ निर्माण विभाग में जिस प्रकार overhead Charges अनुमान्य हैं उस प्रकार शेष कार्य विभागों में नहीं है।

इस निर्णय के उपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हो गयी।

ह०/-
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-1006 /पटना, दिनांकः 18.11.2013

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त, बिहार/प्रधान सचिव/सचिव, सभी कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-6/दि०बि० नियम-03-08/06 (अंश)-1260(S) पटना, दिनांक-13.02.14

प्रेषक,

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः ₹ 200 लाख (दो सौ लाख) से कम की निविदाओं में न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंगः आपका पत्रांक-62 (भ०) दिनांक 03.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेख करना है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-9049 (एस) दिनांक 26.11.2013 की कंडिका-5.1 SBD पर आधारित वैसे कार्यो के लिए है जिसकी निविदा Percentage rate (प्रतिशत दर) पर प्राप्त की जाती है तथा जिसके परिमाण विपत्र की राशि ₹ 200 लाख (दो सौ लाख) एवं उससे अधिक होती है।

चूँकि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9049 (एस) दिनांक 26.11.2013 की कंडिका-5.1 का प्रावधान ₹ 200 (दो सौ लाख) से कम की निविदाओं पर लागू नहीं है।

अतः उक्त प्रावधान ₹ 200 लाख (दो सौ लाख) से कम परिमाण विपत्र की निविदाओं के निष्पादन में न्यूनतम निविदित दर की अधिसीमा विभागीय सामाग्रियों को छोड़कर 15% कम तक होगी। विभागीय सामग्रियों की स्थिति में इसकी गणना मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक-2347 दिनांक 11.12.1983 की कंडिका-6 'ग' में दिये गये सूत्र (formula) के अनुसार निम्नवत होगीः-

न्यूनतम प्रतिशत जिससे कम दर मान्य नहीं होगा -

$$\frac{\text{'क'} - \text{'ख'}}{\text{'क'}} \times 15$$

जहाँ 'क' = कार्य की पूरी राशि

'ख' = सरकारी सामग्री की राशि

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

●●●

पत्रांक-भवन/अभि०प्र०(यो०)-07-विविध-63/2010-5465(भ) पटना, दिनांक- 07.06.2011

अभियंता प्रमुख का कार्यलय

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

गोपल कृष्ण,

अभियंता प्रमुख,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

सभी अधीक्षण अभियंता,

सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

विषयः S.B.D. के कतिपय प्रावधानों के Clarification के संबंध में।

पत्रांकः पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-3376 दि०-17.08.2010 एवं 3407 दि०-18.03.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पथ निर्माण विभाग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत S.B.D. के कतिपय प्रावधानों के Clarification के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग में उपयोग होने लायक कंडिका का भी Clarification भवन निर्माण विभाग में निम्नरूप में लागू करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये है:-

(1.1) Price Adjustment

एस०बी०डी० के अन्तर्गत प्राप्त निविदा के एकरारनामा जिसकी कार्यावधि 18 महीने से कम है अर्थात उन पर एस०बी०डी० का Clause 10CA ही लागू रहेगा।

ज्ञात हो कि एस०बी०डी० के Cluse 10CA (VIII) के अनुसार भी कान्ट्रैक्ट में एक साथ 10CA एवं 10CC लागू करने में मनाही है।

(1.2) B.O.Q में अद्यतन दरों का समादेश

कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा तैयार कराये जा रहे परिमाण विपत्र में अद्यतन सामाग्री एवं मजदूरी के दर सम्मिलित नहीं रहते।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र तैयार करते समय अथवा अनुमोदित करते समय अद्यतन सामग्री दर तथा अद्यतन श्रम दर का समावेश करेंगे। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ऐसे में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि की बढ़ोत्तरी होने पर तत्काल संबंधित प्रशासी विभाग को अवगत कराते हुए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करते हुए अनुरोध किया जाय या पुनरीक्षण की आवश्यकता हो तो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य सम्पन्न कराया जाय।

(1.3) Serious Unbalanced Rate Additional Performance guarantee लेना

S.B.D. के Clause 27.4 में इस बात का उल्लेख है कि विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन की तुलना में, अगर कोई संवेदक अपना निविदत्त दर कम कर उद्धत करता है तो उससे लिखित रूप में मद का विस्तृत दर विश्लेषण प्राप्त किया जाय कि वे इस कार्य को कैसे सम्पादित करायेगें तथा उक्त असंतुलित दर के लिए संवेदक से अतिरिक्त Performance guarantee की मांग की जाय।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि निम्नांकित तरीके से Additional Performance guarantee लिया जाय।

(i) परिमाण विपत्र के दर से 0% से 5% कम दर उद्धत करने वाले निविदा के लिए 0.25%-Additional Performance guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली जाय।

(ii) परिमाण विपत्र के दर से 5% से 10% कम दर उद्धत करने वाले निविदा के लिए 0.5%-Additional Performance guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली जाय।

(iii) परिमाण विपत्र के दर से 10% से 15% कम दर उद्धत करने वाले निविदा के लिए 1.0%-Additional Performance guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली जाय।

उदाहरण स्वरूपः-

(1) 3% कम उद्धत दर के लिए Additional Performance guarantee 3*0.25=0.75%

(2) 7% कम उद्धत दर के लिए Additional Performance guarantee 5*0.25+2*0.5=2.25%

(3) 13% कम उद्धत दर के लिए Additional Performance guarantee 5*0.25+5*0.5+ 3*1.0=6.75%

(1.4) परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि प्राप्त करना

निविदा आमंत्रण सूचना में संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने एवं अपलोड करने तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा खोलने की तिथि एवं समय स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित करते हुए तीनों के बीच एक-एक दिन का अंतराल रखा जाय। संवेदको द्वारा निविदा अपलोड करने की तिथि तक परिमाण विपत्र के मूल्य एवं अग्रधन की राशि देय होगा एवं इसे संबंधित कार्यालयों में निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा किया जायेगा। इसका उल्लेख निविदा आमंत्रण सूचना में किया जायेगा।

(1.5) Unconditional Bank Guarantee प्राप्त करना।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संवेदक द्वारा जो बेंक गारंटी समर्पित की जाती है वह एस०बी०डी० के विहित प्रपत्र के अनुरूप नहीं होकर उसमें बैंक द्वारा कुछ Modification या सशर्त्त बना दिया जाता है।

समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह का सशर्त्त (Conditional) बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाय।

(1.6) G-Appendix To ITB

यह प्रायः देखा जाता है कि एस०बी०डी० का G-Appendix To ITB में दिये गये Clause के अनुसार खाली जगहों को बिना भरे बेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप संवेदकों के कार्य की सही-सही जानकारी नहीं मिल पाती है।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता G-Appendix To ITB को संबंधित कार्यपालक अभियंता से सहयोग से भरेंगें।

उपर्युक्त (1.1) से (1.7) तक के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव के अनुमोदन के पश्चात् प्रसारित करने का निर्णय बैठक में लिया गया है।

(1.7) एस०बी०डी० की कंडिका संख्या 4.8 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त प्रस्तावों में सचिव, भवन निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(गोपाल कृष्णा)

अभियंता प्रमुख,

भवन निर्माण विभाग, पटना

●●●

पत्रांक–भवन/मु०अ०(भ)–यो० विविध–08-399/08-10725(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गोपाल प्रसाद,

मुख्य अभियंता (दक्षिण)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

भवन प्रमंडल, गया।

पटना, दिनांक–12.12.08

विषयः न्युट्रलाईजेशन लागू करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1334 अनु० दिनांक–23.07.08 के क्रम में कहना है कि कार्यो में सीमेंट एवं स्टील के वर्त्तमान में बढ़े दर पर कैसे भुगतान होगा। इस भ्रांति के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–5633 दिनांक–17.08.08 (संलग्न) द्वारा स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि बढ़े दर पर भुगतान संवेदकों के चालू विपत्र से ही किया जाना है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(गोपाल प्रसाद)

मुख्य अभियंता (द०)

ज्ञापांक–10725(भ) दिनांक–12.12.08

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(गोपाल प्रसाद)

मुख्य अभियंता (द०)

●●●

ज्ञापांक-भवन/मु०अभि०(द०)यो०-विविध-8-143/08-5633(भ) दिनांक-17 जुलाई, 2008

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः F2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में Cement/Steel price Neutralization को लागू किये जाने के संबंध में।

वर्त्तमान में भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से स्वीकृत भवन निर्माण की काफी छोटी-बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है या किया जाना है। भवन निर्माण कार्य में सिमेंट एवं स्टील सबसे महत्पूर्ण एवं प्रमुख सामग्री/अवयव है। भवन निर्माण की योजनाओं सीमेंट एवं स्टील का मूल्य क्षेत्रों में भूकम्प क्षेत्रों में भूकम्परोधी मकानों की अवधारणा को निरूपण में शामिल करने पर इसमें अतिरिक्त पाँच से दस प्रतिशत की वृद्धि संभावित रहती है।

विगत महीनों में सीमेंट एवं स्टील के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मूल निर्माण के कार्यो पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप कार्यो की प्रगति निरन्तर अवरूद्ध होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार यदि निर्माण कार्य, बढ़े हुए सीमेंट, स्टील एवं अन्य सामग्रियों के दर पर पुनः निविदा करेगी तो इससे सरकार को समय तथा अधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।

2. एफ-2 एकरारनामा के तहत वर्त्तमान स्थिति में बिना Cement/Steel Price Neutralization के अगर संवेदक कार्य करेगा तो उक्त सामग्रियों की पुनर्निविदा कर अवशेष कार्य कराये जाने में अतिरिक्त समय लगने के साथ-साथ लागत राशि में भी काफी वृद्धि होगी।

3. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अब वर्त्तमान में चल रहें अथवा भविष्य में किये जाने वाले एफ-2 Contract Document के तहत कार्यो के लिये Cement/Steel के दर में बढ़ोतरी/घटोतरी के Neutralization का सामंजन Cement/Steel के लिये राजस्तरीय दर निर्धारण समिति के अनुमोदित दर के अन्तर राशि के रूप में इसका सामंजन किया जायेगा।

Cement/Steel के दर में बढ़ोत्तरी/घटोतरी के Neutralization का सामंजन Standard Bidding Document के Clause 10CA/10CC में निम्न प्रकार निरूपित है:-

Adjustment for cement component:

(i) price adjustment for increase or decrease in the cost of cement procured by the contractor shall be paid in accordance with the following formula:-

v0= 0.85xpo/100xRx(C1-C1) C0

v0= increase or decrease in the cost of work during the month under consideration due to changes in rates for cement.

R= value of the work.

C0= The all India wholesale price index for cement on 28 days preceding the date of opening of bids as published by the Ministry of Industrial Development Government of India, New Delhi.

C1= The all India average wholesale price index for cement for the month under consideration as published by the Ministry of Industrial Development, Government of India, New Delhi.

P0= Percentage of cement component of the work.

Adjustment for steel component:

(i) Price adjustment for increase or decrease in the cost of steel procured by the contractor shall be paid in accordance with the following formula:-

V_s= 0.85xPs/100xRx(S_1-S_0) S0

V_s= increase or decrease in the cost of work during the month under consideration due to changes in rates for steel.

S_0= The all India wholesale price index for steel (Bars & Rods) on 25 days preceding the date of opening of Bids as published by the ministry of Industrial Development, Government of India, New Delhi.

S1= The all India average wholesale price index for steel (Bars & Rods) for the month under consideration as published by the Ministry of Industrial Development, Government of India, New Delhi.

Ps= Percentage of steel component of the work.

Note: For the application of this clause, Index of Bars and Rods has been chosen to represent steel group.

4. वैसे मूल निर्माण कार्य, जिनके लिये पूर्व प्रावधान के अनुसार एफ–2 एकरारनामा पर निविदा प्राप्त कर लिये गये है और निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया में है अथवा निविदा अनुमोदित है अथवा एफ–2 एकरारनामा आधारित कार्य प्रगति पर है, के लिए निर्णयानुसार कार्य से संबंधित संवेदक से दावा (Claim) प्राप्त होने पर Cement/Steel के दर में बढ़ोत्तरी का Neutralization उक्त उपबंधि सिद्धांत के अनुसार विचार किया जायगा। परन्तु उक्त फॉर्मूला के आधार पर गणना में व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा Cement/Steel का निर्धारित पुनरीक्षित दर तथा निविदा की प्राप्ति की तिथि को लागू Base दर के अन्तर राशि के रूप में अनुमान्य होगा। Cement/Steel का अन्तर राशि चालू एकरारनामा के अंतर्गत सिर्फ कार्य मद की शेष–मात्रा के लिये देय होगा, जो कि दर बढ़ोतरी की तिथि के पश्चात् कराया जायेगा।

5. उक्त प्रावधान उन्हीं एकरारनामा पर लागू होगा जो समय–सीमा के अंतर्गत चल रहा हो अथवा जिनके लिए समयवृद्धि सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो। स्थल अनुपलब्धता अथवा वैधानिक अवरोध के कारण विलम्ब से प्रारंभ किये जाने वाले कार्य में सक्षम पदाधिकारी द्वारा ग्रसारित अवधि के दौरान सम्पादित कार्य के लिये भी यह अनुमान्य होगा।

6. उक्त प्रावधान मात्र Cement/Steel पर ही लागू होगा।

7. यह आदेश राज्य निधि से कराये जा रहे कार्यो पर ही लागू रहेगा।

8. उपर्युक्त निर्णय में वित्त विभाग/विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र असाधारण अंकों में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

●●●

D– निविदा आमंत्रण/निष्पादन के संबंध में ।



प्रेमचन्द रंगशाला, पटना

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

विषयः कार्य विभागों में निविदा के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग-1 के नियम 291A में संशोधनों के संबंध में।

बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता भाग-1, के विभिन्न कंडिकाओं में संशोधन/विलोपन/सन्निहितीकरण के संबंध में संकल्प सं०-01/बी०-12-03-2676 (एस) अनु० दिनांक- 15.05.2005 एवं पुनः ज्ञापांक-01/बी०-12/2003 5762 (एस) दिनांक 05.06.06 द्वारा संशोधन किये गये उपरोक्त संशोधन के बाद निविदाओं के निष्पादन के संबंध में नियम 2911 निम्न प्रकार हैः-

Rule 291A:"The department tender committee under the chairmanship of the secretary of the departments with the Engineer in Chief and Chief Engineer of the concerned zone and internal financial advisor of the departments as the members shall be vested with the powers to decide all tenders for which power has not been given to any other authority in this code.

The departmental tender committee can decide tender upto 10% above the BOQ Cost. Tenders of more than 10% above the BOQ Cost will be accepted only with the concurrence of Finance Department."

2. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि किसी निविदा में न्यूनतम निविदित राशि बी०ओ०क्यू की राशि से 10 प्रतिशत अधिक हो तो संचिका के माध्यम से वित्त विभाग से परामर्श लेनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप निविदा निष्पादन में कुछ विलम्ब होता है। साथ ही वित्त विभाग के द्वारा परामर्श देने के पूर्व कई जानकारियों की अपेक्षा की जाती है। जिसके फलस्वरूप संचिका के आदान-प्रदान में विलम्ब होता है, राज्य के द्वारा महत्वाकांक्षी पथ उन्नयन/निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें त्वरित निर्णय प्रणाली आवश्यक है।

3. दिनांक-10.10.2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विकास आयुक्त, आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, वित्त आयुक्त एवं अपर वित्त आयुक्त उपस्थित थे। समिति के उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निविदाओं के त्वरित निष्पादन हेतु न्यूनतम निविदित राशि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे निविदाओं के त्वरित निष्पादन हेतु एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जाय। यह प्राधिकृत समिति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी एवं वित्त आयुक्त, आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित कार्य विभाग के आयुक्त/सचिव इसके सदस्य होंगे।

अतः उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-1/बी०-12/2003 5762 (एस०) दिनांक 05.06.06 में संशोधन करते हुए निविदा निष्पादन से संबंधित नियम 2911 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गयाः-

"The department tender committee under the chairmanship of the Secretary of the departments with the Engineer in Chief and Chief Engineer of the concerned zone and internal financial advisor of the department as the members shall be vested with the powers to decide all tenders for which powers has not been given to any other authority in this code. the departmental tender committee can decide tender upto 10% above the BOQ Cost. tenders of more than 10% above the BOQ Cost will be accepted only with the concurrence of an Empowered Committee Constituted under the chairmanship of Development Commissioner with the Finance Commissioner, Commissioner cum Secretary Planning and development Departments, and Commissioner/secretary of the concerned works department as the members."

5. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/-
(बी० के० वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/वि०-12/2003 पार्ट-12180 (S) दिनांक-30.10.06

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/वि०-12/2003 पार्ट-12180 (S) दिनांक-30.10.06

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/वि०-12/2003 पार्ट-12180 (S) दिनांक-30.10.06

प्रतिलिपिः- विकास सचिव आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

॥ संकल्प ॥

विषयः निविदाओं के मूल्यांकन तथा निर्णय के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1/वि०/12/2003(पार्टी)-12180 (एस) 31.10.2006 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 291ए में संशोधन करते हुए यह निर्णय संसूचित किया गया था कि परिणाम विपत्र से 10 प्रतिशत अधिक तक की निविदा राशि पर निर्णय लेने के लिए विभागीय निविदा समिति सक्षम होगी एवं उससे अधिक होने पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय निविदा समिति कार्य आवंटन के लिए सक्षम होगी।

2. कार्य मदों का अनुसूचित दर (Schedule of Rates) पुराना रहने पर अनुसूचित दर तथा बाजार दर में अत्यधिक अंतर हो जाने एवं करों में बढ़ोतरी, निर्धारित खनन स्थल से Stone Aggregate की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण Lead में बढ़ोतरी, इत्यादि के कारण प्राप्त निविदा तथा परिमाण विपत्र में अंतर बहुधा 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्त निविदा के मूल्यांकन हेतु नीति निर्णय के अनुसार अनुसूचित दरों के निर्धारण की प्रणाली को बदलते हुए मंत्रिमंडल निगरानी (तकनीकि परीक्षक कोषांग) विभाग के बदले अब पथ निर्माण विभाग के ही संयोजन में अनुसूचित दरों का निर्धारण Mort & H. भारत सरकार के डाटा बुक के आधार पर किया जाना है। अब यह अपेक्षा की जाती है कि अनुसूचित दर प्रत्येक तिमाही अद्यतन की जा सकेगी।

3. अतः निविदाओं के त्वरित मूल्यांकन एवं निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं:-

(i) विभाग द्वारा यथा संभव प्रत्येक तिमाही अनुसूचित दर (Schedule of Rate) अद्यतन कर लिया जायेगा।

(ii) यदि निविदा प्राप्त करने की तिथि तथा अनुसूचित दर निर्धारण की तिथि में 3 माह से अधिक का अंतर हो तो निविदा का मूल्यांकन निविदा प्राप्त होने की तिथि की परिस्थिति, उस दिन प्रचलित बाजार दर तथा उस तिथि को लागू कर प्रावधानों को शामिल करते हुए किया जाय।

(iii) उपरोक्त नीति के अनुरूप वर्तमान में लम्बित निविदाओं सहित सभी निविदाओं का मूल्यांकन कर निर्णय लेने के लिए लोक निर्माण संहिता के नियम 291ए के संशोधित प्रावधानों के अनुसार परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत से अधिक राशि के निविदाओं पर निर्णय हेतु प्राधिकृत समिति अधिकृत होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आयुक्त एवं सचिव, वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820(5) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, 1. वित विभाग, 2. माध्यमिक प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/गृह (कारा)/गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष)/गृह (होम गार्ड)/गृह (अग्नि रक्षा सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग, 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग, 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 21. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, 22. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. उर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित (वाणिज्यकर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 33. सांस्थिक वित एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. खान एवं भू-तत्व विभाग, 37. अल्प संख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग मुख्यालय स्थिति सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-/द०वि-निविदा-06-11/06-12820 (S) पटना, दिनांक 17.11.06

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः राज्य सरकार में ई-क्रय (E-procurement) प्रणाली लागू करने के सबंध में।

वस्तुओं एवं सेवाओं का सरकारी क्रय खुली निविदा के माध्यम से करना सामान्यतः अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से मानक गुणवत्ता की वस्तु अथवा सेवा औचित्यपूर्ण दर पर क्रय कर Value for money सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान में पारम्परिक निविदा प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी क्रय के लिए निविदा जमा करना, निविदा का मूल्यांकन करना आदि का कार्य manually किया जाता है। निविदा में भाग लेने, निविदा अभिलेख निर्गत करने एवं चयन के सम्बन्ध में पक्षपात, धमकी, मूल्य संगठन कर आदि कतिपय शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इसके अतिरिक्त निविदा निष्पादन में विलम्ब, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, पारदर्शिता का अभाव आदि की समस्या रहती है और सरकार की छवि धूमिल होने की आंशका बनी रहती है।

2. इन समस्याओं के निदान के लिए ई-क्रय प्रणाली अपनायी जा रही है। राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-goverrance Plan) के अंतर्गत भी ई-क्रय एक mission mode project है।

3. ई-क्रय प्रणाली के लाभों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में भी ई-क्रय प्रणाली अपनायी जाय।

4. आरम्भ में ई-क्रय प्रणाली को कुछ विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, सूचना प्रावैधिकी, बेलट्रॉन में 25 लाख से अधिक लागत के मामलों में पायलट के तौर पर शुरू किया जायेगा। इसके पश्चात् अन्य विभागों में इसे लागू किया जायेगा।

5. ई-क्रय प्रणाली से धीरे-धीरे सभी विभाग आच्छादित होंगें और आरंभ से उच्च स्तरीय समन्वय एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अतः इसके समुचित अनुश्रवण एवं विस्तृत दिशानिर्देशों के लिये एक उच्च स्तरीय ई-क्रय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति निम्न रूप से गठित की जाती है:-

(1) मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	उपाध्यक्ष
(3) प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
(4) प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(5) प्रधान सचिव/सचिव, लोक॰स्वा॰अभि॰ विभाग	सदस्य
(6) प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग	सदस्य
(7) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(8) प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
(9) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	सदस्य

6. इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेलट्रॉन की होगी। वे ई-क्रय प्रणाली में कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन, कार्यान्वयन का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा कर इसको लागू करने में विभागों को तकनीकी सहयोग देंगे।

7. ई-क्रय प्रणाली के अन्तर्गत सेवा शुल्क इस प्रकार होगा:-

70 लाख रुपये लागत तक की निविदा 1000/- रुपये प्रति निविदादाता 70 लाख से 3 करोड़ तक के लागत की निविदा 5000/- रुपये प्रति निविदादाता 3 करोड़ से अधिक लागत की निविदा 15000/- रूपये प्रति निविदादाता

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित विभाग।

ज्ञापांक–5188 वि०वि० /पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव, वित विभाग।

ज्ञापांक–5188 वि०वि० /पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः माननीय उप मुख्य (वित) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव, वित विभाग।

ज्ञापांक–5188 वि०वि० /पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त के सचिव/निबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, निर्वाचन विभाग/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव बिहार विधान सभा/सचिव बिहार विधान परिषद्/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव, वित विभाग।

ज्ञापांक–5188 वि०वि० /पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/–

प्रधान सचिव, वित विभाग।

ज्ञापांक–5188 वि०वि० /पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों (प्रशाखा पदा० सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक–5188 वि०वि० / पटना, दिनांक 15.06.09

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो (2) हार्ड कॉपी के साथ आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 250 (दो सौ पचास) प्रतियां वित्त (प्रशाखा–4) विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह०/–

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग

●●●

Government of Bihar

Road Construction Department

Letter No.-Sec 6tender-(E-Proc)-95/2008 10360(s) Dated: 19.09.2009

From,

Pratyaya Amrit,

Secretary.

To,

The Managing Director,

Bihar State Electronics Development Corporation,

Bihar, Patna.

Sub: Role and responsibilities (including limitations) of departmental officers for use of PKI (digital signature) regarding E-tendering.

Ref: This office letter no. 10064(s) we, dt. 11.09.2009

Sir,

In continuation to above mentioned letter, the roles, responsibilities and limitations of departmental officers for use of PKI (digital signature) regarding E-tendering have been fixed as below:

1.	Executive Engineer-	1. Send (through E-mail/CD) the tender documents (including NIT, SBD/ other condition, BOQ and other documents, if any to Superintending Engineer for its approval. hard copy may also be submitted. 2. Open the technical bid on fixed date and time. 3. After opening of technical bid by the designated authorities, authorising the cost of BOQ and EMD (after comparing the scanned copy with original DD for BOQ cost and Earnest money). 4. To download the comparative statement of tehcnilcal bid, check the documents, put comments and send to SE. 5. Open the financial bid on fixed date and time.
2.	Superintending Engineer	1. After approving the tender document including BOQ, create, upload and authorise it for sale. 2. Issue Corrigendum etc. if any. 3. Open the technical bid on fixed date and time. 4. Download the comparative statement of technical bid as sent by EE, check and put comment on it, if any and send it to CE for approval. 5. Open the financial bid on fixed date and time. 6. Approve the financial bid costing less than Rs. 70.00 Lakh and communicate to concerned. (In case of single bid, seek the approval of Chief Engineer and then Approve the rate.
3.	Chief Engineer	1. Open the technical bid on fixed date and time. 2. Download the comparative statements of technical bid as sent by SE and approve/disqualify (with reason)

		3. Open the financial bid on fixed date and time
		4. Download the comparative statement and approve the financial bid of work costing less than 3.5 crore and communicate to concerned. (In case of single tender, seek the approval of Engineer-in-chief- and then approve the rate.)
		5. Download the comparative statement of financial bid (work costing more than Rs. 3.50 crore) and send to Eng-in-Chief for approval.
		6. Communicate the approvals of financial bid of tender committee to concerned.
4.	Engineer-in-chief-cum-Additional commissioner-cum-Special Secretary	1. See the status of tender. 2. To approve the single tender costing less than 3.50 crore.
5.	Secretary	1. See the status of tender.

Use ID, Password and PKI may kindly be issued as per above.

Thanking you.

Your's Faithfully,
Sd/-
(Pratyaya Amrit)

ज्ञापांक–10360(S) दिनांक 18.09.2009

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता केन्द्रीय निरूपण संगठन/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/सचिव (प्रा)/विशेष पदाधिकारी (यां) एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/प्रशाखा सं०–6 एवं 8, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)

●●●

पत्रांकः-परि०/भवन/07/2012-3525 (नि०) दिनांक 11.06.2012

बिहार सरकार

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना-1

प्रेषक,

नवीन कुमार,

मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार कराने के विषय में।

महाशय,

निविदा के उचित प्रसार एवं निविदाकर्त्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा लाने हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार-पत्रों में नियमानुसार होना आवश्यक है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 के भाग-2 के अधीन निम्नांकित निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(क) कंडिका-3 में निर्देश है जिला गजट एवं समाचार पत्रों को स्पष्ट रूप से लिखा जायगा कि किस तिथि तक वे विज्ञाप्ति निकालें और उसके बाद न छापें। उक्त तिथि निविदा/कोटेशन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिये, परन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि का बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर लोक निर्माण विभागीय संहिता की कंडिका-159 में अंकित है कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी 10 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये, किन्तु इस अवधि को अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति से कम किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन एवं निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बीच में कम-से-कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उक्त कमतर अवधि) का अंतर रखा जाना है। अतः गजट/समाचार पत्रों को निविदा प्रकाशन के लिये भेजा जाय तो निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये और यह तिथि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से कम से कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उतने दिन) पूर्व होना चाहिये। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिये कि प्रकाशन की तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा का प्रकाशन नहीं किया जाय।

(ख) कंडिका-4 में निर्देश है कि यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को बढ़ाना पड़े जिसमें एक कारण निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित तिथि तक नहीं होना भी हो सकता है, तो इसकी भी सूचना उस समाचार में प्रकाशित किया जाय जिसमें मूल निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो अथवा होने वाली हो। इस सूचना प्रकाशन के लिये भी उप-कंडिका-(क) के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जाय।

(ग) कंडिका-5 में निर्देश है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उपर्युक्त कंडिका-3 एवं 4 को ध्यान में रखकर विज्ञप्ति प्रकाशित करवायेंगे। यदि कंडिका-3 के आलोक में निर्धारित तिथि तक विज्ञापन छपने की संभावना नहीं हो तो उसकी सूचना, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विज्ञापनकर्त्ता को तुरंत भेजेंगे ताकि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि को निविदा नहीं खोलेंगे और निविदा तिथि को बढ़ाने हेतु विज्ञापित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रकाशनार्थ भेजेंगे।

देखा गया है कि अनेक मामलों में विज्ञापन प्रकाशन संबंधी उपुर्यक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन ही हो रहा है। इसका मूल कारण है कि निविदा जारी करने वाले कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति समयानुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नहीं भेजी जाती। निविदा विज्ञप्ति का समुचित रूप से प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए।

(क) निविदा जारी करनेवाला कार्यालय निविदा विज्ञप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निविदा प्रकाशन के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त करा दें।

(ख) यदि निर्धारित तिथि पर विज्ञाप्ति प्रकाशित नहीं होने की सम्भावना संबंधी सूचना सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त होती है तो निविदा जारी करने वाले कार्यालय द्वारा तुरंत निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने हेतु विज्ञाप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजा जाना चाहिये और ध्यान रखा जाना चाहिये कि ये अनुरोध सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से कम से कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त हो जाए।

आप सभी से अनुरोध है कि भविष्य में निविदा के प्रकाशन हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(नवीन कुमार)

मुख्य सचिव।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र॰6/द॰वि॰ नियम–03-02/2004-11960 (S) पटना, दिनांक 12.11.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत

सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

प॰नि॰वि॰ (रा॰उ॰प॰ उपभाग सहित)

सभी अधीक्षण अभियंता,

प॰नि॰वि॰ (रा॰उ॰प॰ अंचल सहित)

सभी कार्यपालक अभियंता,

प॰नि॰वि॰ (रा॰उ॰प॰ प्रमंडल सहित)

विषयः पथ कार्य के निविदा शर्त में संशोधन के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक– 4919 (एस) अनु॰ दिनांक 13.05.2006 में यथा प्रवधानित निविदा कार्य हेतु चरित्र प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि निविदा हेतु विभागीय पत्रांक–680 (एस) दिनांक 23.01.2006 द्वारा निविदा शर्तो का निर्धारण किया गया है। निविदा शर्तों में व्यक्तिगत/पार्टनरशीप फर्म एवं प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के निविदाकारों को उनके सभी पार्टनर/शेयर होल्डर सहित के लिए अन्य शर्तों साथ चरित्र प्रमाण–पत्र भी संलग्न किये जाने का प्रावधान किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक–4919 (एस) दिनांक 13.05.2006 द्वारा व्यक्तिगत निविदाकार के अलावे पार्टनरशिप फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में केवल मैनेजिंग पार्टनर/प्रबंध निदेशक का अद्यतन चरत्रि प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9545 (एस) दिनांक–12.08.2006 द्वारा 5 (पाँच) करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए State SBD लागू किया गया है। पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3451 (एस) दिनांक 12.03.2008 द्वारा 5 (पाँच) करोड़ की सीमा को कम करते हुए 2 (दो) करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में SBD लागू किया गया है।

State SBD के प्रावधानों में चरित्र प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं है परन्तु NIT एवं Eligibility criteria for receiving tender के विशेष शर्त में निविदा के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करने का निर्देश है। इस संबंध में यह देखा जा रहा है कि निविदाकारों का चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण निविदाकार ससमय निविदाएं Down Load नहीं कर पाते हैं।

अतः कार्यहित में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार सभी प्रकार के निविदाओं में निविदाकारों के लिए चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किये जाने की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

यह आदेश वर्तमान निविदाओं जिसका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है पर भी लागू होगा तदनुसार उक्त विभागीय पत्र संख्या–4919 एस अनु॰ दिनांक–13.05.2006 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

पत्रांक–प्र॰ 6/द॰वि॰ नियम–03-02/2004-11960 (S) पटना, दिनांक: 12.11.12

प्रतिलिपि:– सभी प्रधान सचिव/सचिव निगरानी विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

●●●

पत्रांक 1/स्था॰–10/2013-363 त॰प॰को॰

बिहार सरकार

निगरानी विभाग

तकनीकी परीक्षक कोषांग, बैरेक सं॰–3,

मुख्य सचिवालय, पटना।

प्रेषक,

अजय नायक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक 11.04.2013

विषयः निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग ने निगरानी विभाग से अनुरोध किया था कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति से संबंधित विषयक मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका–14 जो कि ''बिल ऑफ क्वान्टिटी में वर्णित राशि से 15 प्रतिशत से कम निविदा दर अमान्य होगी। इस शर्त्त को निविदा/कोटेशन की नोटिस में स्पष्ट करना आवश्यक होगा'' एवं पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ग) के संशोधन पर विचार किया जाय।

उक्त के आलोक में निगरानी विभाग के पत्रांक 246 दिनांक 11.03.2013 से सभी कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों की एक बैठक दिनांक 21.03.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। आयोजित बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था किः–

(क) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका 14 तथा पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ग) को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में विलोपित किया जाय।

(ख) वर्त्तमान में अनुसूचित दर प्रकाशन एवं कार्य विभागों का नोडल विभाग (पथ निर्माण विभाग) है। अतः निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा कितनी हो इस संबंध में पथ निर्माण विभाग अपने स्तर से सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करें। निगरानी विभाग के स्तर पर संबंधित विषयक, जो प्रस्ताव एवं मंतव्य प्राप्त हुए है उन्हें निगरानी विभाग के स्तर से पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(ग) यह भी निर्णय लिया गया कि ओभर हेड चार्जो की विषमताओं एवं अनुसूचित दर की विषमताओं के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के स्तर से कार्रवाई की जाय।

अतः वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कंडिका–''क'' के निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका–14 तथा पंत्रांक 2347 दिनांक–31.12.1983 की कंडिका–6 (ग) को विलोपित किया जाता है। उपरोक्त कंडिका–''ख'' एवं ''ग'' के संबंध में पथ निर्माण विभाग के स्तर से अग्रतर कार्रवाई किया जाना है।

अनुरोध है कि इसकी सूचना अपने अधिनस्थ सभी निगम/बोर्ड निदेशालय एवं अन्य संबंधिति पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय।

विश्वासभाजन
ह॰/–
(अजय नायक)
प्रधान सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 के बाद 159 (क) तथा 159(ख) का प्रावधान के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग के संकल्प सह पठित ज्ञापांक–5762 (एस) दिनांक 05.06.2006 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 में आंशिक संशोधन करते हुए रु० 1,00,000/- से अधिक राशि वाले कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र/इंटरनेट पर आवश्यक किया गया।

2. योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में छोटे–छोटे कार्य एवं योजनाओं की संख्या अत्यधिक रहने के कारण निविदा प्रकाशन एवं तत्क्रम में स्थानीय प्रक्रियाओं का अनुपालन दुष्कर होने के कारण इस विभाग के कार्यो हेतु निविदा प्रक्रिया को सरल बनाने की अवश्यकता महसूस की गयी।

3. वित विभाग के संकल्प संख्या–एम०–04-11/09-5188 वि(2) दिनांक 15.06.09 द्वारा राज्य में रु० 25.0 लाख रुपये से अधिक की निविदायें ई–क्रय प्रणाली से प्राप्त किये जाने के निर्णय से पारदर्शिता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तथा निविदाओं के निष्पादन में सामना किये जाने वाली परेशानियों में कमी हुई।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 में दो उपकंडिकाओं क्रमशः 159 (क) एवं 159 (ख) का प्रावधान निम्न रूप से किया जाता है–

नियम–159 (क)

(i) योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य जिसकी लागत राशि रु० 7.5 लाख (सात लाख पचास हजार) मात्र से रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र के बीच का है, के लिए ही निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र पर आवश्यक होगा तथा रु० 7.5 लाख (सात लाख पचास हजार) मात्र से कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार–पत्र/इंटरनेट में निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। रु० 7.5 लाख (सात लाख पचास हजार) से कम लागत की योजनाओं के लिये स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य धाराओं तथा निविदा स्वीकृति के लिए बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(ii) उक्त प्रावधान के अधीन किसी एक निविदादाता को एक समय में अधिकतम तीन योजनाएं या योजनाएं जिनकी कुल लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये से अधिक न हो की सीमा तक की योजनाएं के लिए कार्य आवंटित की जा सकेगी।

नियम–159 (ख)

सभी कार्य विभागों (योजना एवं विकास विभाग सहित) से संबंधित वैसे सभी कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 10.00 (दस लाख) से अधिक है, के निविदा की प्राप्ति एवं निष्पादन E-Procurement विधि से आवश्यक होगा।

ह०/–
प्रत्यय अमृत

ज्ञापांक–प्र०6/1वी/12/2003-6831 (S) पटना, दिनांक 26.08.2013

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियां पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/1वी/12/2003-6831 (S) पटना, दिनांक 26.08.2013

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रत्यय अमृत
सचिव

ज्ञापांक–प्र०6/1वी/12/2003-6831 (S) पटना, दिनांक 26.08.2013

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेट/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग को विभागीय website पर upload करने हेतु/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रत्यय अमृत,
सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः- प्र॰6/द॰बि॰नियम-03-08/2006 (अंश) दिनांकः-

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत

सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

विभागाध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त।

विषयः SBD आधारित कार्यों में निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में।

प्रसंगः तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक-1/स्था॰-10/2013-363 त॰प॰को॰ दिनांक-11.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि Standard Bidding Document के दिशा निर्देश Section-3 की कंडिका-12A में प्रावधान है कि Percentage rate tender विधि में प्रतिशत में उदृत दर 15 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में Bid को रद्द किया जाएगा।

2. उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक-462 दिनांक-30.03.1982 के अनुलग्नक भाग-1, कंडिका-14 में निम्न प्रावधान अंकित है।

"Bill of Quantity में वर्णित राशि से 15 प्रतिशत से कम की निविदा दर अमान्य होगी। इस शर्त्त को निविदा/Quotation के नोटिस में स्पष्ट करना होगा।''

3. इसी प्रकार मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक-2347 दिनांक-31.12.1983 की कंडिका-6 (ग) में निम्न प्रावधान हैः-

''अब से न्यूनतम 15 प्रतिशत को विभागीय समानों को छोड़कर गणना किया जाए। जिसे नीचे वर्णित formula के अनुसार जो गणना आती है उससे कम की राशि अमान्य मानी जाएगी। इसका स्पष्ट उल्लेख गणना कर Notice में किया जाएगा।''

न्यूनतम प्रतिशत जिससे कम दर मान्य नहीं होगा।

$$= \frac{(\text{क} - \text{ख})}{\text{क}} \times 15$$

जहाँ ''क'' कार्य की पूरी राशि

''ख'' विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली सामग्रियों की राशि।

4. निगरानी विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के प्रावधान को विलोपित किया गया है तथा निविदित दर की अधिसीमा निर्धारित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अग्रतर कार्रवाई किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः-

5.1 SBD आधारित कार्यो के लिए प्रतिशत दर (In percentage rate tender) पद्धति में निविदित दर 10 प्रतिशत से कम रहने पर पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-12180 (एस) दिनांक-30.10.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुरूप निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से concurrence प्राप्त कर किया जाएगा। विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली सामग्रियों के मामले में उक्त कंडिका-2 में अंकित विधि से प्रतिशत का आकलन किया जाएगा।

5.2 उक्त प्रावधान सभी विभागों में समान रूप से लागू माना जाएगा।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञपांक–प्र०6/द०बि०नियम–03-08/2006 (अंश) 9049(S) we दिनांकः– 26.11.13

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग) पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञपांक–प्र०6/द०बि०नियम–03-08/2006 (अंश) 9049(S) we दिनांकः– 26.11.13

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को Soft copy की प्रति के साथ विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

●●●

पत्रांक-भवन/अभि०प्र०(यो०)-02-विविध-06/07-13047 (भ)/भ०नि०वि०

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

किशोर रंजन सिन्हा,

अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग।

सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग।

सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक: 28.12.07

विषयः निविदा से संबंधित शर्त्तों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में नये प्रावैधिक प्रावधानों तथा संशोधित लोक निर्माण कार्य संहिता के आलोक में निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधान/संशोधन किये जाते हैं:-

1. 40.00 लाख रु० से ऊपर की सभी निविदा में दो बीड सिस्टम लागू होगा।

2. तकनीकी बीड का मूल्यांकन संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र जो निविदा कागजात के साथ संलग्न रहेगा के आधार पर किया जायेगा। (प्रपत्र संलग्न)

3. तकनीकी बीड में उत्तीर्ण होने के लिए 40.00 लाख रु० से 2.00 करोड़ तक के कार्य के लिए कम से कम 50 अंक और 2.00 करोड़ रु० से अधिक के लिए 60 अंक प्राप्त करना होगा।

4. भवन के लागत मूल्य के आधार पर कार्य समाप्ति पर कार्य समाप्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी:-

(i) 40.00 लाख रु० तक के भवनों के लिए- 06 माह

(ii) 40.00 लाख रु० से ऊपर एवं 70.00 लाख रु० तक के भवनों के लिए- 09 माह

(iii) 70.00 लाख रु० से ऊपर एवं 2.00 करोड़ रु० तक भवनों के लिए- 12 महीना

(iv) 2.00 करोड़ रु० से ऊपर एवं 3.5 करोड़ रु० तक के भवनों के लिए-18 महीना

(v) यदि इकरारनामें के बाद निरूपण में संशोधन के फलस्वरूप छड़ों के व्यास में परिवर्तन हो जाता है और उन छड़ों का दर सीड्युल ऑफ रेट में है तो इकरारनामें में दिए गए मात्रा का भुगतान किया जा सकता है।

(vi) निविदा के साथ संवेदकों के द्वारा संलग्न किये जाने वाले अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों के सभी पन्नों पर संबंधित संवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए।

(vii) अग्रधन का स्पष्ट सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक होगा जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता का मंतव्य अंकित रहेगा।

(viii) डिफेक्ट लाइबिलीटी पिरियड मूल प्रकृति के लिए 03 वर्ष और विशेष मरम्मति के लिए एक वर्ष का होगा।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होने पर यह डिफेक्ट लाइबिलीटी सरकार द्वारा ही नहीं लागू करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

उपर्युक्त सभी कंडिकायें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायगी। सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के साथ इन शर्त्तों को संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:–प्रपत्र।

विश्वासभाजन

ह०/–
(के० आर० सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सत–विशेष सचिव, भ० नि०
वि०, पटना।

ज्ञापांक:– 13047 (भ) पटना, दिनांक: 28.12.07

प्रतिलिपि:– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भ० नि०
वि०, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03-08/2006 (अंश)–2046(S)/ पटना, दिनांक–06.03.14

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत

सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लघु एवं सिंचाई विभाग/नगर विकास विभाग।

विषयः निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक–1/स्था०–10/2013-363 त०प०को० दिनांक–11.04.2013 द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक–2347 दिनांक–31.12.1983 की कंडिका–6 (ग) को विलोपित किया गया तथा निविदित दर की अधिसीमा निर्धारित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अग्रेतर कार्रवाई किया जाना था।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–9049 (एस) अनु० दिनांक–26.11.2013 द्वारा SBD आधारित कार्यो के लिए प्रतिशत दर निविदा (Percentage rate tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम रहने पर निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से अनुमोदन (Concurrence) प्राप्त कर निविदा निष्पादन का निर्णय लिया गया था।

3. परिमाण विपत्र की राशि से निविदित दर 10 प्रतिशत के कम रहने पर निविदाओं के निष्पादन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयाँ एवं निविदा की प्रक्रिया सभी कार्य विभागों में समरूप रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः समीक्षा की गई।

4. समीक्षोपरांत प्रतिशत दर (inpercentage rate tender) पद्धिति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उदृत रहने वाली निविदाएं अमान्य मानी जायेगी।

4.1 उक्त प्रावधान सभी कार्य विभागों में समान रूप से लागू माना जायेगा।

5. विभागीय पत्रांक–9049 (एस) दिनांक–26.11.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)

●●●

पत्रांक संख्याः-भवन/मु०अभि० (द०) यो०विविध-8-256/13-4538 (भ०) अनु० दिनांक 29.04.2014

बिहार सरकार,

भवन निर्माण विभाग,

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

सभी अधीक्षण अभियंता,

सभी कार्यपालक अभियंता,

निदेशक अनुश्रवण,

भवन निर्माण, बिहार, पटना।

विषयः Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से Bid-Processing Fee के भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः B.S.E.D.C. LTD के पत्रांक-2923/14 दिनांक 31.03.2014 एवं भवन निर्माण विभाग का पत्रांक Adv P1-1-102/2010-4882 (भ), पटना दिनांक 22.06.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक निदेश के आलोक में कहना है कि निविदा कागजात के लिए संवेदक द्वारा परिणाम विपत्र का मूल्य एवं बेल्ट्रान को देय Bid-Processing Charge+Service Tax की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए निर्णय लिया गया है कि Bid-Processing Charge + Service Tax का भुगतान संवेदक Internet Payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Interenet Banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid-Processing Fee Account में Credit करेंगे।

अन्य भुगतान पूर्व की भाँति प्राप्त की जायेगी।

अतएव निदेश दिया जाता है कि ई-निविदा आमंत्रण सूचना में तद्नुसार आवश्यक संशोधन करें।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

28.04.2014

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

●●●

E– योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में ।



पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्पलेक्स, पटना

प्रस्तावना

बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका–103 के संशोधन के आलोक में बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सह पठित ज्ञापांक– 1/बी–12-2003-5762 (एस) डब्लू ई० पटना दिनांक–05.06.2006 की कंडिका 2 (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित दर, दर विश्लेषण तथा सामग्रियों का दर निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी क्रम में यह प्रावधान किया गया है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य विभागों में इससे संबंधित भारत सरकार के कार्य विभागों में प्रचलित विशिष्टयों या दर विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा। वर्तमान में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सदस्य इस प्रकार है–

(i)	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	संयोजक
(ii)	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य, बिहार, पटना	सदस्य
(iii)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(iv)	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(v)	अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियंता (असैनिक), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि०, पटना	सदस्य
(vii)	अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(viii)	परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(ix)	मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	सदस्य

बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 103 में संशोधन के आलोक में MORT&H DATA BOOK एवं Software पर आधारित पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए अनुसूचित दर का

प्रथम संस्करण	–	05.12.2006
द्वितीय संस्करण	–	23.05.2007
तृतीय संस्करण	–	24.03.2008
चतुर्थ संस्करण	–	01.04.2009
पंचम संस्करण	–	01.04.2010
षष्ठम् संस्करण	–	01.05.2011
सप्तम् संस्करण	–	02.07.2012
अष्टम् संस्करण	–	01.04.2013

से लागू किया गया था। समिति द्वारा पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए दिनांक–23.05.2007 से प्रभावी अनुसूचित दर पुस्त (दर विश्लेषण सहित)– द्वितीय संस्करण में आवश्यक संशोधन एवं पुनरीक्षण के पश्चात् इसके तृतीय संस्करण एवं तृतीय संस्करण में आवश्यक संशोधन एवं पुनरीक्षण इसके चतुर्थ संस्करण का अनुमोदन किया गया था। समिति द्वारा पंचम संस्करण में आवश्यक संशोधन एवं पुनरीक्षण के पश्चात् इसके षष्ठम् संस्करण का अनुमोदन किया गया था। समिति द्वारा षष्ठम् संस्करण में आवश्यक संशोधन एवं पुनरीक्षण के पश्चात् इसके सप्तम् संस्करण प्रकाशित हुआ था। समिति द्वारा सप्तम् संस्करण में आवश्यक संशोध न एवं पुनरीक्षण के पश्चात् इसके अष्टम् संस्करण दिनांक–01.04.2013 से प्रकाशित हुआ।

नवम् संस्करण के प्रकाशित करने के लिए राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक– 14.03.2014 को आमंत्रित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य भाग लिये :–

(i)	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	संयोजक
(ii)	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य

(iii)	अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(iv)	अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(v)	परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(vii)	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(viii)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
(ix)	मुख्य अभियंता (असैनिक), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, पटना	सदस्य

दिनांक- 14.0.3.2014 के बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा कुछ संशोधन के साथ अनुसूचित दर पुस्तिका को दिनांक-01.04.2014 से प्रकाशित करने में अपनी सहमति दी (बैठक की कार्यवाही संलग्न)

इस पुस्तिका के प्रकाशन के पश्चात भी समय-समय पर निर्माण सामग्री यथा बिटुमेन, सीमेंट, स्टील इत्यादि की दरों में आयी घटोत्तरी-बढ़ोत्तरी को देखते हुए लगभग तीन माह पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति की बैठक होती है जिसमें उनके दर को अद्यतन किया जाता है। इसके साथ ही साथ विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रस्तावों के आधार पर समुचित निर्णय लिये जाते हैं जिन्हें विभागीय वेबसाइट www. rcd.bih.nic/in पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

अत: इस पुस्तिका का उपयोग करने वाले सभी पदाधिकारियो, व्यक्तियो, संस्थाओं, निगमों से अनुरोध है कि समय-समय पर विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

बिहार लोक निर्माण की कंडिका 103 के संशोधन के पश्चात् MORT&H Data Book एवं Software एवं पर आधारित अनुसूचित दर का यह नवम् संस्करण है। यद्यपि यह सभी सदस्यों के देख-रेख में तैयार किया गया है, फिर भी ऐसी संभावना है कि इस अनुसूचित दर को तैयार करने में कुछ त्रुटियाँ रह गई हो और व्यवहार में लाने के क्रम में कुछ त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हो सकती है, ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि उन त्रुटियों को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को जानकारी में E-mail ID-sorrcd2012@gmail.com / पत्र / दूरभाष-0612 2545514 द्वारा अथवा मोबाईल नं०-9431115443 पर या व्यक्तिगत रूप से अविलम्ब दी जाय ताकि सम्यक विचारोपरान्त उन त्रुटियों का समुचित निराकरण किया जा सके।

चूँकि यह दर विश्लेषण सड़क निर्माण के उच्च एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित है। अत: Users को परामर्श दिया जाता है कि उनके द्वारा संबंधित कार्य मद का दर विश्लेषण एवं विशिष्टि का गहन अध्ययन अवश्य किया जाय।

वर्तमान अनुसूचित दर को तैयार करने तथा उसे प्रभावी बनाने में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य अत्यन्त ही सराहनीय रहा है :-

1. ई० आनन्द किशोर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. ई० सुनील कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
3. ई० सविता सिन्हा कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
4. श्रीमति रूबी रानी, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
5. ई० नलिन विलोचन, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
6. ई० बिरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
7. ई० शिवरत्न प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
8. ई० सुशील कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
9. ई० नन्द किशोर प्रसाद, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
10. ई० राघवेन्द्र प्रसाद लाल, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
11. ई० शिवदानी कुमार, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
12. ई० प्रियंका कुमारी, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
13. ई० शंकर दयाल, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
14. ई० रणधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।

15. ई॰ प्रमोद कुमार, कनीय अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
16. ई॰ निरंजन कुमार, कनीय अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
17. ई॰ ललित प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
18. ई॰ संध्या रानी, कनीय अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
19. ई॰ अशोक कुमार, कनीय अभियंता, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
20. श्री मो॰ कमालउद्दीन अशरफ, सहायक, मुख्यालय निरुपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री देव नारायण प्रसाद, यांत्रिक उपभाग के अधीक्षण अभियंता श्री अशोक कुमार अधीक्षण अभियंता श्री अशोक कुमार रंजन एवं कार्यपालक अभियंता श्री अवध बिहार सिंह, श्री श्रीनिवास कुमार, कार्यपालक अभियंता के प्रति आभार व्यक्त करता है जिनके सहयोग एवं रचनात्मक सुझाव से इस पुस्तक के प्रकाशन में विशेष सहयोग मिला है।

पथ निर्माण विभाग के सचिव, श्री प्रत्यय अमृत के प्रति मैं राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति के सभी सदस्यों एवं सहयोगी अभियंताओं की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जो इस संस्करण का यथाशीघ्र प्रकाशन हेतु हमेशा प्रकाश पुँज की भांति मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देते रहे हैं।

अनुसूचित दर पुस्त के उपयोग करने वालों की विशेष सुविधा के लिए इस अनुसूचित दर पुस्तक के साथ इस वर्ष इसकी Soft Copy भी संलग्न की जा रही है। साथ ही साथ यह अनुसूचित दर पुस्तक विभागीय वेबसाईट www. rcd.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

यह अनुसूचित दर पुस्त दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगा।

ह॰/-

स्थान - पटना
दिनांक -

(देव नारायण प्रसाद)
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
सह-अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

Mort & H Data Book एवं इसके सॉफ्टवेयर पर आधारित पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिये अनुसूचित दर पुस्तिका (दर विश्लेषण सहित) के नवम् संस्करण को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदनः-

बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका-103 में संशोधन के आलोक में बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सह पठित ज्ञापांक-1/बी-12/2003-5762 (एस) (डब्लु ई) पटना, दिनांक 05.06.2006 की कंडिका-2(iii) में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित दर, दर विश्लेषण तथा सामग्रियों का दर निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी क्रम में यह प्रावधान किया गया है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैन्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा। राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा श्रमदर, निर्माण सामग्रियों एवं Plant & Machinery के दर में हुए दर पुनरीक्षण के आलोक में पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए लागू अनुसूचित दर (दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी) के पुनरीक्षण के लिए दिनांक 14.03.2014 की बैठक में निर्माण सामग्री, श्रम एवं Plant & Machinery के usage rate के लिए INPUT की स्वीकृति दी गयी है। सदस्यों की सहमति से पथ निर्माण विभाग(राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी अनुसूचित दर पुस्त (दर विश्लेषण सहित)-अष्टम् संस्करण में आवश्यक संशोधन एवं पुनरीक्षण के पश्चात् इसके नवम् संस्करण का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित दर तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए लागू डाटा बुक एवं सॉफ्टवेयर के Basic Approach/Guide Lines for Road & Bridges के आधार पर 10% Contractor Profit शामिल किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए लागू डाटा बुक एवं सॉफ्टवेयर के Basic Approach/Guide Lines for Road & Bridges के आधार पर दर विश्लेषण में Overhead Charges निम्न प्रकार से लिये गये है :-

(a) Chapter 1 से 11 तक में 50 Crores तक के Road Projects के लिए overhead charges 10% लिया गया है।

(b) Chaper 12 से 15 में Major Bridges के लिए overhead charges 25% लिया गया है।

(c) Chapter 16 में Repair & Rehabilitation work में overhead charges 30% लिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए लागू डाटा बुक में दिये गये Guideline for Road & Bridges के अनुसार Road Works के लिए Rs. 50 Crores से ऊपर के कार्य के लिए 8% overhead charges एवं Minor Bridges included in the Road Packages के लिए overhead charges 20% का प्रावधान रखा गया है। अतएव दर विश्लेषण के विभिन्न Chapters के कार्यमद दर विभिन्न स्थितियों में निम्नलिखित Factor को कार्यमद दर से Multiply किया जाय :

(A) (a) Chapter 1 से 11 तक में जिसमें 50 Crores तक के Road Project का दर है उसमें overhead charges 10% एवं CP 10% के आधार पर दर किया गया है। इसमें Multiplying Factor लागू नहीं होगा।

(b) यदि Road project का cost 50 Crores से ज्यादा हो तो overhead charges 8% एवं CP 10% देय होने के कारण (a) के दर में Multiplying Factor 0.982 होगा।

(B) (a) Chapter 12 से 15 तक Major Bridge including state of Art Bridge और Minor Bridge के लिए overhead charge 25% एवं CP 10% के आधार दर तैयार किया गया है, इसलिए इन कार्यो के लिए इसमें multiplying Factor लागू नहीं होगा।

(b) Chapter 12 से 25 का मद (जिसमें OH 25% एवं CP 10% है) का इस्तेमाल 50 करोड़ रुपये के लागत के अंतर्गत पथ परियोजनाओं (जिसमें OH 10% एवं CP 10% देय होगा) के लिए उपयोग में लायी जाती है, तो उक्त मद के दर में Multiplying Factor 0.88 होगा।

(c) Chapter 12 से 15 का मद (जिसमें OH 25% एवं CP 10% है) का इस्तेमाल 50 करोड़ रुपये के लागत के परियोजनाओं (जिसमें OH 8% एवं CP 10% देय होगा) के लिये उपयोग में लायी जाती है, तो उक्त मद के दर में Multiplying Factor 0.864 होगा।

(d) Chapter 12 से 15 का मद (जिसमें OH 25% एवं CP 10% है) का इस्तेमाल minor bridges included in Road Project (जिसमें OH 10% एवं CP 10% देय होगा) के लिये उपयोग में लायी जाती है तो उक्त मद के दर में Multiplying Factor 0.96 होगा।

(C) Chapter 16 में Repair & Rehabilitation Work of Bridge में Over charge 30% एवं CB 10% के आधार पर दर तैयार किया गया है, इसमें Multiplying Factor लागू नहीं होगा।

(iv) (a) सिमेंट के दर में पटना के लिये लागू OPC Grade 43 के दर को व्यवहार में लाया गया है। निरूपण एवं संरचना की आवश्यकतानुसार संबंधित सक्षम पदाधिकारी अन्य प्रकार के सिमेन्ट का व्यवहार कर सकते हैं।

(b) स्टील के दर में TMT Bar के लिये Fe 500 HYSD के दर को दर विश्लेषण के लिए व्यवहार में लाया गया है।

(c) बिटुमेन के लिए Packed 60/70(VG 30) ग्रेड एवं Packed 80/100 (VG 10) ग्रेड Ex-Barauni का दर व्यवहार में लाया गया है। Bitumen Emulsion M.S. Packed Ex- Paharpur, Modified Graded Bitumen CRMB-55 Packed Ex-Barauni एवं Bitumen (Cutback) Packed Ex-Barauni के दर को विश्लेषण में लिया गया है।

(d) M-197 में Ex-Barauni VG-40 का दर उपलब्ध नहीं होने के कारण Ex-Patna VG-40 का दर, दर विश्लेषण में लिया गया है।

(e) Brick 100 "A" का दर पटना Urban के लिये लागू दर को व्यवहार में लाया गया है।

(V) (a) Coarse Sand के दर में खादान के दर को व्यवहार में लाया गया है जहाँ पर Coarse Sand at Doriganj economical हो वहाँ पर इसे ही व्यवहार में लाया जाय तथा दर में अंतर की राशि को घटाया या जोड़ा जाए।

संबंधित सक्षम पदाधिकारी निर्माण कार्यक्षेत्र के जोन के अनुसार ही Bitumen/Cement/Brick/ Coarse Sand के निर्धारित दर का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार दर में अंतर की राशि को प्राक्कलन में जोड़ेंगें या घटायेंगें।

(b) TMT Bars, Mild Steel bars एवं Structural Steel के भिन्न आकार/व्यास का व्यवहार निर्माण कार्यो में किया जाता हैं। इस अनुसूचित दर विश्लेषण में अधिसूचित दर के औसत दर को व्यवहार में लिया गया है। संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा वास्तविक निरूपण के आधार पर भिन्न व्यास/आकार प्रकार के स्वीकृत दरों को आवश्यकतानुसार व्यवहार में लाया जा सकता है।

(c) TATA, SAIL एवं VIZAG से प्राप्त दर पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। इन्हीं तीन कंपनियों के स्टील का प्रयोग निर्माण कार्यो में किया जाना है।

(vi) विश्लेषित दर में सभी तरह के Taxes, Royality शामिल है।

(a) Royality का प्रावधान खनन-विभाग की अधिसूचना सं०-245, पटना, दिनांक- Jan 2012 तथा खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना सं०- पटना 250 दिनांक-27 January, 2012 के अनुसार किया गया है। रॉयल्टी की कटौती विपत्रों से Loose Volume of Materials पर की जानी है न कि Finished Volume of Materials (Compacted Volume) पर जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।

(b) MORD (Ministry of Rural Development) के अनुसार Basic Approach and general Conditions and assumptions for the Preparation of Standard Data Book के Page No.-BA-2 पर Sales/turn over tax को इस प्रकार वर्णित किया गया है :-

"Sales/turnover tax has been assumed at 4%. In case this tax is more than 4% the percentage of overheads should be increased correspondingly for such states."

जिसके क्रम से संयोजक सह अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-39 पटना, दिनांक-31.05.2010 के द्वारा इस प्रकार उल्लेखित किया गया है ''चूँकि overhead charges में 4% vat सन्निहित रहता है। यदि Vat 4% से अधिक देय होता है तो Vat का अतिरिक्त प्रतिशत को दर में जोड़ दिया जाय।'' उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निर्माण सामग्रियों के दर में 4% से अधिक Vat/Sales Tax रहने के Condition में MORT Data Book में दिये गये Overhead Charges को ही यथावत् रहने दिया जाय तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी समय-समय पर वाणिज्यकर विभाग, बिहार द्वारा निर्गत/निर्धारित Vat/Sales Tax के अनुपालन के आलोक में निर्माण सामग्रियों (4% से अतिरिक्त Vat/sale tax को सामग्रियों के दर में जोड़ते हुए) का दर विश्लेषण कर तकनीकी एवं वित्तीय मामलों का निष्पादन करेगे।

(c) राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा MORD (Ministery of Rural Development) में दिये गये विश्लेषण के आधार पर 40-60 TPH का दर विश्लेषण (with Mechanical Paver Finisher) Chapter-5B में दिया गया है जिस पर समिति के सदस्यों की सहमति प्राप्त है।

(vii) श्रमिक कल्याण कोष हेतु 1% (एक प्रतिशत) सेस की कटौती से संबंधित श्रम विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-4984 दिनांक-01.10.2008 एवं संयोजक सह अभियंता प्रमुख के पत्रांक 38 अनु० दिनांक-13.05.2010 के द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।

इस अनुसूचित दर पुस्तक के दर विश्लेषण में 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि सम्मिलित नहीं किया गया है।

(viii) रेलवे द्वारा निर्माण सामग्री की ढुलाई का दर निर्धारण हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) भारत सरकार, महाप्रबंधक (परिचालन)/वाणिज्य के पत्रांक–2009/टी–टी / III 27/1, नई दिल्ली दिनांक–06.10.2009 के द्वारा माल ढुलाई हेतु Route Chart उपलब्ध कराया है जिसे क्षेत्रीय पदाधिकारी जांचोपरांत व्यवहार में लायेंगे। Route Chart की छाया प्रति इस अनुसूचित दर पुस्त में संलग्न कर दी गई है।

(a) MORT & H data book में दिये गये "Carriage of Materials" के Calculation के अलावे रेलवे द्वारा निर्माण सामग्री की ढुलाई पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से पूर्ण विचरोपरान्त सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैसे स्थ्ल जहां पर रेलवे के द्वारा निर्माण सामग्रियों की ढुलाई संभव हो वहाँ पर Road एवं Railway दोनों के द्वारा Carriage of Materials का दर प्राप्त किया जाय तथा दोनों में से न्यूनतम दर को ही प्रयोग में लाया जाय।

The maximum lead to be considered as per T.E.C. Norms is as follows :–

(1) For local sand 3 km with 1 km kuchcha road.

(ii) For brick 8 KM with 1 km Kuchcha road.

(iii) For Coarse Sand, Stone Metal, Stone chips, Moorum, Stone Boulder, Bitumen as per actual lead with provision of kuchcha lead as per requirement of site condition.

(ix) Chapter 5A में 100-120 TPH with Mechanical Paver finisher (For different item) का दर विश्लेषण दिया गया है जिस दर समिति के सदस्यो की सहमति प्राप्त है।

(x) इसके पूर्व में भी समय–समय पर अनुसूचित दर में ''संशोधित दर'' प्रकाशित किया गया है, जिसका समायोजन इस अनुसूचित दर पुस्तिका में कर लिया गया है।

Chpater-1 (Carriage of Materials) में दिये गए दरों में Contractor's profit (10%) and over head charges (10%) include कर दिया गया है।

1. बिटुमेन से संबंधित दर–

अनुसूचित दर के पुनरीक्षण के क्रम में राष्ट्रीयकृत कम्पनी Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum एवं Hindustan Petroleum Corporation से दर प्राप्त हुआ है। EMULSION Ms Packed का दर Indian Oil Corporation कंपनी से प्राप्त किया गया। समिति द्वारा इन कम्पनियों से प्राप्त दर में VAT को घटाकर विभिन्न Grades के Bitumen का दर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्ण विचारोपरान्त, संलग्न अनुसूची "M4" के अनुसार बिटुमेन के विभिन्न Grades/प्रकार के दर को अनुमोदित किया जाता है।

2. सिमेंट का दरः–

(i) Ordinary Protland Cement :– Ordinary Portland Cement **(43 Grade)** का दर विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हुआ है। इस दर में शामिल VAT को घटाकर प्रति बोरा दर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पटना के न्यूनतम दर के आधार पर, पूर्व से निर्धारित दर के अनुपात में अन्य जोनों के लिए दर प्राप्त किया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त संलग्न अनुसूची "M1" के दर को अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) Ordinary Portland Cement (33 Grade) का दर विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हुआ है। इस दर में शामिल VAT को घटाकर प्रति बोरा दर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पटना के न्यूनतम दर के आधार पर, पूर्व से निर्धारित दर के अनुपात में अन्य जोनों के दरों की गणना की गयी। समिति के द्वारा इसपर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया तथा इसे अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त संलग्न अनुसूची "M2" के दर को अनुमोदित किया जाता है।

(iii) Portland pozolona Cement :- Portland pozolona Cement का दर विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हुआ है। इस दर में शामिल VAT को घटाकर प्रति बोरा दर अनुमोदित करने का निर्णया लिया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरांत, संलग्न अनुसूची "M3A" के दर को अनुमोदित किया जाता है।

(iv) Portland Slag Cement :- Portland Slag Cement का दर विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हुआ है। इस दर में शामिल VAT को घटाकर प्रति बोरा दर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। P.S.C. के लिए प्राप्त पटना के न्यूनतम दर के आधार पर

पूर्व से निर्धारित दर के अनुपात में अन्य जोन के दरों को भी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त, संलग्न अनुसूची "M3B" के अनुसार P.S.C. के दर को अनुमोदित किया जाता है।

3. Steel से संबंधित निर्माण समग्रियों का दर-

(a) **G.C. Sheet का दर** - G.C. Sheet का दर TATA एवं SAIL से प्राप्त हुआ है। तद्नुसार TATA एवं SAIL से प्राप्त न्यूनतम दर बिना VAT के समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त, अनुसूची "M5" के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(b) **Wire rod in coil:** Wire rod in coil के भिन्न-भिन्न व्यास का दर VIZAG से प्राप्त हुआ है। इस पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा VIZAG से प्राप्त दर बिना VAT के समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त अनुसूची "M6" के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(c) **Steel Channel:**-Steel Channel का दर VIZAG से प्राप्त हुआ है। तद्नुसार VIZAG से प्राप्त न्यूनतम दर बिना VAT के समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त अनुसूची "M8" के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(d) **Steel Angles** का दर-भिन्न-भिन्न आकार वाले Steel Angles का दर VIZAG से प्राप्त हुआ है। तद्नुसार VIZAG से प्राप्त न्यूनतम दर बिना VAT के समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरान्त Schedule "M9" के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(e) **TMT Bar (Fe 500)** का दर-TMT Bar का दर Tata, VIZAG एवं SAIL से प्राप्त हुआ है। Tata, VIZAG एवं SAIL से प्राप्त न्यूनतम दर बिना VAT के समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरांत Schedule "M10A" के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

(f) Schedule M7:- यह Steel Joist से संबंधित है। वर्तमान में इसका निर्माण SAIL, TATA, RINL द्वारा नहीं किया जा रहा है अतः इसका वर्तमान में इस्तेमाल नहीं होने तथा दर की अनुपलब्धता के कारण इस पुस्तिका से विलोपित किया जा रहा है।

4. Plant & Machinery का Usage charge के दर पुनरीक्षण के संबंध में।

Plant & Machinery के अंतर्गत 99 मद है, जिनमें से पथ निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले मशीनों जिनके Item no. :- P&M 002, P&M-010, P&M-017, P&M-018, P&M-021, P&M-022, P&M-023, P&M-024, P&M-031, P&M-032, P&M-034, P&M-035, P&M-044, P&M-048, P&M-059, P&M-080, P&M-094, तथा WMM Paver finisher, Tipping Truck 14 cum, 6.5 KVA Generator, vibratory Earth Compactor, Tractor (25 HP) का दर का पुनरीक्षण यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। शेष मशीनों के मदों के Usage Charge का दर के पुनरीक्षण हेतु यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग तथा भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनेकों बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद भी दर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यहित में पूर्व प्रधान सचिव श्री आर० के० सिंह द्वारा संचिका सं०-मु०नि० (पथ-08/2006) (पृष्ठ 10 से 12) में दिये गये निदेश के आलोक में Plant & Machinery के शेष मदों (P&M-003, P&M-009 एवं P&M-047 को छोड़कर का दर पुनरीक्षण किया गया है। इसमें Usage Charges के दर में इसके विभिन्न Components यथा Ownership Charges, Operational Charges, POL Charges & Establishment Charges का प्रभाव क्रमशः 20%, 30%, 25% एवं 25% रखने का निर्णय राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निधारिण समिति के द्वारा दिनांक 13.03.2013 के बैठक में लिया गया था जिसके आधार पर इन विभिन्न Components के RBI Price Index में माह जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक के बढ़ोत्तरी के अनुसार Usage Charges के दर में weighted mean बढ़ोत्तरी की गणना की गई है।

उक्त गणना से आकलित Usage Charges में 2013-14 के दर में औसतन 7.06% की वृद्धि शेष मशीनरी मदों में (P&M-003, P&M-009 एवं P&M-047 को छोड़कर) के Usage Charges में बढ़ोत्तरी करते हुए पुनरीक्षित करने पर सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

P&M-003 (Batching & mixing plant 15-20 cum capacity) का दर P&M-002 (Batching & mixing plant 30 cum capacity) के पुनरीक्षित दर रू॰ 2513 प्रति घंटा के आधार पर उनके Output के अनुरुप Pro-rata basis से 2513 × (13/20) = Rs.1633/hr निर्धारित करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

P&M-009 (concrete mixer 0.4/0.28 cum capacity) का दर P&M-10 (concrete mixer 01 cum capacity) के पुनरीक्षित दर रू॰ 201 प्रति घंटा के आधार पर उनके Output के अनुरूप Pro-data basis से (201×2.5/7.5) = Rs. 67/ hr निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में विशेष सुझाव हेतु सड़क पोत परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग मंत्रालय के Director General (Roads) cum Special Secretary को भी संयोजक, राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा पत्रांक सं॰-26 (अनु॰) दिनांक 04.02.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

P&M-047 Tipper 5 cum का Tonne-km दर

वर्ष 2001-02 में Per tonne-km दर	Rs. 1.74
वर्ष 2001-02 में Per hr. per tipper (5 cum capacity) दर	Rs. 200.00
वर्ष 2014-15 में Per hr. per tipper (5 cum capacity) दर	Rs. 882.00
वर्ष 2014-15 में पुनरीक्षित दर Per tonne-km में Rs.882×1.74/200 =	Rs. 7.68

P&M-047 Tipper (5 cum capacity) के लिए उक्त तरीके से प्राप्त per Tonne-km दर Rs. 7.68 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

WMM Plant 100 TPH (P&M-093) के दर को पूर्व की भांति WMM Plant 75 TPH (P&M-094) के दर के सामान ही रखने पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

5. Carriage का दर पुनरीक्षण के संबंध में :-

Carriage of materials by Tipper & Tractor :- MORT&H Data Book के chapter-1 के Item no. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4(i), 1.4(ii) and 1.4(iii) को अद्यतन मशीनरी दर एवं श्रम दर के आधार पर संलग्न अनुसूची "Carriage of Materials by Tipper" and "Carriage of Materials by Tractor" के अनुसार पुनरीक्षित करने पर सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

6. ईंट एवं ईंट से संबंधित निर्माण सामग्रियों का दर पुनरीक्षण :-

विभिन्न ग्रेड के ईंट एवं ईंट से संबंधित निर्माण सामग्रियों के दर की मांग अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग एवं सभी अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ सहित पथ निर्माण विभाग से की गई, लेकिन कहीं से भी दर की प्राप्ति नहीं हुई। अतः RBI द्वारा निर्गत Bricks & Tiles के Price Index के आधार पर ईंट के दर में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। माह सितम्बर 2012 का WPI 191.7 था एवं माह दिसम्बर 2013 का WPI 203.9 है। इस प्रकार इन मदों में बढ़ोत्तरी 6.364% की जा रही है।

7. स्टोन एवं स्टोन चिप्स से संबंधित निर्माण सामग्रियों का दर पुनरीक्षण :-

पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए दिनांक-01.04.2014 से प्रभावी अनुसूची दर में व्यवहृत स्टोन बोल्डर, मेटल्स एवं विभिन्न आकार के चीप्स के दरों को पूर्व में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा लिये गये निर्णय (पत्रांक-38, दिनांक-11.06.2012) के आलोक में स्टोन चीप्स को RBI, WHOLE SALE PRICE INDEX द्वारा निर्गत मूल्य सूचकांक में NON-METALLIC MINERALS के अंतर्गत रखा गया है। इसी आधार पर Aggregates के लिये Price Indexing January 2013 से December 2013 तक के लिए किया गया है। Price Index में Growth 0.49% है इस आधार पर Aggregate का दर M-01 से M-55 के दर में तद्नुसार पूर्णविचारोपरान्त अनुसूची "Schedule M/MORTH-1" के अनुसार सदस्यों द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है।

8. निर्माण कार्यों (सड़कें, बाँध तथा सिंचाई कार्य) में नियोजित विभिन्न श्रेणी के मजदूरों का संशोधित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के दर पुनरीक्षण हेतु लिये गये निर्णय :-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–3303, दिनांक–04.10.2013 के आलोक में पथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त 72 प्रकार के विभिन्न कर्मियों तथा बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्यो के लिये प्रयुक्त 71 प्रकार के कर्मियों के न्यूनतम दैनिक श्रम दर का अनुमोदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूर्णविचारोपरांत अनुसूची–I एवं II के अनुसार करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि यह दर भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं अन्य कार्य विभाग के अंतर्गत कराये जानेवाले निर्माण कार्यो के उपयोग में भी लाया जा सकता है।

9. Fly Ash Brick :–

दिनांक–08.07.2013 को अनुसूचित दर निर्धारण समिति की राज्य स्तरीय बैठक में Fly Ash Brick के दर को N.T.P.C. एवं B.M.T.P.C. के Guidlines के आधार पर कर अनुसूचित दर पुस्तिका में सम्मिलित किया गया था।

उपरोक्त Guidlines के आधार पर Labour, Material तथा Machineries के बढ़े नये दर के अनुरूप की गई, दर विश्लेषण के आधार पर Fly Ash Brick का दर प्रति एक हजार 5800/- रु० VAT & Sale Tax छोड़कर आता है, को material के Input Data पर M-198 पर प्रति अदद् दर 5.80 रु० लिया गया है।

10. MORT&H Date Book के कार्य मदों में व्यवहृत विभिन्न निर्माण सामग्रियों (Schedule-M/MORTH-1A) के दर निर्धारण के संबंध में :–

Schedule-M/MORTH-1A में निहित विभिन्न सामग्रियों में से कई मदों को विभिन्न श्रेणियों में रखते हुए RBI द्वारा निर्गत whole sale price index के आधार पर अद्यतन दरों का निर्धारण किया गया है। Item no. M-72, M-102, M-176, M-177, M-191 एवं M-192 के दरों में बढ़ोतरी RBI द्वारा निर्गत Iron & Steel wire के Price indexing के आधार पर किया गया है। Item no. M-80, M-87, M-88, M-101, M-103, M-110, M-119, M-123, M-124, M-125, M-130, M-158, M-173, M-174 एवं M-175 के दरों में बढ़ोत्तरी RBI द्वारा निर्गत Steel के Price indexing के आधार पर किया गया है। वर्ष 2013 के जनवरी महीने का सूचकांक 126.20 था एवं दिसम्बरी 2013 का सूचकांक 126.20 है। उपरोक्त मदों में बढ़ोतरी शून्य प्रतिशत की हुयी है। M-59, M-60, एवं M-61 के दरों में बढ़ोत्तरी RBI द्वारा निर्गत Aluminium के Price indexing के आधार पर किया गया है। वर्ष 2013 जनवरी माह का सूचकांक 136.00 एवं वर्ष 2013 दिसम्बर का सूचकांक 136.70 था। उपरोक्त मदों में प्रतिशत वृद्धि 0.51 प्रतिशत का हुआ है। M-86 के दरों में बढ़ोत्तरी RBI द्वारा निर्गत Copper के price indexing के आधार पर किया गया है। वर्ष 2011-12 का सूचकांक–178.95 एवं वर्ष 2012-13 का सूचकांक 177.61 है। अत: 0.75 प्रतिशत की घटोत्तरी हुयी है। शेष मदों के दरों में बढ़ोत्तरी RBI द्वारा निर्गत ALL COMMODITIES के Price Indexing के आधार पर किया गया है। जनवरी 2013 का सूचकांक 1703 था जो बढ़कर दिसम्बर 2013 में 179.2 हो गया। अत: इन मदों में वृद्धि 5.23% की हुयी है। पुल निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के Bearing के दर की मांग बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं भारत में Bearing निर्माता के विभिन्न कम्पनियों से दर की मांग की गई थी, जो अबतक अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में M-64, M-65, M-66, M-67, M-68, M-69 एवं M-70, के दरों में बढ़ोत्तरी RBI द्वारा निर्गत Ball/Roller Bearing के Price Indexing के आधार पर किया गया है। वर्ष 2013 जनवरी का सूचकांक 150 था एवं वर्ष 2013 के दिसम्बर का सूचकांक 154.4 है। इन मदों में प्रतिशत वृद्धि 2.93 हुआ है।

10.2 पथ निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए उन महत्वपूर्ण मदों जिनका उपयोग यातायात सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उनको इस वर्ष के अनुसूचित दर पुस्तिका वर्ष 2014 में दर अद्यतन किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

(A) **Kerb-Stone :–** Kerb-Stone के दर का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर 375.0 mm × 300.0 mm × 150.0 mm का M30 ग्रेड का विश्लेषण दर रु० 78.23 प्रति अदद (VAT छोड़कर) आता है, को अनुमोदित किया गया जिसे SOR के Material input M-200 पर सम्मिलित किया गया।

(B) **Paver-Block :–** दिनांक–17.09.12 के राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में Interlocking Paver block M 35 (60 mm thick) for light vehicle, एवं M 40 (80 mm thick) for medium vehicle का दर निर्धारण किया गया है जिसे अनुसूचित दर पुस्तिका के M-199 में उल्लेख किया गया है। वर्ष सितम्बर 2012 तथा दिसम्बर 2013 के बीच whole sale Price Index (WPI) में बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़े हुए Price Index के दर को बेसिक दर वर्ष सितम्बर 2012 के आधार पर वर्ष अक्टूबर 2012 तथा दिसम्बर 2013 के बीच की गई। माह

अक्टूबर 2012 में WPI 168.50 था तथा दिसम्बर 2013 में WPI 179.20 है। इस प्रकार इन सामग्रियों की दर में बढ़ोत्तरी 6.35% है। इस वर्ष के अनुसूचित दर पुस्तिका में M-199 पर सम्मिलित है।

(C) **Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Block :-**

Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Block के दर को अनुसूचित दर पुस्तिका में सम्मिलित करने हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र पत्रांक-1641(भ०) दिनांक 23.12.13 जिसमें Director, Kalyanpur Building Material Private Limited के पत्र को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। संलग्न पत्र में वर्ष 2012 के Delhi Schedule of rates के Code-8656 में अंकित AAC Block का अद्यतन दर प्रतिघन मीटर दर 2025.00 लिया गया है। ज्ञातव्य है कि AAC Block का Detailed Analysis किसी Data Book / IS Specification में उपलब्ध नहीं रहने के फलस्वरूप Component wise analysis करना संभव नहीं है। कार्यहित में Delhi Schedule of rates को आधाार पर अक्टूबर 2011 तथा दिसम्बर 2013 के WPI (Non metalic Mineral Prduct) के बढ़े दर पर की गई गणना के अनुसार AAC Block का प्रतिघन मीटर दर 2180.36 आता है को SOR के Input Data के क्रमांक 201 पर लेने का निर्णय लिया गया है।

11. नए अनुसूचित दर पुस्त के प्रकाशन के संबंध में विचार-विमर्श :-

पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी नये अनुसूचित दर पुस्त का प्रकाशन किया जाना है, जिस पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा इसे दिनांक-01.04.2014 से लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारित समिति द्वारा अनुसूचित दर पुस्त को दिनांक-01.04.2014 से प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाता है।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-परियोजना संयोजक
नल कूप प्रभाग, लघु जल संसाधन,
बिहार, पटना

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता (असै०)
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग
कंपनी लि०, पटना।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
तकनीकी परीक्षण कोषांग,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-
संयोजक
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

●●●

प्रस्तावना

बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–103 एवं बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सह पठित पत्रांक–01/बी–12-2003-5762 (एस) डब्ल्यू॰ ई॰ पटना दिनांक–05.06.2006 के आलोक में राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित सामग्रियों का दर, श्रमदर एवं कार्य मदों के फारमेट के आधार पर भवन निर्माण विभाग के लिये डी॰एस॰आर॰–2007/2012 (सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰) के प्रावधान के अनुरूप अनुसूचित दर का प्रथम संस्करण–01.07.2008 द्वितीय संस्करण–16.01.2009, तृतीय संस्करण दिनांक–24.11.2009, चतुर्थ संस्करण दिनांक–15.06.2011 एवं पंचम संस्करण दिनांक–16.07.2012 से लागू किया गया था। राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिये गये सामग्रियों, श्रमदर के पुनरीक्षण एवं अन्य निर्णय के आलोक में दिनांक–16.07.2012 से प्रभावी अनुसूचित दर को पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग द्वारा संशोधित श्रमदर, सामग्री मद इत्यादि के राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर दिनांक–11.08.2013 से प्रभावी अनुसूचित दर का पुनरीक्षण किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गये है:–

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–मु॰ नि॰ (पथ) 76 अनु॰ पटना, दिनांक–09.07.2013 के आलोक में सीमेंट, स्टील एवं अन्य सामग्रियों के बेसिक दरों का पुनरीक्षण किया गया है, तद्नुसार इन सामग्रियों से संबंधित कार्य मदों के दरों का भी पुनरीक्षण किया गया है।

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–64 अनु॰ दिनांक–17.06.2013 के आलोक में श्रमदर को पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्यमदों के दर विश्लेषणों में इसका समावेश किया गया है।

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–93 अनु॰ दिनांक 01.10.2012 के आलोक में ईट के दर का पुनरीक्षण एवं स्टोन एग्रीगेट तथा बालू के बेसिक दरों का पथ निर्माण विभाग में दिनाक 01.04.2013 से लागू अनुसूचित दर के आधार पर पुनरीक्षण कर तद्नुसार इन सामग्रियों से संबंधित कार्यमदों का पुनरीक्षण किया गया है।

❖ पूर्व की भाँति प्रस्तुत अनुसूचित दर में भी सीमेंट एवं ईट का दर **गया** असैनिक प्रमंडल के लिए अनुमोदित दर जो कि वर्त्तमान में राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न जोनों के लिए सीमेंट एवं ईट के दर में न्यूनतम है, को आधार मानकर अनुसूचित दर तैयार किया गया है।

❖ मोटा बालू (Coarse Sand), ईट एवं स्टोन ऐग्रीगेट का दर श्रोत पर लिया गया है।

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–मु॰नि॰ (पथ) 76 अनु॰ पटना, दिनांक–09.07.2013 के आलोक में अनुमोदित सामग्रियों की ढुलाई दर को पुनरीक्षण दर में शामिल किया गया है।

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–मु॰ नि॰ (पथ) 30 दि॰ 27.04.2011 के आलोक में वैसे स्थल जहाँ पर रेलवे द्वारा निर्माण सामग्रियों की ढुलाई सम्भव है। वहाँ पर रोड एवं रेलवे दोनों के द्वारा Carriage of Material का दर प्राप्त किया जाय तथा दोनों में से न्यूनतम दर को ही प्रयोग में लाया जाय।

❖ ईट, बालू, चीप्स आदि के लिए अधिकतम लीड एवं कैरेज का दर दिनांक–01.07.2008 से लागू अनुसूचित दर के प्रस्तावना में उल्लिखित कंडिकाओं के अनुसार ही प्रावधान किया गया है।

❖ संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–मु॰ नि॰ (पथ) 30 पटना, दिनांक–27.04.2011 के अनुसार TATA, SAIL, VIZAG का स्टील प्रयोग निर्माण कार्यो में किया जाना है, क्योंकि दर विश्लेषण में स्टील का दर इन तीनों कम्पनियों द्वारा दिए गए कोटेशन के आधार पर लिया गया है।

❖ दर विश्लेषण में श्रमिक कल्याण कोष हेतु 1% (एक प्रतिशत) सेस का प्रावधान किया गया है।

❖ समिति के निर्णयानुसार सक्षम पदाधिकारी, निर्माण कार्य क्षेत्र से जोन के अनुसार ही सीमेंट, ईट के निर्धारण दर का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार दर में अंतर की राशि को प्राक्कलन में जोड़ेंगे या घटायेंगे।

❖ अनुसूचित दर के पुनरीक्षण एवं वर्त्तमान संस्करण को तैयार करने में यथा संभव सावधानी बरती गई है, फिर भी ऐसी सम्भावना है कि इस अनुसूचित दर को तैयार करने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो जो व्यवहार में लाने के क्रम में दृष्टिगोचर हो सकती है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि उन त्रुटियों का समुचित निराकरण किया जा सके। प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर से कोई सुझाव इत्यादि समय पर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिससे अनुसूचित दर को और भी ज्यादा व्यवहारिक और उपयोगी बनाने में असहजता महसूस की जा रही है।

इस अनुसूचित दर पुस्तिका के सभी उपयोग करने वालों को यह परामर्श दिया जाता है कि इनके द्वारा कार्यमद के दर विश्लेषण एवं विशिष्टियों का गहन अध्ययन अवश्य करें एवं इससे संबंधित सुझाव विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अनुसूचित दर के पुनरीक्षण एवं वर्त्तमान संस्करण को तैयार करने में तथा उसे प्रभावी बनाने में निम्नलिखित पदाधिकारियों का अथक परिश्रम एवं सहयोग रहा है जिसके लिए विभाग इनकी सराहना करता है।

1. श्री गिरीशनन्दन सिंह,	अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री राम बाबू प्रसाद	योजना अभियंता, (उत्तर उपभाग), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

श्री राजन चौधरी ऑटो कैड ऑपरेटर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम एवं भवन निर्माण विभाग के अन्य कर्मचारीगण का उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए विभाग सराहना करती है।

राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के साथ-साथ विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों श्री रमेश कुमार, मुख्य अभियंता (दक्षिण उपभाग), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना, श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (उत्तर उपभाग), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भी अनुसूचित पुस्तिका के पुनरीक्षण, सहयोग एवं सुझावों के लिए उनके प्रति अभार प्रगट किया जाता है। श्री चंचल कुमार, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गंगा कुमार, विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके मार्ग दर्शन, प्रेरणा एवं दर पुनरीक्षण हेतु उनके द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझाव के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

यह पुनरीक्षण अनुसूचित दर दिनांक-11.08.2013 से प्रभावी किया जाता है।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

पत्र सं०–1/स्था०–108/81-462-त०प०को/पटना

बिहार सरकार

तकनीकी परीक्षा कोषांग

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

बैरक सं० 3, पुराना सचिवालय, पटना।

प्रेषक,

श्री पी० पी० नैयर,
मुख्य सचिव, पटना।

सेवा में,

1. सचिव एवं आयुक्त, लोक निर्माण विभाग।
2. सचिव एवं आयुक्त, सिंचाई विभाग।
3. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण/पुर्ननिर्माण एवं पंचायती राज विभाग।
4. सचिव एवं आयुक्त, लोक स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास विभाग।
5. सचिव एवं आयुक्त, लघु सिंचाई विभाग।
6. अभियंता प्रमुख, लोक निर्माण विभाग।
7. अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग।
8. मुख्य अभियंता, लोक–स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
9. मुख्य अभ्सियंता, लघु सिंचाई विभाग।
10. मुख्य अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन।
11. अध्यक्ष, बिहार राज्य निर्माण निगम।
12. अध्यक्ष आवास बोर्ड।
13. अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
14. अध्यक्ष, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद्।
15. अध्यक्ष, जल विकास निगम।
16. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।
17. अध्यक्ष, पुलिस निर्माण निगम।
18. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य निर्माण निगम।
19. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
20. प्रबंध निदेशक, जल विकास निगम।
21. प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड।
22. अभियंता प्रमुख, विद्युत बोर्ड।
23. सभी नदी कमांड अभिकरण।
24. सभी जिला उप–विकास आयुक्त।
25. सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक–30.03.1982

महोदय,

राज्य सरकार के कार्य विभाग एवं अधीनस्थ निगमों, बोर्डो, पर्षदों आदि के अन्तर्गत कार्यो के कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली, लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण लेखा संहिता में वर्णित नियमों के अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये आदेशों पर भी अनेक पदाधिकारियों द्वारा उनका पालन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी नियम में स्पष्ट आदेश नहीं है वहाँ

इसी प्रकार की प्रक्रिया कुछ स्थानों पर अपनाई जा रही है जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। कार्य करने का पद्धति में भी एकरूपता नहीं है। अत: सभी विभागों में एकरूपता लाने और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देने हेतु अब से अनुलग्नक अधिक कड़ाई से पालन किया जाय।

2. इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय।

अनु–यथोपरि (भाग–1 एवं 2)

विश्वासभाजन

ह०/–

पी० पी० नैयर

मुख्य सचिव, बिहार

अनुलग्नक

भाग–1

लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण विभाग के सचिव के वित्तीय नियमावली में वर्णित नियमों के अतिरिक्त समय–समय पर इस विभाग द्वारा दिये गये आदेशों पर भी उनके पदाधिकारियों द्वारा उनका पालन नहीं हो जाता है।

1. लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 130(ए) के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना किसी भी कार्य को कार्यान्वित न किया जाय।
2. अभी कुछ विभागों में एक प्रशासनिक अनुमोदन के कार्य के विरूद्ध अनेक स्तर के पदाधिकारीगण प्रावैधिक स्वीकृति देते है। यह लोक निर्माण संहिता के नियम 126, 127 एवं 128 के अनुसार नहीं है। किसी भी राशि का मूल्य उनके प्रशासनिक अनुमोदन की राशि पर निर्धारित है। एक प्रशासनिक अनुमोदन के कार्य के लिए एक ही स्तर के पदाधिकारी प्रावैधिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम है। किस स्तर के पदाधिकारी प्रावैधिक स्वीकृति देंगे यह उस कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुसार पदाधिकारी की सक्षमता पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य के लिए जो प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है उसके अन्तर्गत विभिन्न खंडों में तकनीकी स्वीकृति नियम 130 के अनुरूप दी जा सकती है। परन्तु प्रत्येक खण्ड की तकनीकी स्वीकृति देने के लिए वही सक्षम है जो मूल तकनीकी अनुमोदन के लिए सक्षम है।
3. अर्नेस्ट मनी की राशि के लिए जहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्लेज करने के बाद निविदा के साथ–साथ अर्नेस्ट मनी देने का नियम है, वहाँ भी अभी कुछ कार्यो में बिना प्लेज किये हुए कागजात को भी मान्य माना जाता है। कभी–कभी ठिकेदारों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उस कार्यालय में पहले से ही प्लेज किए हुए कागजात उपस्थापित है, जिन्हें अन्य कार्यो के लिए अर्नेस्ट मनी के रूप में माना जाय। यह प्रक्रिया अब से बन्द की जाय और ठेकेदारों को निश्चित रूप से निविदा की नोटिस पर ही लिखकर दिया जाय कि निविदा के साथ–साथ उन्हें प्लेज किए कागजात देना आवश्यक होगा नहीं तो निविदा मान्य नहीं होगी। इसके लिए उन्हें पोस्ट ऑफिस से पहले से ही प्लेज करा लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी और यदि इस प्रमंडल या अन्य कार्यालय में प्लेज किये हुए कागजात दिये हुए है तब उन्हें उन कार्यालयों से प्लेज किये हुए कागजात प्राप्त कर एवं उचित प्लेजिंग करने के बाद निविदा के साथ देना आवश्यक होगा और इसकी जिम्मेवारी ठेकेदार पर होगी।
4. सभी विभाग के प्रमंडलों एवं योजना की क्वैरी चार्ट बनवाई जाय, प्रत्येक विभाग इसके लिए निश्चित समय निर्धारित करें और यह कार्य किसके द्वारा किया जायेगा यह भी निर्धारित करें।
5. अर्नेस्ट मनी की राशि निविदा के बिल ऑफ क्वान्टीटी के प्राक्कलित राशि के आधार पर निश्चित की जाय, जो सभी निविदाकर्ताओं द्वारा देय होगा, यदि उन्हें अर्नेस्ट मनी नहीं देने की छूट दी गई हो।
6. किसी भी मूल कार्य के लिए आवंटन (एलॉटमेंट) देने के पूर्व विभाग को इस बात से संतुष्ट हो लेना चाहिये कि उसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दे दिये गये है और आवंटित कार्य की राशि अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है अथवा उस अनुज्ञेय सीमा से अधिक व्यय करने के लिए राज्य सरकार के लिखित आदेश प्राप्त है।

7. अस्थायी अग्रिम लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 के अनुसार दिया जायेगा, परन्तु द्वितीय अग्रिम तभी दिया जाय जब पूर्व अग्रिम की लेखा समर्पित कर दी गई हो।

भाग-2

निविदाओं के उचित प्रसारण एवं निविदाकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा लाने तथा कार्य के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित आदेश दिये जाते है:-

(क) निविदा कोटेशन का आमंत्रण एवं निष्पादन।

(1) किसी कार्य को कितने टुकड़े में बांटकर निविदा/कोटेशन मांगी जाय इसका निर्णय वही पदाधिकारी लेंगे जो उसे पूरे कार्य (प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अनुसार) की निविदा/कोटेशन निष्पादन के लिए सक्षम हैं।

(2) अभी किसी भी प्रमंडल में निविदा मांगने की तिथि निर्धारित नहीं है, जिसके कारण ठेकेदारों को प्रत्येक दिन देखना पड़ता है कि विभिन्न प्रमण्डलों में निविदा/कोटेशन की नोटिस निकाली या नहीं। इसलिए अब एक कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह में एक निश्चित दिन को ही एक ही नोटिस द्वारा समेकित रूप में सभी कार्यो के लिए एक निविदा/कोटेशन प्राप्ति की तिथि निश्चित की जाय। अवर-प्रमंडल तथा अंचल के दिनों का निर्धारण अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा।

(3) उपरोक्त कंडिका (2) के अनुसार एक नोटिस के द्वारा जिसमें कार्यो के लिए निविदा/कोटेशन मांगी जायेगी उन सभी की राशि का योग यदि 50,000/- रु॰ से अधिक हो तब नोटिस का प्रसारण समाचार-पत्रों तथा जिला गजट में करना आवश्यक होगा। जिला गजट एवं अखबार को स्पष्ट रूप से लिखा जाय कि किस तिथि तक ही वे नोटिस निकाले और उसके बाद न छापे। उक्त तिथि (निविदा/कोटेशन) प्राप्त होने का निर्धारण कम से अधिक किया जा सकता है।

(4) यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को बढ़ाना पड़े। (जिसमें एक कारण निविदा विज्ञप्ति से निर्धारित तिथि तक प्रकाशित नहीं होगा भी होगा) तब उसकी भी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जाय। जिसमें मूल निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित थी अथवा होने वाली थी, उस सूचना के लिये भी उपरोक्त पत्रिका (3) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाय।

(5) जन संपर्क विभाग उपरोक्त कंडिका (3) एवं (4) को ध्यान में रखकर विज्ञापन करायेंगे। समाचार पत्रों में विज्ञापन भेजकर उसकी प्रति विज्ञापनकर्ता को निर्बंधित डाक से भेजी जाय तथा उसमें यह भी उल्लेख रहें कि विज्ञापनकर्ता के पत्र जनसम्पर्क विभाग में किस तिथि को प्राप्त हुए। यदि उपरोक्त कंडिका (3) के आलोक में निर्धारित तिथि तक विज्ञापन छपने की सम्भावना नहीं हो तो उसकी सूचना जन-सम्पर्क विभाग विज्ञापनकर्ता को तुरंत भेज दें ताकि निविदा प्राप्त होने की निर्धारित तिथि के पहले यह सूचना उन्हें प्राप्त हो जाय। वैसी स्थिति में जनसम्पर्क विभागों को अनुरोध पत्र भेजेंगे।

(6) अखबारों में निविदा/कोटेशन की नोटिस की सूचना जिस प्रकार से अभी तक निकलती है वह अखबार में बहुत बड़ी जगह ले सकती है। जिसमें विज्ञापन की राशि बहुत बढ़ जाती है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सभी कार्यो के लिए अखबारों में छपने से विज्ञापन की राशि बहुत बढ़ जायेगी। अत: ऐसे कार्य जिनकी राशि 1.0 लाख रु॰ से अधिक हो उनको छोड़कर अन्य सभी कार्यो की निविदाओं कोटेशनों के लिए एक छोटी विज्ञप्ति अखबारों में छापी जाय जिसे केवल निम्नलिखित सूचना दी जाय:-

(1) कार्यो का छोटा नाम।

(2) प्राक्कलित राशि।

(3) बिल ऑफ क्वान्टीटी निर्गत करने की अन्तिम तिथि एवं कार्यालय का नाम।

(4) निविदा प्राप्ति का स्थान, तिथि एवं समय।

(5) अर्नेस्ट मनी की राशि।

यह भी बताया जाय कि विस्तृत सूचना किन कार्यालयों में देखी जा सकती है, निविदा की नोटिस की विस्तृत सूचना संबंधित कार्यालयों में दो प्रतियों में भेजी जाय, ताकि एक नोटिस बोर्ड पर टांगी जा सके।

(7) अधीक्षण अभियंता आपातकालीन कार्य के लिए अथवा विशेष परिस्थिति में विस्तृत लिखित कारण व्यक्त करते हुए कंडिका (3) से (6) की शर्त्तो में आवश्यक छूट दे सकते है, जिससे आपातकालीन निविदा कोटेशन की नोटिस निर्गत हो। यह प्रक्रिया कार्यपालक अभियंता केवल 25,000/- रु० तक के कार्य के लिये लिखित विस्तृत कारण व्यक्त करते हुए विशेष परिस्थिति में कर सकते है परन्तु इसकी सूचना उन्हें उसी दिन अधीक्षण अभियंता के नाम से मुहरबंद लिफाफे के द्वारा सूचित करनी होगी।

(8) स्वीकृत बिल ऑफ, क्वान्टीटी की पर्याप्त प्रतियाँ निविदा/कोटेशन प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह पूर्व संबंधित कार्यालयों में अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षक अभियंता द्वारा तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी और उन्हें प्रमाण रखना होगा कि संबंधित कार्यालयों में बिन ऑफ क्वान्टीटी की कितनी संख्या एक सप्ताह पूर्व पहुँचा दी गई।

(9) बिल ऑफ क्वान्टीटी में मद, शर्त्त जो कटिंग, ओभर राईटिंग अथवा हाथ से लिखे गये शब्द हो उन सभी पर निविदा/कोटेशन प्राप्ति के समय सभी कटिंग, ओभर राईटिंग, हाथ से लिखे गये शब्दों आदि पर निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और वैसा ही प्रमाण प्रत्येक पृष्ठ पर दिया जायेगा।

(10) बिल ऑफ क्वान्टीटी कम-से-कम दो कार्यालयों से निर्गत की जाय। एक लाख रूपये से अधिक के कार्य के लिए संबंधित प्रमंण्डल एवं अंचल तथा उससे कम के कार्यो के लिए संबंधित प्रमंडल एवं अवर प्रमंडलों से बिल ऑफ क्वान्टीटी ठेकेदारों को बेची जाय। संबंधित प्रमंडल एवं अवर-प्रमण्डलों से बिल ऑफ क्वान्टीटी ठेकेदारों को बेची जाय।

(11) निविदा/कोटेशन केवल एक कार्यालय में निश्चित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाय और यदि आवश्यक हुई तो जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से सुरक्षा के लिए सहायता मांगी जाय।

(12) कभी-कभी प्रावैधिकी स्वीकृति प्राप्त होने के बहुत बाद भी उसी प्राक्कलन के विरूद्ध निविदा/कोटेशन मांगे जाते है जिसके कारण स्वीकृति दर एवं निविदा मांगने के समय दर में अन्तर हो जाता है और प्रायः पूर्व की स्वीकृति दरें अव्यवहारिक (Unowkrable) हो जाते हैं। अतः बिल ऑफ क्वान्टीटी को स्वीकृत करने के समय विभिन्न मदों के लिए वह दर दी जाय जो उस काल के लिये स्वीकृत अनुसूचित दर पर निर्धारित हो एवं तद्नुसार स्वीकृत मात्रा एवं उस तिथि की अनुसूचित दर तथा जिस मद का अनुसूचित दर नहीं हो तो उसको अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदन विश्लेषित दर के आधार पर ही बिल ऑफ क्वान्टीटी की अनुमानित प्राक्कलित राशि बिल ऑफ क्वान्टीटी तथा निविदा/कोटेशन को नोटिस में लिखा जाय।

(13) एच एवं एफ-2 एकरारनामा कार्य के लिए बिल ऑफ क्वान्टीटी में प्रत्येक मद के लिए मात्रा एवं उपरोक्त कंडिका (12) के अनुसार अंकित की जाय और उसी के अनुसार पूरे कार्य के लिए (ओवरऑल, मदवार) प्रतिशत अधिक या कम की दर मांगी जाय। इन्हीं मात्रा एवं दर के आधार पर निविदा की राशि बढ़ने पर विभिन्न पदाधिकारियों में निविदा/कोटेशन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी जिनसे निविदा/कोटेशन पर निर्णय लेने की तिथि को अनुसूचित दर देखना नहीं होगा। निविदा का निष्पादन अब निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्तर्गत की जाय जहां दरों के लिए निगोशियेशन आवश्यक हो वहाँ निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी स्वयं निगोशियेशन के 15 दिनों के अन्दर निष्पादन कर दें।

(14) बिल ऑफ क्वान्टीटी में वर्णित राशि से 15 प्रतिशत से कम की निविदा दर अमान्य होगी। इस शर्त को निविदा/कोटेशन को नोटिस में स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

(15) उपरोक्त (12) से (14) के आधार पर निविदा/कोटेशन पर निर्णय लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी देख लेंगे कि कार्य की राशि प्रशासनिक अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति दोनों से सरकार द्वारा स्वीकृत वृद्धि के अन्तर्गत है या नहीं यदि नहीं है तब पहले प्राक्कलन पर पुनरीक्षित अनुमोदन अथवा स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान अनुसूचित दरों से मान्य वृद्धि के अन्तर्गत होते हुए भी यदि प्रावैधिक स्वीकृति की राशि अथवा प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से मान्य वृद्धि अधिक है तब पुनरीक्षित आदेश प्राप्त करना होगा।

(16) बोल्डर, मेटल, चिप्स, ग्रेभल एवं ईट की आपूर्ति के लिए प्राक्कलन में वर्णित खदान/भट्टे से ढुलाई के आधार पर स्थल तक पहुंचाने की दर रखी जाय, और उस मद में वह दूरी भी लिखी जाय। परन्तु विशेष शर्तो में अवश्व लिखा

जाय कि कम दूरी से आपूर्ति होने पर अनुसूचित दर पर स्वीकृत निविदा के प्रतिशत अधिक/कमी के आधार पर कटौती की जायेगी। यदि खदान की दूरी निर्धारित दूरी से अधिक दूरी से आपूर्ति लेने के पूर्व निविदा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह उपबंध भी विशेष शर्त में अवश्य रहे।

(17) आपातकालीन कार्य जेसे विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के समय बेरिकडिंग का निर्माण, बाढ़ के समय बचाव कार्य आदि के लिए प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक राशि खर्च होते है जिनके लिए निविदा आदि के निष्पादन में बहुत शीघ्रता की जाती है और दर अथवा कार्यो के आवंटन के संबंध में बराबर शिकायत रह जाती है।

अतः अनुसूचित दर स्वीकृत करने के लिए गठित समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाले आपतकालीन कार्य के लिए अलग से दर निर्धारित की जाय जिसका व्यवहार केवल आपतकालीन कार्य के लिए हो इन आपतकालीन कार्यो के मदों की दरों का भी पुनरीक्षण अन्य मदों के साथ बराबर किया जाय।

(18) एक तुलनात्क विवरणी के आधार पर एक ठेकेदार से एक ही एकरारनामा किया जाय परन्तु आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से अनुपूरक एकरारनामा किया जा सकता है।

ख. विविध सामग्रियों का क्रय-

(1) मशीनों, गाड़ियों पुष्पों, नलकूपों आदि के कल पुर्जे, रंग, शीशा, आवेदन वायर, कटीले तार, चौखट, दरवाजे तथा खिड़की एवं उनकी फिटिंग, स्नानगृह, जलापूर्ति पम्प, सीवरेज आदि के कार्यो के लिए आवश्यक क्रय कभी भी छः मास की आवश्यकता से अधिक एक बार न किया जाय। किसी भी दशा में खराब होनेवाले वस्तुओं का क्रय बहुत पहले से न किया जाय।

(2) उपरोक्त कंडिका (1) के कार्य करते समय सक्षम पदाधिकारी का वह लिखित विवरणी अपने वरीय पदाधिकारी को देना आवश्यक होगा कि पिछले छः मास में उसका कितना व्यवहार हुआ है? अभी कितना उपलब्ध है तथा पिछले छः मास में इस मद का कितना व्यवहार होना है। अगले छः मास की आवश्यकता कैसे बनाई गयी उसका वर्णन देना आवश्यक होगा तथा कार्य करने का मात्रा पर क्रय कर्त्ताओं को वरीय पदाधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी।

(3) उपरोक्त कंडिका (1) में वर्णित मदों के लिए यदि राशि पांच हजार रूपये से अधिक हो तब निर्माताओं से ही दर मांगी जाय न कि स्थानीय एजेन्टों से। इसकी आपूत्रि भी उनके निर्माताओं से अथवा निर्माताओं द्वारा उसके प्राधिकृत एजेन्टों से ही आपूर्ति ली जाय तथा कंडिका (1) में वर्णित राज्य स्तर की दरों पर स्वीकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय किया जाय।

(4) उपरोक्त कंडिका (1) के लिए निविदा मांगते समय बिहार राज्य लघु उद्योग के प्रबंध निदेशक तथा उद्योग विभाग के जिला स्थित जेनरल मैनेजर की निर्बंधित पत्र द्वारा निविदा की नोटिस दी जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि अपनी ईकाइयों को भी इस निविदा की नोटिस की सूचना दें।

(5) उपरोक्त कंडिका (1) में वर्णित मदों तथा साल बल्ला, बांस एवं लकड़ी तथा अन्य जैसे मदों जिनकी आवश्यकता प्रति वर्ष होती है के लिए राज्य स्तर पर एक रेट कन्ट्रैक्ट कर लेना आवश्यक है। जिसके लिए निर्माताओं से दर मांगना आवश्यक होगा। राज्य स्तर के रेट कन्ट्रैक्ट निर्धारित करने के लिए सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, राज्य विद्युत विभाग, लघु सिंचाई विभाग, राज्य वन विभाग, एवं विकास निगम एवं लघु उद्योग विभाग के वरीय पदाधिकारी की एक समिति बनाई जाय और उसी समिति के द्वारा कन्ट्रैक्ट पर निर्णय लिया जाय तथा अन्य शर्तो का निर्धारण किया जाय। इस समिति द्वारा प्रत्येक छः मास के लिए डी॰ पी॰ एस॰ डी॰ की प्रक्रिया के अनुसार रेट कन्ट्रैक्ट निर्धारित किया जाय।

(6) प्रत्येक अंचल द्वारा पूर्व वर्ष के हुए कार्य के आलोक में अगले वर्ष की आवश्यकताएँ आंकी जाय और राज्य वन विकास निगम एवं विभाग से लकड़ी के मदों को क्रय करने के लिए आदेश अप्रील एवं अक्टूबर में दिया जाय। अन्य स्त्रोतों से लकड़ी के मदों की तभी लिया जाय जब विशेष परिस्थिति हो और वन विकास निगम और विभाग समय पर लकड़ी देने को लिखित रूप से असमर्थता प्रकट की हो।

(ग) विविधः

(1) भवन, सड़क, नहरें एवं बांध आदि की सामान्य मरम्मती के लिए प्रत्येक अवर प्रमण्डल के अन्तर्गत पड़नेवाले मरम्मती कार्यो के लिए एक प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष में 15 जून तक बनाया जाय तद्नुसार स्वीकृति की जाय न कि छोटे-छोटे

टुकड़े कर। कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने प्रमण्डल के सभी कार्यो की मरम्मती के प्राक्कलन बनवाने के बाद मरम्मती की योजना बनाई जाय और अब प्राक्कलन की स्वीकृति एक साथ दी जाय।

(2) सड़कों के मूल निर्माण कार्य में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि पूरी मीलों में या मिट्टी का कार्य किया हुआ है अथवा पत्थर आदि एकत्रित किये गये है। इन पर किये गये खर्च से लाभ शीघ्र प्राप्त नहीं होता है और न यातायात में कोई सुविधा मिलती है। अत: आवंटन के अनुसार समिति मीलों में कार्य करने के लिए ही सभी मदों को एक साथ शुरू किया जाय और एक समिति मील को पहले समाप्त किया जाय तभी आगे की मीलों में हाथ लगाया जाय।

(3) विभाग द्वारा आवंटन निर्गत करने में प्राय: बहुत विलम्ब होता है। इसी परिस्थिति में प्रत्येक अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता इस वर्ष के प्रारम्भ में हो अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं को यह सूचित कर दिया जाय कि इस वर्ष में कितनी राशि किस कार्य में व्यय किये जा सकते है। ताकि वर्ष के प्रारम्भ में ही उस राशि से कार्य योजनाबद्ध रूप से किया जा सके। न कि वर्ष के अन्त में किसी प्रकार आवंटन का व्यय दिखलाया जाय।

(4) कार्यपालक अभियंता द्वारा चेक निर्गत करते समय आवंटन की राशि देनी होती है परन्तु कुछ प्रमण्डलों में यह अनियमितता की जा रही है कि आवंटन के अन्तर्गत कुछ राशि का भुगतान कर शेष राशि को डिपोजिट शीर्ष में जमा कर दिया जाता है और उससे अगले वर्ष कार्य किया जाता है। ऐसे भी आरोप है कि आवंटन से अधिक राशि का कार्य करा लिया जाता है और आवंटन के आधार पर भुगतान कर शेष राशि का भुगतान तुरंत न कर डिपाजिट शीर्ष जमा कर दिया जाता है और बाद में बिना आवंटन के डिपोजिट शीर्ष से राशि निकाल कर भुगतान किया जाता है। इसी तरह कीप बैक पर प्रतिबन्ध रहने पर भी कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अनियमित रूप से अभी भी कीप बैक किये जा रहे है। इस प्रकार की प्रक्रिया बिल्कुल बंद कर दी जाय और इसके साथ कीप बैक की राशि एवं डिपाजिट की हुई राशि का एक रजिस्टर प्रत्येक प्रमंडल में रखा जाय, जिसमें उसके व्यय का शीर्ष एवं खर्च लिया हुआ हो और उसे शीघ्र शून्य किया जाय।

(5) लघु सिंचाई विभाग एवं कुछ अन्य विभाग में बांध के निर्माण कार्य में मिट्टी का उचित कम्पैक्शन नहीं किया जाता है। अब से प्रत्येक एकरारनामा में साफ-साफ जिक्र किया जाय कि कम्पैक्ट की हुई मिट्टी अब अनकम्पैक्टेड मिट्टी का कितना प्रतिशत माना जायेगा और तद्नुसार कंशोलिडेशन न होने पर मिट्टी की मात्रा में कटौती की जायेगी।

(6) कुछ एकरारनामें में विभिन्न प्रकार के कार्य के स्पेशिफिकेशन का विस्तृत वर्णन रहना है परन्तु कार्य के समय प्रात: उनके सैम्पुल लेकर गणना की जाँच नहीं की जाती है जिसके कारण कार्य पर नियंत्रण नहीं रहता है और बाद में अन्य प्रकार की शिकायत आती है। अत: एकरारनामा करने से पूर्व या तो विभाग द्वारा प्रत्येक प्रमंडल में गुण नियंत्रण का कार्य रखा जाय अथवा 50 लाख से बड़े कार्यो के ठेकेदारों पर यह जिम्मेदारी दी जाय कि वे गुण नियंत्रण के लिए सभी औजार रखेंगे और उन पर विभाग द्वारा टेस्ट करवा लेंगे। इसका प्रावधान एकरारनामा में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता द्वारा भी गुण नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा की गयी जांच चेक किया जाय।

(7) यह सर्वविदित है कि रूपांकण कार्यो का महत्व किसी भी निर्माण कार्य में सर्वोपरि है। ऐसी हालत में रूपांकरण के कार्यो को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सिंचाई संबंधी कार्यो के निरूपण में विभिन्नता रहती है अत: इनके संगठन को सुनियोजित ढंग से गठित करने की आवश्यकता है ताकि बिना उचित रूपांकरण का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाय।

(8) नहरों के डिस्टिलेशन के कार्यो की नापी अवर प्रमण्डलाधिकारी द्वारा अवश्य जांच की जाय, नहर खुलने के पूर्व अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस बिल को अवश्य कार्यपालक अभियंता को भेजनी चाहिए ताकि कार्यपालक अभियंता उसकी जांच कर सके।

(9) जब भी किसी विभाग द्वारा ''स्टॉक शीर्ष'' में कार्य करने के लिए आवंटन दिया जाता है तब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाय कि उस आवंटन में उस प्रमंडल के स्टॉक लिमिट में वृद्धि नहीं होगी और तीन मास के अन्तर्गत में वास्तविक कार्य शीर्ष में उसका हस्तान्तरण कर दिया जायेगा। साथ-साथ यह भी कि जबतक आवंटन के साथ यह

आदेश न दिया जाय कि स्टॉक सीमा की वृद्धि की गई है, कार्यपालक अभियंता यह मानेंगे कि स्टॉक सीमा की वृद्धि नहीं हुई। लोहा, सीमेन्ट, विटुमेन, सी॰ आई॰/जी॰ आई॰ पाइपों के क्रय में समय की छूट रहेगी।

(10) लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 232 के परिशिष्ट 6 के अनुसार अवर प्रमंडल पदाधिकारी को प्रति वर्ष 50 प्रतिशत एवं कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत मूल्य एवं संख्या से जांच करनी है, परन्तु उनके द्वारा जांच करने की जो प्रक्रिया अभी जैसी है उसके अनुसार इस नियम के ध्येय की पूर्ति नहीं होती है। अतः अब से इस प्रकार कार्रवाई की जाय:-

(क) अवर प्रमंडल पदाधिकारी प्रत्येक एकरारनामा के प्रथम, तृतीय, पंचम अर्थात् प्रथम के बाद एक को छोड़कर दूसरा विपत्र पूर्णतः (शत प्रतिशत) जांच करें।

(ख) प्रथम एवं अन्तिम विपत्र (फर्स्ट एवं फाइनल बिल) सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अवश्य चेक करें।

(ग) कार्यपालक अभियंता प्रत्येक एकरारनामा के 10 प्रतिशत प्रत्येक संख्या एवं राशि के अनुसार बिल अवश्य चेक करें और जिसमें 10 से अधिक विपत्र में 10 विपत्र में से कम-से-कम एक अवश्य चेक करें।

(घ) सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ऐसे विपत्रों को अवश्य चेक करें जो बाद में छूट जायेंगे या बाद में उनकी नापी नहीं की जा सकती। इस संबंध में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की जिम्मेवारी होगी कि समय पर नापी कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करें।

(ङ) मूल्यवान कार्य जैसे बीम, छत, लकड़ी के कार्य को अवश्य कार्यपालक अभियंता चेक करें।

(11) छोटे-छोटे मरम्मत के कार्य जैसे पॉट-हॉल या रेनकट भरना, फलैक पर मिट्टी के कार्य आदि जैसे कार्य खन्ते को नापी लेकर कराये जा सकते है किन्तु बांध के नये कार्य रिसेक्सनिंग या विशेष मरम्मत के कार्य भी खन्ते की नापी लेकर कराने से वे न तो वांछित परिच्छेद के वन पाते है और नहीं उनके सही भुगतान पर ही नियंत्रण रखना सरल रह जाता है। अतः मिट्टी की मूल प्रकृति के सभी कार्यो का खन्ते की नापी के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया बन्द कर दी जाय। उनका भुगतान परिच्छेद की मापी के आधार पर हो। जिसके लिए कार्य के पूर्व विद्यमान कार्य के परिच्छेद की नापी तथा चेकिंग विपत्र की चेकिंग की तरह ही सहायक अभियंता कम-से-कम 50 प्रतिशत तथा कार्यपालक अभियंता 10 प्रतिशत अवश्य चेक करें।

(12) ज्ञातव्य है कि बड़े कार्य के लिए जिनका अनेक वर्षो में कार्यान्वयन होना है उसमें समयानुसार कार्यो की वृद्धि व्यय कर राशि में वृद्धि होती है अभी की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन उस समय के दरों पर निर्धारित रहता है। जब प्राक्कलन प्रमंडल द्वारा बनता है। इसके बाद विभिन्न स्तरों से होते हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजने, उनका अनुमोदन प्राप्त करने एवं निधि का प्रबंध करते हुए बहुत समय लग जाता है और तब तक प्राक्कलन की राशि में दर की वृद्धि के कारण बहुत वृद्धि हो जाती है और पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस स्थिति के यथोचित निवारण के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय:-

(क) वित्त विभाग की सहमति एवं प्रशासकीय अनुमोदन लेते समय यदि प्राक्कलन की राशि में वृद्धि की सम्भावना है तब तद्नुसार प्राक्कलन में संशोधन पहले कर लिया जाय।

(ख) जैसे ही पूरे कार्य के किसी अंक को निविदा के आधार पर या अनुसूचित दर में वृद्धि के कारण वृद्धि की सम्भावना हो तब उसी समय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(ग) यदि किसी कार्य की भौतिक मात्रा में अन्तर न हुआ हो पर केवल दरों की वृद्धि के कारण राशि बढ़ती हो तब वित्त विभाग द्वारा पुनरीक्षण दिया जाय।

●●●

पत्रांक सं०–1 (स्था०–27/83-2347) (त०प०को०) पटना, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983

बिहार सरकार

तकनीकी परीक्षक, कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

बिहार, पटना।

प्रेषक,

श्री एस० के० सिन्हा,
निगरानी आयुक्त।

सेवा में,

श्री यु० बैद्यनाथन,
आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई विभाग।
श्री एन०के सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग।
श्री एस० पाटंकर,
आयुक्त एवं सचिव, भवन निर्माण विभाग।
श्री भाष्कर बनर्जी,
आयुक्त एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री पी० के० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, लघु सिंचाई विभाग।
श्री पी० के० मिश्रा,
आयुक्त एवं सचिव, विद्युत विभाग।
श्री बी० एन० बोस,
आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग।
श्री विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
श्री अरूण पाठक,
आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग।
श्री ए० के० बसु,
अभियंता–प्रमुख–सह–विशेष सचिव, सिंचाई विभाग।
श्री एस० बी० पी० सिंह,
अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग।
श्री नन्दीश्वर मिश्र,
अभियंता प्रमुख, लोक–स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
श्री विजय कृष्ण शर्मा,
अभियंता प्रमुख, विद्युत विभाग।
श्री एन० द्विवेदी,
मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, पटना।
श्री एन० त्रिवेदी,
मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, पटना।
श्री बलराम केशव,
मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, रांची।

श्री आर॰ के॰ गुप्ता,
मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, मुजफ्फरपुर।
श्री एस॰ नाथ,
मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड।
श्री आर॰ पी॰ ज्योतिषी,
मुख्य अभियंता, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद।
अध्यसक्ष, बिहार राज्य निर्माण निगम।
अध्यक्ष, बिहार राज्य आवास बोर्ड
अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग।
अध्यक्ष, बिहार राज्य जल विकास निगम।
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।
श्री डी॰ एन॰ राय चौधरी,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य निर्माण निगम।
श्री पी॰ सी॰ सिंह,
प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य आवास बोर्ड।
श्री डी॰ एन॰ सिंह,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
श्री युक्ति नाथ झा,
प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य विपणन पर्षद्।
श्री ए॰ के॰ बलि, लाल,
प्रबंध निदेशक, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण।
प्रबंध निदेशक,
गंडक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार।
सभी जिला उप-विकास आयुक्त
निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग।

बिहार सरकार, तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, पत्र संख्या-1/स्था॰-27/83-2347, दिनांक-31 दिसम्बर, 1983 ।

विषय : अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति।

लोक निर्माण विभाग के पत्रांक ए 2/ नियम-11/77 लो॰ नि॰-19591, दिनांक-3 अक्टूबर, 1977 एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक-462, दिनांक-30 मार्च 1982 के क्रम में निदेशानुसार यह कहना है कि राज्य सरकार के कार्य विभागों एवं अधीनस्थ बोर्डो एवं पर्षदों के अन्तर्गत कार्यो के कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली, लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण विभाग, लेखा संहिता में वर्णित नियमों के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये आदेशों पर भी पदाधिकारियों द्वारा उनका पालन समुचित रूप से नहीं किया जाता है अथवा नियमों का अपने ढंग से गलत व्याख्या कर नियम के अनुपालन में ढिलाई बरती जाती है। इसके अतिरिक्त जहां भी नियम में स्पष्ट आदेश नहीं है वहां ऐसी प्रक्रिया कुछ स्थानों पर अपनाई जाती है जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। अत: सभी विभागों में तथा राज्य सरकार के निगमों, बोर्डो एवं पर्षदों के कार्यो में एकरूपता लाने एवं पदाधिकारियों के दिशा-निर्देश देने हेतु अनुलग्न आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय।

2. इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय एवं उनके द्वारा किसी तिथि को आदेश की प्राप्ति हुई इसकी सूचना अभियन्ता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग को दी जाय।

अनुलग्नक

अभियन्त्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति

1. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका-230 से 234 एवं परिशिष्ट-6 में सभी मापी पुस्तिकाओं के निर्गम, उनकी जांच आदि का वर्णन किया गया है। परन्तु कुछ प्रमण्डलों द्वारा इन कंडिकाओं में वर्णित आदेशों का पालन नहीं होता है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक मापी पुस्तिका को प्रत्येक वर्ष अवश्य प्रमण्डल में कार्यपालक अभियंता के पर्यवेक्षण में प्रमण्डलीय लेखाकार द्वारा जांच हेतु लौट जानी चाहिए और दो वर्षो के बाद एक मापी-पुस्तिका को फिर से व्यवहार में नहीं लायी जानी चाहिए। परन्तु प्रमण्डलीय लेखाकार एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा शायद ही इन नियमों का पालन किया जाता है। अधीक्षक अभियंता द्वारा भी लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 245 का पालन नहीं किया जाता है। इन नियमों को, निम्नलिखित आदेशों के अनुसार यथास्थान संशोधित मानकर कड़ाई से पालन किया जाय-

(क) सभी मापी पुस्तिकायें अनिवार्य रूप से कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वयं उनके पूर्ण हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे और उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं हस्ताक्षर की तिथि लिखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक मापी पुस्तिका प्रमण्डल में प्रत्येक वर्ष नवम्बर मास में अवश्य वापिस होनी चाहिए, चाहे उनके पृष्ठ रिक्त क्यों न हो। केनीय अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से मापी पुस्तिकायें प्रमण्डल में भेजेंगे। नये प्रभार के बाद नये पदधारक को उनके पूर्वाधिकारी से प्राप्त सभी पुस्तिकायें अपने नाम पर (क) और (घ) के अनुसार पुनः निर्गत करा लेना होगा एवं तभी उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को मान्यता दी जायेगी।

(ग) जब तक मापी पुस्तिका कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता का एवं सहायक अभियंता द्वारा कनीय अभियंता को पुनर्निगत न किये जायें, प्रत्येक वर्ष पहली दिसम्बर के बाद कोई भी पदाधिकारी उस मापी पुस्तिका पर नापी नहीं ले सकते है। 7 दिसम्बर तक अंततः सभी चालू मापी पुस्तिकाओं को समीक्षा के उपरान्त, सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को पुनर्निगत करने की जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखाकार की होगी।

(घ) कार्यपालक अभियंता को मापी पुस्तिका को पुनर्निगत करने के लिए मापी पुस्तिका के उस पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा जहां से वह पुस्तिका रिक्त है। वहां भी कार्यपालक अभियंता का पूरा नाम उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखा जायेगा और निर्गत करने की तिथि एवं जिस सहायक अभियंता को पुस्तिका निर्गत की गई उसका नाम दिया जायेगा। इसी प्रकार की प्रविष्टि सहायक अभियंता द्वारा भी कनीय अभियंता को मापी पुस्तिका निर्गत करते समय करना होगा। पुनः निर्गत करने की सूचना मापी पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर भी दी जायेगी और मापी पुस्तिका निर्गत करने के संबंध में जो रजिस्टर प्रमण्डल/अवर प्रमण्डल में रखा जायेगा उसमें उसका उल्लेख किया जायेगा।

(ङ) प्रत्येक कार्य की मापी माह मे एक बार अवश्य ली जायेगी। ली गई नई मापी की जांच भी सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा निगरानी विभाग की पत्र संख्या-1/स्था०-108/81-462, दिनांक-30 मार्च 1982 में निर्गत आदेश के अनुसार की जायेगी। नापी लेने के 15 दिनों के अन्दर कनीय अभियंता मापी पुस्तिका एवं विपत्र सामग्री विवरणी के साथ सहायक अभियंता को उपस्थापित करेंगे और सहायक अभियंता अगले 15 दिनों के अन्दर मापी पुस्तिका जांचोपरान्त कार्यपालक अभियंता को उपस्थापित करेंगे। कार्यो की मापी को दर्ज करना, उसकी जांच करना अथवा विपत्र बनाना लम्बित नहीं रखा जाये, चाहे किसी कारणवश इस मापी से संबंधित विपत्र के भुगतान की कठिनाई क्यों न हो।

(च) जब तक मापी पुस्तिका कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर से पुनर्निगत नहीं की जाती है, निश्चित तिथि के बाद उनपर ली गई नापी अमान्य मानी जायेगी और जो पदाधिकारी ऐसा करेंगे उनके विरुद्ध यह गम्भीर आरोप माना जायेगा। इसका उल्लेख उनके चरित्र पुस्त में अवश्य किया जायेगा और उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही कर दण्डित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(छ) सभी कार्यों की मापी प्रत्येक मास में दर्ज करना अनिवार्य है। परन्तु विशेष परिस्थिति में 2 माह पहले किये हुए किसी कार्य की मापी तभी कोई पदाधिकारी द्वारा ली जायेगी जब उनके लिए कार्यपालक अभियंता की लिखित अनुमति प्राप्त हो। ऐसी नापी मापी पुस्तिका में दर्ज करने के पूर्व नापी लेने वाले पदाधिकारी को यह लिखना आवश्यक होगा कि उन्हें कार्यपालक अभियंता की स्वीकृति किस पत्रांक से मिली है। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी अपने आदेश में ऐसे अनुमति देने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

2. (क) सभी प्रकार की मापी (उसमें प्रि-सेक्शन लेबेल के आंकड़े एवं वैसे कार्यो की मापी जिनकी जांच बाद में नहीं की जा सकती है, सभी सम्मिलित हैं) लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 231 (बी) के अनुसार मापी पुस्तिका पर ही दर्ज की जायेगी।

(ख) नये कार्य करने के पूर्व प्रि-सेक्शन तथा वैसे कार्य जिनकी नापी बाद में 'पूर्णरूपेण जांच नहीं की जाती है, राज्य सरकार के आदेश संख्या-1/स्था॰-108/81-462 (त॰प॰को॰) दिनांक-30 मार्च 1982 की कंडिका (ग) एवं (घ) के अनुसार सहायक अभियन्ता के द्वारा 50% कार्यपालक अभियंता द्वारा 10 प्रतिशत जांच की जायेगी। परन्तु डैम एवं इम्बैंकमेंट के मामले में सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा इन कार्यो का अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत चेक किया जायेगा।

(ग) प्रि-सेक्शन एवं पोस्ट-सेक्शन के लिए लेवेल यथासम्भव एवं इन आंकड़े से निकाली गई मात्रा आदि को मापी पुस्तिका पर दर्ज की जायेगी।

(घ) (i) यदि ऐसे लेवेल के आंकड़े और तत्सम्बन्धित नापी अत्यधिक होने के कारण मापी पुस्तिका में दर्ज करने में अपरिहार्य कठिनाई हो तब जिन पुस्तिकाओं पर ऐसे लेवेल आदि लेना है उसके लिए स्टैण्डर्ड प्रति (संलग्न) बनाया जाय जिस पर मशीन द्वारा सभी पृष्ठ यंत्र-संख्यांकित कराकर लेवेल पुस्तिका बनाई जाय (इसे अनुपूरक मापी पुस्तिका कहा जा सकता है) और उस पुस्तिका को कार्यपालक अभियंता द्वारा लेवेल बुक की तरह देकर मापी पुस्तिका के लिए उपरोक्त कंडिका 1 में, वर्णित आदेशों के अनुसार निर्गत अथवा पुनर्निगत किया जायेगा। इन पुस्तिाओं को भी निर्गत अथवा पुनर्निर्गत करते समय कार्यपालक अभियंता उन पृष्ठों की संख्या, निर्गत करने, पुनर्निर्गत करने की तिथि, अपना पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम दर्ज करेंगे और इसके लिए एक अलग रजिस्टर प्रमण्डल में रहेगा। अवर प्रमण्डलों में भी इसी प्रकार के रजिस्टर रखे जायेगें। इस प्रकार से मान्यता प्राप्त मापी पुस्तिका अथवा लेवेल पुस्तिका के अलावे अन्य सादे कागज पर लिये गये लेवेल या मापी की कोई मान्यता नहीं होगी।

(ii) मापी पुस्तिका के सम्बन्ध में ऊपर जो आदेश कंडिका एक (क से छ) में दिये गये है वे इन पुस्तिकाओं एवं लेवेल बुक के लिए भी लागू होगें।

(iii) एक प्रि-सेक्शन/लेवेल पुस्तिका एक कार्य के लिए निर्गत किया जायेगा। अर्थात् एक प्रि-सेक्शन/मापी पुस्तिका में एक से अधिक कार्य की मापी/लेवेल दर्ज नहीं किये जायेंगे।

(iv) जब तक presection/level-book एवं लेवेल बुक छप नहीं जाती है तब तक के लिए (इसके निर्गत होने के अधिकतम तीन मास तक) कार्यपालक अभियंता पुस्तिका स्वयं बनायेंगे और उसे वे उपरोक्त आदेश के अनुसार निर्गत करेंगे।

(v) उपरोक्त पुस्तिकाओं में किसी भी कार्य के लिए मापी/लेवेल लेते समय उसी समय मापी/लेवेल पुस्तिका में भी उनका जिक्र मापी/लेबेल लेने वाले पदाधिकारी द्वारा करना होगा और किसी मापी पुस्तिका में जिक्र किया गया उसकी संख्या उपरोक्त मापी/लेवेल के पृष्ठ पर भी लिखनी होगी। जिस दिन प्रि-सेक्शन अथवा लेवेल के आधार पर प्रि-सेक्शन की मापी की गणना हो जाती है उसका उल्लेख मापी पुस्तिका में किया जायेगा कि किसी दूरी में कितनी मात्रा प्रि-सेक्शन में आई।

3. (क) लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल की स्टाफ की वृद्धि के लिए मुख्य अभियंता पूर्णत: सक्षम है। अब मुख्य अभियंता की शक्ति वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत स्टॉक सीमा की राशि के ऊपर अस्थाई रूप से केवल 6 मास के लिए 100 प्रतिशत वृद्धि करने की सक्षमता रहेगी, परन्तु इसके लिए आय-व्ययक में उपलब्ध होना आवश्यक होगा। जिस प्रमण्डल के लिए स्टॉक-सीमा स्वीकृत नहीं है, वहां वित्त विभाग की सहमति से स्टॉक-सीमा शीघ्रताशीघ्र निर्धारित कराई जाय।

(ख) सभी प्रमण्डल के सीधे प्रभार में कुछ ही स्थानों में स्टॉक रखे जाते है और अधिकांश स्टॉक कनीय अभियन्ताओं के प्रभार में सेक्शनों में रहते हैं। अब से स्टॉक सीधे प्रमण्डल में कार्यपालक अभियंता के अधीन एक या अधिक स्थान पर रखे जायेंगे। इसके लिए प्रमण्डल में उस प्रमण्डल में स्वीकृत सहायक अभियंता एवं/अथवा एक कनीय अभियंता के प्रभार में रहेंगे। ऐसे कनीय अभियंता सीधे कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता के अधीन कार्य करेंगे। स्टॉक के प्रभार में जो कनीय अभियंता रहेंगे उन्हें उस प्रमण्डल का कोई अन्य निर्माण कार्य नहीं दिया जायेगा। जो कनीय अभियंता स्टॉक के प्रभार में रहेंगे उन्हें किसी कार्य की स्थल-लेखा आर॰ एम॰ एस॰ आदि का प्रभार नहीं दिया जायेगा।

(ग) प्रमंडल में स्टॉक के लिए जो सामान प्राप्त किये जायेंगे उन्हें प्रमण्डल के सीधे प्रभार में रखे स्टॉक में रखा जायेगा और स्टॉक शीर्ष में उन्हें धारित किया जायेगा। प्रमण्डल स्टॉक से सामान किसी कार्य में शीघ्र लगाने हेतु तथा स्थल एकाउन्ट में लेने हेतु ही निर्गत होंगे और उनका उस कार्य में आवंटन के विरूद्ध एक माह के अन्तर्गत भारित किया जायेगा।

(घ) स्टॉक, यंत्र एवं संयंत्र, अथवा क्रय शीर्ष में क्रय करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन पर मूल कार्य की सक्षमता के अनुसार सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 257, 258, 261 एवं 262 के अनुसार आवश्यक होगी। सक्षम पदाधिकारी स्वीकृति देने के पूर्व उस प्रमण्डल की स्टॉक सीमा की बचत राशि अवश्य देख लेंगे।

(ङ) अभियन्ता प्रमुख, मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लोहे, विटुमेन और दुर्लभ सामग्रियों के क्रय तथा किसी कार्य शीर्ष के अन्तर्गत क्रय करते समय वित्त विभाग के संकल्प संख्या-9736, दिनांक-24 अक्टूबर, 1983 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(च) किसी भी कार्य के स्वीकृत-मदों के लिये कितनी सामग्रियों, यंत्र-संयंत्र आदि के क्रय प्रत्येक वर्ष किये जा सकते हैं इसका निर्णय राज्य सरकार के आदेश संख्या-1/स्था-108/81-462-त॰प॰को॰ दिनांक-30 मार्च 1982 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-9736, दिनांक-24 अक्टूबर 1983 के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्माण-सीड्यूल एवं तद्नुसार क्रय-सीड्यूल बनाना आवश्यक होगा और इसी के अनुसार आय-व्ययक के उपबन्ध के अन्तर्गत सामग्रियों एवं संयंत्रों का क्रय किया जायेगा ताकि ऐसे क्रय न किये जायें जिनका परियोजना में शीघ्र व्यवहार न हो।

4. डी॰जी॰एस॰डी॰ के माध्यम से भी समायोजन के द्वारा नहीं वरन् आवंटन के विरूद्ध पूर्ण भुगतान कर ही सामग्री का क्रय किया जाय जैसा कि वित्त विभाग के संकल्प सं॰-9636, दिनांक-24 अक्टूबर 1983 में आदेश है।

5. लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका-163 में साधारणत: न्यूनतम निविदा की स्वीकृति करने का प्रावधान है और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी निविदाकर्ता को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि निविदा का निर्णय किस आधार पर किया गया है। लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 165 तथा मुख्य सचिव के आदेश संख्या-ए2/निगम-11/77, लो॰नि॰-19591, दिनांक-3 अक्टूबर, 1977 की कंडिका 15 एवं 16 पर दिये गये आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाय। परन्तु एक से अधिक निविदाकर्ता निविदा अथवा कोटेशन जब न्यूनतम देते है तब निविदा अथवा कोटेशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी अथवा जहाँ निविदा समिति है, वहां निविदा समिति अपना विवेक (डिसक्रीसन) निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में देखते हुए व्यवहार करेंगे-

(क) निर्बंधित ठेकेदारों में वैसे ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाय जो पहले से निर्बंधित हो, और

(ख) ऐसे ठेकेदारों को जिन्होंने पूर्व में समय पर कार्य नहीं किया है अथवा जिनके कार्य संतोषजनक नहीं होते अथवा जिनका आवंटित कार्य पिछड़ा हुआ हो, उन्हें प्राथमिकता न दी जाय। किसी भी निविदाकार अथवा कोटेशनदाता को यह पूछने का अधिकार नहीं होगा कि निविदा अथवा कोटेशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी ने अपना विवेक किस आधार पर व्यवहार किया परन्तु किस आधार पर किसी ठेकेदार को कार्य आवंटित किये गये इसका उल्लेख निविदा/कोटेशन पर निर्णय लेनेवाले पदाधिकारी को तुलनात्मक विवरणी पर उल्लेख करना होगा।

6. मुख्य सचिव के आदेश संख्या-1/स्था-108/81-462-त॰प॰को॰ दिनांक-30 मार्च 1982 के द्वारा निर्गत आदेश के-

(क) भाग-2 कंडिका 1 (2) के अनुसार एक सप्ताह में एक नोटिस की विज्ञप्ति की एक पत्रांक के द्वारा ही समेकित रूप में सभी कार्यो के लिए निविदा मांगनी है और संबंधी अधीक्षण अभियंता द्वारा अंचल, प्रमण्डल एवं अवर प्रमण्डल के द्वारा विज्ञापन निकालने एवं निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी।

सामान्य रूप से 50,000 रूपये तक के कार्यो की निविदा/कोटेशन की विज्ञप्ति भी अन्य कार्यालयों में निविदा/कोटेशन प्राप्त की तिथि से कम-से-कम 10 दिन पूर्व दो प्रतियों में प्राप्त होनी चाहिए ताकि एक प्रति समय पर उस कार्यालय के नोटिस बोर्ड में टांग सके। किस कार्यालय में विज्ञप्ति कब प्राप्त हुई इसका प्रमाण रखना नोटिस निर्गत करनेवाले कार्यालय के लिए आवश्यक होगा।

(ख) भाग 2 कंडिका 1 (18) के अनुसार-

(i) एक तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निविदाकर्ता/कोटेशनदाता के बीच कार्य नियमानुसार आवंटित किये जा सकते हैं, परन्तु एक निविदाकर्ता/कोटेशनदाता के साथ एक ही एकरारनामा किया जाय।

(ii) एकरारनामा के सम्बन्धित परिमाण विपत्र के किसी मद की मात्रा में कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा क्रमश: 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत तक की ही वृद्धि की जा सकती है। साथ

ही किसी एकरारनामा के किसी मद की वृद्धि नये मदों के जोड़ने, दावे की स्वीकृति अथवा अनुपूरक एकरारनामा के कारण यदि वृद्धि, उस कार्य के अभिन्न होने के कारण अपरिहार्य हो जाती है, तब इस मूल एकरारनामा की राशि से कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियंता क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत तक की कुल वृद्धि करने के लिए ही सक्षम रहेंगे। परन्तु यह वृद्धि यदि उस कार्य के अभिन्न अंग होने के कारण नहीं है, तब किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती।

मुख्य अभियंता की शक्ति से अधिक वृद्धि होने पर प्रशासी विभाग का अनुमोदन आवश्यक होगा। उपरोक्त शक्तियों का उपयोग तभी होगा जब वर्तमान नियमों के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन और/अथवा प्रावैधिक स्वीकृति की आवश्यकता न हो। यदि इन कारणों से पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन की संभावना हो तब प्रशासी विभाग का लिखित आदेश प्राप्त कर ही कार्य किये जा सकते हैं।

(ग) भाग-2 कंडिका (क) 14 में 15 प्रतिशत से काम की निवेदित दर अमान्य मानी गई है और इसकी चर्चा निविदा की नोटिस में भी लिखने का आदेश है। अब से न्यूनतम 15 प्रतिशत को विभागीय सामानों को छोड़कर गणना किया जाय जिसे नीचे वर्णित फॉरमूला के अनुसार जो गणना आती है, उसमें कम की राशि अमान्य मानी जायेगी और इसका स्पष्ट उल्लेख गणना कर नोटिस में किया जायेगा।

(i) निविदा की नोटिस के अनुसार कार्य की पूरी राशि-क

(ii) इस कार्य के लिए विभाग द्वारा जो सामान निर्गत किये जायेंगे इसकी कुल राशि-ख (लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 272 एवं लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता की कंडिका 131 से 134 के अनुसार)।

(iii) यह निम्नतम प्रतिशत जिससे कम दर मान्य न होगा क-ख x 15/क

(घ) प्रत्येक विभाग में अर्नेस्ट मनी से छूट देने की प्रथा 1 अप्रैल 1984 से बन्द की जाय।

7. ठिकेदारों के निबन्धन के लिए प्रशासी विभागों में कम-से-कम प्रत्येक तीन मास पर निश्चित तिथि की बैठक बुलाई जाय। एजेन्डा को सदस्यों के बीच परिचालित कर निर्णय न लिया जाय।

8. मस्टर रोल पर नियुक्ति अथवा कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति पर मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या-3/प्रार॰ (1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, दिनांक-22 जनवरी 1982, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या-2/एस॰-10-127/75-14094, दिनांक-2 अप्रील 1981 आदि में जो आदेश दिये गये हैं, उनका पालन कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन आदेशों के अतिरिक्त निम्नलिखित आदेशों का भी पालन किया जायः

(क) मस्टर रोल पर नियुक्ति, अथवा कार्यभारित कर्मचारियों के प्रारम्भिक वेतन के भुगतान के लिये सम्बन्धित शीर्ष से विशेष आवंटन कार्यपालक अभियंता को उस शीर्ष के पूर्ण आवंटन के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त करना होगा।

(ख) उपरोक्त (क) के लिए आवंटन देते समय, आवंटन देने वाले पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता से एक सूची प्राप्त करेंगे जिसमें नियुक्त व्यक्ति का नाम, नियुक्ति की अवधि, कार्य का नाम, नियुक्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी का प्राधिकार एवं वेतन का उल्लेख रहेगा। इस सूची की जांच करने के पश्चात् ही आवंटन की स्वीकृति दी जायेगी।

(ग) उपरोक्त (क) के लिए आवंटन सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसी आय-व्ययक फर्म या संस्था में दिया जायेगा,

9. क्रेडिट नोट ठेकेदार को क्रेडिट नोट देने की प्रथा बन्द की जाती है।

10. सड़क के निर्माण में पत्थर की चपाई अथवा प्रिमिक्स आदि कार्य हेतु साधारण इकट्ठी की गई मात्रा के अनुसार भुगतान होता है और यह नहीं देखा जाता है कि उचित ढंग से कनसोलिडेशन करने के पश्चात् कितनी मात्रा प्राप्त हुई। अब से मापी पुस्तिका पर उचित लम्बाई (कम-से-कम 1 किलोमीटर में 4 स्थान पर) को लेकर एक क्रॉस सेक्शन में तीन स्थानों पर चपाई के बाद की मुटाई की मापी पुस्तिका में दर्ज की जाय और तदनुसार कार्य की मात्रा निकाली जाय। इस मात्रा एवं आपूर्ति किये गये सामानों की मात्रा की तुलना कर दोनों में जो कम मात्रा हो, उसके अनुसार भुगतान किया जाय। परन्तु चपाई ठीक ढंग से हुई या नहीं, यह अवश्य देख लिया जाय। अधीक्षण अभियन्ता उपरोक्त कार्य का निरीक्षण करते समय अनिवार्य रूप से ऐसी मापी की जांच करेंगे।

11. अनेक ऐसे दृष्टांत आये हैं कि एक ही स्थान पर साधारण मरम्मत, विशेष मरम्मति, बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मती एवं मूल कार्य शीर्ष से एक ही प्रकार के कार्य का भुगतान हुआ है। ऐसे दृष्टांत सड़क, नहर, बांध आदि के कार्य में प्राप्त हुए हैं। अब से प्रत्येक

सड़क के लिए रोड रजिस्टर और इसी तरह नहर एवं बांध रजिस्टर रखी जाय और उसमें प्रत्येक क्वार्टर लम्बाई में किया गया कार्य किस वर्ष किस शीर्ष से हुआ यह लिखा जाय। ऐसा रजिस्टर प्रशाखा, अनुमण्डल एवं प्रमण्डल में रखा जाय। भुगतान के पूर्व बिल वरीय कार्यालय में भेजते समय कार्य का विवरण एवं अवधि दर्ज किया जाय और यह भी प्रमाण कनीय एवं सहायक अभियंता दें कि यह कार्य इस वर्ष अन्य शीर्ष से नहीं किया गया है और इस स्थान पर केवल (अमुक) (कार्य) (अमुक) शीर्ष से किया गया है जिसकी मापी, मापी पुस्तिका संख्या (अमुक पृष्ठ में ली गई है)।

12. मस्टर रोल, कैजुअल श्रमिक अथवा कार्यभारित कर्मचारियों को भुगतान करने के पूर्व उनके पिता, गांव एवं पता का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब से इस प्रकार के भुगतान के पूर्व उनके नाम के अतिरिक्त पिता/पति, गांव एवं पूरा पता अवश्य लिखा जाय, ताकि अंगूठे का छाप/हस्ताक्षर की जांच बाद में भी की जा सके।

13. लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 32 का पालन साधारणत: नहीं हो पा रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों को इस पर समुचित ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक प्रशाखा, अवर प्रमण्डल, एवं प्रमण्डल के कार्यालय में सरकारी जमीन का एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें जमीन का स्थान एवं क्षेत्रफल का वर्णन एवं कितना अंश अतिक्रमित है, अथवा कितना क्षेत्र किसे कब एवं किस आदेश से हस्तांतरित हुए, इसका उल्लेख किया जाय। सड़क, नहर आदि एलाइनमेन्ट में अन्तर करने अथवा वायपास बनने के कारण जो जमीन अतिरिक्त हो जाती है, उसका भी इसी रजिस्टर में वर्णन किया जाय। प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक एक रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को प्रमण्डल द्वारा जांच कर भेजी जाय जिसमें कुल सरकारी जमीन का क्षेत्रफल, अतिक्रमित जमीन तथा हस्तांतरित जमीन एवं हस्तांतरण के आदेश का उल्लेख किया जाय और इसे कार्यपालक अभियंता द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा और यह बतलाया जायेगा कि पिछले वर्ष से अन्तर का क्या कारण है।

14. प्रत्येक शाखा, अवर प्रमंडल में पेड़ के रजिस्टर रखने की व्यवस्था है, परन्तु, इसमें बहुत ढिलाई बरती जाती है। वह एक बहमूल्य सरकारी धन है, अत: इसमें ढिलाई गम्भीर गैर-जिम्मेवारी मानी जायेगी। वन विभाग द्वारा कितने पेड़ लगाये गये और कितने उपलब्ध है, इसकी सूचना भी अलग से रजिस्टर में दी जायेगी और उक्त पेड़ों पर संख्या को अलग क्रम से अंकित की जायेगी। इसका सार प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में अधीक्षण अभियंता को भेजा जाय।

15. ठेकेदारों को दी गई सामग्रियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है अथवा बिना व्यवहार के उनके पास सामग्रियाँ नहीं पड़ी हैं, इसे देखने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कनीय, सहायक एवं कार्यपालक अभियन्ता पर रहेगी। इसके अतिरिक्त साधारणत: 15 दिनों की आवश्यकता से अधिक की सामग्री ठेकेदार को नहीं दी जायेगी।

16. एक प्रमण्डल से दूसरे प्रमण्डल में सामग्री निर्गत/हस्तांतरण केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही निर्गत सामग्रियों के पूर्ण मूल्य के पूर्व भुगतान करने पर ही किया जायेगा। एक अंचल से दूसरे अंचल में सामानों का हस्तांतरण अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति से ही किया जायेगा। इसी प्रकार एक मुख्य अभियन्ता के क्षेत्र से दूसरे मुख्य अभियंता के क्षेत्र में हस्तांतरण के लिए मुख्य अभियंता की और एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तांतरण के लिए अभियंता प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

17. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 261 एवं 262 के अनुसार ठीकेदार को सामग्री देते समय हस्त रसीद पर कार्य का नाम जिसके लिए सामग्री निर्गत की गई तथा उस हस्त रसीद पर वह सामग्री-विशेष उस कार्य के लिए कितनी मात्रा में ठेकेदार को दी गई, उसका वर्णन आवश्यक होगा।

18. ठेकेदारों को विपत्रों को भुगतान करने के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण मापी पुस्तिका एवं प्रमाणक में देना होगा -

''इस विपत्र तक किये गये कार्य के लिए ठेकेदार को जो सामान दिये गये हैं, उनकी कीमत ठेकेदार के विपत्र से काट ली गई है और अब तक इस कार्य के लिए व्यवहृत सभी सामान के मूल्य की राशि का इस कार्य के लिए आवंटन के विरूद्ध समायोजित कर लिया गया है।''

19. सामानों की राशि के (यदि निश्चित पद का पता नहीं हो तब स्थल गणना के आधार पर निर्धारण कर) व्यय का समायोजन उस कार्य के प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किया जायेगा।

20. (क) किसी भी कर्मचारी/पदाधिकारी को किसी मास में दिये गये अग्रिम लेखा उनके द्वारा एक मास के अन्दर अवश्य समर्पित होनी चाहिए और कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उसके सामंजन अथवा उनपर लिये गये निर्णय अगले 15 दिनों तक उन्हें सूचित की जानी चाहिए। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस कर्मचारी को कोई अन्य अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित अग्रिम में गृह-निर्माण, मोटरकार, अग्रिम वेतन आदि सन्निहित नहीं है।

21. प्रमण्डल के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम की लेखा रखी जाय और कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमण्डल कार्यालय को अग्रिम लेखा की एक प्रति प्रत्येक मास 10 तारीख को अधीक्षण अभियन्ता को भेजी जाय जिसमें यह भी लिखा जाय कि किस शीर्ष के आवंटन के विरूद्ध अग्रिम दिये गये।

22. इसी प्रकार (क) मिसलेनियस पी॰ डब्ल्यू॰ एंडभांस (ख) पब्लिक वर्क्स डिपोजिट, (ग) ठेकेदारों के विपत्रों से कीप बैक आदि रोकी गई राशि, तथा लोक निर्माण संहिता की कंडिका-540 की (i) एवं (ii) की मासिक लेखा रखी जाय तथा इस मासिक लेखा को भी अधीक्षण अभियंता को प्रत्येक मास के 10 तारीख तक प्रमण्डल द्वारा भेजा जायेगा और यह बतलाया जायगा कि किस आवंटन के विरूद्ध इन लेखाओं में राशि लाई गई है।

23. जमानत एवं अर्नेस्ट मनी की वापसी, डिपाजिट शीर्ष के भुगतान किस बैंक तथा अन्य रोकी गई राशि के भुगतान की मासिक विवरणी प्रत्येक अगले मास के 10 तारीख को अधीक्षण अभियंता को प्रमण्डल द्वारा भेजी जायेगी जिसमें यह दिखलाया जायेगा कि इनके लिए किस मास एवं किस-किस आवंटन के विरूद्ध भुगतान दिखलाया गया था। यदि आवंटन की आवश्यकता नहीं थी तब उसका कारण दिया जायेगा।

24. कंडिका 20 से 23 की विवरणी प्रमण्डलीय लेखाकार के द्वारा बनाई जाय जिसे कार्यपालक अभियंता जांच कर अधीक्षण अभियंता को भेजेंगे।

25. अधीक्षण अभियंता उपरोक्त कंडिका 20 से 23 में वर्णित लेखा पर फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर एवं दिसम्बर मास में उस वित्तीय वर्ष की तब तक की स्थिति के संबंध में एक समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्य अभियंता को भेजेंगें।

26. प्रमण्डल एवं अंचल के प्रधान लिपिक, सहायक की यह जिम्मेवारी रहेगी कि वे प्रत्येक मास के प्रथम दिन निर्गत पंजियों को देख लें कि उसमें कोई निर्गत संख्या रिक्त है या नहीं। रिक्त संख्या को वे काटकर अपना हस्ताक्षर कर दें और इसकी सूची उसी दिन कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता के प्रावैधिकी परामर्शी को देंगें। रिक्तियों के लिए दोषी व्यक्तियों को लिखित रूप से चेतावनी दी जाय। अधीक्षण अभियंता प्रमण्डलों के विधिवत् निरीक्षण एवं समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण के समय इसे देखा करेंगे।

27. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कुछ प्राक्कलनों की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति है। ऐसे प्राक्कलन स्वीकृत अनुसूचित दर एवं जहाँ अनुसूचित दर नहीं है विश्लेषित दर के आधार पर स्वीकृत किए जाने हैं। ऐसी विश्लेषित दरों का अनुमोदन, प्राक्कलन की स्वीकृति के पूर्व, अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अधीक्षण अभियंता ऐसे मदों का विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उसके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उसका अनुमोदन, यदि आवश्यकता हुई तब संशोधनोपरान्त, प्राप्त करेंगे। प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता अपने द्वारा ऐसे सभी विश्लेषण की समेकित सूची बैठक में रखेंगे।

28. लोक निर्माण संहिता की कंडिका 123, 183 एवं 184 में पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति का उपबन्ध किया गया है। इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाय:

परन्तु प्रावैधिक स्वीकृति जिस प्राक्कलन के आधार पर दी जाती है उसके सार में वर्णित मदों (सबहेड) के अन्तर्गत किसी भी मद में जैसे ही 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना हो वैसे ही उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाय और उस पर प्रावैधिक स्वीकृति देने वाले सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य कराया जाय।

इसी प्रकार प्रशासकीय अनुमोदन जिस प्राक्कलन के आधार पर दिया है उसके सार में वर्धित मुख्य मदों (सबहेड) के अन्तर्गत जैसे ही आवासीय भवनों के कार्य 10 प्रतिशत एवं अन्य कार्यो में 15 प्रतिशत से अधिक ही वृद्धि की संभावना हो वैसे ही उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाय और उस पर प्रशासी विभाग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य कराया जाय।

29. बाढ़ क्षति, विशेष अथवा सामान्य मरम्मती हेतु एक प्रमण्डल के लिए प्राक्कलनों की स्वीकृति उसी राशि-सीमा के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, अधीक्षण अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा की जा सकती है जो अभियंता प्रमुख (जहां अभियंता प्रमुख नहीं है, वहां मुख्य अभियंता) द्वारा वैसी राशि का निर्धारण नहीं किया जाता है, मरम्मती वर्ष के अन्तर्गत कोई भी पदाधिकारी प्राक्कलन व्ययीकृत नहीं करेगें।

प्रत्येक पदाधिकारी अपने क्षेत्र में स्वीकृत ऐसे प्राक्कलनों का रजिस्टर रखेंगे और प्रत्येक प्राक्कलन की संख्या स्वीकृति की तिथि उस प्राक्कलन पर लिखेंगे।

ENCLOSURE

Level Book No. **TO PARA 2 (DHA)**

Levels for (Name of work)

Agreement No. Date.....

Gross Ref. of MB No. and Page

Collimation Method

Back Sight	Intermediate	Foresight	Reduced Level		Distance	Remark
			In Str. Line	Staff Station		
						S.O's line
						AE's line
						EE's line

Rise & Fall Method

Division/Subdivision/Section

Line	Back sight	Intermediate	Foresight	Rise	Fall	Reduced level	Distance	Remark
S.O								
A.E								
E.E								

●●●

बिहार सरकार

तकनीकी परीक्षक कोषांग

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24 फरवरी, 1986

विषयः अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के संबंध में।

राज्य के कार्य विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधीन कार्यरत अभियंत्रण कोषांग में पूर्व से प्रवृत्त अभियंत्रण कार्यो के कार्यान्वयन की पद्धति से संबंद्ध अनुदेशों/परिपत्रों के सम्यक् विचारोपरांत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

निविदा निष्पादन की प्रक्रियाः-

तत्कालीन लोक-निर्माण विभाग के पत्रांक-19591, दिनांक 3 अक्टूबर 1981 तथा निगरानी विभाग के पत्रांक 462, दिनांक 30 मार्च 1982 एवं पत्रांक 2347, दिनांक 31 दिसम्बर 1983 में निर्देशित निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. निगरानी विभाग के पत्रांक-2347, दिनांक 31 दिसम्बर 1983 की कंडिका 6 (ग) में दिये गये फार्मूला के अनुसार न्यूनतम मान्य अधिसीमा निर्धारित की जाय, पर इसकी गणना करते समय सरकार द्वारा दी जानेवाली केवल दुर्लभ निर्माण सामग्रियों यानि सीमेंट, लोहा और बिटुमेन की ही कीमत घटायी जाय और किसी भी हालत में न्यूनतम अधिसीमा 10 प्रतिशत से कम नहीं मानी जाय। दूसरे शब्दों में 15 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा घटने पर भी 10 प्रतिशत से कम किसी भी हालत में नहीं होगी।

1.1.2 निगरानी विभाग के पत्रांक 2347, दिनांक 31 दिसम्बर 1983 की कंडिका 5 (क) आंशिक संशोधन कर यह उपबन्ध किया जाता है कि (1) वरीयता के आधार पर बराबर के निविदादाताओं में वरीय निविदादातों को एक वित्तीय वर्ष में एक कार्य के लिये ही प्राथमिकता मिलेगी, और (2) जिस श्रेणी में एक ठीकेदार निबंधित हो उस श्रेणी में मात्र एक श्रेणी नीचे तक के कार्य बराबर की निवेदित राशि में ही उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

वरीयता का आधार जिस श्रेणी की निविदा विचाराधीन हो उसी श्रेणी में रजिस्ट्रेशन की तिथि होगी। यदि कोई सम्वेदक अपने वर्तमान निबंधन की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे भी निविदा देते है और यदि वे इसके पूर्व वर्तमान श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निबंधित थे तो उनकी वरीयता की गणना नीचे की श्रेणी में निबंधन की तिथि के आधार पर की जा सकती है बशर्ते कि विचाराधीन कार्य उस क्षेत्र में पड़ता हो जिस क्षेत्र के लिये वे निबंधित हों।

1.2 जिनका निबंधन अभी तक नहीं हुआ है, लघु सिंचाई विभाग इस पर तत्परता से कार्रवाई कर नियमानुसार ठीकेदारों को निबंधित करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करें। जबतक निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तबतक वे सिंचाई विभाग के ठीकेदारों की श्रेणी में लेकर कार्य करा सकते है।

2. विपत्रों के चेकिंग की प्रक्रियाः-

2.1 अनुसूचित दर पर आधारित प्राक्कलित राशि से कम पर आवंटित किये कार्यो के ठीकेदारों के लिए निर्णय लिया गया कि ऐसे कार्यो के विपत्रों की जांच की न्यूनतम मात्रा सहायक अभियंता के लिये 50 प्रतिशत (मूल्य और संख्या) और कार्यपालक अभियन्ता के लिये 15 प्रतिशत (मूल्य और संख्या) होगी। सभी तरह पर चेकिंग की प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे विपत्र में अंकित पूरे कार्य की मात्रा और विशिष्टि का बना साध्य सही-सही मूल्यांकन हो सके।

2.2 सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता भी अपने अधीनस्थ सभी कार्यो के गुण स्तर की जांच समय-समय पर करेंगे और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर कार्यो की विशिष्टि नियंत्रित करेगें।

3. अनियोजित अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधाः-

3.1 . अनियोजित अभियंताओं (डिग्री एवं डिप्लोमाधारी) को निर्माण कार्य में सहुलियत देने संबंधी राज्यादेश लोक निर्माण विभाग के पत्रांक ए-2 एस॰-1-8817 लो॰नि॰-25595, दिनांक 31 दिसम्बर 1975 को निर्गत हुआ था। यह आदेश अभी भी प्रभावी है। इस आदेश में दी गयी सुविधाओं के सामान्य रूप से सम्पुष्ट करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें निम्नांकित सुविधायें अगले आदेश तक कायम रखी जायः-

(1) अनियोजित अभियंताओं की रोजी रोटी देने हेतु यथासंभव उन्हें अधिक-से-अधिक कार्य दिया जाय और प्रत्येक प्रमंडल के मरम्मती एवं संरक्षण मद में आवंटित राशि के कम-से-कम 10 प्रतिशत का कार्य उनके लिये आरक्षित कर उन्हें अनिवार्य रूप से आवंटित किया जाय। विभागीय स्तर पर कराये जाने वाले कार्यो के लागत-व्यय को आवंटित राशि में से घटाकर ही किये जाने वाले कार्यो का मूल्य (दस प्रतिशत की दर से) निर्धारित किया जायेगा।

(2) पंजीकृत अभियंता किसी एक कार्य अंचल में निबंधित करायेगे और वही अंचल उनका कार्य क्षेत्र होगा।

(3) पंजीकृत अनियोजित अभियंताओं के लिये कार्य अलग कर सुरक्षित करेगें और उनके लिये सिर्फ अनियोजित अभियंताओं से ही निविदायें मांगी जायेगी।

(4) व्यक्तिगत अनियोजित अभियंताओं को एक लाख रुपये का कार्य पूरा कर लेने पर ही दूसरा कार्य आवंटित किया जायेगा।

(5) तीन वर्षो की अवधि तक अग्रधन नहीं जमा करने की छूट होगी। कार्य आवंटित करने पर आरंभिक जमानत की राशि दो प्रतिशत ली जायेगी तथा आठ प्रतिशत राशि रनिंग एकाउन्ट बिल से काटी जायेगी।

(6) व्यक्तिगत अनियोजित अभियंता को तीन वर्ष की अवधि पूरी होने या दो लाख रुपये का कार्य पूरा करने का अनुभव तथा उनकी समितियों को पांच लाख रुपये का कार्य पूरा करने का अनुभव या तीन वर्ष की अवधि पूरी होने, दोनों में जो पहलें हो, के बाद ठीकेदारों की समुचित श्रेणी में निबंधन कराना होगा।

(7) ठेकेदारों की श्रेणी में निबंधित हो जाने के बाद उन्हें उपरोक्त सुविधायें नहीं दी जायेगी और उन्हें अन्य ठेकेदारों की तरह माना जायेगा।

4. श्रमिक सहयोग समितियों का निर्माण कार्य में सुविधाः-

श्रमिक सहयोग समितियों द्वारा अधिक से अधिक मद में आवंटित राशि के कम-से-कम 10 प्रतिशत का कार्य अविलम्ब रूप से श्रमिक सहयोग समितियों को आवंटित किया जाना चाहिये। विभागीय स्तर पर कराये जाने वाले कार्यो के लागत-व्यय को आवंटित राशि से घटाकर ही आरक्षित कार्यो का मूल्य (दस प्रतिशत की दर से) निर्धारित किया जायेगा। श्रमिक सहयोग समितियों को कार्य आवंटन करने एवं उन्हें सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र संख्या-11389, दिनांक-22 दिसम्बर, 1983 तथा उसके कम में परिपत्र संख्या 7014, दिनांक 17 अक्टूबर 1984 निर्गत किया गया था। वित विभाग के परिपत्र संख्या 7014, दिनांक 17 अक्टूबर, 1984 की कंडिका 2 (क) (बिहार राज्य श्रमिक सहयोग संघ राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी) को विलोपित किया जाता है और कंडिका 1 को कायम रखते हुए निम्नांकित प्रावधान किये जाते है।

4.1 नियमानुसार सहकारिता विभाग द्वारा निबंधित श्रमिक सहयोग समितियों को उसके विहित कार्य क्षेत्र में ही हम निर्णय के अनुसार दी जाने वाली सुविधायें देय होंगे। श्रमिक सहयोग समितियों का कार्यक्षेत्र वह कार्य अंचल हो जिसके अंतर्गत वे श्रमिक समिति (समितियां) अवस्थित है। कार्य प्रमंडल विशेष में जो सहयोग समितियों पड़ेगी यह उस प्रमंडल में कार्य करेगी।

4.2 श्रमिक सहयोग समिति दो लाख रुपये का कार्य कर लेने तक श्रमिक सहयोग समितियों को मिलने वाली सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगा। दो लाख रुपये का कार्य कर लेने के बाद उन्हें ठीकेदारों की समुचित श्रेणी में निबंधन कराना होगा। और उसके उपरान्त उन्हें अन्य पंजीकृत ठीकेदारों की तरह ही समझा जायेगा।

4.3 यदि एक से अधिक श्रमिक सहयोग समितियाँ किसी एक काम के लिए प्रत्याशी होती है तो

(क) प्राथमिकता उस समिति को मिलेगी जो उक्त कार्य के लिये पंजीकृत की गई हो।

(ख) प्राथमिकता उस समिति को मिलेगी जिनमें कार्य विशेष स्वयं करने वाले श्रमिकों का बहुमत हो।

4.4 एक श्रमिक सहयोग समिति हो 50 हजार रुपये तक का कार्य पूरा कर लेंगे पर ही उन्हें दूसरा कार्य आवंटित होगा।

4.5 एक श्रमिक सहयोग समिति को एक लाख रुपये के मूल्य से अधिक का एक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा एक लाख रुपये से अधिक के कार्य के लिये कोई श्रमिक सहयोग समिति तभी सक्षम होगी जब वह दो लाख रुपये के मूल्य के कार्यो को करने के बाद कंडिका 4.2 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदारों की समुचित श्रेणी में निबंधित हो जाय। निबंधन के पश्चात उन्हें अन्य पंजीकृत ठीकेदारों की तरह माना जायेगा और पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी में आ जाने के बाद एक लाख रुपये की सीमा तक के कार्यो के लिये दी जाने वाली छूट। सुविधायें उन्हें नहीं मिलेगी।

5. लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों की सुविधाः-

(क) लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा मात्र वैसे कार्य आपूर्ति में मिलेगी जिस कार्य आपूर्ति के लिये वे लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को प्रोडक्शन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 (दस) वर्षो तक ही अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा मिलनी चाहिये। उद्योग विभाग इस पर विधिवत् रूप से विचारोपरान्त निर्णय लेगा और समुचित आदेश निर्गत करेगा।

6. सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत डेलीगेशन ऑफ पावर्स में संशोधन एवं कार्य विभागों में एकरूपता

राज्य सरकार ने अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को जो कोडल पावर्स पूर्व में था उनको पुनः देने में सहमति की है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जबतक संघ से स्पष्ट रूप में कोडल पावर्स का विवरण प्राप्त नहीं हो जाता जिन्हें वे अभियंता को फिर से दिलाना चाहते है तब तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाय जो उपरोक्त समझौते निर्णय के प्रतिकूल हो। वैसे भी संहिताओं के पुनरीक्षण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति कार्य कर रही है और आशा की जाती है कि जल्द ही उनका प्रतिवेदन मिल जाय। अतः व्यापक रूप से कोई परिवर्तन बिहार अभियंत्रण सेवा संघ से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव एवं कोड रिविजन समिति की रिपोर्ट मिलने तक करना उचित नहीं समझा जाता है। पर साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि सभी कार्य विभागों के अभियंताओं की प्रदत्त एवं कार्य प्रणाली में जहां तक संभव हो एकरूपता लायी जाए। इस उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिये गये है:-

(क) सभी कार्य विभागों में इन्डीभिज्यूल निविदा स्वीकार करने की शक्ति निम्न प्रकार होगी।:-

(i) कार्यपालक अभियंता - एक लाख रुपये की निविदा।

(ii) अधीक्षण अभियंता-बीस लाख रुपये की निविदा।

(iii) मुख्य अभियंता-एक करोड़ रुपये की निविदा।

(iv) एक करोड़ से अधिक की निविदा विभागीय स्तर पर गठित निविदा समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति की जायेगी। निविदा समिति उसी रूप और स्तर की होगी, जिस रूप और स्तर की सिंचाई विभाग में गठित है।

(ख) मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-ए2/नियम 11/47-19521 दिनांक-30 अक्टूबर 1977 के द्वारा यह निदेशित किया गया था कि एक वर्ष के अन्दर समाप्त होने वाले कार्यो के लिये प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत तक अधिक और एक वर्ष से अधिक की कार्यावधि वाले कार्यो के लिए प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत से अधिक तक की सीमा के अन्तर्गत की निवेदित राशि उचित मानी जा सकती है। इसका अनुपालन सभी कार्य विभागों में सामान्य रूप से अपेक्षित होगा।

(ग) सिंचाई विभाग के परिपत्र संख्या 9/एम 1-6047/78-1825, दिनांक 9 जून 1978 की कंडिका 3 में जो अनुसूचित दर से उपर किसी भी हद तक दर स्वीकृत करने की पूरी शक्ति मुख्य अभियंता को दी गई है, उसे विलोपित किया जाता है। सिंचाई विभाग के परिपत्र संख्या-9 एम-1-6047/78-1825 दिनांक 9 जून 1978 द्वारा सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करते हुए जो निर्देश निर्गत किया गया था उसकी कंडिका (ख) और (ग) को तद्नुसार संशोधित माना जाये।

7. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इससे बिहार गजट के आसाधारण, रांची पटना को सूचना भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

वि० वि० नाथन,

निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,

लोक शिकायत ब्युरो, बिहार

ज्ञापांक–254 (निगरानी) दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि: महालेखाकार बिहार, रांची (पटना)

ह०/–

वि० वि० नाथन,

निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,

लोक शिकायत ब्युरो, बिहार

ज्ञापांक–254 (निगरानी) दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि कार्य विभागों के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं उद्योग विभाग संकल्प की कंडिका क्रमश: 2.2 एवं 5 की उप–कंडिका (ख) पर यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई कर और इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की सूचना यथा समय देने का कष्ट करें।

ह०/–

वि० विद नाथन,

निगरानी, आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,

लोक शिकायत ब्युरो, बिहार

ज्ञापांक–254 (निगरानी) दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि: सभी संबंधित स्टेट सेक्टरावेड्स। निगम एवं औद्योगिक निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/–

वि० वि० नाथन,

अपर मुख्य सचिव, बिहार

निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,

लोक–शिकायत ब्युरो, बिहार

●●●

पत्रांक–भ०/अभि०प्र०(यो)02–विविध–115/2013-15293 (भ) अनु०

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

अभियंता प्रमुख–सह–अपरी आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता

सभी अधीक्षण अभियंता

सभी कार्यपालक अभियंता

भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक 20.11.2013

विषयः निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन से कार्यारम्भ तक त्वरित कार्रवाई के संबंध में आवश्यक निदेश।

महाशय,

प्रायः देखा जाता है कि किसी योजना का प्रस्ताव किसी प्रशासी विभाग से प्राप्त होने पर उसके कार्यान्वयन में छः माह से एक साल की अवधि लग जाती है। इस कारण प्रशासी विभाग के सामने विभाग को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है साथ ही योजना कार्यान्वयन से पूर्व ही पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता हो जाती है। इस कारण विस्तृत समीक्षा के उपरान्त योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

क्रमांक	कार्य	अवधि	क्रम
1.	प्रशासी विभाग से प्राप्त स्थल का ब्योरा एवं योजना की आवश्यकता को वास्तुविद एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता को भेजने के लिए।	1 दिन	
2.	स्थल विवरणी के अनुसार स्थल प्लान तैयार कर कार्यपालक अभियंता को संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु।	8 दिन	1
3.	कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल प्लान वास्तुविद को प्रेषित करने तथा मिट्टी जॉच परामर्शी को मिट्टी जाँच हेतु निर्देश देने के लिए।	01 दिन	2
4.	वास्तुविद द्वारा योजना का विस्तृत वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु।	12 दिन	3
5.	अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शे को वास्तुविद द्वारा अग्रिम योजना को प्रारम्भिक योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु तथा निरूपण उपभाग को निरूपण हेतु भेजने के लिए।	01 दिन	4
6.	मिट्टी जॉच परामर्शी द्वारा मिट्टी जॉच हेतु।	08 दिन	3
7.	अग्रिम योजना उपभाग द्वारा प्रारम्भिक योजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासी विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने के लिए।	03 दिन	5
8.	कार्यपालक अभियंता द्वारा मिट्टी जॉच प्रतिवेदन निरूपण उपभाग को समर्पित करने हेतु।	01 दिन	6
9.	निरूपण उपभाग द्वारा योजना का विस्तृत निरूपण कर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता को भेजने के लिए।	10 दिन	5, 8

10.	कार्यपालक अभियंता द्वारा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु निरूपण उपभाग को समर्पित करने हेतु।	10 दिन	9
11.	प्रशासी विभाग द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	10 दिन	7
12.	निरूपण द्वारा उपभाग योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	06 दिन	11
13.	मुख्य अभियंता द्वारा परिमाण विपत्र का अनुमोदन तथा निविदा आमंत्रण की कार्रवाई हेतु।	06 दिन	12
14.	मुख्य अभियंता द्वारा निविदा निष्पादन कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु।	30 दिन	13
15.	कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक से एकरारनामा करने हेतु।	07 दिन	14

उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करने पर किसी भी योजना का कार्यान्वयन कुल तीन महीने के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देश को और सुस्पष्ट करने हेतु इस निर्देश के साथ एक बार चार्ट एवं पर्ट चार्ट, समय विश्लेषण के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस दिशा निर्देश का अनुपालन विभाग के लिए आवश्यक है एवं सभी स्तरों पर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारियों की होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15293 (भ) अनु०/ पटना, दिनांक–20 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि: भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

●●●

पत्र सं॰ 948-अनु॰त॰प॰ का॰। पटना-15, 16 जुलाई, 1986।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

गोपनीय कोषांग

संकल्प

16 जुलाई, 1986

विषय : विभिन्न स्कीमों के मूल प्राक्कलनों के पुनरीक्षण को नियंत्रित करने के संबंध में।

1. राज्य के बहुमुखी विकास के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं यथा सिंचाई, पथ, भवन विद्युतीकरण, जलापूर्ति आदि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी एवं उन्हें कार्यान्वित की गई एवं की जा रही है। इन सभी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा एवं स्वीकृत अनुमानित लागत पर करना था। परन्तु यह पाया जाता रहा है कि अधिकांश योजनायें निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरी नहीं हो पाती हैं और उनकी पूर्व स्वीकृत अनुमानित लागत में भी काफी वृद्धि हो जाती है जिसके कारण मंत्रिमंडल के स्वीकृतार्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत होते रहते हैं। समय सीमा के अन्दर योजनाओं के पूरा नहीं होने के कारण उनसे मिलने वाले लाभ विलम्ब के कारण जहां एक तरफ जनता में असंतोष फैलने के साथ-साथ सरकार की कड़ी आलोचना होती है वहीं दूसरी तरफ योजनाओं के लागतव्यय में वृद्धि होने के फलस्वरुप राज्य के अन्य विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से चिन्तित होकर सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब एवं उसके मूल प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के कारणों की जांच कर उसकी यथासाध्य रोकथाम हेतु अनुशंसा समर्पित करने के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या-1214, दिनांक 29 जून, 1984 द्वारा एक दो सदस्यी समिति गठित की थी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्बद्ध विभाग के सचिव एवं तकनीकी परीक्षण कोषांग मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के अभियंता प्रमुख इस समिति के सदस्य मनोनीत किये गये थे।

1.1 परियोजनाओं के खर्च में अत्यधिक वृद्धि तथा उसके कारण उनके प्राक्कलन में एक या एक से अधिक पुनरीक्षण मात्र मूल्य वृद्धि के कारण नहीं होता है जैसा कि आम तौर पर पुनरीक्षित प्राक्कलन के जस्टिफिकेशन में कहा जाता है। बहुतेरी परियोजनाओं के केस स्टडी से पता चला है कि इसके और अन्य कारण हैं, जिनके चलते न केवल निर्माणावधि में कार्य मदों की मात्रा में वृद्धि होती है बल्कि उनके द्वारा विशिष्ट रेखांकन और रूपांकण आदि में जीवन परिवहन की आवश्यकता के कारण निर्माण कार्य में अवरोध होता है और विलम्ब से कार्यान्वयन होने के कारण अन्य बढ़ोत्तरी के साथ-साथ मूल्य वृद्धि का तीव्रतर प्रकोप लागत क्रय पर पड़ता है। इन कारणों का उल्लेख संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है–

(i) मुद्रास्फीति के कारण अनुमानित व्यय में वृद्धि-

(क) निर्माण सामग्रियों, यंत्र-तंत्र एवं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि;

(ख) दीर्घकालीन परियोजनाओं में कोस्ट एस्कैलेशन का प्रावधान नहीं रहने के कारण एक से अधिक पुनरीक्षित प्राक्कलन की आवश्यकता तथा उसकी स्वीकृति में विलम्ब के कारण कार्य में अवरोध और उसके कारण निर्माणावधि में विस्तार खर्च में बढ़ोतरी;

(ग) सामान्यत: ठीकेदारी के एकरारनामें में प्राइस एस्केलेशन का उपबन्ध नहीं रहने के कारण, कार्यान्वयन में झंझट और ठिकेदारों का काम छोड़कर भाग जाना, आदि।

(ii) मूल प्राक्कलन में कमियाँ एवं खामियाँ-

(क) परियोजनाओं को तैयार करने के पहले आवश्यक सर्वेक्षण, अन्वेषण, आयोजन आदि का यथेष्ट न होना;

(ख) मूल प्राक्कलन में अपर्याप्त प्रावधान;

(ग) यथेष्ट सर्वेक्षण अनुसंधान की कमी के कारण निर्माणावधि से परिवर्तन-परिवर्द्धन की आवश्यकता;

(घ) परियोजना की निर्माणावधि में आयोजन की त्रुटि के कारण निर्धारित दायरे में वृद्धि;

(ङ) अपूर्ण अनुसंधान के कारण रूपांकण में विलंब तथा परिवर्तन-परिवर्द्धन।

(iii) परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब-

(क) परियोजनाओं का सेल्फ ऑफ स्कीम्स न होना तथा स्वीकृति के लिये चयन करने की प्रक्रिया में खामियां;

(ख) स्वीकृति की मौजूदा प्रक्रिया जिसके तहत पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना में शामिल परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये भी योजना विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति का अनिवार्य होना तथा उसमें अधिक समय लगना;

(ग) स्वीकृति देते समय परियोजना प्राक्कलनों को अद्यतन अनुसूचित दर पर तैयार नहीं करना;

(घ) प्रावैद्यिक स्वीकृति में विलंब तथा विशिष्ट रूपांकण में अपरिहार्य परिवर्तन;

(च) पुनरीक्षित प्राक्कलन को समय-समय पर तथा आवश्यक विवरण के साथ न तैयार करना तथा उनकी स्वीकृति में अधिक विलंब होना;

(छ) स्वीकृत करते समय मानक प्रक्रिया से निर्माण अनुसूचित (भौतिक एवं वित्तीय) नहीं तैयार करना तथा जहाँ तैयार भी किये गये हैं, वहां परफॉरर्मेन्स बजटिंग के सिद्धांत को नजर-अंदाज कर आवश्यकतानुसार कार्यक्रम और आवंटन की प्रक्रिया नहीं सुनिश्चित करना।

(iv) कार्यान्वयन में मोनिटरिंग व्यवस्था की प्रभावहीनता-

(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम का सुनिश्चित न होना;

(ख) परियोजनाओं की प्रगति का विभिन्न स्तरों पर प्रभावकारी ढंग से मोनिटरिंग नहीं किया जाना;

(ग) मोनिटरिंग संगठन को परियोजना के लिये दिये जाने वाले आवंटन एवं कार्यक्रम निर्धारण में सक्रिय सहयोग नहीं प्राप्त करना;

(घ) दुलर्भ निर्माण सामग्रियों के प्रोक्योर्मेंट के लिये अग्रिम आयोजन की व्यवस्था में कमजोरी।

(v) मौजूदा इन्स्टिच्यूशनल तथा ऑरगनाइजेशनल सेट अप की प्रबन्ध व्यवस्था में कमी-

(क) परियोजनाओं की स्वीकृति के समय उपलब्ध साधन या उपलब्ध होने वाले साधनों को नजरअंदाज कर अत्यधिक परियोजनाओं की स्वीकृति देना;

(ख) वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध राशि सुनिश्चित नहीं करना तथा वर्ष में कई बार आवंटन में परिवर्तन/परिवर्द्धन करना;

(ग) योजना मद से गैर-योजना मद में धनराशि का हस्तांतरण;

(घ) भू-अर्जन की व्यवस्था में कमजोरी तथा कार्य के प्रभारी अभियंताओं का उसमें असहाय होना;

(ङ) निर्माण के प्रभारी अभियन्ताओं के वर्तमान प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति में कमी तथा हस्तक्षेप;

(च) परियोजना प्राक्कलनों को स्वीकृति की प्रक्रिया में अनगिनत स्तरों से गुजरना;

(छ) कार्यान्वयन में विलम्ब एवं प्राक्कलन में वृद्धि के लिये विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का एकाउन्टेविलिटी सुनिश्चित नहीं होना;

(ज) उपयुक्तता को आधार न मानकर कार्य-अकार्य के आधार पर अभियन्ताओं का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण।

(vi) वर्तमान वित्तीय नियमों/प्रचलनों के चलते लागत खर्च की वृद्धि पर यथेष्ट नियंत्रण की कमी-

(क) छोटे-मोटे सभी कार्यो के लिए निर्माणावधि को ध्यान में रखे बिना एक जैसा नियम का अनुपालन;

ख) तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था में कमजोरी;

(ग) विधि व्यवस्था में गिरावट के कारण निविदाओं के समुचित सम्पादन में कठिनाई तथा कार्य मदों की मात्रा एवं विशिष्टता पर उपर्युक्त नियंत्रण में बाधाएं;

(घ) निर्माण निगमों द्वारा एवं विभागीय स्तर पर बड़े-बड़े कार्यो के नही कराने की प्रवृत्ति के चलते बड़े ठीकेदारों द्वारा अधिक दर की मांग।

(vii) विभिन्न कार्यो के कार्यान्वयन में संहिताओं के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर निर्गत नियमों/आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं करना/नहीं कराया जाना-

(क) कार्यपालक अभियन्ताओं/सहायक अभियंताओं द्वारा समय पर तथा वांछित रूप से मापी का चेकिंग नहीं करना;

(ख) कीप-बैक की प्रथा अनेक अभियंताओं द्वारा जारी रखना;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन का नहीं तैयार किया जाना, बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किये या उसकी स्वीकृति प्राप्त किये ही कार्य कराते जाना;

(घ) बिना प्रावैधिक स्वीकृति के निविदा निष्पादन करना तथा कार्य कराना;

(ङ) वृहत् परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासकीय अनुमोदन में दिये गये प्रावधानों को बिना ध्यान में रखे तकनीकी स्वीकृति देना, निविदा निष्पादन करना तथा खर्च पर नियंत्रण नहीं रखना;

(च) मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा परियोजना के प्रबंध व्यवस्था में प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाना।

1.2 अत: परियोजनाओं के लागत व्यय में वृद्धि के लिये ऊपर अंकित आइडेन्टिफाइड कारणों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना के खर्च पर नियंत्रण का उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता है जब इन सभी कारणों के यथासाध्य निराकरण हेतु ठोस कार्रवाई की जाय। इसी ध्येय से समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं, जो राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों एवं अन्य विभागों/निगमों/पर्षदों/बोर्डो के अन्तर्गत अभियंत्रण/विकास कार्यो की योजनाओं/परियोजनाओं पर समान रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

2. मुद्रास्फीति के कारण परियोजनाओं के खर्च पर नियंत्रण-

2.1. छोटे-मोटे एवं मध्यम कोटि की परियोजनाओं, जिनके कार्यान्वयन में सामान्यत: एक वर्ष समय लगता है, उसके मुद्रास्फीति, यानि निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में बढ़ोतरी एवं श्रम दर में वृद्धि के कारण कोई पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होगा। अत: प्राक्कलन की स्वीकृति में विलम्ब हो तो स्वीकृति प्रदान करते समय उनकी पूर्व प्राक्कलित राशि को अद्यतन कर ली जाय। इसी प्रकार दो वर्ष में भी कार्यान्वियत की जाने वाली परियोजनाओं के पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होंगे क्योंकि मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति राशि पर 10 प्रतिशत (आवासीय भवनों के लिये) और 15 प्रतिशत (गैर-आवासीय भवनों एवं अन्य कार्यो के लिये) तक बढ़ोतरी बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कराये अनुमान्य होता है।

2.2. ऐसे मध्यम कोटि की परियोजनायें, जिनके प्राक्कलन की स्वीकृति तथा कार्यारम्भ के पहले एक वर्ष समय लगता है और उसके बाद दो वर्ष में पूरी कर ली जाती है तो मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुसार उनमें पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। पर उन दो वर्षो में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की लागत में मुद्रास्फीति के कारण संभावित वृद्धि को मात्र 15 प्रतिशत के अन्दर नियंत्रित की जा सकती है, यदि प्राक्कल्न की स्वीकृति एवं कार्यारम्भ में कोई विलम्ब न हो या प्राक्कलन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के समय चालू अनुसूचित दर पर प्राक्कलन को अद्यतन कर लिया जाय।

2.3. तीन वर्ष में पूरा होने वाली परियोजनाओं के प्राक्कलन पर मुद्रास्फीति के कारण होने वाली वृद्धि को 20 प्रतिशत के अन्दर नियंत्रित की जा सकती है यदि उनके लागत व्यय के अधिकांश भाग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में आवंटित कर खर्च किया जाय एवं प्राक्कलन की स्वीकृति तथा कार्यारम्भ में कोई विलम्ब न हो। ऐसी परियोजनायें, जिनकी निर्माणावधि तीन वर्ष निश्चित की जाती है, को पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन तब तक आवश्यक होगा जब तक उनके लागत व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना नहीं हो। लेकिन साथ-ही-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि तीन वर्ष की निर्माणावधि उन्हीं परियोजनाओं के लिये अनुमान्य होगी जिनका मूल प्राक्कलन एक करोड़ रूपये से कम न हो।

2.4. कार्यान्वयन में तीन वर्ष से अधिक समय लगने वाली वृहत् परियोजनाओं के प्राक्कलन में मौजूदा नियमों के अनुसार पुनरीक्षण की आवश्यकताओं को दूर नहीं की जा सकती है, क्योंकि मात्र मुद्रास्फीति के कारण ही 15 प्रतिशत से

अधिक की वृद्धि संभावित रहती है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी द्वारा यह अनुशंसा का प्रावधान किया जाय और उपयोग करते समय परियोजना के प्राक्कलन में से भू-अर्जन की राशि काट दी जाय तथा एडजस्टमेन्ट फैक्टर में भी वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के मूल प्राक्कलन में 15 प्रतिशत की दर से एडजस्टमेंट फैक्टर के 50 प्रतिशत ही पूरे कार्यान्वयन अवधि के लिये उपबन्धित किया जाय। सप्तम् पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वृहत् एवं मध्यम् सिंचाई परियोजनाओं की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिये गठित समिति भी उक्त आशय की अनुशंसा पर बल दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि सभी परियोजनाओं के प्राक्कलन को प्रतिवर्ष अद्यतन बनाया जाय तथा अवशेष कार्यो की प्राक्कलित राशि पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि दर्शायी जाय। विश्व बैंक द्वारा एडजस्टमेंट फैक्टर या कॉस्ट स्कैलेशन का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में सरकार की वृहत् परियोजनाएँ जिनके कार्यान्वयन की अवधि तीन वर्ष से अधिक होती है, के प्राक्कलन में एडजस्टमेंट फैक्टर का प्रावधान प्राधिकृत करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है एवं इस संबंध में कंडिका 8-1-6 में दिये गये निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

2.5. राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण का प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के परिवहन मंत्रालय से स्वीकृत होता है और खर्च के लिए वार्षिक आवंटन का संचालन भी सीधे परिवहन मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। उनकी प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना के लिए एक साथ ही कई प्राक्कलन स्वीकृत नहीं होता है, बल्कि अलग-अलग तौर से अलग-अलग जाँच के लिए छोटे-मोटे प्राक्कलन अलग-अलग समय पर स्वीकृत होते है तथा उनके लिए एक्सपेंडीचर सैक्शन किया जाता है। इस प्रक्रिया का लाभ यह है कि विस्तृत रूप से तैयार किये गये प्राक्कलन की जांच-परख कर और वित्तीय साधन को ध्यान में रखते हुए किसी जांच की स्वीकृति दी जाती है। और ये अपेक्षा की जाती है कि अनुमोदित कार्य सीमित अवधि में करा लिये जायेंगे जिससे उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता न हो। दुर्भाग्यवश बहुत सी राष्ट्रीय उच्च पथ योजनायें, जिसमे उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई गई, का अनुभव अपेक्षा से बहुत विपरीत पाया गया। एक ही परियोजना के लिये अब अलग-अलग समय पर छोटे-छोटे खंड कर जाँच स्वीकृत किये जायें तो उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये एवं अनुमान्य नहीं होंगे तब तक कि उसमें कोई ऐसे वृहत् पूल या संरचना का निर्माण नहीं हो जिसके लिये तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि तकनीकी दृष्टिकोण से उचित ठहराई जाती है।

3. आयोजन, अनुसंधान, प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन के कारण प्राक्कलनों में मूलभूत कमियों/खामियों का निराकरण।

3.1 अभियंत्रण एवं विकास कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के स्वीकृत्यार्थ तभी प्रस्तुत किये जायें जब उनके प्राक्कलन यथेष्ट एवं आवश्यक आयोजन अनुसंधान, रूपांकन आदि के आधार पर तैयार किये गये हों ताकि इनके अभाव के कारण भी परियोजना प्राक्कलन में किसी प्रकार की कमियाँ, खामियाँ नहीं रहे एवं इसके फलस्वरुप उसके लागत में वृद्धि की संभावना न्यूनतम रह सके।

केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी (1972) ने परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं आयोजन, संभाव्यता प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन से संबद्ध समस्या की गहराई से जांच कर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थी। ये अनुशंसायें, जो परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है, राज्य सरकार द्वारा मान ली गयी हैं एवं सिंचाई विभाग द्वारा उनके अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3.2 सभी कार्य विभागों में अग्रिम आयोजन एवं अनुसंधान संगठन, गठित किया जाय जो एक अभियन्ता प्रमुख के अधीन हो। इन्हीं के अधीन रूपांकन संगठन, गुण नियंत्रण संगठन, मोनिटरिंग संगठन और कॉस्ट एवं इन्भेन्ट्री संगठन को रखा जाय ताकि परियोजनाओं पर फोरमूलेशन से लेकर समापन तक इस संगठन द्वारा समेकित रूप से नजर रखी जा सके। मूल तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति संबंधी प्रक्रियात्मक कार्रवाई भी इसी संगठन द्वारा की जाय ताकि निर्माण के प्रभारी का यह कथन कि अपर्याप्त अनुसंधान के कारण ही मूल प्राक्कलन में व्यापक रूप से बढ़ोतरी हुई है, सम्यक् रूप से जांच कर उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके।

आयोजन, अनुसंधान सर्वेक्षण, रूपांकण, मोनिटरिंग और गुण नियंत्रण संगठनों में पदस्थापित अभियंताओं को पर्याप्त विशेष वेतन के साथ-साथ आवास, वाहन, कार्यालय के भवन और कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय।

उपरोक्त संगठनों में योग्य तथा मेधावी अभियंताओं को पदस्थापित किया जाय और इन्हें अपना ज्ञान तथा क्षमता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। देश और विदेश में प्रशिक्षण की सुविधा उन्हें ही प्राथमिकता के आधार पर दी जाय जिन्होंने संगठनों में अच्छा काम किया है।

जिन पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप हों या जिन्हें अभियंत्रण कार्य के सम्पादन में अक्षम पाया गया हो उन्हें ऐसे संगठनों में पदस्थापित कर संगठन की मर्यादा न घटायी जाय।

3.3 सभी कार्य विभागों में एक अवर समिति गठित की जाय जो अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास के लिये आयोजन की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगी। अग्रिम आयोजन के अभियंता-प्रमुख अवर समिति का पदेन सदस्य-सचिव होंगे और समिति में मल्टिडिसिप्लिनरी क्षेत्रों के कुछ जाने-माने एक्सपर्ट को रखा जाय। संभाव्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी) तैयार करने के उपरान्त उस पर प्रवर समिति का अनुमोदन प्राप्त कर ही विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान पर परियोजना की रिपोर्ट एवं प्राक्कलन तैयार किया जाय और यह प्रयास किया जाय कि सभी विभागों में जो सेल्फ ऑफ स्कीम्स हो उसमें यथेष्ट सर्वेक्षण/अनुसंधान पर आधारित पर्याप्त परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन हर समय उपलब्ध रहे।

3.4 वृहत् एवं विशेष रूप से आवश्यक पायी गयी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सामान्य रूप की परियोजनाओं के सर्वेक्षण/अनुसंधान एवं आयोजन हेतु स्थायी रूप से क्षेत्रीय ईकाइयाँ स्थापित की जाय ताकि सभी क्षेत्रों के लिये पर्सपेक्टिव प्लान तैयार हो और जब तक साधन उपलब्ध हो, उनका कार्यान्वयन ठोस परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन के आधार पर किया जा सके।

3.5 जिन-जिन परियोजनाओं या उनके उप शीर्षो के मदों की स्वीकृति विस्तृत अनुसंधान के आधार पर दी जाती है, उनमें अनुसंधान की कमी के कारण 5.00 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी सामान्य रूप से मान्य नहीं होगी और हर हालत से कार्यान्वयन के प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे निर्माण कार्य हाथ में लेने के पूर्व ही स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों की स्थल की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में जांच-परख कर लें और यदि उन्हें विशेष अंतर नजर आये तो उस पर वे सर्वप्रथम अनुसंधान के प्रभारी कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का मन्तव्य प्राप्त करें; फिर भी यदि उनका अनुमान होता है कि प्राक्कलन का प्रावधान पर्याप्त नहीं है तो पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करें और पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर ही कार्य आरम्भ करें।

4. परियोजना की स्वीकृति एवं विलम्ब का यथासाध्य निराकरण।

4.1 सभी विभागों में यथेष्ट सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पर आधारित विस्तृत रूप से तैयार की गयी परियोजनाओं के प्राक्कलन सहित सेल्फ ग्राफ स्कीम्स तैयार रखे जायें और अनुमोदन के लिये उनमें से परियोजनाओं का चयन करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध साधन को ध्यान में रखा जाय। विशेष रूप से नई परियोजनाओं के अनुमोदन पर नियंत्रण रखा जाये ताकि उपलब्ध साधन को हाथ में ली गयी परियोजनाओं को पूरा करने में सदुपयोग किया जा सके।

परियोजनाओं की जाँच परख पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना में शामिल करने के पूर्व ही संबंधित विभाग की राय लेकर कर ली जाय ताकि जब एक बार कोई परियोजना, वार्षिक योजना में शामिल कर ली जाती है तो फिर उसके अनुमोदन के लिये वित्त विभाग एवं योजना विभाग की सहमति की प्रक्रिया के समय व्यतीत न हो।

4.2 छोटी-छोटी एवं मध्यम कोटि की परियोजनाओं का प्रशासकीय अनुमोदन तकनीकी स्वीकृति के बाद दी जाय और स्वीकृति देते समय परियोजना प्राक्कलन को अद्यतन अनुसूचित दर पर तैयार करा लिया जाय।

4.3 पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में कम-से-कम समय लगाया जाय और प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा सुदृढ़ हो कि बाद में औपचारिकता निभाने के कारण या राशि के आवंटन के अभाव में कार्य की प्रगति अवरूद्ध न हो।

4.4 प्रशासकीय स्वीकृति के समय मानक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय और कार्यान्वयन अवधि में यथासम्भव उसमें परिवर्तन न किया जाय। साथ ही साथ आवंटन की प्रक्रिया सरल की जाय जिसमें कार्य के प्रभारी अधिकारी को यथाससमय उपलब्ध होने वाली राशि की सूचना मिल सके और वे अपना कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकें।

4.5 जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन की आवश्यकता हो, उनपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय क्योंकि प्रक्रिया के विलम्ब होने के कारण ऐसी परियोजनाएँ अधिक दिन तक लंबित रह जाती है। इन परियोजनाओं के लिये प्रथम चरण में भू-अर्जन का ही प्राक्कलन स्वीकृत कर भू-अर्जन कराया जाय और उसके बाद कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत कर कार्यारम्भ कराया जाय।

5. कार्यान्वयन में मोनिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ करना।

51. इसे विभाग में मात्र मुख्यालय में ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी की जाय जिससे फीड बैक की प्रक्रिया कायम हो सके और समय-समय पर पायी गयी अवरोध शिथिलताओं के निराकरण में सहूलियत हो सके।

5.3 मोनिटरिंग संगठन का सक्रिय सहयोग परियोजनाओं को दिये जानेवाले आवंटन एवं कार्यक्रम निर्धारण में लिया जाय।

5.4 दुलर्भ निर्माण सामग्रियों के प्रोक्योर्मेंट के लिये अग्रिम आयोजन की व्यवस्था हो। परियोजना के कार्यान्वयन अवधि में उसका मोनिटरिंग प्रभावकारी ढंग से किया जाय।

5.5 कार्य विभाग, जैसे सिंचाई विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, लघु सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मोनिटरिंग संगठन मुख्य अभियंता के स्तर के पदाधिकारी के अधीन रखा जाय और उस संगठन में कम-से-कम इतने अधीक्षण अभियंता रखे जायें जितने मुख्य अभियंता संबंधित अभियंता प्रमुख के साथ क्षेत्र में कार्यरत हैं।

6. इंस्टिच्यूशन एवं ऑग्नाईजेशन सेट-अप प्रबन्धन व्यवस्था को सुदृढ़ करना-

6.1 प्रत्येक विभाग में परियोजनाओं के अनुमोदन के पूर्व टेक्नोइकोनोमिक एप्रेजल के लिए एक मल्टीडिसिप्लनरी प्रवर कोटि समिति गठित की जाय तो अनुमानित उपलब्ध साधन को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं का चयन करें।

6.2 परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से ताकि उसे बार-बार योजना विभाग एवं वित्त विभाग से गुजरना न पड़े, विशेषाधिकार प्राप्त अधिकृत समिति द्वारा उसकी जांच की जायेगी। प्रत्येक विभाग की परियोजनाओं के लिये यह समिति महीने में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से बैठेगी और सभी आवश्यक मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लेगी।

6.3 भू-अर्जन में हो रही विलम्ब से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु प्रत्येक कार्य विभाग में एक भू-अर्जन निदेशालय गठित किया जाय और उन्हें वे सब शक्तियां प्रदत्त की जाय जो राजस्व विभाग के प्रभारी भू-अर्जन निदेशक को प्रदत्त है। साथ-ही-साथ वन क्षेत्र में भू-अर्जन की समस्या के निराकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जो केन्द्र सरकार से समय-समय पर विचार विनिमय कर भू-अर्जन की कठिनाई को दूर करा सकें।

6.4 कार्य विभागों के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, वित्त विभाग, योजना, वन विभाग में आवश्यक प्रस्ताव भेजने के लिये सक्षम होंगे।

6.5 क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाय और उन्हें संहिताओं के द्वारा प्रदत्त शक्ति के उपयोग करने में कोई अड़चन नहीं हो।

6.6 अभियंत्रण कार्यो के खर्च में वृद्धि के लिये सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक के अधिकारियों का एकाउन्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाय ताकि भविष्य में सचिवालय में किये गये विलम्ब के लिये भी दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई हो सके।

6.7 मौजूदा कार्य-अकार्य को आधार बनाकर अभियंताओं के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण की पद्धति में सुधार लाया जाय जिससे उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त योग्यता एवं अभिरूचि रखने वाले पदाधिकारी का पदस्थापन हो सके और परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

6.8 कार्य विभागों के अलावे अन्य विभागों में जो अभियंत्रण कोषांग है, उनका पुनर्गठन किया जाय और उन्हें मात्र आयोजन, प्राक्कलनों की स्वीकृति हेतु उसका प्रोसेसिंग, मोनिटरिंग तथा मूल्यांकन के लिये उत्तरदायी बनाया जाय। क्षेत्रीय कार्य का भार संबंधित कार्य विभागों को सौंपा जाय।

6.9 सचिवालय में प्राक्कलनों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सुधार लायी जाय ताकि अधिक-से-अधिक तीन माह में अन्तिम निर्णय लिया जा सके। प्रशासकीय अनुमोदन के साथ भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार आवंटन दिया जाय।

7. परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय नियमों तथा सरकारी आदेशों के अनुपालन की व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता।

7.1 बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली तथा बिहार ट्रेजरी हस्तक में किये गये प्रावधानों को तथा उन्हें और अधिक स्पष्ट करने, उनके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार संशोधन करने के उद्देश्य से समय-समय पर राज्यादेश के द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाना चाहिये। इसके लिये कार्यपालक अभियंता और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के अलावे संबंधित मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता भी उत्तरदायी होंगे।

7.2 प्रावैधिकी स्वीकृति में विलम्ब नहीं किया जाय और बिना इसके यथासाध्य कोई निर्माण कार्य प्राधिकृत नहीं किया जाय। लेटर ऑफ क्रेडिट निर्गत करते समय इस पर पूरा ध्यान रखा जाय। बिना प्रावैधिक स्वीकृति के आवंटन देकर कार्य कराने के लिए मुख्य रूप से आवंटन देने वाले पदाधिकारी को दोषी समझा जाय तथा बिना प्रावैधिकी स्वीकृति और बिना स्पष्ट रूप से आवंटन प्राप्त किये कार्य कराने के लिये कार्य कराने वाले पदाधिकारी को दोषी ठहराया जायेगा।

7.3 वृहत परियोजनाओं, जिनका निर्माण एक से अधिक प्रमण्डलों और अंचलों के अधीन कराया जाता है और सामान्यतः वे एक ही प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के तहत कार्य कराते हैं, में प्रावैधिक स्वीकृति की प्रक्रिया का अनुपालन सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या-9/एम०-1-045/83 (खंड) 6, दिनांक-02 जनवरी, 1985 (प्रति परिशिष्ट-2 पर) के अनुसार निष्ठा और कठोरता के साथ किया जाय ताकि खर्च पर नजर और नियंत्रण रखा जा सके।

7.4 मौजूदा नियमों/आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि में पूरा किये जाने वाले कार्यो के लिये 10 प्रतिशत और इसमें अधिक की अवधि के लिये 15 प्रतिशत अधिक तक निविदा राशि का उचित ठहरायी जा रही है। कार्यान्वयन अवधि के अनुमान में सबजक्टिभिटी न्यूनतम करने तथा खर्च पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निम्नांकित फार्मूला अपनाया जायः-

(क) अनुरक्षण और मरम्मति के सभी कार्य के लिए अधिकतम छः महीने की कार्यावधि होगी।

(ख) मूल कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 20.00 (बीस लाख) रु० तक की हो, (प्रशासनिक अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर) के लिये कार्यावधि एक साल तक ही होगी।

(ग) यदि ठीकेदारों द्वारा निवेदित राशि अनुमान्य बढ़ोतरी की सीमा के ऊपर हो, तो सरकारी आदेशों अनुसार उस कार्य को निर्माण नियमों के द्वारा कराया जाय और यदि किसी कारणवश वह भी संभव न हो उसे विभागीय तौर पर कराया जाय उपरोक्त 10 और 15 प्रतिशत की सीमा को उल्लंघन नहीं किया जाय।

7.5 निविदा निष्पादन की प्रक्रिया तभी की जाय जब उस कार्य की प्रावैधिक स्वीकृति मिल जाय, निधि आवंटन सुनिश्चित हो जाय और यदि उस कार्य में भू-अर्जन की आवश्यकता हो तो पहले करा ली जाय। इसके साथ आवश्यक यंत्र-संयंत्र निर्माण सामग्रियों और पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों की अग्रिम व्यवस्था की सुनिश्चित कर ली जाय।

7.6 सरकारी आदेशों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रीसेक्शन की माप, किये जा रहे और किये गये कार्यो की मापी तथा चेकिंग पूरी निष्ठा से क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की जाय। इसमें पायी गई कमियों के लिये संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियन्ता मुख्य रूप से दोषी होंगे। अनधिकृत कार्यो की मापी दर्ज करने के लिये मापी दर्ज करने वाले पदाधिकारी दोषी होंगे और अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ सिविल लायबिलिटी के लिये भी उत्तरदायी होंगे।

7.7 समय पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियन्ता और कार्यपालक अभियंता की होगी। विलम्ब में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। संबंधित मुख्य अभियंता का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य एवं कार्यालय निरीक्षण के समय इस पर नजर रखें और सरकार को समय पर आवश्यक सूचना दें।

7.8 जिस पैमाने पर विकास कार्य, विशेषता अभियंत्रण कार्यो के कार्यान्वयन में वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण की मौजूदा व्यवस्था काफी हद तक अपर्याप्त और प्रभावहीन है। सम्प्रति पोस्टमार्टम के अलावे बहुत कुछ नहीं हो पाता है। इसके निराकरण हेतु तकनीकी परीक्षण कोषांग में कम-से-कम दो मुख्य अभियंता, चार अधीक्षण अभियंताओं और आठ कार्यपालक अभियंताओं के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं ताकि कार्यो के निविदा

निष्पादन से लेकर समाप्ति तक प्रत्येक मुख्य कार्यो का तकनीकी अंकेक्षण समय पर कराया जा सके। प्रत्येक कार्य विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार को वित्तीय अंकेक्षण में गुणात्मक एवं सुख्यात्मक वृद्धि करने का अनुरोध किया जाय। तकनीकी और वित्तीय अंकेक्षण की पद्धति को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से यह समीचीन प्रतीत होता है कि उनके कार्यो में समन्वय हो। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाय।

7.9 विधि व्यवस्था में गिरावट के कारण निविदाओं के समुचित निष्पादन में कठिनाई तथा कार्य मदों की मात्रा एवं विशिष्ट पर उपर्युक्त नियंत्रण में हो रही बाधाओं को दूर करने में जिला प्रशासन से समुचित सहयोग लिया जाय एवं संबंधित कार्य विभाग द्वारा इसके लिये उचित आदेश निर्गत करने के लिये सरकार के समक्ष उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

7.10 योजना मद से गैर-योजना मद में धन-राशि का हस्तान्तरण किसी भी हालत में नहीं किया जाय।

7.11 निर्माणाधीन परियोजना के लिए उपबंधित धनराशि में से कटौती कर नई परियोजना के लिए आवंटन का उपबन्ध नहीं किया जाय।

8. लागत व्यय पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्तमान नियमों/प्रचलनों में सुधार/संशोधन-

8.1 निर्माण विभाग संबंधी संहिताओं एवं वित्तीय नियमावली का संशोधन कार्य एक समिति को सौंपा गया है जिसका प्रतिवेदन सम्प्रति राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस बीच परियोजनाओं की लागत व्यय पर नियंत्रण में सहुलियत के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

8.1.1 प्राक्कलनों के पुनरीक्षण संबंधी आदेशों को संशोधित करते हुए एक साल के अन्दर अथवा 5.00 लाख रूपये तक की प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन (यदि वह चालू अनुसूचित दर पर किया गया हो) के ऊपर अधिक-से-अधिक 5 प्रतिशत तक का ही व्यय करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। निविदा निस्तार में भी यहां अधिसीमा लागू होगी।

8.1.2 मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालू अनुसूचित दर के आधार पर बनाये गये हों, उनके ऊपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी। किसी स्तर के भी पदाधिकारी प्राक्कलित राशि से अधिक खर्च करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। ऐसे कार्यो के कार्य-मदों की मात्रा में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी। निविदा निस्तार में भी बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी।

8.1.3 पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की प्राक्कलित राशि की परियोजनाएं (प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर) जिन्हें एक वर्ष में पूरा किया जा सकता है, में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि अनुमान्य है। बशर्ते कि इसमें माल वृद्धि एवं अन्य वे समीकरण जिनसे बढ़ोतरी हुई हो का समावेश कर लिया गया होगा पर निविदा निस्तार में 5.0 प्रतिशत की अधिसीमा लागू होगी।

8.1.4 बीस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं, जिन्हें दो वर्ष में पूरा की जा सकती है, का पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन तभी आवश्यक होगा जब उनकी प्राक्कलित राशि पर 15 प्रतिशत से अधिक के खर्च की संभावना हो। सामान्यत: 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अमान्य होनी चाहिए, पर निविदा निस्तार में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अनुमान्य होगी।

8.1.5 एक करोड़ (1.00) रुपये की लागत से ऊपर की परियोजनाएं जिन्हें तीन वर्ष में पूरी कर ली जाती है, के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की आवश्यकता तभी होगी जब उस पर 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना हो। सामान्यत: ऐसे परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन पूरे 20 प्रतिशत से वृद्धि की बढ़ोतरी अमान्य होगी। परन्तु चालू अनुसूचित दर पर आधारित बी॰ओ॰क्यू॰ की राशि से वृद्धि 10 प्रतिशत की अधिक दर ही अनुमान्य होगा।

8.1.6 सिंचाई की वृहत् परियोजनाएं तथा अन्य कार्य विभाग की ऐसी परियोजनाएं जिनके कार्यान्वयन में तकनीकी कारणों से तीन वर्ष से अधिक की अवधि निर्धारित हुई है, उनके प्राक्कलन में मुद्रास्फीति एवं अन्य कारणों से होने वाले प्राईस एस्केलेशन का उपबन्ध किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का उपबन्ध किया जाय-

8.1.7 मौजूदा डेलिगेशन ऑफ पार्ट्स में निम्नांकित संशोधन किये जायँ-

(क) सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को प्राक्कलित राशि 20 प्रतिशत अधिक की निविदा स्वीकृत करने की जो शक्ति प्रदत्त को गई उसको संशोधित कर उसे मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–19521, दिनांक–30 अक्टूबर, 1977 के अनुरूप किया जाता है साथ ही साथ एक वर्ष से अधिक की निर्माणावधि मात्र ऐसे कार्यो के लिए लागू होगी जिनकी प्राक्कलित राशि 20.00 लाख रुपये से अधिक हो।

(ख) मौजूदा आदेश जिसके तहत एक वर्ष तथा एक वर्ष से अधिक की कार्यावधि के लिये निविदा स्वीकृति हेतु 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाय, क्योंकि बी॰ओ॰क्यू॰ चालू अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया जाता है और अनुसूचित दर प्रतिवर्ष अद्यतन कर लिया जाता है। निविदा निष्पादन की यह अधिसीमा पर भी विभागों तथा सभी आकार के कार्यो पर लागू किया जाय।

(ग) सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंताओं को अनुसूचित दर से उपर किसी भी हद तक दर स्वीकृत करने की प्रदत्त शक्ति का विलोपित किया जाता है।

(घ) सिंचाई विभाग में पीस वर्क एग्रीमेन्ट करने के लिये अभियंताओं को जो शक्ति प्रदत्त है उसे विलोपित किया जाता है और बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 165 एवं 166 में दिये गये नियम का अनुपालन कराया जाय।

(ङ) सिंचाई विभाग के सहायक अभियंताओं को बिना निविदा आमंत्रित किये हुए बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 2000 (दो हजार) रुपये के कार्य कराने की शक्ति दी गयी है। इस शक्ति का उपयोग कर किये जाने वाले खर्च की सीमा 10000 (दस हजार) रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जाय।

(च) सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता को एक करोड़ रुपये, अधीक्षण अभियंता को 20.00 लाख रुपये कार्यपालक अभियन्ता को एक लाख तथा सहायक अभियन्ता को 10.00 हजार रुपये तक की निविदा अनुमोदित करने की शक्ति प्रदत्त है। मौजूदा स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति सभी कार्य विभागों में लागू की जाय।

(छ) कार्यो को पूरा करने के लिये एकरारनामें में अनुबंधित समय–सीमा को विस्तार करने की पूर्ण शक्ति संबंधित मुख्य अभियंता को दी जाय बशर्ते कि एकरारनामें में पाईप एस्केलेशन का उपबंध न हो। जहां प्राइस एस्केलेशन का उपबन्ध न हो, वैसे मामलों का निष्पादन अभियंता प्रमुख के स्तर से होना चाहिए।

(ज) निर्माण निगमों, श्रमिक सहयोग समितियों, अनियोजित अभियन्ताओं आदि की कौन–कौन कार्य आवंटित किये जायेंगे, उसका निर्णय निविदा आमंत्रित करने के पूर्व ले लिया जाय। ऐसे आरक्षित कार्यो का या तो अनुसूचित दर पर उन्हें नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाय या सीमित निविदा मांगी जाय जिसमे उसी वर्ष की संस्था या व्यक्ति निविदा दें।

सामान्यत: एक लाख रूपये से अधिक का कोई कार्य अनियोजित अभियन्ता तथा श्रमिक सहयोग समिति के लिये आरक्षित न किया जाय।

(झ) जब कार्यो के लिये निविदा आमंत्रित किया जाय तो उसका निष्पादन सामान्य नियमों/आदेशों के अनुकूल किया जाय, जिससे न्यूनतम निविदाकार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल सके।

9. लघु उद्योग इकाईयों को दिये जा रहे प्राइस प्रोटेक्शन पर पुनर्विचार–

9.1 मौजूदा नियमों के तहत लघु उद्योग इकाईयों को अन्य निविदाकारों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक की राशि अनुमान्य है। इसका दुरूपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे न केवल परियोजनाओं के खर्च में वृद्धि हो रही है, बल्कि कार्य की विशिष्टि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे उद्यमों को जमानत की राशि जमा नहीं करने की भी छूट है। परियोजनाओं के लागत–व्यय पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने भलीभांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि अर्नेस्ट मनी की छूट दे रहे और अधिक–से–अधिक कार्य देने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय, पर न्यूनतम निविदाकार की प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत अधिक की दर बिना किसी विशेष कारण के स्वीकृत नहीं किया जाय।

10. निर्माण निगमों द्वारा कार्य कराने की व्यवस्था-

10.1 सिंचाई विभाग द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम की प्राक्कलित राशि पर 25 प्रतिशत की दर से स्वीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है यद्यपि कि उसी कार्य के लिये आमंत्रित निविदा प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत से कम तक प्राप्त की गई हो। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव परियोजनाओं के खर्च पर पड़ता है यदि किसी कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है, तो वैसे निविदाकार की राशि प्राक्कलित राशि के बराबर या उससे कम आती है तो वैसे मामलों में न्यूनतम निविदाकार को ही कार्य आवंटित किया जाना चाहिये। वैसे सिंचाई विभाग, निर्माण निगम को बिना निविदा आमंत्रित किये प्राक्कलित राशि या उससे 5 प्रतिशत अधिक लागत पर कार्य आवंटित कर सकता है, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक समझा जाता हो। छोटे-छोटे एवं मध्यम कोटि के कार्यो में निर्माण निगम को तब तक काम नहीं दिया जाना चाहिये जब तक यह नहीं पता चले कि निजी ठीकेदार अनुमान्य राशि से अधिक दर की मांग पर अड़े हुए हों।

11. राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की प्रक्रिया में संशोधन-

11.1 परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति किसी भी राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना के खर्च में बढ़ोतरी तथा निर्माण कार्य में विलम्ब का सही-सही एवं समेकित रूप से मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी समेकित परियोजना संबंधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। छिटपुट ढंग से और खंड-खंड कर एक-एक जॉब की अलग-अलग प्रावैधिक स्वीकृति तथा एस्केपेन्डिचर सेक्शन दिया जाता है और उस क्रम में शायद ही किसी परियोजना का कार्यान्वयन एक दशक में पूरा किया गया हो। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार को कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ती है। अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्यक्रम के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोगी बनाया जाय और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय।

12. मूल एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के लिये चेक-लिस्ट का अनिवार्य होना-

12.1 मूल परियोजना प्राक्कलन को राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ तभी प्रस्तुत किया जाय जब अभियन्ता प्रमुख और विभागीय सचिव जांच-परख कर सरकार को आश्वस्त करें कि परियोजना का आयोजन तथा प्राक्कलन निर्धारित पद्धति तथा स्तर का है। इसी उद्देश्य से एक चेक लिस्ट और प्रोफोर्मा तैयार कर परिशिष्ट-3 में रखा गया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ जब भी संलेख भेजे जाये तब उसके लाभ चेक-लिस्ट भरकर संलग्न किया जाय। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी।

पुनरीक्षित प्राक्कलन जब मंत्रिमंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय तो संलेख में विस्तृत रूप से उन कारणों को बताया जाय जिसके चलते प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी हुई है या होने का अनुमान है। संलेख के साथ परिशिष्ट 4 में रखे गये चेक लिस्ट अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी।

13. आदेश-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट (राजपत्र) के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी एक हजार प्रतियां मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी निगमों/पर्षदों एवं बोर्डो के बीच परिचालित करने हेतु भेजी जाय।

अनु०-यथोपरि।

(चार परिशिष्ट)

ह०/-
(भास्कर बनर्जी)
सरकार के सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र संख्या–भवन/बजट–42–लोक निर्माण (4216 गौ०यो०)–03/12–13–2776 दिनांक–07.03.2014

शुद्धि–पत्र

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या–257–सह–पठित ज्ञापांक–13422 (भ) दिनांक 30.09.13 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत कराए जा रहे सभी निर्माण कार्यो एवं जीर्णाद्धार संबंधी कार्यो के कार्यो की गुणवत्ता अनुमोदित प्राक्कलन में दिये गये निर्धारित मापदण्ड के तहत उपयोग में लाये जाने वाले समानों की गुणवत्ता कार्य का विश्लेषण कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने के लिए विभागीय स्तर पर तीन उड़नदस्ता टीम का पुनर्गठन किया गया है। उड़नदस्ता टीम में सम्मिलत पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के आलोक में पदनाम के अलावे कतिपय अन्य बदलाव हुए हैं। अस्तु, विभागीय स्तर पर पूर्व से गठित तीन उड़नदस्ता टीम के पुनर्गठन को निम्न रूपेण संशोधण किया गया है:–

उड़नदस्ता टीम संख्या–1	उड़नदस्ता टीम संख्या–2	उड़नदस्ता टीम संख्या–3
श्री कमला कांत झा मुख्य अभियंता दक्षिण के सचिव (प्रा०) एवं अतिरिक्त प्रभार अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)	गिरिश नंदन सिंह निदेशक अनुश्रवण एवं अधीक्षण अभियंता निरूपण अंचल संख्या–1 एवं –2	श्री मनोरंजन प्रसाद कार्यपालक अभियंता, निरूपण अंचल संख्या–2
श्री अरविंद कुमार कंठ कार्यपालक अभियंता मुख्य अभियंता (निरूपण) के सचिव (प्रा०) निरूपण अंचल संख्या–2	श्री उदयानन्द सिन्हा तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, पटना	श्री कश्यप कुमार गुप्ता उप निदेशक–1
श्री जहांगीर आलम (सहायक अभियंता) प्राक्कलन पदाधिकारी अग्रिम योजना अंचल, पटना	गौतम कुमार (योजना अभियंता) मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय	श्री आमोद कुमार सिंह (सहायक अभियंता) सहायक निदेशक, उपनिदेशक–2 के कार्यालय अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2776 (भ)/पटना, दिनांक–07.03.2014

प्रतिलिपि:–संबंधित नवगठित उड़नदस्ता टीम के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं त्वरित गति से कार्रवाई करने हेतु दिये गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिय आदेशार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2776 (भ)/पटना, दिनांक–07.03.2014

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव के आप्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

F– सरकारी आवासों से संबंधित ।



प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

बिहार सरकार ने बिहार सरकारी परिसर किराया, वसूली एवं बेदखली अधिनियम 1956 बिहार अधिनियम संख्या–20, 1956 की धारा 14 (2) के अधीन बिहार सरकारी परिसर आवंटन (प्रशासनिक पूल) नियमावली 1996 की स्वीकृति दी है, जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–
(वीणा छोटराय)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

ज्ञापांकः–जी० डी० डी०–1-20-275/96-5251 (भ)/ पटना, दिनांक–23.8.96

प्रतिलिपि – दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना से अनुरोध है कि वे संलग्न नियमावली की दो हजार प्रतियाँ मुद्रित कराकर भवन निर्माण एवं आवास विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनुलग्नक–यथोक्त

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5251 (भ)/ पटना, दिनांक–23.8.96

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5251 (भ)/ पटना, दिनांक–23.8.96

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, भवन निर्माण विभाग एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

●●●

बिहार सरकार परिसर आवंटन (प्रशासनिक पूल नियमावली)

बिहार सरकारी परिसर किराया, वसूली और बेदखली (अधिनियम, 1956 बिहार अधिनियम संख्या–20, 1956 बिहार अधिनियम संख्या–8, 1996 द्वारा यथा संशोधित की धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. (i) यह नियमावली, बिहार सरकार परिसर आवंटन (प्रशासनिक पूल) नियमावली, 1996 कहलाएगी।

2. (ii) यह नियमावली, 30.1.1996 से प्रवृत्त होगी।

3. इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो।

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार सरकार परिसर आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली अधिनियम, 1956

(ख) आवंटन समिति से अभिप्रेत है नियम 12 के अधीन गठित समिति।

(ग) आवंटन से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को, उसके आवास के रूप में किसी सरकारी परिषद् के अधिभोग अथवा उपयोग के लिए आवंटन समिति द्वारा लिखित रूप से न कि अन्यथा अधिकार दिया जाना किन्तु इसमें पट्टा स्वरूप दिया जाना, शामिल नहीं है।

(घ) ''आवंटित'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे आवंटन समिति द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन आवंटन किया गया है।

(ङ) ''पूल'' से अभिप्रेत है नियमों के अधीन बनाया गया सरकारी आवासों का समुच्चय (पूल)।

(च) ''हकदार व्यक्ति'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन नियुक्त हो और जो लोकहित में तत्समय कोई ऐसा पदस्थापन, नियुक्ति या पद धारण करता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा पटना में लोक प्रकृति के पद, नियुक्ति या पदाधिकारी के रूप में घोषित किया गया हो और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है:–

(i) पटना में पदस्थापित और तैनात राज्य सरकार के सारत: स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम, कम्पनी या उपक्रम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक।

(ii) राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम, कम्पनी या उपक्रम में बाह्य सेवा के आधार पर आए अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी ''अ'' के पदाधिकारी।

स्पष्टीकरण–कोई कम्पनी, निगम या उपक्रम सारत: सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला तब माना जाता है जब उसकी शेयर पूँजी का कम से कम पचास प्रतिशत सरकार धारण करती है।

(छ) ''सम्पदा पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन सम्पदा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा पदनामित कोई पदाधिकारी।

(ज) ''पूल'' क्षेत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली की अनुसूची (अ) के समूह में विनिर्दिष्ट क्वार्टरों की संख्या।

(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी शब्दों और पदों के सही अर्थ होंगे। जो उनके लिए अधिनियम या सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 में दिए गए हैं।

3. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी एक या सभी कोटि के हकदार व्यक्तियों को आवंटन हेतु प्रशासनिक पूल में रखे जानेवाले आवासों को आवंटन कर सकेगी।

4. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रशासनिक पूल से समुचित सरकारी परिसर को पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् के अधीन स्थानान्तरित कर सकेगी ताकि उसे पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, विधान सभा के सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों को आवंटित किया जा सके।

5. नियम 4 के अधीन आनेवाले व्यक्तियों को छोड़कर, ऐसा कोई हकदार व्यक्ति जो पूल आवास को आवंटित कराना चाहता है, वह आवंटन के लिए सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग के पास आवेदन करेगा।

6. आवेदन इस नियमावली की अनुसूची IX में दिए गए फारम में दिया जाएगा।

7. सम्पदा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की पटना में पदभार ग्रहण करने के आधार पर क्रमानुसार तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा परन्तु ऐसा तभी होगा जब आवेदक ने पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया हो अन्यथा सम्पदा पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख को आधार बनाया जाएगा।

8. आवासों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

9. प्रतीक्षा सूची साल में दो बार पुनरीक्षित की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को अवतन कर ली जाएगी।

10. आवंटन आदेश या तो भवन निर्माण एवं आवास विभाग के सम्पदा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होगा, या ऐसे पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जो अवर सचिव से अन्यून कोटि का न हो। ऐसा आवंटन समिति की अनुशंसा पर प्रतीक्षा सूची में दिए गए हकदार व्यक्तियों की वरीयता के अनुसार होगा। आवंटन समिति निम्नलिखित रूप से गठित होगी:-

1. मंत्री, भवन निर्माण	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव	सदस्य
3. सदस्य राज्य परिषद्	सदस्य
4. सचिव भवन निर्माण	सदस्य सचिव
5. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण	सदस्य

11. आवंटन समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(i) हकदार व्यक्तियों को सरकारी आवास को आवंटन।

(ii) अपनी श्रेणी के नीचे के सरकारी आवास के लिए आवेदन करने वाले हकदार व्यक्तियों और समुचित श्रेणी के हकदार व्यक्तियों के बीच प्राथमिकता निर्धारण करना।

(iii) उपर्युक्त संख्या में श्रेणियों के अन्तर्गत सरकारी आवासों और हकदार व्यक्तियों को वर्गीकृत करना और उसके लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

(iv) नियम (4) के अधीन प्रशासनिक पूल से उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा और विधान परिषद् के अधीन सरकारी आवासों को स्थानान्तरित करना।

12. (i) वैसे हकदार व्यक्ति को आवासों को आवंटित नहीं किया जाएगा जो पूल क्षेत्र में भीतर सरकार के स्थापित या पट्टावाले आवास का अधिभोगी हो।

(ii) जो या जिसकी पत्नी, या पुत्र या पुत्री उस पर आश्रित और उसके साथ रहने वाले पूरे क्षेत्र के भीतर निवास गृह का स्वामी/स्वामिनी हो (iii) नियम 14 (i) के उल्लंघन में किया गया कोई आवंटन, आवंटन नहीं समझा जाएगा और आवंटित को बेदखली की नोटिस के 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।

13. पूल-आवास हकदार व्यक्ति को जो आवास आवंटित हो वह आवंटन की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवास दखल कर लेगा और इसकी सूचना सम्पदा पदाधिकारी को देगा, ऐसा नहीं करने पर आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा।

14. पूल-आवास जिस हकदार व्यक्ति को आवंटित किया गया है, वह पद नियुक्ति अथवा जिस पद की बावत उसे आवंटन किया गया था उसे धारण करने प्रविरत हो जाने की तारीख से एक माह के भीतर आवास खाली कर देगा और सम्पदा पदाधिकारी को उसका खाली कब्जा सौंप देगा। उपर्युक्त अवधि समाप्त होते ही आवंटन स्वत: रद्द समझा जाएगा। परन्तु यह तब जब कि, वह व्यक्ति पटना में किसी अन्य कार्यालय में पदस्थापित हो और वह आवास का हकदार हो।

15. पूल-आवास जिस हकदार व्यक्ति को आवंटित किया गया हो वह आवास तथा आवास में लगाए गए जुड़नार फिक्सर साज-समान फिटिंग एवं उपस्कर फर्नीचर को होनेवाली किसी हानि नुकसान का जिम्मेवार होगा, जो भवन को आवास के रूप में सामान्यत: व्यवहार करने के क्रम में हुई साधारण टूट-फूट के अतिरिक्त होगा।

16. पूल आवास का कोई भाग जिस हकदार व्यक्ति को आवंटित किया गया हो, वह

(i) आवास अथवा उसका कोई भाग किराया पर नहीं लगायेगा।

(ii) आवास का व्यवहार अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के आवासीय प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन में न करेगा अथवा न करने देगा।

17. आवास का किराया निम्नलिखित रूप से वसूल किया जाएगा:-

(i) हकदार व्यक्तियों के आवेदन को अनुसंशित एवं अग्रसारित करनेवाले, निगम, कम्पनी, पब्लिक सेक्टर आदि (जिनके कार्यपालक के कर्मचारियों को आवास आवंटित किया गया हो) बाजार दर पर अर्थात् नगरपालिका कर आदि के अतिरिक्त, सरकारी परिसर के किराया से पाँच गुणा किराया।

(ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारियों से सरकारी परिसर का मानक किराया एवं कर यदि कोई हो,

(iii) अन्य से बाजार दर पर, अर्थात् नगरपालिका करों आदि के अतिरिक्त सरकारी परिसर के मानक किराया के पाँच गुणा।

स्पष्टीकरण:- (i) निगम कम्पनी, पब्लिक सेक्टर/उपक्रम के कर्मचारियों के मामले में आवास यथास्थित निगम कम्पनी अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन बाजार दर से रखा गया माना जाएगा। तथा हकदार व्यक्ति के स्थानान्तरण या उसकी पदावधि की समाप्ति पर आवंटन समाप्त या रद्द हो जाने के पश्चात् क्वार्टर सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगा। राज्य सरकार को पूर्ण बाजार दर पर किराया भुगतान करना तथा हकदार व्यक्तियों से उनकी नियुक्ति की शर्तो के अनुरूप किराया वसूल करना उनकी जिम्मेदारी होगी।

(ii) यदि हकदार व्यक्ति अपनी सेवा शर्तों के अधीन किराया मुक्त या रियायती दर पर आवासीय सुविधा पाने का हकदार हों, तो किराया उस पूरी दर पर, जिस दर अन्यथा वसूलनीय होगा, उनके नियोजन द्वारा राज्य सरकार को भुगतेय होगा।

18. इस नियमावली के अधीन किया गया सरकारी परिसर का आवंटन सरकारी परिसर (आवंटन किराया, वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1956 यथा संशोधित तथा उनके अधीन हटाई गयी नियमावली के उपलब्धों के अधीन होगा।

19. बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1956 यथा संशोधित के अधीन राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवंटन रद्द किए जाने या रद्द किया गया समझे जाने के बाद की अवधि सहित अनाधिकृत अभियोगी की अवधि की बाबत किराया मानक दर से पन्द्रह गुणा के बराबर दर से भुगतेय होगा।

20. इस नियमावली से प्रवृत्त होने के पूर्व किसी नियमावली के अधीन किया गया कोई आवंटन इस नियमावली के अधीन किया गया आवंटन समझा जाएगा।

21. आवंटन समिति कारण अभिलिखित कर अपने विवेकाधिकार से किसी नियम को शिथिल कर सकेगी।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः–जी०/वी० डी०–1-20-275/96 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि – अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/–
(वीणा छोटराय)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्याः– दिनांकः–

प्रतिलिपि – सरकारी के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/–
(वीणा छोटराय)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची

पूल-आवास के आवंटन हेतु आवेदन

1. क. आवेदक का नामः– .....
   ख. पदनामः– .....
   ग. कार्यालय, जिनमें नियोजन हों:– .....
   घ. प्रशासी विभाग :– .....
   ङ. आवेदक का सम्वर्ग और श्रेणी :– .....
   च. मूल विभाग/संगठन :– .....
2. पटना में पदधारणा करने की तिथिः– .....
3. परिलब्धियाँ :– .....
   क. वेतन :– .....
   ख. विशेष वेतन :– .....
   ग. महँगाई भत्ताः– .....
   घ. अतिरिक्त महँगाई भत्ताः– .....
   ङ. आन्तरिक राहत :– .....
   च. व्यक्तिक वेतन :– .....
   छ. कुल वेतन :– .....
   ज. अन्य :– .....
4. अधिवर्षिता की तारीखः– .....
5. धारित पद की अवधि/कार्याकाल :– .....
6. दूरभाष सं०– कार्यालयः– आवासः–

7. ऐसे आवास/गृह आदि कोई हो, का विवरण:–

जिनका स्वामी आवेदक उसकी पत्नी/उसका पति/उसका पुत्र/उसकी पुत्री तथा उसके साथ निवास करनेवाला और उस पर आश्रित उसके परिवार का अन्य सदस्य हो।

1. गृह/फ्लैट संख्या:–

   स्थान:–

   पूरा पता:–

   कुर्सी की सतह:–

   सभी फर्शो को एक साथ मिलाकर:–

   कार्यालय की दूरी:–

8. आवेदक, उनकी पत्नी/उसके पति द्वारा गृह निर्माण हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार, सहकारी समिति, बैंक, गृह निर्माण परिसंघ, बीमा, कम्पनी, यूनिट ट्रस्ट आदि से लिये गये ऋण का विवरण।
9. आवेदक, उसकी पत्नी/उसके पति, उसपर आश्रित और उसके साथ निवास कर रहे उनके पुत्रों/उनकी पुत्रियों द्वारा निर्माणाधीन गृह का विवरण तथा निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावित तारीख:–

प्रमाण पत्र

1. मैं.....पिता/पति का नाम.....के रूप में नियोजित एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से कथन एवं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऊपर दी गई प्रविष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और सही है।

2. मैं सरकारी परिसर विशेष पूल (न्यू कैपिटल एरिया, पटना) नियमावली, 1996 के उपबंधों का पालन करूंगा।

3. जो सरकारी परिसर (आवास) मुझे आवंटित किया गया है और जो मेरे उपयोग में है उसे मैं जिस तारीख को मैं अपने वर्तमान पद, कार्यालय या नियुक्ति से प्रविरत हो जाऊंगा और उसके एक माह के भीतर अथवा जिस तारीख को आवंटन रद्द हो जाय/रद्द समझा जाय, उस तारीख से खाली कर दूँगा और उसका खाली कब्जा सौंप दूँगा।

तारीख:–　　नाम:–

स्थान:–　　पदनाम:–

कार्यालय:–　　तारीख:–

संख्या:–

अग्रसारित और (अनुशंसित) कम्पनी, निगम, लोक उपक्रम, सरकारी विभाग आदि का नाम.....मैं एतद् द्वारा आवेदक को आवंटित किराया आवास के सम्बन्ध में देय पूरी अवधि का किराया जिसके लिए ऐसा किराया देय हो, सरकारी परिसर पूल (न्यू कैपिटल एरिया, पटना) नियमावली 1996 के उपबंधों के अनुसार अदा करने का वचन देता हूँ।

स्थान:–　　नाम:–

तारीख:–　　पदनाम:–

कार्यालय की मुहर

●●●

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 बैशाख 1909 (श॰)/पटना, बुधवार 6 मई, 1987

इस भाग को पृष्ठ संख्या अलग दी गई है ताकि इसका अलग संकलन किया जा सके।

भाग-2

बिहार के राज्यपाल तथा विभागाध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनिमय, आदेश अधिसूचनाएं, नियम आदि।

भवन एवं आवास विभाग

(सं॰ जी॰ वी॰ डी॰ 1-20-85/86–भ॰ नि॰ एवं आ॰-1305 (भ॰) दिनांक-8 अप्रैल 1987)

सरकारी आवास आवंटन नियमावली।

1. (क) यह नियमावली बिहार सेवा संहिता के नियम 110 के अधीन बनायी गयी है और दूसरी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 कहलायगी।

(ख) यह नियमावली दिनांक 1 दिसम्बर 1986 से प्रवृत्त होगी।

2. यह नियमावली भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए पटना स्थित केन्द्रीय पूल के सभी सरकारी आवासों और हास्टल कक्षों (पटेल पथ स्थित आफिसर होस्टल को छोड़कर जो अब ट्रजिट होस्टल कहलाएगा) पर लागू होगी। यह नियमावली पटना स्थित अन्य सरकारी आवासों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी आवासों के लिये भी लागू की जा सकेगी जिनके बारे में सरकार समय-समय पर अधिसूचना निर्गत करेगी।

3. जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) ''आवंटन'' का अर्थ है इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार आवास दखल करने के लिये अनुमति का दिया जाना।

(ख) ''भवन निर्माण विभाग'' का अर्थ है बिहार सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग।

(ग) ''भवन सचिव'' का अर्थ है बिहार सरकार के भवन निर्माण एवं आवास विभाग का सचिव।

(घ) ''केन्द्रीय पूल'' का अर्थ है राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये पटना स्थित आवासों का पूल जो बिहार सरकार के भवन निर्माण एवं आवास विभाग के प्रशासी नियंत्रण में है।

(च) ''पात्र कार्यालय'' का अर्थ है पटना स्थित सरकारी सचिवालय के कार्यालय, पटना के सरकारी सचिवालय के संलग्न कार्यालय और पटना के ऐसे अन्य सरकारी कार्यालय जिनके लिये राजपत्रित पदाधिकारी आवास का कोई अलग पूल नहीं है।

(छ) ''पात्र पदाधिकारी'' का अर्थ है पात्र कार्यालय में कार्यरत ऐसा सरकारी पदाधिकारी जो बिहार राज्य सेवा की श्रेणी 2 से नीचे का न हो।

(ज) ''उपलब्धियों'' का अर्थ है मासिक वेतन जिसमें सभी प्रकार के महंगाई भत्ते, अन्तरिम सहायता, विशेष वेतन तथा शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल है।

(झ) ''परिवार'' का अर्थ है यथास्थिति पत्नी या पति और पुत्र-पुत्री या माता-पिता जो सामान्यतः पदाधिकारी के साथ रहते हों और उनपर आश्रित हों।

(ञ) ''सरकार'' का अर्थ है बिहार राज्य सरकार।

(ट) ''बाजार दर किराया'' का अर्थ है मानक किराए का पांच गुणा किराया।

(ठ) ''नगरपालिका'' में नगर निगम, नगरपालिका, समिति, बोर्ड, अधिसूचना क्षेत्र समिति और छावनी भी शामिल है।

(ड) ''दण्ड किराया'' अथवा ''बाजार-सह-दंड किराया'' का अर्थ है बाजार दर किरायें का तिगुना किराया।

(त) ''किराया'' का अर्थ है इस नियमावली के अधीन आवंटित आवास के लिये देय किराया।

(थ) ''आवास'' का अर्थ है केन्द्रीय पूल का आवास।

(द) ''निष्कासन'' का अर्थ है बिहार सरकारी परिसर (किराया वसूली एवं बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत निष्कासन।

(ध) ''मानक किराया'' का अर्थ है सरकारी आवास का बिहार सेवा संहिता के अनुसार निर्धारित मानक किराया या सरकार द्वारा समय-समय पर यथापुनरीक्षित मान किराया।

(न) ''सिकमी पर लगाना'' में आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किराया या बिना किराया के आवास में हिस्सा बटंना भी शामिल है।

(प) ''अस्थायी स्थानान्तरण'' का अर्थ है कि ऐसा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति जिसकी अनुपस्थिति की अवधि से अधिक चार महीने की हो।

(फ) ''स्थानान्तरण'' का अर्थ है पदस्थापन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण या पात्र कार्यालय से अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण और इसमें केन्द्रीय सरकार के अथवा बिहार राज्य सरकार से विभिन्न अन्य राज्य सरकार के अधीन स्थानान्तरण या प्रत्यावर्त्तन या प्रतिनियुक्ति भी शामिल है।

4. **प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवास का आवंटन**–(क) आवास आवंटन के इच्छुक हरेक पात्र पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग के भू-सम्पदा पदाधिकारी को परिशिष्ट 'क' के फारम में आवेदन देंगे।

यदि यह आवेदन पत्र कार्यालय कार्य ग्रहण करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दिया जाता है प्रतीक्षा सूची में वरीयता निर्धारण हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को मान्यता दी जायेगी अन्यथा भू-सम्पदा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि को मान्यता दी जायेगी।

(ख) भवन निर्माण विभाग के भू-सम्पदा पदाधिकारी पात्र पदाधिकारी की उपलब्धियों और यथास्थिति पात्र पदाधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि के आधार पर पात्र पदाधिकारियों की प्रतीक्षा-सूची बनायेंगे।

(ग) पात्र पदाधिकारियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर पांच श्रेणियों में विभक्त किया जायेगा। विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों को उपलब्धि-सीमा भवन निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(घ) उप-नियम (क) (ख) तथा (ग) के उपबंधों के अनुसार तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशित प्रतीक्षा-सूची संबंधित पदाधिकारियों के अवलोकन हेतु भवन निर्माण एवं आवास विभाग के भू-सम्पदा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। ताकि प्रतीक्षा-सूची से उनका नाम हटा दिया जाय।

5. आवास आवंटन समिति-भवन निर्माण विभाग द्वारा एक आवास आवंटन समिति गठित की जायेगी जो आवश्यकतानुसार बैठक करेगी और जिसके निम्नांकित कृत्य होंगे:-

(1) पात्र पदाधिकारियों को आवास आवंटित करना।

(2) जब कोई पदाधिकारी अपनी श्रेणी के लिये निर्धारित आवास से नीचे की श्रेणी के आवास के लिए इच्छुक हों तो ऐसे पदाधिकारी और नीचे की श्रेणी के पदाधिकारियों के बीच प्राथमिकता निश्चित करना।

(3) अति-अनुकम्पा और प्रशासी आवश्यकताओं के आधार पर प्रतीक्षा-सूची के बाहर के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेना।

6. (क) लोक उपक्रम, निगम, पर्षद् अथवा अन्य अर्द्ध-सरकारी संस्थानों के गैर-सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य अथवा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी को केन्द्रीय पूल में आवास आवंटन नहीं किया जायेगा।

(ख) सेवा-निवृत सरकारी सेवक जो पूर्व से आवंटित सरकारी आवास में रहते आ रहे है, यदि किसी वे उपक्रम, निगम, पर्षद् अथवा अन्य अर्द्ध-सरकारी संस्थानों में नियुक्त किये जायेंगे तो सरकारी आवास के संबंध में उनपर नियम 14 लागू होगा जो कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों के लोक उपक्रम इत्यादि में भी प्रतिनियुक्ति होने पर लागू होगा।

7. (1) यदि पति और पत्नी दोनों के नाम प्रतीक्षा-सूची में अंकित हो तो आवास आवंटन हेतु प्रत्येक पर अलग-अलग विचार किया जायेगा।

(2) यदि किसी पदाधिकारी के पति या पत्नी को सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका हो तो जबतक इस आवंटित आवास को अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाय जबतक उस पदाधिकारी को अन्य आवास आवंटित नहीं किया जायेगा। किन्तु जहाँ पति या पत्नी किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण से अलग-अलग रहते हों, वहां यह उप-नियम लागू नहीं होगा।

(3) अलग-अलग आवासीय पूलों से आवंटित आवासों में रहनेवाले दो पदाधिकारी यदि आपस में विवाह कर लें तो विवाह के एक माह के अन्दर उन्हें कोई एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा।

(4) यदि विवाह के एक माह के भीतर कोई आवास अभ्यर्पित नहीं किया जाय तो नीची श्रेणी के आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा। यदि दोनों आवास एक ही श्रेणी के हों तो भवन सचिव के निर्णयानुसार उनमें से एक आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा।

(5) (क) यदि पति या पत्नी में से किसी एक को केन्द्रीय पूल का आवास आवंटित हो और बाद में दूसरे को उसी स्थान पर किसी अन्य पूल का आवास आवंटित हो जाय तो बाद के आवंटन के एक माह के भीतर इन दोनों आवासों में से एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा।

(ख) केन्द्रीय पूल से आवंटित आवास में रहनेवाले पदाधिकारी आपस में विवाह कर लें तो विवाह के एक माह के भीतर कोई एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा।

(ग) यदि उपर्युक्त उप-नियम (क) एवं (ख) के अपेक्षानुसार आवास अभ्यर्पित नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय पूल के आवास का आवंटन रद्द किया माना जायेगा।

8. **आवासों का वर्गीकरण**–(1) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध आवासों के परिशिष्ट 'ख' में यथा अंकित पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर भवन निर्माण विभाग परिशिष्ट 'ख' में संशोधन कर सकेगा।

(2) विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिये विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों की पात्रता निम्न रूप से होगी।

आवास की श्रेणी	पात्रता
पंचम श्रेणी –	प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी।
चतुर्थ श्रेणी –	द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी।
तृतीय श्रेणी –	तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी।
द्वितीय श्रेणी –	चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी।
प्रथम श्रेणी –	पंचम श्रेणी के पदाधिकारी।

9. **आवास का आवंटन तथा ऑफर**–आवास आवंटन के मामले में नियम 17 के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्रों की अधिमान्यता दी जायेगी-

(1) नियम 8 के अधीन जिस श्रेणी के आवास का पात्र आवेदक हो, उससे उच्चतर श्रेणी का आवास उन्हें आवंटित नहीं किया जायेगा।

(2) नियम 8 के अधीन आवेदक जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी है, उससे निम्नतर श्रेणी के आवास को स्वीकार करने के लिये आवेदक को बाध्य नहीं किया जायेगा।

(3) नियम 4 के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र में ही आवेदक यह अंकित कर देंगे कि वे जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी है, उस श्रेणी के निम्नतर श्रेणी के आवास को स्वीकार करेंगे या नहीं। आवेदक जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी हों। उससे दो निम्नतर श्रेणियों तक के आवास के आवंटन हेतु अपनी इच्छा आवेदक पत्र में अंकित कर सकते हैं। ऐसे आवेदन के आधार पर आवेदक को अपने अनुमान्य श्रेणी के आवास से दो निम्नतर श्रेणी का आवास आवंटित किया जा सकेगा।

(4) यदि इस प्रकार की इच्छा आवेदन-पत्र में अंकित नहीं की गयी है तो बाद में निम्नतर श्रेणी के आवास आवंटन हेतु कोई आवेदन विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायगा।

(5) आपातिक स्थिति में यदि पदाधिकारी द्वारा आवंटन के आधार पर अधिकृत आवास खाली करने पड़े तो उन्हें निम्नतर श्रेणी का आवास आवंटित किया जा सकेगा।

10. आवंटन को स्वीकार नहीं किया जाना–(1) आवंटन आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर आवंटी द्वारा भू-सम्पदाधिकारी को यह सूचित कर देना होगा कि उन्हें आवंटन स्वीकार है या नहीं। यदि आवंटी पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अन्दर कोई सूचना नहीं देते है तो उन्हें। आवंटन आदेश निर्गत करने की तिथि से एक वर्ण की अवधि तक कोई आवास आवंटित नहीं किया जायगा।

(2) आवंटित आवास के खाली हो जाने पर आवंटी को इसकी सूचना दी जायेगी। इस सूचना के निर्गत होने के 7 दिनों के अन्दर आवंटी आवंटित आवास में प्रवेश कर जायेंगे अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जा सकेगा।

(3) यदि निम्नतर श्रेणी के आवास में रहने वाले पदाधिकारी को अपनी श्रेणी के अनुसार या नियम 9 (3) के अनुसार आवेदन-पत्र में अंकित आवास आवंटित किया जाय और आवंटी इसे अस्वीकार करे तो उन्हें पूर्व आवंटित आवास में रहने की अनुमति निम्नांकित शर्त्तों पर दी जा सकेगी:-

(क) यह पदाधिकारी आवंटन के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अन्य आवंटन के अधिकारी नहीं होंगे।

(ख) नव आवंटित आवास और पूर्व आवंटित आवास में से जिसका किराया अधिक हो, वही किराया उस पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायगा।

11. **आवंटन की अवधि**-(1) आवास में प्रवेश करने की तिथि अथवा आवंटित आवास खाली होने की सूचना निर्गत होने के 7वां दिन से आवंटन प्रभावी होगा और तबतक रहेगा जबतक कि-

(क) पटना स्थित किसी पात्र कार्यालय से आवंटी के स्थानान्तरण होने के बाद उप-नियम (2) के अधीन अनुमान्य रियायती अवधि बीत न जाय; अथवा

(ख) जबतक आवंटन रद्द नहीं कर दिया जाय या रद्द किया गया नहीं समझा जाय; अथवा

(ग) आवंटी द्वारा आवास सरेन्डर न कर दिया जाय, अथवा

(घ) आवंटी आवास पर दखल छोड़ न दें।

(2) स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित आवंटित आवास को पदाधिकारी दखल में रख सकेंगे, बशर्ते कि पदाधिकारी या उनके परिवार सदस्यों के वस्तुत: उपयोग के लिए वह आवास आवश्यक हो।

क्रमांक	**स्थिति**	**आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि**
		एक माह।
		छ: माह।
		छ: माह।
		(क) एक माह मानक किराये पर।
		(ख) उक्त माह के बाद अधिक से अधित तीन महीने की अवधि तक, बशर्ते कि-
		(i) स्थानान्तरित पदाधिकारी के पुत्र/पुत्री की शिक्षा अथवा परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के लिये यह आवश्यक हो, और
		(ii) भवन निर्माण विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, और
		(iii) मानक किराए के दो गुण प्रतिमाह की दर से किराया एकमुश्त में अग्रिम चुका दिया जाय।
		(iv) उपर्युक्त चार महीने की अवधि के बाद सरकारी आवास के लिये बाजार-सह-दण्ड किराया वसूल किया जायेगा, जबतक कि पदाधिकारी निष्कासित नहीं कर दिये जाते अथवा स्वयं खाली नहीं कर देते।
		(ग) (i) यदि स्थानान्तरित स्थान पर पदेन सरकारी आवास देय है तो पदाधिकारी एक माह तक सरकारी आवास सामान्य किराये पर रखेंगे।
		(ii) यदि स्थानान्तरित स्थान पर पदेन आवास उपलब्ध न हो सका हो तो उपर्युक्त एक माह के बाद अगले तीन महीने के लिये एक एक होस्टल कक्ष सामान्य किराये पर पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा और आवास खाली करा लिया जायेगा।

		(iii) उपर्युक्त चार महीने के बाद भी यदि पदाधिकारी होस्टल कक्ष नहीं खाली करें तो अगले दो महीने के लिये बाजार किराया वसूल किया जाय। परन्तु यदि संबंधित पदाधिकारी यह प्रमाण दें कि उनके अथक प्रयास के बावजूद उन्हें पदेन आवास की सुविधा प्राप्त न हो सकी तो उनका आदेश प्राप्त किया जायगा कि वे किराये पर किस अवधि के लिये होस्टल रख सकेंगे। (घ) स्थानान्तरण के पश्चात एक महीने की अन्य अवधि के पश्चात् बिना भवन निर्माण विभाग की पूर्व स्वीकृति के सरकारी आवास बने रहने पर बाजार-सह-दण्ड किराया वसूल किया जायगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
5.	पटना में ही किसी अन्यत्र कार्यालय में स्थानान्तरण	दो माह।
6.	छुट्टी (सेवा निवृत पूर्व छुट्टी, अस्वीकृति छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, प्रसूति छुट्टी या अध्ययन छुट्टी से भिन्न)।	छुट्टी की अवधि तक, किन्तु चार महीने से अधिक नहीं।
7.	प्रसूति छुट्टी।	प्रसूति छुट्टी और उसी छुट्टी के क्रम में मंजूर होने की अवधि तक जो अधिक से अधिक पांच महीने होगी।
8.	सेवा-निवृत के पूर्व छुट्टी या अस्वीकृत छुट्टी।	सेवा-निवृत पूर्व या अस्वीकृत छुट्टी की दशा में अधिक से अधिक 180 दिनों तक।
9.	भारत में या भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी।	अध्ययन छुट्टी की पूरी अवधि तक, लेकिन छः माह से अधिक नहीं
10.	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि तक, लेकिन चार महीनों से अधिक नहीं।
11.	चिकित्सीय आधार पर छुट्टी।	छुट्टी की पूरी अवधि तक।
12.	प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति किये जाने पर	प्रशिक्षण की पूरी अवधि तक।

स्पष्टीकरण–

(क) यदि किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण होने पर उन्हें छुट्टी मंजूर की जाय और वे उसका उपभोग नये पद पर पदभार ग्रहण करने के पूर्व कर लें तो उन्हें मद (4) और (5) के सामने उल्लिखित अवधि तक अथवा छुट्टी की अवधि तक, जो भी अधिक हो, आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ख) यदि कोई पदाधिकारी पहले से ही छुट्टी में हो और उसी दौरान उनके स्थानान्तरण का आदेश निर्गत हो तो स्पष्टीकरण (क) के अधीन अनुमान्य अवधि ऐसे आदेश निर्गत किये जाने की तारीख से गिनी जायेगी।

(3) यदि कोई आवास उप-नियम (2) के अधीन दखल में हो तो अनुमान्य रियायती अवधि समाप्त होने पर आवंटन रद्द समझा जायगा, परन्तु यदि उस अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद पदाधिकारी पटना में किसी पात्र कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लें तो वे उस आवास में बने रहे सकेंगे।

(4) यदि कोई पदाधिकारी वेतन और भत्ते के बिना चिकित्सीय छुट्टी पर हो तो वे उप-नियम (2) के नीचे दी गयी तालिका को मद (ii) के अधीन अनुमान्य रियायत के आधार पर अपना आवास रख सकेंगे बशर्ते कि वे आवास का किराया प्रति मास जमा कर दिया करें और वे दो महीने से अधिक तक यह किराया नहीं जमा करें तो आवंटन रद्द समझा जायेगा।

(5) यदि किसी पदाधिकारी ने उप-नियम (2) के नीचे दी गयी तालिका के मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर अपना आवास दखल में रखा हो तो वे उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी पात्र कार्यालय में पुनर्नियोजन के बाद उस आवास के रखने के हकदार होंगे। तथा इस नियमावली के अधीन आगे भी आवास आवंटन के हकदार होंगे। परन्तु ऐसे पुनर्नियोजन के बाद यदि पदाधिकारी प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अपने द्वारा अधिकृत श्रेणी के आवास का हकदार नहीं होते हों तो उन्हें निम्न श्रेणी का आवास आवंटित किया जायगा।

(6) सेवा से बर्खास्त या हटाये गये पदाधिकारी जिस कार्यालय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष कारण अंकित करते हुए भवन सचिव से अनुरोध कर सकते हैं कि उक्त पदाधिकारी का आवास आवंटन जनहित में तुरन्त रद्द कर दें या उप-नियम (2) के मद में (1) में निर्धारित अवधि के अन्दर किसी निश्चित तिथि को रद्द कर दें और भवन सचिव तद्नुसार कार्य कर सकेंगे।

12. किराया–आवास में प्रवेश करने की तिथि से अथवा खाली आवास की सूचना निर्गत की तिथि के सातवें दिन से, जो भी पहले हो, आवंटी पर किराया भुगतान करने का दायित्व होगा।

(1) यदि विनिमय के आधार पर किसी पदाधिकारी को दूसरा आवास आवंटित किया जाय तो पूर्व आवंटित आवास आवंटन दूसरे आवास में प्रवेश करने की तिथि से रद्द समझा जायगा। तथा उन्हें आवंटित आवास से उन्हें निष्कासित करने हेतु कार्रवाई भी की जायेगी।

13. (क) कार्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में अपना मकान रखनेवाले पदाधिकारी को आवास का आवंटन अनुमान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सरकारी आवास आवंटन होने पर उन्हें प्रथम छः महीने की अवधि में मानक किराये का पांच गुना किराया देना पड़ेगा और तत्पश्चात् पन्द्रह गुणा किराया देना होगा।

स्पष्टीकरण-

(1) अपना मकान का अर्थ है अपने पति, पत्नी, आश्रित संतान अथवा आश्रित माता-पिता के नाम निर्मित किया गया हो अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया हो। परन्तु यदि मकान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ हो तो सरकारी सेवक के हिस्से में इसका छत से ढंका भवन क्षेत्रफल कम से कम एक हजार वर्गफीट हो।

(2) मकान उस तिथि से निर्मित माना जायगा जिस तिथि से मकान में या इसके किसी हिस्से में पानी अथवा बिजली की व्यवस्था हो जाय।

(3) सरकारी आवास में प्रवेश करने के पश्चात् यदि अपना मकान निर्मित होता है या उत्तराधिकार में प्राप्त होता है तो यह नियम उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को मकान निर्मित हुआ या उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ।

(ख) यदि नियम 13 (क) से संबंधित किसी बिन्दु पर विवाद हो तो आवास आवंटन समिति की अनुशंसा पर भवन निर्माण एवं आवास विभाग निर्णय करेगी और निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) जिन पदाधिकारी को पदस्थापन के स्थान पर पदेन आवास देय है, उनपर नियम 13 (क) नहीं लागू होगा।

14. (1) यदि सरकारी आवास में रहनेवाले किसी पदाधिकारी का पदस्थापन सरकार के अधीन किसी लोक उपक्रम, बोर्ड, निगम, पर्षद के पटना स्थित कार्यालय में हो जाता है तो ऐसे लोक उपक्रम, बोर्ड, निगम, पर्षद के कार्यालय में योगदान देने की तिथि से दो महीने की अवधि तक यह पदाधिकारी सामान्य किराये पर सरकारी आवास दखल में रख सकेंगे।

(2) उपर्युक्त दो महीने की अवधि में यदि संबंधित लोक उपक्रम, बोर्ड, निगम, पर्षद द्वारा पदाधिकारी के लिये अन्य आवास को व्यवस्था नहीं की जाती है तो पदाधिकारी को सरकारी आवास के लिये अपनी उपलब्धियों का 10 प्रतिशत किराया के रूप में देना होगा और संबंधित लोक उपक्रम, बोर्ड, निगम, पर्षद को पदाधिकारी अपनी उपलब्धियों का 15 प्रतिशत किराये के रूप में भुगतान करना होगा, किन्तु यह सुविधा उप-नियम (1) में निर्धारित दो माह की अवधि के बाद अगले चार महीने तक ही उपलब्ध होगी।

(3) उप-नियम (2) में निर्धारित चार महीने की अवधि के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किये जाने पर सरकारी आवास के लिए मानक किराये का पांच गुणा किराया देय होगा, जिसमें संबंधित पदाधिकारी अपनी उपलब्धियों का 10 प्रतिशत भुगतान करेंगे तथा शेष किराये की राशि लोक उपक्रम, बोर्ड, निगम, पर्षद के द्वारा भुगतान की जायेगी।

15. किराया भुगतान के लिये पदाधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व-आवंटित आवास का किराया समय पर भुगतान करने तथा आवंटित आवास में या उसमें सरकार द्वारा दिये गये फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग सर्विसिंग में सामयिक टूट-फूट के अलावे किसी अन्य क्षति के लिये पदाधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

16. **पदाधिकारी द्वारा आवास लौटाने की सूचना देना**-(1) आवास खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पहले भू-सम्पदाधिकारी को सूचना देकर कोई पदाधिकारी आवंटित आवास को सौंप सकेंगे और प्रभार-पत्र प्राप्त करेंगे।

(2) भू-सम्पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि के ग्यारहवें दिन से अथवा सूचना-पत्र में अंकित तिथि से, जो भी बाद में हो, आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा।

(3) उप-नियम (9) में निर्धारित सूचना नहीं दिये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को तबतक उस आवास का किराया देना होगा जबतक उस आवास में कोई अन्य पदाधिकारी विधिवत् आवंटन के आधार पर प्रवेश नहीं कर जाते हैं।

(4) आवास का प्रभार सौंपने का प्रमाण-पत्र न प्राप्त करने पर आवास की देखभाल, किराया उच्चतर किराया देने की जिम्मेवारी आवंटी पर बरकरार रहेगी।

17. **आवास का विनिमय**–(1) जिस पदाधिकारी को आवास आवंटित है वे उसी श्रेणी के दूसरे आवास के अथवा नियम 8 के अन्तर्गत अपनी श्रेणी के अनुरूप आवास से विनिमय हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(2) विनिमय हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक पंजी में प्रविष्ट किया जायगा जिसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि भी अंकित रहेगी। पहले प्राप्त आवेदन-पत्र पर पहले विचार किया जायेगा।

(3) सेवा-निवृति के पूर्व के छः महीने के अन्दर आवास विनिमय का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) यदि विनिमय के आधार पर किसी पदाधिकारी को उच्चतर श्रेणी का आवास आवंटित किया जाता है और वे इस नये आवास की दखल नहीं करते है, तो उनहें पूर्व आवंटित आवास के लिये अपनी उपलब्धियों का दस प्रतिशत अथवा मानक किराया की चार गुणी राशि, दोनों में जो कम हो, किराये के रूप में भुगतान करना होगा।

18. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन-नियम 17 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पदाधिकारी को उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आवास परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे ऐसी घटना के तीन महीने के भीतर परिवर्तन के लिये आवेदन करें।

19. आवास की आपसी बदला-बदली वैसे पदाधिकारी जिन्हें एक ही श्रेणी के आवास आवंटित किये गये हों, अपने आवासों की आपसी बदला-बदली के लिये आवेदन कर सकेंगे। भवन सचिव द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही ऐसी अदला-बदली की जायेगी।

20. आवास का रख-रखाव–जिस पदाधिकारी को कोई आवास आवंटित किया गया हो, वे भवन निर्माण विभाग तथा नगरपालिका की संतुष्टि के अनुरूप आवंटित आवास तथा परिसर का रख-रखाव करेंगे तथा उसे साफ-सुथरा रखेंगे। भवन निर्माण विभाग से पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा और आवास से संलग्न आंगन आहाते में लगे किसी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।

21. आवासों का उपयोग–(1) सरकारी आवास का उपयोग आवंटी द्वारा अपने परिवार, निकट संबंधियों तथा घनिष्ठ मित्र के रहने के लिये ही किया जायेगा। आवासों के साथ संलग्न आउट हाऊस, गराज तथा अस्तबल का भी उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिन प्रायोजनों के लिए वे निर्मित है।

(2) कोई अपने पूरे आवास का उसका कोई भाग या आउट हाऊस या अस्तबल सिकमी पर किसी को नहीं देंगे परन्तु छुट्टी पर जानेवाले कोई पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारी को जो अभिरक्षक के रूप में सरकारी आवास में रहने का पात्र हो, नियम 11 (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अथवा छः महीने की अवधि के लिये दोनों में से जो कम हो, रहने दे सकेंगे।

22. (1) यदि कोई पदाधिकारी-

(क) आवास का उसके किसी भाग को सिकमी पर लगावे; अथवा

(ख) आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करें; अथवा

(ग) आवास का अथवा उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिये करें जिस प्रयोजन के लिये वह नहीं बना है; अथवा

(घ) बिजली या पानी कनेक्शन में हेर-फेर करें; अथवा

(च) इस नियमावली या आवंटन की शर्त्तो को भंग करे; अथवा

(छ) आवास या परिसर का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करें या करायें जिसे भवन सचिव अनुचित समझें; अथवा

(ज) वे इस प्रकार का आचरण करें जो भवन सचिव के विचार में पड़ोसियों के साथ अच्छो संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो; अथवा

(झ) आवास आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आवेदन या लिखित विवरण में जानबूझ कर गलत सूचना दें;

तो भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण-

(1) इस उप-नियम में व्यवहृत ''पदाधिकारी'' शब्द में उनके परिवार के कोई सदस्य तथा ऐसे कोई भी व्यक्ति शामिल समझे जायेंगे जो पदाधिकारी के माध्यम से आवास के सम्बन्ध में दावा करते हों।

(2) यदि पदाधिकारी अपने आवंटित आवास को या उसके किसी हिस्से को अथवा किसी आउट हाऊस, गराज या अस्तबल को सिकमी पर दे तो उनके विरूद्ध अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त उनसे अधिक किराया भी वसूल किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा मानक किराये के पांच गुणा से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामालों में पदाधिकारी से वसूल की जानेवाली किराया की राशि का निर्धारण भवन सचिव द्वारा संबंद्ध तथ्यों पर विचार कर किया जायगा।

(3) जहां परिसर के या उसके किसी हिस्से को सिकमी पर लगाने के कारण आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाती है, वहां आवंटी या उसके साथ रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने की तिथि से अथवा आवंटन रद्द करने के आदेश की तिथि से 60 दिनों के बाद, जो भी कम हो, आवंटन रद्द माना जायेगा।

(4) पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़नेवाले आचरण के आधार पर जहां आवास का आवंटन रद्द किया जाय, वहां भवन सचिव स्वविवेक से पदाधिकारी को उसी श्रेणी का दूसरा आवास आवंटित कर सकेंगे।

(5) भवन सचिव नियमों अथवा अनुदेशों का उल्लंघन करनेवाले पदाधिकारी को आवास आवंटन हेतु आयोग्य घोषित कर सकते है जिसकी अवधि तीन वर्षो से अधिक नहीं होगी।

23. आवाज का आवंटन रद्द किये जाने की तिथि अथवा रद्द समझे जाने की तिथि के बाद भी आवास पर कब्जा बनाये रखनेवाले पदाधिकारी अथवा उनके माध्यम से आवास पर दावा करनेवाले व्यक्ति को दण्ड किराया देना होगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी पदाधिकारी को जो किराये पर या बिना किराये के सरकारी आवास में रह रहे थे, भवन सचिव द्वारा तीन महीने से अधिक अवधि के लिये 'मानक किराया' के दो गुणा किराये पर आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी।

24. इस नियमावली के निर्गत होने के पूर्व किये गये आवंटन का जारी रखना–इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्य किसी नियमावली के अन्तर्गत किये गये आवंटन पर भी यह नियमावली लागू होगी।

25. नियमों की व्याख्या–यदि इस नियमावली के किसी नियम के अर्थ के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो इसका निर्णय भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायगा।

26. सरकार किसी मामले में कारणों को अंकित करते हुए इस नियमावली के किसी को शिथिल कर सकेगी।

27. पृथक पूल-राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, बिहार विधान परिषद् के सभापति, बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य विधान मंडल के अन्य ऐसे पदाधिकारियों के लिये, जो किसी नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के आवास के आवंटन के पात्र हो, केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत ''सब-पूल'' रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट-'क'

सरकारी आवास आवंटन हेतु आवेदन

(यह मूल आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाए तथा प्रत्येक कंडिका में मांगी गई सूचना पूरी-पूरी दी जाय अन्यथा इस पर विचार नहीं होगा)

1. (क) आवेदक का नाम

(ख) आवेदक का पद नाम

(ग) आवेदक के वर्तमान कार्यालय का नाम

(घ) आवेदक का वर्तमान प्रशासी विभाग

(ङ) आवेदक का सेवा संवर्ग एवं कोटि

(च) आवेदक का मूल विभाग

2. (क) पटना में किस तिथि से लगातार पदस्थापित है।

(ख) उक्त तिथि से धारित पदों का नाम तथा कार्यालय स्थान

पदनाम कार्यालय

(i)

(ii)

(iii)

3. वर्तमान पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि

4. वर्तमान पद की उपलब्धियाँ

(क) वेतन

(ख) विशेष वेतन

(ग) महंगाई वेतन

(घ) अतिरिक्त महंगाई भत्ता

(ङ) तदर्थ एवं अन्य प्रकार के महंगाई भत्ता

(च) अंतरिम रिलीफ

(छ) निजी विशेष वेतन

(ज) अन्य भत्ते (पूर्ण विवरण सहित)

(झ) कुल

5. सेवानिवृत की तिथि

6. आवेदक का वर्तमान आवासीय संख्या

7. आवेदक के कार्यालय तथा दूरभाष संख्या

8. क्या आवेदक अपनी श्रेणी से एक अथवा दो निम्नतर श्रेणी का आवास लेना चाहेंगे?

9. यदि अपने पति/पत्नी या आश्रित पुत्र/पुत्री या किसी अन्य आश्रित के नाम पटना में निजी मकान हो तो उसका ब्योरा दे:

मोहल्ला/ कॉलोनी	सड़क सं॰	मकान सं॰	सर्किल नं॰	नजदीक में कोई महत्वपूर्ण मकान या संस्था का नाम	आवेदक के मकान की कार्यालय से दूरी
1	2	3	4	5	6

10. यदि संयुक्त परिवार में आवेदक का कोई मकान हो तो उसकी अवस्थित दें।

मोहल्ला/ कॉलोनी	सड़क सं॰	मकान सं॰	सर्किल नं॰	नजदीक में कोई महत्वपूर्ण मकान या संस्था का नाम	आवेदक के मकान की कार्यालय से दूरी
1	2	3	4	5	6

11. यदि आवेदक पटना में मकान बनाने हेतु सरकार से ऋण लिया है तो उसका ब्योरा:-

तिथि	राशि
1	2

12. यदि पटना में आवेदक के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री या अन्य आश्रित के नाम से कोई मकान निर्माणाधीन हो तो उसका ब्योरा:-

मोहल्ला/ कॉलोनी	सड़क सं॰	मकान सं॰	सर्किल नं॰	नजदीक में कोई महत्वपूर्ण मकान या संस्था का नाम	आवेदक के मकान की कार्यालय से दूरी
1	2	3	4	5	6

13. निर्माणाधीन मकान के आवास योग्य होने की तिथि:-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर वर्णित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इनमें कुछ भिन्नता पाई जाएगी तो मैं आवास का हकदार नहीं रहूँगा एवं उस परिस्थिति में मेरा आवेदन स्वत: रद्द समझा जाय। मैं आश्वासन देता हूँ कि आवास आवंटन के पश्चात् मैं सरकारी/विभागीय सभी नियमों एवं अन्य आदेशों का पालन करूँगा। यदि मैं अपने पत्नी अथवा आश्रित पुत्र/पुत्री के नाम से पटना में निजी मकान का निर्माण प्रारंभ करूँगा अथवा निजी मकान या उसका कोई हिस्सा पूरा करूंगा तो उसकी सूचना भवन निर्माण विभाग को दूंगा।

कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष/विभाग सचिव का प्रमाण पत्र कार्यालय/विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार एवं मेरे व्यक्तिगत सूचनानुसार आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दिये गये सभी विवरण सही है। आवेदक की वेतन पर्ची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-

परिशिष्ट ''ख''

आवासों की श्रेणी

प्रथम श्रेणी

आफिसर्स होस्टल, बेली रोड	-	
''ए'' ब्लॉक	-	60 कक्ष
''बी'' ब्लॉक	-	60 कक्ष
''सी'' ब्लॉक	-	60 कक्ष
		----------
		180 कक्ष

द्वितीय श्रेणी

60 आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड	- 60 + 30 =	90
बैक म्युजियम रोड	-	6
बैक हार्डिग रोड	-	17
बेली रोड (40 सेट)	-	40
विधायक फ्लैट (135)	-	1
फ्रेजर रोड	-	1
भेटेनरी कंउपान्ड	-	1
न्यू पुनाईचक	-	84
		----------
		210 + 30 = 240

तृतीय श्रेणी

आफ पोलो रोड	–	9
आफ माल रोड	–	3
हार्डिंग रोड	–	15
गार्डिनर रोड	–	14
मैंग्लस रोड	–	13
उत्तर गाँधी मैदान	–	1
साऊथ बेली रोड	–	10
बन्दर बगीचा	–	2
छज्जु बाग	–	21
बी – 3 टाईप	–	62

		156

चतुर्थ श्रेणी

नव-निर्मित स्टैंड रोड	– 6 + 20 =	26
हार्डिंग रोड	–	43
माल रोड	–	2
साऊथ गाँधी मैदान	–	4
ह्यीलर रोड	–	1
ए – 3 टाईप	–	28
शीर्ट-गार्डिनर रोड	–	2
वाटर टावर	–	5
		----------
		91 + 20 = 111

पंचम श्रेणी

सर्कुलर रोड	–	17
स्टैंड रोड	–	12
टेलर रोड	–	4
मैकडोनल रोड	–	4
पोलो रोड	–	9
सर्पेन्टाईन रोड	–	13
बेली रोड	–	27

		90

वागीश मिश्र, संयुक्त सचिव

●●●

बिहार

आदेश संख्या-87 दिनांक-31.05.2001

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग के केन्द्रीय-पूल से शादी समारोह के लिए विशेष परिस्थिति में अस्थायी रूप से आवास आवंटित किया जाता है। इसके लिए सम्बंधित आवास के मानक किराया का पाँच गुणा राशि एवं जमानत के रूप में 500/- (पाँच सौ) रुपये अग्रिम के रूप में आवंटी से लिया जाता है। प्राय: ऐसा पाया गया है कि शादी समारोह के लिए आवंटित आवास की स्थिति खराब हो जाती है और उसकी मरम्मती एवं उसके रख-रखाव में विभाग को कठिनाई होती है क्योंकि इस मद में किराया के रूप में वसूली जाने वाली राशि बहुत ही कम है।

2. विशेष परिस्थिति में शादी के लिए आवंटित आवास के किराया राशि एवं जमानत की अग्रिम राशि की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शादी के लिए निम्नांकित शर्तो पर अस्थायी रूप से आवास की उपलब्धता की स्थिति में आवास आवंटित किया जाय:-

i. शादी के लिए विशेष परिस्थिति में केवल पात्र पदाधिकारी/कर्मचारियों को दो या दो से अधिक अथवा अधिकतम एक सप्ताह के लिए आवास केन्द्रीय पूल से आवंटित किया जायेगा।

ii. आवास की किराया की राशि 1500/- (पन्द्रह सौ) रुपये संबंधित आवंटी से वसूल किया जायेगा।

iii. संबंधित आवंटी को जमानत के रूप में 2000/- (दो हजार) रुपये अग्रिम जमा करना होगा हो शादी समारोह के बाद वापस कर दी जायेगी। परन्तु यदि आवास में क्षति होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति जमानत की राशि से सम्बंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के प्रतिवेदन पर कर ली जायेगी।

iv. बिजली आपूर्ति के लिए सम्बंधित आवंटी को अपने स्तर पर पटना इलेक्ट्रीक सप्लाई अन्डरटेकिंग प्रतिष्ठान (पेसू) से सम्पर्क कर व्यवस्था करनी होगी।

v. किराया की राशि एवं जमानत की अग्रिम राशि कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल भवन निर्माण विभाग पटना के यहां बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।

3. उपर्युक्त शर्तो को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता द्वारा शादी के निमित्त आवंटित आवास का प्रभार आवंटी को दिया जायेगा।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(ए० बी० प्रसाद)
सरकार के अपर-सचिव, भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-..... दिनांक- .....

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार उपभाग/उत्तर बिहार उपभाग/मुख्य अभियंता (निरूपण) उपभाग पटना/मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान, मैंग्लस रोड पटना/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना भवन/पटना अंचल पटना भवन/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल पटना/पटना प्रमंडल पटना/पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल पटना/पटना पश्चिम भवन प्रमंडल दानापुर पटना/गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक/मंत्री भवन के आप्त-सचिव/सचिव भवन के आप्त सचिव/अवर सचिव के आप्त सचिव/निबंधक (मुख्यालय)/निरूपण/सक्षम पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग पटना/एवं भू-सम्पदा प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(ए० बी० प्रसाद)
सरकार के अपर-सचिव, भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण एवं आवास विभाग

संकल्प

संकल्प संख्याः-जी०/बी०डी०-6-202/95-1292 (भ) अनु० पटना, दिनांक 01.03.1997

भवन निर्माण एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-831 (भ) दिनांक-24.02.1994 जिसके द्वारा पूर्व में गठित अनुसचिवीय आवास आवंटन समिति की विघटित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से अनुसचिवीय आवास आवंटन समिति का पुनर्गठन किया गया था, को संशोधित करते हुए निम्नांकित रूप से तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन 'पटना केन्द्रीय पूल' गठित किया गया है।

1. सदस्य राज्य पर्षद -	अध्यक्ष
2. वित्त आयुक्त -	सदस्य
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग-	सदस्य
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग	सदस्य सचिव, पदेन

2. **समिति का कृत्यः** संलग्न तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन पटना केन्द्रीय पूल के आवासों के आवंटन से संबंधित प्रक्रिया का अनुपालन समिति का कार्यक्षेत्र भवन निर्माण एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन पटना स्थित तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवासों का आवंटन रहेगा, जिसमें पटना उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा, पटना/बिहार विधान परिषद् पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पूल के अनुसचिवीय आवास शामिल नहीं होंगे। कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत अनुसचिवीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों को पूर्ववत् प्रशासी विभाग के द्वारा आवासों का आवंटन किया जायेगा।

3. तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) आवास आवंटन समिति प्रत्येक दो माह के क्रम में कम से कम एक बार या आवश्यकता पड़ने पर उसके पहले बैठक करेगी। समिति को, अनुसचिवीय सहायता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग के द्वारा की जाएगी।

बैठक की कार्यवाही, सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना सह-अध्यक्ष तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) आवास आवंटन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही निर्गत की जा सकेगी।

4. इस आदेश के निर्गत की तिथि से सरकारी विभागों के लिए पूर्व में गठित अनुसचिवीय पूल स्वतः समाप्त समझा जायेगा और इन सभी आवासों का आवंटन वरीयता के आधार पर एतद् द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी।

5. यह व्यवस्था चतुर्थवर्गीय आवासों पर लागू नहीं होगी जिसका आवंटन पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
वीणा छोटराय
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक संख्या-जी/वी० डी०-6/202/95-1292 (भ) अनु० दिनांक-01.03.1997

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की पाँच सौ प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी की उपलब्ध कराई जाय।

अनु०- यथोक्त

ह०/-
वीणा छोटराय
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक संख्या–1292 (भ) अनु॰ दिनांक 01.03.1997

प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व पर्षद सह–अध्यक्ष अनुसचिवीय आवास आवंटन समिति, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सदस्य, अनुसचिवीय आवास आवंटन समिति को प्रक्रिया की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰:– यथोक्त।

ह॰/–
वीणा छोटराय
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक संख्या–1292 (भ) अनु॰ दिनांक–01.03.1997

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्रक्रिया की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰:–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–1292 (भ) अनु॰ दिनांक–01.03.1997

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को प्रक्रिया की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰:–यथोक्त

ह॰/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक संख्या–1292 (भ) अनु॰ दिनांक–01.03.1997

प्रतिलिपि :– निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को प्रक्रिया की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰:–यथोक्त

ह॰/–
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

तृतीय श्रेणी/प्रशाखा पदाधिकारी आवास आवंटन पटना केन्द्रीय पूल के संबंध में प्रक्रिया

1. (क) पात्र कार्यालय का अर्थ है पटना स्थित सचिवालय के कार्यालय तथा संलग्न कार्यालय जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-एस॰ ओ॰ (2) दिनांक-01.06.1992 के द्वारा अभिप्रेत है अथवा समय-समय पर इसमें जो संशोधन किये जायें।

(ख) पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी से तात्पर्य पात्र कार्यालयों में कार्ययरत वर्ग-3 के कर्मचारियों एवं अनुसचिवीय सम्वर्ग से प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों से है।

(ग) वर्ग-4 से प्रोन्नत वर्ग-3 के पात्र कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु उनके द्वारा वर्ग-4 के रूप में प्रदत्त सेवा की आधी अवधि की गणना वरीयता निर्धारण के लिए की जायेगी।

2. (क) वरीयता के आधार पर प्रत्येक सूत्रों के गठन का आधार पटना स्थित पात्र कार्यालय में पात्र कर्मचारी की योगदान की तिथि होगी। प्रतीक्षा सूची में शामिल उस कर्मचारी का नाम सूची से हटा दिया जायेगा जिसका स्थानान्तरण पात्र कार्यालय से बाहर हो जायेगा। लेकिन यदि उक्त पात्र कर्मचारी पुनः पटना स्थित पात्र कार्यालय में वापस योगदान देता है तो बाहर रहने की अवधि घटाकर उसकी वरीयता का निर्धारण पटना स्थित पात्र कार्यालय में प्रथम योगदान की तिथि से निर्धारित करते हुए पुनः प्रतीक्ष्य सूची में उचित स्थान पर रखा जा सकेगा।

(ख) प्रतीक्ष्य सूची की अंतिम रूप देने से पहले उसे सभी विभाग में परिचालित किया जायेगा ताकि वे विहित समय सीमा (प्रेषण की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर) के भीतर आपत्तियों/दावा दे सके। इन आपत्तियों/दावों पर विचार करते हुए प्रतीक्ष्य सूची भवन निर्माण विभाग में विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार की जायेगी और प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में प्रकाशित की जायेगी और जब तक नई सूची प्रकाशित नहीं होती है तब तक पूर्व प्रकाशित सूची आवास आवंटन के निमित विधिमान्य रहेगी।

3. (क) कार्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में अपना मकान रखने वाले कर्मचारी पदाधिकारी को आवास का आवंटन सामान्यतः अनुमान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सरकारी आवास आवंटन होने पर निम्नांकित दर से उच्चतर किराया वसूल किया जाएगा। मकान से प्रतिमाह 751/- रु॰ तक मासिक किराया प्राप्त होने पर सरकारी आवास का मानक किराया 751/- रु॰ से अधिक परन्तु 1500/- रु॰ तक मासिक किराया प्राप्त होने पर मानक किराया का दो गुणा किराया तथा 1500/- रु॰ से अधिक मासिक किराया का तीनगुणा किराया वसूला जाएगा।

(ख) आवास आवंटन प्रतीक्ष्य सूची से क्रमानुसार से किया जायेगा।

(ग) प्रतीक्ष्य सूची में शामिल कर्मचारी/पदाधिकारी का पटना से बाहर स्थित कार्यालय में स्थानान्तरण होने पर संबंधित विभाग के सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग को इसकी सम्यक सूचना देगे ताकि प्रतीक्ष्य सूची से उनका नाम हटा दिया जाय।

4. आवास आवंटन समिति के मुख्यतः निम्नांकित कृत्य होंगेः-

(क) पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी को आवास आवंटित करना

(ख) अति अनुकम्पा एवं परिस्थिति की आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्ष्य सूची के पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी से प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेना।

5. (क) यदि पति और पत्नी दोनों के नाम प्रतीक्ष्य सूची में अंकित हो तो आवास आवंटन हेतु प्रत्येक पर अलग-अलग विचार किया जायेगा।

(ख) यदि कर्मचारी/पदाधिकारी के पति या पत्नी को सरकारी आवास का आवंटन किया जा चुका है तो जबतक एक आवास को अभ्यर्पित नहीं किया जायेगा तबतक कोई दूसरा आवास उनमें से किसी को पुनः किन्तु जहाँ पति और पत्नी किसी न्यायालय के आदेश से अलग-अलग रहते है वहाँ वह प्रावधान लागू नहीं होगा।

(ग) पति विवाह के एक माह के भीतर कोई आवास अभ्यर्पित नहीं किया जाय तो नीचे की श्रेणी को आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा। यदि दोनों आवास एक ही श्रेणी के है तो सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग के निर्णयानुसार उनमें से एक आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

(घ) यदि पति या पत्नी में से किसी एक को पूर्व से आवास आवंटित हो और यदि बाद में किसी दूसरे को उसी स्थान पर किसी अन्य पूल से आवास का आवंटन हो जाता है तो बाद के आवंटन के एक माह के भीतर दोनों में से एक आवास उन्हें अभ्यर्पित कर देना होगा।

(च) पूर्व में आवंटित दो आवासों में रहनेवाले कर्मचारी/पदाधिकारी यदि आपस में विवाह कर ले तो विवाह के एक माह के भीतर कोई एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा अन्यथा भवन सचिव द्वारा दोनों में से एक आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

6. (क) आवंटन को स्वीकार नहीं किया जाना:-

(ख) आवंटन आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर आवंटी द्वारा भवन सचिव को यह सूचित करना होगा कि उन्हें यह आवंटन स्वीकार है या नहीं। यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर कोई सूचना नहीं मिले तो आवंटित आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक कोई दूसरा आवास उन्हें आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवंटित आवास दूसरे पात्र कर्मचारी/पदाधिकारी को आवंटित कर दिया जायेगा।

(ग) आवंटित आवास की खाली होने की सूचना नये आवंटी को दी जायेगी। इसकी सूचना निर्गम होने के 7 (सात) दिनों के अन्दर नये आवंटी, आवंटित आवास में प्रवेश कर जायेंगे अन्यथा आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

7. आवंटन की अवधि:-

(क) आवास में प्रवेश करने की तिथि अथवा आवंटित आवास खाली होने की सूचना निर्गत होने की तिथि से सातवें दिन से आवंटन प्रभावी होगा और तबतक रहेगा जबतक कि :-

(1) पटना स्थित पात्र कार्यालय के आवंटी के स्थानान्तरण होने के बाद रियायती अवधि बीत जाय अथवा,

(2) जबतक आवंटन रद्द नहीं कर दिया जायेगा या रद्द किया गया नहीं समझा जाय।

(3) आवंटी द्वारा आवास सरेण्डर नहीं कर दिया जाय अथवा

(4) आवंटी आवंटित आवास से दखल छोड़ न दें।

(ख) स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन को अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवंटित आवास को कर्मचारी/पदाधिकारी दखल में रख सकेंगे बशर्ते कि आवंटी को वस्तुत: उपयोग के लिए आवश्यक हो:-

1.	सेवा के पद त्याग, बर्खास्तगी या हटाया जाना, सेवा की समाप्ति, अथवा कार्यालय से अनाधिकृति अनुपस्थिति	एक माह
2.	सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	दो माह
3.	आवंटी की मृत्यु	छ: माह
4.	पटना से बाहर स्थानान्तरण	(क) एक माह मानक किराया पर (ख) उक्त एक माह की अवधि के बाद अधिक से अधिक तीन महीने एक बशर्ते कि:- 1. स्थानान्तरित कर्मचारी/पदाधिकारी के पुत्र/पुत्री को शिक्षा, परिसर के किसी निकट संबंधी की चिकित्सा के लिए यह आवश्यक हो, 2. भवन सचिव की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो, 3. मानक किराया का दुगुना प्रतिमाह की दर से एकमुश्त किराये की राशि जमा कर दी गयी हो,

4. स्थानान्तरण के फलस्वरूप एक महीने से अनुमान्यता अवधि के पश्चात् बिना भवन सचिव की पूर्व-स्वीकृति के सरकारी आवास में बने रहने पर बाजार सह दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जाएगी।

5. छुट्टी सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी- छुट्टी की अवधि तक किन्तु चार महीने से अधिक नहीं अस्वीकृत छुट्टी सरेण्डर या अध्ययन छुट्टी चिकित्सा छुट्टी प्रसूति छुट्टी।

6. चिकित्सा के आधार पर छुट्टी- छुट्टी की पूरी अवधि तक

7. प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति किया - प्रशिक्षण की पूरी अवधि तक।

8. किराया- आवास में प्रवेश करने की तिथि से

अथवा

खाली आवास की सूचना निर्गत होने की तिथि के सातवें दिन से, जो भी पहले हो आवंटी पर किराया भुगतान करने का दायित्व होगा।

(1) यदि विनिमय के आधार पर वित्त पदाधिकारी को दूसरा आवास आवंटित किया जाय तो पूर्व में आवंटित आवास का आवंटन दूसरे आवास में प्रवेश करने की तिथि से रद्द समझा जायेगा। यदि वे पूर्व आवंटित आवास को उक्त तिथि से खाली नहीं करते है तो उन्हें पूर्व आवंटित आवास का बाजार-सह-दण्ड किराया भुगतान करना होगा।

9. किराया भुगतान के लिए आवंटी का व्यक्तिगत दायित्व:-

आवंटित आवास का किराया समय पर भुगतान करने तथा आवंटित आवास में सरकार द्वारा लिए गए फर्नीचर या पिटांग, सर्विसिंग में सामयिक टूट-फूट के अलावे किसी अन्य क्षति के लिए आवंटी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

10. आवंटी द्वारा आवास लौटाने की सूचना देना:-

(क) आवास खाली करने की तिथि से कम से कम 10 दिन पहले सचिव भवन को सूचना देकर कोई आवंटी आवंटित आवास को सौंप सकेंगे और प्रभार पत्र प्राप्त करेंगे। उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से सातवें दिन से अपना सूचना पत्र में अंकित तिथि जो बाद में हो, आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा।

(ख) निर्धारित सूचना नहीं लिये जाने पर आवंटी को तबतक इस आवास का किराया देना होगा जबतक उसे आवास में कोई अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत् आवंटन के आधार पर प्रवेश नहीं कर पाते।

(ग) आवास का प्रभार सौंपने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर आवास की देखभाल किराया/उच्चतर किराया देने की जिम्मेवारी आवंटी पर बरकरार रहेगी।

11. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन :-

आवंटी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन की अनुमति सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा दी जा सकती है, यदि वे ऐसी घटना के तीन माह के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करें।

12. आवास की आपसी अदला-बदली-वैसी कर्मचारी/पदाधिकारी जिन्हें एक की श्रेणी के आवास आवंटित किए गए है उन्हें आवास की आपसी अदला-बदली के लिए आवेदन कर सकेंगे। भवन सचिव द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही ऐसा अदला-बदली की जाएगी।

13. आवास का रख-रखाव जिन कर्मचारी/पदाधिकारी को कोई आवास आवंटित किया गया हो, वे भवन निर्माण एवं आवास विभाग तथा नगरपालिका की संतुष्टि के अनुरूप आवंटित आवास तथा परिसर का रख-रखाव करेंगे तथा उसे साफ-सुथरा रखेंगे। भवन सचिव से पूर्व लिखित अनुमति किए बिना आवास में कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा और आवास से संलग्न आँगन या अहाते के किसी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।

14. आवासों का उपयोग:-

(क) सरकारी आवास का उपयोग आवंटी द्वारा अपने परिवार या निकट सम्बन्धियों के लिए ही किया जाएगा।

(ख) कोई अपने पूरे आवास या उसका कोई भाग सिकमी पर या दर किराया पर किसी अन्य को नहीं देगें।

15. आवास का आवंटन रद्द किए जाने की तिथि अथवा रद्द समझे जाने की तिथि के बाद भी आवास पर कब्जा बनाए रखने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी अथवा उनके माध्यम से आवास पर दावा करनेवाले व्यक्ति को दण्ड किराया अर्थात् मानक किराया का पन्द्रह गुणा किराया देना होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी कर्मचारी/पदाधिकारी को सरकारी आवास में रह रहे भवन सचिव द्वारा अनुमान्य अवधि के बाद अधिक से अधिक तीन महीने अवधि के लिए मानक किराया के दो गुणा किराया पर आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमान्य अवधि के बाद तीन महीने से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि के बाद तीन महीने से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि तक आवास में बने रहने सम्बन्धी निर्णय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा, कि मामला अतिविशेष प्रकृति का हो और पूरी अवधि का एक मुश्त अग्रिम किराया बाजार दर से अर्थात् पाँच गुणा किराया की दर से आवंटी द्वारा जमा कर दिया जाय।

16. आवास आवंटन के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हो तो इस पर आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

ह०/-
वीणा छोटराय
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण एवं आवास विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या–जी०/बी०डी०–6-202/95 भ०नि०–6539 (भ) पटना, दिनांक–22.12.97

भवन निर्माण वं आवास विभाग के विभागीय संकल्प संख्या–1292 (भ) दिनांक–01.03.1997 का कंडिका–2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

1. 2 (ग) मुख्यमंत्री सचिवालय 4, देशरत्न मार्ग के परिसर में स्थित छः अराजपत्रित एवं छः राजपत्रित कुल 12 आवास मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ट्रांजिट आवास के रूप में कर्णांकित किये जाते हैं।

केन्द्रीय पूल से विधिवत् आवास आवंटन होने तक इन आवासों का आवंटन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

2. संकल्प संख्या–1292 (भ) दिनांक–01-03-1997 की कंडिका–2 (क) में संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापनः–

वरीयता के आधार पर प्रतीक्ष्य सूची के गठन का आधार पटना स्थित (पात्र कार्यालय में) पात्र कर्मचारी के योगदान की तिथि होगी जिनका आवेदन पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में दिनांक–30.6.97 तक भवन निर्माण एवं आवास विभाग में प्राप्त हो चुका है। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरीयता का निर्धारण भवन निर्माण एवं आवास विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से किया जायेगा। प्रतीक्ष्य सूची में शामिल उस कर्मचारी का नाम सूची से हटा दिया जायेगा जिनका स्थानान्तरण पात्र कार्यालय से बाहर हो जायेगा, लेकिन यदि उक्त पात्र कर्मचारी पुनः पटना स्थित पात्र कार्यालय में वापस योगदान देता है तो बाहर रहने की अवधि घटाकर उसकी वरीयता का निर्धारण पटना स्थित पात्र कार्यालय में प्रथम योगदान की तिथि से निर्धाथ्रत करते हुए उसे पुनः प्रतीक्ष्य सूची में उचित स्थान पर रखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

एस० एन० पी० सिन्हा

आयुक्त एवं सचिव, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या–6539 (भ) पटना दिनांक–22.12.97

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

आयुक्त एवं सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–6539 (भ) पटना, दिनांक–22.12.97

प्रतिलिपिः–सदस्य राजस्व पर्षद सह–अध्यक्ष–अनुसचिवीय आवंटन समिति बिहार, पटना/वित्त आयुक्त पटना/आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

आयुक्त एवं सचिव

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या–6539 (भ) पटना दिनांक–22.12.97

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

आयुक्त एवं सचिव, बिहार,

पटना

ज्ञापांक संख्या-6539 (भ) पटना दिनांक-22.12.97

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

आयुक्त एवं सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या-6539 (भ) पटना दिनांक-22.12.97

प्रतिलिपि, निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

आयुक्त एवं सचिव, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

डी॰डी॰एम॰सी॰/डब्ल्यू॰जी॰/38/97 पत्रांक-4275 (भ) पटना, दिनांक-17 अक्टूबर, 1998

प्रेषक,

श्री ए॰ के॰ सिन्हा,

सरकार के सचिव,

भवन निर्माण विभाग,

बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पटना

मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पटना।

मुख्य अभियंता, छोटानागपुर एवं संथाल परगना उपभाग, राँची।

सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

विषयः भवन अनुरक्षण/परिवर्द्धन परिवर्तन/मौलिक कार्यों से संबंधित विभागीय निर्देश।

महोदय,

भवन निर्माण विभाग के कार्यो के सम्यक् नियंत्रण के उद्देश्य से मंत्रिमंडल निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। सभी स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा इन निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय इस उद्देश्य से इन पत्रों के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को बिना परिवर्तन के नीचे पुनर्लिखित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नए निदेश भी निर्गत किये जा रहे हैं जो भवन कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 948 अनु॰ दिनांक 16.07.1986 की कंडिका 7.1 एवं 7.4 में दिए गए अनुदेश की ओर आकर्षित किया जाता है। (नीचे उद्धत):-

कंडिका-7.1: बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, तथा बिहार ट्रेजरी हस्तक में दिए गए प्रावधानों को तथा इन्हें स्पष्ट करने, उनके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार संशोधन करने के उद्देश्य से समय-समय पर राज्यादेश के द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यपालक अभियंता और अधीनस्थ पदाधिकारियों के अलावे मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता भी उत्तरदायी होंगे।

कंडिका-7.4: (क) अनुरक्षण एवं मरम्मति के सभी कार्य के लिए अधिकतम 6 (छः) महीने की कार्यावधि होगी।

2. अनुरक्षण मद के कार्यो का विभाजन

अनुरक्षण मद के कार्यों की व्यवस्था, संचालन एवं निष्पादन की दृष्टि से निम्न श्रेणियों में विभक्त की जाय।

(1) दैनिक संरक्षण कार्य

(2) वार्षिक साधारण मरम्मत कार्य तथा

(3) त्रि/पंचवर्षीय मरम्मति (क्यू॰आर॰)

(4) विशेष मरम्मति।

इन कार्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-

2.1 श्रेणी-1 दैनिक संरक्षण कार्य

(1) दिन-प्रतिदिन के संरक्षण कार्यो में दरवाजे/खिड़कियों की साधारण मरम्मति।

(2) छिटकिनी वगैरह बदलना।

(3) फर्श एवं नाली के टूटे-फूटे अंश की मरम्मति

(4) छत से लीक रिपेयर।

(5) क्रेंक रिपेयर।

(6) बन्द हुए नालियों/पाईपों को खोलने एवं मरम्मति।

(7) छत पर बिछाये खपड़ों की मरम्मति।

ये कार्य पूर्व से उपलब्ध कार्यभारित जैसे-बढ़ई, राजमिस्त्री, हेल्पर आदि से ही कराया जायेगा। जहाँ कार्यभारित कर्मचारी कार्य की आवश्यकता से कम हो वहाँ अधीक्षण अभियंता से पूर्व स्वीकृति लेकर दैनिक मजदूर एवं कारीगर रखकर कार्य कराया जा सकता है। दैनिक अनुरक्षण के कार्य के विभिन्न मदों के संबंध में अधीक्षण अभियंता समय-समय पर आदेश एवं दिशा निर्देश देंगे।

2.2 श्रेणी-2 वार्षिक मरम्मति के कार्य

वार्षिक मरम्मति में निम्नलिखित कार्यो को रखा जायेगा-

(1) भवन के अन्दर चूने की पोताई यदि डिस्टेम्पर न हो।

(2) समान्य तरह के टूटे प्लास्टर एवं फ्लोरिंग की मरम्मति।

(3) नाली की मरम्मति।

(4) टूटे शीशे का बदलना (खिड़की/दरवाजे/भेन्टीलेटर का)।

(5) लकड़ी के सामान्य मरम्मति कार्य (यथा-खराब चौखट या किबाड़ बदलना)।

(6) कॉलोनी के पहुच पथ की पॉट एवं सामान्य मरम्मति।

(7) भवन तथा गेट पर आवास संख्या अंकित करना।

(8) छत के क्रेंक रिपेयर, लीक रिपेयर इत्यादि।

(9) प्युमीस स्टोन से मोजाईक रगड़ना।

(10) पब्लिक बिल्डिंग की बाहरी रंगाई पुताई/डिस्टेम्पर (यदि पहले से हो)।

(11) रेन वाटर पाईप की सप्लाई, छत की सफाई।

(12) अस्पताल में छः फीट ऊँचाई तक वर्ष में दो बार चूने की पुताई।

(13) घेरा के तार को टाईट करना यदि तार लूज हो जाये।

(14) यथा संभव दीवार के पार्श्व से जल स्राव को रोकथाम के लिए आवश्यक मरम्मति।

वार्षिक मरम्मति के अन्तर्गत आने वाले कार्यो का संक्षिप्त उल्लेख लोक निर्माण संहिता के नियम 193 में है।

2.3 श्रेणी-3 त्रि-पंचवर्षीय

क्यू०/आर० के लिए निम्नांकित मदों का निर्धारण किया जाय।

(1) लोह एवं लकड़ी की पेंटिंग।

(2) भीतर में डिस्टेम्पर (यदि पहले से डिस्टेम्पर हो)।

(3) बाहर रंग पुताई (आवासीय भवनों में)।

(4) बाहर स्नो सेम।

(5) छत से बरसाती पानी के निकास हेतु सी० आई० पाईप की रंगाई।

(6) ओभर हेड टैंक-सिस्टर्न, सिस्टर्न पाईप, जलापूर्ति पाईपों की रंगाई।

2.4 श्रेणी-4 विशेष मरम्मति

विशेष मरम्मति के लिए निम्नांकत मदों का निर्धारण किया जाय-

(1) छत की विशेष मरम्मति/पुरानी छत तोड़कर नयी छत बनाना,

(2) पब्लिक बिल्डिंग में चार फीट ऊँचाई तक मोजाईक स्कर्टिंग करना,

(3) ड्रेन पाईप का बदलना,

(4) बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त लकड़ी कार्य (दरवाजा, खिड़की का पल्ला एवं चौखट बदलना)

(5) बड़े पैमाने पर नये प्लास्टर या फ्लोरिंग की व्यवस्था,

(6) कॉलोनी पथों की विशेष मरम्मति (नयी परत बिछाना),

(7) नाली की विशेष मरम्मति।

(**नोट**– उपर्युक्त अनुदेशों के साथ लोक निर्माण संहिता के नियम 193 से 201, लोक निर्माण लेखा संहिता (अपेन्डिक्स–2) कंडिका–35 के फूट नोट प्रसंगति हैं।)

2.5 किसी भी हालत में क्यू॰ आर॰ एवं एस॰ आर॰ के कार्य वार्षिक मरम्मति में नहीं कराये जाये।

2.6 लोक भवनों का निरीक्षण वर्ष में एक बार अधीक्षण अभियंता के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। वे निरीक्षण के दौरान ए॰आर॰क्यू॰/आर॰एस॰/आर॰ के संतोषजनक होने तथा भवन के रख–रखाव पर प्रकाश डालेंगे।

3. शिकायत केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विभाग द्वारा 18.04.1998 को प्रेस विज्ञप्ति प्रचारित की गई है तथा विभागीय पदाधिकारियों को निदेश किए गए है जिन्हें अनुसूची–1 पर संलग्न किया जा रहा है।

4. वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए अनुरक्षण मद के राशि का आवंटन निम्न प्रकार से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4.1) मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए पटना न्यू राजधानी क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 4/- रुपये प्रति वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्रफल (प्लींथ एरिया) की दर से आवंटन किया जायेगा।

(4.2) पटना न्यू राजधानी क्षेत्र में आवंटन 5/- रुपये प्रति वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर होगा।

(4.3) विशेष भवनों में पटना एवं राँची स्थित राजभवन (मुख्य आवास) मुख्यमंत्री आवास/मुख्य न्यायाधीश आवासों के लिए अधिकतम 8/- रुपये प्रति वर्ग फीट, मंत्रीगण/न्यायाधीशों, पटना उच्च न्यायालय/विधान सभाध्यक्ष/सभापति, विधान परिषद् के आवास के लिए 7/- रूपये प्रति वर्ग फीट तथा विधायकों/पार्षदों के आवास हेतु/– 6 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से कार्य किया जा सकेगा। कंडिका संख्या 4.1 से 4.3 तक की दर प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता के आधार पर संशोधित की जायेगी।

(4.4) वार्षिक/पंच वर्षीय/विशेष मरम्मति इसी सीमा के अन्तर्गत होंगे।

(4.5) विशेष मामलों तथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए शेष राशि विभाग में सुरक्षित रखी जायगी। इसका व्यय विभागीय स्वीकृति से आवंटन मिलने पर किया जायेगा। इसी राशि से आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों के आन्तरिक पथों/नालियों के निर्माण हेतु आवंटन दिया जाएगा। इस सुरक्षित निधि से आवंटन प्राप्त करने के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा सभी सुसंगत सूचना के साथ प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजा जाएगा।

(4.6) दिए गए आवंटन में से सर्वप्रथम उन मामलों में भुगतान किया जाएगा जिनके विषय में माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो तथा जिसके विरूद्ध अपील न की गयी हो।

5. विभिन्न श्रेणी के कार्यो के प्राक्कलन की स्वीकृति कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता उन्हें पूर्व से प्रदत्त शक्तियों एवं सक्षमता के अनुसार निर्दिष्ट बजट राशि के अन्तर्गत करेंगे। प्रमंडलों के लिए निर्दिष्ट बजट की राशि से अधिक का यदि प्राक्कलन स्वीकृत करना हो तो इस संबंध में विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

(5.1) विशेष मरम्मति के प्राक्कलनों के स्वीकृत्यादेश में भवन विशेष के अनुरक्षण मद में गत् तीन वर्षो में किए गये व्यय का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। प्राक्कलनों की स्वीकृति में निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन होने पर प्राक्कलन स्वीकृति के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

(5.2.) अनुरक्षण मद के विभिन्न मदों को और व्यापक बनाते हुए उनके लिए अलग से अनुसूचित दर स्वीकृति किया जाय। भवन निर्माण एवं आवास विभाग तकनीकी परीक्षक कोषांग से सम्पर्क कर इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें।

(5.3) अंचल एवं प्रण्डलों के कार्य क्षेत्रों का पुनर्गठन इसी प्रकार किया जाय कि यथासम्भव मौलिक निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य प्रमंडल स्तर पर पृथक–पृथक रहें।

(5.4) सक्षम पदाधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना बजट उपबन्ध से अधिक राशि का प्राक्कलन स्वीकृति करना एवं दायित्व अर्जित करना वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(5.5.) लघु निर्माण एवं परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्य

मौलिक प्रकृति के कार्य जिसमें भवन में कमरा बढ़ाना, चारदिवारी का निर्माण आदि भी आते हैं, किसी भी दशा में मरम्मति एवं अनुरक्षण मद से नहीं होंगे। लोक निर्माण लेखा संहिता के अपेण्डिक्स-2 की कंडिका-35 में स्पष्ट निर्देश है कि नई राजधानी क्षेत्र, पटना एवं राँची के आवासों में किसी प्रकाार का परिवर्तन/परिवर्द्धन मुख्य वास्तुविद द्वारा अनुमोदित नक्शे पर किया जाएगा तथा इसका प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होगा। इन कार्यो को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारम्भ किया जाएगा। (बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 201 द्रष्टव्य।)

लघु निर्माण के स्वीकृत्यादेश भी भवन-निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिहार बोर्ड मिसलेनियस रुल्स नियम-274 सेक्सन-21 में दिये गये निर्देश के अनुसार दिया जाय।

(5.6) स्वतंत्र भवनों के परिसर में आउट हाउस अतिरिक्त गैरेज, अतिरिक्त सर्वेन्टस क्वार्टस का निर्माण बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जायेगा। (भवन निर्माण विभाग के पत्र संख्या-1878 दिनांक 14.05.1987)।

(5.7) इसी प्रकार अधूरी योजनाओं को पूरा करने का कार्य भी मरम्मति एवं अनुरक्षण मद से नहीं किया जाएगा।

(5.8) चहारदिवारी एवं सुरक्षा-शेड, ग्रिल आदि निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार गृह विभाग से पूछा जाएगा।

(5.9) सरकारी आवासों में परिर्वत्तन/परिवर्द्धन का कार्य व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं किया जाएगा।

(5.10) किसी भी सरकारी भवन (सचिवालय भवनों सहित) में स्थायी अथवा अस्थायी परिर्वत्तन/परिवर्द्धन भवन निर्माण विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

6. उपलब्ध वित्तीय संसाधन से यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक भवन की मरम्मति प्रत्येक वर्ष की जाय। अतएव प्राथमिकता निर्धारित करने तथा भवन मरम्मत के बजट बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस भवन का मरम्मत हाथ में लिया जाए उसकी स्थिति में सुधार स्पष्टत: परिलक्षित हो। मरम्मति के लिए तीन वर्षो का एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर किसी भवन की पुन: मरम्मत नहीं की जाए।

(6.1) न्यायिक कारा तथा पुलिस भवनों का आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की मरम्मति एवं अनुरक्षण पर उनके कुर्सी-क्षेत्रफल के समानुपात में राशि का व्यय किया जाएगा। इन भवनों के हिस्से की राशि का अन्यत्र व्यय नहीं किया जाएगा।

(6.2) न्यायिक (आवासी एवं गैर आवासीय) भवनों की मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए विभागीय पत्रांक 210 दिनांक 13.01.1997 द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची के अनुसार कार्य किया जाएगा। (अनुसूची-11)

(6.3) भवन निर्माण विभाग द्वारा उन्हीं पुलिस भवनों का संधारण किया जाएगा जो भवन निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हैं। जो भवन अहस्तान्तरित हैं उनका प्रभार राज्यादेश के बिना नहीं लिया जाएगा।

(6.4) तृतीय तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के आवास पर भी कुर्सी क्षेत्रफल के समानुपात में राशि का व्यय किया जाएगा।

(6.5) गैर-न्यायिक भवनों के लिए पटना शहरी क्षेत्र छोड़कर प्राथमिकता का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, इसके सदस्य उप विकास आयुक्त, आरक्षी एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं इसके सचिव सदस्य संबद्ध भवन कार्यपालक अभियंता होंगे। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य विभागों से पदाधिकारियों को भी समिति में रख सकेंगे। समिति द्वारा प्रत्येक जिला के प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्राथमिकता सूची परिचालित कर दी जाएगी। प्राथमिकता सूची के आधार पर अधीक्षण अभियंता मरम्मत बजट का अनुमोदन करेंगे।

(6.6) समिति के द्वारा प्राथमिकता सूची में प्रत्येक योजना के लिए व्यय की सीमा निर्धारित कर दी जाएगी तथा उसकी सूचना प्रत्येक विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी को दे दी जाएगी। जिलाधिकारी समय-समय पर मरम्मति अनुरक्षण कार्य की समीक्षा एवं स्थल जाँच करेंगे तथा अपने मंतव्यों से विभाग को अवगत करायेंगे।

(6.7) पटना शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष विभागीय अभियंता प्रमुख होंगे। इसमें अन्य सदस्य संबद्ध मुख्य अभियंता तथा विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार होंगे। परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्यो की

प्राथमिकता भी यही समिति निर्धारित करेगी। प्रत्येक भवन हेतु स्वीकृत राशि की सूची संबद्ध विभागीय सचिव, निबन्धक उच्च न्यायालय, सचिव विधान सभा, विधान परिषद् इत्यादि को दी जाएगी। ताकि वे मरम्मति के समय उस पर निगरानी रखें।

(6.8) अस्पताल एवं विद्यालय भवनों विशेष कर कन्या विद्यालय भवनों, महिला छात्रावासों एवं राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालय भवनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा इन पर कंडिका 6.5 या 6.7 के अन्तर्गत गठित समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार अनुमान्य राशि से भी ज्यादा व्यय किया जा सकेगा।

(6.9) इन नियमों के उल्लंघन में किए गए किसी व्यय के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा सरकार की देयता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके लिए कार्यपालक अभियंता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित सिबिल देयता (Civil Liability) भी उन्हीं की होगी। यदि कार्यपालक अभियंता समझें कि समिति द्वारा कोई भी निर्णय विभाग के प्रतिकूल लिया गया है तो कार्यपालक अभियंता इसे सरकार से विचारार्थ भेजेंगे तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे कार्यान्वित करेंगे।

(6.10) समिति की कार्यवाही की प्रति नियमित रूप से विभाग को भेजी जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(ए० के० सिन्हा)

सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक 4275 (भ)/पटना, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी जिलाधिकारियों/प्रमंडलीय आयुक्तों का प्रेषित।

ह०/–

(ए० के० सिन्हा)

सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

●●●

पत्रांक:–जी॰/बी॰डी॰–8-20-36/2013/10232(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग, बिहार, पटना्

पटना दिनांक: 25.07.13

विषय: ई-निवास के माध्यम से आवास आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास आवंटन/विनिमय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निमित एन॰आई॰सी॰, पटना द्वारा एक बेवाईट तैयार कराया गया है जो ई-निवास के नाम से तैयार कर प्रारंभ किया गया है। उसका ''बीटा वर्सन'' सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए http://eniwas.bih.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन से संबंधित प्रक्रियाएं उल्लिखित बेवसाईट पर संधारित है एवं इस पत्र के साथ भी संलग्न किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में पन्द्रह दिनों के लिए इसे ट्रायल हेतु रखा जा रहा है जिसमें अगर कोई शिकायत या सुझाव हों तो इस विभाग को सूचित करें। संबंधित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मियों को अवगत कराना है कि दिनांक-01.09.2013 से सरकारी आवास के आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन ही मात्र स्वीकार्य होंगें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी विभागीय नोडल पदाधिकारी श्री विनोद चौधरी भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना से मोबाईल नं॰-9431214051 पर प्राप्त किया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि इस आशय की सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देने की कृपा की जाय।

अनु॰- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह॰/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

पत्रांक:-जी॰/बी॰डी॰-8-20-36/2013-10232(भ) पटना, दिनांक-25.7.13

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना एवं प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

सरकार के सचिव।

पत्रांक:-जी॰/बी॰डी॰-8-20-36/2013-10232(भ) पटना, दिनांक-25.7.13

प्रतिलिपि:-श्री नीरज सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एन॰आई॰सी॰, पटना को सूचनार्थ एवं श्री विनोद चौधरी, भू-सम्पदा पदाधिकारी, को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को वृहद् रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह॰/-

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांकः–जा॰/बा॰डा॰–8-20-36/2013...../

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक :–

विषयः ई-निवास के माध्यम से आवास आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–10232(भ) दिनांकः 25.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास आवंटन/विनिमय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निमित्त एन॰आई॰सी॰, पटना द्वारा एक बेवसाईट तैयार कराया गया है जो ई–निवास के नाम से तैयार कर प्रारंभ किया गया है। इसका बीटा वर्सन सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए http://eniwas.bih.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन से संबंधित प्रक्रियाएं उल्लिखित वेबसाईट पर संधारित हैं एवं इस पत्र के साथ भी संलग्न की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में पन्द्रह दिनों के लिए इसे ट्रायल रखा जा रहा है, जिसमें अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो इस विभाग को सूचित करें। संबंधित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मियों को अवगत कराना है कि दिनांक–01.09.2013 से सरकारी आवास के आवंटन/विनिमय हेतु ऑनलाईन आवेदन ही मात्र स्वीकार्य होंगे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी विभागीय नोडल पदाधिकारी श्री विनोद चौधरी, भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना से मोबाईल नं॰–9431214051 पर प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि इस आशय की सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांकः–जा॰/बा॰डा॰–8-20-36/2013-11193(भ) पटना, दिनांक–12.08.13

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह॰/–

भू–सम्पदा पदाधिकारी

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या: मु०वा०भ०–144-10/187 पटना, दिनांक–18.06.13

भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालय क्षेत्रफल का निर्धारण नहीं किया गया है। इससे विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय में उपयुक्त कार्यालय उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के निर्णयानुसार विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मचारियों (माननीय मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अध्यक्ष राजस्व पर्षद, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को छोड़ कर) के लिए निम्नरूपेण कार्यालय क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाता है:–

क्रमांक	ग्रेड पे(रु०)	पदनाम	अनुमोदित कार्यालय क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अभ्युक्ति
1.	10,000 के ऊपर	सरकार के प्रधान सचिव/ सचिव/ए०डी०जी०	400	कार्यालय कक्ष
2.	10,000	अभि०प्रमुख/वि० सचिव/आई०जी० एवं समकक्ष पद	360	कार्यालय कक्ष
3.	8700-8900	मुख्य अभि०/डी०आई०जी०/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष/समकक्ष पदाधिकारी	300	कार्यालय कक्ष
4.	8700	अधी०अभि०/संयुक्त सचिव/वरीय एस०पी०/समकक्ष पदाधिकारी	240	कार्यालय कक्ष
5.	7600	उप सचिव/Addle.S.P./कार्या० अभि०	200	कार्यालय हॉल के पार्टीशन के साथ
6.	6600	अपरसचिव/Sr.DSP/DSP/स० अभि०	120	कार्यालय हॉल के पार्टीशन के साथ
7.	4500-5400	पुलिसनिरीक्षक/प्रशाखा पदा०/ कनीय अभि०/समकक्ष पदा०	60	कार्यालय हॉल के पार्टीशन के साथ
8.	2400-4200	श्रेणी–III SI पुलिस	40	कार्यालय हॉल के पार्टीशन के साथ

(i) ग्रेड पे एवं पदनाम में भिन्नता पाये जाने की स्थिति में पदनाम के अनुरूप सरकारी कार्य क्षेत्रफल मान्य होंगे।

(ii) कार्यालयों में आवश्यकतानुसार बैठक कक्ष/प्रतीक्षा कक्ष/स्टोर/रेकर्ड रूम/पैन्ट्री/फोटोकॉपी इत्यादि की व्यवस्था अतिरिक्त क्षेत्रफल में प्रावधानित की जा सकेगी।

(iii) सचिवालय के संलग्न कार्यालयों एवं कार्यालयों के लिए अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।

(iv) उपर्युक्त क्षेत्रफल संबंधी अनुमान्यता दिशा–निर्देश मात्र है जिसके आधार पर आवश्यकतानुसार अल्प विचलन मान्य होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक संख्याः मु०वा०भ०–144-10/2011/187 पटना, दिनांक–18.06.13

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, मुद्रणालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक संख्याः मु०वा०भ०–144-10/2011/187 पटना, दिनांक–18.06.13

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक संख्याः मु०वा०भ०–144-10/2011/187 पटना, दिनांक–18.06.13

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक के आप्त सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक संख्याः मु०वा०भ०–144-10/2011/187 पटना, दिनांक–18.06.13

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यापालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

House Maintanence

ADDITIONS/ALTERATIONS IN GENERAL POOL ACCOMMODATION

No. 11014/22/90-W-3
Government of India
Ministry of Urban Affairs & Employment
Department of Urban Development
(Works Division)
New Delhi, dated the 8.1.96

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Additions/Alterations to be carried out in General Pool Accommodation at the request of the allottees.

The undersigned is directed to say that the Directorate of Estates in their O.M. No. 18011/5/88-Pol.III dated 10.11.88 stipulated that works of addition/alteration of a non-structural character might be carried out on priority basis in the residence of the cost of such works by the allottee. An illustrative list of works indicating the estimated cost thereof was also enclosed with the aforesaid O.M. In addition, the monetary ceiling for carrying out such works of addition/alteration during a year had also been prescribed in the aforesaid O.M.

2. The question of prescribing an exhaustive list of works of addition/alteration, which could be carried out on priority basis on payment of a certain percentage of the cost of works by the allottee concerned, has been considered in the light of the request received so far and carried out by the CPWD in quarters of various types. It has now been decided that the works of addition/alteration should be classified into 3 distinct categories and the allottees shall be required to pay 10%, 20% or 100% of the cost of the works depending upon the nature of the work. Accordingly, a statement indicating the list of works pertaining to the civil and electrical items, which may be carried out on the allottee paying the specified percentage of the cost of the work has been compiled and is given in Annexure-I

3. The annual monetary ceiling prescribed for carrying out works of addition/alteration in the residences of various types had been revised under this Ministry's O.M. of even number dated 5.1.95. The existing monetary ceiling for carrying out such works of addition/alteration in various types has been given in Annexure-II. The value of works which are carried out on the allottee paying 100% of the cost of the works will not be set off against the monetary ceiling specified in Annexure-II.

4. These order will not apply in respect of general pool accommodation allotted to Ministers/Members of Parliament and ineligible categories of persons such as artists, freedom fighters etc., and residences allotted to Members of parliament from the Lok Sabha/Rajya Sabha Pool.

5. No work of addition/alteration which involves structural changes in the residences allotted would be carried out. The decision of the CPWD as to whether any work of addition/alteration, requested by the allottee is of a structural nature shall be final.

6. These instructions are issued in supercession of all previous instructions and have the approval of the integrated finace unit vide their No. 1719-F/JS (FIN.)/95 dated 26.12.95.

Sd/-
(V V Ramanathan)
Deputy Secretary to the Government of India

Annexure-I

ITEMS OF THE WORKS TO BE CARRIED OUT IN ADDITIONS AND ALTERATIONS

1. Civil Side

A. Items where 10% of the estimated cost is to be charged from allottees:

i. Renovation of kitchen including breaking of chimney wherever existing, marble/kota stone on working platform, proper sink and drainage board, W.G.T. in dado and renovation of shelves etc.
ii. Renovation of toilet with marble flooring and white glazed tile dado including connected pipe work and chromium plated fittings.
iii. Underground water tank/loft tanks including connected pipe work.
iv. Wire-guaze shutters for doors/windows
v. Wash basin with looking mirror and glass shelves etc.
vi. Provision of additional cup boards
vii. Creation of additional enclosed space by covering verandah etc.
viii. Pelmets/curtain rods/grills in windows.
ix. Provision of magic eye and other security related fixtures on entrance door/doors.
x. Barbed wire fencing with iron gate around the quarters.

B. Items where 20% of the estimated cost is to be charged from allottees:

i. bamboo Thattis
ii. Provision of collapsible shutters in the stairs area.

C. Items where 100% of the estimated cost is to be charged from allottees:

i. Pavement of areas around premises with suitable material in an approved manner.
ii. Changing of India W.C. to European W.C. & Vice-versa.
iii. Change of flooring
iv. Change in the type of finishing of walls with superior materials/paints.
v. Change of colour scheme internally including painting etc.
vi. Provision of partitions by split bamboos, chickenmesh, wood substitutes etc. inside the house and outside between house & servant quarters.
vii. Provision of temporary sheds for car/scooter and also for pet animals.
viii. Modifications in verandahs by way of partitioning and addition/removal of doors/windows etc.

2. Electrical side:

A. Items where 10% of the estimated cost is to be charged from the allottes:

i. Provision of additional power points/light points.
ii. Provision of additional sockets for Acs (Industrial type)
iii. Changing of light brackets.
iv. Provision of flourescent tubes instead of incandescent lights.
v. Provision of additional light points.
vi. Provision of Additinal Call Bells i.e. Call Bell point from main house to servant's quarters.

B. Items where 100% is proposed to be charged from the allottee:

i. Provision of additional ceiling fans/exhaust fans.

ii. Provision of fancy lights fittings

iii. Provision of additional compound lights and lights at gate pillars (except for Type-VII and Type-VIII).

iv. Provision of flood lights surrounding the house.

v. Provision of heaters/geysers/booster pumps/AC in wiring & plumbing work.

vi. Provision of compact fluorescent lamps & fittings.

vii. Changing of cable from feeder pillar to house, if required due to inceased load in the house.

Annexure-II

CEILING LIMIT FOR ADDITIONAL/ALTERATION WORKS TO BE CARRIED OUT FOR A PARTICULAR TYPE OF QUARTER DURING A YEAR.

TYPE OF QUARTERS	EXISTING MONETARY CEILING
I	**Rs. 2,900/-**
II	**Rs. 4,000/-**
III	**Rs. 4,000/-**
IV	**Rs. 10,500/-**
DI & DII Flats	**Rs. 21,700/-**
CI & CII Flats	**Rs. 26,000/-**
VII & VIII	**Rs. 39,000/-**

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति, 2013।

राज्य सरकार का आशय है कि सड़क संरचनाओं का एक ऐसा सुगम जाल बिछाया जाए कि राज्य के किसी भी कोने से पटना की यात्रा 6 घंटे के भीतर संभव की जा सके तथा वर्ष 2015 तक यह देश के सर्वोत्तम सड़क नेटवर्को के अनुरूप हो सके। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विगत छः वर्षो में सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गये है जिसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं उन्नयन हुआ है। राज्य में एक लाख किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सड़कों का जाल बिछाये जाने के चलते शिक्षा, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में भी पर्याप्त सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार का आशय भविष्य में भी बड़े पैमाने पर सड़कों तथा पुलों का निर्माण एवं उन्नयन के साथ गति बनाये रखना है।

ऐसी विशाल पथ अवसंरचना का समायोचित एवं कारगर संधारण का काफी महत्व हो जाता है। आस्तियों के अपर्याप्त अनुरक्षण के फलस्वरूप आवागमन बाधित होता है, आर्थिक उत्पादन एवं अन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं तथा वाहनों के संचालन के व्यय में भी अनावश्यक वृद्धि होती है। निर्मित एवं निर्माणाधीन पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिए एक कारगर अनुरक्षण नीति आवश्यक है।

तदनुसार राज्य सरकार बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति के रूप में निम्नलिखित नीति अंगीकार करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार एतद् द्वारा निम्नलिखित राज्य निति अधिसूचित करती हैः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ (i) यह नीति ''बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013'' कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. अनुरक्षण कार्य के प्रकार-पथ संरचना के संपूर्ण निरूपित जीवन काल के दौरान उनपर निम्न प्रकार के मरम्मति/संधारण कार्य कराये जायेंगे।

(1) नियमित/साधारण संधारण (मौनसून पूर्व एवं मौनसून बाद के कार्यो की पहचान विनिर्दिष्ट से की जाएगी)

(2) सर्वाधिक अनुरक्षण

(3) विशेष मरम्मति एवं

(4) आपातकालीन मरम्मति

3. वर्तमान व्यवस्था-पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यो के लिए सामान्यतः input based संविदा प्रणाली अपनायी जाती है। इस प्रणाली में तकनीकी विभागों द्वारा नियत विशिष्टयों एवं मात्रा के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है एवं ऐसे कार्यो का भुगतान पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है।

4. नई व्यवस्था-वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु व्यापक दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा प्रणाली (Long term output and performance based road asset maintenance contract) अंगीकार की जायेगी। इससे लम्बी अवधि तक पथ आस्तियों का संरक्षण हो सकेगा। दीर्घकालीन अनुरक्षण की संविदा सामान्यतः पाँच/नौ वर्षों की अवधि के लिए होगी। आवश्यकतानुसार संविदा के अवधि भिन्न भी हो सकती है। अनुरक्षण कार्य का निष्पादन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा विस्तारित की जा सकेगी। इसी तरह निष्पादन संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में संविदा विखंडित की जा सकेगी।

5. कार्यान्वयन के ढंग–

5.1 जहाँ संभव हो, सम्भाव्य पथ संरचनाओं के विकास निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु जन निजी भागीदारी (Public Private Partnership PPP) ढंग अपनायी जाएगी। Concessionaire के चयन हेतु निम्नलिखित जन–निजी भागीदारी के ढंगों में कोई अंगीकार किया जा सकेगा।

(i) Design built finance operate & transfer (DBFOT) अथवा

(ii) BOT Toll अथवा

(iii) BOT Toll + Annuity अथवा

(iv) BOT Annuity एवं तदनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।

5.2 प्रारंभिक आकलन के आधार पर जन निजी भागीदारी प्रणाली में संभाव्य पथ संरचनाओं के अनुरक्षण हेतु Operate Maintain and Transfer (OMT) पद्धति लागू की जा सकेगी। ऐसी पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं Corridor Improvement आदि के लिए OMT के अधीन एक निश्चित अवधि तथा पूर्व निर्धारित Toll rate पर Concessionaire का चयन किया जा सकेगा।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जन निजी भागीदारी पद्धति के अधीन पथों का अनुश्रवण एवं अनुरक्षण के लिए Operate Maintain and Transfer (OMT) के आधार पर Concessionaire की नियुक्ति हेतु तैयार Model Document अंगीकार की जाएगी। Concessionaire को सरकार द्वारा अधिसूचित Toll Rate के आधार पर Toll वसूलने, पथों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव करने तथा अपनी आय में से एक निर्धारित राशि राज्य सरकार को देने का प्रावधान भी इसी मानक Document के आधार पर किया जाएगा। इस Model Document को आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ लागू किया जायेगा।

5.3 प्रारंभिक आकलन के आधार पर संभाव्य पथ आस्तियों का जन निजी भागीदारी प्रणाली में अनुरक्षण कार्य के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड क्रियान्वयन एजेन्सी होंगे। एवं फीस का भुगतान, इन निगमों को देय ऐजेंसी चार्ज की राशि से किया जायेगा।

6. उपरोक्त मॉडक के अधीन अनाच्छादित पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यो का निष्पादन विभाग के अधीन कार्य प्रमंडलों के माध्यम से उपबंति बजटीय राशि से किया जायेगा।

7. अनुरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देशों का गठन– इस नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम के निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक पद्धति एवं प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण गतिविधियों के प्रबंधन का विस्तृत ब्योरा अंतर्विष्ट रहेगा।

मार्गदर्शक सिद्धांतों में किये जाने वाले अनुरक्षण कार्यो से संबंधित उदेश्य एवं अपेक्षाएँ होगी। मार्गदर्शक सिद्धांतो में संसाधनों के प्रभावकारी एवं फलोत्पादक उपयोग हेतु उपाय तथा विभिन्न अनुरक्षण कार्यो के लिए रीति भी अन्तर्विष्ट होगी ताकि उनका उपयोग समुचित ढंग से किया जा सकेगा। मार्गदर्शक सिद्धांतों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं कृत्य विहित किये जायेंगे। संविदा प्रबंधन की विभिन्न रीतियाँ, सड़क सुरक्षा गुणवत्ता, सुनिश्चितीकरण अनुरक्षण, कार्यो के लिए रीति भी अन्तर्विष्ट होगी ताकि उनका उपयोग समुचित ढंग से किया जा सकेगा। मार्गदर्शक सिद्धांतो में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं कृत्य विहित किये जायेगे। संविदा प्रबंधन की विभिन्न रीतियाँ, सड़क सुरक्षा गुणवत्ता, सुनिश्चितीकरण अनुरक्षण, संरक्षण तकनीकी मानदण्ड, अनुरक्षण गतिविधियों का अंतराल अनुरक्षण की प्रत्येक गतिविधि के लिए Service level, permissible tolerance, maximum response time तथा reduction in payable amount for non compliance का विस्तृत विवरण और अनुरक्षण संविदाओं के प्रबंधन के सामान्य नियम दिशा निर्देशों में अंतर्विष्ट होंगे। मार्गदर्शक सिद्धांतों में अनुभवों के आधार पर यथा आवश्यक संशोधन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

8. विवादों का निपटारा– संविदा के अधीन उत्पन्न विवाद/विवादों का निपटारा Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 के अधीन किया जायेगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–
सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–8/बैठक–02-35/2010-1335 (एस) पटना, दिनांक– 21.02.13

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–8/बैक–02-35/2010-1335 (एस) पटना, दिनांक– 21.02.13

प्रतिलिप–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

●●●

पत्रांक–जी॰/बी॰डी॰–1-20-132/2009-2402 (भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग,
सभी मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक–26.2.13

विषयः– राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधानी पटना के सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराये का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य में पटना तथा सभी प्रमंडलीय/जिला अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों के अंतर्गत सरकारी आवासों के मानक किराया का निर्धारण भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–5189 (भ) दिनांक 24.11.1990 के द्वारा निर्धारित किया गया था जिसमें जलकर/मलकर की गणना अलग से की जाती थी तथा अन्य प्रकार के बंधेजों का प्रावधान किया गया था। नगर निगम एवं नगरपालिका कर उनकी मांग के अनुरूप बजटीय प्रावधान से भुगतान किया जाता है। लगभग 21 वर्षो की अवधि में हुई मुद्रास्फीति एवं मंहगाई को ध्यान में रखते हुये एवं गणना प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त मानक किराया को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया है:–

2. राज्य के सभी क्षेत्र के सरकारी आवासें यथा एम॰–टाईप 0.75 पैसे, ए/3–टाईपएवं बी/3-टाईप का 0.60 पैसे एवं अन्य सारे आवासों का 0.39 पैसे प्रतिवर्गफीट मानक किराया होगा। इसमें मैरेज एवं सर्वेन्ट रूम के फ्लोर एरिया को शामिल नही किया जायेगा।

3. कंडिका–2 के आधार पर निकाला गया मानक किराया यदि पूर्व निर्धारित मानक किराया से कम हो जाता है तो वैसी स्थिति में पूर्व निर्धारित मानक किराया ही लागू होगा।

4. आवंटियों से जलकर/मलकर के मद में अतिरिक्त राशि की वसूली अलग से नहीं की जायेगी।

5. पुनरीक्षित किराया के अनुरूप किसी भी सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से समान दर से मानक किराया की वसूली की जायेगी एवं पूर्व में निर्धारित 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के शर्त्त को समाप्त किया जाता है।

6. मानक किराये की राशि की गणना पूर्ण रूप में होगी।

7. यदि किसी सरकारी आवास के मूल भवन में परिवर्त्तन/परिवर्द्धन किया गया हो तो बढ़े हुये क्षेत्रफल के लिये भी उपर का दर लागू रहेगा।

8. बड़े आवासों में स्टाफ या सुरक्षा गार्ड आदि के लिये जो उपभवन बने हो उन्हें भवन के वर्गफीट की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. पुनरीक्षित किराया तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा। पुनरीक्षित किराया की गणना कर कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी पंजी भी संधारित की जाएगी।

10. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2402(भ) पटना, दिनांक- 2.6.13

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, लेखा शाखा/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2402 (भ) पटना, दिनांक- 26.2.13

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2402 (भ) पटना, दिनांक-26.2.13

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/रिजनल पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2402 (भ) पटना, दिनांक- 26.2.13

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियन्ता कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना एवं प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

●●●

पत्रांक–जी॰/बी॰डी॰–1-20-132/2009-10466(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31.7.2013

विषयः राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधारी पटना के सरकार आवासीय भवनों के मानक किराये का निर्धारण के संशोधन के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 2402(भ॰) दिनांक 26.02.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य में पटना तथा सभी प्रमंडलीय/जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड मुख्यालयों के अन्तर्गत सरकारी आवासों के मानक किराया का पुर्ननिर्धारण विभागीय पत्रांक 2402(भ॰) दिनांक 26.02.2013 के द्वारा किया गया था। उक्त पत्र में निम्नलिखित संशोधन किये जाते है।

1. राज्य के सभी क्षेत्र के सरकारी आवासों यथा एम टाईप 0.75 पैसे के बदले 0.75 रुपये, ए/3 टाईप का 0.60 पैसे के बदले 0.60 रुपये एवं अन्य सारे आवासों का 0.39 पैसे के बदले 0.39 रुपये प्रति वर्गफीट मानक किराया समझा जाय।

2. शेष सभी शर्त्ते पूर्ववतः रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह॰/–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10466 (भ) पटना, दिनांक–31.7.13

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, लेखा शाखा/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10466 (भ) पटना, दिनांक–31.7.13

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

ह॰/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10466(च) पटना, दिनांक–31.7.13

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/रिजनल पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10466 (भ) पटना, दिनांक–31.7.13

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना एवं प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

अधिसूचना

संख्या-जी०बी०डी०–1–20–132/2009–5699(भ) पटना, दिनांक-02.06.2014

भवन निर्माण विभाग के पत्रांक- 5189 (भ०) दिनांक 24.11.90 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सरकारी भवनों के मानक किराया के पुनरीक्षण के क्रम में लिविंग एरिया का निर्धारण किया गया था। वर्त्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लिविंग एरिया को निम्नरूप में परिभाषित करते हुए मानक किराया का निर्धारण किया जाए :-

(क) मुख्य भवन के कमरे, पाकशाला, स्नानगृह, शौचालय, भण्डारगृह एवं घेरे हुए बरामदे फ्लोर का 100 प्रतिशत।

(ख) मुख्य भवन के बरामदे, कोरिडोर एवं बरसाती फ्लोर एरिया का 25 प्रतिशत।

(ग) पोर्च फ्लोर, एरिया का 12.5 प्रतिशत।

(घ) पक्का आंगन, फ्लोर एरिया का 5 प्रतिशत।

लिविंग एरिया का मानक किराया निर्धारण के क्रम में गैराज, सुरक्षाकर्मी का कक्ष एवं सरभेंट रूम का फ्लोर एरिया शामिल नहीं होगा। किसी सरकारी आवास में परिवर्त्तन एवं परिवर्द्धन आभोगियों के अनुरोध पर बढ़ाये जाने की स्थिति में बढ़ाये गए क्षेत्रफल के लिए भी निर्धारित दर के अनुसार प्रति वर्गफुट की दर से देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5700 (भ०) / पटना, दिनांक-02.06.2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस अधिसूचना की 200 प्रति प्रकाशन के उपरान्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह०-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5700 (भ०) / पटना, दिनांक-02.06.2014

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / प्रधान वन संरक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार एवं भवन निर्माण विभाग अंतर्गत सभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०-

सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण एवं आवास विभाग

पत्र सं०-भवन/लेखा-विविध-रेन्ट-06/87-5189 (भ०) पटना, दिनांक-24.11.1990

प्रेषक,

श्री एस०एन०पी० सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

विषयः राज्य के सभी मुख्यालयों के सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराये का समीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य में पटना तथा सभी प्रमंडलीय / जिला अनुमंडल / प्रखंड मुख्यालयों के अन्तर्गत सरकारी आवासों के मानक किराया का निर्धारण का मामला बहुत अरसे से सरकार के विचाराधीन था। छानबीन के दौरान पाया गया कि एक ही श्रेणी के आवासों का किराया विभिन्न स्थानों एवं एक ही स्थान के नये एवं पुराने आवासीय भवनों के किराये में काफी अन्तर है। जिससे आवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वर्ष 1976 में नये राजधानी क्षेत्र, पटना के आवासीय भवनों का किराया लिभिंग एरिया के आधार पर निर्धारित किया गया किन्तु अन्य क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में पूर्व पद्धति ही बरकरार रखी गयी। फलस्वरूप समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सका। सरकार ने इस मामले पर सम्यक रूप से पुनर्विचार कर निम्न निर्णय लिये हैं :-

1. राज्य के सभी क्षेत्र के सभी श्रेणी के (चतुर्थ वर्गीय श्रेणी को छोड़कर) सरकारी आवासों का मानक किराया 13 पैसे प्रति वर्गफुट होगा पर इसमें गैरेज तथा सरभेंट रूम का फ्लोर एरिया को शामिल नहीं किया जायेगा।
2. कंडिका-1 के आधार पर निकाला गया मानक किराया यदि पूर्व निर्धारित मानक किराया से कम हो जाता है तब ऐसी स्थिति में पूर्व निर्धारित मानक किराया ही लागू रहेगा।
3. कंडिका-1 के आधार पर निकाला गया मानक किराया यदि पूर्व निर्धारित मानक किराया से बढ़ता हो तब यह वृद्धि पूर्व निर्धारित मानक किराया का 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखी जायेगी।
4. पुनरीक्षित किराया के अनुसार किसी भी सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत से अधिक किराया वसूली नहीं किया जायेगा।
5. यदि किसी सरकारी आवास में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन आभोगियों के अनुरोध पर किया गया हो तो बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए भी ऊपर की दर लागू रहेगी।
6. चतुर्थ वर्गीय सरकारी सेवकों के सरकारी आवासों का किराया 5 पैसे प्रति वर्गफुट लिभींग एरिया के आधार पर निर्धारित किया जाय।
7. पुनरीक्षित किराया सितम्बर 1990 से लागू माना जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एस०एन०पी० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना।

ज्ञापांक–5189 (भ०) / पटना, दिनांक–24.11.1990

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, लेखा शाखा, महालेखाकार, बिहार, पो० हिन्नू, राँची / महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०–

(एस०एन०पी० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना।

ज्ञापांक–5189 (भ०) / पटना, दिनांक–24.11.1990

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभागों / सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय / सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०–

(एस०एन०पी० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना।

ज्ञापांक–5189 (भ०) / पटना, दिनांक–24.11.1990

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक / रिजनल उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०–

(एस०एन०पी० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना।

ज्ञापांक–5189 (भ०) / पटना, दिनांक–24.11.1990

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग/ ...../ सभी कार्यपालक अभियंता, भवन .....

ह०–

(एस०एन०पी० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना।

●●●

G– संवेदकों पर कार्रवाई के संबंध में



निर्माणाधीन बिहार म्यूजियम, पटना

No. N.-Sec. 6/case-05/2008-11014(s) Patna, Dt. 20.08.2008

The Bihar Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1983

(Bihar Act 7 of 1989)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Thirty-fourth year of the Republic of India as follows.

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, commencement and extent:-

(1) This Act shall be called the Bihar Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1983

(2) It shall come into force at once.

(3) It extends to the whole of the State of Bihar

2. Definitions:- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Local Authority" means any public Undertaking, Authority, Co-operative Society Corporation, Body, Board, Society or Organisation by whatever name they are known, constituted under any law, Ordinance, Act Rules, Regulations of the State Government and also such Public Undertakings, Authority, Co-operation, body, Board, Society for Organisation, by whatever name they are known, constituted under any Central Act, Ordinance, Rules or Regulations over which the State Government has control and authority.

(b) Officer" means a person serving in connection with the affairs of the State or Public undertaking, Local authority, Co-Operative Society or any other institution of organisation aided by the State Government.

(c) "Public undertaking" means a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1957) and includes a Corporation or any statutory body owned or controlled by the State Government by whatever name it is called.

3. In this chapter, unless the context otherwise requires-

(a) "Construction" means all activities relating to the construction of a work and includes excavation, filling, levelling and other allied works.

(b) "Contractor in relation to a work" means a person who undertakes to execute the work under a works department in pursuance of a contract and includes where the context so requires, a sub-contractor, mukhiya, Gram Panchayat, Co-operative and all other agencies and persons employed by him or working under him or under has control for execution of such work, and the expression "work contract" shall be construed accordingly.

(c) "Officer-in-charge" means an officer in relation to a work under a works contract who is primarily and directly responsible on the work site to see that the work of specific part of the work is dedly executed in accordance with the terms, condtions and specifications of the works contract and the instruction, directions or work order issued by the supervisory officer or by the works department from time to time.

(d) abets for corrupt motive so as to affect adversely the quality, workmanship, strength or life of the work.

(e) If in doing any contract work, the contractor and the officer in charge together show the work only on paper and the actual work is not done. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine of with both.

6. Punishment for preparing false or fictitious muster rolls or measurement book:- whoever, being an officer-in-charge of a work in connection with the relief work otherwise-

(a) prepares a false or fictitious muster roll, or

(b) prepares a false or fictitious measurement book. or

(c) makes payments for false or fictitious bad or false or fictitious excavation of metal, sand earth; or

(d) In correctly classifies a strata under excavation for making payment at higher rate; or

(e) pays for no work or inadequate or fictitious or bogus work; or

(f) pays at rates that are grossly inappropriate or makes deliberate over payments in violation of rules and orders;

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine or with both.

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक–प्र॰6/द॰बी॰नियम–03-02/2004-3987(S) पटना, दिनांक 28.04.2009

प्रेषक,

श्री आर॰के॰ सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव, जल संसाध विभाग,
सचिव, भवन निर्माण विभाग,
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

विषयः संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन में विलम्ब किये जाने अथवा समय के अनुपात में कार्य नहीं करने अथवा कार्य लंबित रखने की स्थिति में उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से बंचित होने के संबंध में।

महाशय,

देखा जा रहा है कि कार्य आवंटित होने के बाद कतिपय संवेदकों द्वारा इसे संपादित करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है अथवा निर्धारित समय के अनुपात में कार्य की प्रगति धीमी रखी जाती है अथवा कार्य अवधि समाप्ति होने के बाद भी कार्य को लंबित रखा जाता है। फलस्वरूप निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा नहीं होने की स्थिति में उद्देश्यो की पूर्ति नहीं हो पाती है।

SBD के सामान्य निर्देश की कंडिका–3.3 एवं 4.8 में निहित प्रावधान इस प्रकार है:–

कंडिका–3.3

"Bidders shall not be under declaration of ineligibility for delay, failure or corrupt and fraudulent practices by any of the State Government or Central Government or Public Undertaking or any Autonomous Body"

कंडिका– 4.8

Even though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have record of poor perforamcne such as abandoning the work, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failure etc."

SBD के उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक 2131(S) दिनांक 12.03.09 द्वारा आवश्यक निर्देश सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिया गया है। उपुर्यक्त प्रावधान के अनुसार वैसे संवेदक जिनके द्वारा समय पूरा होने के उपरान्त भी एकरारनामा के 80% (प्रतिशत) से कम कार्य किया गया है, अथवा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है। अथवा कार्य छोड़ दिया गया है अथवा कार्य में अतिशय विलंब किया गया है उन्हें दोषी घोषित कर उनके द्वारा लंबित कार्यो के पूरा होने तक किसी भी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जाना है: भले संवेदक अन्य निविदा–शर्तो को पूरा करते हों। उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट (1) पर संलग्न है।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप संवेदको द्वारा कार्य लेकर लंबित रखने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी। परन्तु जिन संवेदकों को पथ निर्माण विभाग में कार्य लंबित रखने के कारण अग्रेतर किसी निविदा से वंचित रखने का निर्णय लिया जाता है उन्हें सरकार के अन्य विभाग के द्वारा निविदा में भाग लेने दिया जायेगा तो उपरोक्त प्रावधान निष्प्रभावी हो जायेगा। SBD के प्रावधानों के अनुसार यदि संवेदक कार्य में विलंब के कारण अथवा कार्य लम्बित छोड़ देने के कारण राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी उपक्रम के द्वारा भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिए Ineligible घोषित किये जाते हैं तो वे निविदा देने के लिए Qualified नहीं माने जायेंगे। SBD का यह प्रावधान सभी कार्य विभागों में लागू है। इसके अनुरूप राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा किसी संवेदक को किसी कार्य के लंबित रखने की अवधि तक Ineligible घोषित किया जाता है तो उपरोक्त संवेदक राज्य सरकार के अंतर्गत कहीं भी निविदा तब तक डालने के लिए Qualified नहीं होगा जब तक कि वह लंबित कार्य पूर्ण नहीं कर ले। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। पथ निर्माण विभाग के द्वारा कार्य लंबित रखने के कारण अथवा कार्य में अतिशय विलंब करने के कारण जिन संवेदकों को कार्य लंबित रखने की अवधि तक अयोग्य घोषित किया गया है उसकी सूची अलग से प्रचारित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(आर॰के॰ सिंह)
प्रधान सचिव

●●●

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०6/विविध (कार्य)-66/2009-1504(E) पटना, दिनांक: 30.04.09

प्रेषक,

श्री रामध्यान राम,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग

सभी अधिक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग

सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग

(रा०उ०प० उपभाग सहित)।

विषय: संवेदकों की अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किए जाने के संबंध में।

प्रसंग: प०नि०वि० का पत्रांक-प्र-द०वि०/नियम-03-02-2008-918(ई०) अनु० दि० 17.03.09, 3719(एस) दिनांक 20.04.09 तथा 3987(एस) दि० 28.04.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा दिए गए निदेश का स्मरण किया जाय। प० नि०वि० के विभिन्न कार्य प्रमंडलों से प्राप्त सूचना के आधार पर वैसे संवेदकों जिनके द्वारा, आवंटित कार्य को एकरारनामा के अनुसार समय पूरा होने के उपरान्त भी एकरारनामा के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम कार्य किया गया है, अथवा कार्य आवंटन के उपरान्त कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा कार्य छोड़ दिया गया है, अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, अथवा कार्य लंबित रखा गया है को अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है, की विवरणी संलग्न है। विवरणी में संवेदकों के नाम के सामने उनके द्वारा जिन प्रमंडलों के जिन कार्यो में Defaulter घोषित किया गया है, उन कार्यो को भी अंकित किया गया है।

अत: अनुरोध है कि विवरणी में अंकित, संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से तबतक वंचित किया जाय जबतक वे जिस कार्य/कार्यो में Defaulter घोषित किये गये हैं, उन सभी को पूर्ण नहीं कर देते हैं।

अनु०-विवरण कुल 9 (नौ) पृष्ठ।

ह०/-

(रामध्यान राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०6/विविध (कार्य)-66/2009-1504(E) पटना, दिनांक 30.04.2009

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, प०नि०वि० बिहार, पटना को अनुलग्नक (विवरणी) सहित सूचनार्थ समर्पित।

अनु०-विवरणी कुल 9 (नौ)पृष्ठ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र॰6/द॰बि॰–नियम–03-02/2004-533(S) पटना, दिनांक–23.01.2013

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

सभी अधीक्षक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

(राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)

विषयः राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभागों, लोक उपक्रमों एवं Autonomous Body द्वारा Defaulter घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये गये संवेदकों के निविदा पर विचार करने के क्रम में Cut off Date निर्धारित करने एवं निविदा प्रक्रिया के दौरान आपराधिक मामला संज्ञान में आने पर निविदा पर विचार नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

SBD के सामान्य निर्देश की कंडिका–3.3 एवं 4.8 के आलोक मं संवेदकों को Defaulter घोषित होने पर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में किसी भी State Government or Central Government or Public Undertaking or Any Autonomous Body द्वारा Defaulter घोषित कर संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

इस प्रकार के दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं कि संवेदक निविदा प्राप्ति की तिथि को Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं थे परन्तु निविदा प्रक्रिया के दौरान Any State Government or Central Government or Public Undertaking or Any Autonomous Body द्वारा Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाते हैं या कालीकृत किये जाते है अथवा आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो निविदा निष्पादन किस प्रकार किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि–

(i) किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार या उपक्रमों अथवा Any Autonomous Body द्वारा यदि किसी संवेदक को Defaulter घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए Cut-off Date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(ii) निविदि प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11 (क) के तहत उनपर आपराधिक मामला बन जाता है अथवा उनका निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

विश्वासभाजन,

ह॰/–

प्रत्यय अमृत

सरकार के सचिव।

पत्रांक–प्र०6/द०बि०–नियम–03-02/2004-533(S) पटना, दिनांक–23.01.2013

प्रतिलिपि:– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

पत्रांक–प्र०6/द०बि०–नियम–03-02/2004-533(S) पटना, दिनांक–23.01.2013

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर load करने हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

●●●

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०6/विविध (कार्य)-03/2009-1688(E) पटना, दिनांक 13.03.2013

प्रेषक,

बबन राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग (रा०उ०प्र० प्रमंडल सहित)।

विषयः संवेदक को Defaulter घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये जाने/बंचित किये जाने से मुक्त किये जाने संबंधी कार्यपालक अभियंतओं को आदेश अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) के माध्यम से पथ निर्माण विभाग के Website पर Upload करने के संबंध में।

प्रसंगः पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-2131 (एस) दिनांक 13.03.2009 एवं 2858 (ई०) दिनांक 04.08.2009, दिनांक 29.01.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक प्रावधान के तहत कार्य में धीमी गति के लिए दोषी पाये गये संवेदकों के विरूद्ध निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने का आदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्गत किया जाना है तथा वैसे संवेदक द्वारा प्रश्नगत कार्य को शत-प्रतिशत पूरा कर देने की स्थिति में पुनः निविदा में भाग लेने से बंचित किये जाने के आदेश से मुक्त किये जाने का आदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्गत किया जाना है और उक्त की गई कार्रवाई की सूचना ससमय मुख्यालय को दी जानी है। तदनुसार प्राप्त सूचना का परिचालन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ समय लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में ससमय उक्त सूचनाओं के अभाव में तकनीकि बीड मूल्यांकन में कभी-कभी संगत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पाता है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया जाता है कि निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने का आदेश/निविदा में भाग लेने की अनुमति से संबंधित आदेश की प्रति फैक्स/ई-मेल के माध्यम से तुरन्त अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु उपलब्ध करायेंगे और अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग विभागीय Website पर ससमय Upload कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता उक्त आदेश की प्रति सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को भी देगें।

यह भी निदेश दिया जाता है कि सभी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता तकनीकी बीड मूल्यांकन के समय पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के Website पर भी संवेदकों की निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने/डिबार मुक्त किये जाने से संबंधित सूचनाओं के संदर्भ में विभागों/उपक्रमों के Website से भी संतुष्ट होने पर ही कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

बबन राम

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक–प्र०6/विविध (कार्य)/2009-1688(E) पटना, दिनांक 13.03.2013

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी E-tendering पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किये जाने अथवा मुक्त किये जाने से संबंधित कार्यपालक अभियंता के आदेश को विभागीय Website पर अविलम्ब Upload करा दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा इसका ससमय अवलोकन किया जा सके।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक–प्र०6/विविध (कार्य)/2009-1688(E) पटना, दिनांक 13.03.2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्थास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु सिचाई विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रोजेक्ट मैनेजर, PMGSY Project Circle, CPWD छठा तल्ला, पंत भवन, पटना/महानिदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अनिकेतन भवन, किदवईपुरी IAS Colony पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, (रा०उ०प० उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (रा०उ०प० उपभाग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक–प्र०6/विविध (कार्य)/2009-1688(E) पटना, दिनांक 13.03.2013

सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

●●●

पत्रांक डी॰एम॰सी॰–1 एम–03/2009 .....4624 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता

सभी अधीक्षण अभियंता

सभी कार्यपालक अभियंता,

कार्य प्रमंडल (विद्युत कार्य सहित),

भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक 15 जून, 2010

विषयः संवेदकों को कार्य से वंचित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभाग द्वारा आपके प्रमंडल में प्रगतिशील योजनाओं में से जो कार्य अपने निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहे हैं, के संवेदकों को अगली निविदा से वंचित करने हेतु निदेशित किया गया था, पर कतिपय प्रमंडलों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर इनका दृढ़ता से पालन नहीं हो रहा है।

विभागीय समीक्षात्मक बैठक में भी इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये जाते रहे हैं कि निविदा निष्पादन के क्रम में इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये कि इस कार्य के न्यूनतम निविदादाता के पास पूर्व से कोई कार्य लंबित नहीं है।

उपर्युक्त क्रम में आपको निदेशित किया जाता है कि आपके अपने प्रमंडल में इस कार्य में जो कार्य समय सीमा से पीछे चल रहे हैं एवं इसमें समय विस्तार की राशि की कटौती विपत्र से प्रारंभ की गई है, ऐसे में जिस विपत्र से समय विस्तार की कटौती प्रारंभ की जाती है, उसी समय संवेदक को यह पत्र निर्गत कर दिया जाय कि आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण आपको अगली निविदा इत्यादि में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यदि संवेदक को सक्षम स्तर से समय विस्तार की अनुमति मिल जायेगी, तो उनको निविदा इत्यादि में भाग लेने से वंचित की गई कार्रवाई को समय वृद्धि की स्वीकृति देने वाले सक्षम पदाधिकारी के स्तर से समाप्त कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

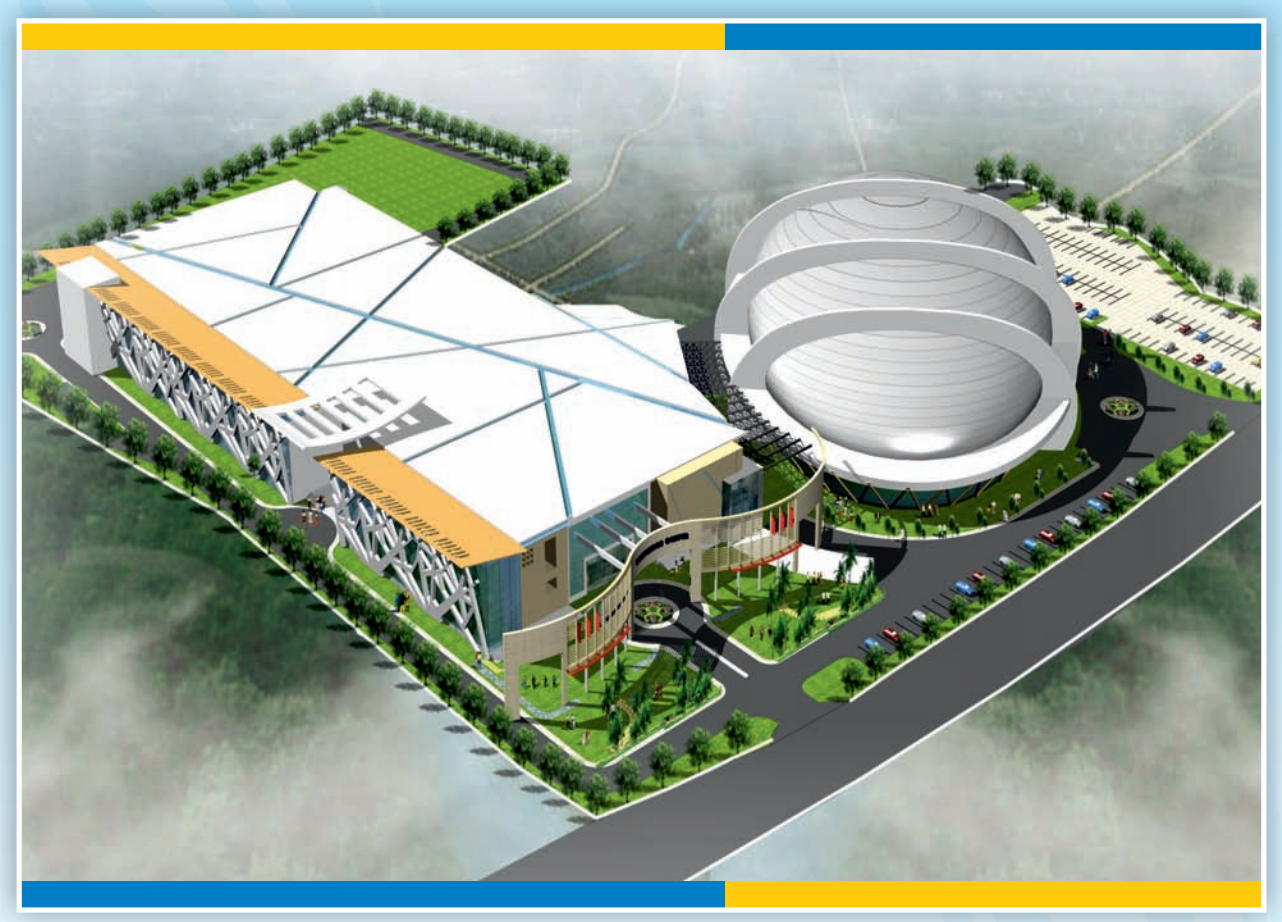
ह॰/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के सचिव

●●●

H– विभागीय परिपत्र ।



निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेन्टर एवं ज्ञान भवन, पटना

पत्रांक:-डी०डी०-2-विविध-302/2009/8663(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण विभाग।

पटना दिनांक: 15.11.2010

विषय: विभिन्न भवनों में नि:शक्त व्यक्तियों के आवागमन के लिये रैम्प निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा प्रायोजित SIDPA SCHEME के कार्यान्वयन हेतु विचार विमर्श के क्रम में दिनांक 04.11.2010 को प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत दिये गये निदेश के आलोक में आपके प्रमंडल के अधीन अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल तथा मुख्य सरकारी भवनों जहां नि:शक्त व्यक्तियों का आवागमन निरन्तर होता है, रैम्प निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लगभग 50-50 हजार रुपये की राशि कर्णाकित की गई है।

उपर्युक्त के क्रम में आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपने प्रमंडल के अधीन अवस्थित भवनों में रैम्प निर्माण हेतु प्राक्कलन कर्णांकित राशि के अंतर्गत निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

सरकार के सचिव।

पत्रांक:-डी०डी०-2-विविध-302/2009/8663(भ) पटना, दिनांक: 15.11.2010

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (निरूपण/दक्षिण एवं उत्तर), भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांकः-18/भवन/बजट-45-विविध-163/12-13-5583 (न)०/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना दिनांकः-

विषयः भवन निर्माण विभाग के विभिन्न विवाचनवाद/मुकदमा में तथ्य विवरणी इत्यादि कार्य हेतु अधिवक्ताओं के अनुशंसित पैनल के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मुकदमों विवचनवादों एवं डिस्प्यूट ट्रिब्युनल के समक्ष वादों के संचालनार्थ अधिवक्ताओं का पैनल निम्न प्रकार हैः-

(2) विभागीय आदेश संख्या 18 दिनांक 01.02.2011 द्वारा विभागीय वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का अनुशंसित पैनेलः-

(i) श्री चन्द्रभूषण वर्मा	अनुशसित कार्य
(ii) श्री रंजीत कुमार सिंह	मुकदमों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु
(iii) श्री पवन कुमार सिंह	
(iv) श्री राजोदय सत्यजीत	
(v) श्रीमती अर्पणा स्वराज	

(3) विधि विभाग के पत्रांक 5671 दिनांक 27.07.2011 द्वारा बिहार पब्लिक वर्क्स कन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट ट्रिब्युनल के समक्ष वादों के संचालनार्थ विभाग के लिए निम्नांकित पैनल गठित किया गया है।

(i) श्री के० के० मिश्रा
(ii) श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिन्हा
(iii) श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा
(iv) श्री अजय
(v) श्री प्रभात रंजन

4. विभागीय पत्रांक 7457 दिनांक 17.09.2012 द्वारा विवाचनवादें के संचालनार्थ प्रक्षेत्रवार निम्नाकिंत अधिवक्ताओं की सेवा उपलब्ध कराई गई हैः-

क्रमांक	प्रक्षेत्र	अधिवक्ताओं का नाम
1.	मुख्य अभियंता दक्षिण	श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा
2.	मुख्य अभियंता, उत्तर	श्री अजय
3.	मुख्य अभियंता, निरूपण	श्री प्रभात रंजन

निदेश दिया जाता है कि ऊपर वर्णित अनुमोदित अधिवक्ताओं से ही सरकारी मुदकमों/विवाचनवादों इत्यादि से संबंधित कार्य कराई जाय। इसके अलावा किसी भी अन्य अधिवक्ता से कार्य लेने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:– 5583 (भ) पटना, दिनांक/ 23.05.2013

प्रतिलिपि:– सचिव विधि विभाग, बिहार पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक–एम–4-53/2007-96 वि०(2) पटना, दिनांक–03.01.08

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या–602 दिनांक–20.03.07 द्वारा वित्तीय मामलों में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। इसके अनुसार गैर योजना मद में 5.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाली एवं योजना मद में 10.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा दी जा सकती है।

2. मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग द्वारा गैर योजना मद में प्रत्यायोजन के फलस्वरूप विभागों में गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति तथा योजना मद में पूर्व में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–5685 दिनांक–08.10.05 द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में उक्त तिथि के बाद किये गये संशोधनों को समेकित करने के लिये नया आदेश निर्गत करने की आवश्यकता को देखते हुए गैर योजना एवं योजना मद में चालू एवं नयी योजना में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु निम्नांकित व्यवस्था लागू होगीः–

3. समीक्षा समितियॉ (Appraisal Committees)

(क) विभागीय स्थायी वित्त समितिः–

विभाग में योजना एवं गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) रहेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगेंः–

(क) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	– अध्यक्ष
(ख) आंतरिक वित्तीय सलाहकार	– सदस्य
(ग) योजना संबंधी प्रशाखा के संयुक्त सचिव/उप सचिव	– सदस्य

प्रधान सचिव/सचिव यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

(ख) योजना प्राधिकृत समितिः–

योजना मद की स्कीमों की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में योजना प्राधिकृत समिति वर्तमान की तरह निम्न प्रकार रहेगीः–

(क) विकास आयुक्त	– अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव, वित्त/ अपर वित्त आयुक्त	– सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	– सदस्य सचिव
(घ) संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	– सदस्य
(च) संबंधित विभागाध्यक्ष	– सदस्य

(ग) गैर योजना व्यय समितिः–

गैर योजना मद में स्कीमों की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति होगीः–

(क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	– अध्यक्ष
(ख) अपर वित्त आयुक्त	– सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	– सदस्य
(घ) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	– सदस्य
(च) संबंधित विभागाध्यक्ष	– सदस्य

(घ) प्रशासी पदवर्ग समितिः-

गैर योजना मद में पद सृजन एवं वाहनों के क्रय संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्तमान की तरह निम्न समिति होगीः-

(क) मुख्य सचिव	- अध्यक्ष
(ख) विकास आयुक्त	- सदस्य
(ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	- सदस्य
(घ) अपर वित्त आयुक्त	- सदस्य सचिव
(ङ) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	- सदस्य
(च) प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव	- सदस्य

4. समीक्षा एवं स्वीकृति की शक्तियाँः

(क) योजना मद में नई स्कीमः-

क्रम सं॰	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1.	2.5 करोड़ तक	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2.	2.5 करोड़ से 10.00 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3.	10.00 करोड़ से 20.00 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
4.	20.00 करोड़ से अधिक	प्राधिकृत समिति	मंत्रीपरिषद
5.	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में।	प्राधिकृत समिति	मंत्रीपरिषद

(ख) गैर योजना मद में नई स्कीमः-

क्रम सं॰	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1.	1.00 करोड़ तक	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2.	1.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3.	5.00 करोड़ से अधिक	गैर योजना व्यय समिति	मंत्रीपरिषद
4.	नय स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में।	प्राधिकृत समिति	मंत्रीपरिषद

यदि स्कीम में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो, तो ऐसा प्रस्ताव योजना मद के मामले में प्राधिकृत समिति एवं गैर योजना मद के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृत सक्षम प्राधिकार के द्वारा ही की जायेगी।

(ग) निवेश पूर्व कार्य आदि (Pre-investment activity) पर व्यय

क्रम सं॰	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1.	20 लाख रुपये तक की लागत पर विस्तृत संभाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं निवेश पूर्व कार्यो के लिए (निवेश पूर्व कार्यो में प्रतिवेदन हेतु विस्तृत अध्ययन शामिल होगा लेकिन भूमि अधिग्रहण अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल नही होगी)	विभागीय सचिव	विभागीय मंत्री
2.	शेष मामलों में	योजना स्कीमी योजना प्राधिकृत समिति गैर योजना स्कीम गैर योजना व्यय समिति	मंत्री परिषद

5. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृतिः-

(i) स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों तथा मूल्य दरों में वृद्धि के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि का अनुमादेन प्रशासी विभाग विभागीय मंत्री की स्वीकृति से कर सकेगें।

(ii) 20 करोड़ से कम लागत की योजना तथा 5 करोड़ से कम लागत की गैर योजना स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

क्रम सं॰	लागत में वृद्धि	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	20% तक	योजना स्कीम-योजना एवं विकास विभाग गैर योजना स्कीम-वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
2.	20% से अधिक	योजना स्कीम-योजना प्राधिकृत समिति गैर योजना स्कीम-गैर योजना व्यय समिति	मंत्री परिषद

(iii) 20 करोड़ से अधिक लागत की योजना स्कीम तथा 5 करोड़ से अधिक लागत की गैर योजना स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

क्रम सं॰	पुनरीक्षण सं॰	लागत में वृद्धि	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृत प्राधिकार
1.	प्रथम पुनरीक्षण	10% तक	योजना स्कीम-योजना एवं विकास विभाग; गैर योजना स्कीम-वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
2		10% से 20% तक		विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
3.		20% से अधिक	योजना स्कीम-योजना प्राधिकृत समिति गैर-योजना स्कीम-गैर योजना व्यय समिति	मंत्री परिषद
4.	द्वितीय पुनरीक्षण या उससे अधिक	5% तक	योजना स्कीम-योजना एवं विकास विभाग गैर योजना स्कीम-वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
5.		5% से अधिक	योजना स्कीम-योजना प्राधिकृत समिति गैर योजना स्कीम-गैर योजना व्यय समिति	मंत्री परिषद

6. योजना एवं गैर योजना मदों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य सम्पोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई स्कीमें:-

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू स्कीम:- यदि ऐसी स्कीम के राज्यांश के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध उपलब्ध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासी विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा। प्रशासी विभाग योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा। यदि ऐसी योजना स्कीम के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध नहीं हो, तो प्रशासी विभाग योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान करा कर ही राशि विमुक्त करेगा। इसी प्रकार यदि गैर योजना स्कीम के लिए बजट उपबंध न हो तो बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान कराकर राशि विमुक्त की जायेगी।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित नयी स्कीम:-नयी स्कीमों के क्रियान्वयन एवं उनके लिए राज्यांश की विमुक्ति संबंधी निर्णय योजना स्कीम के मामले में योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग तथा गैर योजना स्कीम के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लिए जायेंगें।

7. राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमें:-

राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। इसके लिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अंतर्गत संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि छात्रवृति की दर में कोई परिवर्त्तन नहीं है तो प्रतिवर्ष योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ओर इसे चालू योजना की श्रेणी में ही मानते हुये बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जा सकती है।

8. जिन मामलों में मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम समीक्षा प्राधिकार (प्राधिकृत समिति, गैर योजना व्यय समिति, प्रशासी पदवर्ग समिति) की अनुशंसा के पश्चात् प्रशासी विभाग आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संलेख सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखेगा। परन्तु राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) निर्गत एवं संसुचित करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6974 वि०(2) दिनांक 20.09.07 के अनुसार कार्रवाई की जाय। अन्य स्वीकृति प्राधिकार (विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री) के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासी विभाग स्कीम की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत एवं संसूचित कर सकेगा। राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में यह भी अंकित रहना आवश्यक है कि योजना में व्यय किस शीर्ष उपशीर्ष से विकलनीय है तथा एक अलग कंडिका में स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा कि योजना के अनुमोदन के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन किस संचिका के किस पृष्ठ पर किस तिथि को प्राप्त किया गया है। इसी तरह वित्त विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति डायरी नम्बर संचिका एवं पृष्ठ संख्या भी अलग कंडिका में स्पष्ट रहे। यदि किसी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में राशि की विमुक्ति की भी स्वीकृति अंकित की जाती है तो निधि की उपलब्धता, पुनर्विनियोग/बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी पत्रांक अंकित रहना आवश्यक होगा। प्रशासी विभाग योजना मद में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आधार पर कोषागार/उपकोषगार से निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: बेहतर होगा कि स्वीकृत्यादेश में ही अंकित कर दिया जाय कि महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नही।

9. उल्लेखनीय है कि जहां योजना उदव्यय नहीं है अथवा बजट में उपबंध नहीं है वहां योजना उद्व्यय के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग के लिए वित्त विभाग की अलग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अर्थात योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तो की जा सकेगी लेकिन राशि की विमुक्ति योजना उद्व्यय बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

6. योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमें उतनी ही ली जाए जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष में व्यय बजट उपबंध/योजना उद्व्यय के अन्तर्गत हो। नई स्कीम लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पुरानी स्कीमें अधूरी नहीं रह जायें और उनके लिए आवश्यकतानुसार राशि कर्णांकित कर दी गई है।

7. उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मितव्ययिता परिपत्रों एवं अन्य सामान्य निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8. SECLAN व्यवस्था लागू हो जाने पर प्रशासी विभाग कंडिका-8 में वणित स्वीकृत्यादेशों की प्रतियॉ संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ई-मेल पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकर, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/-
बिहार के राज्यपाल के आदेश से
(आलोक अर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-53/2007 96 वि०(2) पटना, दिनांक-03.01.2008

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(आलोक अर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

●●●

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पत्रांक- एम॰-4-53/2007-2190 वि॰ (2) **पटना, दिनांक-17.03.08**

विषयः योजना एवं गैर-योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों को प्रत्यायोजन।

वित्त विभाग के संकल्प सं॰-एम॰ 4-53/2007-96 वि॰ (2) दिनांक-03.01.08 की कंडिका-5 में पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति प्रक्रिया, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं॰-1/बी॰-12/2003-2676 (एस॰) अनु॰ दिनांक-15.05.05 द्वारा निर्गत लोक निर्माण संहिता (संशोधित) के क्लाउज 123 के प्रावधान एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं॰-मं॰मं॰-01/ आर॰-02/2007-602 दिनांक-20.03.07 की कंडिका-7 (iii) में स्वीकृत परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति में विरोधाभास होने के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

2. उपरोक्त के आलोक में तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-म॰मं॰-1/आर॰-02/2007-602 दिनांक-20.03.07 की कंडिका-(iii) में दिये गये प्रावधान के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं॰-एम॰ 4-53/2007-96 वि॰ (2) दिनांक-03.01.08 की कंडिका-5 के प्रावधान को विलोपित किया जाता है और निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है-

''मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में वित्त विभाग के संकल्प सं॰-96 दिनांक-03.01.08 की कंडिका-4 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।''

3. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह॰/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम॰-4-53/2007-2190 वि॰ (2) पटना, दिनांक-17.03.08

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

●●●

पत्रांक:- भवन/बजट-94-विविध-97/2013-14-1767 (भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 13.02.2014

विषय: मांग सं०-03 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यायादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मांग सं०-03 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्ययादेश निर्गत करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया है:

1. संबंधित विभाग जिसकी परियोजना का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग से किया जाना है, मूल परियोजना की स्वीकृति संबंधित विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के रूप में की जायेगी। मूल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि में कोई भी वृद्धि अपेक्षित होगी तो इसके लिए संबंधित विभाग को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति आदेश निर्गत करना होगा।
2. मांग सं०-3 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्दर जो भी राशि परियोजना के क्रियान्वयन पर व्यय की जानी है, से संबंधित व्यायादेश भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत किया जायेगा और व्यायादेश के आलोक में ही आवंटन भवन निर्माण विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्य प्रमंडल को दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-एम 4-53/2007-96 वि०(2)-1767(भ) पटना, दिनाक-13.02.2014

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांकः- भवन/ बजट-94-विविध-97/2013-14/15769(भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 02.12.2013

विषयः मांग सं॰-03 के अन्तर्गत उपबंधित राशि को भवन निर्माण विभाग द्वारा व्यय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में कहना है कि मांग सं॰-03 के अन्तर्गत उपबंधित राशि भवन निर्माण विभाग के नियंत्रण में है। चालू योजना के व्यय के लिए भवन निर्माण विभाग स्वयं सक्षम है। इसके लिए प्रशासी विभाग से व्यायादेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह॰/-
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-15769(भ) पटना, दिनांक-02.12.13

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, वित्त विभाग को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की संचिका सं॰-06एस॰एल॰(6)-02/2012 में दिये गये परामर्श के आलोक में सूचनार्थ।

ह॰/-
सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांकः–भवन/बजट–94-विविध–97/2013-14/14257(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

बिहार, पटना।

पटना दिनांकः– 24.10.2013

विषयः मांग सं॰–03 के अन्तर्गत उपबंधित राशि का वित्तीय संव्यवहार भवन निर्माण विभाग द्वारा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में कहना है कि मांग सं॰–03 के अन्तर्गत सभी प्रकार की उपबंधित राशि का नियंत्री विभाग भवन निर्माण विभाग है। इसी प्रकार मांग सं॰–3 के अधीन सभी उपशीर्ष में राशि का उपबंध एवं उसका व्यय, पुनर्विनियोग तथा प्रत्यर्पण से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहार नियंत्री विभाग अर्थात् भवन निर्माण विभाग द्वारा ही वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय, बिहार का भी स्पष्ट परामर्श है कि मांग सं॰–3 के अधीन उपबंधित राशि का व्यय/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण नियंत्री विभाग भवन निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा। किसी भी दृष्टिकोण से मांग सं॰–3 के अधीन उपबंधित राशि का व्यय/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण यदि किसी अन्य विभाग द्वारा किया जायेगा तो इस पर वित्तीय नियंत्रण नियंत्री विभाग अर्थात भवन निर्माण विभाग का नहीं होगा।

साथ ही जहाँ तक पुनर्विनियोग का प्रश्न है, उपर्युक्त तथ्य के अतिरिक्त एक मांग में विभिन्न उपशीर्ष में प्रावधानित राशि का पुनर्विनियोग दूसरे मांग के विभिन्न उपशीर्ष में बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 486 के आलोक में नहीं हो सकता है।

कृपया उपर्युक्त के आलोक में मांग सं॰–3 के तहत कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांकः-भवन/बजट-94-विविध-97/2013-14/10585 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता

भवन निर्माण विभाग।

पटना दिनांकः- 01.08.13

विषयः ऐसी कार्यान्वित योजनाओं जिनमें कार्य के विरुद्ध भुगतान लम्बित है, उतनी राशि छोड़कर शेष को वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में वैसी कार्यान्वित योजनाओं में जिनमें कार्य के विरुद्ध भुगतान लम्बित है, उतनी राशि छोड़कर शेष राशि को ही संबंधित विभाग को वापस किया जाता है। संबंधित विभाग फिर वर्ष 2013-14 में संबंधित मद में शीर्ष खोलकर भवन निर्माण विभाग को राशि उपलब्ध कराएगा।

विदित होगा कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी जिसे विभागीय जमाशीर्ष 8782 में जमा कराई गई थी तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित भवन प्रमंडलों को राशि विमुक्त की गई।

जिस प्रमंडल में राशि विभागीय जमाशीर्ष 8782 में जमा कराई गई थी, उक्त भवन प्रमंडल को निदेश किया जाता है कि विमुक्ति के पश्चात् बची अवशेष-राशि (जो लम्बित भुगतान से संबंधित न हो) को बैंक डाफ्ट के माध्यम से संबंधित विभाग को वापस किया जाय। जिन प्रमंडलों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है उन भवन प्रमंडलो को निदेश दिया जाता है कि कार्यान्वित योजनाओं में जिनमें कार्य के विरुद्ध भुगतान लम्बित है उतनी राशि छोड़कर शेष राशि को ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार कार्यान्वित योजनाओं में कराए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान लम्बित नहीं रखना है।

पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक:-भवन/बजट-36-विविध-95/2007-08-9529(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

बिहार पटना।

पटना, दिनांक-10.07.13

विषय: विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बैंक ड्राफ्ट/चेक/चलान के माध्यम से राशि उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। योजनाओं पर व्यय के लिए बैंक ड्राफ्ट/चेक/चलान के माध्यम से राशि भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रक्रिया के कारण लेखांकन में असुविधा होती है तथा ए०सी०/डी०सी० का मामला बन जाता है।

उपर्युक्त स्थिति में अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वित किए जाने से संबंधित राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक/चलान के माध्यम से नहीं भेजकर भवन निर्माण विभाग की मांग सं०-03 में उपबंधित करने की कृपा की जाय। यदि बैंक ड्राफ्ट/चेक/चलान के माध्यम से ही देने की बाध्यता हो तो ऐसे कार्यो के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा एवं उसे बैंक ड्राफ्ट/चेक उपलब्ध कराया जाए।

विभिन्न विभागों के ए०सी०/डी०सी० बिल के समायोजन के लिए की गई बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा स्पष्ट रूप से यह निदेश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से किसी भी विभाग से चेक या बैंक ड्राफ्ट भवन निर्माण विभाग के द्वारा नहीं लिया जाय। जिन किसी विभाग या संस्थान आदि को समस्या हो तो संबंधित विभाग/संस्थान इत्यादि द्वारा वैसे कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराये जायँ। इस कार्य को कराने हेतु निगम का Centage charge भी संबंधित प्रशासी विभाग के द्वारा देय होगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-9529(भ) पटना, दिनांक: 10.07.13

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०–भवन/मु०अ०(द०)यो०–8-244/12-2023(भ) पटना, दिनांक–18.02.2013

विगत कई वर्षो से देखा जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग से सरकारी अवासों के परिवर्त्तन/परिवर्द्धन हेतु वैसे कार्यो को कराये जाने का माननीय उच्च न्यायालय एवं उससे संबंधित न्यायाधीशों द्वारा अनुरोध किया जाता है जिसका प्रावधान सरकारी भवनों में उपलब्ध कराना संभव नियमानुकूल नहीं होता है।

अतः इस संबंध में विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के अधीनस्थ न्यायाधीशों के आवासों सहित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों एवं गैर आवासीय संरचना के परिवर्त्तन/परिवर्द्धन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाय।

(i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा समिति को पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय भवन एवं उससे संबंधित न्यायाधीश/अधिकारी के आवास/कार्यालय (पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से संबंधित अनुरक्षण मरम्मति एवं रख रखाव तथा आवास/कार्यालय में परिवर्द्धन के कार्यो की प्राथमिकता सूची हर वर्ष तय की जा सकेगी

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त प्राथमिकता सूची के आलोक में इस मद में कर्णांकित राशि के अनुरूप पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल द्वारा कार्य कराया जा सकेगा।

(ii) भवन निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर आवास/कार्यालय में अनुरक्षण मरम्मति एवं नये निर्माण से संबंधित जो नीति बनायी जायेगी उसका अनुपालन उपरोक्त प्राधिकृत समिति द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 2024(भ) पटना, दिनांक/18.02.2013

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 2024(भ) पटना, दिनांक/18.02.2013

प्रतिलिपिः–सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः 2024 (भ) पटना, दिनांक/ 18.02.2013

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

अधिसूचना सं०–भवन/मु०अ०(द०)यो०–8-244/12/2252(भ) पटना, दिनांक–22.02.2013

पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०–भवन/मु०अ०(द०)यो०–8-244/12-2023(भ) पटना, दिनांक 18.02.2013 को निम्न रूप में पढ़ा जाय।

विगत कई वर्षो से देखा जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग से सरकारी अवासों के परिवर्त्तन/परिवर्द्धन हेतु वैसे कार्यो को अल्प समय में कराये जाने का माननीय उच्च न्यायालय एवं उससे संबंधित न्यायाधीशों द्वारा अनुरोध किया जाता है जिसका प्रावधान सरकारी भवनों में पूरी प्रक्रिया पूरी कर ससमय उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है।

अत: विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के अधीनस्थ न्यायाधीशों के आवासों सहित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवास एवं गैर आवासीय संरचना के परिवर्त्तन/परिवर्द्धन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाय।

(प) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा समिति को पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय भवन एवं उससे संबंधित न्यायाधीश/ अधिकारी के आवास/कार्यालय (पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से संबंधित अनुरक्षण मरम्मति एवं रख रखाव तथा आवास/कार्यालय में परिवर्त्तन/परिवर्द्धन के कार्यो की प्राथमिकता सूची हर वर्ष तय की जा सकेगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त प्राथमिकता सूची के आलोक में इस मद में कर्णाकित राशि के अनुरूप पाटलीपुत्र भवन प्रमडल द्वारा कार्य कराया जा सकेगा।

(पप) भवन निर्माण विभाग द्वारा समय–मसय पर आवास/कार्यालय में अनुरक्षण मरम्मति एवं नये निर्माण से संबंधित जो नीति बनायी जायेगी उसका अनुपालन उपरोक्त प्राधिकृत समिति द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–2252(भ) पटना, दिनांक 22.02.2013

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–2252(भ) पटना, दिनांक 22.02.2013

प्रतिलिपि:–सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–2252(भ) पटना, दिनांक 22.02.2013

प्रतिलिपि:– सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेुत प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का॰आ॰सं॰:–13 /पटना, दिनांक:– 20.01.2011

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत गैर–योजना मद में अनुरक्षण एवं मरम्मति मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से संबंधित दायित्वों के भुगतान की त्वरित कार्रवाई हेतु कार्यालय आदेश संख्या 269 दिनांक–18.03.93 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक उपभाग के लिये दायित्व समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

(क) दक्षिण बिहार उपभाग

1. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग – अध्यक्ष
2. अधीक्षण अभियंता, संबंधित भवन अंचल – सदस्य
3. कार्यपालक अभियंता– संबंधित प्रमंडल – सदस्य

(ख) उत्तर बिहार उपभाग

1. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग – अध्यक्ष
2. अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल संख्या–1 –सदस्य
3. कार्यपालक अभियंता– संबंधित प्रमंडल – सदस्य

उपर्युक्त गठित समिति बिहार लोक निर्माण विभागीय/लेखा संहिता में निर्दिष्ट कार्यपद्धति एवं विभागीय पत्रांक 4275 (भ) दिनांक 17.10.1998 से निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ही देयता स्वीकार करेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित प्रमंडल के कुल आवंटन का अधिकतम 5% तक का दायित्व शत प्रतिशत सत्यापन के बाद स्वीकृत कर सकेगी। इससे अधिक का दायित्व विभाग के द्वारा स्वीकृत होगा।

2. समिति प्रत्येक माह सामान्यत: दो बैठकें करेगी। लंबित सभी दायित्वों के भुगतान के विषय में समीक्षा कर अपनी अनुशंसा अभियंता–प्रमुख को देगी, जिनके अनुमोदनोपरांत दावों के भुगतान के विषय में विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 मई तक कार्यपालक अभियंता सृजित दायित्वों के संबंध में प्रतिवेदन परिस्थितियों के उल्लेख के साथ निश्चित रूप से समर्पित करेंगें। 30 मई के पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन के विषय में विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा और इसके चलते दायित्व लंबित रहने की सारी जबावदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

4. विशेष परिस्थिति में अगर कार्य कराने की बाध्यता उत्पन्न होती है तो कार्यपालक अभियंता विभाग से इसकी अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

5. समिति का कार्य–काल अगले आदेश तक रहेगा।

6. प्रस्ताव प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह॰/–
(हृदय नारायण झा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:–भवन/विधि–समादेश–76/2010 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:–सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–भवन/विधि–समादेश–76/2010 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग एवं कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण विभागीय/लेखा संहिता में वर्णित कार्य पद्धति एवं विभागीय पत्रांक 4275 (भ) दिनांक 17.10.1998 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाय। दायित्व का सृजन नहीं किया जाय।

इसका कठोरता से पालन किया जाय।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

●●●

पत्रांक-Dmc-Jm-03/09 8277(भ)॰

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार

सरकार के सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग,

मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग,

भवन निर्माण विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12 अक्टूबर, 2012

विषयः परियोजनाओं को पूर्ण करने में समय-सीमा विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के सभी कार्यपालक अभियंताओं के साथ योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराने पर अभियंताओं द्वारा ज्यादा बल नहीं दिया जा रहा है एवं विलंब के लिए दोषी संवेदकों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई मामलों में संवेदकों को अपर्याप्त कारणों के बावजूद योजना पूर्ण करने की समय-सीमा बढ़ा दी गयी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि एक करोड़ रुपये से अधिक प्राक्कलित राशि की परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराया जाए एवं विलंब के लिए दोषी संवेदकों पर कार्रवाई की जाए। अपरिहार्य कारणवश यदि कहीं-कहीं परियोजना को पूर्ण करने में समय-सीमा के विस्तार की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा समय विस्तारित करने के पहले अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए, जिससे उन समस्याओं को दूर किया जा सके, जिसके कारण समय विस्तार की आवश्यकता पड़ी। यदि योजनाओं की मासिक समीक्षा के दौरान इन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा तो ससमय संवेदकों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और उचित प्रशासनिक मदद दी जा सकती है। अपर्याप्त कारणों पर समय विस्तार से न केवल प्राक्कलित राशि बढ़ती है, अपितु योजना प्रारंभ करने के मूल उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाती है एवं योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह॰/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8277 (भ) पटना, दिनांक-12 अक्टुबर, 2012

प्रतिलिपि-निदेशक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग, भ॰नि॰वि॰/सभी अधीक्षण अभियंता, भ॰नि॰वि॰/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांक-डी-डी॰-2-(विविध)...201/04- 6475 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

सभी अधीक्षण अभियंता,

सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण विभाग

पटना, दिनांक 31 जुलाई, 2009

विषयः निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 23.07.2009 से दिनांक 25.07.2009 तक आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक में यह बात सामने आयी कि विभिन्न भवन प्रमंडलों में एक ही संवेदक को कई कार्य आवंटित हैं पर एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि समाप्त होने के बाद भी कार्य का क्रियान्वयन लंबित है तथा इस पर संबंधित संवेदक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ऐसी प्रवृति से विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनायें लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही हैं जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है। इसके अलावा विभागीय पदाधिकारियों के स्तर से भी इन संवेदकों के विरूद्ध एकरारनामा की शर्तों के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई नहीं करने से कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।

उपर्युक्त क्रम में आपको निदेशित किया जाता है कि भविष्य में भवन निर्माण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में आमंत्रित निविदा निष्पादन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वैसे संवेदक जिनके यहां पूर्व से कोई कार्य एकरारनामा के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद संवेदक के स्तर पर लंबित है को नया कार्य आवंटित नहीं किया जाय। साथ ही निविदा निष्पादन के क्रम में तुलनात्मक विवरणी पर कार्यपालक अभियंता द्वारा यह स्पष्ट मन्तव्य अंकित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम वैध निविदादाता के पास पूर्व से कोई कार्य निर्धारित समाप्ति की तिथि के बाद क्रियान्वयन हेतु संवेदक के स्तर पर लंबित नहीं है जिससे कि निविदा निष्पादित करनेवाले सक्षम पदाधिकारी को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हो।

विश्वासभाजन,

ह॰/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

पत्रांक SE-AP-3-12(5-90)-248/09...115(भ)... पटना, दिनांक 8.1.10

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा

सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, मुख्य वास्तुविद्,

सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण वभाग।

विषयः भवन निर्माण योजनाओं के तकनीकी-अनुमोदन हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

भवन निर्माण योजनाओं के प्रशासनिक-अनुमोदन प्राप्त करने के लिये approximate प्राक्कलन गठित कर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्माण राशि प्रस्तुत की जाती है। तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

1. तकनीकी अनुमोदन के प्राक्कलन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल दर पर बनायी जाय।

   भवन निर्माण विभाग में प्रचलित सामयिक अनुसूचित दर के आधार पर, प्राक्कलन में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल दर के साथ संलग्न मूल्य सूचकांक सन्निहित किया जाय।

2. अनुसूचित दर की प्रभावी तिथि से अगले छः माह के बाद, तकनीकी अनुमोदन हेतु गठित किये जानेवाले प्राक्कलन में, 8 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सन्निहित की जाय।

3. प्रस्तावित भवन से संबंधित प्रशासी विभागों के सूचनार्थ, तकनीकी अनुमोदन के प्राक्कलन के सारांश में यह उल्लेख किया जाय कि:-

   (i) तकनीकी अनुमोदन की तिथि से अगले छः माह तक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिये यह प्राक्कलन अनुमान्य होगा।

   (ii) तकनीकी अनुमोदन की तिथि से अगले छः माह के बाद बारह माह तक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिये इस प्राक्कलन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि अनुमान्य होगी।

   (iii) तकनीकी अनुमोदन की तिथि से अगले बारह माह के बाद प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व प्राक्कलन के पुनरीक्षण अनिवार्य होंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सचिव, भवन निर्माण विभाग।

●●●

मुख्य अभियंता (निरूपण) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-544 (नि०) पटना, दिनांक-08 जुलाई, 2013

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,
मुख्य अभियंता (निरूपण)।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल।
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग।

विषयः प्राक्कलन/निरूपण/पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति के संबंध में आवश्यक निदेश।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की संचिका में मूल स्वीकृत प्राक्कलन एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन में सन्निहित कार्य मदों की मात्रा, दर एवं राशि की तुलनात्मक विवरणी, नहीं रहती है अथवा पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में बढ़ोतरी किस कारण से हुई है, यह अंकित नहीं रहता है, अर्थात किस कारण से मूल स्वीकृत प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता हुई, यह पता नहीं चलता है।

पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 702 (नि०) अनु०, दिनांक-14.11.12 द्वारा प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति, पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति एवं भवनों के निरूपण हेतु तीन प्रकार के चेकलिस्ट के साथ स्वीकृति हेतु समर्पित करने का निदेश दिया गया था, परंतु उक्त आदेश की अवहेलना कर प्राक्कलन गैर जिम्मेदाराना ढंग से समर्पित किया जाता है जिससे प्राक्कलनों की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब होता है।

पुनः उपरोक्त वर्णित तीनों चेक लिस्ट संलग्न करते हुये निदेश दिया जाता है कि नवसृजित प्राक्कलन अथवा पुनरीक्षित प्राक्कलनों में चेक लिस्ट के साथ स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता के माध्यम से समर्पित किया जाय ताकि स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं हो। प्राक्कलन की जाँच के दौरान उजागर त्रुटियों का यथासंभव अविलंब निरूपण शाखा के संबंधित अभियंता के साथ विमर्श कर निराकरण किया जाय। पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रतिवेदन में पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की आवश्यकता का समुचित कारण एवं तुलनात्मक विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्राक्कलन की स्वीकृति में विलंब के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०-
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
मुख्य अभियंता (निरूपण)

ज्ञापांक-544 (नि०) पटना, दिनांक-08 जुलाई, 2013

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता (उत्तर)/मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृपया अपने स्तर से भी सभी अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को वांछित निदेश दिया जाय।

अनु०-यथोक्त।

ह०-
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
मुख्य अभियंता (निरूपण)

●●●

पत्रांक–डी॰एम॰सी॰–1एम॰–03/2013-12398(भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
सभी अधीक्षण अभियन्ता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 05.09.2013

विषयः प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम से संबंधित सूचनाओं को संकलित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भवन निर्माण विभाग अंतर्गत प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम से संबंधित एन॰आई॰सी॰ द्वारा एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.08.2013 एवं 02.08.2013 को क्रमशः उत्तर बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग के पदाधिकारियों सहित कम्प्यूटर ऑपरेटर के निमित कराया जा चुका है। उक्त प्रशिक्षण में आप सभी से अनुरोध किया गया था कि इस सॉफ्टवेयर में आपसे संबंधित वांछित सूचना ऑनलाईन अद्यतन अविलम्ब कर दिया जाय जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है ऐसे में प्रशिक्षण की कोई महत्ता परिलक्षित नहीं हो रही है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस सॉफ्टवेयर के बेहतर उपयोग करने वाले पदाधिकारियों के वार्षिक चारित्री अभ्युक्ति में इसे अंकित करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर सभी सूचनाओं को प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम में ऑनलाईन अद्यतन किया जाय ताकि प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम से सभी योजनाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी सभी स्तर पर प्राप्त हो सके।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी॰एम॰सी॰–1एम॰–30/2013-12398(भ)/ पटना, दिनांक 05.09.2013

प्रतिलिपिः– अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियन्ता, उत्तर एवं दक्षिण बिहार उपभाग/श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, टेक्निकल डायरेक्टर, एन॰आई॰सी॰, पटना/अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रावै॰), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक–भवन/बजट–18–अनुरक्षण एवं मरम्मत–01/2013-14-6301 (भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सभी जिला, बिहार।

पटना, दिनांक 07.06.2013

विषयः- जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के अनुसार अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि न्यायिक भवनों में अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने हेतु कुर्सी क्षेत्रफल के अनुपात में जिलों को राशि का आवंटन कर विभागीय पत्रांक 27(भ) दिनांक 27.05.2013 द्वारा सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है।

विदित है कि जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाता है एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता से कार्य कराए जाते हैं।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जिले के न्यायिक भवनों के अनुरक्षण मरम्मति हेतु प्राथमिकता सूची का निर्धारण करके कार्य कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6301(भ)/ पटना, दिनांक 07.06.2013

प्रतिलिपिः- सचिव, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6301 (भ)/ पटना, दिनांक 07.06.2013

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

●●●

पत्रांक–भवन/बजट–18 अनुरक्षण एवं मरम्मत–01/2013-14-3371(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिहार।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–6301(भ०), दिनांक–07.06.2013

पटना, दिनांकः–21.03.2014

विषय : जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के अनुसार अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि न्यायिक भवनों में अनुरक्षण मरम्मति का कार्य कराने हेतु कुर्सी क्षेत्रफल के अनुपात में जिलों को राशि आवंटित की जाती है।

विदित हो कि जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति द्वारा न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाता है एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से कार्य कराये जाते हैं। यदि कोई कार्य प्राथमिकता सूची में नहीं है तो वह कार्य कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा नहीं कराया जा सकता है। कुछ समय से न्यायिक आवासीय भवनों में मरम्मति का अनुरोध सीधे भवन निर्माण विभाग को किया जा रहा है, जो संभव नहीं है। चूंकि इसके लिए जिला स्तर पर ही सक्षम प्राधिकार गठित है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जिले के न्यायिक भवनों के अनुरक्षण, मरम्मति हेतु बजटीय अधिसीमा के अन्तर्गत ही प्राथमिकता सूची का निर्धारण करके कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–3371 पटना, दिनांकः–21.03.2014

प्रतिलिपिः–सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक–भवन/बजट–18–अनु॰ एवं मर॰–01/2013-14 13782 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

दिनांक: 8.10.13

विषयः कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राथमिकता आधारित कार्यो के निमित्त उपलब्ध कराई गई राशि से न्यायिक/गैर न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में राशि व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राथमिकता आधारित कार्यो के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद अधीन राशि, विभागीय आदेश संख्या–27 (भ) दिनांक–27.05.13 एवं इस क्रम में निर्गत शुद्धिपत्र पत्रांक–55(भ) दिनांक–07.06.13 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि उपलब्ध करायी गई राशि से न्यायिक एवं गैर न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति सबंधी कार्यो पर खर्च किया जाना है। यह आवंटन न्यायिक/गैर न्यायिक भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल के अनुमात में व्यय किया जाता है। उदाहरणार्थ अगर किसी जिला में न्यायिक एवं गैर न्यायिक भवनों का क्षेत्रफल क्रमशः 300 (30%) वर्ग फीट एवं 700 (70%) वर्ग फीट यानि कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है और वहाँ 4.00 करोड़ आवंटन दिया गया है तो न्यायिक एवं गैर न्यायिक के लिए क्रमशः 1.20 करोड़ (30%) एवं 2.80 करोड़ (70%) व्यय किया जाना है। अर्थात कुल राशि का आवंटन क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में ही न्यायिक और गैर न्यायिक भवनों के अनुरक्षण में खर्च किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/विचलन नहीं होना चाहिए।

उक्त वर्णित स्थिति में निदेश दिया जाता है कि आपके जिलान्तर्गत न्यायिक/गैर न्यायिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यो के लिए प्राथमिकता सूची निर्धारित कराकर कुर्सी क्षेत्रफल के अनुपात में उपलब्ध कराई गई राशि से, आनुपातिक रूप से ही न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्यो पर व्यय सुनिश्चित किया जाये। तत्संबंधी प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13782(भ) पटना, दिनांक–8.10.13

प्रतिलिपिः–सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी जिला पदाधिकारी को इसी आलोक में प्राथमिकता सूची बनाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13782(भ) पटना, दिनांक–8.10.13

प्रतिलिपिः–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13782(भ) पटना, दिनांक–8.10.13

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/उप सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/सचिव के सचिव/आई॰ टी॰ मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

आदेश- 60 दिनांक-22.05.2013

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-मं॰मं॰1/आर॰-02/07-602, दिनांक-20.03.2007 से संसूचित निर्णय के आलोक में सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा उसके रख-रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

2. सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्य कराने के लिए इस विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कोई कार्य प्रमंडल सृजित नहीं है। पटना में अवस्थित सरकारी भवनों की जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन कार्यो के रख-रखाव एवं संधारण हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम अंतर्गत अवर प्रमंडल, सचिवालय, अवर प्रमडल, राजवंशीनगर एवं अवर प्रमंडल उच्च न्यायालय, पटना (जो पूर्व से ही भवन निर्माण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में है) तथा उनके अधीनस्थ क्रमशः दो-दो प्रशाखायें तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना के अधीन अवर प्रमंडल यांत्रिक, पटना पूर्व (आंशिक) तथा अवर प्रमंडल यांत्रिक, पटना पश्चिम (आंशिक) के अधीन क्रमशः एक तथा दो प्रशाखायें कार्यरत हैं। पटना के बाहर क्षेत्रों में सरकारी भवनों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन से संबंधित रख-रखाव एवं संधारण हेतु मात्र लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के अधीन अवर प्रमंडल संख्या-2 एवं उसके अधीनस्थ तीन प्रशाखायें कार्यरत है।

3. उक्त वर्णित स्थिति में सहायक अभियन्ता (असैनिक) के 5 पद, कनीय अभियन्ता (असैनिक) के 18 पद तथा कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 3 पद भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाते है।

4. इसके अलावा उक्त अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अधीन कार्यरत सभी तकनीकी कर्मियों (नियमित स्थापना के अंतर्गत) के सृजित पदों को भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाता है। साथ ही, उक्त नियमित तकनीकी कर्मियों एवं कार्यभारित स्थापना में कार्यरत तकनीकी कर्मियों (सूची संलग्न) की सेवा सरकारी भवनों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्य कराने के लिए भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/-

(रबीन्द्र पवार)

प्रधान सचिव

●●●

पत्रांक–भवन/स्था॰–1-969/2012-12756(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः पटना स्थिति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्यो के सम्पादन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कतिपय हस्तान्तरित कार्य अवर प्रमंडलों एवं अधीनस्थ पदों/पदधारकों का भवन निर्माण में समायोजन।

सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में पटना स्थिति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी कार्यो (जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन) सहित अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

2. उक्त कार्यो के संचालन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आदेश संख्या 60 सहपठित ज्ञापांक 453 दिनांक 22.05.2013 (यथा परिशिष्ट–1) के द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पाँच (05) पद कनीय अभियंता (असैनिक) के अठारह (18) पद तथा कनीय अभियंता (यांत्रिक) के तीन (03) पद सहित संबंधित कार्य अवर प्रमंडलों के अधीनस्थ श्रेणी–3 एवं 4 के सृजित पदधारकों की सेवाएँ भवन निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई है। इन हस्तान्तरित पदों/पदधारकों का भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत समयोजन की कार्रवाई विचाराधीन थी।

3. दिनांक 03.09.2013 को राज्य मत्रिपरिषद की बैठक में मद सं॰ 13 के रूप में सम्मिलित उक्त प्रस्ताव में दी गई स्वीकृति के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित कार्य अवर प्रमंडलों तथा उनके अधीनस्थ पदों/कार्यरत पदधारकों को भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संलग्न यथा उनके अधीस्थ पदों/कार्यरत पदधारकों को भवन निर्माण विभाग के अंन्तर्गत संलग्न यथा परिशिष्ट–2 में अंकित के अनुरूप भवन कार्य प्रमंडलों में समायोजित किया जाता है।

4. समायोजित पदों/पदधारकों के स्थापना व्यय का वहन विभागीय बजट शीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य–80–समान्य–001–निदेश और प्रशासन–0004–निष्पादनः विपत्र कोड एन 2059800010004 के अंतर्गत किया जाएगा।

5. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन के लिए संबंधित भवन प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

6. सभी समायोजित पदधारक संबद्ध भवन प्रमंडलों में अपना योगदान समर्पित करेंगें तथा संबंधित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलों द्वारा उक्त कर्मियों की सेवा अभिलेख एवं अन्य कागजात समायोजन हेतु निर्दिष्ट भवन प्रमंडलों को हस्तगत कर दिया जाएगा।

अनुः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह/–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

पत्रांक–12756(भ) पटना, दिनांक–12.9.13

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना एवं संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/–

सरकार के सचिव।

पत्रांक–12756(भ) पटना, दिनांक–12.9.13

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मत्रिमंडल सचिवालय विभाग/संसदीय कार्य विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/माानीय मंत्री (भवन) के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग/बजट शाखा (मु०), भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम तथा समायोजित सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुपालन सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/–
सरकार के सचिव।

पत्रांक–12756(भ) पटना, दिनांक–12.9.13

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना/अभियंता प्रमुख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/–
सरकार के सचिव।

2. कृपया इस राज्यादेश के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित पदों की समाप्ति के संबंध में अपने स्तर से भी आदेश निर्गत किया जाय जिससे पदों की स्थिति स्पष्ट हो सके।

ह०/–
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट, क,

(i) लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पश्चिम

क्र॰ सं॰	अवर प्रमंडल का नाम	स्वीकृत पद								
		सहायका अभियंता	प्रशाखा का नाम	कनीय अभियंता	कार्य निरीक्षक	नल योजक	नलकूप खलासी	कीपैन–सह–चौकीदार	पलम्बर खलासी	झाड़ूकश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.			सचिवालय	1	1	6	16	2	-	1
2.			राजभवन	1	-	6	5	5	-	4
3.			विधान सभा	1	1	3	3	-	4	3
4.	सचिवालय	1	विधायक आवास	1	-	7	-	1	10	-
5.			आफिसर्स फ्लैट	1	-	-	-	1	4	3
6.			पुलिस लाईन	1	1	2	3	-	-	3
7.	राजवंशी नगर	1	राजवंशी नगर	1	-	8	6	-	-	3
8.			शास्त्रीनगर	1	-	6	1	1	-	-
9.			पशु चिकित्सालय	1	-	3	11	-	1	-
10.	उच्च न्यायालय	-		2	-	-	-	-	-	-
	योग			**11**	**03**	**41**	**45**	**10**	**19**	**17**

परिशिष्ट ख

(ii) लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पूर्व

क्र॰ सं॰	अवर प्रमंडल का नाम	स्वीकृत पद										
		सहायक अभियंता	प्रशाखा की संख्या	कनीय अभियंता	कार्य निरीक्षक	पी॰एल॰आई॰	प्लम्बिंग मिस्त्री	प्लम्बिंग खलासी	कीमैन–सह–चौकीदार	सिवरेज मिस्त्री	स्वीपर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	चिकित्सालय	1	2	2	2	0	7	31	0	4	3	*20 कम श्रमपुस्त पर
	विश्वविद्यालय	1	2	2	1	0	6	13	-	0	6	**3 कम श्रमपुस्त पर
	योग	**2**	**4**	**4**	**3**	**0**	**13**	**44***	**0**	**4**	**9****	

परिशिष्ट ग

(iii) लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना

क्र॰ सं॰	अवर प्रमंडल का नाम	कार्यरत कर्मियों की संख्या				
		कनीय अभियंता (यां.)	पंप चालक	इलेक्ट्रीशियन	फिटर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लो॰स्वा॰यां॰अ॰प्र॰, पटना एवं पूर्व पश्चिम	3	115	1	4	
	योग	**3**	**115**	**1**	**4**	

(iv) लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम

क्र॰ सं॰	अवर प्रमंडल का नाम	स्वीकृत पद										
		सहायक अभियंता	प्रशाखा की संख्या	कनीय अभियंता	कार्य निरीक्षक	पी॰एल॰आई॰	प्लम्बिंग मिस्त्री	प्लम्बिंग खलासी	कीपैन-सह-चौकीदार	सिवरेज मिस्त्री	स्वीपर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	लो॰स्व॰ अ॰प्र॰ सं॰-2, भागलपुर	1	3	3	1	-	4	20	-	-	5	
	योग	1	3	3	1	-	4	20	-	-	5	

परिशिष्ट-2

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत समायोजित लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण अवर प्रमंडलों के अधीनस्थ पदों/पदधारकों के विवरणी:-

क्र॰ सं॰	**भवन प्रमंडल का नाम**	**समायोजित किये जाने वाले पद एवं पदधारक**		
1	पटना भवन प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता-1 पद (चिकित्सालय अवर प्रमंडल, पटना पूर्व) से हस्तांतरित	कनीय अभियंता के 2 पद (अैसनिक) (चिकित्सालय प्रशाखा, पटना) तथा कनीय अभियन्ता (यांत्रिक) का एक पद पटना पूर्व लो॰स्वा॰यां॰ अवर प्रमं॰, पटना पूर्व से हस्तांतरित	चिकित्सालय अवर प्रमंडल के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (श्रमपुस्त सहित) के अतिरिक्त 10 (दस) पंप चालक लोक स्वाथ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
2	केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता-1 पद (लो॰स्व॰अ॰प्र॰ सं॰-2, भागलपुर प्रमंडल) से हस्तांतरित	कनीय अभियंता के 2 पद (असैनिक) (सचिवालय/राज भवन प्रशाखा से हस्तांतरित) तथा कनीय अभियन्ता (यांत्रिक) का एक पद पटना पूर्व लो॰स्वा॰यां॰ अवर प्रमं॰, पटना पूर्व से हस्तांतरित	सचिवालय/राज भवन प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 10 (दस) पंप चालक, 02 (दो) फीटर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
3	पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता-1 पद (सचिवालय अवर प्रमंडल, पटना पश्चिम) से हस्तांतरित	कनीय अभियंता के 2 पद (असैनिक) (उच्च न्यायालय प्रशाखा से हस्तांतरित) तथा कनीय अभियन्ता (यांत्रिक) का एक पद पटना पूर्व लो॰स्वा॰यां॰ अवर प्रमं॰ पटना पूर्व से हस्तांतरित	उच्च न्यायालय प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 10 (दस) पंप चालक, 01 (एक) इलेक्ट्रीशियन एवं 02 (दो) फीटर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित

4	पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग पटना।	सहायक अभियंता–1 पद (विश्वविद्यालय अवर प्रमंडल, पटना पूर्व) से हस्तांतरित	कनीय अभियंता के 2 पद (असैनिक) (विश्वविद्यालय प्रशाखा से हस्तांतरित)	विश्वविद्यालय प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 10 (दस) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/ सयोजित
5	पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना।	सहायक अभियंता–1 पद (राजवंशीनगर अवर प्रमंडल, पटना पश्चिम) से हस्तांतरित	कनीय अभियंता के 2 पद (असैनिक) (राजवंशीनगर/पशु चिकित्सालय प्रशाखा से हस्तांतरित)	राजवंशीनगर/पशु चिकित्सालय प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 10(दस) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
6.	नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (विधायक आवास प्रशाखा से हस्तांतरित)	विधायक आवास प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7(सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
7	भवन प्रमंडल, आरा		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (विधान सभा प्रशाखा से हस्तांतरित)	विधान सभा प्रशाखा के अधीन कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7(सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/ समायोजित
8	भवन प्रमंडल, मुंगेर		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (लो॰स्वाव॰अभि॰प्र॰–2, भागलपुर से हस्तांतरित)	भागलपुर पश्चिम के अधीन प्रशाखा–1 में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7 (सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
9	भवन प्रमंडल, भागलपुर		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (लो॰स्वा॰अभि॰प्रमं॰–2, भागलपुर से हस्तांतरित)	भागलपुर पश्चिम के अधीन प्रशाखा–2 में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 16(सोलह) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
10	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (शास्त्रीनगर प्रशाखा, पटना पश्चिम से हस्तांतरित)	पटना पश्चिम के अधीन शास्त्रीनगर प्रशाखा में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7 (सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित

11	भवन प्रमंडल, दरभंगा		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (पुलिस लाईन प्रशाखा, पटना पश्चिम से हस्तांतरित)	पटना पश्चिम के अधीन पुलिस लाईन प्रशाखा में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7 (सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
12	भवन प्रमंडल, गया		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (ऑफिसर्स फ्लैट प्रशाखा, पटना पश्चिम से हस्तांतरित)	पटना पश्चिम के अधिन ऑफिसर्स फ्लैट प्रशाखा में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7 (सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित
13	भवन प्रमंडल, पूर्णिया		कनीय अभियंता के 1 पद (असैनिक) (अवर प्रमंडल सं०–3, प्रशाखा भागलपुर पश्चिम से हस्तांतरित)	अवर प्रमंडल सं०–3, प्रशाखा भागलपुर पश्चिम में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी के अतिरिक्त 7 (सात) पंप चालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना से हस्तांतरित/समायोजित

ह०/–

सरकार के सचिव

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

पत्रांक–भवन/स्था॰1–विविध–969/12-13676(भ) दिनांक–07.10.2013

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना/केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना/पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना/नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ/भवन प्रमंडल, आरा/भवन प्रमंडल, मुंगेर/भवन प्रमंडल, भागलपुर/भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/भवन प्रमंडल, दरभंगा/भवन प्रमंडल, गया एवं भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक–07.10.2013

विषयः प्रमंडलों के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (कारा सहित) एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी कार्यो/अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग के स्तर से कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

ज्ञातव्य है कि विभागीय पत्रांक 12756 (भ) अनु॰ दिनांक 12.09.2013 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित कतिपय कार्य अवर प्रमंडलों एवं उनके अधीनस्थ पदों/पदधारकों का समायोजन भवन निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न कार्य प्रमंडलों में किया जा चुका है। एतद् संबंधी पत्र की प्रति सभी संबंधित भवन प्रमंडलों को प्रेषित है।

इस संबंध में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हुए विमर्श के क्रम में दिनांक 01.11.2013 से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी कार्यो को भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त अवधि में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उनके पूर्व से लम्बित निविदा/कार्य से संबंधित दायित्वों को पूरा किया जाएगा।

अतः दिनांक 01.11.2013 से अपने प्रमंडल के अधीन महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (कारा भवन सहित) एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में असैनिक कार्यो के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यो का सम्पादन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13676 (भ) पटना, दिनांक–07.10.2013

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13676 (भ) पटना, दिनांक–07.10.2013

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-7/वि॰1-114/13 पटना, दिनांक-

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषयः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा उसके रख-रखाव का कार्य का भवन निर्माण विभाग में हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि आप पूर्व से अवगत है दिनांक 01.11.2013 से सरकारी भवनों में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। इस संदर्भ में विभाग के पूर्व पत्र का संदर्भ लें। तत्पश्चात् भवन निर्माण विभाग की सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये है:-

1) तत्काल उच्च प्रवाही नलकूप (जिसमें दो या इससे ऊपर के अश्वशक्ति के मोटर पम्प अधिष्ठापित है), पंप गृह तथा जलमीनार एवं इससे निर्गत डिलेभरी पाईप के स्लूईस भाल्भ तक का प्रभार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन रहेगा। स्लूईस भाल्भ के बाद के जलापूर्ति-पाईप-लाईन का अनुरक्षण एवं रख-रखाव भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
2) सरकारी भवन परिसर में अधिष्ठापित एक अश्वशक्ति तक के पम्पों का अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

उपरोक्त के अनुसार ही आवश्यक कर्मियों की सेवायें भवन निर्माण विभाग को दी जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं :-

(i) एक नवम्बर 2013 से अगले दो तीन महीनें का समय transition period होगा। जिसमें आपसी सुझ-बूझ की आवश्यकता रहेगी। जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन ऐसे कार्य हैं जिसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है।
(ii) विशेष कर शुरू के एक महीने hand holding की आवश्यकता होगी। जो कर्मचारी भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरित होने के पश्चात् विभाग में बचते हैं, उन्हें एक महीने के लिए उसी स्थान पर रखा जाय जिससे वे भवन निर्माण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें। तत्पश्चात् उन्हें वापस लेकर अन्यत्र पदास्थापित किया जा सकता है।
(iii) यदि भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा कोई तकनीकि सहयोग अथवा परामर्श मांगा जाता है तो उस पर उन्हें तकनीकि सहयोग प्रदान किया जाय।
(iv) जानकारी के अभाव में यदि किसी पदाधिकारी द्वारा आपको किसी पेयजल तथा स्वच्छता संबंधित समस्या की सूचना दी जाती है तो उन पदाधिकारी को यह जानकारी देते हुए कि यह कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा, के साथ संबंधित अभियंताओं का नाम एवं मोबाईल नम्बर भी उन्हें उपलब्ध कराया जाय। जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं का सार यही है कि प्रारम्भ में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा hand holding की आवश्यकता है तथा विभाग का दायित्व होगा कि भवन निर्माण विभाग को सहयोग करे जिससे किसी प्रकार की कठिनाई नही हो।

विश्वासभाजन

ह॰/-
(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-826 पटना, दिनांक-30.10.13

प्रतिलिपि:- सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव-सह-अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/-
(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

●●●

पत्रांक–भवन/स्था॰1–विविध–969/12...../

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।
कार्यपालक अभियंता,
पटना भवन प्रमंडल, पटना/केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना/
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना/ नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ।
भवन प्रमंडल, आरा/भवन प्रमंडल, मुंगेर/भवन प्रमंडल, भागलपुर/
भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/भवन प्रमंडल, दरभंगा/भवन प्रमंडल, गया
एवं भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक– 31.10.2013

विषयः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सरकारी भवनों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा उसके रख–रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक 816 दिनांक 30.10.2013 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सरकार के निर्णय के आलोक में विभागों की आपसी सहमति से सरकारी भवनों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा उसके रख–रखाव से संबंधित कार्य दिनांक 01.11.2013 से भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पूर्व प्रेषित विभागीय पत्रांक 12676(भ) दिनांक 7.10.2013 द्वारा सभी संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराया जा चुका है।

अनुरोध है कि संलग्न पत्र में निहित निर्णय के अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए हस्तान्तरित कार्यो के अनुरूप दिनांक 01.11.2013 से अपने प्रमंडल के अधीन सरकारी भवनों में असैनिक कार्यो के अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी कार्यो का सम्पादन कराया जाय।

अनु॰–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह॰/–
(सुशील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14698(भ) पटना, दिनांक–31.10.2013

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री (भवन) के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा (मुख्यालय)/आई॰टी॰ मैनेजर(मु॰) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव।

●●●

पत्रांक–भवन/मु०अभि० (द०) यो०विविध–822/14 ...../

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (दक्षिण),
भवन निर्माण विभाग, पटना।
मुख्य अभियंता (उत्तर),
भवन निर्माण विभाग, पटनां
सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना/दिनांकः- 14.03.2014

विषयः सरकारी भवनों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी कार्य के रख-रखाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय स्तर पर हुई समीक्षा तथा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में भवन निर्माण विभाग को सरकारी भवनों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन कार्य का दायित्व सौपे जाने के फलस्वरूप विभागीय दिशा निर्देश के क्रम में निम्न प्रकार से कार्य कराने का निदेश दिया जाता है:-

''सरकारी भवनों के जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन संबंधी रख–रखाव कार्यो के लिए संबंधित भवन प्रमंडल/अवर प्रमंडलवार पाक्षिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक अवधि के लिए आकलन कर कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन तैयार करेंगें। तदनुसार इसकी निविदा कर कार्य आवंटित होने के पश्चात् दैनिक कार्यो का निष्पादन आवश्कतानुसार प्रत्येक प्रशाखा में लॉग बुक संधारित कर शिकायतों का निराकरण करायेंगे तथा कराये गये कार्यो के आधार पर विपत्र का भुगतान पाक्षिक/साप्ताहिक/मासिक रूप से करेंगें जिससे कि संबंधित एजेंसी को भी कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हो।''

विश्वासभाजन

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3168 (भ) पटना, दिनांक–14.03.2014

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 13.02.2014 की बैठक की कार्यवाही के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

पत्रांक–18/भवन/मु०अ०(नि०) यो०–72/12/ 12702(भ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

/पटना, दिनांक–12.09.2013

विषयः बिजली से संबंधित कार्यों के अनुरक्षण एवं मरम्मति से संबंधित प्राथमिकता सूची के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

विगत कई वर्षो में ऐसा देखा गया है कि सरकारी भवन से संबंधित सिविल मरम्मति एवं रख–रखाव का प्रतिवर्ष निर्धारण जिला एवं राज्य स्तर पर गठित प्राथमिकता निर्धारण समिति के द्वारा किया जाता है। लेकिन बिजली से संबंधित कार्यो के अनुरक्षण एवं मरम्मति से संबंधित प्राथमिकता सूची का निर्धारण अभी तक किसी भी स्तर के लिए नहीं किया जाता है इससे संबंधित कार्यो का सुचारु ढंग से अनुरक्षण, मरम्मति आदि नहीं हो पाता है एवं कार्यो को पूर्ण करने एवं सुसंगठित रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1982 के पूर्व निर्मित सरकारी भवनों में विद्युत् का कार्य ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है एवं 1982 के बाद निर्मित भवनों में विद्युत मरम्मति/अनुरक्षण का कार्य विद्युत् प्राक्कलन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा जिन भवनों में विद्युत् का कार्य कराया जा रहा हो या कराया जाना हो तो उन विद्युत् कार्यो में अनुरक्षण एवं मरम्मति के संबंध में एक नीति तैयार की जाए।

(2) सम्यक् विचारोपरांत भवन निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में पड़नेवाले विद्युत् कार्यो के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी क्षेत्र पटना से संबंधित सभी प्रकार के विद्युतीकरण के कार्य (पटना उच्च न्यायालय के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों को छोड़कर) को कराने हेतु अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित प्राथमिकता निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में मुख्य अभियंता (निरूपण), संयुक्त सचिव/अपर सचिव, अधीक्षण अभियंता (निरूपण) एवं निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग सदस्य होंगे।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के अनुरक्षण, मरम्मति के कार्य के लिए सिविल कार्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/समिति के द्वारा ही प्राथमिकता सूची का निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त प्राथमिकता सूची के आलोक में इस मद में कर्णांकित राशि के अनुरूप संबंधित विद्युत् प्रमंडल के द्वारा कार्य कराया जायेगा।

(4) पटना राजधानी क्षेत्र अवस्थित भवनों को छोड़कर अन्य जिलों में बिजली से संबंधित अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधी कार्यो का निर्वहन सिविल कार्यो के लिए (न्यायिक भवनों के मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश) गैर न्यायिक भवनों के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राथमिकता निर्धारण समिति के द्वारा ही किया जायेगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुरक्षण, मरम्मति कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–27(भ) दिनांक 27.05.2013 द्वारा आवंटन दिया गया है उसी से सिविल, स्वच्छताधिष्ठापन एवं जलापूर्ति तथा विद्युत संबंधी अनुरक्षण, मरम्मति का कार्य कराया जायेगा।

(6) इस राशि का व्यय संबंधित प्राथमिकता निर्धारण समिति/प्राधिकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही (निधि उपलब्धता के अनुसार) निविदा कार्य कराये जायेगे।

(7) विद्युत कार्यपालक अभियंता अनुमोदित प्राथमिकता सूची के आलोक में स्थल निरीक्षण कर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप कार्य निविदा के आधार पर सम्पादित करायें तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन के अन्तर्गत ही कार्य करायेंगे एवं किसी प्रकार के गैर स्वीकृत दायित्व का सृजन नहीं करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०–12702 / पटना, दिनांक–12.09.2013

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह०/–

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०–12702 / पटना, दिनांक–12.09.2013

प्रतिलिपि:–सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०–12702 / पटना, दिनांक–12.09.2013

प्रतिलिपि:–सचिव, विधि विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग, निबंधक (प्रशासन), माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश सं॰–डी॰एम॰सी॰–1एम॰–45/13 80 दिनांक–24.03.2014

कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं॰–198 दिनांक–01.10.2013 एवं आदेश सं॰–266, दिनांक–07.10.2013 को संशोधित करते हुए सिंचाई भवन परिसर में अवस्थित अधिवेशन भवन एवं हार्डिंग रोड पर अवस्थित मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम का परिचालन विभागीय मार्ग दर्शिका के आधार पर निम्नवत् करने का आदेश दिया जाता है:–

1. अधिवेशन भवन एवं मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम का रख रखाव बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा।
2. अधिवेशन भवन एवं मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम के एच॰भी॰ए॰सी॰, ऑडियो/विडियो सिस्टम एवं विद्युतीकरण से संबंधित सभी कार्य प्राक्कलन प्रमंडल सं॰–1, पटना का होगा।
3. अधिवेशन भवन एवं मौलाना मजहरूलहक ऑडिटोरियम में उद्यान विकसित करने एवं इसके नियमित रखरखाव की व्यवस्था भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल द्वारा किया जायगा।
4. अधिवेशन भवन, मोलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम का आवंटन सरकारी प्रयोजनार्थ कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के द्वारा किया जायेगा।
5. अधिवेशन भवन, मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम के सम्पूर्ण/आंशिक उपयोग के लिए अधिकतम शुल्क छः घंटा के लिये निम्नवत् किया जायेगा:–

क्रमांक	आरक्षण शुल्क (छः घंटे के लिए)	आरक्षण शुल्क	सेवा शुल्क	विलासिता कर	कुल राशि	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
			1. अधिवेशन भवन				
i.	अधिवेशन भवन (सम्पूर्ण)	60,000.00	7,416.00	6000.00	73,416.00	10,000.00	सेवा कर एवं विलासिता कर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
ii.	मुख्य सभागार (V.I.P.) कक्ष के साथ)	30,000.00	3,708.00	3,000.00	36,708.00	10,000.00	”
iii.	गंगा सभाकक्ष	15,000.00	1,853.00	1,500.00	18,354.00	5,000.00	”
iv.	गंडक सभाकक्ष	15,000.00	1,854.00	1,50.00	18,354.00	5,000.00	”
v.	कोशी सभाकक्ष	15,000.00	1,854.00	1,500.00	18,354.00	5,000.00	”
vi.	बहुउद्धेशीय हॉल	10,000.00	1,236.00	1,000.00	12,336.00	5,000.00	”
			2. मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम				
i.	मुख्य सभागार	30,000.00	3,708.00	3,000.00	36,708.00	10,000.00	”
ii.	मुख्य सभागार (जबतक फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है)	24,000.00	2967.00	2,400.00	29,367.00	10,000.00	”

6. अधिवेशन भवन एवं मौलान मजहरूल हक ऑडिटोरियम परिसर में खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी।
7. सभी भवनों के वर्त्तमान किराये में वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि शुल्क के रूप में निगम द्वारा किया जायेगा।
8. आरक्षण शुल्क का अग्रिम भुगतान निगम को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेग, जो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के नाम से देय होगा।
9. आवंटी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि संबंधित भवनों में परीक्षा संबंधी किसी प्रकार का कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अमर्यादित कार्य आदि नहीं किया जायेगा।
10. भवनों के प्रयोग में टूट-फूट होने पर उसकी भरपाई संबंधित आवंटी से लिया जायेगा।
11. अधिवेशन भवन एवं मौलाना मजहरूलहक ऑडिटोरियम में केवल सरकार/सरकार के उपक्रम/सरकारी संस्थान/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल/सामाजिक संगठन/संस्था का कार्क्रमम ही कराया जायेगा, जिसकी स्वीकृति अनिवार्य होगी।
12. भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
13. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3453(भ०) पटना/ दिनांक:-24.03.2014

प्रतिलिपि:-उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल सं०-1 पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3453(भ०) पटना/ दिनांक:-24.03.2014

प्रतिलिपि:-भवन निर्माण विभाग बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3453(भ०) पटना/ दिनांक:-24.03.2014

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3453(भ०) पटना/ दिनांक:-24.03.2014

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 3453(भ०) पटना/ दिनांकः-24.03.2014

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

----------x----------

अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन परिसर, पटना एवं मौलाना मजहरूल हक सभागार, पटना में दृढ़ता से पालन करने योग्य बिन्दुः-

1. कृपया आन्तरिक एवं वाह्य परिसर को स्वच्छ बनाये रखे।
2. कृपया कैंटिन का प्रयोग केवल पानी अथवा नास्ता आदि के लिए ही मात्र करें।
3. कृपया कुड़ेदान का प्रयोग अवश्य करें।
4. कृपया बैठक एवं सभा के दौरान शांति बनाए रखें।
5. कृपया गाड़ी निर्धारित स्थान पर पार्क करें।
6. परिसर एवं भवन को सुन्दर बनाए रखने में कृपया सहयोग करें।

नहीं करने योग्य बातेंः-

1. कृपया परिसर में कचरा को न फेकें।
2. कृपया खाने पीने की सामग्री का उपयोग अन्यत्र न करें। मात्र कैंटिन में ही करें।
3. सजावट के दौरान पैनलिंग आदि लगाने में दिवाल पर किल आदि का प्रयोग न कर हटाये जाने वाले टेप्स का प्रयोग करें ताकि दिवाल की खूबसूरती खराब न हो।
4. कैम्पस में खाना बनाना पूर्णरूपेण निषेध है। उप महाप्रबंधक की अनुमति के पश्चात् मात्र रसाई घर में इसका प्रावधान किया जा सकता है।
5. कृपया पोस्टर आदि दीवार पर न लगायें।
6. कृपया कील (कांटी) का प्रयोग दीवार आदि पर नहीं करें।
7. कृपया परिसर में धूम्रपान, तम्बाकु, शराब का सेवन नहीं करें।

आदेशानुसार
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

●●●

पत्रांक- भवन/स्था॰ले॰वि॰-10/2006(अंश) 2856 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

चंचल कुमार

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 10.3.14

विषयः निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन, भौतिक निरीक्षक एवं सत्यापन हेतु भवन अंचलों/प्रमंडलों में भाड़े पर वाहन की व्यवस्था करने के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञाप संख्या-7453 (भ) दिनांक-07.09.09 द्वारा संसूचित निर्णय का कृपया प्रसंग करे। राज्य योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना संहित राज्य सरकार के अधिकांश विभागों से संबंधित भवनों का निर्माण एवं मरम्मति कार्य का दायित्व भवन निर्माण विभाग को सौपे जाने के कारण विगत वर्षो में राज्य योजना के आकार में काफी वृद्धि होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य दायित्वों में भी काफी वृद्धि हुई है।

2. राज्य के विभिन्न जिलों के कतिपय प्रखंडों एवं दूर-दराज क्षेत्रों में कराये जा रहे निर्माण कार्यो का निर्धारित विशिष्टयों एवं गुणवत्ता आधारित कार्यान्वयन के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्यो का भौतिक निरीक्षण आवश्यक है। कई अचंलों/प्रमंडलों में सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन में उत्पन्न बाधा एवं कुप्रभाव के परिपेक्ष्य में विकल्प के रूप में किराया के वाहन रखे जाने की अनिवार्यता हो गई है।

3. अतः निर्माण कार्यो के गुणवत्तापूर्ण सफल संचालन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के अधीन किराये पर रखे हुए वाहन के व्यय का वहन संबंधित अंचलों/प्रमंडलों में चल रहे निर्माण कार्यो के लिए प्राप्त राशि के आकस्मिकता मद से निम्न शर्तो के अधीन किया जा सकेगा।

(i) किराये का वाहन उन्हीं पदाधिकारियों को अनुमान्य होगा जो वाहन रखने के लिए सरकारी तौर पर प्राधिकृत हैं, और उन्हें सरकारी वाहन आवंटित नहीं है।

(ii) जिनके पास पूर्व से वाहन आवंटित है और यदि वह परिचालन में नहीं है अथवा रद्दी हो चुकी है।

(iii) वाहन का अधिकतम किराया अधीक्षण अभियंता के लिए ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) एवं कार्यपालक अभियंता के लिए ₹ 25,000/- (पचीस हजार) रु॰ अनुमान्य मान्य होगा। जिसमें ईधन एवं चालक के पारिश्रमिक का व्यय भी समाहित होगा।

(iv) विधिवत किराया का वाहन रखने हेतु आदेश देने के लिए संबंधित मुख्य अभियंता सक्षम होंगे।

इस संदर्भ पूर्व से निर्गत सभी पत्र/ज्ञाप इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह॰/-

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-2856 (भ) पटना, दिनांक- 10.3.14

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रभारी बजट शाखा, भवन निर्माण विभाग/आई॰टी॰ मैनेजर, भवन निर्माण विभाग (विभागीय वेवसाइट पर लोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

सरकार के सचिव

●●●

ज्ञाप संख्या-एम 4-05198—2561वि॰ (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग। सभी विभागाध्यक्षाक्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची

सभी प्रमंडलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। उपायुक्त।

पटना, दिनांक- 17 अप्रील 1998

विषय वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा आगामी वर्षो के लिये निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुदेश।

निदेशानुसार वित्त विभागके के ज्ञापांक एम4-10197—2254।वि(2) दिनांक 9 अप्रील 1997 के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 से राज्य कोषागारो से निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण के सम्बन्ध में एक स्थायी ** निर्गत किया जाय जो आगामी वित्तीय वर्षो में भी तबतक लागू रहेगा जबतक उसे संशोधित नहीं किया जाता है। तद्नुसार विषय-वस्तु की सम्यक् एवं सम्पूर्ण समीक्षोपरांत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा उसके बाद के वित्तीय वर्षो के लिये निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

2. बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 473 के अनुसार सभी विभागोंयित्री पदाधिकारियों को अपने कार्यान्वय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए बजट में प्रावधाति रीति का आवंटन उप आवंटन करने तथा नियमों के तहत उसे खर्च करने का अधिकार प्राप्त है; परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट में प्रावधानित राशि का खर्च सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में समान रूप से हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाये कि वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों ही में असमानुपातिक तौर से अत्याधिक राशि का खर्च हो जाये और शेष महीनों के लिए अत्यन्त अल्प या कोई भी राशि खर्च हेतु उपलब्ध नहीं रहे, यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण वर्ष में समानुपातिक तौर से राशि का खर्च किया जाय यह तभी सम्भव है जब कि विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा योजना एवं गैर योजना दोनो मदों में, बजट अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से प्रत्येक माह मात्र लगभग आठ प्रतिशत राशि ही खर्च की जाय; परन्तु कतिपय अवस्थाओ में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं होता है और आवश्यकतावश कई मामलों में माहवारी प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता किसी माह विशेष में पड़ जाती है। उदाहरणर्थ दूरभाष तथा बिजली विपत्रों के भुगतान, कार्यान्वय व्यय या किसी महंगी सामग्री के क्रय हेतु किसी माह विशेष में आठ प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार योजना मद से होने वाले खर्चो में निर्माण सामग्रियों यथा बिटुमेन, सीमेन्ट, लोहा, पाईप, मशीनरी इत्यादि की खरीदगी के लिये अथवा संवेदकों के भुगतान के लिय महावारी प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता हो जाती है अत: निर्णय यह लिया गया है कि माहवारी प्रतिशत का बन्धेज न रखकर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 1998-99 तथा अगामी वर्षो के लिये चार-चार माह की ग्रुपिंग कर दी जाय और प्रत्येक चार माह की अवधि के लिये खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत निर्धारित कर लिया जाय और इस प्रकार से निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत सम्बन्धित चार माह की अवधि में प्रत्येक विभाग, नियन्त्री पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को खर्च करने की छूट रहे। तदनुसार सभी प्रशासी विभागों नियंत्री पदाधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 1998-89 तथा आगामी वित्तीय वर्षो में, जबतक कि अन्यथा कोई अनुदेश न हो योजना तथा गैर योजना मद अन्तर्गत अपने विभाग से सम्बन्धित सभी शीर्षो में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्योन्वय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्यक्त पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्न प्रकार से राशि आवंटित करने की कार्यवाई करें:-

(क) 1ली अप्रैल से 31 जुलई तक		बजट में प्रावधानित कुल राशि का 33 (तैतीस) प्रतिशत
(ख) 1ली अगस्त से 30 नवम्बर तक	...	बजट में प्रावधानित कुल राशि का अतिरिक्त 32 (बत्तीस) प्रतिशत, अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65 (पैंसठ) प्रतिशत तक।
(ग) 1ली दिसम्बर से 31 मार्च तक	...	बजट में प्रावधानित कुल राशि का अवशेष 35 (पैंतीस) प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के शतप्रतिशत तक।

3. यहां यह कहता आवश्यक है कि योजना एवं गैर योजना मदी अन्तर्गत संबंधित योजनाओं की स्वीकृति सक्षम स्तर पर प्राप्त कर लेने तथा उनसे संबंधित स्वीकृत्यादेशों को निर्गतवर देने के वाद ही, विहित प्रक्रिया को अपनावे हुए, सम्बन्धित में निहित राशि को उनसे सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को, उनके पदनाम से संबंधित योजनाओ में खर्च करने के लिये सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यथा कंडिका (2) में निर्धारित चौमाही प्रतिशत के अनुसार, खर्च हेतु आवंटित किया जा सकेगा।

4. उपर्युक्त प्रकार से प्रत्येक चार माह की अवधि के लिये आवंटित राशि को सम्बन्धित चौमाही में आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय एक मुश्त निकासी कर खर्च किया जा सकेगा अथवा उसे सम्बन्धित चौमाही में, यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा खर्च किया जा सकेगा। मात्र प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित चौमाही के लिये जितनी राशि आवंटित है या संचयात्मक रूप से उस चौमाही तक जितनी राशि खर्च के लिये उपलब्ध हो जाती है, उससे अधिक राशि का खर्च, किसी भी परिस्थिति में, बिना वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये हुये, नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था अन्तर्गत यदि किसी चौमाही में उस चौमाही के लिये आवंटित की गई राशि खर्च नहीं हो पाती है तो अन्य खर्च की गई राशि व्ययगत नहीं होगी, अपितु वह अगले चौमाही में संचयात्मक रूप से खर्च हेतु उपलब्ध रहेगी। वित्तीय वर्ष के अन्त होने पर न खर्च की गई राशि उस वित्तीय वर्ष के लिये व्ययगत समझी जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक की चौमाही के लिये आवंटित 33 प्रतिशत राशि उक्त चौमाही में पूर्णतया खर्च नहीं हो पाती है तो अवशेष राशि अगली चौमाही अर्थात् 1 ली अगस्त से 30 नवम्बर तक की चौमाही में खर्च करने के लिये उपलब्ध रहेगी अर्थात् 30 नवम्बर तक, संचयात्मक रूप से बजट प्रावधान के 65 प्रतिशत तक राशि खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार, 31 मार्च तक शतप्रतिशत राशि का खर्च किया जा सकेगा; परन्तु वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अन्य खर्च की गई राशि व्ययगत हो जायेगी।

5. कतिपय परिस्थितियों में, किसी कार्य विशेष हेतु, सम्बन्धित चौमाही में निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे मामलो में सम्बन्धित चौमाही में निर्धारित प्रतिशत से अधिक, परन्तु बजट प्रावधान के अन्तर्गत, राशि खर्च करने के लिये, विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुय, वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त किया जा सकेगा।

6. निम्नलिखित मामलों में निर्गत राज्यादेशों स्वीकृत्यादेशों के आधार पर, बिना किसी प्रतिशत बंधेज के, सम्पूर्ण राशि की निकासी, नियमानुसार, एक मुस्त की जा सकेगी। ऐसे मामलों के लिए, अलग से, आवंटन आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जहां-कहीं महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, वहां प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद ही राशि की निकासी, नियमानुसार, की जा सकेगी:-

(क) ऐसे मामले जिनके संबंध में महालेखाकार, बिहार, का प्राधिकार-पत्र प्राप्त हो:-

(ख) जमीन्दारी क्षति-पूर्त्ति बाण्ड के भुगतान से सम्बन्धित सभी मामले।

(ग) सिलिंग ऐक्ट 16(3) के तहत "8443-सिविल डिपोजिट-101" राजस्व जमा में करायी गयी राशि की वापसी से संबंधित सभी मामले।

(घ) स्टाम्प खरीदगी के समय जमा कराई गई राशि की वापसी से संबंधित सभी मामले।

(च) ऐसे मामले जहां राशि की वापसी के लिए सक्षम न्यायालय प्राधिकार द्वारा आदेश दिया गया हो।

(छ) सम्वेदकों के अर्नेस्ट मनी सिक्युरिटी मनी की वापसी से संबंधित सभी मामले।

(ज) स्थानीय निकायों द्वारा पी॰ एल॰ खाता में जमा करायी गयी राशि में से संबंधित नगर निगम। नगरपालिका के कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राशि की निकासी, आवश्यकतानुसार, की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित ''चेक'' पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निकासी की जाने वाली राशि वेतनादि के भुगतान से संबंधित है और उसका उपयोग तुरंत कर लिया जायेगा तथा राशि निकासी कर, उसे बैंक एकाउन्ट में जमा नहीं किया जायेगा। नगर निगम। नगरपालिकाओं को अन्य मदों में तत्काल व्यय हेतु जमा करायी गयी राशि में से, आवश्यकतानुसार, प्रति चार माह में यथा कंडिका (2) में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार राशि की निकासी की जा सकेगी।

(झ) सरकारी कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी तथा अंतिम निकासी से संबंधित सभी मामले।

(ट) गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कारमोटर सायकिल। सायकिल अग्रिम, त्योहार अग्रिम। स्वास्थ्य चिकित्सा अग्रिम। प्रतिपूर्त्ति से संबंधित सभी मामले।

(ठ) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बीमित कर्मी के चिकित्सा हेतु स्वीकृत की जाने वाली सम्पूर्ण राशि (जो अग्रिम या प्रतिपूर्त्ति के रूप में हो सकती है)। इसके लिये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटन आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा तथा संबंधित विपत्र में आवंटित राशि को यथा स्थान उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(ड) सेवा-निवृतोपरान्त सरकारी सेवकों के पावनों से संबंधित सभी मामले, जैसे, पेंशन उपदान, उपार्जित छुट्टी के बदले नगर भुगतान, ग्रुप बीमा योजना अन्तर्गत भुगतान एवं अनुग्रह अनुदान।

(ढ) जयघोष तथा न्यायालीय आदेशों से संबंधित सभी मामले।

(ण) सिविल जमा। पी०एल० एकाउण्ट में जमा ऐसी राशियां जिसके निकासी के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किया गया हो।

7. वर्तमान में, बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 476 के प्रावधानों के तहत वेतनादि पर होने वाले व्यय के लिए आवंटन आदेश की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है और न हीं वेतन विपत्रों पर आवंटित राशि को अंकित करने का कोई स्थान ही निर्धारित है जिसके कारण वेतनादि पर होने वाले खर्च पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है। अत: सरकार ने वर्तमान व्यवस्था पर भली-भांति विचार कर वितीय वर्ष 1997-98 में माह जुलाई, 1997 से वेतन विपत्रों की निकासी, आवंटन-आदेश के आधार पर किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2254 वि० (2), दिनांक 9 मई, 1997 द्वारा संसूचित किया था; परन्तु विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा इर्न व्यवस्था को लागू करने में अनेक कठिनाईयों का उल्लेख किये जाने पर, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उक्त आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया और आवंटन आदेश पर जोर दिये बिना वेतन विपत्रों को पारित करने का आदेश निर्गत किया जाता रहा। कालान्तर में, वित्त विभाग के पत्र संख्या 219। वि० (2) दिनांक 13 जनवरी 1998, (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-1), के जरिये यह निदेश निर्गत किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मार्च माह के वेतन की निकासी, जो अप्रील माह में होती है तथा अप्रील माह के वेतनादि कीनिकासी जो अप्रील या मई माह के प्रथम सप्ताह में होती है, से संबंधित वेतन विपत्रों को बिना आवंटन आदेश के पारित किया जा सकेगा; परन्तु शेष महीनों को वेतन विपत्र पारित करने के पहले वेतनादि के भुगतान के लिये भी आवंटन आदेश का जारी किया जाना आवश्यक होगा। उक्त परिपत्र के आलोक में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह मई से फरवरी माह तक के वेतनादि की निकासी आवंटन आदेश के आधार पर होगी। मात्र मार्च एवं अप्रील माह के वेतनादि की निकासी हेतु आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

8. राज्य सरकार के सभी विभागों/नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान तथा अन्य व्ययों के लिए प्रत्येक वर्ष निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वार राशि की गणना की जाती है जिसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा वस्तु-परख बजट बनायाजाता है। अत: यह अनुमान किया जा सकता है कि सरकार के सभी विभागों। नियंत्री पदाधिकारियों को उनके मुख्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिये, कार्यालयवार, स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सुनिश्चित जानकारी है और उसके आधार पर ही उनके द्वारा बजट बनाते समय वेतनादि की वास्तविक गणना की गई है और तदनुसार ही बजट में समुचित राशि का उपबन्ध भी कराया गया है। इसक जानकारी के आधार पर प्रत्येक विभाग। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा माह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वेतनादि भुगतान के लिये, कार्यालयवार, राशि आवंटित उप आवंटित कर दी जायेगी जिसके अन्तर्गत वेतन से संबंधित सभी विपत्र, बिना किसी प्रतिशत बंधेज के, सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बनाये जायेंगे और उन्हें पारित कराया जा सकेगा। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि राशि का आवंटन। उप आवंटन बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही किया जाय और यदि बजट मात्र लेखानुदान के रूप में पारित हुआ हो तो आवंटित की जाने वाली राशि मात्र लेखा अनुदान की अवधि के लिये होगी और जब सम्पूर्ण बजट पारित हो जायेगा तो शेष अवधि के लिये राशि आवंटित की जा सकेगी। यदि किसी विभाग। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा रह पाया जायेगा कि बजट में प्रावधानित राशि उस विभाग। नियंत्री पदाधिकारी के अधीनस्त सभी कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय के लिये काफी नहीं है तो संबंधित विभाग। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा, कारणों को दिखाते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की मांग, यथा समय रहते हुये, की जायेगी जिसका उपबंध वित्त विभाग द्वारा, मामले की समीक्षोपरान्त, बिहार आकस्मिकता निधि अथवा अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा।

9. उपर्युक्त प्रकार से जो राशि स्थापना व्यय हेतु प्रत्येक कार्यालय को आवंटित की जायेगी, उसके अन्तर्गत प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के सभी कर्मियों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में वेतनादि का भुगतान किया

जायेगा। माह मार्च तथा अप्रील के लिये, बिना, आवंटन आदेश की अनिवार्यतता के, वेतनादि की निकासी की जा सकेगी; परन्तु माह माई के लिए जो वेतन-विपत्र बनाया जायेगा, उसके संबंधिति कार्यालय के लिए लेखानुदान की अवधि अथवा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जैसा कि केस हो, जो कुल राशि आवंटित हुई है, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा और तत्पश्चात् उसमें से माह मार्च एवं अप्रील के दौरान जो राशि वास्तविक रूप से स्थापना मद में खर्च की जा चुकी है, उसे घटाकर दिखाया जायेगा। इस प्रकार जो राशि बचेगी, उसमें से माह मई के विपत्र में जो राशि शामिल होगी, उसे घटाकर दिखाया जायेगा। इस प्रकार जो राशि बचेगी, उसमें से माह मई के विपत्र में जो राशि शामिल होगी, उसे घटाकर दिखाया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि मई माह के स्थापना-विपत्र के भुगतान के बाद क्या अवशेष राशि बचती है। इस प्रकार जो अवशेष बचेगा, उसको अगले महीनों में स्थापना व्यय के भुगतान हेतु उपयोग में लाया जायेगा। प्रत्येक माह स्थापना विपत्र उपस्थापित करते समय सम्बन्धित कार्यालय के लिए स्थापना मद में पहिले से बची हुयी राशि तथा उसमें से संबंधित माह के लिए विपत्र में शामिल राशि का उल्लेख किया जायेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण वर्ष में आवंटित राशि के अन्तर्गत ही स्थापना खर्च हेतु राशि की निकासी की जा सकेगी।

10. उपर्युक्त प्रक्रिया अन्तर्गत, प्रत्येक कायालय के स्थापना मद पर होने वाले खर्च पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को लगातार निगाह रखना होगा। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को ऐसा लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय के लिये स्थापना-व्यय अन्तर्गत आवंटित की गयी राशि पर्याप्त नहीं होगी तो सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना, कारणों को दिखाते हुये, तुरत अपने नियंत्री पदाधिकारी। विभाग को दी जायेगी और अतिरिक्त राशि की मांग की जायेगी, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्मी के वेतनादि का भुगतान बाधित नहीं होने पाये। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इस प्रकार का अनुरोध-पत्र प्राप्त होते ही सम्बन्धत नियंत्री पदाधिकारी।विभाग द्वारा इसकी समुचित जांच की जायेगी और, तत्पश्चात्, यदि आवंटित। उप आवंटित की जाने वाली राशि विभागीय बतट में उपलब्ध है तो प्रशासी विभाग द्वारा सम्बन्धित राशि का अतिरिक्त आवंटन सम्बनधित कार्यालय को अविलम्ब कर दिया जायेगा, परन्तु यदि सम्बन्धित विभाग। नियंत्री पदाधिकारी के पास अतिरिक्त आवंटन हेतु राशि उपलब्ध नहीं है तो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को दर्शाते हुये एवं उसके औचित्य को स्पष्ट करते हुये, सम्बन्धित विभागानियंत्री पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग तुरन्त वित्त विभाग से की जायेगी।

11. सम्प्रति जिन वेतन विपत्रों पर वेतनादि की निकासी की जा रही है, उनमें स्थापना-ब्यय के लिए प्राप्त आवंटन एवं सम्बन्धित विपत्र से निकासी की जाने वाली राशि को अलग-अलग उल्लिखित करने का प्रावधान नहीं है और न ही इसके लिये वेतनादि-विपत्र में कोई स्तम्भ ही निर्धारित है। ऐसा इसलिये है कि क्योंकि अभी तक वेतनादि का नियंत्रण आवंटन के माध्यम से नहीं होता रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार, माह मई एवं उसके बाद के महीनों के लियेवेतनादि से सम्बन्धित जो विपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें आवंटित राशि तथा माहवार खर्च का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अत: स्थापना सम्बन्धी सभी विपत्रों पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हतस्ताक्षर के ठीक ऊपर, सम्बन्धित स्थापना-विपत्र के दाहिने हिस्से में, स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सूचना अंकित की जायेगी, जिसका सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा:-

(क) सम्बन्धित कार्यालय के लिये स्थापना मद में लेखानुदान की अवधि। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित राशि।

(ख) इस विपत्र के पूर्व तक निकासी की गयी राशि।

(ग) वर्त्तमान विपत्र में निकासी हेतु प्रस्तावित राशि।

(घ) अवशेष राशि।

12. राज्य सरकार के सभी विभागों से अनुरोध है कि जहां कहीं योजना। गैर-योजना स्कीमों का अवधि विस्तार नहीं हुआ है, वहां ऐसे स्कीमों की अवधि विस्तार, निश्चित रूप से, माह सितम्बर तक करा लिया जाय और उनसे संबंधित राज्यादेशों को निर्गत कर दिया जाय क्योंकि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम 4+29196-53221 वि॰ (2), दिनांक 24 सितम्बर 1996, में निहित अनुदेशों के अनुसार संबंधित स्कीमों के अवधि विस्तार न होने की स्थिति में, उनमें कार्यरत कर्मियों के वेतनादि की निकासी वित्तीय वर्ष के प्रथम छ: महीनों की अवधि के बाद नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई योजनाओं में कार्यरत कर्मियों के लिये इस परिपत्र की कंडिका-(8) (9) (10) एवं (11) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार, स्थापना-ब्यय हेतु मात्र प्रथम छ: माह की अवधि के लिए वेतनादि के भुगतान हेतु राशि का आवंटन किया जा सकेगा; उसके बाद नहीं, पर यदि सम्बन्धित अस्थाई स्कीम का अवधि विस्तार हो जाता है तो उसमें कार्यरत कर्मियों के लिये सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन दिया जा सकेगा।

13. उपर्युक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि सभी अस्थायी योजनाओं का अवधि-विस्तार जिन्हें आगे भी बनाये रखना आवश्यक है, माह सितम्बर तक, निश्चित रूप से, करा लिया जाय। साथ ही, यह समीक्षा भी की जाय कि वैसी योजनाएं, जिन्हें अब चालू रखना आवश्यक नहीं है यो जो अनुपयोगी हो गयी है, उन्हें समाप्त कर दिया जाय तथा उसमें कार्यरत कर्मियों को अन्यत्र सामंजन करने की कार्रवाई की जाय। इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में, लम्बे अरसे से चली आ रही जिन परियोजनाओं। पदों को स्थायी करने की आवश्यकता हो, उन्हें स्थाई करने की कार्रवाई की जाय और जहाँ-कहीं इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता हो, वैसे सभी मामलों में वित्त विभाग की सहमति अविलम्ब प्राप्त कर ली जा।

14. राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रतिष्ठानों, निकायों, अर्धसार्वभौम संस्थाओं इत्यादि को अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है। अभी तक का यह अनुभव रहा है कि ऐसी संस्थाओं। निकायों इत्यादि को अनुदान की राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रासंगिक प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासी विभागों से प्राय: वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होते रहे हैं, जिसके कारण न केवल अनुदान की राशि स्वीकृत करने में विलम्ब होता रहा है, अपितु राशि के अभाव में ऐसी संस्थाओं का कार्य भी बाधित हुआ है और उनमें कार्यरत कर्मियों इत्यादि को वेतनादि प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अत: सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि विश्व-विद्यालयों। स्थानीय निकायों। अल्प संख्यक विद्यालयों आदि के सम्बन्ध में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है, यथा आवश्यक अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग को, निश्चित रूप से माह जून तक अवश्य भेज दिया जाय। प्रस्ताव भेजते समय सम्बन्धित संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, अंकेक्षण की स्थिति तथा अन्य सुसंगत बातों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

15. वित्त विभाग के बेतार संवाद संख्या-140।एफ॰ सी॰, दिनांक 4 अप्रील, 1990, के द्वारा रुपया 10,000। (दस हजार रुपया) से अधिक राशि की अग्रिम की निकासी वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा यह बात उठाई गई है कि कतिपय सामानों के क्रय हेतु, उसका मूल्य अग्रिम के रूप में बिक्रेता को देना पड़ता है, जैसे, स्टाफकार की खरीदगी, अस्पतालों के लिये मंहगे उपकरणों की खरीदगी, या निर्माण विभागों में निर्माण सामग्रियों का क्रय, जैसे, विटुमेन, पाईप, मशीनरी इत्यादि, जिसके लिये दस हजार रुपयों से अधिक राशि की निकासी अग्रिम के रूप में करनी पड़ती है। वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के प्रत्येक अग्रिम निकासी के मामले में अभी वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करना होता है, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: इस मामले की समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल वित्त विभाग के बेतार संवाद संख्या-140। एफ॰ सी॰, दिनांक 4 अप्रील, 1990, को वापस ले लिया जाय तथा क्रय से सम्बन्धित किसी मामला-विशेष में अग्रिम राशि की निकासी की जाय अथवा नहीं, इसकी जिम्मेवारी विभागीय आयुक्त एवं सचिव। सचिव पर सौंदी जाय जो विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर इस सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेंगे और, आवश्यकतानुसार, राशि की अग्रिम निकासी के सम्बन्ध में आदेश पारित कर सकेंगे, जिसकी मान्यता कोषागारों द्वारा दी जायेगी। तदनुसार, वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से अग्रिम निकासी से सम्बन्धित सभी मामले इस नई व्यवस्था से आच्छादित होंगे। एहतियात के तौर पर यह दोहराना उचित होगा कि सामान्यतया अग्रिम के रूप में राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। प्रयास यह होना चाहिये कि विक्रेता से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने के बाद ही, उसका भुगतान किया जाय। फिर भी, यदि अत्यन्त आवश्यकता हो तो बिहार पब्लिक वर्कस एजकाउण्डस कोड, बिहार वित्तीय नियमावली तथा बिहार कोषागार संहिता में निहित नियमों का अनुपालन करते हुये ही अग्रिम राशि की निकासी की जा सकेगी। किसी भी हालत में, निकासी की गई राशि को बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उकसा खर्च अवश्य कर लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, अग्रिम राशि की निकासी तभी की जा सकेगी जब राशि निकासी से एक माह की अवधि के अन्तर्गत उसकी आवश्यकता क्रय की जा रही सामग्रियों के भुगतान के लिये होगी। अनावश्यक रूप से राशि निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। दी जाने वाली अग्रिम राशि के विरूद्ध, आवश्यकतानुसार, बैंक गारेन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी जिससे कि सरकार की राशि सुरक्षित रहे।

16. सम्पूर्ण तथ्यों पर पूर्ण रूपेण विचार कर जिन मामलों में प्रशासी विभाग अग्रिम राशि की निकासी करना चाहेगा, वैसे मामलों में प्रशासी विभाग द्वारा अग्रिम निकासी हेतु स्वीकृत्यादेशाराज्यादेश निर्गत किया जायेगा और उसके आधार पर सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उतनी राशि नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आवंटित कर दी जायेगी। आवंटन आदेश में जितनी राशि की निकासी अग्रिम के रूप में की जानी है उसका उल्लेख स्पष्ट रुप में रहेगा और यह बात भी अंकित रहेगी कि आवंटित राशि बजट प्रावधान के अन्तर्गत है तथा उस प्रतिशत से आच्छादित है, जिस प्रतिशत तक सम्बन्धित अवधि में राशि खर्च करने के लिये विभाग को सक्षमता प्राप्त है। यदि आवंटित राशि निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत नहीं है तो जिस संचिका में क्रय हेतु निर्णय लिया गया है तथा राशि आवंटित की गयी है, उसी संचिका में, निर्धारित प्रतिशत से हटकर, राशि निकासी हेतु वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त किया जा

सकेगा, बशर्ते कि खर्च की जाने वाली राशि कुल बजट प्रावधान विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त किया जासकेगा, बशर्ते कि खर्च की जाने वाली राशि कुल बजट प्रावधान विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि खर्च की जाने वाली राशि कुल बजट प्रावधान के अन्तर्गत हो। एक अग्रिम की राशि के रहते हुये, उसी पार्टी की दूसरी अग्रिम की राशि नहीं दी जा सकेगी।

17. उपर्युक्त कंडिका-15 एवं 16 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अग्रिम राशि की निकासी करते समय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 300 एवं उसकी टिप्पणी में निहित प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखना होगा।

18. यहां पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि बजट उपबंध के अनुसार राशि आवंटित करने, उसे खर्च करने तथा व्यय पर नियंत्रण रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागों, उनके नियंत्री पदाधिकारियों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की है। बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 के प्रावधानों के अनुसार सभी नियंत्री पदाधिकारियों को अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिए बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन, यथा आवश्यकतानुसार, करने का अधिकार प्राप्त है। आवंटित राशि के व्यय पर नियंत्रण हेतु उक्त नियमावली के नियम 475 में विस्तृत निदेश दिये गये हैं, जिनका अनुपालन प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी। निकासी तथा ब्ययल पदाधिकारी को दृढ़तापूर्वक करना आवश्यक है ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक राशि का खर्च नहीं होने पाये। वित्तीय नियंत्रण के लिये वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल, सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का भी ध्यान रखना तथा उनका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना आवश्यक है। इस संबंध में खास तौर से वित्त विभाग के पत्र संख्या- 05/ए॰एफ॰सी॰ (ई॰), दिनांक 30 जनवरी 1996—परिशिष्ट-2), तथा पत्र संख्या एम-4-09/96 (खण्ड-1)-1225, दिनांक 11 मार्च 1996—(परिशिष्ट-3), में निहित प्रावधानों को और सभी विभागीय सचिवों। विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन उनके द्वारा दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाये जिससे कि खर्च पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। उक्त दोनों परिपत्रों में, मुख्य रूप से, विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/ अपर आयुक्त केहस्ताक्षर से आवंटन आदेश उक्त करने सम्बन्धित अनुदेश निहित हैं।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या को॰ले॰वि॰-9197—321 को॰ ले॰, दिनांक 26 फरवरी, 1997 में आवंटन पंजी के संधारण तथा आवंटन आदेशों को मूल रूप से रोशनाई में हस्ताक्षरित करने संबंधी अनुदेश निहित है। (परिशिष्ट-4) वित्त विभाग के पत्र संख्या को॰ले॰नि॰9/97—300/-को॰ले॰, दिनांक 24 फरवरी, 1997 (परिशिष्ट 5), में व्यय नियंत्रण पंजी के संधारण तथा लेखा रिकांसिलयेशन के संबंध में कार्य विभागों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य के सभी अन्य विभागों द्वारा भी अपनाई जायेगी। अतः अनुरोध है कि उक्त पत्रों में दिये गये निदेशों का दृढ़तापूर्ण अनुपालन कराने की कार्यवाई की जाय।

19. सम्प्रति, वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये मात्र चार महीनों का लेखानुदान विधान मंडल द्वारा पारित किया गया है। अतः सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये अनुमानित खर्च की कुल राशि में से सम्प्रति मात्र एक तिहाई राशि ही व्यय के लिये अनुमान्य है। अतः तदनुसार सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा फिलहाल वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम चार महीनों के लिए ही आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा तथा तदनुसार खर्च की राशि प्राधिकृत की जायेगी। बिहार विधान मंडल द्वारा सम्पूर्ण बजट पारित हो जाने के पश्चात् वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के शेष अतिरिक्त 8 (आठ) माह के लिए भी खर्च की राशि अनुमान्य हो जायेगी और तदनुसार एक और आवंटन आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

20. प्रत्येक आवंटन आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि ''संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि॰(2), दिनांक 17 अप्रील, 1996 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। तत्पश्चात ही प्रशासी विभागों द्वारा निर्गत आवंटन आदेशों के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कोषागार/उप-कोषागार से राशि की निकासी की जा सकेगी। राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा उस प्रसंगाधीन प्रशासी विभाग के आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिये संबंधित व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र के साथ संबंधित आवंटन आदेश की प्रतिलिपि भी व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से संलग्न की जायेगी।

21. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित अनुदेश राज्य सरकार के प्रशासी विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिये है। राजभवन, उच्च न्यायालय, विधान मंडल, लोकायुक्त तथा बिहार लोक सेवा आयोग के लिये ये अनुदेश स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे। राज भवन, उच्च न्यायालय, विधान मंडल, लोकायुक्त तथा बिहार लोक सेवा आयोग अपने बजट प्रावधान के अधीन यथा पूर्व की भांति राशि की निकासी, नियमानुसार कर सकेंगे।

22. सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक माह में होने वाले व्यय का अनुश्रवण स्वयं करेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि बजट प्रावधान के अनुरूप ही राशि की निकासी एवं व्यय सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा की जाय। वे इसकी सूचना प्रत्येक माह पर वित्त विभाग को भी देंगे। विभागीय सचिवों का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने विभाग से संबंधित मुख्य शीर्ष उपशीर्ष के अन्तर्गत हुये व्यय का सत्यापन नियमित रूप से महालेखाकार कार्यालय से अवश्य कराते रहे। इस हेतु वे विभागीय स्तर/प्रमंडलीय स्तर पर यथा-आवश्यक समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजन करायेंगे।

23. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध है कि वे अधीन आयोजित होने वाले मासिक/त्रैमासिक बैठकों में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जा रहे व्यय की समीक्षा निश्चित रूप से करने की कृपा करें। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये यहआवश्यक होगा कि विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्गत सभी आवंटन आदेशों की प्रति निश्चित रूप से प्रमंडलीय आयुक्तों को भी भेजी जाय। समीक्षा के दौरान यदि ऐसा कोई मामला आयुक्त की निगाह में आता है जहां बजट उपबंध से हटकर अथवा अधिक खर्च किया गया है तो वे इसकी सूचना तुरत संबंधित विभाग तथा वित्त विभाग को देंगे। संबंधित कोषागारों द्वारा लेखा समर्पण की स्थिति तथा कार्य विभागों के प्रमंडलों एवं वन विभाग के प्रमंडलों द्वारा मासिक लेखा समर्पण की स्थिति की भी समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा की जायेगी।

24. संबंधित सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागार द्वारा संधारित मासिक लेखा समय पर महालेखाकार, बिहार को प्राप्त हो जाय। वे मासिक लेखा की एक प्रति प्रतिमाह निश्चित रूप से वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-
विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-2561/वि०(2) पटना, दिनांक 17 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि-प्रमुख महालेखाकार, बिहार, राँची/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-2561/वि०(2) पटना, दिनांक 17 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान-सभा सचिव, बिहार विधान परिषद/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-2561/वि०(2) पटना, दिनांक 17 अप्रील, 1998।

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

●●●

पत्रांक-डी०डी०-2 विविध-252/2007-6710 (भ०) अनु०

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक - 27.06.2014

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय: ऊर्जा विभाग के कार्य प्रमंडलों तथा अधीनस्थ पदों/पदधारकों का भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप कार्यालयों/प्रमंडलों का पुनर्गठन एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकारी भवनों (आवासीय/गैर-आवासीय) में विद्युतीकरण संबंधी कार्यों को भवन निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराए जाने हेतु ऊर्जा विभाग के कार्य प्रमंडलों तथा अधीनस्थ पदों/नियमित पदधारकों को भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरित/ समायोजित किए जाने के प्रस्ताव में राजय मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.06.2014 की बैठक में मद सं०-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. समायोजन के फलस्वरूप भवन निर्माण विभाग के अधीन पूर्व से कार्यरत विद्युत प्राक्कलन प्रमंडल सं०-1 एवं विद्युत प्राक्कलन प्रमंडल सं०-2 सहित ऊर्जा विभाग के कार्यालयों /कार्य प्रमंडलों को यथा संलग्न परिशिष्ट-'क' के अनुरूप पुनर्गठित करते हुए उनके मुख्यालय कार्यक्षेत्र का निर्धारण तथा पद एवं नियमित पदधारकों को समायोजित किया जाता है जो दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी होगा। विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना (ऊर्जा विभाग) के विभिन्न पदों, जिनका स्थानान्तरण/ समायोजन अन्य पुनर्गठित कार्यालयों में किया गया है, के विरूद्ध कार्यरत पदधारकों के पदस्थापन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. ऊर्जा विभाग के इन समायोजित पदों के स्थापना व्यय में संलग्न विवरणी के अनुसार लगभग रुपये 15,68,74,776 (पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रुपये) का वार्षिक व्यय अनुमानित है, जिसके लिए विभाग के निम्नांकित गैर-योजना बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में यथा आवश्यक प्रावधान किया जा सकेगा। इन पदों का स्थापना व्यय शीर्ष निम्नवत् है:-

(क) माँग सं०-03 मुख्यशीर्ष-2059 लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष -80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0001-निदेशन, विपत्र कोड एन 2059800010001 (मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय हेतु)।

(ख) माँग सं०-03 मुख्यशीर्ष-2059 लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0004-निष्पादन, विपत्र कोड एन 2059800010004 (क्षेत्रीय कार्यालय हेतु)।

4. इन समायोजित एवं पुनर्गठित कार्यालयों, यथा-मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय, पटना के लिए मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावै०) तथा विद्युत अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पटना एवं अन्य विद्युत कार्य प्रमंडलों के लिए संबंधित कार्यालय प्रधान अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. इस राज्यादेश के अंतर्गत पटना अवस्थित कार्यालयों के लिए राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

अनुरोध है कि संबंधित कार्यालयों हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–डी०डी०–2 विविध–252/2007-6710 (भ०) / पटना, दिनांक–27.06.2014

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/ मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–डी०डी०–2 विविध–252/2007-6710 (भ०) / पटना, दिनांक–27.06.2014

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ ऊर्जा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक (अनु०)/ मुख्य वस्तुविद/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०–

सरकार के सचिव

●●●

परिशिष्ट 'क'

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के कार्यालयों / विद्युत कार्य प्रमंडलों (पद एवं नियमित पदधारकों सहित) के समायोजन के फलस्वरूप पुनर्गठित कार्यालयों/विद्युत कार्य प्रमंडल..... तथा उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण

क्रम स०	कार्यालय/विद्युत कार्य प्रमंडल का नाम	समायोजित एवं पूर्व से कार्यरत कार्यालय/विद्युत कार्य प्रमंडलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य विद्युत अभियन्ता का कार्यालय, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	मुख्य विद्युत अभियन्ता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	विद्युत अधीक्षण अभियंता का कार्यालय/सभी विद्युत कार्य प्रमंडलों से संबंधित कार्य।	1. मुख्य विद्युत अभियंता 2. मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रा०) 3. प्रशाखा पदाधिकारी 4. सहायक 5. निजी सहायक 6. निम्नवर्गीय लिपिक 7. समूह 'घ'(फरास, चौकीदार, अनुसेवक)	1 1 1 3 1 1 8	समायोजित सभी पद एवं नियमित पूर्ववत् पुनर्गठित कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
2	विद्युत अधीक्षण अभियंता का कार्यालय ऊर्जा विभाग, पटना	विद्युत अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, पटना	पटना	सभी विद्युत कार्य प्रमंडलों से संबंधित कार्य	1. विद्युत अधीक्षण अभियंता 2. विद्युत अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार 3. प्राक्कलक पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियंता स्तर का पद) 4. प्राक्कलक (कनीय विद्युत अभियंता स्तर का पद) 5. लेखा लिपिक 6. पत्राचार लिपिक 7. समूह 'घ'(फरास, चौकीदार, अनुसेवक)	1 1 1 2 2 4 4	लेखालिपिक का पद विद्युत कार्य प्रमंडल ..... पटना से हस्तान्तरित। अन्य पद यथावत्।

1	2	3	4	5	6	7	8
3	विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना (ऊर्जा विभाग)	विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-1, पटना (भवन निर्माण विभाग)	पटना	दक्षिण बिहार अंचल, पटना एवं भवन अंचल, आरा के अधीनस्थ सभी भवन प्रमंडलों के कार्य।	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता 2. सहायक विद्युत अभियंता 3. कनीय विद्युत अभियंता 4. प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियंता स्तर का पद) 5. लेखा लिपिक 6. पत्राचार लिपिक 7. कोष रक्षक 8. दफ्तरी 9. चौकीदार 10. आदेशपाल 11. मजदूर 12. पर्यवेक्षक 13. एम०बी०ए० 14. सहायक शीत ताप चालक 15. कार्यदर्शक 16. लिफ्टमैन 17. चालक	1 4 19 1 6 7 2 1 3 15 149 2 3 2 2 1 2	लेखालिपिक का 1 पद विद्युत अधीक्षण ..... कार्यालय, पटना तथा 1 पद विद्युत ..... प्रमंडल सं० 1 एवं 2 पद विद्युत प्राक्क..... सं० 2 में हस्तान्तरित। सहायक चालक के 2 पद आदेशपाल का 3 पद मजदूर का 50 पद विद्युत प्राक्क०प्रमं० में हस्तान्तरित। आदेशपाल का 3 पद तथा मजदूर का विद्युत प्राक्क० प्रमं० सं० 2 में हस्त..... अन्य पद यथावत्।
4	विद्युत प्राक्कलन प्रमंडल संख्या-1, पटना (भवन निर्माण विभाग)	विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-2, पटना (भवन निर्माण विभाग)	पटना	पटना भवन अंचल, पटना एवं भवन अंचल, गया के अधीनस्थ सभी भवन प्रमंडलों के कार्य।	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता 2. सहायक विद्युत अभियंता 3. कनीय विद्युत अभियंता 4. प्रमंडलीय लेखापाल/लेखा पदाधिकारी 5. प्रारूपक 6. भंडारपाल 7. आदेशपाल 8. लेखा लिपिक 9. सहायक शीत ताप चालक 10. मजदूर	1 3 7 1 1 1 6 2 2 50	लेखालिपिक के 2 पद, सहायक शीतताप के 2 पद आदेशपाल के 3 पद तथा मजदूर 50 पद विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना से हस्तान्तरित। शेष पद यथावत।

1	2	3	4	5	6	7	8
5	विद्युत प्राक्कलन प्रमंडल संख्या-2, पटना (भवन निर्माण विभाग)	विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा (भवन निर्माण विभाग)	दरभंगा	भवन अंचल, दरभंगा/भवन अंचल, पूर्णियां एवं भवन अंचल, सहरसा के अधीनस्थ सभी भवन प्रमंडलों के कार्य	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता 2. सहायक विद्युत अभियंता 3. कनीय विद्युत अभियंता 4. प्रमंडलीय लेखापाल/लेखा पदाधिकारी 5. प्रारूपक 6. आदेशपाल 7. लेखा लिपिक 8. मजदूर	1 3 6 1 1 6 2 50	लेखालिपिक के 2 पद, आदेशपाल के 3 एवं मजदूर 50 पद विद्युत कार्य प्रमंडल, से हस्तान्तरित। शेष पद यथावत।
6	विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ऊर्जा विभाग)	विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (भवन निर्माण विभाग)	मुजफ्फरपुर	भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/भवन अंचल, छपरा एवं भवन अंचल, मोतिहारी के अधीनस्थ सभी भवन प्रमंडलों के कार्य	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता 2. सहायक विद्युत अभियंता 3. कनीय विद्युत अभियंता 4. प्राक्कलक पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियंता स्तर का पद) 5. लेखा लिपिक 6. पत्राचार लिपिक 7. अनुसेवक 8. चौकीदार 9. मजदूर	1 3 13 1 3 3 7 2 49	
7	विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर (ऊर्जा विभाग)	विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर (भवन निर्माण विभाग)	भागलपुर	भवन अंचल, भागलपुर के अधीनस्थ सभी भवन प्रमंडलों के कार्य	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता 2. सहायक विद्युत अभियंता 3. कनीय विद्युत अभियंता 4. प्राक्कलक पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियंता स्तर का पद) 5. लेखा लिपिक 6. पत्राचार लिपिक 7. कार्य दर्शक 8. अनुसेवक 9. चौकीदार 10. मजदूर	1 2 7 1 3 2 3 3 3 61	

ह०/-
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय का स्थापना व्यय विवरणी

क्रम स०	पदनाम/स्वीकृत पद/ वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	विशेष वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	मकान भाड़ा	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता (चालक)	अन्य भत्ता (धुलाई)	अन्य भत्ता (साईकिल)	कुल वेतन	कार्यरत कर्मी की कुल संख्या	कुल कर्मी के एक माह के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि	कुल कर्मी के एक वर्ष के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि (कॉलम 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुख्य विद्युत अभियंता (1) 37400-67000 ग्रे०पे०-8700	62780	0	0	62780	12556	1000	200	0	0	0	139316	1	139316	1671
2	मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रा०) (1) 37400-67000 ग्रे०पे०-8700	51901	0	0	51901	10380	1000	200	0	0	0	115382	1	115382	1384
3	निजी सहायक (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-4800	24490	0	0	24490	4898	700	200	0	0	0	54778	1	54778	657
4	प्रशाखा पदाधिकारी (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-4800	25890	0	0	25890	5178	1000	200	0	0	0	58158	1	58158	697
5	सहायक (3) 9300-34800 ग्रे०पे०-4600	23470	0	0	23470	4694	700	200	0	0	0	52534	3	157602	1891
6	निम्न वर्गीय लिपिक (1) 5200-20200 ग्रे०पे०-1900	9800	0	0	9800	1960	400	200	0	0	0	22160	1	22160	265
7	अनुसेवक/चौकीदार/फारस (8) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	10510	0	0	10510	2102	400	200	0	0	0	23722	8	189776	2277
		208841	0	0	208841	41768	5200	1400	0	0	0	466050	16	737172	**8846064**

(कुल रु० अट्ठासी लाख छियालिस हजार चौसठ)

ह०/-

सरकार के सचिव

विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय का स्थापना व्यय विवरणी

क्रम स०	पदनाम/स्वीकृत पद/ वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	विशेष वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	मकान भाड़ा	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता (चालक)	अन्य भत्ता (धुलाई)	अन्य भत्ता (साईकिल)	कुल वेतन	कार्यरत कर्मी की कुल संख्या	कुल कर्मी के एक माह के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि	कुल कर्मी के एक वर्ष के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि (कॉलम 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	विद्युत अधीक्षण अभियंता (1) 37400-67000 ग्रे०पे०-8700	51901	0	0	51901	10380	1000	200	0	0	0	115382	1	115382	1384
2	विद्युत अधीक्षण अभियंता के तक०सला०(1) 15600-39100 ग्रे०पे०-6600	31030	0	0	31030	6206	1000	200	0	0	0	69466	1	69466	833
3	प्राक्कलन पदा० (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	23370	0	0	23370	4674	1000	200	0	0	0	52614	1	52614	631
4	प्राक्कलक (2) 9300-34800 ग्रे०पे०-4200	17330	0	0	17330	3466	400	200	0	0	0	38726	1	38726	464
5	लेखा लिपिक (1) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	16710	0	0	16710	3342	400	200	0	0	0	37362	1	37362	448
6	पत्राचार लिपिक (4) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14200	0	0	14200	2840	400	200	0	0	0	31840	4	127360	152
7	अनुसेवक/चपरासी (4) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	9520	0	0	9520	1904	400	200	0	0	0	21544	4	86176	103
		164061	0	0	164061	32812	4600	1400	0	0	0	366934	13	527086	6325032

(कुल रु० तिरसठ लाख पच्चीस हजार बत्तीस)

ह०/-

सरकार के सचिव

विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना कार्यालय का स्थापना व्यय विवरणी

क्रम स०	पदनाम/स्वीकृत पद/ वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	विशेष वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	मकान भाड़ा	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता (चालक)	अन्य भत्ता (धुलाई)	अन्य भत्ता (साईकिल)	कुल वेतन	कार्यरत कर्मी की कुल संख्या	कुल कर्मी के एक माह के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि	कुल कर्मी के एक वर्ष के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि (कॉलम 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	विद्युत कार्यपालक अभियंता (1) 15600-39100 ग्रे०पे०-6600	31030	0	0	31030	6206	1000	200	0	0	0	69466	1	115382	138
2	सहायक विद्युत अभियंता (4) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	31310	0	0	31310	6262	1000	200	0	0	0	70082	2	140164	168
3	प्राक्कलन पदा० (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	23370	0	0	23370	4674	1000	200	0	0	0	52614	1	52614	631
4	कनीय विद्युत अभियंता (19) 9300-34800 ग्रे०पे०-4200	17330	0	0	17330	3466	400	200	0	0	0	38726	8	309808	3712
5	लेखा लिपिक (11) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	2978	400	200	0	0	0	33358	11	366938	4403
6	पत्राचार लिपिक (7) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	2978	400	200	0	0	0	33358	7	233506	2802
7	कोष रक्षक (2) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	9520	0	0	9520	1904	400	200	0	0	0	21544	2	43088	517
8	दफ्तरी (1) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	12980	0	0	12980	2596	400	200	0	0	0	29156	1	29156	349
9	चौकीदार (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2000	11790	0	0	11790	2358	400	200	0	0	0	26538	3	79614	955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	आदेशपाल (21) 5200-20200 ग्रे०पे०–1800	9680	0	0	9680	1936	400	200	0	0	0	21896	21	459816	5
11	मजदूर (249) 5200-20200 ग्रे०पे०–1800	10160	0	0	10160	2032	400	200	0	0	0	22952	249	5715048	68
12	पर्यवेक्षक (2) 9300-34800 ग्रे०पे०–4200	21800	0	0	21800	4360	400	200	0	0	0	48560	2	97120	1
13	एस०बी०ए० (3) 5200-20200 ग्रे०पे०–2000	12140	0	0	12140	2428	400	200	0	0	0	27308	3	81924	9
14	सहायक शीतताप चालक (4) 5200-20200 ग्रे०पे०–2400	14170	0	0	14170	2834	400	200	0	0	0	31774	4	127096	1
15	कार्य दर्शक (2) 5200-20200 ग्रे०पे०–2400	15760	0	0	15760	3152	400	200	0	0	0	35272	2	70544	8
16	लिफ्ट मैन (1) 5200-20200 ग्रे०पे०–1800	12300	0	0	12300	2460	400	200	0	0	0	27660	1	27660	3
17	चालक (2) 5200-20200 ग्रे०पे०–2400	13500	0	0	13500	2700	400	200	0	0	0	30300	2	60600	7
		276620	0	0	276620	55324	8600	3400	0	0	0	620564	320	8010078	961209

(कुल रु० नौ करोड़ इकसठ लाख बीस हजार नौ सौ .....)

ह०/-

सरकार के सचिव

विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर कार्यालय का स्थापना व्यय विवरणी

क्रम स०	पदनाम/स्वीकृत पद/ वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	विशेष वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	मकान भाड़ा	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता (चालक)	अन्य भत्ता (धुलाई)	अन्य भत्ता (साईकिल)	कुल वेतन	कार्यरत कर्मी की कुल संख्या	कुल कर्मी के एक माह के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि	कुल कर्मी के एक वर्ष के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि (कॉलम 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	विद्युत कार्यपालक अभियंता (1) 15600-39100 ग्रे०पे०-6600	31030	0	0	31030	3103	0	200	0	0	0	65363	1	115382	138
2	सहायक विद्युत अभियंता (3) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	31310	0	0	31310	3131	0	200	0	0	0	65951	1	65951	79
3	प्राक्कलन पदा० (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	23370	0	0	23370	2337	0	200	0	0	0	49277	1	49277	59
4	कनीय विद्युत अभियंता (13) 9300-34800 ग्रे०पे०-4200	17330	0	0	17330	1733	0	200	0	0	0	36593	5	182965	219
5	लेखा लिपिक (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	1489	0	200	0	0	0	31469	2	62938	75
6	पत्राचार लिपिक (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	1489	0	200	0	0	0	31469	1	31469	37
7	चौकीदार (2) 5200-20200 ग्रे०पे०-2000	11790	0	0	11790	1179	0	200	0	0	0	24959	2	49918	59
8	अनुसेवक (7) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	9680	0	0	9680	968	0	200	0	0	0	20528	7	143696	172
11	मजदूर (49) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	10160 164450	0 0	0 0	10160 164450	1016 16445	0 0	200 1800	0 0	0 0	0 0	21536 347145	49 69	1055264 1756860	126 210823

(कुल रु० दो करोड़ दस लाख बयासी हजार तीन सौ .....)

ह०/-

सरकार के सचिव

विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर कार्यालय का स्थापना व्यय विवरणी

क्रम स०	पदनाम/स्वीकृत पद/ वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	विशेष वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	मकान भाड़ा	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता (चालक)	अन्य भत्ता (धुलाई)	अन्य भत्ता (साईकिल)	कुल वेतन	कार्यरत कर्मी की कुल संख्या	कुल कर्मी के एक माह के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि	कुल कर्मी के एक वर्ष के वेतन पर व्यय होनेवाली राशि (कॉलम 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	विद्युत कार्यपालक अभियंता (1) 15600-39100 ग्रे०पे०-6600	31030	0	0	31030	6206	0	200	0	0	0	68466	1	115382	1384
2	सहायक विद्युत अभियंता (2) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	31310	0	0	31310	6262	0	200	0	0	0	69082	1	68082	8289
3	प्राक्कलन पदा० (1) 9300-34800 ग्रे०पे०-5400	23370	0	0	23370	4674	0	200	0	0	0	51614	1	51614	6193
4	कनीय विद्युत अभियंता (7) 9300-34800 ग्रे०पे०-4200	17330	0	0	17330	3466	0	200	0	0	0	38326	4	153304	1839
5	लेखा लिपिक (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	2978	0	200	0	0	0	32958	2	65916	7909
6	पत्राचार लिपिक (2) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	14890	0	0	14890	2978	0	200	0	0	0	32958	1	32958	3954
7	चौकीदार (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2000	11790	0	0	11790	2358	0	200	0	0	0	26138	3	78414	9409
8	अनुसेवक (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	9680	0	0	9680	1936	0	200	0	0	0	21496	3	64488	7738
9	मजदूर (61) 5200-20200 ग्रे०पे०-1800	10160	0	0	10160	2032	0	200	0	0	0	22552	61	1375672	16508
10	कार्य दर्शक (3) 5200-20200 ग्रे०पे०-2400	15760	0	0	15760	3152	0	200	0	0	0	34872	1	34872	4184
		180210	0	0	180210	36042	0	2000	0	0	0	398462	78	2041702	**24500424**

(कुल रु० दो करोड़ पैंतालीस लाख चार सौ चौबीस)

ह०/-

सरकार के सचिव

I– सेवा शर्त्त से संबंधित परिपत्र ।



प्रस्तावित पुलिस मुख्यालय भवन, पटना

पत्रांक डी॰ एस॰ 26/74-2610

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री राम प्रकाश खन्ना,
सरकार के मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव,
सभी विभागों के सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक-09 जुलाई, 1976

विषयः प्रारंभिक जाँच के दौरान आरोपित राजकीय सेवकों से निगरानी द्वारा सूचनाएँ माँगने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आमंत्रित करते हुए निदेशानुसार कहना है कि सरकार ने भ्रष्टाचार तथा कदाचार विषयक शिकायतों की जांच हेतु 6 महीने की काल सीमा निश्चित कर दी है, जिसके अनुसार प्रारंभिक जांचों के लिए कुल 3 महीने निर्दिष्ट है। शेष 3 महीने में 2 महीने आरोपित राजकीय सेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु तथा महीना आरोपों के संदर्भ में अन्तिम निर्णय लेकर प्रतिवेदन देने के लिए निर्धारित है।

(2) उपर्युक्त काल-सीमा निगरानी विभाग द्वारा ली जाने वाली जाँचों के लिए भी लागू होती है तथा निगरानी विभाग को भी जांच संबंधी कुल कार्रवाई 6 महीने के अन्दर ही समाप्त कर देनी है। परन्तु जहाँ प्रशासी विभाग के जांचो के मुतल्लिक यह सुविधा है कि वे अपने आरोपित अधीनस्थों से तत्काल किसी से सूचना मांगने में सक्षम है, वहां निगरानी विभाग के लिए मुश्किल यह है कि जांचोन्तर्गत आरोप के सिलसिले में संबंधित राजकीय सेवक से वांछित सूचनाएं यह प्रशासी विभाग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। यह निर्विवाद है कि निगरानी विभाग की जांच प्रायः गोपनीय होती है तथा बहुधा उनमें आरोपित राजकीय सेवक द्वारा सम्पति अर्जन, आदि के विषय बिन्दु अन्वेषणाधीन होते हैं। इस सिलसिले में निगरानी विभाग को संबंधित राजकीय सेवक की सेवा में प्रवेश तिथि उनके द्वारा सेवा-काल के दौरान अर्जित आय तथा इस प्रकार से अन्य विवरण प्राप्त करने होते हैं क्योंकि आरोपों के संदर्भ में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु ये सूचनाएं काफी महत्व रखती है। वर्तमान पद्धति के अनुसार इन सूचनाओं को अबतक प्रशासी विभागों के माध्यम से ही प्राप्त करने की परिपाटी रही है परन्तु अबतक का ऐसा अनुभव रहा है कि निगरानी विभागी को उपर्युक्त सूचनाएं उपलब्ध कराने में प्रशासी विभागों द्वारा अतिशय विलम्ब किया जाता है जिसके कारण उसकी जांच बिना किसी मूर्त नतीजे के कई वर्षो तक लम्बित चली आती है। हाल में इस प्रसंग में निगरानी विभाग द्वारा प्रशासी विभागों में लम्बित ऐसे बहुत संख्यक निदेश सरकार की नजर में लाये गए हैं जिनकी संख्या 700 से भी ज्यादा है। ऐसा भी देखा गया है कि इन निर्देशों पर विभागों में कभी-कभी वर्षो तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण निगरानी विभाग की जांच तबतक रुकी रहीं।

(3) इन सबों का नतीजा सरकार के भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बहुत ही चिन्ताजनक होता है तथा कई मामलों में यह भी बात सरकार की नजर में आई है कि आरोपित राजकीय सेवक ने जाँचों को लम्बित बनाने रखने के उद्देश्य से अपेक्षित सूचनाएं देने में जानबूझकर विलम्ब किया।

(4) किन्तु अब जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु एक निश्चित काल-सीमा निर्धारित कर दी गई है, इस व्यसस्था में संशोधन की आवश्यकता हैं अतएव निगरानी विभाग की जांचों में गति लाने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया

है कि निगरानी विभाग अपनी जांचो के क्रम में आरोपित राजकीय सेवक से सीधे सूचना संकलित करने एवं मंतव्य प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा ताकि निगरानी विभाग जांच के दौरान निश्चित निष्कर्ष पर बिना अनावश्यक विलम्ब के पहुँचने में सक्षम हो। आरोपित राजकीय सेवक की यह जवाबदेही होगी कि निगरानी विभाग द्वारा मांगी गई सम्पत्ति विवरणी, सेवा काल में अर्जित आय, तथा इसी प्रकार की सभी सूचनाएं या मंतव्य निगरानी विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराये।

(5) इसकी भी सम्भावना हो सकती है कि निगरानी विभाग किसी राजकीय सेवक से संबंधित परिवाद-पत्र पर कोई जांच शुरू करने के पूर्व उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर ले। यह पद्धति वहां अपनायी जाएगी जहां निगरानी विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि कोई औपचारिक जांच शुरू करने के पूर्व आरोपित राजकीय सेवक की प्रतिक्रिया मांग लेना अधिक वांछनीय है।

(6) किन्तु इस व्यवस्था का विभाग के आन्तरिक अनुशासन पर सम्भावित किसी दुष्प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से यह पद्धति कायम होगी कि आरोपित राजकीय सेवक को संबंधित निर्देशों को निगरानी विभाग प्रशासी विभाग की जानकारी में भी ला देगा। प्रशासी विभाग का भी यह कर्तव्य होगा कि वह अपने स्तर से भी आरोपित राजकीय सेवक को निगरानी विभाग द्वारा अभियाचित सूचनाएं तुरत उपलब्ध कराने का निर्देश दे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राम प्रकाश खन्ना)

सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक:-डी० एस० 26/74-2610 पटना, दिनांक-09 जुलाई, 1976

प्रतिलिपि:- राज्य के सभी कार्यालयों के प्रधान पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

पी० आर० सिन्हा

सरकार के सहायक सचिव (विशेष)

●●●

परिशिष्ट-2

पत्र सं०-30/सिंह-जा-30/75-298/त०प०को०

बिहार सरकार

तकनीकी परीक्षा कोषांग

मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग

स्टेट बैंक कॉलोनी, बेली रोड, शेखपुरा, पटना-14

प्रेषक,

श्री रा० प्र० खन्ना,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

लोक-निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सिंचाई एवं विद्युत विभाग/योजना विकास विभाग एवं (ग्रामीण विकास)/नागरिक विकास विभाग।

विषयः तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा पाई गई त्रुटियों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

ऐसा देखा गया है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग द्वारा तकनीकी अंकेक्षण या अन्य जाँच कार्य में पाई गई त्रुटियों पर संबंधित विभाग/उच्चाधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्ति उठाई जाती है। कोषांग को कथित त्रुटियों को प्रमाणित करने या सम्पुष्टि के लिये कुछ अन्य प्रयोगशाला जांच आदि के लिये भी बाध्य करने का प्रयास होता है। इससे विलम्ब तो होता ही है, साथ-ही-साथ इस अवधि में त्रुटियों के निराकरण या साक्ष्य सामग्री में हेर-फेर होने की भी संभावना बनी रहती है। इससे भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है। अतः इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

1. इस कोषांग के प्रतिवेदन में उल्लिखित त्रुटियों को प्रमाणित करने का भार इस कोषांग पर नहीं रहेगा। इस कोषांग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद संबंधित विभाग का यह कर्तव्य होगा कि प्रतिवेदन में अंकित बिन्दुओं को अविलम्ब देखें तथा बताई गयी त्रुटियों का निराकरण एवं दोषी पदाधिकारी पर समूचित कार्रवाई करें। प्रतिवेदन पर कार्रवाई में विलम्ब होने से संभव है कुछ मामलों में त्रुटियों का निराकरण हो जाय तथा दोषी पदाधिकारी बच जायें। अतः प्रतिवेदन पर आगे अविलम्ब कार्रवाई का उतरदायित्व विभाग पर रहेगा।
2. विभाग का यदि प्रतिवेदन के किसी बिन्दु पर संदेह हो तो विभाग अपने किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा संदेह का निराकरण करा सकता है। परन्तु उसके निष्कर्ष की सूचना तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को दे दी जाय जिस पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।
3. अभियोग तैयार करने तथा उन्हें प्रमाणित करने के लिये उपयोगी साक्ष्य एवं सामग्री के समुचित समाहर का भी उतरदायित्व संबंधित विभाग पर ही रहेगा। अतः आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के पूर्व वैसे साक्ष्य जिनका उपयोग अभियोग प्रमाणित करने में हो सकता है, एकत्र कर लिये जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य एवं कार्य से संबंधित कागजात की स्थिति में कोई अन्तर न होने पाये।
4. स्पष्टीकरण की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यवाही करने का भार संबंधित विभाग पर रहेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-
रा० प्र० खन्ना,
सरकार के मुख्य सचिव

●●●

ज्ञाप संख्या–3/स्था॰ 2501/77 निग॰ 1258

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री पि॰ एस॰ अप्पु
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमुख सचिव,
प्रमंडलायुक्त,
विभागाध्यक्ष,
जिलाधिकारी,
आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक 2 फरवरी, 1978

विषयः विभाग के पदाधिकारियों को सूचना/अभिलेख आदि उपलब्ध कराने में सहयोग।

महाशय,

निगरानी विभाग के पदाधिकारियों की जांच के दौरान बहुधा संबंधित कार्यालयों से सूचना तथा अभिलेख प्राप्त करने पड़ते हैं। यह देखा गया है कि इन पदाधिकारियों को संबंधित कार्यालयों द्वारा अभिलेख विलम्ब से दिये जाते हैं या देने में आना–कानी की जाती है जिसके कारण जांच अधिक दिनों तक लम्बित रह जाती है।

इसके अतिरिक्त निगरानी विभाग जांचोपरान्त आरोपित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग का मन्तव्य प्राप्त करता है। इसमें बहुधा यह देखा गया है कि प्रशासी विभाग स्पष्टीकरण के ऊपर अपना मन्तव्य देने में बहुत विलम्ब करता है। फलस्वरूप पदाधिकारियों के विरूद्ध चले आ रहे मामलों का निष्पादन भी अनावश्यक रूप से लम्बित हो जाता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन जांचों को शीघ्र समाप्त करने के लिये निगरानी विभाग के पदाधिकारियों के मांगे जाने पर वांछित सूचनायें तथा अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये तथा प्रशासी विभाग निगरानी विभाग द्वारा मांगे गये मन्तव्य तथा सूचना शीघ्रातिशीघ्र निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये।

अतः अनुरोध है कि निगरानी विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही जाँचों के शीघ्र निष्पादन में आप तथा आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों पूर्ण सहयोग दें, ताकि जांचकर्ताओं को वांछित सूचनाएं तथा अभिलेख शीघ्र मिल सके तथा अन्य प्रशासी कार्रवाइयों, जिनके कारण ये मामले लम्बित रह जाते हैं; का भी शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(पि॰ एस॰ अप्पु)
मुख्य सचिव, बिहार।

●●●

ज्ञापांक सं०–165

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री लक्ष्मेश्वर दयाल,
मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी प्रमण्डलों के आयुक्त,
आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला दंडाधिकारी

पटना, दिनांक 13 फरवरी, 1980

विषयः भ्रष्टाचार एवं कदाचार के दृष्टांतों एवं प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिये मौलिक जिम्मेवारी मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से उनके संबंध।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री पी० के० जे० मेनन द्वारा निर्गत परिपत्र सं०–4162/सी०सी०एस० दिनांक 6 नवम्बर, 1974 की संलग्न प्रतिलिपि में अन्तर्विष्ट अनुदेशों की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करते हुए कहना है कि सरकार एक बार पुनः इसे स्पष्ट करना चाहती है कि सभी प्रशासनिक इकाईयों में भ्रष्टाचार एवं कदाचार मूलक दृष्टांतों एवं प्रवृत्तियो का कुशल उन्मूलन संबंधित विभागों एवं कार्यालयों के प्रधानों का ही है, जिनसे यह अपेक्षित है कि वे अपने इस मौलिक जिम्मेवारी को समझते हुए अपने अधीनस्थों एवं अधीनस्थ कार्यालयों की गतिविधियों के ऊपर सम्यक् नियंत्रण, पदाधिकारियों पर अनुशासन और अपने प्राधिकार को अक्षुण्ण रखें।

(2) भ्रष्टाचार एवं कदाचार जैसी व्यापक व्याधियों का शमन एवं नियंत्रण मात्र निगरानी विभाग जैसे विभाग से अकेले संभव नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग सरकार का एक विशिष्ट अधिकरण है जो महत्वपूर्ण दृष्टांतों के विशिष्ट अन्वेषण में ही सहायक हो सकता है।

(3) अतः सरकार चाहती है कि आप सभी अपने इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को समझते हुए तदनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,

ह०–
(लक्ष्मेश्वर दयाल),
मुख्य सचिव, बिहार।

●●●

पत्रांक–1/नि॰वि॰–34063/182/1708/नि॰वि॰

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री एस॰ के॰ मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सरकार के सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
आरक्षी महानिरीक्षक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी
अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक, कोषांग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982

विषयः निगरानी संबंधी तथा निगरानी निर्देशित किये जानेवाले मामलो के संबंध में विभागों का उत्तरदायित्व।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 4162/सी॰ सी॰ एस॰ दिनांक 6 दिसम्बर, 1974 के द्वारा उपर्युक्त विषय के बारे में विस्तृत अनुदेश संसूचित किये गये हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि सुविधा के लिये संलग्न की जा रही है। उक्त अनुदेश स्पष्ट हैं, पर दुर्भाग्यवश उनका उचित अनुसरण नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करूँगा कि उक्त परिपत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाय और दृढ़ता से उसका पालन किया जाय।

2. हाल में यह देखा गया है कि विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा जांचोपरान्त दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध यथेष्ठ सामग्रियाँ प्रकाशन में आने पर भी विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की दिशा में तुरन्त कार्रवाई नहीं की गयी है। ऐसे अनेक उदाहरण है कि ऐसे मामले, उपलब्ध तथ्यों के पुनः सत्यापन हेतु निगरानी विभाग को निर्देशित कर दिये गये हैं। यह बिल्कुल अनावश्यक है और ऐसा नहीं करना चाहिये।

3. पुनः बड़ी संख्या में भिन्न प्रकार के मामले, जिनमें प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है निगरानी विभाग को निर्देशित कर दिये गये है। स्वभाविक है कि ऐसे मामलों में उपयोगी जांच अथवा विभागों की उपयोगी अनुशंसा नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि सामान्यतया तथा नियुक्ति सभी प्रकार की अनियतिताओं से सम्बन्धित मामले विभागों द्वारा स्वयं देखे जाने चाहिये। उसी प्रकार, सामान्य प्रकृति की वित्तीय अनियमिताओं के मामले भी विभागों द्वारा ही निष्पादित किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से कि केवल उपयुक्त मामले ही निगरानी विभाग को भेजे जायँ, क्षेत्रीय पदाधिकारी सभी निगरानी विभाग को मामले नहीं निर्देशित कर, बल्कि इस प्रकार के मामले सम्बन्धित विभाग को भेजें जो संतुष्ट होने पर आवश्यकतानुसार मामले की निगरानी विभाग को भेजेंगे। विभाग, अपनी तरह से, प्रभारी मंत्री का अनुदेश लेकर ही किसी विषय को निगरानी विभाग द्वारा जांच हेतु भेजेंगे, और ऐसा करते समय वह उल्लेख करेंगे कि विभागीय मंत्री का आदेश दे दिया गया है।

4. कुछ महत्वपूर्ण विभागों एवं राज्य सरकार के अधीन निगमों/पार्षदों की अपनी निगरानी ईकाइयां है, अतएव उन्हें निगरानी विभाग को अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले ही भेजना चाहिये। मोटे तौर पर निगरानी विभाग उक्त विभाग, निगमों/पार्षदों के केवल वरीय पदाधिकारियों के मामले ही अपने हाथ में लेगा। अन्य मामले, यदि निगरानी विभाग में सीधे प्राप्त होंगे, तो उन्हें सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

5. सभी सरकारी सेवकों का नियमानुसार सम्पत्ति विवरणी सरकार को समर्पित करना है, पर इस अनुदेश का पालन समान्यतया नहीं हो रहा है। विभागों का उतरदायित्व है कि वे उक्त नियम का पालन सुनिश्चित करें। यह देखा गया है कि सम्पत्ति–अर्जन से

सम्बन्धित मामलों की जांच में इसलिए अनिश्चित विलम्ब होती है कि विभाग अपने पदाधिकारियों की अद्यतन सम्पत्ति विवरणियाँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।

6. मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव निगरानी से सम्बन्धित मामलों की अलग पंजी संधारित करे जिनमें निगरानी विभाग को, अथवा उसके द्वारा निर्देशित मामलों का समावेश रहे। ऐसा करने से ही निगरानी मामलों का पीछा करना उनके लिये सम्भव होगा। इसके अलावे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे विभाग में निगरानी विभाग से प्राप्त पत्रों पर तत्परता से ध्यान दिया जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/–

एस० के० मुखर्जी

सरकार के मुख्य सचिव।

●●●

पत्रांक–पट॰ जां॰ (ल॰सि॰)–3/95 निग॰–2567

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

12–ए॰, नेहरू मार्ग, पटना

प्रेषक,

विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव,
विभागाध्यक्ष,
प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना दिनांक 17.07.2000

विषय तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संगत अभिलेखों एवं कागजातों को जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जांच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार का इस ओर विशिष्ट ध्यानाकर्षण हुआ कि विषयाधीन प्रकरण में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वांछित अभिलेख और कागजात या तो उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं अथवा लगातार पत्राचारों के बावजूद, किश्तों में, वर्षो तक अतिशय विलम्ब से, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को उपलब्ध कराये जाते है। ऐसी स्थिति में दीर्घकाल तक लम्बित जांचों का कोई प्रभावी विभागीय कार्रवाई या वैधिक कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकार की दृष्टि में ऐसे कई प्रकरण आये हैं जहां दोषी सरकारी सेवक निलम्बित जांच के क्रम में उपयुक्त रूप से दंडित नहीं हो पाया और सेवा निवृत हो गया या/और उसकी मृत्यु हो गई।

2. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा जांचाधीन एक ऐसे ही मामले में यह पाया गया कि कोषांग द्वारा 5 वर्षो तक गहन पत्राचार के बावजूद, प्रशासी विभाग और संबंधित कार्यालय द्वारा जांच से संबंधित कोई भी अभिलेख कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया गया और अंततः जब यह उद्‌भेदन हुआ कि संबंधित सरकारी सेवकों द्वारा वांछित कागजात कुमंशा से विलुप्त कर दिया गया है, तब तक ऐसे दोषी चार सरकारी सेवकों का निधन हो चुका था। सरकार की दृष्टि में यह तथ्य भी आया कि इस प्रकारण में तेईस सरकारी सेवक संगत अभिलेखों के विलुप्त कर दिये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं और अभी सेवारत भी हैं। संगत अभिलेखों के गायब कर दिये जाने के इस प्रकार में विलम्ब से सूचना देने के लिए दोषी सरकारी सेवकों सहित उक्त सभी तेईस सरकारी सेवकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध कारगार विभागीय कार्यवाही करने के लिये सरकार को बाध्य होना पड़ा है।

3. सरकार कृत संकल्प है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जांचों में तीव्रता से कार्रवाई हो और जांच–प्रतिवेदन समर्पित करने में किसी स्तर पर किंचित भी अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। अतएव सरकार ने यह आदेश देने की कृपा की है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में जांच पदाधिकारी द्वारा मांग होते ही सुसंगत अभिलेख भेजकर जाँच के निहित उद्देश्य को सफल किया जाय। इस निमित प्रशासी विभाग, विशेष पहल कर, क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित अभिलेख तत्काल उपलब्ध करा देने के लिये बाध्य करेंगे। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा विशिष्ट ध्यानाकर्षण किये जाने पर जांच में सहयोग नहीं किये जाने के ऐसे सभी मामलों में प्रशासी विभाग अविलम्ब दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विधिवत् निलंबन की कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे और उन्हें विधिवत् दंडित करेंगे। ऐसे कृत कार्रवाइयों की संसूचना मुख्य सचिव तथा निगरानी आयुक्त को समय दी जायेगी।

4. सरकार के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को कृपया अवगत करा दें।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(विजय शंकर दुबे)
विशेष सचिव, बिहार

●●●

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 06.01.2003

विषयः राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण-मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।

राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गो में दी जाने वाली प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्चछता प्रमाण-पत्र की अधियाचना और स्वच्छता प्रमाण-पत्र की मान्यता की अवधि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञापांक संख्या 4010/81-1709 दिनांक 02.01.82 एवं ज्ञापांक नि०वि० 4445/85-4609 दिनांक 01.11.85 में निरूपित है। प्रोन्नति में विलम्ब के कारणों को दूर करने और प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल बनाने पर विचारार्थ दिनांक 15.10.2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचारोपरान्त कतिपय अनुशंसायें की गई। उन अनुशंसाओं में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी शामिल है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय में जानकीरमण के मामले में पारित आदेश के आलोक में राज्यकर्मियों के लिए भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.2002 निर्गत किया गया है। तदनुसार सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति उक्त संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी।

(क) निलंबन

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, एवं

(ग) किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो (आपराधिक उस तिथि से लंबित समझी जायगी जिस तिथि को न्यायालय में अभियोग पत्र समर्पित किया गया हो)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा-10(1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 19(1)(क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी कर्मियों की निगरानी-स्वच्छता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/कार्यालय अपने यहां संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्राधीन सेवा/संवर्ग/पदसमूह के लिए एक-एक पंजी संधारित करें जिसमें विभागीय कार्यवाही, विभिन्न थानों तथा निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी, समर्पित चार्जशीट एवं लोकायुक्त कार्यालय से लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत की गई नोटिस और/अथवा अनुशंसाएँ संबंधी सूचनाएँ हों। विभाग/कार्यालय में उपलब्ध इन सूचनाओं के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों के संबंध में प्रशासी विभाग निगरानी स्वच्छता (Vigilance clearance) निर्धारित करे। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई से संबंधित प्रशासी विभाग को वैसे पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जायगी जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है एवं चार्जशीट समर्पित हुई है। इसी सूची के आधार पर विभाग/कार्यालय में संधारित पंजी को अद्यतन कर लिया जायगा। इसी प्रकार लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकलप पत्र/अनुदेश तद्नुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प तुरंत लागू होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग/लोकायुक्त कार्यालय को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के०ए०एच० सुब्रहाणियन)

मुख्य सचिव

ज्ञापांक-2/एम 1-10/2002-7979 दिनांक 06.01.2003

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

मुख्य सचिव

ज्ञापांक-2/एम 1-10/2002-7979 दिनांक 06.01.2003

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय (निगरानी) विभाग/लोकायुक्त कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य सचिव

●●●

ज्ञापांक-3/एम-46/2002 का॰ 3644

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव,
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक: 15.04.2005

विषय- वेतनवृद्धि रोकने की सजा के प्रभाव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय विभागों से वेनतवृद्धि की सजा के प्रभाव के संबंध में पृच्छाएँ प्राप्त हो रही हैं तथा इस क्रम में महालेखाकार द्वारा कतिपय मामलों में इस विभाग से ऐसी सजा के प्रभाव के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस संबंध में पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 13110 दिनांक 16.12.98 द्वारा महालेखाकर को यह सूचित किया गया था विभागीय कार्यवाही के पश्चात् यदि किसी सरकारी सेवक को आर्थिक सजा या वेतनवृद्धि पर रोक आदि की सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव उसी अवधि में पड़ेगा जिस अवधि में आरोप के चलते उन्हें सजा दी गई है, भले ही सजा उन्हें बाद में मिली हो।

2. इस संबंध में राज्य सरकार ने समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आर्थिक दण्ड की सजा का प्रभाव भुतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकता है। उक्त आलोक में ऐसी सजाओं के प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा तथा यदि पूर्व में भी किसी कारण से कोई वेतनावृद्धि नहीं दी गई है तो बाद में निर्गत सजा के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकेगा तथा उसका प्रभाव भविष्य में प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धि पर ही पड़ेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-
(रविकान्त)
सरकार के सचिव।

●●●

ज्ञापांक-3/एम- 7/2002 का॰ 945

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासिनक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जी॰एस॰ कंग,
मुख्य सचिव बिहार,

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना दिनांक 24.06.05

विषय- सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980, पत्रांक 13830 दिनांक 14.12.1989 तथा पत्रांक 2451 दिनांक 23.03.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980 के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुलापत्र और पैम्पलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायेगी। जहाँ परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा वहाँ भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश की जाँच की प्रक्रिया आरम्भ की जाय। इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

2. परन्तु, उपर्युक्त प्रकार से कार्रवाई के उपरान्त भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्रारूप दुर्भावना प्रतिशोध और उन्हें हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किये गये परिवादपत्र जाँचोपरान्त बेबुनियाद एवं निराधार पाये जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्रांक 13830, दिनांक 14.12.1989 के अन्तर्गत सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि सरकारी सेवक के विरुद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र लिया जाय कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने को तैयार है। दिनांक 14.12.1989 के उपर्युक्त परिपत्र के पत्रांक 2451 दिनांक 23.03.2005 के तहत आंशिक संशोधन संसुचित किया गया कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के माननीय सदस्यों के शपथ पत्र नहीं मांगा जायेगा, परन्तु संपुष्टि और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने के संबंध में उनसे सम्पुष्टि प्राप्त कर लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

3. एक विषय पर उक्त तीन परिपत्रों के लागू रहने से उसकी व्याख्या में कभी-कभी भ्रम हो जाने की गुंजाईश हो गयी है। जहाँ सरकार कृतसंकल्प है कि कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ सही रूप से प्रतिबिंबित हो सकता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उतरदायी ठहराये जाये, वहीं सरकार चिन्तित भी है कि प्राय: दुर्भावना, प्रतिशोध और पदाधिकारियों को हतोत्साह करने के उद्देश्य से प्रेरित अनाम, बेनामी और छद्मनामी परिवादों की प्रवृति पर भी रोक प्रभावी ढंग से लगी रहेगी। सरकार की इन चिन्ता को प्रभावी और स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से उक्त परिपत्रों के तहत लिये गये निर्णयों को समेकित कर एक स्पष्ट एवं प्रभावी अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980 पत्रांक 13830 दिनांक 14.12.1989 तथा पत्रांक 2451, दिनांक 23.03.2005 के अवक्रमित करते हुए तथा सारे पहलुओं पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि:-

(1) अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों/परिवादपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(2) पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर कर प्रकाशित खुला पत्र और पैम्पलेटों पर भी तदनुसार कार्रवाई नही की जायेगी।

(3) आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवाद पत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथ पत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनकी व्यक्तिगत जानकारी है तथा तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(4) लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद के माननीय सदस्यों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं माँगा जायेगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनसे लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जायेगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।

(5) अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनकी व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार है।

(6) उप-कंडिका (3) एवं (5) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवादपत्र को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त उप कंडिका (3), (4) एवं (5) के अनुसार निर्बंधित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। जाँच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय या नहीं यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभजन

ह०/-

(जी० एस० कंग)

मुख्य सचिव।

●●●

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना दिनांक 28.12.2005

विषय- भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की अनुमान्यता के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2074 दिनांक 04.04.85 एवं 1082 दिनांक 22.02.88 द्वारा मार्गदर्शन दिए गए थे।

2. वित्त विभाग परिपत्र सं॰ 1082 दिनांक 22.02.88 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास के बावजूद् ससमय नियमित अत्यावश्यक हो तो निरन्तर वेतनमान के योग्य पदाधिकारी को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता हैं उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा वरीयता सह योग्यता अथवा लागू संवर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाकर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हुए उक्त सूची से बिहार सेवा संहिता के नियम 103-क के अधीन निम्नतर वेतनमान के संबंधित पदाधिकारी को उच्चतर पद का प्रभार प्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करना है तथा नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति की इस बिन्दु पर स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करनी है कि कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने अथवा तदर्थ प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुकूल अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है, किन्तु वित्त विभाग के समक्ष इन दिनों भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रस्ताव रूटिन तरीके से प्राप्त हो रहे हैं तथा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के कारण बिना कार्य कराये संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान में वेतन भुगतान करना पड़ रहा है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

3. सामान्य परिस्थितियों में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोन्नति का लाभ बिहार संहिता के नियम 58 के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से ही अनुमान्य हो सकता है। यह तभी संभव है, जब प्रशासी विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए अग्रिम योजना बनाकर प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित सरकारी सेवकों को ससमय प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके तथा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के फलस्वरूप उच्चतर पदों के वेतनमान के वेतन भुगतान की स्थिति उत्पन्न देने के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 7457 दिनांक 11.05.2002 तथा पत्रांक 7895 दिनांक 14.09.2004 द्वारा अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

4. यदि संबंधित विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की अग्रिम योजना बनाकर ससमय प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करें तो भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का कोई कारण नहीं रह जाता है। तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की नितांत आवश्यकता होती हो तो निम्नांकित परिस्थितियों में ही भूताक्षेपी प्रभाव से प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकती है:-

(क) यदि किसी संवर्ग के कनीय पदाधिकारी को किसी कारणवश प्रोन्नति दे दी जाए तथा वरीय पदाधिकारी किन्ही कारणों से प्रोन्नति से वंचित रह जाये एवं बाद में प्रोन्नति योग्य पाए जाए तो ऐसी स्थिति में कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति के उपरान्त योगदान की तिथि से वरीय पदाधिकारी को, आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति अनुमान्य की जायेगी बशर्ते कि विलम्ब से प्रोन्नति के लिए वरीय पदाधिकारी की स्वयं की कोई गलती नहीं हो जैसे वार्षिक अभ्युक्तियों के लिए आउट टर्न समय पर नहीं दिया जाना, विभागीय कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग नहीं करना आदि।

(ख) वरीयता पुनरीक्षण के कारण यदि कोई कनीय कर्मी वरीय हो जाता है तो नव वरीय पदाधिकारी को उनसे ठीक कनीय की प्रोन्नति की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति अनुमान्य की जाएगी तथा कनीयतम की प्रोन्नति रद्द कर दी जायेगी किन्तु पूर्व में प्रोन्नति पा लेने के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई वरीयता

पुनरीक्षण का आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जायगी। निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर विलम्ब के कारण यदि अधिक भुगतान करना पड़ता है तो विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति से राशि की वसूली की जायगी।

(ग) उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त पदाधिकारी के उपलब्ध होने के बावजूद यदि किसी कारणवश समसय प्रोन्नति देना सम्भव न हो तो पद की उपलब्धता, वरीयता, आरक्षण एवं प्रोन्नति के लिए पदाधिकारी की अर्हता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है तथा बाद में नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति देने का स्पष्ट अनुशंसा करती है तो कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की विधि से अधिक लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकेगी।

(घ) भूतलक्षी प्रभाव प्रोन्नति उपर्युक्त (क) एवं (ग) के प्रावधान के अधीन सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा।

(ङ) यदि किसी मामले में उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किये बगैर उच्चतर पद का प्रभार दिया जाता है तो वैसे मामलों में उच्चतर पद का वेतनमान अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार के मामले बिहार सेवा संहिता के नियम 103 के अधीन विनियमित किए जाएंगे तथा अतिरिक्त प्रभार के रूप में उच्चतर पद के दायित्व निर्वाह के लिए संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित निम्न पद का प्राप्त मुल वेतन का 20 प्रतिशत अधिकतम 250 रुपये की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(च) दिनांक 01.01.96 से पूर्व लागू प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत देय प्रोन्नतियों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र सं॰ 2074 दिनांक 04.04.05 के प्रावधान पूर्ववत् ही रहेंगे।

उपर्युक्त सभी मामले में अधिक लाभ की मंजूरी वितीय नियमावली के नियम 74 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।

उपर्युक्त निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा पूर्व में निष्पादित हो चुके मामलों पर इस आधार पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इस हद तक पूर्व के सभी आदेश संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–7020 दिनांक 24.12.05

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना। सभी जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

●●●

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पत्रांक–3एम–182/06-का०–3448, दिनांक 02.12.06

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय- अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिहीन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डादेशों को निरस्त किया जाता है। विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में समय–समय द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किया जाता है। विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध से समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत प्रक्रियात्मक अनुदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी समूहों (वर्गो) के कर्मियों के संबंध में अब एक ही नियमावली–बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, 13 जुलाई 2005 से लागू है और असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 निरसित हो चुकी है। वर्ष 2005 की नियमावली में नियम 9-13 के अन्तर्गत निलम्बन के संबंध में विस्तृत प्रावधान किया गया है और उक्त प्रावधानों के संबंध में व्याख्यात्मक मार्गदर्शन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 73 दिनांक 27.03.2006 के तहत परिचारित किया जा चुका है। नियम 14 के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के दंड लघु दंड होंगे और किस प्रकार के दंड वृहत् दंड होंगे। लघु दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम–19 में है। वृहत् दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 17 एवं 18 में है। प्रस्तावित दंडों के संबंध में जहां बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है, वैसे मामलों को बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श हेतु भेजे जाने के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन पत्रांग 2609 दिनांक 13.09.2006 के तहत परिचारित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों तथा निर्गत मार्गदर्शनों का अवलोकन कर उसके अनुकूल कार्रवाई किए जाने से प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं रह सकती है और फलस्वरूप मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालयों द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किए जाने की संभावना नहीं रह जायेगी।

3. अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिपूर्ण कार्रवाई करने की स्थिति पर सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है। एतदर्थ दिनांक 18.09.2006 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव की हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं।

(i) द्वितीय कारण पृच्छा पूछे जाने के क्रम में प्रस्तावित दण्डों की चर्चा कर दी जाती है जो गलत है। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम 18 के उप नियम (3) एवं (4) के प्रावधान अवलोकनीय हैं जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन से सहमति (यदि कोई हो) के निष्कर्ष के साथ जांच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को भेजी जानी है और 15 दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन या निवेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर निर्णय लिया जाना है। उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाना वांछनीय है।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 13 के उप नियम (6) एवं (7) के मद्देनजर समुचित कार्रवाई के पश्चात् दण्डादेश की संसूचना करने के क्रम में दंडों का सकारण उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

(iii) संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमावली के नियम–18 के उप नियम (2) में है। तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार को असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना है और ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करना है यदि इस प्रयोजनार्थ अभिलेख साक्ष्य प्रर्याप्त हों।

(iv) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान सेवानिवृत हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उक्त कार्यवाही के स्वत: परिवर्तन संबंधी एक आदेश निर्गत किया जाना ही पर्याप्त होगा।

(v) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत सीधी कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43 (बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत कटौती संभव है। परन्तु यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाये कि पेंशनभोगी की सेवा पूर्णत: संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम 139 के तहत सीधी कार्रवाई हो सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नियम 139 के तहत पेंशन में कोई कटौती पेंशन स्वीकृति के 3 वर्षो के अन्दर ही की जा सकती है।

(vi) बिहार पेंशन नियमावली 42(ख) के परन्तुक के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उस घटना के संबंध में चलाई जा सकती है जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुई हो। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ नं॰ 9833/2001 (अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 19.09.2002 को पारित आदेश 2003(1) PLJR 172 में स्पष्ट किया गया है कि The period prescribed under proviso (s) (ii) of rule 43(b) of the Rules has to be read to mean that four years time would be reckoned from the date of the knowledge of the event by the competent authority" इस आलोक में उक्त चार वर्ष की गणना उस तिथि से की जाए जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी होती है।

(vii) कार्य विभागों में अग्रिम की निकासी के अव्यहृत होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में यदि अग्रिम अव्यवहृत हो और लौटाया नहीं गया हो तो गबन का आरोप बनाकर समुचित कार्रवाई की जा सकती है। परन्तु यदि अग्रिम के संबध में व्यय संबंधी भाउचर समर्पित किया जाता हो तो उसकी सत्यता की जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

ह॰/–

(अमीर सुबहानी)

सरकार के सचिव।

●●●

पत्रांक-3एम-7/2005

बिहार सरकार

सूचना भवन, चौथी मंजिल, पटना।

संकल्प

विषय- सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-945 दिनांक 24.06.2005 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार ने सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त नामी परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया है।

2. निगरानी विभाग द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इस संदर्भ में निगरानी विभाग में जन प्रतिनिधि एवं आम जनता से सरकारी सेवकों के विरुद्ध बड़ी संख्या में परिवाद-पत्र हो रहे हैं, जिस पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है।

3. ऐसा पाया गया है कि कभी-कभी परिवादी द्वारा प्रारम्भ में सरकारी सेवक के विरुद्ध परिवाद-पत्र सम्पुष्टि तथा शपथ-पत्र के द्वारा आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की जाती है, किन्तु बाद में दूसरे शपथ-पत्र द्वारा आरोप को वेबुनियाद बताते हुए बहकावे में आरोप लगाने की बात कहकर परिवाद-पत्र वापस लेने का अनुरोध किया जाता है। यह परम्परा उचित नहीं है। इससे अधारहीन आरोप लगाने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा और सरकारी सेवकों के ब्लैकमेल होने की सम्भावना भी बनी रहेगी।

अतः उपर्युक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवादी द्वारा किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध शपथ-पत्र के साथ दिये गये परिवादों को यह कहकर वापस लेने पर यह शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कानून सम्मत कार्रवाई की जाय। साथ ही परिवादी द्वारा गलत शपथ-पत्र दायर करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति मुख्य सचिव, बिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार।

ज्ञापांक-2697 पटना, दिनांक 31.05.2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ निगरानी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह०/-

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार।

ज्ञापांक-2697 पटना, दिनांक 31.05.2007

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बिहार, पटना/सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह०/-

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार।

●●●

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय- राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों/पदों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि एवं व्यवस्था का अंगीकरण-कालावधि की गणना के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 280 दिनांक 05.07.2002 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गो/पदों में वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है। किन्तु कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित कालावधि के अनुसार प्रोन्नति पर विचार करते समय संबंधित पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूरी नहीं करने के कारण अधिकतर पद रिक्त रह जाते हैं और रिक्तियों के कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है। उपर्युक्त कठिनाईयों का निराकरण आवश्यक समझा गया है, ताकि रिक्तियों को समय पर भरा जा सके और फलस्वरूप विभागों/कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित होता रहे।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि संकल्प सं॰ 280 दिनांक 05.07.2002 के तहत निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप वेतनमान रु॰ 10,000–16,500/- के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और 12,000–16,500/- के वेतनमान से रु॰ 14,300–18,300/- के वेतनमान में प्रोन्नति विचारणीय हो तो 12,000–16,500/- के वेतनमान में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतनमान (10,000–15,200/-) की कार्यावधि और धारित वेतनमान 12,000–16,500/- की कार्यावधि को जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरी होने पर प्रोन्नति दी जा सकती है।

3. पूर्व में निर्गत संकल्प सं॰ 280 दिनांक 05.07.2002 को तुरंत के प्रभाव से, इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह॰/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-11वी॰4-का॰नि॰छू॰-03/01 का॰ 2129 पटना, दिनांक 19.06.2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 500 (पाँच सौ) प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा-11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह॰/-

(आमिर सुबहानी)

ज्ञापांक-11वी॰4-का॰नि॰छू॰-03/01 का॰ 2129 पटना, दिनांक 19.06.2007

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग/लोकायुक्त के कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार।

●●●

पत्रांक–3/एम॰33/07–का॰–3259

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2006

विषय– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लबिंत मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त विभागीय प्रोन्नति समिति का निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने पर एतद् संबंधी रिक्ति को भरने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं॰–3एम॰1-49/2001-7457 दिनांक 11.09.2002 तथा 9270 दिनांक 17.12.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संकल्प सं॰ 7457 दिनांक 11.09.2002 की कंडिका–2 की कंडिका (iii) में प्रावधान है कि जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया हो, तो एतद् संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है। राज्य सरकार के ध्यान में इस तथ्य को लाया गया है कि उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है, बल्कि पद सुरक्षित रख दिया जाता है पर सुरक्षित रख देने से रिक्ति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी कार्रवाई उक्त संकल्प के प्रावधानों का उल्लंघन भी है।

अत: निदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की कंडिका–2 की उप कंडिका–(iii) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जाय तो एतद् संबंधी रिक्ति को सव्यवहार में कनीय सरकारी सेवक की स्थापना प्रोन्नति से भरे जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

●●●

पत्रांक-नि॰वि॰/स्वा॰-120/2008-3577

बिहार सरकार

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
विभागाध्यक्ष,
प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 14.07.2008

विषय– तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा जॉचाधीन मामलों में संगत अभिलेख एवं कागजातों को जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जाँच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।

प्रंसगः- मुख्य सचिव का पत्रांक-2567 दिनांक-13.07.2000

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत निगरानी विभाग के पत्रांक-2567 दिनांक-13.07.2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस पत्र में निगरानी विभाग द्वारा जाँचाधीन मामलों में अभिलेखों को उपलब्ध कराने के संबंध में निदेश दिया गया था और उसका अनुपान न होने पर असहयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासी विभाग के द्वारा निलंबन की कार्रवाई कर दंडित करने का प्रावधान किया गया था। यह भी कहा गया था कि ऐसी कार्रवाईयों की सूचना मुख्य सचिव तथा निगरानी आयुक्त को दी जायेगी।

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि उपरोक्त पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निगरानी विभाग को कई मामलों में समय पर अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिससे अंततः आरोपित अधिकारियों को लाभ मिल जाता है। सुलभ संदर्भ के लिये उपरोक्त पत्र की कंडिका-3 नीचे उद्धृत की जा रही है:-

'सरकार कृतसंकल्प है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जाँचो में तीव्रता से कार्रवाई हो और जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने में किंचित भी अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। अतएव सरकार ने यह आदेश देने की कृपा की है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में जॉच पदाधिकारी द्वारा माँगा गया सुसंगत अभिलेख उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जाय और ऐसा कतई नहीं कि शनैः-शनैः विलम्ब से आंशिक अभिलेख भेजकर जांच के निहित उद्देश्य को विफल कर दिया जाय। इस निमित प्रशासी विभाग, विशेष पहल कर, क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित अभिलेख तत्काल उपलब्ध करा देने के लिये कहा करेंगे। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा विशिष्ट ध्यानाकर्षण किये जाने पर जाँच में सहयोग नहीं किये जाने के ऐसे सभी मामलों में प्रशासी विभाग अविलम्ब दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विधिवत निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और उन्हें निश्चित दंडित करेंगे। ऐसी कृत कार्रवाई की संसूचना मुख्य सचिव तथा निगरानी आयुक्त को ससमय दी जायेगी।

इतने स्पष्ट अनुदेशों के बाद भी अभी भी अभिलेखों के प्राप्त होने में वर्षों का समय लगाया जा रहा है। कहीं-कहीं तो अभिलेख इस बहाने उपलब्ध नहीं कराये जाते कि कार्यालय के पास आवंटन नहीं है और आवश्यक कागजातों की छायाप्रतियाँ कराना संभव नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति पूर्णतः अस्वीकार्य है।

समय पर किसी मामले की जाँच होने से सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। समय बीत जाने के बाद दोनों ही में से कोई संभव नहीं हो पाता है।

यह आवश्यक है कि मुख्य सचिव के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अभिलेखों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। निगरानी विभाग का यह अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों को यह निर्देश दें कि माँगी गयी सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। ऐसा नहीं होने पर निगरानी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग कार्रवाई करेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–

(विजय कुमार वर्मा)

प्रधान सचिव

●●●

पत्र संख्या–वि॰ (27) पें 121/06-1039

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

नवीन कुमार
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी।
सभी उप कोषागार पदाधिकारी।

दिनांक : 6 जुलाई, 2008

विषयः दिनांक 01.09.2005 से लागू नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01.09.2005 से लागू नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा नई पेंशन योजना से आच्छादित अंशदाताओं का पंजीकरण होना है। इस प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 857 दिनांक 17.07.2008 के द्वारा कोषागार पंजीकरण हेतु विहित प्रपत्र आपको इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि इसे काली स्याही से भरकर 25.07.2008 तक वित्त विभाग में भेज दिया जाए। यदि आपने यह प्रपत्र नहीं भेजा है तो उसे शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

इस पत्र के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नई पेंशन योजना से आच्छादित अंशदाता के पंजीकरण हेतु विहित प्रपत्र संलग्न करके भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रपत्र में सूचनाएं भरवा कर भेजने के लिए निम्न रूप से कार्रवाई की जाय।

(क) प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को DDO Registration Form (Annexure N 3) की एक प्रति, Covering Letter for Subscriber Registration Application form (Annexure S5) की दो प्रतियों तथा Application for allotment of Permanent Retirement Account No. (Pran) (Annexure S1) की उतनी प्रतियों दी जाए जितने नये पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों का वेतन वे निकासी करते है ये प्रपत्र उन्हें अगस्त माह के पारित वेतन विपत्र के साथ देने की व्यवस्था करें।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि उक्त प्राप्त सूचनाएं काली स्याही में भरी जानी चाहिए।

(ग) अंशदाता एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भरे हुए प्रपत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु अपने पास रख लेंगे।

(घ) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी अंशदाताओं के प्रपत्रों (Annexure S1] संलग्न अग्रसारण पत्र {Annexure S5] के साथ कोषागार पदाधिकारियों को समर्पित व साथ ही अंशदाताओं की सूची संलग्न प्रपत्र संख्या में भी देंगे।

(च) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को सूचित कर दिया जाए कि उन्हें पंजीकरण प्रपत्र तथा अंशदाताओं का पंजीकरण प्रपत्र भरकर सितम्बर माह के विपत्र के साथ कोषागार में जमा करना है।

(छ) यह स्पष्ट किया जाता है कि वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अधीन सम्प्रति नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर्मी नहीं है, उन्हें पंजीकरण प्रपत्र भरकर समर्पित करना है।

(ज) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त [Annexure S5,1] प्रपत्र को वित्त विभाग में 10.10.2008 तक भेजना सुनिश्चित करें। इसे साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची प्रपत्र 2 में भेजी जाए।

नई पेंशन योजना का सही रूप से कार्यान्वयन करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि इस हेतु एक सहायक कोषागार पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बना दें जो इस कार्य का अनुश्रवण करेंगे। इस विषय में यदि कोई शंका अथवा पृच्छा हो तो श्री मदन मोहन देव, संयुक्त सचिव वित्त विभाग (दूरभाष संख्या 0612-2215282 अथवा मो॰ 9431876097) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

ह०/–

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित विभाग

ज्ञापांक–1039 दिनांक–06.08.08

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग

●●●

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय आरोपों, प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों, अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही एवं लोकायुक्त के द्वारा निर्गत नोटिस आदि के कुप्रभाव के संबंध में विभिन्न परिपत्रों/संकल्पों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। उदाहरणार्थ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं॰-4512, दिनांक 12.03.79 एवं 9146, दिनांक 12.07.91 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कुप्रभाव के संबंध में और पत्रांक 18326, दिनांक 27.09.78 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) अन्तर्गत निर्गत नोटिस के प्रथम दृष्टया प्रमाणित माने जाने का मार्गदर्शन दिया गया है इस विषय के संबंध में भारत संघ बनाम के॰ वी॰ जानकीरमण एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय-निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से अद्यतन मार्गदर्शन निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत का उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य कर्मियों के लिए लागू करने का विषय विचाराधीन था।

2. प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांतः-राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के दिनांक 14.09.92 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार के लिए भी निम्नांकित प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाय-

(i) विभागीय प्रोन्नति समिति सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव के अनुसार विचार करेंगीः-

(क) निलंबित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिन पर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो,

(व्याख्या-आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग पत्र (Charge-sheet) समर्पित किया गया है।)

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति ऊपर वर्णित कोटियों के अन्तर्गत आनेवाले सरकारी सेवकों के मामलें पर भी उनके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक मामलों/आपराधिक कार्यवाही रहते हुए भी, अन्य सुयोग्य उम्मीदवारों के साथ प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष, (जिसमें प्रोन्नति के लिए अयोग्य भी शामिल हो सकता है) मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे के ऊपर ''श्री.....(सरकारी सेवक का नाम) के संबंध में.....ग्रेड/पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष। इसे.....के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक मामलें/आपराधिक कार्यवाही के निष्पादन की कार्यवाही में संबंधित सरकारी सेवक के विषय में मात्र इस आशय की टिप्पणी अंकित की जाएगी कि ''निष्कर्ष संलग्न मुहरबंद लिफाफे में रख दिया गया है।''

(iii) जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया हो तो एतद्-संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है।

(iv) उपर्युक्त कंडिका (ii) में उल्लखित प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा भी तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

(v) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति किसी भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति पर विचार कर रही हो तो भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में निष्कर्ष रखा जाएगा।

(vi) ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, के निष्पादित हो जाने पर मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जाएगा। ऐसे मामलें में जब संबंधित सरकारी सेवक को पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबंद लिफाफों में रखें गए निष्कर्षो के अनुसार, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी। ऐसे सरकारी सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न की तारीख के संदर्भ में, वैचारिक रूप से (नोशनल) प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान किया जायगा अथवा नहीं और, यदि हां, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय संबंधित मामलें में नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा। जहां कहीं भी प्राधिकार द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों को अस्वीकृत किया जाता है जो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा। ऐसी सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों का अस्वीकृत करना जरूरी हो, तथापि उदाहरणार्थ ऐसे मामलों में वेतन भुगतान अस्वीकृत किया जा सकता है जहां कार्यवाही (चाहे अनुशासनिक या आपराधिक) में स्वयं सरकारी सेवक के अनुरोध के कारण विलंब हुआ हो अथवा जहां अनुशासनिक कार्यवाही में दी गई विमुक्ति (क्लियरेंस) या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त (एक्वीटस) संदेह-लाभ के कारण हो, अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिसे संबंधित कर्मचारी के कृत्यों से जोड़ा जा सके।

(vi) यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरुप सरकारी सेवक को कोई दण्ड दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और उसकी प्रोन्नति के मामले पर, सामान्यत: उसे दिये गये दण्ड को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

3. दोषी पाये जाने पर दंड की सीमा - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहां सुसंगत नियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई हो और सरकारी सेवक को दोषी पाया गया है तो ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरुप उसे मात्र ''चेतावनी'' की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसा पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी पर आरोप प्रमाणित होता है तो उसे कम-से-कम ''निंदन'' की सजा दी जानी चाहिए।

4. कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता-यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं किया जाय और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रताशीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किये जायें, ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम-से-कम अवधि तक ही रखने की परिस्थिति बने। अत: यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की, जिनकी उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर प्रोन्नति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ने संज्ञान लिया था और सरकारी सेवक की उपयुक्तता पर विचार कर अपने निष्कर्षो को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, उस मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के आयोजन की तारीख से छ: माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी समीक्षा बाद में भी हर छ: महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक कार्यवाही में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिये तथा इन्हें जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

5. कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति की संभावना–उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते है, जिनमें पहली विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसने सरकारी सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षो को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बठैक की तारीख से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरुद्ध

अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले की समीक्षा करें। अगर वह सरकारी सेवक निलंबनाधीन न हो, तो निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए:-

(क) क्या सरकारी सेवक की प्रोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर है कि उसे प्रोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिये जाने में होने वाले विलंब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरुप विभागीय मामले/आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रूप से दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिनके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक अभियोजन प्रारम्भ किया गया है उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

6. तदर्थ प्रोन्नति पर विचार–यदि नियुक्ति प्राधिकार इस आशय से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सरकारी सेवक को तदर्थ प्रोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिए जाने के लिए क्या संबंधित अधिकारी, तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यत: आयोजन की जाने वाली अगली विभागीय प्रोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी मामले में जहां सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना हो, वहां विभागीय सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना हो, वहां विभागीय प्रोन्नति समिति को चाहिए कि वह, उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हुए, उस व्यक्ति की सेवा के समय रिकार्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करे।

7. तदर्थ प्रोन्नति संबंधी आदेश–किसी सरकारी सेवक की तदर्थ आधार पर प्रोन्नति किए जाने के संबंध में निर्णय ले लिए जाने के बाद ही उसकी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए और जारी आदेश में ही उल्लेख किया जाना चाहिए कि:

(i) प्रोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ प्रोन्नति से सरकारी सेवक को नियमित प्रोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा, तथा

(ii) प्रोन्नति ''अगले आदेश तक'' ही होगी। इस प्रकार के आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार उक्त तदर्थ प्रोन्नति को रद्द करने तथा संबंधित कर्मचारी को उसी पर वापस भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे प्रोन्नति दी गयी है।

8. तदर्थ प्रोन्नति का विनियमन –यदि संबंधित सरकारी सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोष मुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोषरहित करार कर दिया जाता है तो तदर्थ प्रोन्नति को नियमित प्रोन्नति में बदल दिया जाय तथा तदर्थ प्रोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित सुविधाओं को नियमित प्रोन्नति के रूप में संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। यदि ऐसे सरकारी सेवक को मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों में रखी गई विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किए गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ प्रोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे उक्त सरकारी सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, की प्रोन्नति की वास्तविक तारीख से, संबंधित सरकारी सेवक को उपयुक्त कंडिका 2(vi) में निरूपित देय वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधाएँ दे दी जाएगी।

9. दोषमुक्त नहीं होने पर प्रत्यावर्त्तन–यदि सरकारी सेवक को आपराधिक कार्यवाही से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और सरकार इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में अपील में ले

जाना चाहती है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है अथवा यदि ऐसे सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही में दोषरहित करार नहीं दिया जाता है तो प्रोन्नति को रद्द कर उसे निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए।

10. निलंबित सरकारी सेवक के स्थायीकरण का दावा – किसी निलंबनाधीन सरकारी सेवक के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। जब ऐसे किसी अधिकारी के मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिए एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के बाद कंडिका 2 (i) की स्थिति सामने आना–कोई सरकारी सेवक, जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परंतु जिसके मामले में कंडिका-2 (i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जाएगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया होता। ऐसे सरकारी सेवक को तब तक प्रोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोष-मुक्त न कर दिया जाए और इस संकल्प में दिए गए उपबंध उसके मामले में भी लागू होंगे।

12. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प/पत्र/अनुदेश इस आदेश तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा। इसे बिहार राजपत्र के आसाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञापांक 3/एम 1 49/2001-7457 दिनांक-11.09.02

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 100 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 3/एम 1 49/2001-7457 दिनांक-11.09.02

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (प्रशाखा-3 को 100 प्रतियों)।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 3/एम 1 49/2001-7457 दिनांक-11.09.02

प्रतिलिपि-बिहार लोक सेवा आयोग/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय, पटना/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

●●●

पत्रांक-वि॰ (27) पें॰ को॰ - 116/08-1638

बिहार सरकार,

वित्त विभाग।

प्रेषक,

नवीन कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक
संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि, निदेशालय।

पटना, दिनांक-30 दिसम्बर, 2008

विषयः- सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवान्त लाभों के त्वरित भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों के ससमय भुगतान नहीं होने के कारण न्यायालयों में काफी संख्या में मामले दायर किये जाते हैं। इन सेवांत लाभों का भुगतान शीघ्रतापूर्वक करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई संकल्प/परिपत्र/पत्र निर्गत किये गये हैं। सेवान्त लाभों के विलम्बित भुगतान की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त संदर्भ में आपका ध्यान मुख्य सचिव के पत्र संख्या-5322 वि॰ दिनांक 23.05.1974 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे पेंशन मामलों के शीघ्र निस्तार हेतु आवश्यक निदेश निर्गत किया गया है। इसके पश्चात् पुनः मुख्य सचिव का पत्रांक 8042 वि॰ (पें॰) दिनांक 30.08.1999 तथा पत्रांक 3089 दिनांक 23.08.2004 निर्गत किया गया है।

ऐसी स्थिति में सेवान्त लाभों, जिसमें सामान्य भविष्य निधि की राशि, प्रोन्नति के फलस्वरूप देय राशि, कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरुप देय राशि, ग्रेच्यूटी, अर्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि, सामुहिक ग्रुप बीमा की राशि तथा दण्ड स्वरूप रोक रखी गयी पेंशन की राशि सम्मिलित है, के भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश पुनः दोहराये जा रहे हैं:

1. सभी नियंत्री पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की धारा 189 का पालन करेंगे जिसके आलोक में वे सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का पेंशन प्रपत्र उक्त कर्मी की सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
2. महालेखाकार को ऐसे प्रपत्र ससमय (सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व) भेजे जायें जिससे महालेखाकार के स्तर में इसकी स्वीकृति में विलम्ब नहीं हो।
3. अराजपत्रित कर्मियों के मामलों में यदि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी द्वारा पेंशन प्रपत्र ससमय समर्पित नहीं किया जाता है तो वैसे कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित विभाग के संकल्प संख्या 3014 वि॰ दिनांक 31.07.1980 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।
4. सेवान्त लाभों के भुगतान के मामले में जहां विलम्ब होता है, वहां इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित किया जाय।
5. सेवान्त लाभों के भुगतान के मामले में जहां Penal Interest का भुगतान किया जाता है, वहां विलम्ब के लिये दोषी कर्मियों से ही इसकी वसूली की जाय।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में ऐसे मामलों की समीक्षा नियमित अन्तराल पर आवश्यक रूप से करें एवं ऐसे मामलों के निस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने की कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(नवीन कुमार)
प्रधान सचिव।

●●●

पत्रांक–नालन्दा जांच/ग्रा॰वि॰–85/03/2613

बिहार सरकार,

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25.03.2009

विषयः- तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, द्वारा जाँचाधीन मामलों में संगत अभिलेखों एवं कागजातों को जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराने और जांच में सहयोग नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः- मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 2567 दिनांक 13.07.2000

महाशय,

विषयाधीन प्रकरण एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए कहना है कि निगरानी विभाग द्वारा जांचाधीन मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वांछित अभिलेख और कागजातों को उपलब्ध नहीं कराये जाते है तथा लगातार पत्राचारों के बावजूद शनैः शनैः किस्तों में वर्षों तक के अन्तराल में निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लम्बित जाँचो का कोई सकारात्मक फलाफल दीर्घ काल तक नहीं निकल पाता है। अंततः सेवाओं में भ्रष्टाचार उन्मूलन के निहित मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सरकार की दृष्टि में ऐसे कई प्रकरण आये है कि जिसमें उपरोक्त कारण से भ्रष्ट और दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई प्रभावी विभागीय कार्रवाई या वैधिक कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवक जांच के क्रम में उपयुक्त रूप से दंडित नहीं हो पाता है कहीं–कहीं यह भी देखा जाता है कि यह प्रयास रहता है कि सूचनाएं अथवा कार्रवाई में इतना विलंब हो जाये कि सेवानिवृति अथवा निधन के बाद कार्रवाई संभव नहीं हो सकें।

निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा जाँचाधीन एक ऐसे मामले में यह पाया गया कि कोषांग द्वारा 5 वर्षो तक गहन पत्राचार के बावजूद प्रशासी विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जाँच से संबंधित कोई भी अभिलेख कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया गया और अंततः उद्‌भेदन हुआ कि संबंधित सरकारी सेवकों द्वारा वांछित कागजात एक मुश्त में विलुप्त कर दिया गया।

सरकार कृत संकल्प है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में तीव्रता से जाँच की कार्रवाई हो और जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने में किसी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न हो। निगरानी विभाग द्वारा जाँचाधीन मामलों में जाँच पदाधिकारी द्वारा मांग होते ही सुसंगत अभिलेख उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जाय और ऐसा न हो कि शनैः शनैः अथवा विलम्ब से आंशिक अभिलेख भेजकर जांच के अन्तर्निहित उद्देश्यों को विफल कर दिया जाय। अतः प्रशासी विभाग विशेष पहल कर क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित अभिलेख तत्काल उपलब्ध करा देने के लिए बाध्य करेंगे। जाँच में सहयोग नहीं किये जाने के ऐसे सभी मामलों में प्रशासी विभाग अविलम्ब दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और उन्हें विधिवत् दंडित करेंगे तथा कार्रवाई कर सूचना निगरानी विभाग को ससमय उपलब्ध करा देंगे।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन करते हुए जांचाधीन मामलों में वांछित अभिलेख एवं कागजात त्वरित गति से जांच पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाये।

विश्वासभाजन

ह०/–

(विजय कुमार वर्मा)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–185 पटना, दिनांक–25.03.09

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख (प्रभारी), तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/–

प्रधान सचिव।

●●●

संख्या-3/एम०-46/2008 का० 666/दिनांक-20.02.10

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14, ''स्पष्टीकरण'' के नाम ''स्पष्टीकरण (2)" तथा ''स्पष्टीकरण (3)" का जोड़ा जाना-''नियमावली के नियम 14 में प्रावधानित स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित नये 'स्पष्टीकरण (2)' एवं 'स्पष्टीकरण (3)' जोड़े जायेंगे:-

''स्पष्टीकरण (2)"—इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) एवं (viii), में अंकित शास्तियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है, यथा-

(i) निन्दन-निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल-चूक के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निंदन की शास्ति दी जायेगी, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षो तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002-2003 के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002-2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक रहेगी।

ऐसा सरकारी सेवक जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हो, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के प्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षो की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती हो तो 2008 में, अर्थात् अंतिम निन्दन के कुप्रभावों की समाप्ति के पांच वर्षो के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्ते कि 2003 से 2007 तक की पांच वर्षो की अवधि में कम से कम तीन वर्षो का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और पांच वर्षो की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।

(ii) प्रोन्नति रोकना:-प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए।

(iii) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति-इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है अत: शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

(iv) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना–ऐसी शास्ति का प्रभाव निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगले वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतन वृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात् असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। चूंकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है अत: वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(v) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना - ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियां रोकी जायेंगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात् संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। जितने वर्षों तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षो के वेतनवृद्धियों के बीच तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रूकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षो तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी उतने वर्षो तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(vi) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं–ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्त के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियां स्वत: अनुमान्य होने लगेगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेगी।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियां बाधित रखी जाती है तो जितने वर्षो के लिए वेतनवृद्धि बाधित रहेंगी उतने वर्षो तक प्रोन्नति रहेगी।

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस कोटि या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तो तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा–इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं। यदि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही उसे अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्तो का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा। अत: अनुशासनिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नांकित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायें-

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनित स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ख) जहां अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहां भी उल्लेख किया जाय कि अवनित की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वत: उस पर पद प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनर्प्रोन्नति के फलस्वरुप 'सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनर्प्राप्त कर लेगा या नहीं।''

''**स्पष्टीकरण (3)– चेतावनी**–इस नियम के अर्थान्तर्गत 'चेतावनी' शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। परन्तु ऐसे अवसर आ सकते है जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की उसकी लापरवाही, अभिरूचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े। ऐसी आलोचना ''मौखिक'' या ''लिखित'' चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यो में सुधार आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात् स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जांच के बाद ही निष्कर्ष निकले कि ''निन्दन'' की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को ''चेतावनी'' देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो ''चेतावनी'' दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र-पुरस्त में की जानी चाहिए। परन्तु चरित्र-पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी ''चेतावनी'' निन्दन नहीं हो सकती है, क्योंकि ''चेतावनी'' देते समय उसे ''निन्दन'' के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी सरकारी सेवक के चरित्र-पुस्त में ''दो चेतावनियों'' की प्रविष्टि हो तो वर्णित कारणों से, ऐसी चेतावनियां ''निन्दन में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती है और न ही वे ''एक निन्दन'' के समान हो जा सकती है। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चरित्र पुस्त में दर्ज हो जायें। चेतावनियां प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती है। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है तो प्रतिवेदक/समीक्षा पदाधिकारी तद्नुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (मानो सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) ''चेतावनी'' दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चरित्रपुस्त में की जा सकती है तो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के चरित्रपुस्त में पांच चेतावनी की प्रविष्टी हुई हो तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पांचवीं चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पांच वर्षो में कम से कम तीन वर्षो का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पांच वर्षो की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–
(राजीव लोचन)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०–3/एम०–64/2008 का० 666 पटना–15 दिनांक–10 फरवरी 2010

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करावें।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०–3/एम०–64/2008 का० 666 पटना–15 दिनांक–10 फरवरी 2010

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/मुख्यमंत्री सचिवालय/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार/प्रभा आई० डब्लू० डी० एम० एस० टी० सी० एस० वित विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

●●●

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

10 फरवरी, 2010

सं॰ 3/एम॰–64/2008 का॰–667–भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–(1) यह नियमावली ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

3. यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14 में ''स्पष्टीकरण'' के बाद ''स्पष्टीकरण (2)" तथा ''स्पष्टीकरण (3)" को जोड़ा जाना–

''उक्त नियमावली के नियम 14 में प्रावधानित स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण करे (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित नये स्पष्टीकरण (2) एवं स्पष्टीकरण (3) जोड़े जायेंगे–''स्पष्टीकरण (2)" इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi) एवं (viii) में अंकित शास्तियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है, यथा–

(i) निन्दन–निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल–चूक के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षो तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002-2003 के आरोपों अथवा भूल–चेक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002-2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003-2004 कसे 2005-06 तक रहेगा।

ऐसा सरकारी सेवक जिसे तीन निंदन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पांच वर्षो में कम–से–कम तीन वर्षो का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो तो उसे अगले 5 वर्षो की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को दिये ये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती हो 2008 में, अर्थात् अंतिम निन्दन के कुप्रभावों की समाप्ति के पांच वर्षो के बाद, प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्ते कि 2003 से 2007 तक की पांच वर्षो की अवधि में कम–से–कम तीन वर्षो का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन पांच वर्षो की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।

(ii) प्रोन्नति रोकना–प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए।

(iii) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति–इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूंकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है अत: शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

(iv) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना–ऐसी शास्ति का प्रभाव निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतन वृद्धियां रोकी जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धिशें की संख्या कास्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात् असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। चूंकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है अत: वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धि का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में अर्थात् जितने वर्षो तक वेतन वृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षो तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा।

(v) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना–ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियां रोकी जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात् संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। जितने वर्षो तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षो की वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परंतु चूंकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है, अत: रोकी गई वेतनवृद्धियों पूरी सेवाकाल तक के लिए रूक जायेगी। ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रूकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में अर्थात् जितने वर्षो तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी उतने वर्षो तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा।

(vi) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, इन निर्देशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं। ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियां स्वत: अनुमान्य होने लगेगी या बाधित रहेगी और यदि बाधित रहेगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेगी।

(viii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि पद या सेवा में अवनित, जो समान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तो तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यार्वतन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निर्देशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा। इस शास्ति संबंधी आदेश आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित, अवधि के लिए होगी या नहीं। यदि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्तो का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति अधिरोपित किये जाने वाले आदेश में निम्नांकित रूप में निर्देश विनिर्दिष्ट किये जायें–

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए

(ख) जहां अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहां यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वत: उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनप्रोन्नति के फलस्वरुप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनर्प्राप्ति कर लेगा या नहीं।''

''**स्पष्टीकरण (3)**–चेतावनी इस नियम के अर्थान्तर्गत चेतावनी शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। परन्तु ऐसे अवसर आ सकते है जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव कार्य में विलम्ब आदि कारणों से आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े। ऐसी आलोचना ''मौखिक'' या ''लिखित'' चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यो में सुधार आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात् स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि ''निंदन'' की सजा देने के बाजय आरोपित व्यक्ति को ''चेतावनी'' देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो ''चेतावनी'' दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र-पुस्त में की जानी चाहिए। परनतु चरित्र-पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी ''चेतावनी'' ''निंदन'' में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हालांकि ऐसी चेतावनी का असर सरकारी सेवक की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए उसके विचार योग्य होने पर पड़ता है। ऐसी ''चेतावनी'' ''निदंन'' नहीं हो सकती है, क्योंकि ''चेतावनी'' देते समय उसे ''निंदन'' के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्र-पुस्त में ''दो चेतावनियों'' की प्रविष्टि होतो, वर्णित कारणों से, ऐसी चेतावनियों ''निंदन'' में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती है और न ही वे ''एक निंदन'' के समान हो जा सकती है। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता कि सरकारी सेवक के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियां चरित्रपुस्त में दर्ज हो जायें, चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती है। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है। तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तद्नुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते है।

अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी सफाइ देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) चेतावनी दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चरित्रपुस्त में की जाती है जो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नती में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के चरित्र-पुस्त में पांच चेतावनी की प्रविष्टि हुई हो तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पांचवी चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पांच वर्षो में कम-से-कम तीन वर्षो का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पांच वर्षो की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
राजीव लोचन,
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक सं०-3/एम०-64/2008 का० 667 पटना-15 दिनांक 10 फरवरी 2010

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पांच सौ) प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करावें।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक सं०-3/एम०-64/2008 का० 667 पटना-15 दिनांक 10 फरवरी 2010

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/मुख्यमंत्री सचिवालय/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार/प्रभी आई० डब्लू० डी० एम० एस० टी० सी० एस० वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी करो सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव

●●●

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखंड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए है पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियों कार्यो के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती है। वर्तमान में बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गो में पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा रहा है जिससे इनकी कमी और बढ़ रही है। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। पर कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा का ध्यान में रखा जाए तो शीघ्र ही सारी नियुक्तियां हो जाएगी इसमें काफी कठिनाई है, यद्यपि कि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास हो रहे है।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है पर यदि नियमित नियुक्तियों में देरी हो और कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्ति पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवायें संविदा के आधार पर ली जाएँ। इसके लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. वैसे तो प्रथम दृष्ट्या सभी विभागों में कर्मियों की कमी है, परन्तु निम्न पद ऐसे है, जहां रिक्तियां काफी खटकती हैं और कार्य में काफी व्यवधान होता है–

(i) राजस्व कर्मचारी

(ii) पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)

(iii) जन सेवक

(iv) अमीन

(v) अंचल निरीक्षक

(vi) प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन कार्य लिए जाते हैं।

(vii) ए॰ एन॰ एम॰

(viii) ग्रेड 'ए' नर्सेज

(ix) सचिवालय सहायक

(x) पैरा मेडिकल स्टॉफ, जैसे कि ओ॰ टी॰ असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मास्टि आदि

(xi) जिला पदाधिकारी/उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक इसलिए प्रथम चरण में उपर्युक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवायें संविदा पर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों एवं कर्मियों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगे–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चयन

(ख) जो पूर्व से सेवानिवृत्त हो गये हैं उनका चयन

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चयन

(i) संकल्प की कंडिका–4 में वर्णित पद से सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के चयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिया जाएगा।

(ii) जिला संवर्ग विशेष से पदाधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका चयन उसी पद के विरुद्ध होगा।

(iii) एक जिला से सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी/कर्मी अन्य जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(iv) चयन प्रथम दो वर्षो के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।

(v) नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।

(vii) चूंकि जिस श्रेणी के पदाधिकारी एवं कर्मी (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत हो रहे है, उन्हें ही पुनः चयन किये जाने से संकल्प संख्या-117 दिनांक-30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा।

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मी के चयन के लिए

(i) पूर्व से सेवानिवृत कर्मियों के लिए संबंधित विभागों द्वारा आम विज्ञापन निकालकर संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(ii) उपरोक्त नियोजन विभाग में पूर्व से उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा।

(iii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्द एक से प्रारंभ होगा।

(iv) चयन प्रथम दो वर्षो के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।

(v) नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।

(vii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

(ग) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के चयन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की चयन समिति होगीः-

(i) जिला पदाधिकारी

(ii) उप विकास आयुक्त

(iii) अपर समाहर्त्ता

(iv) संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी जिनके अधीन सेवानिवृत्त कर्मी कार्यरत थे।

(v) एक अनुसूचित जाति के उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे।

(घ) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित कर्मियों की सेवायें नहीं ली जा सकेगी–

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(v) चयन समिति की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत नहीं हो।

(vi) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृंखला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यदि प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अंतर दिया जाना संभव नहीं हो वहां ऐसी नियुक्तियां उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।

6. अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मियों को रखने के अनुरोध प्राप्त होने पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अलग से समरूप व्यवस्था की जा सकेगी।

7. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन असाधारण गजट में किया जाए तथा इसकी 100 प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाए।

ह०/–

दीपक कुमार

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4वि०–1-114/2009–का०–2804 पटना, दिनांक–29.03.10

प्रतिलिपिः – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4वि०–1-114/2009–का०–2804 पटना, दिनांक–29.03.10

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव

●●●

पत्र संख्या-3/एम०-64/2009-2108

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-31 मई, 2010

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन-अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

कतिपय मामलों में पाया जाता है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के लिए स्पष्ट मार्ग निदेश रहने के बावजूद समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं हो पाता है। समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं होने एवं प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षी पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी के स्थानांतरित होने या सेवानिवृत्त/मृत होने पर ऐसी स्थिति में प्रोन्नती के योग्य सरकारी सेवकों की भी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है। विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह उजागर हुआ है कि ससमय प्रोन्नति नहीं मिल पाने का एक कारण गोपनीय अभ्युक्तियों का ससमय अभिलेखन नहीं होना भी है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के पत्रांक-10570 दिनांक-24.10.07 के तहत यह निर्णय भी संसूचित किया गया कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पांच वर्षो में से मात्र तीन वर्षो की ही गोपनीय अभ्युक्तियों उपलब्ध हों तो उक्त पांच वर्षो से भी पूर्व के संलग्न वर्षो की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षो की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय और तद्नुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु, कई मामलों में यह पाया गया है कि पिछले पांच वर्षो में से तीन वर्षो की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती है। इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित ही रह जाती है। प्रोन्नति प्रभावित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हो और उन्हें अभिलेखित कराया जाना सम्भव नहीं रह गया हो वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य-कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

4. विशेष प्रमाण पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो। प्रमाण पत्र संबंधी उपयुक्त विकल्प वर्ष 2009-2010 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामलों में ही लागू होगा।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
दीपक कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

●●●

पत्र सं०–3/एम० 45/2011-सा०–922

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30 मार्च, 2011

विषयः– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) के अनुसार विचार।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से निर्गत संकल्प सं०–सी० आर० को०–118/07 का०–10570 दिनांक–24.10.2007 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.2010 के तहत निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्न्यन योजना, 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन उन्नयन के लिए वेतन बैड–3 के ग्रेड वेतन 6600/- रु० तक बेंच मार्क अच्छा और 7600/- रु० एवं उपर के ग्रेड वेतन तक के वेतन उन्नयन के लिए बेंच मार्क बहुत अच्छा होना आवश्यक किया गया है। दूसरे अर्थो में रु० 7600/- एवं उपर के ग्रेड वेतनों में वृति उन्नयन के लिए चारित्री का बहुत अच्छा होना वांछनीय होगा।

2. चूंकि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लिए वही आधार एवं प्रक्रिया होती है जो नियमित प्रोन्नति के लिए होती है, अतः यह तर्क संगत प्रतीत होता है कि नियमिति (कार्यात्मक–Functional) प्रोन्नतियों के मामले में भी ऐसा बेंच मार्क/पैरामीटर निर्धारित किया जाय।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि–

(i) विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा चारित्रियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष पर आने के लिए चारित्री/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण नियमानुसार रहेगा–

(क) उत्कृष्ट

(ख) बहुत अच्छा

(ग) अच्छा

(घ) औसत

(ङ) प्रतिकूल अभ्युक्ति

2. जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति अभिलेखित की जाती है, उसे निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित समय–सीमा में संसूचित की जानी चाहिए। संसूचित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त प्रतिकूल अभ्युक्ति को चारित्री के औसत वर्गीकरण की कोटि में रखा जाएगा।

3. पूर्व में कोई मामलों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्री/कार्य मूल्यांकन का अभिलेखन वर्णित वर्गीकरण के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसा अभिलेखित चारित्री को उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार सामंजन किया जाएगा–

अभिलेखित चारित्री	वर्गीकरण जिसमें सामंजन किया जाएगा
(क) उत्तम	उत्कृष्ट
(ख) प्रोन्नति के योग्य/संतोषजनक	अच्छा
(ग) कर्मठ	अच्छा

शेष प्रकार के अभिलेखों पर विभागीय प्रोन्नति समिति निर्णय लेगी।

4. चारित्री के अभाव में उसके एवज में प्रमाण–पत्र रहने पर जितनी अवधि का प्रमाण–पत्र रहेगा उतनी पीछे की अवधि की चारित्री का अवलोकन प्रोन्नति पर विचार के लिए आवश्यक होगा।

5. जहां स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन दिए जाने का प्रावधान है वहां स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 30 अप्रील तक समर्पित कर दिया जाना आवश्यक होगा। 30 अप्रील तक जो पदाधिकारी स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करेंगे, प्रतिवेदक पदाधिकारी उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया गया हो तथा प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा उनकी चारित्री नहीं लिखी गयी हो तो चारित्री नहीं लिखने वाले पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायेगी।

6. रु॰ 6600/- तक के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति पर विचार के लिए पिछले 5 वर्षो में से 36 माहों की अभ्युक्ति को कम–से–कम 'अच्छा होना चाहिए तथा शेष वर्षो की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षो में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

7. इसी प्रकार रु॰ 7600/- एवं उससे ऊपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता के लिए पिछले 4 वर्षो में से 36 माह की अभ्युक्ति को कम–से–कम 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक होगा और शेष वर्षो में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 5 वर्षो में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध हो और शेष वर्षो की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षो में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

8. अगर पिछले 5 वर्षो या उसके ठीक पूर्व के 2 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज किया गया हो तो ऐसे सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वे पिछले 5 वर्षो के चारित्री अभिलेखन के प्रतिकूल वर्ष के दायरे से बाहर नहीं हो जाते है।

4. वेतन बैंड एस–1 के मामलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगा।

5. चारित्री से संबंधित पूर्व के सभी परिपत्र/अनुदेश उपर्युक्त हद तक अवक्रमित समझे जायेंगे।

6. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–

सरयुग प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव

●●●

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय– राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए कोटि-वेतन (Grade Pay) आधारित कालावधि का निर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 280 दिनांक 05.07.2002 द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प सं॰ 2129 दिनांक 19.06.2007 द्वारा धारित पद एवं पूर्व के पद को जोड़कर निर्धारित कालावधि पूरी हो जाने पर भी अगले प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक सं॰ ए॰ बी॰-14017/61/2008-ईस्ट (आर॰ आर॰) दिनांक 24.03.2009 द्वारा कोटि वेतन (Grade Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निर्धारित की जा चुकी है। चूँकि राज्याधीन सेवाओं में भी कोटि वेतन (Grade Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः तदालोक में कोटि वेतन (Grade Pay) आधारित कालावधि का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में भारत सरकार के अनुरूप कोटि-वेतन (Grade Pay) आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जायः-

क्रमांक	कोटि-वेतन (Grade-Pay)		न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
1.	1800	1900	3 years
2.	1900	2000	3 years
3.	1900	2400	8 years
4.	2000	2400	5 years
5.	2400	2800	5 years
6.	2400	4200	10 years
7.	2800	4200	6 years
8.	4200	4600	5 years
9.	4200	4800	6 years
10.	4200	5400	8 years
11.	4200	6600	10 years
12.	4600	4800	2 years
13.	4600	5400	3 years
14.	4600	6600	7 years
15.	4800	5400	2 years
16.	4800	6600	5 years

17.	5400	6600	6 years
18.	6600	7600	5 years
19.	6600	8700	10 years
20.	7600	8700	5 years
21.	7600	8900	6 years
22.	8700	8900	2 years
23.	8700	10000	3 years
24.	8900	10000	2 years

II. उपर्युक्त कोटि–वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि–वेतन (Grade-Pay) से ठीक ऊपर कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि–वेतन (Grade-Pay) को लांघ कर दूसरे या तीसरे उपर के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति दे दी जायेगी। उदाहरणत: यदि किसी सेवा संवर्ग के पद संख्या में कोटि–वेतन (Grade-Pay) 2400 से 2800 एवं कोटि–वेतन (Grade-Pay) 2800 से 4200 का प्रोन्नत पद उपलब्ध हो तो तालिका की कंडिका–5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 कोटि–वेतन (Grade-Pay) से 4200 के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु (5+6)=11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी, न कि कंडिका–6 के अनुसार 2400 कोटि–वेतन (Grade-Pay) से 4200 के कोटि वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की कालावधि उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि–वेतन (Grade-Pay) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक अवधि (कार्य अनुभव) है। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर कोटि–वेतन (Grade-Pay) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

III. कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गो एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समानरूप से लागू होगा। परंतु सुनिश्चित वृति प्रोन्नति योजना के तहत प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में यह कालावधि लागू नहीं होगी।

IV. निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि–वेतन (Grade-Pay) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रु॰ 6600/- से रु॰ 7600/- के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रु॰ 7600/- से रु॰ 8700/- के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि 7600/- के कोटि–वेतन (Grade-Pay) से 8700/- के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति विचारणीय हो तो रू॰7600/- के कोटि–वेतन (Grade-Pay) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि–वेतन (Grade-Pay) (अनुरक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि–वेतन (Grade-Pay) (रु॰ 7600/-) के पद पर की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

V. कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं॰–ए॰ बी॰/14017/7/2008-स्थापना (आर॰ आर॰) दिनांक 17.01.2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकार उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी। जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नति पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उदाहरणत: यदि कोटि–वेतन (Grade-Pay) रु॰ 5400/- से कोटि–वेतन (Grade-Pay) 6600/- में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) में अधिकतम 2½ वर्ष की छूट दी जा सकेगी। यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी। प्रोन्नति

हेतु निर्धारित अन्य शर्ते यथा विभागीय परीक्षा के उतीर्णता सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी। कालावधि में छूट हेतु, प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

VI. यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इ-संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-11/बि० 4-काला० नि०/छु०-03/2001-सा०प्र० 1800 /पटना-15, दिनांक 09.06.2011

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबराग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-11/बि० 4-काला० नि०/छु०-03/2001-सा०प्र० 1800 /पटना-15, दिनांक 09.06.2011

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव कर्मचारी चयन आयोग/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव अति पिछड़े के लिए राज्य आयोग, बिहार/सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना/लोकायुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना/निबंधन, पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा, पटना/बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

●●●

पत्रांक–3-ए–2 वे॰ पु॰–18/2009 (अंश)–5152 वि॰

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव वित्त विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 21.05.2013

विषय– ए॰सी॰पी॰ के तहत वित्तीय उन्नयन कार्मिक एम॰ए॰सी॰पी॰एस॰, 2010 के तहत् द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कालावधि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों और सेवा संघों द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि ए॰सी॰पी॰ नियमावली, 2003 के तहत 10 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम॰ए॰सी॰पी॰एस॰, 2010 के आलोक में दिनांक 01.01.2009 या उसके बाद की तिथियों में द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो तो उसकी कालावधि क्या होगी।

2. वित्त विभागीय पत्रांक 15338, दिनांक 29.10.2012 के द्वारा यह निर्णय प्रसारित है कि 12 वर्ष पर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम॰ए॰सी॰पी॰एस॰ के तहत द्वितीय उन्न्यन 22 वर्ष (12 + 10) वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रदान की जाएगी।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से वित्त विभाग के पत्रांक–1917 दिनांक 27.02.2013 के द्वारा उपरी कंडिका–2 के संबंध में केन्द्रीय प्रावधान के सूचना की अपेक्षा की गयी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के Dy No.-30909/013-स्था॰ (डी) दिनांक 08.04.2013 के द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय प्रावधान की सूचना प्राप्त हुई है।

4. केन्द्रीय व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन्हें 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिनांक 01.01.2009 या उसके बाद की तिथियों में एम॰ए॰सी॰पी॰एस॰, 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो, उन्हें प्रथम नियुक्ति की तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर 20 वें वर्ष में द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय तिथि से प्रदान किया जाएगा। पूर्व के सभी परामर्श/निदेश इस हद तक स्वत: संशोधित हो जाएँगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

पत्रांक–3-ए–2 वे॰ पु॰–18/2009 (अंश)–5152 वि॰ पटना, दिनांक 21.05.2013

प्रतिलिपि:–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषाध्यक्ष पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै॰दा॰नि॰ कोषांग)/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

पत्रांक–3-ए–2 वे॰ पु॰–18/2009 (अंश)–5152 वि॰ पटना, दिनांक 21.05.2013

प्रतिलिपि:–सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

पत्रांक–3-ए–2 वे॰ पु॰–18/2009 (अंश)–5152 वि॰ पटना, दिनांक 21.05.2013

प्रतिलिपि:–प्रभारी ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(प्रभात शंकर)
अपरी सचिव, वित्त विभाग

पत्रांक–3-ए–2 वे॰ पु॰–18/2009 (अंश)–5152 वि॰ पटना, दिनांक 21.05.2013

प्रतिलिपि:–सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–21.05.2013

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–17415 दिनांक–20.12.2012 द्वारा संविदा के आधार पर किये जाने वाले नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विभागों को इस संबंध में तैयार की जा रही नयी नीति की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया। परन्तु उक्त रोक से सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया को मुक्त रखा गया।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति एवं संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देने का निर्णय लिया गया है:–

(i) सभी विभागों के द्वारा अधीन सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई नियमानुसार संबंधित आयोग (यथा बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग) के माध्यम से तुरंत प्रारंभ की जाए तथा एक वर्ष के भीतर सभी रिक्तियों को नियमित रूप से भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। संबंधित नियमित नियुक्तियों में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को वेटेज देने पर विचार किया जा सकता है और उनकी आयु सीमा को भी नियमानुसार शिथिल किया जा सकता है। उपर्युक्त आशय का संशोधन संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में कर लिया जाए एवं तदोपरांत नियुक्ति हेतु अधियाचनाएं भेजी जाए।

(ii) केन्द्र/केन्द्र सम्पोषित योजनाओं अथवा वाह्य वित्त सम्पोषित योजनाओं/परियोजनाओं में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तदनुसार संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

(iii) किसी अधिनियम/नियमावली में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तदनुसार संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

(iv) यदि किसी आयोग, निगम, निकाय एवं निबंधित सोसाईटी इत्यादि संस्थाओं द्वारा अपनी नियुक्ति नियमावली में संविदा के आधार पर नियोजन करने का प्रावधान किया गया है तो तद्नुसार संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

(v) उपर्युक्त कंडिका–2 (i) में उल्लेखित नियमित नियुक्तियों में लगने वाले विलम्ब को देखते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है परंतु यह नियोजन सिर्फ नियमित एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही होगा।

(vi) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया पूर्व के निर्गत संगत परिपत्रों के अनुसार की जा सकेगी।

3. कंडिका–2 के उपर्युक्त निदेशों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–17415 दिनांक–20.12.2012 के द्वारा संविदा नियोजन पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियों सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(वशिष्ट सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–63/2012 (खंड) सा० प्र०–8015/ पटना–15, दिनांक–21.05.2013

प्रतिलिपि:–अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(वशिष्ट सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–63/2012 (खंड) सा० प्र०–8015/ पटना–15, दिनांक–21.05.2013

प्रतिलिपि:–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(वशिष्ठ सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः- पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्गों को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग के बीच विभक्त कर विभागवार संवर्ग के गठन के संबंध में।

राज्य प्रशासनिक आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में प्रखंड स्तरीय विकास योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के माध्यम से कराये जाने तथा उक्त संगठन की आंतरिक संरचना कमजोर होने, मौलिक संवर्ग नहीं रहने के कारण प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं करने आदि के आलोक में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के लिए अभियंताओं का अलग स्थायी संवर्ग सृजित करने की अनुशंसा की गई थी। जिस पर मंत्रिपरिषद् द्वारा ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के अतिरिक्त भवन निर्माण तथा लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत अभियंताओं के अलग-अलग संवर्ग गठित करने का निर्णय लिये जाने की सूचना देते हुए तदनुसार अग्रतर कार्रवाई का निदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-2263 दिनांक-01.03.2007 द्वारा दिया गया है।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त निदेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग के वर्त्तमान अभियंत्रण संवर्ग को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के बीच विभक्त कर विभागवार संवर्ग गठन हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.05.2008 में स्वीकृति दी गयी है।

3. मंत्रिपरिषद् की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 8356 (एस०) दिनांक 24.06.2008 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2012 की बैठक में पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के विभाजन पर निर्णय लिया गया।

4. तद्नुसार राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग के बीच संवर्ग विभाजन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

(क) पथ निर्माण विभाग के संवर्ग के अभियंताओं को उनके वर्त्तमान में कार्यरत विभाग के आधार पर यथास्थिति के सिद्धांत को अपनाते हुए संवर्ग विभाजन कर दिया जाय अर्थात् बैठक की तिथि 18.07.2012 को जो अभियंता, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में वर्त्तमान में कार्यरत हैं वे उसी विभाग के संवर्ग के सदस्य माने जायेंगे।

(ख) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिये योजना एवं विकास के अधीन अपना अलग संवर्ग होगा और पथ निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग से प्रतिनियुक्त अभियंता 10.07.2012 के प्रभाव से यथास्थिति के आधार पर योजना एवं विकास विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के सदस्य माने जायेंगे।

(ग) पथ निर्माण विभाग के संयुक्त संवर्ग से नगर विकास विभाग ग्रामीण विकास विभाग या अन्य विभागों (अन्य निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग को छोड़कर) एवं निगमों/प्राधिकार में प्रतिनियुक्त अभियंता तथा उनकी रिक्ति पथ निर्माण विभाग में समाहित मानी जायेगी।

(घ) संवर्ग विभाजन के पश्चात् किसी अभियंता को यदि आपत्ति हो तो वे अभ्यावेदन दे सकते है। इसके लिये अधिकतम दो महीने की अवधि निर्धारित होगी।

उपर्युक्त कंडिका (घ) के सन्दर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों के निष्पादन हेतु निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किये जाते हैं:-

(i) **सामानुपातिक वितरण**-पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं का वितरण पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के बीच इन विभागों के स्वीकृत-पदबल के अनुपात में किया जायेगा।

(ii) **कोटि विशेष में वरीयता**-चूँकि पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं को विभागों के बीच विभागों के स्वीकृत-बल के आलोक में सामान्य एवं आरक्षण कोटि को दृष्टिगत रखते हुए विभक्त किया जाना है इसलिए यथास्थिति के आधार पर मौलिक विभाजन प्रस्ताव में परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त होंगे। उनकी स्वीकृति के बिन्दु पर निर्णय लेने का प्रथम आधार अभ्यावेदन की कोटि विशेष में वरीयता होगी।

(iii) **विभाग विशेष में कार्यानुभवः**–यदि अभ्यावेदक अपनी सेवाकाल में आधे से अधिक अवधि में किसी विभाग विशेष के अधीन सेवारत रहा हो और वह उसी विभाग में रहना चाहता हो तो उसके दावे को वरीयतानुसार यथासंभव मान्यता दी जा सकेगी।

(iv) **सेवा निवृत्ति के बारह माह अथवा कम शेष होः**– परिस्थितिवश ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(v) **विशिष्ट योग्यताः**–यदि अभ्यावेदक किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा डॉक्ट्रेट की उपाधि धारित करता है तो उस क्षेत्र से प्रमुख रूप से संबंधित विभाग में उसका सेवा–आवंटन हेतु दिया गया अभ्यावेदन विचाराणीय होगा।

5. संवर्ग विभाजन के संदर्भ में आपत्ति अभ्यावेदन संकल्प निर्गत की तिथि से दो माह तक दी जा सकेगी।

1. प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन का निस्तारण विभागीय अधिसूचना संख्या–8356 दिनांक 24.06.2008 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
2. उपर्युक्त कंडिका में उल्लखित मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को निस्तारित करते हुए दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से संवर्ग विभाजन को अंतिम रूप दिया जायेगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में पथ निर्माण विभाग भवन निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग अपनी आवश्यकतानुसार कनीय अभियंता की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियमों का अनुपालन करते हुए स्वतंत्र रूप से कर सकेगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाय तथा प्रतिलिपि सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पटना को अग्रसरित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–
सचिव

ज्ञापांकः–1/स्था०–19/2007–9737 (S) पटना, दिनांक–03.09.2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/स्था०–19/2007–9737 (S) पटना, दिनांक–03.09.2012

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, ई० गजट, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/स्था०–19/2007–9737 (S) पटना, दिनांक–03.09.2012

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यालय अभियंता/पथ निर्माण विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/स्था०–19/2007–9737 (S) पटना, दिनांक–03.09.2012

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, सी० डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः- पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्गो को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के बीच विभाजन के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग के विभागवार संवर्ग विभाजन के बिन्दु पर निर्गत संकल्प संख्या-1/स्था॰-19/2007-9337 (एस) दिनांक 03.09.2012 को संज्ञान में लिया जाए। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.05.2008 में लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में विभागवार अभियंत्रण संवर्ग का गठन किया जाना सुनिश्चित किया गया।

2. मंत्रिपरिषद् की उक्त बैठक में लिये गये निर्णय एवं विभागीय अधिसूचना 8356 (एस॰) दिनांक 24.06.2008 के परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2012 के बैठक में लिए गए निर्णय के अधीन निरूपित सिद्धांत के आलोक में पथ निर्माण विभाग संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग को विभागवार विभाजन कर पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग हेतु अलग-अलग अभियंत्रण संवर्ग सृजित किया जा रहा है।

3. तद्नुसार राज्य सरकार के निर्णयानुसार पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संगठन का पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में विभागवार विभाजित कर/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग हेतु अलग-अलग अभियंत्रण संवर्ग गठित किया जाता है।

4. पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संगर्व को विभागवार अभियंत्रण संवर्ग में विभाजन करने हेतु एवं नवसृजित संवर्गो के गठन हेतु निम्न सिद्धांत का अनुपालन करने का नीतिगत निर्णय हुआ है।

(क) मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अनुरूप पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग को पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग हेतु अलग-अलग अभियंत्रण संवर्ग में विभक्त किया जाता है।

(ख) पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग से नगर विकास विभाग या अन्य विभागों में (भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग को छोड़कर) तथा पथ निर्माण विभाग से अभियंत्रण कार्यबल सम्पोषित निगमों/प्राधिकार में प्रतिनियुक्त अभियंता या उनकी रिक्ति पथ निर्माण विभाग में समाहित मानी जायेगी।

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग) में पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग विभिन्न विभाग पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग से जिन अभियंताओं की सेवा सौंपी गयी है उसी विभाग संवर्ग अन्तर्गत माने जाते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में प्रतिनियुक्त मानी जायेगी।

(घ) वर्णित संकल्प संख्या-9737 (एस) दिनांक-03.09.2012 में निर्णयानुसार दिनांक 18.07.2012 के प्रभाव से यथा स्थिति के सिद्धांत को अपनाते हुए (जिस अभियंता से संवर्ग परिवर्त्तन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए है उनको छोड़कर) संवर्ग विभाजित माना जाय।

1. पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग के जिन अभियंताओं से विभागवार संवर्ग परिवर्त्तन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। उनके अभ्यावेदनों पर निम्न सिद्धांत के अनुसार निर्णय लिये गये है-

(क) वर्णित संकल्प संख्या-9737 (एस) दिनांक 03.09.2012 के कंडिका 4 (घ) 1 जो समानुपातिक वितरण से संबंधित है एवं संवर्ग विभाजन हेतु प्राथमिकतावार प्रथम सिद्धांत है, के अनुरूप समानुपातिकता कायम रखने निमित्त अपनाये गये है ताकि नवसृजित अभियंत्रण संवर्गो के संबंधित विभागों में असंतुलित कार्यबल के कारण विकास कार्य कुप्रभावित नहीं हो। इस बिन्दु के विचारोपरांत अन्य विभागों से प्राप्त अभ्यावेदन में पथ निर्माण विभाग संवर्ग हेतु दिये गये प्रथम अथवा अन्य विकल्प को अमान्य किया जाता है।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों पर विभाग विशेष में कार्यबलों की समानुपातिकता के आधार पर प्राथमिकतानुसार प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प, तृतीय विकल्प एवं चौथे विकल्प को यथासंभव अधिमानता दी गई है।

(ग) वैसे अभियंता जिनकी सेवानिवृति की तिथि एक वर्ष से कम है (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में प्रतिनियुक्त अभियंताओं को छोड़कर) उनके प्रथम विकल्प को मान्य किया गया है।

9. सभी संबंधित विभाग, पथ निर्माण विभाग के संयुक्त संवर्ग अधीन अपने स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बलों की पुनः गणना कर अपने-अपने विभाग के अन्तर्गत संवर्ग संधारण की अग्रतर-कार्रवाई करेंगे।

10. उपर्युक्त सिद्धांत के आलोक में विभागवार पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों में सभी विकल्पों पर विचार करते हुए समिति की अनुशंसा इसके साथ संलग्न सूची में अंकित है। (अनुलग्नक संलग्न)

11. समिति के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध किसी प्रभावित अभियंता को आपत्ति हो तो आदेश निर्गत की तिथि से 60 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति अभ्यावेदन पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत संवर्ग विभाजन हेतु गठित समिति को दे सकेंगे। समिति एतद् संबंधी 60 दिनों में प्राप्त अभ्यावेदनों को अगले 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करेगी।

12. तीन विभाग (यथा पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग) एक माह के अन्दर नियुक्ति नियमावली तैयार कर लेगें।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पटना/सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-1/स्था०-19/2007-6115 (S) पटना, दिनांक-29.07.2013

प्रतिलिपिः-संयुक्त सचिव ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना-7 को दो हार्ड कॉपी एवं सी० डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-1/स्था०-19/2007-6115 (S) पटना, दिनांक-29.07.2013

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, को सी० डी० सहित सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-1/स्था०-19/2007-6115 (S) पटना, दिनांक-29.07.2013

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/विशेष सचिव/प्रशासन विभाग मुख्य अभियंता/संयुक्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना संख्याः–ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)–3954 (S) पटना, दिनांक–04.04.11

अधिसूचना

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के सभी ग्रेड के सदस्यों की वरीयता सूची औपबंधित रूप से विभागीय अधिसूचना संख्या–5158 (एस॰) दिनांक 09.04.2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

2. औपबंधिक वरीयता सूची के विरुद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों/दावों एवं सुझावों के निराकरण के पश्चात् पथ निर्माण विभाग के बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा के सभी ग्रेड के अभियंताओं की वरीयता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है।

3. यदि इस वरीयता सूची में कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण या रिक्त हो तो उसकी सूचना साक्ष्य के साथ विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि वरीयता सूची के अगले प्रकाशन में सुधार किया जा सके।

4. वरीयता सूची को किसी प्रकार के दावा के लिए अंतिम साक्ष्य/आधार नहीं माना जायेगा।

5. यह अंतिम वरीयता सूची माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे विभिन्न वादों के फैसलों से प्रभावित होगी।

6. यह वरीयता सूची विभागीय वेबसाईट www.rcd.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

अनु॰–यथोक्तः।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह॰/–
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः–ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)–3954 (S) पटना, दिनांक–04.04.11

प्रतिलिपिः–प्रकाशित सूची की सी॰ डी॰ के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं (बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

ह॰/–
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः–ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)–3954 (S) पटना, दिनांक–04.04.11

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त

ह॰/–
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः–ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)–3954 (S) पटना, दिनांक–04.04.11

प्रतिलिपिः–महामंत्री, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ/अवर अभियंता संघ बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह॰/–
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः-ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)-3954 (S) पटना, दिनांक-04.04.11

प्रतिलिपिः-पथ निर्माण विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰-यथोक्त

ह॰/-
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः-ई॰ 3–एस–101/2000 (अंश)-3954 (S) पटना, दिनांक-04.04.11

प्रतिलिपिः-अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रकाशित सूची की सी॰डी॰ साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

अनु॰-यथोक्त।

ह॰/-
(योगेन्द्र भक्त)
विशेष सचिव

●●●

विविध-924/2013–3258 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग,

सेवा में,

अभियन्ता प्रमुख,
मुख्य अभियन्ता, दक्षिण बिहार, प्रभाग,
मुख्य अभियन्ता, उत्तर बिहार, प्रभाग,
मुख्य अभियन्ता, निरूपण प्रभाग,
सभी अधीक्षण अभियन्ता, सभी भवन अंचल,
सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी सहायक अभियन्ता,
सभी कनीय अभियन्ता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-15.03.2013

विषयः- वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति अभिलिखित कर समर्पित करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अभियंत्रण संवर्ग के वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति लिखित करने एवं संवर्ग नियंत्री विभाग को समर्पित करने की प्रक्रिया पर विचार करते हुए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन पदस्थापित एवं कार्यरत सभी कोटि के अभियंताओं के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12587 दिनांक-31.10.2007 द्वारा वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति अभिलिखित करने हेतु निर्गत दिशा निर्देश एवं प्रपत्र में वार्षिक चारित्री अभ्युक्ति अभिलिखित कर निम्न तालिका अनुसार समर्पित करेंगे:-

क्र॰ सं॰	प्रतिवेदी पदा॰	प्रतिवेदक पदा॰	समीक्षी पदा॰	स्वीकरण पदा॰
1.	कनीय अभियंता	सहायक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
2.	सहायक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता
3.	कार्यपालक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अभियन्ता प्रमुख	सचिव
4.	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	अभियन्ता प्रमुख	सचिव
5.	मुख्य अभियन्ता	अभियन्ता प्रमुख	सचिव	विभागीय मंत्री
6.	अभियन्ता प्रमुख	सचिव	विभागीय मंत्री	विभागीय मंत्री

सभी संवर्ग के अभियन्ता कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह में प्रतिवेदी पदाधिकारी को वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे। प्रतिवेदी पदाधिकारी मई माह में, समीक्षी पदाधिकारी जून माह में और स्वीकरण पदाधिकारी जुलाई माह में निष्पादित करेंगे।

सभी कोटि के अभियन्ता, विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अन्तिम संवर्ग विभाजन तक पदस्थापित विभाग का मंतव्य प्राप्त कर ही वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति संवर्ग नियंत्री विभाग को भेजेंगे। संविदा पर नियुक्त

सहायक अभियंता के लिए भी उपरोक्त उक्त लागू रहेगा। प्रतिवेदन पदाधिकारी की समीक्षा पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी, सभी सेवानिवृत्त या मृत हो गये (उक्त अन्य का प्रमाण पत्र) हों तो विशेष चारित्री अभिलेख की जा सकेगी।

इस प्रक्रिया के निर्धारण में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3258 (भ)/भ०नि०वि० पटना, दिनांक–15.03.2013

प्रतिलिपि:–सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रा०), भवन निर्माण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

●●●

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग

पत्रांक–म०म०–01/आर०–28/2006-434 दिनांक–01.03.07

संकल्प

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०–3918 दिनांक–25.10.1980 द्वारा किया गया था। उसके पश्चात् संदर्भित संकल्प के खंड (क) (1) में भी आंशिक संशोधन विभागीय संकल्प सं०–2079 दिनांक 18.11.2006 द्वारा किया गया था। अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार किया गया एवं वर्त्तमान नीति एवं प्रक्रिया को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए उपर्युक्त पूर्वादेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) (क) सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जायेगा, लेकिन प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से यह कभी भी किया जा सकता है। परन्तु ऐसे कारणों में सक्षम पदाधिकारी स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ख) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए स्थापना समिति नहीं रहेगी, बल्कि प्रभारी पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवक, जो अपने वर्त्तमान पद पर 03 साल पूरे कर चुके हैं, उनके स्थानान्तरण पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उपस्थापित करेंगे। सामान्यतया निम्नलिखित मार्गदर्शन निर्धारित किये जाते हैं:–

(i) पदाधिकारी/कर्मचारी 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं। किसी विशेष पद या स्थान के लिए यह अवधि 02 वर्ष भी हो सकती है जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित किया जायेगा।

(ii) जहाँ तक संभव हो, सेवानिवृति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी, जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में कोई अभ्यावेदन देना चाहे, तो वे प्रत्येक साल के अप्रैल तक अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी के पास विचार हेतु भेज सकता है। अगर पदाधिकारी/कर्मचारी के अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है, तो उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

(ग) यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं–तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर या यह बात उनकी चरित्र–पुस्तिका में दर्ज कर दी जाएगी।

(घ) सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना–पत्र संबोधित किये जाने की पद्धति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरुद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

(च) नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब विरमित कर देंगे।

(छ) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का गृह जिला में पदस्थापन (जिला संवर्ग को छोड़कर) नहीं किया जायेगा।

(ज) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की पत्नी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(झ) यथासंभव पति–पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा, अगर पति–पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हों। लेकिन जहाँ पति अथवा पत्नी में एक पद ऐसा हो, जिसका स्थानान्तरण संभव नहीं है, यथा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित शिक्षण कार्य में संलग्न चिकित्सक आदि, तो वैसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।

(2) यह देखा जाता है कि प्रायः पदाधिकारी/कर्मचारी अपने गृह जिला के पड़ोसी जिला में पदस्थापन चाहते हैं। यथासंभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

(3) सचिव अपने मंतव्य के साथ स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रस्ताव मंत्री को उपस्थापित करेंगे। मंत्री का आदेश अंतिम होगा।

(4) किसी भी हालत में किसी विभाग में संवर्ग बल के कुल कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के 10 प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण/पदस्थापन एक वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति अथवा कार्यहित में ऐसी आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का आदेश प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।

(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित रूप में स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम प्राधिकार के स्तर से निपटाये जायेंगे:-

विषय	सक्षम प्राधिकार
1. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
2. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के ऊपर के दो ग्रेड्स एवं समकक्ष ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
3. राजपत्रित सेवाओं के उपर्युक्त (1) एवं (2) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न एवं राज्य सेवाओं के वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरतपदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन	मुख्य सचिव के मार्फत से मुख्यमंत्री
4. विभागाध्यक्षों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन एवं प्रोन्नति के सभी प्रस्ताव तथा विभागीय सचिवों, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, एवं अवर सचिव के पदस्थापन संबंधी सभी प्रस्ताव।	मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
5. बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मियों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण	विभागाध्यक्ष

(6) यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-मं०मं०-01/आर०-28/2006-434 दिनांक 01.03.07

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी राज्यमंत्रियों के आप्त सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या–भवन/स्था०–4 विविध–30/13 6214 (भ) पटना–15, दिनांक–11.06.2014

बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली–2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रायोग करते हुए बिहार राज्यपाल भवन निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की भर्त्ती एवं अन्य सेवा–शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – (1) यह नियमावली ''बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में भवन निर्माण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं – इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, भवन निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का लिपिकीय संवर्ग।

   (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता (संबंधित अंचल)।

   (iv) ''अंचल'' से अभिप्रेत है, अधीक्षण अभियंता कार्यालय के अधीन क्षेत्र।

   (v) ''नियत दिन'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के आरम्भ की तिथि।

   (vi) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है।

   (vii) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है, प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार कर्तव्य अवधि में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

   (viii) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति।

3. संवर्ग की संरचना –लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नानुसार होगी –

क्रम संख्या	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

4. संवर्ग बल – संवर्ग बल ऐसा होगा जैसा भवन निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर, निश्चित किया जाएगा।

5. भर्त्ती –

   (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद पर नियुक्ति की अर्हता वाले पात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से, वरीयता के आधार पर, भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के लिए 85% पदों के 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

   (2) सभी आरंभिक भर्ती, आयोग की अनुशंसा पर, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार, प्रत्येक वर्ष की एक अप्रील के आधार पर, रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना प्रेषित करेगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता, अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से, एक वर्ष के लिए होगी।

6. अर्हता – (1) न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमिडिएट (10+2) या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, निश्चित की जाय।

7. आरक्षण – राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन भर्ती एवं प्रोन्नति में आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती – (1) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

9. **परिवीक्षा एवं प्रशिक्षण** –

(1) प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर सामान्यतया दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थिति में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

(2) विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा परन्तु यदि अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ससमय अथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने पर, प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

(3) राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी।

10. विभागीय परीक्षा – (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र-1

सेवा नियमावली – बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र-2

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एवं प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. सम्पुष्टि – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. वरीयता – संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये है,

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति – मूल कोटि से उच्चतर कोटि में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निश्चित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जा सकेगी।

14. संवर्ग का स्तर – यह संवर्ग अंचल स्तरीय होगा।

15. **स्थानांतरण / पदस्थापन** –

(i) अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र के भीतर इनका स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

(ii) विभागीय सचिव/अभियंता प्रमुख एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

(iii) विभागीय सचिव सहायक प्रशासी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

16. ..... आच्छादित नहीं हो, इस संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित ..... कर्मचारियों पर लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

17. कठिनाइयों का निराकरण – सरकार (भवन निर्माण विभाग) समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष आदेश जो इस नियमावली से संगत हों जारी कर सकेंगे, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

18. निर्वचन – जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. निरसन एवं व्यावृति – (1) इस संवर्ग से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प/अनुदेश के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-भवन/स्था०-4 विविध-30/13 बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली-2014 का अंग्रेजी में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली-2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०–

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

●●●

J– वास्तुविदीय कार्यों से संबंधित ।



प्रस्तावित सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भवन, सीतामढ़ी

पत्रांक–मु०वा०भ०–111–8/2011 (पार्ट–1)–56 (वास्तु०)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना दिनांक:–30.01.2014

विषय:– परामर्शी के शुल्क भुगतान के संबंध में।

महाशय,

भवन निर्माण विभाग में विभिन्न परामर्शी से विभाग के विभिन्न परियोजनाओं का कार्य संबंधित प्रमंडलों में कराया जाता है। जिसमें प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा उक्त कार्य के लिए आवंटन रहने पर भी परामर्शी का शुल्क भुगतान करने में अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है, जो उचित नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति में आपको निदेश दिया जाता है कि परामर्शी के भुगतान करने से संबंधित निम्नलिखित निदेशों का पालन नियमित रूप से की जाय।

1. परामर्शी द्वारा शुल्क के भुगतान हेतु विपत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता के यहाँ प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुकूल बैंक ड्राफ्ट तैयार कर अपने उपभाग के मुख्य अभियंता (दक्षिण/उत्तर) को उपलब्ध करायेंगे।
2. संबंधित मुख्य अभियंता बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर इसे संबंधित परमर्शी को प्राप्त करा देंगे।
3. संबंधित परामर्शी को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करने की सूचना तत्काल वरीय वास्तुविद् को लिखित में दे देंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–56(वास्तु०) पटना, दिनांक–31.01.2014

प्रतिलिपि:–मुख्य अभियंता/(उत्तर/दक्षिण) भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–56(वास्तु०) पटना, दिनांक:–31.01.2014

प्रतिलिपि:–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक–मु०वा०भ०–278–12/2012–568 पटना, दिनांक:–17.12.13

मुख्य वास्तुविद् का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
वरीय वास्तुविद्।

सेवा में,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पटना, दिनांक–17.12.2013

विषय– न्यायिक भवनों के आधारभूत संरचना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय वाद सं० (सिविल) 1022/89 आई०ए०सं०–279 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सर्वोच्च न्यायालय वाद सं० (सिविल)1022/89 आई०ए०सं०–279 में पारित आदेश के अनुपालन में जिला स्तरीय न्यायिक भवनों के आधारभूत संरचना के संबंध में गठित जिला स्तरीय समिति में मुख्य वास्तुविद् के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यालय स्तर के वास्तुविद को पत्रांक–459 दिनांक 09.08.2010 के द्वारा जिलावार नामित किया गया जिसमें अपरिहार्य कारणवश अल्प संशोधन कर निम्न रूप से नामित किया जाता है।

क्रम सं०	वास्तविद् पदा०	मोबाईल सं०	आवंटित जिला
1.	श्री मुक्ति प्रसाद	9835257789	जमुई, नवादा, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज
2.	श्री अश्विनी प्रसाद श्रीवास्तव	9334103929	पटना
3.	श्री धनंजय कुमार	9835251016	नालंदा, गया, जहानाबाद, मुंगेर एवं अरवल
4.	श्री कुमार सर्वानन्द	9431878535	औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, लखीसराय एवं शेखपुरा
5.	श्री हरिशंकर सिंह	9470488557	खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी एवं शिवहर
6.	श्री खुर्शीद अकरम	9431017064	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय एवं मुजफ्फरपुर
7.	श्री संजय कुमार लाल	9431878652	बक्सर, भोजपुर, सासाराम, भभुआ, मोतिहारी एवं बेतिया
8.	श्री सतीशकांत सहाय	9835060649	अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं वैशाली

विश्वासभाजन
ह०/–
(अनिल कुमार)
वरीय वास्तुविद्

ज्ञापांक–568 पटना, दिनांक–17.12.13

प्रतिलिपि:–सभी विभागीय वास्तुविदों को सूचनार्थ प्रेषित 1 निर्देश दिया जाता है कि आवंटित जिला के सभी न्यायिक/गैर न्यायिक भवनों के वास्तुविदीय कार्यो का संचालन एवं संचिका उपस्थापन सहायक सरकारी वास्तुविद् एवं वरीय वास्तुविद् के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री श्याम किशोर सिंह एवं श्रीमति मधुस्मृति के द्वारा किये जा रहे अन्य परियोजनाओं का कार्य उनके सेवानिवृत्ति तिथि के उपरांत क्रमश: श्री धनंजय कुमार एवं श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

ह०/–
(अनिल कुमार)
वरीय वास्तुविद्

●●●

AGREEMENT BETWEEN BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT, GOVT. OF BIHAR

AND

This deed of Agreement made on …… between Building Construction Department, Bihar (hereinafter called Client) and M/s ---------- carrying on business as CONSULTING ARCHITECTS AND ENGINEERS under and style (hereinafter called Consultant-Architect) of the second part which expression shall, unless repugnant to the context of meaning thereof include the PARTNERS of the said firm for the time being, the Survivor of them and their respective Heirs, executors, administrators and assigns of the other part.

WHEREAS THE CLIENT intends to construct ----------

(hereinafter called the "SAID WORK").

AND WHEREAS THE ARCHITECTS have agreed to design & render Consultancy for the SAID WORK on the terms and conditions hereinafter agree as follows:

1. FEES AND REIMBURSEMENT :

The EMPLOYER AGREES TO PAY to the ARCHITECTS as remuneration for the professional services to be rendered by the ARCHITECTS in relation to the SAID WORKS and in particular for the services hereinafter mentioned, fees as stipulated in Article 3 here of the same Fees being hereinafter called the FEES.

2. SCOPE OF WORKS :

2.1 Site Evaluation and analysis.

2.2 Architectural work and site development

2.3 Structural engineering work

2.4 Sanitary, plumbing, drainage, water supply and sewerage work

2.5 Electrical work

2.6 Fire fighting system / HVAC / specialized services as per requirement

2.7 Landscape work including design of open spaces, horticulture etc.

2.8 Interiors and any other related works specifically entrusted to the Architects by employer

2.9 Supervision of work till its completion.

3. SCHEDULE OF SERVICES

A <u>preparation of layout plan and concept plans</u>

3.1 a) Take Clients instructions regarding requirements of project as a whole, and prepare Pre-design report.

b) Prepare layout plan, conceptual plans with reference to requirements given and prepare approximate estimate of cost by area basis.

c) collect site information, site survey and soil condition and furnish report with

(b) above.

3.2 Modify conceptual plans specifications incorporating required suggestions/changes and prepare preliminary drawings and designs for Clients approval alongwith with revised preliminary estimate of cost.

3.3 a) Prepare drawings/documents and its presentation necessary for submission to statutory bodies for sanction and advise on formalities and obtain clearances.

b) Upon Client's /statutory approval necessary for commencement of construction / working drawings. Ensure compliance with codes, standards, legislations as applicable.

B Detailed Working Drawings & Estimates Stage :

3.4 Tender drawings stage :

3.4.1 Prepare basic working drawings and details for all aspects of work referred under the Clause 'Scope of Work' including architectural, structural , plumbing, sanitary, electrical communication system, detailed specifications sufficient for preparation of item-wise detailed Estimate of cost.

3.4.2 Prepare basic working drawings for external services, site development, roads, pathways, compound wall and landscape works. Prepare tender documents/drawings, quality control procedures on material and works as per requirement of client

3.5. DETAILED ESTIMATE OF COST :

i) Prepare detailed Estimates of cost supported by detailed measurement sheets, calculations and abstract of quantities and cost based on current PWD schedule of rates. In the absence of rate in PWD SOR , the same shall be referred to CPWD SOR or lastly arrived at by actual analysis as applicable to the locality and obtaining the approval of the employer for the same.

ii) Preparation of Tender documents for invitation of Tenders and Tender drawings for issue to Tenderers.

3.6 Working drawings stage :

a) Preparation of detailed working drawings for all aspects of Architectural works.

b) Preparation of detailed working drawings for all aspects of Structural works

c) Preparation of working drawings for all aspects of Sanitary, Drainage and Water Supply works.

d) Preparation of working drawings for all aspects of Electrical works.

e) Prepare necessary drawings for ventilation / air-conditioning, (as required)

f) Prepare drawings for Landscape work, Interiors, boundary wall, internal roads, Site Development etc.

g) Prepare / revise all specific working details, specification etc. as required by the client during construction.

C Construction stage

(i) Visit the site of work at intervals mutually agreed upon (Min. once a month) to inspect the construction works and where necessary to clarify and doubts or interpretation of drawing / specifications, attend conferences and meetings to ensure that the project proceeds generally in accordance with the conditions of contract. The Architect will record his observations about the work in a register maintained at the site and render advice on actions if required. The architect shall have local presence in the form of local office at Patna or have resident architect Structural Engineer for required coordination. Preparation and submission of completion reports and drawings for the project as required and with the assistance of Employer's Engineers.

(ii) Advising Employer on exercising cost control and economy measures to ensure that the approved estimates are not exceeded.

On completion of works, Architects will prepare and submit two sets of As-built drawings and one set on CD of the building and services

PROFESSIONAL FEES PAYABLE

4.1 A) The total Fee payable for all services mentioned in items ' SCOPE OF WORK' shall be ..... % of the Project Cost .

B) The fee payable for consultant supervision as per para3C is included in 'A 'above.

4.2 In addition, Service Tax applicable as per Govt. of India norms (at present ..... %) would be payable on the Professional Fee payable.

4.3 Traveling expenses to the site including lodging / food etc. by the principal consultant/ sub-consultants shall be included in 4.1 above

4.4 In case of repeat block in the campus, fee payable shall be 35% for each repetition.

4.5 All drawings and documents will be submitted in 6 (six) sets free of cost. Additional copies would be supplied on actual cost.

4.6 Within 20% of enhancement in original approved project cost, no extra fee will be paid. In case of enhancement of more than 20%, the escalated BOQ amount will be discounted as per agreed time line @ 8% per annum for fee payable.

4.7 Any delay in agreed deliverable time schedule will invite penalty @1% per week subject to maximum 10% of the fee. Failure of timeline at any two levels will lead to disqualification of consultant and termination of agreement.

4.8 Consultant will get payment on the basis of that date, on which original BOQ has been issued.

5. MODE OF PAYMENT

			Fees due, percentage of fees in Para 4.1
5.1	On completion of services mentioned in item 3.1 (Sketch Stage)	:	10% (Ten percent) of total Fees payable.
5.2	On Completion of Services mentioned in item 3.2 (Final preliminary Drawings)	:	15% (Fifteen percent) of total Fees payable less paid.
5.3	On completion of service mentioned in item 3.3 (Statutory Drawings stage) and after Client's approval.	:	20% (Twenty percent) of total Fees payable less paid.
5.4	On completion of service mentioned in item 3.4 (Tender drawings stage)	:	30% (Thirty percent) of total Fees payable less paid.
5.5	On completion of service mentioned in item 3.5 (Detailed Estimates of Cost)	:	40% (Forty percent) of total Fees payable less paid.
5.6	On completion of services mentioned in item 3.6 (working drawings stage)	:	80 %(Eighty percent) of Fees as per Para less paid.

The quantum payable against working Drawings will be released in installments as given below:

a) All Architectural & Structural drawings up to plinth/foundation stage.	:	8%
b) All Architecture working drawings.	:	8%
c) All Structural working drawings	:	8%
d) All Sanitary and Water Supply drawings, Electrical drgs and air-conditioning drgs.	:	8%
e) All drawings for Site Development and External services etc.	:	8%
		40%
5.7 Balance 20% would be released after 3 months of virtual completion & submission of ' as built' drgs.		20%
Total	:	100%

6. PROGRESSIVE PAYMENTS TO THE CONSULTANT – ARCHITECTS

6.1 The payments to the Architects during various stages shall be as follows :

a) At stage Sl. 5.1 & 5.2	:	On preliminary cost Estimate accompanying sketch / Preliminary drawing.
b) At stage Sl. 5.3 & 5.4	:	On Cost Estimate accompanying this stage.
c) At stage 5.5	:	On detailed estimate at this stage.
d) At stage 5.6	:	On Tendered cost (BOQ) or detailed estimate if Tenders are not finalised.

6.2 Progressive payments may be made to the Consultant - Architects in any of the above stages based on the quantum of work done in that stage as may be mutually agreed to by the parties.

6.2 The cost of the Project shall be the cost of the building works and site development works including the cost of structural, sanitary, plumbing and electrical works and electrical fittings & fixtures, landscaping i.e. on all items on which the Consultant - Architects had rendered professional services but shall exclude the cost of the client's site office, cost of land and supervisory staff and contractor's quote

7. CLIENT'S RESPONSIBILITIES :

The following shall be the responsibilities of the client :

7.1 Provide detailed requirements of the project.

7.2 Facilitate Furnishing of reports on soil conditions and soil test as required by the Consultant- Architects; to be conducted by consultant on behalf of the client.

7.3 Pay the fees of the Consultant- Architects within four weeks of submission of bills, subject to clearance of bills as per agreement.(In case of non-payment/ delay/ rejection, the same to be conveyed to the consultant in time)

8. TIME SCHEDULE

The time schedule shall be as follows unless otherwise specifically instructed by the client

Sl.No.	Item	Duration
8.1a	Preparation of pre-design report as per item 3.1a	2 weeks after agreement
8.1b	Preparation of concept plan as per item 3.1b / draft pre- qualification document coordination meeting at Patna	5 weeks after agreement
8.2	Preparation of revised concept plan as per item	3.28 weeks after agreement
8.3	Issue of pre-qualification documents to prospective bidders Coordination meeting at Patna	10 weeks after agreement
8.4	Preparation of statutory drawings/ documents/ approvals	12 weeks after agreement
8.5	Preparation of tender documents/ drawings/ detailed estimates/ BOQ coordination meeting at Patna/ Technical sanction by BCD	16 weeks after agreement 2 weeks after submission
8.6	Working drawing stage	In phases as required so that work process is not affected
8.7	Foundation stone laying	
8.8	construction	

(consultant to provide comprehensive work programme bar chart of their services)

9. BUILDING SUB-COMMITTEE:

9.1 Project Sub-Committee consisting of Representatives of client and Consultant-Architects may, if necessary, be constituted for co-ordination.

9.2 The Consultant-Architects would be required to participate in the meetings as necessary at Patna during at important construction stage.

10. EXCUTION OF THE ASSIGNMENT :

10.1 All the stages of work shall be completed by the consultant -Architects and the necessary approval given by the clients according to the time schedule mutually agreed upon.

10.2 In the event of Consultant -Architects firm closing its business, the clients shall have the power to employ any other agency to complete the work and all due payments shall be forfeited with penalty of blacklisting of the consultant.

10.3 In the event of reduction of the scope of construction after approval of the work done by the Architects at any stage mentioned in clause 5 above, the Architects shall be entitled to the appropriate percentage due up to the relevant stage on the value of the portion of the work that is abandoned in addition to the percentage due on actual cost of work completed.

10.4 TERMINATION :

10.4.1 Termination for defaults

10.4.1.1 The client may without prejudice to any other remedy for breach of agreement, by written notice of default sent to the consultants, terminate the agreement in whole or in part :

a) If the consultant fails to deliver any or all of the services within the time period(s) specified in the agreement or any extension thereof granted by the client in writing.

b) If the consultant fails to perform any other obligations under the agreement,

Or

c) If the consultant fails in either of the above circumstances, do not cure its failure within a period of thirty (30) days after receipt of the default notice from the client or any such extensions allowed from time to time, under the circumstances that appear reasonable until a conclusion is arrived at that the consultant has abandoned the project which connotation shall be construed mean a defined under the prevalent contract laws.

d) If the consultant refuses to accept and perform the assignment given by the client.

e) In the event of the failure on the part of the consultant to complete his work or the clients to give their approval and / or make payments within the time specified in the time schedule or in the event of either of the parties committing a breach of any one or more of the terms and conditions of the agreements, the aggrieved party shall be entitled to rescind this agreement without prejudice to its rights to claim damages or remedies under the law. The period of notice to be given to rescind the contract will be 30 days. No payment to the consultant would be done except those which have already been made or which may become payable against the bills of works already submitted as on the date of notice.

10.4.1.2 In the event, the owner terminate the agreement in whole or in part, pursuant to Para 10.4.1.1 client may get the services done, upon such terms and in such manner as it deems appropriate, similar to those not rendered, with all payments due to the consultant up to that stage shall be liable to be forfeited and the client shall be at liberty to claim excess cost of such services, cost escalation and any other resulting damages by means of appropriate civil actions. However, the consultant shall continue to perform as per agreement, if not terminated.

10.4.2 Termination for insolvency :

10.4.2.1 The client may at any time also terminate the agreement by giving written notice to the consultant without compensation to the consultant, if the consultant becomes bankrupt or otherwise insolvent, provided that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued or will accrue there after to the client.

10.5 The Consultant - Architects shall prepare drawings , designs , outline specifications and estimates of cost by cubic measurements or on areas basis on schedule of rates of the PWD SOR . In the absence of rate in the aforesaid schedule of rates, the same shall be referred to CPWD, SOR (DSR) or arrived at by actual analysis.

10.6. The Consultant - Architects shall assume full responsibility for the design and specifications for items described in the scope of work . The clients will have full access to the details of the calculations and the designs for purpose of scrutiny for satisfying themselves as to their correctness. The Structural / services consultants of the Consultant - Architects will render all possible help for the above scrutiny.

10.7 The Consultant - Architects shall supply to the client free of cost six sets of final drawings at stage3. 2 of the agreement, six sets of all drawings, specifications and other particulars in stages thereafter. Any additional sets required by the client shall be paid for on actual cost basis.

10.8 The Consultant - Architects shall not make any deviation, alteration or omission from the approved drawings , involving financial implication without prior consent of client.

10.9 The Consultant - Architects shall make necessary revisions as may be required by client in the drawings and other documents submitted by him at the draft stage. Any subsequent revisions in the drawings and other documents once approved required to be made by client shall also be made available free of cost by the Architect.

10.10 No change shall be made in approved drawings and specifications at site without the consent of the Architect.

10.11 The client shall have the liberty to postpone or not to execute any work and the Architect shall not be entitled to any compensation for non-execution of the work except the fees which are payable to the Architect up to the stage of services already submitted.

10.12 The agreement shall be governed by the Indian laws in force from time to time and the courts at Patna shall alone have exclusive jurisdiction to entertain and try any or all matters arising out of this agreement.

10.13 Any disputes or differences in connection with the agreement shall be, to the extent possible, settled amicably between the parties. If it can not be reached then, all disputed issues shall be settled by arbitration as proposed hereafter, subject to termination clause mentioned in this agreement.

11. ARBITRATION :

11.1 Any Dispute which is not resolved amicably by conciliation, as provided, shall be decided by reference to arbitration. Any dispute between the parties as to matters arising pursuant to this contract which cannot be settled amicably within thirty (30) days after receipt by one party of the other party's request for amicable settlement will be settled by the reference to the Bihar Arbitration Tribunal constituted by the Bihar Arbitraral Tribunal Act, 2008 at the instance of either parties.

11.1 Any Award made by the Bihar Arbitration Tribunal shall be final and binding on the Parties as from the date it is made, and both the parties to this agreement agree and undertake to carry out such Award without delay subject to the further provisions of Bihar Arbitraral Tribunal Act, 2008.

11.2 The Consultant and the Government agree that an Award may be enforced against the Consultant and/or the Government, as the case may be, and their respective assets wherever situated.

This Agreement and the rights and obligations of the Parties shall remain in full force and effect, pending the Award in any arbitration proceedings hereunder

Witness	Parties
1. ----------	1..----------
( )	( )
(First Party)	
2. ----------	2..----------
( )	( )
	(Authorised Signatory)
	(Second Party)

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सं॰स॰–भवन/स्था॰–1–विविध–1092/2011-3593(भ)/पटना, दिनांक–27.03.2014

संकल्प

भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन वास्तुविद सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना–2010 के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 वि॰(2) दिनांक–14.07.10 के आलोक में निम्नवत् विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी गठित की जाती है।

1. सचिव, भवन निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2. विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भ॰नि॰वि॰	सदस्य
3. अभियंता प्रमुख या अभियंता प्रमुख की अनुपस्थिति में उनके सचिव प्रावैधिकी	सदस्य
4. मुख्य वास्तुविद, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5. आतंरिक वित्तीय सलाहकार या वित्त विभाग द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी	सदस्य
6. उप सचिव (स्थापना प्रभारी), भवन निर्माण विभाग	सदस्य
7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति के पदाधिकारी	सदस्य

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी विभाग/विभागाध्यक्षों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:–भवन/स्था॰–1/–विविध–1092/2011-3593 (भ) पटना, दिनांक–27.03.2014

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:–भवन/स्था॰–1/–विविध–1092/2011-3593 (भ) पटना, दिनांक–27.03.2014

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भ॰नि॰वि॰/सचिव, पथ निर्माण विभाग/विशेष सचिव/अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (स्थापना प्रभारी), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-भवन/स्था०01-विविध–1061/2003–7275 (भ०) पटना, दिनांक 11.07.2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार वास्तुविद सेवा में भर्ती एवं सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014

अध्याय : 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** - (1) यह नियमावली ''बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएं** - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्यपाल;

(iii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग;

(iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग;

(v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(vi) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार वास्तुविद सेवा;

(vii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग।

(viii) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति।

अध्याय : 2

सेवा संवर्ग

3. **सेवा का गठन** - (1) इस सेवा में निम्नांकित कोटि के पद होंगे -

(i) सहायक वास्तुविद

(ii) एसोसिएट वास्तुविद

(iii) वरीय वास्तुविद

(iv) मुख्य वास्तुविद

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वत: इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे। इस संवर्ग के सदस्य राजपत्रित होंगे।

4. **प्राधिकृत बल** - राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी। आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में वास्तुविदीय पदाधिकारी के पदों को उन विभागों की सहमति से इस संवर्ग की संरचना का विस्तार एवं पुनर्गठन किया जा सकेगा।

5. **आरक्षण** - सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय : 3

भर्ती

6. **सीधी भर्ती** – सहायक वास्तुविद के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती विभागीय अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **अर्हता** – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री एवं Council of Architecture, New Delhi से निबंधित होना अनिवार्य होगा।

8. **परिवीक्षा एवं अवधि** – सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक वास्तुविद की नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि होगी। विशेष परिस्थिति में परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी परन्तु विस्तारित अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

9. **प्रशिक्षण** – विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा;

परन्तु, यह भी कि, यदि अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ससमय अथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने पर प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

10. **सम्पुष्टि** – नवनियुक्त सहायक वास्तुविदों द्वारा विभागीय दायित्व पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर सहायक वास्तुविद के पद पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

अध्याय : 4

प्रोन्नति

11. **(क) प्रोन्नति** – बिहार वास्तुविद सेवा (एसोसिएट वास्तुविद) के पदों पर प्रोन्नति बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग (सहायक वास्तुविद) से निम्न प्रकार दी जायेगी :–

(i) सहायक वास्तुविद – एसोसिएट वास्तुविद
एसोसिएट वास्तुविद – वरीय वास्तुविद
वरीय वास्तुविद – मुख्य वास्तुविद

(ii) किसी भी पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति का मापदंड वरीयता–सह–योग्यता (Seniority cum Merit) होगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्ति के तीन गुणा योग्य पदाधिकारी की सूची वरीयता के आधार पर बनायी जाएगी।

(iv) मुख्य वास्तुविद तक के पदों पर वरीयता के साथ योग्यता निर्धारित करने का मापदण्ड वरीयता एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति सहित निगरानी स्वच्छता होगी।

(ख) वरीय पदों पर प्रोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुरूप दी जायेगी।

अध्याय : 5

सामान्य/प्रकीर्ण

12. **अवशिष्ट मामले – (क) आयु** – राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा लागू होगी।

(ख) वरीयता – सीधी भर्त्ती से नियुक्त सहायक वास्तुविदों की वरीयता उनकी मेधा सूची पर आधारित होगी।

(ग) छुट्टी – छुट्टी एवं अवकाश के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में निहित प्रावधान लागू होंगे।

(घ) स्थानांतरण एवं पदस्थापन – मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में निहित प्रावधान लागू होगा।

(ङ) पेंशन – नई पेंशन योजना दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद योगदान करनेवाले कर्मी पर लागू होगी।

(च) वेतन, भत्ते एवं अन्य – वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तें, तत्समय उस हेतु प्रवृत सामान्य सरकारी नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगा।

13. अनुशासन एवं अपील – सेवा के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

14. कठिनाइयों का निराकरण – यदि इस नियमावली के उपबंधों के प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति – (क) इसके द्वारा वास्तुविद सेवा संवर्ग के संबंध में पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र को निरसित किया जाता है।

(ख) उक्त निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र के प्रावधानों के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०–
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन/स्था०–01–विविध–1061/2013-7276 (भ०) पटना, दिनांक–11.07.2014

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. कृपया प्रकाशित गजट की एक हजार अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन/स्था०–01–विविध–1061/2013-7276 (भ०) पटना, दिनांक–11.07.2014

प्रतिलिपि – सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / मुख्य वास्तुकला / उप सचिव (स्थापना प्रभारी) / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०–
सरकार के सचिव

●●●

K– अन्यान्य



निमार्णाधीन नियोजन भवन, पटना

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः- राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सड़कों एवं संबंधित भूखण्ड पर, इसके ऊपर या भूमिगत रूप से दूरसंचार एवं संबंधित कार्य के लिये केबुल/ऑप्टिकल फाइवर केबुल इत्यादि बिछाने हेतु संबंधित विभाग/कम्पनी/एजेन्सी/फर्म से भूमि उपयोग शुल्क (Land use Charge) प्राप्त करने के संबंध में।

विभागीय ज्ञापांक संख्या सी2/विविध-817/2000-4564 (एस०अनु० दिनांक-11.01.05 द्वारा निर्गत संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों के किनारे, ऊपर या भूमिगत रूप से विद्युत् आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाईन या केबुल/ऑप्टिकल फाइवर केबुल, सीवर लाइन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गये पथांश के पुनर्स्थापन के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप एवं नीति निर्धारित किये गये हैं।

2. उपर्युक्त संकल्प के माध्यम से ऐसे एजेन्सी जिन्हें संबंधित विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त है, को पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथ के किनारे, ऊपर या भूमिगत रूप से उक्त कार्य हेतु अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत संबंधित फर्म/विभाग/संस्था के पंजीकरण शुल्क के रूप में रुपये 25000/- (पच्चीस हजार) एक बारगी शुल्क तथा केबुल/ऑप्टिकल फाइवर इत्यादि बिछाने हेतु प्रस्तावित पथ कटिंग/फ्लैंक कटिंग इत्यादि को यथावत् स्थिति में लाने के लिए प्राक्कलित राशि की समतुल्य-राशि संबंधित क्षेत्र के कार्य प्रमंडल में आवेदक द्वारा जमा किया जाना है। निर्धारित विशिष्टी एवं निर्देश के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने पर अलग-अलग आर्थिक दंड वसूलने का प्रावधान है। आवेदक से रुपये 25/- प्रति मीटर की दर से आक्कलित राशि के समतुल्य राशि बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम रूप में जमा लिया जाता है। विशिष्टियों के अनुरूप संतोषजनक कार्य नहीं किया जाने की स्थिति में वसुलनीय आर्थिक दंड/राशि की भरपाई इस बैंक गारंटी की राशि से किये जाने का प्रावधान है। संचार सेवाएं/सूचना प्रावैधिकी सेवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भूमि उपयोग शुल्क का प्रावधान नहीं रखा गया।

3. वर्तमान परिवेश में बदलाव आया है। सूचना प्रावैधिकी तथा दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और यह काफी लाभकारी सेक्टर हो गया है। तद्नुसार अब इस सेक्टर को कोई Subsidy देने का औचित्य नहीं रह गया है। भूमि का Rent free उपयोग भी Subsidy के Category में आता है।

4. तद्नुसार सम्यक, विचारोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है किः-

(I) राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि यथा सड़कों, जल संसाधन, वन इत्यादि एवं संबंधित भूखण्ड पर, इसके ऊपर या भूमिगत रूप से दूरसंचार एवं संबंधित कार्य के लिये केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल इत्यादि बिछाने हेतु भूमि उपयोग शुल्क (Land use charge) के रूप में रु० 5000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष संबंधित विभाग/कम्पनी/एजेन्सी/फर्म द्वारा संबंधित विभाग को देय होगा।

(II) यह शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक संबंधित क्षेत्र के प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा।

(III) वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें उक्त कंडिका 1 में निरूपित व्यवस्था के अधीन पूर्व में केबुल इत्यादि बिछाने की अनुमति दिया गया है उनके लिये भी उक्त कंडिका 4 (I), (II) लागू होगा।

(IV) इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण पथ निर्माण विभाग, विधि एवं वित्त विभाग के परामर्श से निरूपित एवं निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल लागू होगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना की सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–सी2/विविध–08-17/2000-4501 (S) पटना, दिनांक–28.03.08

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी2/विविध–08-17/2000-4501 (S) पटना, दिनांक–28.03.08

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार रापजत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी2/विविध–08-17/2000-4501 (S) पटना, दिनांक–28.03.08

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी2/विविध–08-17/2000/4501 (S) पटना, दिनांक–28.03.08

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०) सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी2/विविध–08-17/2000/4501 (S) पटना, दिनांक–28.03.08

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

●●●

निबंधन सं॰ पी॰ टी॰-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1930 (श॰)

(सं॰ पटना 470) पटना, शुक्रवार, 2 मई, 008

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

2 मई, 2008

सं॰एल॰जी॰-1-01-2008/लेज 105-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक-29 अप्रील, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण के सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

योगेन्द्र प्रसाद,

सचिव, विधि विभाग।

[बिहार अधिनियम 21, 2008]

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम्

न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008

प्रस्तावना :-ऐसी कार्य-संविदाओं, जिसमें राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई उपक्रम पक्षकार (पार्टी) है, के अन्तर्गत उत्पन्न विवाद पर अधिनिर्णय करने ताकि उससे जुड़े मामलों पर व्यवस्था देने हेतु न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिनियम।

चूंकि, राज्य सरकार, सरकारी कम्पनियाँ तथा स्थानीय निकायों को बड़ी संख्या में विकास एवं अन्य परियोजनाओं का निष्पादन करने की आवश्यकता होती है और चूँकि, ऐसी परियोजनाएं कार्य संविदा करारों के अधीन निष्पादन हेतु तृतीय पक्ष को सौंपी जाती है और चूँकि, संविदा के पक्षकारों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं, और चूँकि, ऐसी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु विवादों का त्वरित समाधान करना आवश्यक है, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1– (1) यह अधिनियम बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम बिहार राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें।-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से अभिप्रेत है माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1966।

(ख) ''माध्यस्थम् खंड'' से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खंड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को माध्यस्थम् हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो।

(ग) ''पीठ'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण पीठ।

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष।

(ङ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णत: अथवा अंशत: करने अथवा नहीं करने जिसमें संविदा विखंडित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेद।

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का सदस्य तथा अध्यक्ष।

(छ) ''पक्षकार'' (पार्टी) से अभिप्रेत है कार्य संविदा अथवा सेवा संविदा का कोई पक्षकार (पार्टी) जिसमें उसका उत्तराधिकारी अथवा निष्पादन अथवा प्रशासक अथवा समनुदेशिती भी शामिल है।

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है धारा-20 के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित।

(झ) लोक उपक्रम से अभिप्रेत है:-

(I) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-3 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त हिस्सा पूंजी इक्यानवे प्रतिशत से कम हो अथवा कोई कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अर्थान्तर्गत के अन्तर्गत प्रथम उल्लिखित कम्पनी समानुषंगी कम्पनी हो।

(II) कोई निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-3 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी हो) अथवा कोई स्थानीय विकास जो केन्द्रीय या राज्य के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित हो तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हो।

(III) वैसे स्थानीय निकाय जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।

(ञ) 'न्यायाधिकरण' से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन गठित बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण।

(ट) 'कार्य संविदा' से अभिप्रेत है-राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम के द्वारा किसी भवन या सुपर स्ट्रक्चर, बांध, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क सभी प्रकार के पुलों, पुलिया, कारखाना या कार्यशालाओं अथवा यथास्थिति राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य कार्य इस प्रकार की अन्य संरचना, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मरम्मति अथवा अनुरक्षण हेतु किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्पन्न संविदा और इसमें शामिल है:-

(i) ऐसे किसी कार्य के निष्पादन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अथवा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु संविदा चाहे वह किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य अथवा किसी प्रकार की परामर्शी सेवाओं/सेवा प्रदाताओं के लिए अपेक्षित हो।

(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा, पर्यवेक्षण, परियोजना परामर्शी, गुणवता सुनिश्चितकरण, परियोजना प्रबंधन अथवा कोई अन्य प्रबंधकीय सेवाओं सहित, ऐसे किन्हीं कार्यो के निष्पादन से संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई संविदा।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत उपयोग में लाये गये ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिन्हें इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं किया गया है किन्तु माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित है वे उनसे व अभिप्रेत होगा जो उनके लिए माध्यस्थम् अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय-II

न्यायाधिकरण का गठन

3. न्यायाधिकरण की स्थापना और उसका गठन-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन करेगी, जो बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण कहलायेगी।

(2) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति:-

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न रहा हो अथवा न्यूनतम पांच वर्षो तक जिला न्यायाधीश न रहा हो।

(ख) न्यायाधिकरण का सदस्य के रूप में, नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जो-

(i) न्यूनतम तीन वर्ष से बिहार सरकार के सचिव न हो या न रहा हो, अथवा

(ii) जो अभियंता प्रमुख हो या रहे हो, अथवा जो न्यूनतम दो वर्षो से या तक मुख्य अभियंता हो अथवा रहा हो अथवा अधीक्षण अभियंता के रूप में तीन वर्षों से कार्यरत हो या रहा हो।

4. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते।

(1) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षो के लिए होगी, परन्तु, उक्त अवधि के अवसान उपरांत राज्य सरकार द्वारा उनकी कार्यावधि अगले तीन वर्षों के लिए अथवा उसके सत्तर वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकेगी।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा अन्य निबंधन और शर्त तथा भुगतेय वेतन एवं भत्ते वही होगें जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति की जाने के बाद उनके वेतन तथा भत्तों अथवा सेवा शर्तो में ऐसा कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकर हो।

(3) (क) अध्यक्ष अथवा अन्य काई सदस्य राज्य सरकार को स्वलिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं।

(ख) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार के प्रसादानुसार अपने पद पर बने रहेगें परन्तु, समय पूर्व सेवा से हटाये जाने की स्थिति में वे क्षतिपूर्ति के रूप में तीन माह में वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे।

5. रिक्ति एवं अस्थायी अनुपस्थिति–(1) यदि अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा नियुक्ति के अवधि अवसान अथवा हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारणों से कोई रिक्ति होने पर ऐसे रिक्ति की पूर्ति सम्यक् अर्हता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाएगी।

(2) यदि कोई किसी सदस्य बीमारी या अन्य अशक्तता के कारण अस्थाई तौर पर अपने कर्तव्यों के संपादन में असमर्थ हो जाए तो राज्य सरकार उनके कर्तव्यों के सम्पादन हेतु सम्यक् अर्हता प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति एक समय में अधिकतम छह माह के लिए कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस अवधि में वही शक्ति होगी जो उस व्यक्ति को थी जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई हो।

(3) उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट किसी रिक्ति अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के कारण मात्र से न्यायाधिकरण को अविधिमान्य रूप से गठित नहीं माना जाएगा।

6. न्याधिकरण के कर्मचारीवृन्द–(1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यायाधिकरण यथोचित संख्या में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते वही होंगी जो विहित की जाएं।

7. न्यायाधिकरण का मुख्यालय–(1) न्यायाधिकरण का मुख्यालय पटना में होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्यालय से भिन्न ऐसे किसी स्थान या किन्हीं स्थानों पर न्यायाधिकरण की बैठक की जा सकेगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यायाधिकरण द्वारा नियत की जाए।

अध्याय-III

न्यायाधिकरण को निर्देश एवं उसकी प्रक्रिया

8. यदि अधिनियम माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त होगा–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इसका कोई भी उपबंध माध्यस्थम और सुलह अधिनियम् 1996 के अतिरिक्त और अनुपूरक होगा यदि इसमें अन्तर्विष्ट कोई उपबंध माध्यस्थम, अधिनियम का विरोधाभाषी हो तो इस विरोधाभाष की हद तक माध्यस्थम् अधिनियम अभिभावी होगा।

9. न्यायाधिकरण के निर्देश तथा अधिनिर्णय करना–(1) संविदा के पक्षकार के बीच जहां कोई विवाद उत्पन्न हो वहां, ऐसी संविदा में कोई माध्यस्थम् खंड हो अथवा नहीं, ऐसा विवाद उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर विवाद का कारण एवं साक्ष्य तथा यथाविहित फीस के साथ कोई भी पक्षकार ऐसे विवाद का लिखित निर्देश, माध्यस्थम् के लिए न्यायाधिकरण को करेगा।

(2) उपधारा-(1) के अधीन निर्देश (आवेदन) प्राप्त होने पर, यदि यथाचित जांच के बाद न्यायाधिकरण का समाधान हो जाए कि निर्देश से संबंधित इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है तो वह ऐसे निर्देश को स्वीकार कर सकेगा और जहां न्यायाधिकरण का समाधान न होता हो वहां वह निर्देश को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण निर्देश को स्वीकार करता हो वहां यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् तथा अभिलेख के अवलोनापरांत तथा पक्षकारों को अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, कारण के साथ अधिनिर्णय अथवा अन्तरिम अधिनिर्णय करेगा।

(4) न्यायाधिकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किये गये निर्देश (आवेदन) पर कार्य प्रारंभ करने, कार्यवाही करने और अधिनिर्णय करने में सभी युक्तियुक्त पंचाट घोषित करने में यथासंभव शीघ्रता बरतेगा और यह प्रयत्न करेगा कि निर्देश न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से चार माह के भीतर अधिनिर्णय कर दिया जाए।

(5) न्यायाधिकरण द्वारा किया गया अधिनिर्णय जिसमें अन्तरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, यदि धारा 12 या 13 के अधीन कोई आदेश किया गया हो तो उसके अध्यधीन, अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) धारा-12 अथवा 13 के अधीन किए गए आदेश, यदि कोई हो, द्वारा संपुष्ट या परिवर्तित अधिनियम, जिसमें अन्तरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-2 के अर्थ अन्तर्गत मूल अधिकारितावाले उस प्रधान न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी जिसकी स्थानीय सीमा में अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया हो और तद्नुसार उसका निष्पादन किया जाएगा।

10. न्यायाधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया-(1) न्यायाधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अपनी पद्धति और प्रक्रिया, जिसमें पीठों का गठन, न्यायाधिकरण या उसकी पीठ द्वारा चलायी जा रही कार्यवाही के निष्पादन, इस बात के होते हुए भी उसके दौरान न्यायाधिकरण या पीठ के सदस्य के रूप में बैठने वाले व्यक्ति बदल गया हो अन्तरिम अधिनिर्णय करने, न्यायाधिकरण या उसकी पीठ के समक्ष श्रोता का अधिकार, किसी प्रोसेस फीस की लेवी, लागत संबंधी अधिनिर्णय करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रभाव प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन भी शामिल है, के लिये अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के संगत विनियम बना सकेगा।

(2) उपधारा (1) अधीन अपनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) न्यायाधिकरण के कृत्यों का निर्वहन उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार गठित एक या एक से अधिक पीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(4) किसी मामले विशेष में यदि निर्णय में सदस्यों अथवा पीठों में मतान्तर हो, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, यदि बहुमत हो, किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर विभक्त हो, तो वे अपनी मत-भिन्नता के बिन्दु या बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे और मामला न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक या न्यायाधिकरण के एक से अधिक सदस्यों को ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए सौंपा जायेगा और तद्नुसार उस बिन्दु या उन बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए सौंपा जायेगा और तद्नुसार उस बिन्दु या उन बिन्दुओं पर निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर, जिसमें पहली बार सुनवाई करने वाले सदस्यों का मत भी शामिल होगा, लिया जाएगा।

11. न्यायाधिकरण को न्यायालय की शक्तियाँ होगी-इस अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ होगी जो निम्नलिखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, यथा:-

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना,

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना,

(ग) गवाहों के परीक्षण हेतु कमीशन निर्गत करना,

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित की जाए।

12. न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन-(1) न्यायाधिकरण स्वप्रेरणा से अथवा किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर अपने अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसे न्यायासंगत और उचित लगे:-

परन्तु किसी पक्षकार द्वारा किया गया ऐसा आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक कि न्यायाधिकरण का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य उजागर हुआ है जो सम्यक तत्परता बरते जाने के बावजूद ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था अथवा ऐसे पक्षकार द्वारा उस समय पेश नहीं किया जा सका जब प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसके

द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया और अभिलिखित किया गया अथवा कोई भूल या त्रुटि रह गयी हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो:-

परन्तु यह भी कि, ऐसे किसी अधिनिर्णय या अन्तरिम अधिनिर्णय में कोई परिवर्तन या पुनरीक्षण तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि हितबद्ध पक्षकारों को हाजिर होने और ऐसे परिवर्तन या पुनरीक्षण के समर्थन में सुने जाने की नोटिस न दे दी गई हो:-

(2) अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन का आवेदन अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किए जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर ही किया जाएगा।

13. पुनरीक्षण–(1) उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वप्रेरण से अथवा न्यायाधिकरण अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनर्विलोकन व्यक्ति किसी पेशकार द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर आवेदन किए जाने पर, निर्णय या ऐसे किसी मामले का अभिलेख की माँग कर सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि न्यायाधिकरण ने, जिसमें यथास्थिति अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनर्विलोकन किया गया।

(क) ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है,

(ख) इस प्रकार निहित अधिकार का प्रयोग करने में किल रहा है, या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से अथवा तथ्यात्मक अनियमितता के साथ किया है तो उच्च न्यायालय समुचित आदेशर पारित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय को वहीं शक्तियां होगी और यह यथासंभव उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो शक्तियों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-115 के अधीन उसे हो या जो उस संहिता की धारा 115 के अधीन अपनाई जाती हो, और न्यायाधिकरण इस प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय मानी जायेगी।

14. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन–(1) धारा-13 के द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय ऐसे किस प्रश्न पर विचार करने या निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके लिए अधिनियम के द्वारा अथवा उसे अधीन न्यायाधिकरण विचार करने, निर्णय करने के लिए शक्ति प्रदत्त हो। इस अधिनियम के द्वारा या उससे अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुशरण में की गई या की जानेवाली किसी कार्रवाई के विरूद्ध किए गए अनुरोध पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश (इंजंक्शन) नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा किसी अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय आदेश अथवा की गई कार्यवाही पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय-IV

15. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी–न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-193 एवं 219 के अर्थ अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

16. न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारीवृन्द–न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अर्थ अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

17. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–4 एवं 12 का लागू होना–धारा-8 की उपधारा-(1) धारा-11 की उपधारा-(2) एवं धारा-(1) में निर्धारित परिसीमा अवधि की गणना करने में यथासंभव परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-4 एवं 12 के प्रावधान लागू होंगे।

18. कतिपय मामलों में परिसीमन अवधि का विस्तार–न्यायाधिकरण धारा-8 की उपधारा-(2) के अधीन किसी निर्देश को अथवा यथा स्थिति धारा-11 की उपधारा-(1) के अधीन पुनर्विलोकन के अथवा धारा-12 उपधारा-(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण के किसी आवेदन धारा-8 उपधारा-(1), धारा-11 की उपधारा-(2) तथा धारा-12 की उपधारा-(1) में निर्धारित परिसीमन अवधि के उपरांत भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकेगी यदि पक्षकार न्यायाधिकरण का समाधान कर दे कि यथा स्थिति निर्देश पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण हेतु आवेदन ऐसी अवधि के भीतर नहीं देने के यथेष्ट कारण थे।

19. सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण–राज्य सरकार/न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/अन्य सदस्य/पदाधिकारी/सेवक के द्वारा इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए गठित नियम विनियम अथवा आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा कार्रवाई नहीं होगी।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–(1) इस अधिनियम के उपबंधो को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है और जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो।

(2) इस धारा के अधीन विरचित किया गया हरेक आदेश किये जाने बाद यथा शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

21. नियमावली–(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के शर्त की अधीन राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए बनायी जा सकती है:-

(क) धारा-4 की उपधारा-(2) के अधीन एवं अन्य सदस्यों को भुगतेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते,

(ख) धारा-6 की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों व कर्मचारियों का भुगतेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते,

(ग) धारा-9 की उपधारा-(1) के अधीन निर्देश के प्रपत्र (फारम) तथा उसके साथ दाखिल किये जाने वाले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य एवं फीस,

(घ) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में न्यायाधिकरण धारा-11 के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी,

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना हो या जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम तीस दिनों वाले सत्र में रखा जाएगा एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इस सत्र में जिसमें वे रखे गये हो अथवा ठीक बाद वाले विखण्डित या उपान्तरित किये जाने के अध्यधीन होंगे।

(4) राज्य विधानमंडल द्वारा इस प्रकार किया गया कोई विखण्ड/उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और तदुपरान्त प्रभावी होगा।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव– किसी भी अन्य विधि, नियम, आदेश स्कीम या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा उपरांत किये गए संविदा-करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा-2 (ङ) में यथा परिभाषित किसी विवाद, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा, और किसी भी संविदा में माध्यस्थम्-खंड नहीं होने का यह प्रभाव नहीं होगा कि कोई विवाद इस अधिनियम के दायरे में अपवर्जित कर दिया गया है।

2 मई 2008

सं॰एल॰जी॰-01-07/2008/लेज 106 – बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रील 2008 को अनुमत बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सचिव, विधि विभाग।

●●●

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1931 (श०)

(सं० पटना 614) पटना, वृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2009

पथ निर्माण विभाग

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली-2009

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2009

सं० प्र० 6/नियम-07/2008/14470 (एस)– बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-21 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ -

(1) यह नियमावली बिहार लोक संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली 2009 कहलायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह निर्गम की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं –

(1) जबतक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में-

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008।

(ख) **''माध्यस्थम् नियमावली''** से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खण्ड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को निपटारा हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो।

(ग) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार।

(घ) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष।

(ङ) **''सदस्य''** से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का सदस्य।

(च) **''विवाद''** से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णत: अथवा अंशत: करने अथवा नहीं करने जिसमें संविदा विखंडित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेद।

(छ) **''धारा''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(ज) **''न्यायाधिकरण''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन गठित बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण।

(झ) **''फीस''** से अभिप्रेत है माध्यस्थम् हेतु अनुमान्य/चुकाये गये शुल्क।

(त) **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र।

(थ) **''स्टाम्प''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विहित कोई स्टाम्प।

3. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति -

(1) अधिनियम की धारा-3 में यथा विहित अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल-अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथाविहित।

4. अध्यक्ष तथा सदस्य को भुगतेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं -

(1) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हो अथवा सेवा से सेवानिवृत हो, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय होंगे; परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे।

(2) न्यायाधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हों अथवा सेवा से सेवानिवृत हों, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सेवानिवृत हों, उन्हें देय पेंशनादि की राशि (रूपांतर के अंश सहित) घटा कर, वेतनादि देय होगा।

(4) अध्यक्ष तथा सदस्य हो, कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप, अर्जित अवकाश के समतुल्य छुट्टी वेतन भुगतेय होगा, परन्तु उनकी पूर्व सेवा एवं न्यायाधिकरण में कार्यकाल, दोनों सेवा अवधियों में अर्जित अवकाश के लिए भुगतेय अधिकतम 300 दिनों के लिए होगा।

5. छुट्टी -

(1) अध्यक्ष के अवकाश की स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन यदि वे सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे स्वयं सक्षम होंगे। यदि वे सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों होंगे तो यह अधिकार राज्य सरकार के नियमों के निहित होगा।

(2) सदस्य/सदस्यों के अवकाश स्वीकृति के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगें। अनुरूप भविष्य निधि की सुविधा देय होगी।

6. सामान्य भविष्य निधि -

(1) अध्यक्ष एवं सदस्यों को यदि वे सेवानिवृत हो, तो सेवानिवृति के समय धारित पद के अनुरूप भविष्य निधि की सुविधा देय होगी।

7. परिवहन सुविधा -

(1) अध्यक्ष तथा सदस्य को परिवहन हेतु वाहन अनुमान्य होगा।

8. यात्रा भत्ता/मकान किराया भत्ता/चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता -

(1) राज्य सरकार की यात्रा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता नियमावली के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके वेतनमान के अनुरूप या भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की सुविधा देय होगी; परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के अनुसार चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता की सुविधा अनुमान्य होगी।

9. अन्य प्रावधान -

(i) अध्यक्ष अथवा सदस्य के सेवा शर्तो के विषय में ऐसी कोई बात या प्रावधान जो इस नियमावली में विहित नहीं हो, उस पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा।

10. नियमों को शिथिल करने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार को नियमों/प्रावधानों को, किसी मामले, अंशत: या पूर्णत: संशोधित करने का शिथिल करने की शक्ति होगी।

11. न्यायाधिकरण के कर्मचारी वृन्द –

(1) न्यायाधिकरण के लिये एक सचिव तथा अन्य राजपत्रित पदाधिकारी/अराजपत्रित कर्मी होगें, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

12. न्यायाधिकरण का सचिव –

(1) राज्य सरकार सचिव को नियुक्त/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी/बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी को सचिव पद पर प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जो बिहार सरकार में संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव पंक्ति का पदाधिकारी या राज्य सरकार के उप सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर से सेवानिवृत पदाधिकारी होगा।

(3) सचिव के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र होने तक, जो भी पहले हो, होगी। लेकिन विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उम्र में शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।

(4) सचिव के पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वही समान वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करेगा, जो वह नियुक्ति के पूर्व धारित पद पर प्राप्त कर रहा हो अथवा सेवानिवृति के समय कर रहा था तथा भविष्य में समय-समय पर पुनरीक्षित अनुमान्य वेतन एवं भत्ते पाने का हकदार होगा।

(5) सेवानिवृत व्यक्ति के सचिव पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उसे देय वेतन भत्ता आदि में से पेंशन आदि की राशि घटा कर भुगतेय होगी।

(6) सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति के मामले में वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु सचिवव के पद पर कार्यरत रह सकते है। परन्तु इसमें विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता के दृष्टिकोण शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।

13. सचिव की सेवा की अन्य शर्तें –

(1) सचिव की सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी, जो उसकी पंक्ति के राज्य सरकार के समकक्ष पदाधिकारी की है। यदि सेवानिवृत व्यक्ति की नियुक्ति सचिव के पद पर की जाती है तो उसकी अन्य सेवा शर्ते वही होगी। जो उसके द्वारा सेवानिवृति के समय धारित पद के लिए निर्धारित थी।

14. अन्य राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारी एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी – राज्य सरकार निम्नलिखित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उपलब्धता के अनुसार करेगी।

(1) एक उप सचिव जो सचिवालय सेवा संवर्ग का पदाधिकारी होगा।

(2) एक अवर सचिव, जो सचिवालय सेवा संवर्ग का होगा।

(3) न्यायाधिकरण के न्यायिक कार्यो में सहयोग करने के लिए उप निबंधक (न्याय) का पद रहेगा, जिस पर बिहार न्यायिक सेवा या पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत सदृश्य स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) चार उच्चवर्गीय लिपिक, जिनमें दो पेशाकर तथा दो आशुटंकक पंक्ति के होगें।

(5) चार निम्नवर्गीय लिपिक।

(6) छः चतुर्थवर्गीय कर्मी

15. उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों/कर्मियों का आवंटन/प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार कर सकेगी।

16. (1) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरीयता अथवा प्रोन्नति अथवा सेवा शर्त का आधार वही होगा जो उनके मूल नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत उनके समकक्ष पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के लिए उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा तय की गई है।

(2) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतनादि तथा अन्य लाभ प्राप्त होंगे जो वे अपने नियुक्ति विभाग में प्राप्त करने के हकदार होते।

17. (1) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने दावों के निकासी के लिए स्वयं व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी होंगे। न्यायाधिकरण के अन्य पदाधिकारियों तथा अन्य प्रकार के भुगतान के लिए व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी की शक्तियाँ सचिव में निहित रहेगी।

(2) न्यायाधिकरण से संबंधित सभी का भुगतान सीधे न्यायाधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(3) न्यायाधिकरण में विचारण के लिए जिन बोर्ड/निगमों का उल्लेख अधिनियम के प्रावधान में होगा, उन्हीं में मामलों में सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण सक्षम है।

18. नियंत्रण एवं अनुशासन –

(1) न्यायाधिकरण के सभी पदाधिकारी तथा स्थापना के सभी कर्मी अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहेगें परन्तु यदि अध्यक्ष चाहे, तो सचिव को यह अधिकार एवं दायित्व सौंप सकेंगे।

19. दण्डात्मक कार्रवाई–

(1) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के विरूद्ध बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी अपराध के लिए राज्य सरकार/नियुक्ति विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी, परन्तु लघु दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को होगी।

20. अपील –

(1) स्थापना का कोई भी पदाधिकारी/कर्मी न्यायाधिकरण की अनुशंसा पर, उनके विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के विरूद्ध न्यायाधिकरण के माध्यम से अपील दाखिल कर सकेगा।

भाग-4

21. धारा-9 की उप-धारा–

(1) के अधीन न्यायाधिकरण में दायर किये जाने योग्य विवाद/विवादों के निमित साक्ष्य, दस्तावेज और फीस दाखिल करने की शर्तें वही होगी। जो माध्यस्म् एवं सुलह अधिनियम 1996 में विहित है, अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रत्यय अमृत

सचिव।

●●●

BIHAR PUBLIC WORKS CONTRACTS DISPUTES ARBITRATION TRIBUNAL RULES., 2009.

NOTIFICATION

The 9th Decemebr 2009

No. Sec.-6/Niyam-07/2009/14470(S)- In exercise of the powers conferrred in the provision under section 21 of the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008, the Governor of Bihar makes the following Rules-

PART-1

Short title, Extent and commencement.-

(1) These Rules may be called 'Bihar Public Works contract Disputes Arbitration Tribunal Rules,2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) The Rules shall come into force form the date of issue.

2. Definitions-

(1) In these rules, unless the subject or otherwise requires-

(a) 'Act' means Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008;

(b) 'Arbitration clause' means a clause in the works contract to submit present or future differences to arbitration.

(c) 'State Government' means Government of Bihar.

(d) 'Chairman' means Chairman of the Tribunal.

(e) 'Member' means member of the Tribunal.

(f) 'Disputes' means any difference relating to any claim arising out of execution or non-execution of the whole or part of contract for works or services or both and include the rescinding thereof.

(g) 'Section' means section of the Act.

(h) 'Tribunal' means Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal constituted under the Act.

(i) 'Fees' means admissible/paid fees for the purpose of arbitration.

(j) 'Form' means form appended to the rules.

(k) 'Stamp' means any stamp prescribed by the State Government.\

PART-2

3. Appointment of Chairman and Members of the Tribunal-

(1) The Chairman and the Members of the Tribunal shall be appointed by the State Government according to eligibility as prescribed under Section 3 of the Act.

(2) The Chairman and the Members of the Tribunal shall hold office for a term as prescribed under Section 4 of the Act.

4. Salary and allowances and other facilities to the Chairman and Members-

(1) The Chairman of the Tribunal at the time of his appointment whether serving or retired person, shall be entitled to last pay drawn and allowances, and also such pay and allowances, as revised from time to time in future; provided that if the Chairman is a retired High Court Judge, he shall be entitled to same salary and allowances as admissible to a High Court Judge.

(2) The Member of the Tribunal at the time of his appointment if serving or retired person shall be entitled to last pay drawn and allowances, and also such pay and allowances, as revised from time to time in future.

(3) If the Chairman and Member of the Tribunal are retired person, they shall be entitled to salary etc., minus pension (including any portion of pension which may have been commuted.)

(4) On the expiry of the term of Chairman and Member, they shall be entitled to payment of leave salary in accordance with the provisions of the state Government equivalent to the leave earned by them, but this shall not exceed the maximum period of 300 days for the leave earned during their previous service and their tenure in the Tribunal.

(5) **Leave.-**

(1) The chairman shall be competent to sanction his leave under the Rules of the High court, if he is a retired Judge of the High Court, if he is retired District and Sessions Judge, this power shall be vested under the rules of the State Government.

(2) The Chairman shall be competent authority to sanction the leave of the Member or the Members.

(6) **General Provident Fund.-**

(1) If the Chairman and Members are retired persons, the shall be entitled to the benefits available to the at the time of the retirement.

(7) (1) The Chairman and the Members shall be entitled to conveyance.

(8) **Travelling allowance/ House Rent allowance/ Medical reimbursement allowance.-**

(1) Travelling allowance and house rent allowance of the Chairman and the Members shall be in accordance with his pay scale according the Travelling Allowance and House Rent Allowance Rules of the State Government; provided that if the Chairman is a retired High Court Judge, he shall be entitled to same House rent allowance and Travelling allowance as admissible a High Court Judge.

(2) The Chairman and the Member shall be entitled to medical reimbursement allowance in accordance with the officers of the All India Services.

(9) Other Provisions- The conditions of the service of the Chairman and Members for which no express provisions have been made in these rules, the decision of the State Government shall be followed.

(10) Power to relax rules.- The State Government shall have the power to amend or relax the rules/ provisions in any matter.

PART-3

(11) **Ministerial Staff of the Tribunal.-**

(1) One Secretary and other gazetted officers/ non-gazetted employees shall be appointed or deputed by the State Government for the Tribunal.

(12) **Secretary of the Tribunal.-**

(1) The State Government shall appoint/depute the Secretary.

(2) The State Government may depute officers from Bihar Administrative Service or Judicial Services cadre or retired officer of Bihar Administrative Service as Secretary, who may be a retired Joint Secretary/ officer in the rank of Joint Secretary of Bihar Government of Deputy Secretary/ Officer in the rank of Joint Secretary of the State Government.

(3) The appointment to the post of secretary shall be for a period of three years form the date of appointment or till the age of 65 years, whichever is earlier. But in case of special experience and competence, the State Government shall have the power to relax the age.

(4) Appointed/deputed officer to the post of Secretary shall be entitled to the same salary and allowances and other benefits which he was receiving before the appointment in the previous different post or as at the time of his retirement, subject to revision from time to time.

(5) In the event of appointment of a retired person in the post of Secretary, he shall be paid salary and allowances etc. deduction his pension etc.

(6) In the case of appointment of a retired officer as Secretary, he may remain in the post of Secretary to the extent of maximum age of 65 years. But the State Government shall have the powers to relax the provision taking into notice special experience and competence.

(13) Other conditions of service of the Secretary.-

(1) The other conditions of service of Secretary shall be the same as that of the officers of the equivalent rank in the State Government. If a retired person is appointed as Secretary, his service conditions shall be the same as was determined in the post held at the time of retirement.

(14) Other gazetted/non-gazetted officers and fourth grade employees- The State Government shall depute the following employees in accordance with availability.

(1) One Deputy Secretary, who shall be an officer of the Secretariat Service cadre.

(2) One Under Secretary, who shall be of Secretariat Service cadre.

(3) In order to assist the Tribunal in its judicial work, one Deputy Registrar (Judicial) shall be posted who may be appointed from the serving officer of Bihar Judicial Service or Patna High court or retired officer of the similar rank.

(4) Four Upper Division Clerks, among whom two shall be in the rank of Peshkar and two shall be in the rank of Stenographer.

(5) Fourth Lower Division Clerks.

(6) Six fourth grade employees.

(15) The State Government may depute the officer/allocate the employees as prescribed under rule 14.

(16) (1) The seniority and promotion or the basis of the other conditions of service of the officers and the employees, as prescribed under the above rule 14, shall be the same as determined under his parent appointing authority as in respect of the officers or the employees of the equivalent rank by their appointing authority.

(2) Officers and the employees, as prescribed under above rule 14, shall be entitled to such salary etc. and other benefits, which were available in their parent appointing departments.

(17) (1) The Chairman and Member of the Tribunal shall be drawing and disbursing officer for the drawls of their own claims. The power of drawing and disbursing officer shall be vested in the Secretary in respect of the payment to the other officers and employees of the Tribunal and in respect of other expenses.

(2) All the payments in respect of the Tribunal shall be disbursed by the Tribunal itself.

(3) The Tribunal shall be competent to hear such cases of Boards/Corporation as mentioned under the provisions of the Act of the purpose of adjudication by the Tribunal.

(18) **Discipline and control-** All the officers and the employees of the establishment of the Tribunal shall be under the supervision and control of the Chairman, but the Chairman if he so desires, may entrust this authority and responsibility to the Secretary.

19. Penal action.-

(1) The State Government/appointing departments may take action against officers and the employees of the Tribunal under the provisions of the Bihar Government Servants(Classification, Control and Appeals) Rules, -2005 for any misdemeanor, but the Chairman shall have the powers to impose minor punishment.

(2) If a retired person is appointed to the post of Secretary of the Tribunal, the State Government (Road Construction Department) may remove him.

20. **Appeal.**-The officers and the employees. of the establishment may prefer an appeal against disciplinary proceedings on the recommendation of the Tribunal and through the Tribunal.

21. The conditions of furnishing the evidence, documents and fees in the Tribunal for the dispute/ disputes fit to be referred under section 9 sub section (1), shall be the same as prescribed under Arbitration and Concilliation Act, 1996 or as determined by the State Government from time to time.

By order of the Governor of Bihar
Pratyaya Amrit
Secretary

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
बिहार गजट (असाधारण) 614+571+450–डी॰टी॰पी॰।
Website : http:egazette.bih.nic.in

●●●

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक-2368 पटना, दिनांक-22.06.2012

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वाणिज्य कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/प्रधान सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
राज्य सरकार के सभी उपक्रम (बोर्ड/निगम)

विषयः- कार्य संवेदकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से स्त्रोत पर बिक्री-कर की कटौती के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कार्य संवेदकों के विपत्रों से भुगतान के पूर्व कर की अग्रिम कटौती के संदर्भ में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं॰ एस॰ ओ॰ 50, दिनांक 22 जून, 2005 में अधिसूचना सं॰ 1 एस॰ ओ॰ 102, दिनांक 22 जून, 2012 के माध्यम से संशोधन किया गया है। तद्नुसार बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 29 के प्रावधानों के अधीन कार्य संविदाकारों के विपत्रों से कर के अग्रिम कटौती की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। कटौती के संदर्भ में शेष शर्ते यथावत् हैं।

अतः अनुरोध है कि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 के साथ पठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 29 के प्रावधानों के अधीन कार्य संविदाकारों के विपत्रों के भुगतान के समय 5 प्रतिशत की दर से कर की कटौती सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

●●●

पत्रांक–एम०–04-04/2010-6460/वि० (2)

बिहार सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी।

विषयः– सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– वित विभागीय पत्र सं०–2188/वि० (2) दिनांक 02.03.2010

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 2188/वि०(2) दिनांक 02.03.2010 द्वारा सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया जिसकी कंडिका (i) में निम्न प्रावधान हैः–

''पटना स्थिति राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर ही गाड़ी लिया जाये। यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ियाँ निर्धारित दर पर ली जाये।''

निर्धारित दर के संबंध में अलग–अलग विभागों द्वारा अलग–अलग निर्णय लिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है।

अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कंडिका (i) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार पढ़ा जायः–

''यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी नियमानुसार बिहार वित्त संशोधन (नियमावली) 2005 की निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए निगम के द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत ली जाये।''

(ii) पटना से बाहर स्थित कार्यालय के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के अंतर्गत निर्धारित दर के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया का पालन कर भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की छूट रहेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय)

●●●

पत्रांक:-मं॰मं॰/मंत्री परिषद-11/2012-388...../

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी सचिव/प्रधान सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार पटना।

पटना-15, दिनांक-13/05/2014

विषय:- राज्य गीत (बिहार गीत) के गायन के संबंध में आवश्यक निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा बिहार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार के मूर्ध्यन्य कवि श्री सत्यनारायण द्वारा रचित गीत जिसे देश के सुप्रसिद्ध वादक श्री हरि प्रसाद चौरसिया एवं श्री प्रसाद वर्मा द्वारा लयबद्ध किया गया है, को बिहार गीत के रूप में लोकार्पित किया गया है।

बिहार गीत इस प्रकार है :-

मेरे भारत के कंठ हार,
तुझको शत-शत वन्दन बिहार।

तू वाल्मीकी की रामायण,
तू वैशाली का लोक तंत्र,
तू बोधिसत्व की करूणा है,
तू महावीर का शांति-मंत्र,
तू नालंदा का ज्ञान-दीप,
तू ही अक्षत-चंदन बिहार।

तू है अशोक की धर्म-ध्वजा,
तू गुरू गोविन्द की वाणी है,
तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह,
तू कुँवर सिंह बलिदानी है,
तू बापू की है कर्म भूमि,
धरती का नंदन वन बिहार।

तेरी गौरव-गाथा अपूर्व,
तू विश्व शान्ति का अग्रदूत,
लौटेगा खोया स्वाभिमान,
अब जाग चुके तेरे सपूत,
अब तू माथे का विजय-तिलक,
तू आँखों का अंजन बिहार।

तूझको शत-शत वन्दन बिहार।
मेरे भारत के कंठ हार।।

बिहार गीत, बिहार प्रान्त के गौरवपूर्ण अतीत के स्मरण एवं उसके उज्जवल भविष्य की शुभेच्छा से परिपूर्ण है। निष्ठापूर्वक इसका गायन एवं इसके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति बिहारवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है।

बिहार गीत के गाये जाने/बजाये जाने के अवसर एवं इसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं:-

1. सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में बिहार गीत का ऑडियो ससम्मान बजाया जायेगा। ऐसे अवसरों पर कोरस गान हेतु प्रशिक्षित टोलियों द्वारा बिहार गीत का गायन भी किया जा सकता है।
2. विद्यार्थियों एवं जनमानस की स्मृति में इसे बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं बिहार डायरी के प्रथम पृष्ठ पर बिहार गीत मुद्रित किया जायेगा।
3. राजकीय विद्यालयो में आयोजित विभिन्न समारोहों एवं कार्यक्रमों में बिहार गीत का गायन किया जा सकता है। राजकीय विद्यालयों में बिहार गीत के कोरस गायन हेतु टोली तैयार की जा सकती है, जो समय-समय पर आयोजित समारोहों में बिहार गीत का गायन कर सकती है।
4. ऐसे अवसरों पर भी जो सरकारी समारोह न हो लेकिन उसमें विशिष्टगण उपस्थित हों, बिहार गीत का गायन किया जा सकता है।
5. गैरसरकारी सार्वजनिक आयोजनों के आरंभ में भी बिहार गीत को गाया/बजाया जा सकता है।
6. इसके गायन के समय उपस्थित जन खड़े होकर राज्य गीत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे।
7. इस पत्र के साथ बिहार गीत का 10-10 ऑडियों सी॰डी॰ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी आवश्यकतानुसार अनुकृति तैयार कराते हुए संबंधित पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं को उपलब्ध करा सकते है।

विश्वासभाजन

ह॰/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

●●●

पत्रांक–सं०–एम–4-12/2013-11131 वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

सेवा में

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार पटना।

पटना–15, दिनांक–04/11/13

विषयः– वाणिज्यिक निगम एवं बोर्ड का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से करने एवं कोषागार में चेक पारित करने की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 एवं 350 के अनुसार राज्य में कार्यरत सभी निगम/बोर्ड को कोषागार में पी०एल० खाता खोलना है तथा उनके द्वारा वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से ही किया जाना है। निगमों द्वारा प्रस्तुत चेक को त्वरित गति से पारित करने हेतु कोषागार में निम्नांकित व्यवस्था की जाती हैः–

1. निगम द्वारा पी०एल० खाते से राशि की निकासी हेतु कोषागार में चेक प्रस्तुत किया जायेगा। चेक एवं इसके साथ संलग्न प्रपत्र–क कोषागार के लेखापाल या प्रधान लिपिक द्वारा निगम के संदेशवाहक पंजी पर समय एवं तिथि अंकित करते हुए लिखित में प्राप्त किया जायेगा।
2. लेखापाल/प्रधान लिपिक की जिम्मेवारी होगी कि निगम के चेक को CTMIS में पारित करने की प्रक्रिया में तुरंत डाल दिया जाय। यदि कोषागार में चेक दोपहर 12 बजे के पूर्व प्रस्तुत किया गया है तो उसी दिन चेक पारित किया जायेगा और यदि चेक 12 बजे के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरे दिन 12 बजे के पूर्व चेक पारित किया जायेगा।
3. कोषागार के मासिक लेखा के साथ पी० एल० खाते का धन–ऋण ज्ञापन कोषागारों के लिए लेखांकन नियमावली, 1992 के तहत विहित आई०एस०टी०–37 में तैयार किया जाय तथा महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा के साथ निश्चित रूप से भेजा जाय।
4. कोषागार में निगमों के पी०एल० खाते के संबंध में **कोषागारों के लिए लेखा नियमावली, 1992** में विहित प्रपत्र आइ०एस०टी०–19 तथा आइ०एस०टी०–21 में एक अलग पंजी संधारित की जाय। चेक पारित करने के साथ इन पंजियों को अद्यतन किया जाय।
5. पी०एल० खाते से संव्यवहार हेतु चेक प्राप्त करने हेतु प्रधान महालेखाकार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को अनुरोध करना होगा न कि महालेखाकार (ले० एवं ह०) को।

अतः अनुरोध है कि सभी वाणिज्यिक निगमों का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से करने के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय तथा कोषागार में चेक प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में चेक पारित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभजन

ह०/–
संजीव हंस,
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4-12/2013-11131 वि० पटना, दिनांक–30/10/13

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी अधिनस्थ निगमों/बोर्ड/प्राधिकार/एजेन्सी/सोसाइटी को पी०एल० खाता के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार करने तथा चेक पारित करने हेतु की गई व्यवस्था का अनुपालन करने का निदेश दिया जाय।

ह०/–
संजीव हंस,
सचिव (व्यय)

●●●

पत्रांक–सं०–एम–4-12/2013-11132/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
बिहार पटना।

पटना–15, दिनांक–30/10/13

विषयः– वाणिज्यिक निगम एवं बोर्ड का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से करने एवं कोषागार में चेक पारित करने की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 एवं 350 के अनुसार राज्य में कार्यरत सभी निगम/बोर्ड को कोषागार में पी०एल० खाता खोलना है तथा उनके द्वारा वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से ही किया जाना है। राज्य निगमों की मौद्रिक तरलता बनाएं रखने तथा त्वरित भुगतान करने हेतु कोषागार में विशेष व्यवस्था की जाती है जो निम्नवत् हैः–

1. प्रशासी विभाग द्वारा किसी स्कीम में उपलब्ध करायी गयी राशि निगम के पी०एल० खाता में बही अंतरण (Book Transfer) द्वारा जमा की जायेगी। यदि निगम का पी०एल० खाता प्रशासी विभाग के कोषागार से भिन्न कोषागार में है तो प्रशासी विभाग राशि की निकासी कर ड्राफ्ट के माध्यम से निगम को हस्तगत करा देंगें। चेक निगम के पी०एल० खाता बजट कोड के साथ निगम के नाम निर्गत किया जाय ताकि राशि के अंतरण पी०एल० खाते में सुनिश्चित किया जा सके।
2. निगमों की मौद्रिक तरलता (liquidity) बनाये रखने हेतु संबंधित योजनाओं के विरुद्ध पी०एल० खाते में जमा राशि का अधिकतम 20% राशि की निकासी चेक से करते हुए निगम अपने बैंक खाते में रख सकते है। बैंक खाते में जमा 20% राशि का 75% व्यय हो जाने पर पी०एल० खाते में उपलब्ध शेष राशि के 20% राशि की अगली किस्त में निकासी की जा सकेगी। उदाहरण यदि किसी योजना अथवा योजना समूह के लिए प्रशासी विभाग द्वारा 100/- रुपयो निगम के पी०एल० खाते में उपलब्ध कराया जाता है तो प्रथम किस्त के रूप में निगम पी०एल० खाते से अधिकतम 20/- रुपये की निकासी कर बैंक में रख सकता है। जब बैंक में जमा राशि में से 15/- रुपया वास्तविक रूप में कार्य के विरुद्ध भुगतान में व्यय हो जाय तो 20/- रुपये की अगली किस्त की निकासी की जा सकती है यदि प्रथम किस्त से निकासी की गयी राशि में से 15/- रुपया व्यय कर दिया गया है तथा पुनः प्रशासी विभाग द्वारा उक्त योजना अथवा योजना समूह हेतु 100/- रुपया निगम के पी०एल० खाते में अंतरित किया जाता है तो कुल प्राप्त/उपलब्ध राशि 100/- पूर्व का शेष 80/- अर्थात 180/- रुपया का 20/- रुपये 36/- की निकासी की जायेगी। अगली किस्त निकासी के लिए प्रथम किस्त का शेष 5/- रुपया दूसरी किस्त का 36/- रुपया अर्थात 41/- रुपया का 75% अर्थात 31/- रुपया व्यय होने के बाद अगली किस्त 20% की निकासी की जा सकेगी।
3. वित्तीय वर्ष के अंत में निगमों के बैंक खाता में शेष राशि पी०एल० खाता में वापस अंतरित कर दी जायेगी तथा 1ली अप्रैल से नये सिरे से निकासी की जायेगी।

4. पी॰एल॰ खाता प्रशासक द्वारा चेक प्रस्तुत करने के साथ निम्नांकित सूचनाओं का एक प्रपत्र ''क'' चेक के साथ संलग्न किया जायेगा:-

व्यक्तिगत लेखा खाता (Personal Ledger Account-PLA) से निकासी हेतु चेक के साथ संलग्न किये जानेवाला प्रमाणपत्र

प्रपत्र क

(i) निगम का नाम-
(ii) पी॰एल॰ खाता कोड-
(iii) पी॰एल॰ खाता में कुल उपलब्ध राशि-
(iv) पूर्व में निकासी की गयी राशि-
(v) निकासी की गयी राशि से व्यय-
(vi) वर्त्तमान में निकासी की राशि-(iii का 20%)
(vii) शेष राशि-

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

.....

उपरोक्त प्रपत्र के अलावे अन्य कोई कागजात चेक के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. चेक के पीछे एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि:-

(क) पूर्व में निकासी की गयी 20% की राशि में से 75% व्यय कर लिया गया है।

(ख) निकासी की जानेवाली राशि पी॰ एल॰ खाते में प्राप्त कुल राशि के 20% के अधीन है।

6. निगम द्वारा राशि निकासी हेतु चेक सीधे लेखापाल या प्रधान लिपिक के समक्ष संदेशवाहक पंजी के माध्यम से समय एवं तिथि अंकित कराते हुए प्राप्त कराया जायेगा। यदि कोषागार में चेक दोपहर 12 बजे के पूर्व प्रस्तुत किया गया है तो उसी दिन चेक पारित किया जायेगा और यदि चेक 12 बजे के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरे दिन 12 बजे के पूर्व चेक पारित कर दिया जायेगा।

7. पी॰एल॰ खाता खोलने हेतु निगम अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से संचिका में प्रस्ताव वित विभाग को भेजेगें। संचिका में पी॰एल॰ खाता हेतु बजट शीर्ष खोलने एवं प्राधिकार पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव भेजा जाय। प्रस्ताव के साथ निगम/बोर्ड/प्राधिकार सोसाईटी आदि के गठन का Memorandum of Association & Acticle of Associtation Deed Bye-laws आदि अवश्य संलग्न किया जाय।

8. इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई या समस्या के निदान हेतु श्री कामेश्वर ओझा, अवर बजट नियंत्रक, वित्त विभाग से उनके दूरभाष संख्या-0612-2217927, 09204347425 पर संपर्क किया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ सभी वाणिज्यिक निगमों का कोषागार में पी॰एल॰ खाता खोलवाने तथा वितीय संव्यवहार पी॰एल॰ खाता के माध्यम से करने के उपरोक्त प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह॰/-
संजीव हंस,
सचिव (व्यय)

●●●

पत्रांकः–भवन/मु०–अ०(द) विविध–8-244/12-2131(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना दिनांकः– 19.02.13

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय के भवन एवं उससे संबंधित न्यायाधीश/अधिकारियों के आवास कार्यालय में अनुरक्षण मरम्मति रख रखाव एवं परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यो की प्राथमिकता सूची तय करने के संबंध में।

महाशय,

सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के भवन एवं माननीय न्यायाधीशों आवासों सहित अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों एवं गैर आवासीय संरचना के परिवर्त्तन/परिवर्द्धन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायः–

i. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा समिति को पटना स्थिति माननीय उच्च न्यायालय भवन एवं उससे संबंधित न्यायाधीश/अधिकारी के आवास/कार्यालय (पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से संबंधित अनुरक्षण मरम्मति एवं रख रखाव तथा आवास/कार्यालय में परिवर्त्तन/परिवर्द्धन के कार्यो की प्राथमिकता सूची हर वर्ष तय की जा सकेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त प्राथमिकता सूची के आलोक इस मद मे कर्णाकित राशि के अनुरूप पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल द्वारा कार्य कराया जा सकेगा।

ii. भवन निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर आवास/कार्यालय में अनुरक्षण मरम्मति एवं नये निर्माण से संबंधित जो नीति बनायी जायेगी उसका अनुपालन उपरोक्त प्राधिकृत समिति द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

साथ ही यह निर्णय भी संसूचित है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी नीति के अधीन उपरोक्त कार्य कराए जा सकेगें।

अतः अनुरोध है कि संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी के माध्यम से उपरोक्त प्राथमिकता सूची शीघ्र तैयार कर कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल के माध्यम से कार्य कराने का कष्ट करें।

विश्वासभसजन

ह०/–

(गंगा कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–2131(भ) पटना, दिनांक/ 19.02.2013

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार भवन अंचल/कार्यापालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

पत्रांक:–बी॰एस॰बी॰सी॰सी॰एल॰–सी॰जी॰एम॰–2-26/13-2040 दिनांक:-07.11.2013

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुंगेर, भागलुपर
निगम में कार्यरत सभी संवेदक।

विषय:- संवेदक एवं पदाधिकारियों के बीच विवादों का निपटारा एवं उस पर की गई व्यय के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

प्राय: देखा जाता है कि कभी–कभी निगम में कार्यरत संवदेक शिकायत करते हैं कि कार्यस्थल पर उनके द्वारा कार्य कर दिया गया है लेकिन संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई से इस संबंध में जब निगम द्वारा पत्राचार/टेलिफोनिक संवाद से इसकी जानकारी मांगी जाती है तो संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई के द्वारा यह बताया जाता है कि इनके द्वारा कार्य विशिष्टी के अनुरूप नहीं किया गया है/कम कार्य किया गया है।

उक्त स्थिति को देखते हुए निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर तथ्य की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु अगर निगम के स्तर पर किसी प्रकार की जाँच करायी जाती है और जाँच में उक्त तथ्य सही नहीं पाया जाता है तो अन्य दंड के अलावा जाँच पर होनेवाले सारे व्यय का वहन संबंधित संवेदक के विपत्र से दंड के रूप में संबंधित उप महाप्रबंधक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर भरपायी की जाएगी।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:–B.S.B.C.C.L.-C.G.M.-2-26/13 2040 दिनांक: 07/11/2013

प्रतिलिप:–मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक(वित्त)/ उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)/परियोजना प्रबंधक/वरीय वास्तुविद्/उपमहाप्रबंधक (विद्युत)/आई॰टी॰ मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि॰, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(गंगा कुमार)

●●●

पत्रांक:–बी॰एस॰बी॰सी॰सी॰एल॰–सी॰जी॰एम॰–1–स्था॰–3/09(पार्ट–2)–1729 दिनांक:–07.11.2013

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/
सभी उप महाप्रबंधक तकनीकी/उप महाप्रबंधक (वित्त)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि॰,
पटना।

विषय:- विभिन्न योजनाओं के मद में प्राप्त आवंटन/मांग पत्रों का भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश।

महाशय,

प्राय: देखा जाता है कि विभिन्न योजनाओं में आवंटन प्राप्त रहने के बावजूद भी विपत्र/मांग पत्र प्राप्त होने बाद भी लम्बे समय तक बिना किसी कारण के भुगतान हेतु लंबित पड़ा रहता है जिसके कारण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ता है। प्राप्त विपत्रों/मांग पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं:-

1. विपत्र/मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर हर स्थिति में नियमानुकूल भुगतान सुनिश्चित किया गया।
2. कोई आपत्ति होने की स्थिति में 07 दिनों के भीतर संबंधित पदाधिकारी को आपत्ति के निवारण हेतु वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. कोई भी विपत्र/मांग पत्र/भुगतान हेतु प्राप्त होने पर उसकी जाँच प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अवश्य कर ली जाए।

उपर्युक्त निदेश का कठोरता से पालन किया जाय। चूक की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक

●●●

पत्रांक-3469 (भ) अनु०-3469 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
बिहार।

पटना, दिनांक-25.03.2014

विषयः- विधान मंडल एवं सचिवालय विस्तारीकरण के निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण से संबंधित बहुत सारे कार्य को कार्यान्वित किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिसूचना सं०-एस०ओ०-1533, दिनांक-14.12.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में निदेश दिया जाता है कि निर्माण कार्य से पूर्व वैधानिक पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारंभ किया जाय।

उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाय। अगर इसके अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक होती है तो संबंधित पदाधिकारियों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०-
(गंगा कुमार)

ज्ञापांक-3469(भ) पटना, दिनांक-25.03.2014

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

●●●

(Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi 14th September, 2006

Notification

S.O. 1533 Whereas, a draft notification under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India[1], unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union territory Administration concerned under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1324 (E) dated the 15th September ,2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

(i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;

(ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned

1 Includes the territorial waters

sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member - Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

(2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.

(3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.

(4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.

(5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.

(6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).

(7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, will require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State

or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. Stage (1) - Screening:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. Stage (2) - Scoping:

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/ or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terns of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

(a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

(b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.

(c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.

(d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).

(e) all Category 'B2' projects and activities.

(f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) A public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) Obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) The public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) In case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant

to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days .The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product -mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee

concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I , or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

[No. J-11013/56/2004-IA-II (I)]

(R.CHANDRAMOHAN)

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
	1	*Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	≥ 50 ha. of mining lease area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area.	General Condition shall apply Note

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Asbestos mining irrespective of mining area		Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/ naphta & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels –)	< 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); <50 MW ≥ 5MW (Pet coke, diesel and all other fuels)	General Condition shall apply
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects	-	
2		**Primary Processing**		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				with the mining proposal)
2(b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)
3		**Materials Production**		
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a) Primary metallurgical industry All projects b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD	Sponge iron manufacturing <200TPD	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
		c) Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum	Secondary metallurgical processing industry i.) All toxic and heavy metal producing units <20,000 tonnes/ annum ii.) All other non-toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/ annum	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/ annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply
4		**Materials Processing**		
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	— —	
4(b)	Coke oven plants	2,50,000 tonnes/annum	<2,50,000 & ≥ 25,000 tonnes/ annum	—
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	—	—
4(d)	Chlor-alkali industry	≥ 300 TPD production capacityor a unit located out side the notified industrial area/ estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	—	—
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/ estate	Specific condition shall apply
5		**Manufacturing/Fabrication**		
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	—	—
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/ or reforming to aromatics)	All projects	—	—
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥ 30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	–	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	—	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	—	All projects	General Condition shall apply
6		**Service Sectors**		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks / sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects		—
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)		All projects	General Condition shall apply
7		**Physical Infrastructure including Environmental Services**		
7(a)	Air ports	All projects		–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	–	–
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area> 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours 10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply
8		**Building /Construction projects/Area Development projects and Townships**		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq. mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre -defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

APPENDIX I
(See paragraph - 6)
FORM 1

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		
1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		

1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		
1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?		

1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material - stone, aggregates, sand / soil (expected source - MT)		
2.5	Forests and timber (source - MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		

4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		
5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		

6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.: ● Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) ● housing development ● extractive industries ● supply industries ● other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could havean impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		
2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		

3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses *(hospitals, schools, places of worship, community facilities)*		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources *(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)*		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. *(those where existing legal environmental standards are exceeded)*		
12	Areas susceptible to natural hazard which could ause the project to present environmental problems *(earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)*		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii)the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?

2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)

2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)

2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)

2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)

2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.

2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?

2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)

2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)

2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)

2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)

2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)

2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	● Purpose of the report ● Identification of project & project proponent ● Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region ● Scope of the study - details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	● Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following: ● Type of project ● Need for the project ● Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout) ● Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project ● Proposed schedule for approval and implementation ● Technology and process description ● Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose ● Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope) ● Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure
3.	Description of the Environment	● Study area, period, components & methodology ● Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope ● Base maps of all environmental components

4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	● Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project ● Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified ● Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components ● Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) ● Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	● In case, the scoping exercise results in need for alternatives: ● Description of each alternative ● Summary of adverse impacts of each alternative ● Mitigation measures proposed for each alternative and ● Selection of alternative
6.	Environmental Monitoring Program	● Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	● Public Consultation ● Risk assessment ● Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	● Improvements in the physical infrastructure ● Improvements in the social infrastructure ● Employment potential -skilled; semi-skilled and unskilled ● Other tangible benefits
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	● Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	● Overall justification for implementation of the project ● Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	● The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A

(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District - wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 **The Process:**

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s

(b) Zila Parishad or Municipal Corporation

(c) District Industries Office

(d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities.

They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 **Notice of Public Hearing:**

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member -Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 **The Panel**

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 **Videography**

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 **Proceedings**

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the

contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 **Time period for completion of public hearing**

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX -V

(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC /SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise

all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT `

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/ Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts:** Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- **Sectoral Experts in Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process Experts:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- **Risk Assessment Experts**
- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**
- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

●●●

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2012

सं॰ पर्या॰ वन-02/2011-90(ई॰)/प॰वे॰ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का॰आ॰ 1533 (अ॰), दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग 'ख' के परियोजना पर विचार एवं निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या-का॰ आ॰ 255 (अ॰), दिनांक 07.02.2011 द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (S.E.I.A.A.) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) का गठन किया गया है। राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग 'ख' से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावर्णीय अनापत्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र पर सभी अभिलेखों के परीक्षाणोपरांत लोक सुनवाई के प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा देती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' की वसूली का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावर्णीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण अधिसूचना संख्या-का॰आ॰ 1533 (अ॰), दिनांक 14.09.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए समर्पित तथा समर्पित किये जाने वाले परियोजनाओं हेतु 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' निम्नवत होगी:-

क्र॰	कुल परियोजना मूल्य	'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क'
1.	पाँच करोड़ तक	25 हजार
2.	पाँच करोड़ से पच्चीस करोड़ तक	01 लाख
3.	पच्चीस करोड़ से एक सौ करोड़ तक	03 लाख
4.	एक सौ करोड़ अधिक	05 लाख

4. परियोजना प्रतिनिधि द्वारा इस राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पक्ष में भुगतेय होगा, किया जायेगा। इसे पर्यावरण समाघात् निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित करने के समय जमा किया जायेगा।

5. सूक्ष्म परीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि गैर कर राजस्व के रूप में राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

6. बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन (day to day) के कार्यो के सम्पादन हेतु राज्य सरकार सहायक अनुदान राशि प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह॰/-

रामावतार राम,

सरकार के विशेष सचिव।

●●●

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का॰आ॰सं॰–भवन/मु॰अ॰(द॰)यो॰विविध–8-291/13 (अंश) ...11/दिनांक–27.03.2014

कार्यालय आदेश

दिनांक–12.12.2013 को विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में सरकारी आवासों के उद्यान के विकास एवं अनुरक्षण हेतु प्रतिवर्ष निम्न प्रकार से राशि का प्रावधान किया गया है:–

1. विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी के लिए– 30,000/-
2. सचिव/प्रधान सचिव/मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी के लिए– 40,000/-
3. माननीय मंत्री/माननीय विधायक/माननीय न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी के लिए– 50,000/-

उपर्युक्त निर्धारित राशि से अधिक व्यय होने पर उद्योग प्रमंडल द्वारा अलग से मांग की जायेगी। साथ ही वागवानी से संबंधित कार्य उद्यान प्रमंडल द्वारा किया जायेगा एवं इसके अलावा अन्य कार्य यथा मिट्टी भराई आदि कार्य संबंधित भवन प्रमंडल द्वारा किया जायेगा।

ह॰/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 256 (भ) पटना, दिनांक–09.01.2014

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव कोषांग/अभियंता प्रमुख कोषांग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग/मुख्य अभियंता (द॰) कोषांग/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार, अंचल, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

●●●

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

S.O. 2804(E).-WHEREAS, by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1), clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacture of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacture of building materials and in construction activity within a specified radius of one hundred kilometers from coal or lignite based thermal power plants;

AND WHEREAS, the term "fly ash" means and includes all categories or groups of coal or lignite ash generated at the thermal power plant and collected by Electrostatic Precipitator (ESP) or bag filters or other similar suitable equipments; bottom ash is the ash collected separately at the bottom of the boiler; pond ash is the mixture of ESP Fly ash and bottom ash, but, for the purpose of this notification, the term "fly ash"-means and includes all ash generated such as Electrostatic Precipitator (ESP) ash, dry fly ash, bottom ash, pond ash and mound ash as the objective is to utilise all the ashes;

AND WHEREAS, there is a need for restricting the excavation of top soil for manufacture of bricks and for other works which involve use of top soil and promoting utilisation of fly ash produced by coal or lignite based thermal power plants including captive power plants and co-generation plants in the manufacture of building materials and construction activity;

AND WHEREAS, it was observed that there was a gradual increase in the use of fly ash in the manufacture of fly ash bricks or products from about 1.5 million tonne in 2002-2003 to 3.19 million tonne in 2006-2007 which needs to be further encouraged for achieving the ultimate objective of conservation of op soil and minimise environmental pollution caused due to fly ash;

AND WHEREAS, it is observed that construction agencies are yet to achieve their targets of utilization of fly ash based products even after the 31st August, 2007, the date prescribed for 100% utilisation of fly ash based products in the said notification of 1999 and it is also observed that many thermal power stations or plants are also yet to achieve the targets drawn up in their action plans;

AND WHEREAS, the representations of the brick kiln owners were considered with regard to transporting of fly ash over a long distance and also the logistics involved including the energy cost;

AND, WHEREAS, the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

AND WHEREAS, a draft of amendment to the Government of India, Ministry of Environment and Forests notification no. S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 duly amended vide notification No. S.O. 979 (E), dated the 27th August, 2003 (hereinafter referred to as the said

notification) which the Central Government proposes to make under subsection E clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th November, 2008 vide S.O. 2623 (E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft amendments were made available to the public.

AND WHEREAS, copies of the said Gazette were made available to the public on the day of 6th November 2008;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from various persons or agencies likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments to the said notification, namely: -

AMENDMENTS

1. Throughout the said notification, save as otherwise expressly provided and unless the context otherwise requires, for the word "ash" wherever it occurs, the words "fly ash" shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 1,-

(a) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely:-

"(i) use of fly ash based products in construction activities";

(b) for sub-paragraphs (1A) and (1B), the following sub-paragraphs shall respectively be substituted, namely:

"(1A) Every construction agency engaged in the construction of buildings within a radius of hundred kilometers from a coal or lignite based thermal power plant shall use only fly ash based products for construction, such as: cement or concrete, fly ash bricks or blocks or tiles or clay fly ash bricks, blocks or tiles or cement fly ash bricks or bricks, or blocks or similar products or a combination or aggregate of them, in every construction project.

(1B) The provisions of .sub-paragraph (1A) shall be applicable to all construction agencies of Central or State or Local Government and private or public sector and it shall be the responsibility .of the agencies either undertaking construction or approving the design or both to ensure compliance of the provisions of sub-paragraph (1A) and to submit annual returns to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as applicable";

(c) after sub-paragraph (1B), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1C) Minimum fly ash content for building materials or products to qualify as "fly ash based products" category shall be as given in the Table I below:

Table I

Serial Number	Building-Materials or Products	Minimum % of fly ash by weight
(1)	(2)	(3)
1.	Fly ash bricks, blocks, tiles, etc. made with fly ash, lime, gypsum, sand, stone dust etc. (without clay)	500/o of total input materials
2.	Paving blocks, paving tiles, checker tiles, mosaic tiles, roofing sheets, pre-cast elements, etc. wherein cement is used as binder.	Usage of PPC (15-1489: Part-1) or PSC (15-455) or 15% of OPC (I5-269/8112/12269) content.
3.	Cement.	151/4.of total raw materials
4.	Clay based building materials such as bricks, blocks, tiles, etc.	25% of total raw materials
5.	Concrete, mortar and plaster.	Usage of PPC (I5-1489: Part-I) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (I5-269/8112/ 12269) content.

(d) in sub-paragraph (2), for the brackets and number "(1)", the brackets, number and letter " (1C)" shall be substituted and the number of sub-paragraph (2) shall be substituted by 1(D);

(e) in paragraph (2A), the paragraph 1(A) shall be substituted by 1(A) and 1(B) and the amended paragraph 2(A) is to be numbered as 1(E);

(f) for subparagraphs (3) and (3A), the following sub-paragraphs shall respectively be substituted namely;-

"(3) In case of non-availability of fly ash from thermal power plants in sufficient quantities as certified by the said power plants, within 100 km of the site, the stipulation tinder sub-paragraph (1A) shall be suitably modified (waived or relaxed) by the concerned State Government or Union territory Government level monitoring committee mentioned elsewhere in this notification.

(3A) A decision on the application for manufacture of fly ash bricks, blocks and tiles and similar other fly ash based products shall be taken within thirty days from the date of receipt of the application by the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.";

(g) sub-paragraphs (3B), (3C) and (3D) shall be omitted;

(h) for sub-paragraphs (4) and (5), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(4) Each coal or lignite based thermal power plant shall constitute a dispute settlement committee which shall include the General Manager of the thermal power plant and a representative of the relevant Construction and fly ash Brick Manufacturing

Industry Association or Body, as the case may be and such a Committee shall ensure unhindered loading and transport of fly ash in an environmentally sound manner without any undue loss of time. Any unresolved dispute shall be dealt with by the concerned State or Union territory Government level monitoring committee mentioned elsewhere in this notification.

(5) No agency, person or organization shall, within a radius of hundred kilometers of a thermal power plant undertake construction or approve design for construction of roads or flyover embankments with top soil; the guidelines or specifications issued by the Indian Road Congress (IRC) as contained in IRC specification No. SP: 58 of 2001 as amended from time to time, regarding use of fly ash shall be followed and any deviation from this direction can only be agreed to on technical reasons if the same is approved by Chief Engineer (Design) or Engineer-in-Chief of the concerned agency or organisation or on production of a certificate of "fly ash not available" from the thermal power plant(s) (TPPs) located within hundred kilometers of the site of construction and this certificate shall be provided by the TPP within two working days from the date of receipt of a request for fly ash,. if fly ash is not available";

(i) in sub-paragraph (6), for the words "Voids created due to soil borrow area shall be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately as above and this would be done as an integral part of embankment project within the time schedule of the project", the words "Voids created at soil borrow area shall be filled up with fly ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately as above and this would be done as an integral part of embankment project" shall be substituted;

(j) for sub-paragraph.(7), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:

"(7) No agency, person or organisation shall within a radius of hundred kilometers of a coal or lignite based thermal power plant undertake or approve or allow reclamation and compaction of low-lying areas with soil; only fly ash-shall be used for compaction and reclamation and they shall also ensure that such reclamation and compaction is done in accordance with the specifications and guidelines laid down by the authorities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3.

(8) (i) No person or agency. shall within fifty kilometers (by road) from coal or lignite based thermal power plants, undertake or approve stowing of mine without using at least 25% of fly ash on weight to weight basis, of the total stowing materials used and this shall be done under the guidance of the Director General of Mines Safety (DGMS);

Provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quality and quantity of fly ash as may be decided by the expert committee referred in sub-paragraph (10) for this purpose.

(ii) No person or agency shall within fifty kilometers (by road) from coal of lignite based thermal power plants, undertake or approve without using at least 25% of fly ash on volume to volume basis of the total materials used for external dump of overburden and same percentage in upper benches of back filling of opencast mines and this shall be done under the guidance of the Director General of Mines Safety (DGMS);

Provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quality and quantity of fly ash as may be decided by the expert committee referred in sub-paragraph (10) for this purpose.

(9) The provisions contained in clauses (i) and (ii) of sub-paragraph (8) shall be applicable to all mine agencies under Government, public and private sector and to mines of all minerals or metals or items and it shall be the responsibility of agencies either undertaking or approving the external dump of overburden, backfilling or stowing of mine or all these activities to ensure compliance of provisions contained in clauses - (i) and (ii) of sub-paragraph (8) and to submit annual returns to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as applicable.

(10) The Ministry of Coal for this purpose shall constitute an expert committee comprising of representatives from Fly Ash Unit, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Director General of Mines Safety (DGMS), Central Mine Planning and Design Institute Limited (CMPDIL), Ministry of Environment and Forests, Ministry of Power, Ministry of Mines and the Central Institute of Mining and Fuel Research (CIMFR), Dhanbad; the Committee shall also guide and :advise the back filling or stowing in accordance with the provisions contained in sub-paragraphs (8) (i), 8 (ii) and (9), and specifications and guidelines laid down-by the concerned authorities as mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3.

(11) The concerned State Government or Union territory Government shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions of sub-paragraphs (8) (i) and (8) (ii)";

3. in the said notification, in paragraph 2,-

(a) for sub-paragraphs (1), (2) and (3), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely :-

"(1) All coal or lignite based thermal power stations would be free to sell fly ash to the user agencies subject to the following conditions, namely:-

(i) the pond ash should be made available free of any charge on "as is where is basis" to manufacturers of bricks, blocks or tiles including clay fly ash product manufacturing unit(s), farmers, the Central and the State road construction agencies, Public Works Department, and to agencies engaged in backfilling or stowing of mines.

(ii) at least 20% of dry ESP fly ash shall be made available free of charge to units manufacturing fly ash or clay-fly-ash bricks, blocks and tiles on a priority basis over other users and if the demand from such agencies falls short of 20% of quantity, the balance quantity can be sold or disposed of by the power station as may be possible;

Provided that the fly ash obtained from the thermal power station should be utilized only for the purpose for which it was obtained from the thermal power station or plant failing which no fly ash shall be made available to the defaulting users.

(2) All coal and, or lignite based thermal power stations and or expansion units in operation before the date of this notification are to achieve the target of fly ash utilization as per the Table II given below :

Table II

Serial Number	Percentage Utilization of Fly Ash	Target Date
1	2	3
1	At least 50% of fly ash generation	One year from the date of issue of this notification.
2	At least 60% of .fly ash generation	Two years from the date of issue of this notification.
3	At least 75% of fly ash generation	Three years from the date of issue of this notification
4	At least 90% of fly ash generation	Four years from the date of issue of this notification
5	100% fly ash generation	Five years from the date of issue of this notification.

The unutilised fly ash in relation to the target during a year, if any, shall be 'Utilized within next two years in addition to the targets stipulated for those years and the balance unutilized fly ash accumulated during first five years (the difference between the generation and the utilization target) shall be utilized progressively over next five years in addition to 100% utilization of current generation of fly ash.

(3) New coal and, or lignite based thermal power stations and, or expansion units commissioned after this notification to achieve the target of fly ash utilization as per Table III given below:

Table III

Serial Number	Fly ash utilization level	Target date
1	2	3
1	At least 50% of fly ash generation	One year from the date of commissioning.
2	At least 70% of fly ash generation	Two years from the date of commissioning.
3	90% of fly ash generation	Three years from the date of commissioning.
4	100% of fly ash genera	Four years from the date of commissioning.

The unutilised fly ash in relation to the target during a year, if any, shall be utilized within next two years in addition to the targets stipulated for these years and the balance unutilized fly ash accumulated during first four years (the difference between e generation and utilization target) shall be utilized progressively over next five years in addition to 100% utilization of current generation of fly ash.";

(b) in sub-paragraph (4), for the words "six months" the words "four months" shall be substituted;

(c) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(6) The amount collected from sale of fly ash and fly ash based products by coal and/or lignite .based thermal power stations or their subsidiary or sister concern unit, as applicable should be kept in a separate account head and shall be utilized only for development of infrastructure or facilities, promotion and facilitation activities for use of fly ash until 100 percent fly ash utilization level is achieved; thereafter as long as 100% fly ash utilization levels are maintained, the thermal power station would be free to utilize the amount collected for other development programmes also and in case, there is a reduction in the fly ash utilization levels in the subsequent year(s), the use of financial return from fly ash shall get restricted to development of infrastructure or facilities and promotion or facilitation activities for fly ash utilization until 100 percent fly ash utilisation level is again achieved and maintained.

(7) Annual implementation report (for the period 1st April to 31st March) providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April, every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board or Committee and the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests by the coal or lignite based thermal power plants, and also be made a part of the annual report of the thermal power plant as well as thermal power plant wise information be provided in the annual report of thermal power producing agency owning more than one thermal power plant.";

4. in the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (2), for the words "schedules of specifications and construction applications, including appropriate standards and codes of practice, within a period of four months from the publication of this notification", the words "tender documents, schedules of specifications and construction applications including appropriate standards and codes of practice within a period of four months from the publication of this notification" shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (2A), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2A) Building construction agencies both in public and private shall prescribe the use of fly ash and fly ash-based products in their respective tender documents, schedules, of specifications and construction applications, including appropriate standards and codes of practice and make provisions for the use of fly ash and fly ash based bricks, blocks or tiles or aggregates of them in the schedule of approved materials and rates within a period of four months from the publication of this notification."

(c) for sub-paragraphs (2B) and (3), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(2B) All agencies undertaking construction of roads or fly over bridges and reclamation and compaction of low lying areas, including Department of Road Transport and Highways (DORTH), National Highways Authority of India (NHAI), Central Public Works Department (CPWD), State Public Works Departments and other State Government Agencies, shall within a period of four months from the Publication of this notification:

(a) make provisions in their tender documents, schedules of approved materials and rates as well as technical documents for implementation of this notification, including those relating to soil borrow area or pit as per sub-paragraph (6) of paragraph 1; and

(b) make necessary specifications or guidelines for road or fly over embankments that are not covered by the specifications laid down by the Indian Road Congress (IRC).

(3) All local authorities shall specify in their respective tender documents, building bye-laws and regulations, the use of fly ash and fly ash-based products and construction techniques in building materials, roads embankments or for any usage with immediate effect.

(4) The Central Electricity Authority and other approving agencies may permit the land area for emergency ash pond or fly ash storage area up to 50 hectares for a 500 MW unit, based on 45% ash content coal, or in the same proportion for units in other capacities taking into account the ash content in coal or lignite to be used.

(5) All Financial institutions and agencies which fund construction activities shall include a clause in their loan or grant document for compliance of the provisions of this notification.

(6) A Monitoring committee shall be constituted by the Central Government with Members from Ministry of Coal, Ministry of Mines, Ministry of Power, Central Pollution Control Board, Central Electricity Authority, Head Fly Ash Unit of Department of Science and Technology and Building Material Technology Promotion Council to monitor the implementation of the provisions of the notification and submit its recommendations Or observations at least once in every six months to the Secretary, Ministry of Environment and Forests. Concerned Advisor or Joint Secretary in the Ministry of Environment and Forests will be the convener of this committee.

(7) For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification the State Governments or Union territory Government shall constitute a Monitoring Committee within three months from the date of issue of this notification under the Chairmanship of Secretary, Department of Environment with representatives from Department of Power, Department of Mining, Road and Building Construction Department and State Pollution Control Board and this Committee would deal with any unresolved issue by Dispute Settlement Committee as prescribed in sub-paragraph (4) of paragraph 1, in addition to monitoring and facilitating implementation of this notification at the respective State Government or Union territory level and this Committee would also be empowered to suitably modify (waive or relax) the stipulation under sub-paragraph (1) in case of non-availability of fly ash in sufficient quantities from thermal power plant as certified by the said power plants and the Committee will meet at least once in every quarter.

[F. No. 9-8/2005-FISIAD]
G V. SUBRAHMANYAM,
Scientist 'G'

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 and was amended vide notification number S. 0. 979(E), dated the 27th August, 2003.

●●●

संकलनकर्त्ता



गंगा कुमार

विगत कई वर्षों से भवन निर्माण विभाग में सरकार के विभिन्न परिपत्रों एवं महत्वपूर्ण पत्रों के समेकित संकलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस संदर्भ में श्री गंगा कुमार, विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण भवन निगम लिमिटेड, बिहार की अग्रणी सोच एवं कड़ी मेहनत ने इस क्षेत्र में परिपत्रों के संकलन को पुस्तक का रूप दिया है। श्री कुमार एक कुशल प्रशासक के साथ सहित्य प्रेमी भी है जिन्होंने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा बिहार के सांस्कृतिक धरोहर एवं कल्पवृक्ष नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही परिपत्रों के संकलन रूपी इस पुस्तक में अभियंत्रण विभागों के विभिन्न परिपत्रों, सर्कूलर, विभिन्न कार्यालय आदेश आदि का समावेश बेहतरीन तरीके से किया गया है जो कि विभाग के अभियंताओं एवं अन्य सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकेगा ।



राम बाबू प्रसाद

बिहार के सीतामढ़ी जिला के निवासी श्री राम बाबू प्रसाद, योजना एवं निरूपण अभियंता, भवन निर्माण विभाग-सह-उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में पदस्थापित, बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी हैं।

श्री प्रसाद जो कि एक संरचना अभियंता है, विभिन्न प्रकार के भवनों एवं पुलों आदि के संरचना निरूपण में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। इनके द्वारा अनेक तकनीकी पत्रिकाओं में शोध एवं लेख प्रकाशित किये गये है। विभाग एवं निगम के विभिन्न योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस परिपत्र संग्रह का प्रकाशन आपकी उपलब्धियों में से एक है।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण से संबंधित

परिपत्रों का संकलन

